UGC-CARE List-Social Sciences ISSN 0974-0074

राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा

National Peer Reviewed Journal of Social Sciences

वर्ष 25 अंक 2
जुलाई–दिसम्बर, 2023

समाज विज्ञान विकास संस्थान
बरेली (उ.प्र.)

इस अंक में

1. धर्म एवं सामाजिक परिवर्तन : समाजशास्त्रीय विमर्श 1-9
डॉ. श्यामधर सिंह
डॉ. अशोक कुमार सिंह
2. बौद्ध भिक्षु विपुलश्रीमित्र का नालंदा प्रशस्ति अभिलेख : एक विश्लेषण 10-14
डॉ बीरेंद्र नाथ प्रसाद
3. सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरूत्पादन में शिक्षा की भूमिका 15-21
राजीव दुबे
करुणाकर सिंह
4. पंजाब में दृष्टिबाधित छात्रों में शैक्षणिक परिवर्तन लाने में तकनीक की भूमिका : एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन 22-29
लवप्रीत सिंह
डॉ. जगसीर सिंह
5. भारत-बांग्लादेश संबंधः नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश-सकारात्मक नीति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 30-38
अनुज
6. कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में वर्णित विदेश नीति के सूत्रों की मोदी कार्यकाल में प्रासंगिकता : एक अध्ययन 39-45
सुश्री प्रतिभा
सुश्री तान्या चौधरी
7. स्थिति की भूराजनीतिक महत्ता : भारत एवं बांग्लादेश का दृष्टान्त 46-53
सुश्री मधुश्री द्विवेदी
8. मुगलकालीन गुजरात में प्रमुख व्यापारिक समुदायों एवं व्यापारियों की व्यापार एवं जहाजरानी के विकास में भूमिका 54-63
विकास कुमार
9. एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं के संबंध में युवाओं का जागरूकता स्तर : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन 64-71
डॉ. दिनेश कुमार
10. भारतीय कॉफी निर्यात और वैश्विक बाजारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 72-79
डॉ. नरेश कुमार
11. अहमदाबाद (गुजरात) में साबरमती नदी में जल प्रदूषण की चुनौतियाँ और शहरी-ग्रामीण समुदायों पर जल प्रदूषण का प्रभाव 80-86
सुश्री ज्योत्सना
12. वैदिक काल में महिला शिक्षा पद्धति 87-91
डॉ. प्रदीप कुमार
13. हिमाचल प्रदेश में वृत्तिक पाठ्यक्रमों में नामांकित युवाओं के आदर्श 92-99
निवेश शर्मा
डॉ. दिग्विजय फुकन
14. स्वच्छ भारत अभियान उपलब्धियां एवं चुनौतियाँ : अलवर जिले के विशेष संदर्भ में 100-107
हनुमंत सिंह
15. हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण तथा प्रदर्शन कलाओं में अंतर्सम्बन्ध 108-113
सुश्री आद्या
डॉ. दिलीप कुमार कुशवाहा

16.	**गोंड चित्रकला और महिला चित्रकार : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** सुश्री शेफाली सोनी डॉ. उषा राणा	114–121
17.	**कोविड–19 लॉकडाउन पश्चात् प्रवासी महिला मजदूरों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण** चेतानंद जांगडे डॉ. एल.एस. गजपाल	122–129
18.	**एकल अभिभावकों की समस्याएं एवं प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन** शैलेन्द्र कुमार देवांगन डॉ. श्रद्धा गिरोलकर	130–138
19.	**कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर पर सामाजिक कारकों (जाति व आर्थिक स्तर) के प्रभाव का अध्ययन** सुश्री स्वाति	139–144
20.	**मानव तस्करी से पीड़ित जनजातीय परिवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि का समाजशास्त्रीय अध्ययन** सुश्री ज्योति ठाकुर डॉ. निस्तर कुजुर	145–152
21.	**हरियाणा में जैविक खेती को प्रभावित करने वाले कारक** सुश्री ज्योति सांगवान	153–158
22.	**महाविद्यालयी विद्यार्थियों का राजनीतिक समाजीकरणः समाजशास्त्रीय अध्ययन** डॉ. रन्जू राठौर	159–164
23.	**रोजगार और कौशल विकास योजनाः पलामू जिले के संदर्भ में एक अध्ययन** अखिलेश कुमार सिंह	165–170
24.	**ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बदलते प्रतिमान : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन** डॉ0 योगेश मैनाली	171–177
25.	**पूर्वमध्यकालीन मध्य भारत में सामन्तीय व्यवस्था, चंदेल राजवंश के विशेष संदर्भ में : एक ऐतिहासिक अध्ययन** सुश्री मुक्ता वर्मा डॉ सुरभि श्रीवास्तव	178–184
26.	**राजस्थान में वर्षा जल संचयन की परंपरा और प्रबंधन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन** सुश्री प्रीति रानी	185–190
27.	**लिव–इन रिलेशनशिप आधारित फिल्मों पर जनमानस का दृष्टिकोण** सुमित श्रीवास्तव डॉ. अवध बिहारी सिंह	191–195

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

धर्म एवं सामाजिक परिवर्तन : समाजशास्त्रीय विमर्श

❑ डॉ. श्यामधर सिंह
❖ डॉ. अशोक कुमार सिंह

सूचक शब्द : धर्म, संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक चिंतन।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि धर्म एवं सामाजिक परिवर्तन के बीच अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध का क्या स्वरूप है? प्रत्युक्ति के रूप में यह कहा जा सकता है कि इस अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध के दो स्वरूप हैं : एक तो यह है कि धर्म सामाजिक परिवर्तन का निर्धारक कारक परिवर्त्य है तथा दूसरा यह कि सामाजिक परिवर्तन द्वारा भी धर्म का स्वरूप विनिश्चित होता है। तथ्यतः ये दोनों पद्धतिशास्त्रीय परिवर्त्य के रूप में एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते रहते हैं। इन दोनों में से किसी एक कारक को दूसरे का परिणाम मानना तर्कसंगत नहीं होगा। धार्मिक प्रघटनाएँ जहाँ एक ओर सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती हैं वहीं दूसरी ओर वे स्वयं भी सामाजिक परिवर्तन की प्रघटनाओं से समान रूप से प्रभावित होती हैं। अस्तु, सामाजिक परिवर्तन पर न केवल धर्म का प्रभाव पड़ता है अपितु सामाजिक परिवर्तन धर्म को भी प्रभावित करता है और उनकी दिशा और प्रकृति को भी प्रभावित करता है। इस दिशा में शीघ्र अध्ययन करने की महती आवश्यकता है।

आधारपीठिका : सामाजिक परिवर्तन समाजशास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हैं। सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय किसी भी जनसमुदाय के जीवन प्रतिमानों में होने वाले रूपान्तरों से है। ये रूपान्तर अनेक आन्तरिक व बाह्य कारकों से घटित होते हैं। परिवर्तन सभी संस्कृतियों की विशेषता है। प्रत्येक संस्कृति परिवर्तन के दौर से गुजरी है। लेकिन परिवर्तन की दर भिन्न-भिन्न होती है। आदिम समाजों में इसकी गति धीमी होती है, जबकि विकसित समाजों में परिवर्तन तेजी से होते हैं। किसी भी समाज में होने वाले परिवर्तन की गति व क्षेत्र उस समय की परिवर्तनकारी शक्तियों के अनुसार होते हैं। कुछ प्रारम्भिक समाजशास्त्रियों के अनुसार आदिम मनुष्यों की संस्कृति स्थिर थी। इस मत को अधिक बल नहीं मिल पाया क्योंकि पूर्व-साक्षर संस्कृतियों के वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह बात स्पष्ट हो गयी है कि आदिम मनुष्यों में भी परिवर्तन होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। लेकिन इन परिवर्तनों की गति धीमी होने के कारण इन्हें मापना कठिन है। ऐसी दशा में लोग यह सोचने लगते हैं कि आदिम समाज स्थिर है। मानवशास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि आदिम मनुष्यों के यंत्रों, उपकरणों, प्रविधियों और जीवन प्रकारों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। इसी प्रकार पुरातत्त्ववेत्ताओं ने प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में तथा इतिहासकारों ने ऐतिहासिक सभ्यताओं में रूपान्तरों की जानकारी दी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिवर्तन तो एक शाश्वत सत्य है। उसका चक्र अविराम गति से चलता रहता है। उसके फलस्वरूप सामाजिक सम्बन्धों एवं सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है।

सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है? इसके उत्तरदायी कारण कौन-कौन से हैं? मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने इस पर बहुत कुछ लिखा-पढ़ा है। अतः सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारण हैं। किन्तु यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य धर्म और सामाजिक परिवर्तन के बीच के अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्धों पर ही प्रकाश डालना है। अतः प्रस्तुत शोध निबन्ध में विश्लेषण का मुख्य प्रयोजन केवल धर्म और सामाजिक परिवर्तन के बीच पारस्परिक प्रभावों को उजागर करना है।

धर्म-चिन्तन की धाराएँ :

समाज में धर्म-चिन्तन की अनेक धाराएँ अनादि काल से प्रवाहित होती रही हैं। चिन्तन, मनन और निदिध्यासन धर्म-ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं। मानव की धर्म जिज्ञासा ''कोऽहं'', ''कस्त्वं'', ''कुत

❑ प्राक्तन प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ.प्र.)
❖ प्रोफेसर, समाजशास्त्र, जगतपुर पी.जी. कॉलेज, जगतपुर, वाराणसी (उ.प्र.)

आयातः'' मैं कौन हूँ, तू कौन है, कहाँ से आना हुआ- के परिणामस्वरूप धर्म-ज्ञान की अनेक धाराएँ प्रस्फुटित हुईं। मानव की यह चिन्तन धारा-उत्तरोत्तर आगे बढ़ने लगी। धार्मिक चिन्तन ने दार्शनिक चिन्तन का मार्ग प्रशस्त किया। मानव ने सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ने का प्रयास आरम्भ कर दिया। उसने समय-समय पर धर्म-दर्शन की अनेक तर्कसंगत धारणाएँ प्रस्तुत कीं। पौर्वात्य तथा पाश्चात्य धर्मदर्शन के गहन एवं गूढ़ सिद्धान्त विश्व की धर्म-चिन्तन-धारा के अनमोल रत्न हैं। सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों की परिधि से कहीं ऊपर उठे ये सिद्धान्त बड़े-बड़े विचारकों को चक्कर में डाल देते हैं।

चूँकि समय-समय पर धर्मदर्शन की चिन्तन-धाराएँ नाना दिशाओं में विकसित हुईं, अतः यह निश्चित है कि इसी चिन्तन-धारा की अमर बेलि में से नाना प्रकार के पंथीय पुष्प प्रस्फुटित हुए। इससे सामाजिक परिवर्तन की निरन्तरता का आभास होता है। यद्यपि प्राचीन चिन्तन-धारा में सामाजिक परिवर्तन को 'अवनति' - के नाम से जाना गया, जैसा कि विल्सन डी. वैलिस ने अपनी पुस्तक ''कल्चर ऐण्ड प्रोग्रेस'' में इस बात उल्लेख किया है कि प्राचीन पूर्व में ऐसी धारणा का प्रचलन रहा है। 600ई.पू. के लगभग चीन सन्त लाअत्सो तथा भारत, फारस व अमेरिका के महाकाव्यों में इस धारणा का प्रकटन हुआ है। इन कार्यों में तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों में ऐसे ही रचनात्मक कार्यों में यह स्वीकार किया गया कि मनुष्य अपने सबसे प्रारम्भ के युग, जिसे ''स्वर्णयुग'' भी कहा जाता है, में अधिक प्रसन्न था। हिन्दू धर्म में इस युग को 'सत्युग' के नाम से अभिहित किया गया है। किन्तु धीरे-धीरे समाज की दिशा में गिरावट आने से मनुष्यों की कठिनाईयाँ बढ़नी प्रारम्भ हो गयीं। व्यावहारिक रूप से यह अवस्था स्वाभाविक ही है। क्योंकि प्रारम्भ में समाज का स्वरूप काफी सरल था लेकिन धीरे-धीरे यह जटिल होता गया। इसी कारण मनुष्य समाज की प्रारम्भिक अवस्थाओं में प्रसन्न रहे होंगे। इसके अतिरिक्त परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जीवन के प्रत्येक पहलू में गिरावट आना एक शाश्वत सत्य भी है।

धर्म-चिन्तन की एक अन्य प्राचीन धारणा के अनुसार प्रत्येक समाज कुछ कालचक्रों से होकर गुजरता है। यह एक अवस्था से प्रारम्भ होकर कई अन्य अवस्थाओं से गुजरने के बाद अपनी आरम्भिक अवस्था तक पहुँचकर चक्र पूरा करता है। इस प्रक्रिया में इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। हिन्दू और बौद्ध धर्म-ग्रन्थों में इस धारणा को काफी मान्यता दी गयी है। जे.एस. बरी ने अपनी पुस्तक ''दि आइडिया ऑफ प्रोग्रेस'' में लिखा है कि ग्रीस के स्टोइक दार्शनिकों और रोम के दार्शनिकों, विशेषतः मारकुस आरेलियस, ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं।

धर्म-चिन्तन की विविध धाराओं की प्रमुख धारणा यह रही है कि अलौकिक शक्तियाँ समाज में परिवर्तन के ढाँचे को निर्देशित करती हैं तथा मनुष्य अपना भाग्य निर्धारित करने में असमर्थ है और इसलिए उसने अपना ध्यान ईश्वर व उसकी महिमा पर अधिक दिया। मनुष्य इस जीवन को परलोक की पीठिका मानने लगा। जनसामान्य में यह धारणा अन्तर्विष्ट हो गयी कि ईश्वर ने संसार की सृष्टि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए की है और संसार इन उद्देश्यों के पूर्ण होने पर कभी भी अन्त को प्राप्त हो सकता है। यह भावना एक प्रकार से निराशावादी दृष्टिकोण की चरम सीमा थी, इसमें अच्छाई केवल यह थी की इसने मनुष्य के सुनहरे भविष्य की कल्पना को बनाये रखा।

संसार के सभी धर्म-ग्रंथों के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण धर्म-चिन्तन सृष्टि-विद्या या सृष्टिकर्ता से सम्बद्ध है। विश्व को समझने-जानने का इनमें अद्‌भुत प्रयास किया गया है। धर्म-चिन्तन जगत् और जीवन के वैविध्य और दुर्गमता को स्पष्ट करता है तथा दार्शनिक आयाम प्रदान करता है। किन्तु ऐसी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए सर्वव्यापी एक ही तत्त्व और एक ही सत्ता की कार्यशीलता को स्वीकार किया गया है जिसे ''तदेकम'' (वह एक) के नाम से अभिहित किया गया है और वह एक अपनी निर्माण प्रक्रिया से अपने को अनेकानेक रूपों में अभिव्यक्त करता है। उसकी यह प्रक्रिया स्थिति और देश तथा गति और काल से सम्बन्धित है जो प्रगति और विश्रान्ति की अन्तः प्रक्रिया में भी सन्निविष्ट होती है। कालान्तर में सत् और असत् का दर्शन भी विकसित होता है।

धर्म का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव :

सामाजिक परिवर्तन पर धर्म का प्रभाव समझने के क्रम में भारतीय संस्कृति के सम्पूर्ण इतिहास का अवलोकन करने से धर्म का सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव उद्‌भासित हो

जाएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति की आधारशिला धर्म है। भारतीय संस्कृति के समस्त विभागों का धर्म के द्वारा शासन एवं समन्वय होता रहा है।

भारतीय संस्कृति का आधार धार्मिक प्रवृत्ति है जिससे मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन प्रभावित होता रहा है। समस्त सामाजिक व्यवस्थाएँ धर्म के आधार पर ही निश्चित हुई हैं। भारतीय मनुष्य का कर्म धर्म पर ही आधृत है। हिन्दू समाज के समस्त सामाजिक कार्यों में धर्म की बाहुल्यता है, जो उसकी स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। तथ्यतः सामाजिक परिवर्तन में धर्म ने अपना योग प्रदान कर सर्वदा जीवन्तता और स्फुरण का वातावरण निर्मित किया है।

भारतीय संस्कृति में अब तक चार महान धार्मिक आन्दोलन हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप इस संस्कृति में महान् परिवर्तन हुए हैं। अतः भारतीय संस्कृति में परिवर्तन का इतिहास उन्हीं चार धर्म- आन्दोलनों का इतिहास है।

भारतीय संस्कृति में पहला धर्म आन्दोलन तब हुआ, जब आर्य भारतवर्ष में आये अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से सम्पर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यों अथवा हिन्दुओं का बुनियादी समाज हुआ और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जिस धर्म की सृष्टि हुई, वही भारतीय संस्कृति का बुनियादी धर्म बना। इस बुनियादी भारतीय धर्म के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिये हुए हैं और दूसरा आधार आर्येतर जातियों का अंशदान है।

ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का देश सप्त सैन्धव था। यही वह भू-भाग है, जहाँ मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्रमाण पाये गये हैं। आर्य संस्कृति से सम्बद्ध जातियों के अब तक जितने भी पुराने निशान मिले हैं उनमें से कोई भी उतना पुराना नहीं है जितना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का प्रमाण। यदि किसी प्रकार यह साबित किया जा सके कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, तभी यह कहने का एक ठोस आधर मिल सकता है कि आर्यों का मूल-अभिजन मध्य एशिया नहीं भारतवर्ष था। किन्तु जब तक यह नहीं होता, हम इस निष्कर्ष से भाग नहीं सकते कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्य-भिन्न सभ्यता थी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में शिव की पूजा प्रचलित थी और यह पूजा आर्यों के यहाँ विलम्ब से गृहीत हुई और वह भी ऋषियों की इच्छा के विरुद्ध। अनुमान होता है कि आर्य भाषा का जब इतना प्रसार हो चुका, तब आर्य लोग भारत पधारे। संस्कृत भाषा इस देश में आर्यों के साथ ही आयी और जिस उत्कृष्ट संस्कृति, साहित्य और सभ्यता के कारण आर्य सारे विश्व के इतिहास में प्रख्यात हैं, उसकी रचना उन्होंने इसी भारतवर्ष में की। अतएव, मूल-अभिजन उनका चाहे जहाँ रहा हो, किन्तु उनका अपना देश भारतवर्ष हुआ। आर्य शब्द की व्युत्पत्ति ऋ धातु से बतायी जाती है, जिसका अर्थ गति होता है। आर्य, कदाचित गत्वक (घुमक्कड़) लोग थे। एशिया के रेगिस्तानी इलाकों से निकलकर जब वे भारत पहुँचे, यहाँ की उर्बरा धरती ने उनके धुमक्कड़ स्वभाव को बदल दिया और यहाँ जमकर उन विचारों को वास्तविकता का जामा पहनाने लगे, जो उनके भीतर हजारों वर्ष से उमड़ते आ रहे थे। भारत में कश्मीर, पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब, ये उनकी आरम्भिक वास-भूमि और उनके पौरुष के प्रथम क्रीड़ा क्षेत्र थे। इस इलाके में रहकर उन्होंने जिस संस्कृति का निर्माण किया वह, कालक्रम में, सारे भारत की संस्कृति बन गयी।[1] आर्यों का प्राचीनतम साहित्य वेद, जो मानवमात्र का प्राचीनतम ग्रन्थ है, भारतीय जीवन की आत्मा है।

भारतीय संस्कृति में दूसरा धर्म-आन्दोलन तब हुआ, जब जैन और बौद्ध धर्म का प्रकटन हुआ। इन दोनों धर्मों ने पूर्व स्थापित धर्म अर्थात् वैदिक धर्म के विरुद्ध विद्रोह किया और वैदिक धार्मिक क्रियाओं और व्यवहारों पर कठोरतम् प्रहार किया। निश्चय ही जैन और बौद्ध धर्म की दार्शनिक पद्धति उपनिषदों के तथ्यों और उनके आध्यात्मिक चिन्तन से अनुगृहीत थी, तथापि तत्कालीन समाज की सामान्य जनता को इन धर्मों ने नवीन आशा और विश्वास प्रदान किया। कठोर वैदिक धार्मिक कर्मकाण्डों और जटिल यांत्रिक क्रियाओं से त्रस्त समाज ऊब चुका था तथा उसके सदस्य असन्तुष्ट और विकल हो चुके थे। उसके इस अपेक्षा की पूर्ति जैन और बौद्ध सिद्धान्तों और व्यवस्थाओं ने की। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक आन्दोलनकारी और समाज के लिए अधिक ग्राहक और सामाजिक सिद्ध हुआ। इसका प्रधान कारण यह था कि जैन साधना का झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर अधिक, सामाजिक परिवर्तन की ओर बहुत कम था।

किन्तु बौद्ध धर्म वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा को बराबर झकझोरता रहा। इसी झकझोर के कारण ब्राह्मण बौद्धों के शत्रु बन गये और बदले में बौद्ध धर्म ने बहुत से हिन्दुओं के मन में वैदिक धर्म और वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति वितृष्णा उत्पन्न कर दी। वेद, ब्राह्मण और जाति प्रथा से चिढ़े हुए ये लोग भारत में ईसाई एवं इस्लाम के आगमन के बाद आसानी से मुसलमान बनाये जा सके, क्योंकि कट्टर हिन्दुत्व के केन्द्र से वे पहले ही दूर चले गये थे। **वर्द्धमान महाबीर** और गौतमबुद्ध ने क्षत्रियों को ब्राह्मणों की तुलना में उच्च और प्रथम स्थान ग्रहण करने की व्याख्या की तथा ब्राह्मणों को द्वितीय स्थान प्रदान किया।[2] महात्मा बुद्ध ने सामाजिक-आर्थिक ढाँचे के रूप में जाति और उच्च जाति द्वारा अपने पूर्वजों से प्राप्त की गयी शुद्धता के बीच कोई अन्तर नहीं स्वीकार किया था। आचार-नीति को प्रकट करने की यह व्यक्तिगत इच्छा थी।[3] अतः क्षत्रिय, ब्राह्मण, श्रेष्ठ (सेठ या वैश्य) और कृषक से संयोजित समाज की निरन्तरता उस युग में बनी। सामाजिक भेद की कठोरता शिथिल पड़ रही थी तथा राजा को समाज में व्यवधान और लूट मार करने वाले अपराधियों के प्रति मानवोचित व्यवहार करने का निर्देश दिया जा रहा था। औपनिषदिक युग की तरह इस युग में भी ज्ञान और दर्शन की दिशा में उच्च क्षत्रिय जाति के व्यक्तियों ने समाज का नेतृत्व किया तथा उसे दिशा निर्देश दिया। ब्राह्मण समाज की सूत्रबद्ध जटिल व्यवस्थाओं और कठोर कर्मकाण्डीय व्यवहारों का सामान्य समाज के समक्ष अनावरण किया गया तथा उसके वास्तविक स्वरूप को व्यक्त किया, गया। बौद्ध ग्रन्थों, जातकों तथा जैन ग्रन्थों से इस युग की ग्रामीण और नगरीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संगठन पर नवीन प्रकाश पड़ता है। समाज शक्ति या नियंत्रण या तो राजनीतिक प्रमुख का था या धनी व्यक्ति का, ब्राह्मण को प्रथम स्थान केवल नाम मात्र प्राप्त था, इससे अधिक उसका कुछ भी महत्त्व नहीं था।[4] सिद्धान्ततः जैन और बौद्ध धर्मों ने धार्मिक क्षेत्र में किसी प्रकार का वर्ग-भेद नहीं उत्पन्न किया। निःसन्देह समाज में यह परिवर्तन का सूत्र था जो ब्राह्मण विरोधी मतों के माध्यम से प्रारम्भ हुआ था।

भारतीय संस्कृति में तीसरा धर्म-आन्दोलन तब हुआ, जब इस्लाम, विजेताओं के धर्म के रूप में भारत में पहुँचा और इस देश में हिन्दुत्व के साथ उसका सम्पर्क हुआ। मुसलमानी आक्रमण के बाद भारतवर्ष सर्वप्रथम पराधीन हुआ और सर्वप्रथम इस देश पर ऐसे लोगों का आधिपत्य हो गया जो यहाँ के धर्म से अपने धर्म का एकाकार करना नहीं चाहते थे, बल्कि जिनकी कोशिश थी कि भारतीय जनता ही अपना धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाय। परिणामतः इन दोनों धर्मों में साँप और नेवले का कटु एवं विद्वेषपूर्ण सम्बन्ध हो गया था जो अब तक किसी न किसी रूप में विद्यमान है। वस्तुतः भारत में इस्लाम का आरम्भिक इतिहास मार-काट, खून-खराबा, हिंसा प्रतिहिंसा, धर्म परिवर्तन, अभद्रता और अन्याय का इतिहास है। दिनकर के अनुसार, ''इस्लाम केवल नया मत नहीं था। यह हिन्दुत्व का ठीक विरोधी मत था। हिन्दुत्व की शिक्षा थी कि किसी भी धर्म का अनादर मत करो। मुसलमान मानते थे कि जो धर्म मूर्ति-पूजा में विश्वास करता है, उसे नेस्तनाबूद कर देना ही धर्म का सबसे बड़ा काम है। हिन्दू गो-हत्या को सबसे बड़ा पाप समझते थे। मुसलमान गोभक्षक थे। हिन्दुत्व इतना उदार था कि अनेक मतों के प्रति उदारता का बर्ताव करके उसने उन्हें अपना बना लिया था। किन्तु अब जो धर्म भारत में आया, वह प्रजा नहीं, राजा का धर्म था और इस धर्म की चेष्टा यह थी कि हिन्दुत्व से दोस्ती न करके उसे अपने ही भीतर आत्मसात् कर ले। अतएव, हिन्दुत्व इस्लाम को लील नहीं सका। उलटे इस्लाम से अपनी रक्षा करने में उसे भारी संकटों का सामना करना पड़ा। हिन्दुत्व पराजित प्रजा का धर्म था और इस्लाम विजेताओं का। अतएव् इस्लाम के सांस्कृतिक आक्रमणों का उत्तर आक्रमण से देना हिन्दुत्व के लिए संभव नहीं था। परिणाम यह हुआ कि अपनी रक्षा के प्रयास में हिन्दुत्व, घोंघे की तरह सिकुड़ कर अपनी खोली में छिपने लगा। जाँत-पाँत के नियम उसने और भी कठोर बना लिये। लड़कियों का बचपन में ब्याह आम बात हो गयी और छुआछुत की भावना और भी भयंकर हो उठी। सबसे विचित्र बात यह हुई कि इस्लाम के विरुद्ध हिन्दुओं की घृणा दबकर उनके अन्तर्मन में चली गयी और इसकी अभिव्यक्ति इस प्रथा में हुई कि मुसलमान का छुआ हुआ पानी पीने से भी हिन्दू का धर्म चला जाता है। पर्दे का चलन थोड़ा-बहुत पहले से भी था, किन्तु मुस्लिम काल में यह प्रथा कुप्रथा में परिणत हो गयी है।''[5] दिनकर के ही शब्दों में ''भारत की अपनी परम्परा असाम्प्रदायिक राज्य की परम्परा थी। जैन, बौद्ध

और वैदिक धर्मावलम्बियों के बीच खटपट यहाँ भी चलती थी, लेकिन इस देश के राजे राज्य की ओर से किसी भी धर्म का दलन नहीं करते थे, न यहाँ यही रिवाज था कि राज्य धर्म से मुस्लिम राज्य काल में भारत की यह धर्म निरपेक्ष नीति समाप्त हो गयी। सुलतान बादशाह और नवाब खुलकर मुसलमानों का साथ देने लगे और हिन्दुओं के साथ वही वर्ताव किया जाने लगा जो गुलामों के साथ किया जाता है।"[6] मुस्लिम राज्य की गैर-मुस्लिम प्रजा इस्लाम के कानून की दृष्टि में कितनी हेय समझी जाती थी, इसका अनुमान नीचे लिखे कुछ प्रतिबन्धों से आसानी से किया जा सकता।

1. मुस्लिम राज्य में कोई भी प्रतिमालय नहीं बनाया जा सकता।
2. जो प्रतिमालय तोड़ दिये गये हैं, उनका नव निर्माण नहीं किया जा सकता।
3. कोई भी मुस्लिम यात्री प्रतिमालय में ठहरना चाहे तो बेरोक-टोक ठहर सकता है।
4. सभी गैर-मुस्लिम लोग मुसलमानों की इज्जत करेंगे।
5. गैर-मुस्लिम प्रजा मुसलमानी पोशाक नहीं पहनेगी।
6. गैर-मुस्लिम लोग मुसलमानी नाम नहीं रख सकते हैं।
7. गैर-मुस्लिम लोग मुसलमानों के सामने, जीन और लगाम कस कर, घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे।
8. गैर-मुस्लिम प्रजा के लिए तीर, धनुष और तलवार लेकर चलना मना है।
9. गैर-मुस्लिम जनता मुसलमानों के मुहल्ले में न बसे।
10. गैर-मुस्लिम प्रजा अपने मुर्दों को लेकर जोर से विलाप न करें।
11. गैर-मुस्लिम लोग मुस्लिम गुलाम न खरीदें।

ये सभी नियम राज्य की ओर से हमेशा कड़ाई से बरते जाते थे या नहीं यह बताना कठिन है। किन्तु हर मुस्लिम शासक को यह मालूम था कि जिस शासन का वह संचालन कर रहा है, उसका आधार ऐसे ही नियमों पर है।

हिन्दुत्व पर इस्लाम के प्रभाव की कहानी डॉ. ताराचन्द और प्रोफेसर हुमायूँ कबीर ने बहुत बढ़ा-चढ़ाकर लिखी है। किन्तु यह ठीक नहीं है। कबीर से पहले भारत के धर्म अथवा साहित्य पर इस्लाम का कोई प्रभाव पड़ा था, यह बात किसी भी तर्क अथवा प्रमाण से सिद्ध नहीं की जा सकती है। लेकिन, हिन्दुत्व पर इस्लाम ने जो प्रभाव डाला, उससे अधिक प्रभाव उसने हिन्दुत्व से स्वयं ग्रहण किया है।

भारतीय संस्कृति में चौथा धर्म-आन्दोलन उस समय हुआ, जब भारत में यूरोप का ईसाईयत के साथ आगमन हुआ तथा उसके सम्पर्क में आकर हिन्दुत्व और इस्लाम दोनों ने नव-जीवन का अनुभव किया। अंग्रेजों के शासनकाल में ईसाई धर्म खूब फुला-फला, भोली-भाली जनता के बीच धर्म-परिवर्तन का कार्य भी खूब हुआ। धर्म-प्रचारक चूँकि शासक जाति के थे, इसलिए उन्हें इस कार्य में भरपूर सहायता मिली। जब अंग्रेजी शासन भारत में ठीक से अपनी जड़ जमा ली, तब धर्म प्रचारकों का आगमन अधिकाधिक संख्या में होने लगा, शासनतन्त्र धर्म-प्रचार के कार्य को प्रोत्साहन देने लगा तथा अंग्रेज अपने भविष्य के सुनहले स्वप्न देखने लगे कि भारतवर्ष एक न एक दिन अवश्य ईसाई हो जाएगा।

ईसाईयत के प्रचारकों (मिशनरियों) ने अपने धर्म के प्रचार के लिए कान्वेन्ट स्कूल और विद्यालय खोलने प्रारंभ कर दिये और यहाँ की भाषाएँ सीखकर ईसाईयत का साहित्य भी देश में फैलाने लगे। बाइबिल का अनुवाद उन्होंने देश की अनेक भाषाओं में किया एवं मिशनरी कवियों ने प्रार्थना के गीत भी देश की भाषाओं में भी लिखे। वस्तुतः वर्तमान भारत का जन्म ही अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की गोद में हुआ है।

भारतवर्ष में ईसाईयत के प्रचार एवं प्रसार के लिए धर्म प्रचारक अन्ततः भारतीयकरण की ओर उन्मेषित हुए। उन्होंने अत्यन्त सरल और साधु जीवन व्यतीत करने के निमित्त ब्राह्मणों का ताना-बाना धारण किया। इतना ही नहीं, वरन् वे गैरिक परिधान (वस्त्र) धारण करने लगे तथा शिखा, यज्ञोपवीत, रूद्राक्ष-माला, तुलसी-माला भी धारण करने लगे और यहाँ तक कि खड़ाऊ पहन कर चलने लगे।[7] वे छुआछूत को मानने लगे और ईसाई तथा हिन्दू दोनों ही, सम्प्रदायों में जाति प्रथा का भी पालन करवाने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा करने की अनुमति उन्हें खुद पोप ने दी थी। इस आडम्बर एवं नये हथकण्डे से ईसाइयों का प्रचार तो खूब बढ़ा, किन्तु वह स्थायी नहीं हो सका।

यह भी कथ्य है कि धर्मोन्माद में आकर ईसाई धर्म प्रचारक न केवल हिन्दुत्व की निन्दा की वृष्टि करने लगे, बल्कि हिन्दू देवी-देवताओं की कटु अनुदार आलोचना भी करने लगे।[8] किन्तु शीघ्र ही ईसाईयत का पाश्चात्य रूप

भारतीय चिन्तकों को खटकने लगा। केशवचन्द्र, जो एक ब्रह्मसमाजी थे, को यह कहना पड़ा कि ''लगता यह है कि ईसा हम लोगों के बीच अंग्रेज बनकर आये हैं। उनके रंग-ढंग और तौर-तरीके अंग्रेजी हैं। उनका मिजाज और उनकी आत्मा भी अंग्रेजों का मिजाज और अंग्रेजों की आत्मा है। इसीलिए, हिन्दू उनसे बिदकते हैं। यदि आप ईसा को हमारे बीच लाना चाहते हैं तो सुसभ्य यूरोपीय व्यक्ति बनाकर मत लाइये। बल्कि, उन्हें एशिया के सन्त के रूप में भेजिये, जिसकी सारी पूँजी उसकी समाधि और जिसका सारा धन उसकी प्रार्थना में है।'' ईसा का योरोपीय रूप स्वामी विवेकानन्द को भी पसन्द नहीं था। लेकिन इतना जरूर मानना पड़ेगा कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने अनेक भयंकर और क्रूर सामाजिक धार्मिक प्रथाओं के विरूद्ध आन्दोलन किया और सरकार को उन प्रथाओं को बन्द करने पर मजबूर किया। सामाजिक और धार्मिक चेतना के फलस्वरूप स्वयं हिन्दुओं में उनके विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो गया था।

अब तक के विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि युगों-युगों से धर्म सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता रहा है। न केवल भारतीय संस्कृति में वरन् विश्व की सभी संस्कृतियों में धर्म सामाजिक परिवर्तन का प्राथमिक उत्तरदायी कारण रहा है।

कुछ समाजशास्त्रियों, जिनमें अगस्त कोंत, कौलेंग्स, एलवूड, ली. बों, जेम्स फ्रेजर, रास, सोरेल, एवं दुर्खीम आदि का नाम लिया जा सकता है, ने यह मत प्रकट किया कि धर्म सामाजिक परिवर्तन का मुख्य अभिप्रेरक है। मैक्सवेबर ने इस सिद्धान्त की और सुस्पष्ट व्याख्या की कि सामाजिक परिवर्तन लाने में सब संस्थाओं में धर्म सबसे आगे रहता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कुछ धर्मों जैसे- हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, ताओ धर्म तथा यहूदी धर्म ने अपने अनुयायियों की आर्थिक व्यवस्था पर निर्णायक प्रभाव डाला है। यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया कि परिवर्तन गैर-धार्मिक कारकों से भी उत्पन्न हो सकता है, तो भी उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया कि नैतिक और धार्मिक विचार, सामान्यतः सामाजिक परिवर्तन लाने वाले कारक होते हैं।

प्रसिद्ध समाजशास्त्री सोरोकिन ने उपर्युक्त व्याख्या की आलोचना की है। उनका कहना है कि ''यदि सभी सामाजिक संस्थाएँ धर्म में परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित होती हैं तो धर्म स्वयं कैसे, कब, और क्यों परिवर्तित हो जाता है।'' उनके विचार में परिवर्तन संस्कृति के भिन्न भागों की अन्तर्क्रिया के फलस्वरूप होता है और इनमें से किसी एक को परिवर्तन का प्रमुख साधन नहीं माना जा सकता है।

सामाजिक परिवर्तन का धर्म पर प्रभाव :

जिस प्रकार धर्म सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप को प्रभावित करता है उसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन भी धर्म के स्वरूप को प्रभावित करता है। संस्कृति जड़ नहीं होती, गतिशीलता उसकी एक उल्लेखनीय विशेषता है। मानव जीवन की आवश्यकताओं और समय-समय पर प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरणों में होने वाले परिवर्तनों में सामंजस्य उसका एक मुख्य उद्देश्य है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि संस्कृति के गठन और उसके मूल्यों में समय-समय पर परिवर्तन हो। गतिशीलता का अभाव संस्कृतियों के विघटन की दिशा में उन्मुख कर उनके क्रमिक ह्रास और मृत्यु का कारण होता है। अधिकांश संस्कृतियाँ समयानुकूल परिवर्तनों द्वारा अपनी उपयोगिता बनाये रखने के लिए सतत् प्रयत्नीशील रहती हैं।

सोरोकिन का कथन है कि समाज और संस्कृति में परिवर्तन तो होता ही है, इसे सिद्ध करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, सिद्ध करने की आवश्यकता तो इस बात की पड़ सकती है यदि कोई कहे कि समाज और संस्कृति अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता समाज और संस्कृति का स्वाभाविक गुण है, आन्तरिक गुण है, इसलिए इसे अन्तर्व्यापी कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

सामाजिक विचारों में परिवर्तन के साथ-साथ धर्म की विचारधारा में भी परिवर्तन होने लगता है। धर्म के संवर्द्धन और विकास के लिए नवीन परिवर्तनों का ग्रहण करना आवश्यक होता है। फिर भी नवीन परिवर्तनों का स्वीकरण धर्म-व्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करता है। प्रायः प्रत्येक संगठित धर्म में कुछ केन्द्रीय विश्वास और मूल्य होते हैं। नवीन परिवर्तनों का मूल्यांकन इन्हीं के आधार पर किया जाता है, और स्वीकरण की स्थिति में इन दोनों प्रकार की विशेषताओं- परम्परागत केन्द्रीय विश्वासों और नवीन विश्वासों में सामंजस्य स्थापित होना आवश्यक है। नवीन विश्वासों का मूल्यांकन अधिकांशतः धर्म के परम्परागत मानदण्ड के आधार पर होता है। स्वीकरण की स्थिति में परिवर्तन के नये तत्व, अपने नये परिवेश में नये अर्थों में ग्रहण

किये जाते हैं। कभी-कभी उन्हें स्वीकार करने वाले धर्म उन्हें अपने अनुभव की परिधि में आये समानान्तर तत्त्वों के स्थान पर प्रतिस्थापित करते हैं। नये तत्त्वों में प्राचीन मूल्य और अर्थ देखने की प्रवृत्ति कुछ ही धर्मों में पाई जाती है। इसके विपरीत कभी-कभी प्राचीन तत्त्वों में नये मूल्यों और अर्थों को भी आरोपित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक धर्म में कुछ कोमल पक्ष होते हैं और कुछ कठोर। कोमल पक्षों में परिवर्तन सरलतापूर्वक हो सकते हैं, जबकि धर्म के कठोर पक्ष परिवर्तनों को उतनी सरलता से ग्रहण नहीं करते। धर्म कक्ष के एक पक्ष में आया परिवर्तन उसके अन्य पक्षों में सह-परिवर्तनों को जन्म देता है। परिवर्तन और तज्जनित सह-परिवर्तन धर्म-कक्ष में समाहित हो जाते हैं, तब यह कहा जा सकता है कि किसी नये तत्त्व का पूर्ण स्वीकरण हो गया।

सामाजिक परिवर्तन धर्म को प्रभावित करने का एक सशक्त कारण है, किन्तु रूढ़िवादी व्यक्तियों में सामाजिक परिवर्तन के कतिपय पक्षों के प्रति असन्तोष की एक निश्चित भावना होती है। उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के कतिपय नवाचारों (इनोवेशन) को स्वीकार नहीं कर पाते। वे कतिपय नवाचारों के प्रति विद्रोह की भावना विकसित कर लेते हैं। सत्रहवीं शदी के मध्य में गैलिलियों ने जब कापरनिकस के इस सिद्धान्त ''पृथ्वी चलती है सूर्य नहीं'', का समर्थन किया तब ईसाई धर्म के परमोच्च अधिकारी पोप अरबन अष्टम् ने उन्हें ऐसा न करने का आदेश दिया। इतिहास साक्षी है कि इस सिद्धान्त को स्वीकार करने वालों को उस समय मौत की सजा दे दी गयी थी। कालान्तर में पोप पायस द्वादश के काल में कैथोलिक चर्च ने इस तथ्य को स्वीकारा। इस प्रकार रूढ़िवादियों का रूढ़ियों के प्रति विशेष लगाव होता है, वे रूढ़ियों के प्रति आग्रही होते हैं, अतः वे नवाचार की आवश्यकता और महत्त्व को शीघ्रता से समझ नहीं पाते, बल्कि कुछ दिनों के बाद उसे ग्रहण-योग्य समझते हैं। इसके विपरीत वे व्यक्ति जो रूढ़ियों से विशेष लगाव नहीं रखते नवाचार को सरलतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं और उसे धर्म-कक्ष में स्थायित्व देने में सहायक सिद्ध होते हैं।

समाजशास्त्र के जनक आगस्त कोंत की मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन की गति के साथ धर्म का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है। कोंत ने सामाजिक चिन्तन के तीन विकास-स्तरों के आधार पर बोनाल्ड और मेस्त्रे आदि विचारकों के धार्मिक स्तर के स्थायित्व की विचारधारा का खण्डन करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि "पुरानी व्यवस्था को कायम रखना असम्भव-सा है।"[9] कोंत का कहना था कि प्रत्येक विचार निम्नलिखित तीन स्तरों में से गुजरता है - 1. धर्मशास्त्रीय स्तर, 2. तत्त्वमीमांसात्मक स्तर, तथा 3. प्रत्यक्षवादी स्तर।

धर्मशास्त्रीय स्तर मानवीय चिन्तन के विकास का आदि या प्रथम सोपान है, जहाँ प्रत्येक घटना के लिए अलौकिक शक्ति को उत्तरदायी माना जाता है। प्रत्येक संस्कृति के अन्तर्गत किसी न किसी अलौकिक शक्ति को केन्द्रबिन्दु माना जाता है। तत्त्वमीमांसात्मक स्तर पर आकर अलौकिक शक्ति को मूर्त रूप में न स्वीकार करके अमूर्त शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। कोंत अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में लिखते हैं कि ''तत्त्वमीमांसात्मक स्तर आवश्यक है क्योंकि यह पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर एक नये प्रत्यक्षवादी स्तर का मार्ग प्रशस्त करता है। यह नयी व्यवस्था एक प्रगतिशील व्यवस्था होगी और इस प्रकार एक उद्विकासीय प्रक्रिया पूर्णता को प्राप्त करेगी।'' तत्त्मीमांसात्मक सोपान आवश्यक है किन्तु अस्थायी रूप में।[10] कोंत आगे लिखते हैं कि ''तत्त्वमीमांसात्मक भावना पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए आवश्यक है क्योंकि इसी के कारण वह शक्ति केन्द्रित होती है जो किसी भी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष के लिए आवश्यक है।'' प्रत्यक्षवादी स्तर पर अलौकिक शक्ति के आधार पर घटनाओं को स्वीकार न करके वैज्ञानिक विधि के आधार पर स्वीकार किया जाता है। कोंत का कहना है कि प्रत्यक्षवादी स्तर में व्यक्ति उन निरर्थक खोजों को छोड़ देता है जिसे वह पहले अन्तिम सत्य के नाम पर किया करता था। इस स्तर पर तो वह केवल तार्किकता तथा अवलोकन के अन्तर्गत ही नियमों का निर्माण कर उनका प्रयोग करता है। इस प्रकार कोंत का विचार था कि जैसे-जैसे चिन्तन का स्तर परिवर्तित होता जाता है, धर्म का स्वरूप भी परिवर्तित होता जाता है।

सोरोकिन का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन की गति धर्म के स्वरूप को गति एवं दिशा प्रदान करती है। धर्म की गति का रूप चाक्रिक है। अतः परिवर्तन प्रत्येक धर्म की अनिवार्य आवश्यकता है। किन्तु उचित गति-नियन्त्रण अथवा दिशा-निर्देश न मिलने की स्थिति में वह एक जटिल मानवीय समस्या का रूप ग्रहण कर

सकता है। सोरोकिन के अनुसार समाज तथा संस्कृति का परिवर्तन तीन स्तरों में से गुजरता है। ये तीन स्तर हैं- 1. परोक्षवादी, 2. आदर्शवादी, तथा 3. प्रत्यक्षवादी। **परोक्षवादी** संस्कृति वह होती है जिसका सम्बन्ध भौतिक जगत् से न होकर आध्यात्मिक जगत् से होता है। इस संस्कृति में इन्द्रियातीत तथ्यों को मूल्यवान समझकर उनके अनुसार सारे जीवन को ढाला जाता है। सामाजिक संगठन भौतिकता से अनुप्राणित न होकर आध्यात्मिकता से अनुप्राणित होता है। सोरोकिन परोक्षवादी संस्कृति को प्रत्यक्षवादी एवं आदर्शवादी संस्कृतियों से ऊँचा स्थान देते हैं। प्रत्यक्षवादी संस्कृति वह होती है जो भौतिक तथा प्रत्यक्ष जगत् को सब कुछ मानती है। यह संस्कृति विज्ञान-प्रधान होती है। वर्तमान काल की यूरोप की संस्कृति ''प्रत्यक्षवादी संस्कृति'' कही जा सकती है। आदर्शवादी संस्कृति पहली दोनों संस्कृतियों के बीच की संस्कृति है। जब परोक्षवादी संस्कृति परिवर्तित होती हुई प्रत्यक्षवादी संस्कृति का रूप धारण कर रही होती है, तब बीच के समय में इसका रूप आदर्शात्मक हो जाता है। यह एक प्रकार से संक्रमणकालीन संस्कृति है। इसमें कुछ तत्त्व दोनों संस्कृतियों के रहते हैं।

सोरोकिन का कहना है कि जैसे अनार के बीज से अनार पैदा हो जाता है, वैसे आभ्यन्तर प्रकृति के कारण समाज तथा संस्कृति का परिवर्तन परोक्षपरक से प्रत्यक्षपरक तथा प्रत्यक्षपरक से परोक्षपरक होता रहता है। स्वभावतः धर्म का स्वरूप भी इन संस्कृतियों के परिवर्तित स्वरूप के साथ बदलता रहता है। धर्म-परिवर्तन का बीज संस्कृति के भीतर ही होता है। सोरोकिन का कहना है कि संस्कृति में परिवर्तन उनकी आभ्यान्तरिक प्रक्रिया में निहित है, इसी को उन्होंने ''अन्तर्व्यापी परिवर्तन का नियम'' कहा है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन धर्म-परिवर्तन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण है। इतिहास में ऐसे हजारों उदाहरण भरे हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि जब-जब समाज में सामाजिक क्रान्तियाँ हुईं, तब-तब धर्म के दरवाजे एक खास दिशा की ओर खुल गये। कहना न होगा कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता बिना किसी शोर-गुल के, धीरे-धीरे भारतीय धर्म में प्रविष्ट हो गयी। नये भावों और नये विचारों ने परम्परागत भारतीय धर्म पर हमला किया और हमारे धार्मिक नेता आधुनिक बुद्धिजीवियों की तरह सोचने का अभ्यास करने लगे। यह मानसिक आन्दोलन बाहर की ओर वातायान खोलने का यह भाव, अपने ढंग पर अच्छा रहा, क्योंकि इससे हम आधुनिक जगत् को थोड़ा-बहुत समझने लगे।

निष्कर्ष :

समाहार के रूप में यह कहा जा सकता है कि जहाँ एक ओर धर्म सामाजिक परिवर्तन का निर्धारक कारक है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक परिवर्तन द्वारा धर्म का स्वरूप भी विनिश्चित होता है। वस्तुतः ये दोनों एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते रहते हैं। हाँ, व्यक्तियों में परम्परागत धर्म-व्यवहार के प्रति लगाव सामाजिक परिवर्तन में बाधक होता है। जब-जब नवाचार होते हैं रूढ़िवादी उनका विरोध करते हैं। जितना तीव्र परिवर्तन एक नवाचार के द्वारा सामाजिक-धार्मिक मान्यताओं में सम्भावित होगा, उतनी ही शक्ति से लोग उसका विरोध करेंगे। किसी भी सामाजिक-धार्मिक नवाचार का प्रतिरोध प्रौद्योगिक नवाचार की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण यह है कि सामाजिक-धार्मिक नवाचार, सीधे ही व्यक्तियों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को प्रभावित करता है। भारत जैसे विकासशील समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो अन्तर्जातीय विवाह के वर्तमान प्रचलन का उसके अच्छे गुणों पर भी अनुशीलन करने से झिझकता है, वहीं व्यक्ति हजारों वर्ष पुराने बने विधान एवं प्रचलित व्यवस्था की प्रशंसा कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक साधनों के विकास होने पर भी लोगों के सामान्य व परम्परागत विचार बने रहते हैं। किन्तु सभी परिवर्तनों का विरोध नहीं होता है। कुछ परिवर्तन तो शीघ्र ही अपना लिये जाते हैं, विशेषकर ऐसे परिवर्तन जिनसे सामान्य जनता का भला होता है। इसी प्रकार एक अर्द्धविकसित समाज की अपेक्षा एक विकसित समाज में परिवर्तन शीघ्र प्रभाव डालते हैं।

सन्दर्भ

1. रामधारी सिंह दिनकर, 'संस्कृति के चार अध्याय', राष्ट्रकवि दिनकर पथ, राजेन्द्र नगर, पटना, 1977, पृ. 48-50
2. आर. एस. शर्मा, 'शूद्राज इन एशिएंट इण्डिया', वाराणसी, 1958, पृ. 36-38.
3. रोमिला थापर, 'इथिक्स, रिलीजन ऐण्ड सोशल प्रोटेस्ट' नामक लेख, सम्पादित, मलिक, डिसेंट प्रोटेस्ट ऐण्ड रिफार्म इन इण्डियन सिविलाइजेशन, पृ. 124.
4. इरावती कार्वे, 'हिन्दू सोसाइटी एन इण्टरप्रिटेशन', पूना, 1968, पृ. 112.
5. रामधारी सिंह दिनकर, पूर्वोक्त, पृ. 326
6. वही, पृ. 326
7. देखिये, एस.डी. सिंह, 'दि कैथोलिक मिसनरिज ऑफ इण्डिया', अशोक प्रकाशन, वाराणसी, 1980, अध्याय 8, पृ. 263-320
8. (क) ''वह (ईसा मसीह) तुम्हारे देवताओं के समान नहीं हैं जो मर मिटे हैं। रामचन्द्र लक्ष्मण के शोक में सूरज नदी में डूब मरा। कृष्ण प्रभास तीर्थ के वन में भील के शर से मारा गया। ब्राह्मण का सिर शिव ने काटा। विष्णु को शिव, जो उसके काले बाल का अवतार था, निगल गया। शिव ने भीमसेन के डर के मारे हिमालय में प्राण तजा। इस रीति से सब देवता, जिन पर तुम मुक्ति की आशा रखते हो, मर-मिटे।''
   (ख) ''मैं बुरा तो हूँ, परन्तु देवताओं से बुरा तो नहीं हूँ। वरन् उनसे कहीं भला हूँ। शिव के समान जाति से अनादरित और प्रतिष्ठित नहीं हुआ और ब्रह्मा की नाई कामातुर हो के अपनी कन्या से कुकर्म नहीं किया और विष्णु की नाई पराई स्त्री को नहीं ठगा और उनके अवतारों की रीति प्रतिज्ञा-भंजक और निर्दोषियों का घातक और नास्तिक मत और अधर्म का उपजायक नहीं हुआ और इन्द्र के समान अपने गुरु की पत्नी को भ्रष्ट नहीं किया।'' (श्री लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के 'आधुनिक साहित्य' में उद्धृत)
9. आई.एम. जेटलिन, 'आइडियालॉजी एण्ड दि डेवलपमेन्ट ऑफ सोशियालाजिकल थीअरि', प्रिन्टिसहॉल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देलही, 1969, पृ. 72
10. ए. कोंत, 'दि पाजिटिव फिलासफी ऑफ अगस्त कोंत', इन थ्री वाल्यूम्स, ट्रान्सलेटेड ऐण्ड कन्डेन्स्ड बाय हैरिएट मार्टिन्यू, (लन्दन बेल, 1896) वाल्यूम I पृ. 9.

सहायक पुस्तकें :

1. Ahmad, Aziz, *'Studies in Islamic Culture in the Indian Environment'*, Clarendon Press, Oxford, 1964.
2. Baired, Robert D. (ed.) : *'Religion in Modern India'*, Manohar, Delhi, 1995.
3 Hardon, John A., *'Religions of the World'*, Maryland, Newman, Wasteminister, 1963.
4. Hoult, Thomas Ford, *'The Sociology of Religion'*, The Dryden Press, Inc. New York, 1948.
5. Morgan, Kenneth W. (ed.) *'Religions of the Hindus'*, Ronald, New York, 1953.
6. Nehru, Jawaharlal , *'The Discovery of India'*, Asia Publishing House, 1974.
7. Robertson, Ronald (eds.), *'Sociology of Religion, Selected Readings'*, Penguin Books, 1969.
8. Singh, S.D., *'The Catholic Mistionaries of India, Sociological View'*, Ashok Prakashan, Varanasi, 1990.
9. Yinger, Milton J., *'Religion, Society and The Individual'*, The Macmillan Company, New York, 1957.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023 UGC-CARE List-Social Sciences

बौद्ध भिक्षु विपुलश्रीमित्र का नालंदा प्रशस्ति अभिलेख : एक विश्लेषण

❑ डॉ बीरेंद्र नाथ प्रसाद

सूचक शब्द : भारत में बौद्धधर्म का पतन, नालंदा महाविहार, सोमपुर महाविहार, बौद्ध मंदिर तथा विहार, पूर्व मध्यकालीन बिहार और बंगाल।

बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सोमपुर महाविहार से नालंदा महाविहार आए विपुलश्रीमित्र नामक बौद्ध भिक्षु की प्रशस्ति के प्रासंगिक विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत शोध लेख ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी ईस्वी में बिहार और बंगाल में बौद्ध धर्म के सामाजिक तथा धार्मिक इतिहास के कुछ पहलुओं के अन्वेषण का प्रयास करता है। प्रस्तुत शोधालेख इस शिलालेख के आलोचनात्मक अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के विशेष सन्दर्भ में भारत में बौद्धधर्म के पतन के विषय को एक नवीन दृष्टि से देखने का प्रयास करता है।

पूर्व मध्यकालीन (600 –1200 ईस्वी) भारत में बौद्धधर्म के पतन का विषय इतिहासकारों के मध्य एक विवाद का विषय रहा है। इतिहासकारों के एक प्रभावशाली वर्ग के द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि इस कालखंड में बौद्ध धर्म की प्रकृति में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आये। बौद्धधर्म अपने विशालकाय मठों तक सीमित रह गया। बौद्धविहार राज्याश्रय पर पूर्णरूपेण आश्रित हो गए और उनका जनसामान्य से कोई सरोकार नहीं रहा। इन सब कारणों से गंगा घाटी में तुर्क शासन की स्थापना के तुरंत बाद उत्तरी तथा पूर्वी भारत से बौद्ध धर्म अचानक विलुप्त हो गया। प्रोफेसर रामशरण शर्मा तथा प्रोफेसर नरेंद्र नाथ भट्टाचार्या उपर्युक्त मत के प्रमुख सिद्धांतकार हैं।[1] यद्यपि कुछ इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इस प्रभावशाली मत से मतभिन्नता भी रखते हैं।[2] तथापि यह मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रोफेसर रामशरण शर्मा तथा प्रोफेसर नरेंद्र नाथ भट्टाचार्या द्वारा प्रतिपादित सैद्धांतिकी अभी भी भारत में बौद्धधर्म के पतन के प्रश्न से सम्बंधित शोध में एक प्रभावशाली स्थान रखती है।

प्रस्तुत शोधालेख में प्रोफेसर रामशरण शर्मा तथा प्रोफेसर नरेंद्र नाथ भट्टाचार्या द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त सैद्धांतिकी के पुनर्मूल्यांकन का प्रयास किया गया है। यह शोध लेख नालंदा महाविहार के उत्खनन के दौरान विहार संख्या 7 के सबसे ऊपर वाले स्तर से प्राप्त एक शिलालेख के विश्लेषण पर आधारित है। इस शिलालेख में विपुलश्रीमित्र नामक बौद्ध भिक्षु की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में कोई तिथि तथा वर्ष उत्कीर्ण नहीं है, लेकिन पुरालिपिशास्त्र के आधार पर यह माना जाता है कि यह अभिलेख बारहवी शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्कीर्ण गयी थी।[3]

यह अभिलेख लघु आकार का है, इसमें केवल 13 श्लोक हैं।[4] संस्कृत भाषा में लिखित यह अभिलेख हमें विपुलश्रीमित्र नामक बौद्ध भिक्षु के क्रियाकलापों के बारे में बताता है। नालंदा महाविहार आने से पूर्व विपुलश्रीमित्र सोमपुर महाविहार में निवास करते थे।[5] इस अभिलेख में ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दी के बिहार तथा बंगाल में प्रचलित बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है।

यह अभिलेख अनेक कारणों से महत्वपूर्ण है। इस अभिलेख में एक ऐसे बौद्ध मंदिर का उल्लेख मिलता है जो किसी बौद्ध विहार से सम्बद्ध (attached) नही था। इस मंदिर का उल्लेख 'महा-आयतन' के रूप में किया गया है। बिहार बंगाल के बौद्ध विहारों तथा बौद्ध भिक्षुओं के बीच में जो संस्थागत सम्बन्ध थे, उसकी एक रोचक जानकारी भी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख से इस तथ्य की भी जानकारी मिलती है कि एक बौद्ध विहार अपने संरक्षणदाता पाल राजवंश (750-1200AD) से पूर्णतः एकीकृत (identified) हो गया तथा इसी कारण से एक अन्य राजवंश, जिसकी पाल राजवंश से शत्रुता थी, का कोपभाजन बना। इस अभिलेख का एक सप्रसंग अध्ययन प्रस्तुत शोधलेख का विषय है।

अभिलेख तथा उसका तत्कालीन सन्दर्भ : यह अभिलेख बुद्ध की स्तुति से प्रारम्भ होता है और उसके बाद बौद्ध

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (नई दिल्ली)

धर्म के प्रतीक के रूप में धर्मचक्र की वन्दना की गयी है। तत्पश्चात बौद्ध देवी तारा की वंदना की गयी है।[6] यह अभिलेख तारा देवी की वन्दना 'भगवती जगततारिनी तारा' के रूप में करता है।[7] इसमें स्पष्ट है कि तारा की उपासना रक्षण करने वाली देवी के रूप में होती थी।[8] इसके बाद यह अभिलेख सोमपुर महाविहार के ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की शिष्य परंपरा का वर्णन करता है जिनके नाम के अंत में "मित्र" उपाधि जुड़ी हुई थी। करूणाश्रीमित्र सोमपुर महाविहार में इस भिक्षु परम्परा के पहले गुरु थे।[9] यह भी प्रतीत होता है कि वे सोमपुर महाविहार के प्रधानभिक्षु थे। यह अभिलेख बताता है कि करूणाश्रीमित्र के काल में पूर्वी बंगाल के किसी राजा की सेना ने सोमपुर महाविहार पर आक्रमण किया तथा अग्निदाह में उसका विध्वंस कर दिया। करूणाश्रीमित्र ने इस जलते हुए महाविहार को छोड़ने से मना कर दिया और इस अग्निकांड में उनकी भी मृत्यु हो गयी।[10] यह अन्वेषण का विषय है कि किसी बौद्ध विहार तथा बौद्ध भिक्षु पर इस प्रकार का आक्रमण क्यों किया गया।

इस अग्निदाह के बावजूद सोमपुर महाविहार का पतन नहीं हुआ। यह अभिलेख इंगित करता है कि बौद्ध भिक्षु इसमें निवास करते रहे तथा प्रख्यात बौद्ध संस्था के रूप में यह महाविहार कार्य करता रहा। यह अभिलेख बताता है कि करुणाश्रीमित्र के पश्चात् मैत्रीश्रीमित्र नामक बौद्ध भिक्षु सोमपुर महाविहार के प्रधान भिक्षु बने। उनके पश्चात् अशोकश्रीमित्र प्रधान भिक्षु बने।[11] विपुलश्रीमित्र, अशोकश्रीमित्र के शिष्य थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि विपुलश्रीमित्र के पास धन अच्छी मात्रा में विद्यमान था। यह अभिलेख बताता है कि बौद्ध देवता खसरपण अवलोकितेश्वर के एक विशाल मंदिर (महा-आयतन) को विपुलश्रीमित्र ने एक मंजूषा का दान दिया।[12] जहाँ यह मंदिर स्थित था उस स्थान का नाम इस अभिलेख में उत्कीर्ण नहीं है। विपुलश्रीमित्र ने इस मंदिर में एक धार्मिक उत्सव के आयोजन के अवसर पर चार प्रतिमाओं की भी स्थापना करवायी।[13] एक 'सत्र' भी इस बौद्ध मंदिर से सम्बद्ध था तथा इसी मन्दिर के परिसर में स्थित था।[14] इस मन्दिर के परिसर में में 'सत्र' का स्थित होना एक महत्वपूर्ण संकेत है।

खसरपण अवलोकितेश्वर के मंदिर के परिसर में स्थित सत्र के महत्व का विश्लेषण करने के लिए हमें सत्र नामक संस्था के इतिहास पर संक्षेप में विचार करना होगा। गुप्त काल तथा उसके बाद हिन्दू मंदिरों से सम्बन्धित अभिलेखों में सत्र नामक संस्था का बहुधा उल्लेख मिलता है। सामान्यतः सत्र हिन्दू मंदिर के परिसर में अवस्थित होते थे। इस संस्था से सम्बन्धित अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर माइकल विलिस नामक इतिहासकार ने वह निष्कर्ष निकाला है कि प्रारम्भ में सत्र में मुख्य रूप से अन्य स्थान से आये हुए सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के लिए निशुल्क भोजन तथा औषधि उपलब्ध करवाए जाते थे। धीरे-धीरे सत्र की भूमिका में परिवर्तन आया तथा इसमें स्थानीय जनसामान्य तथा दरिद्रजनों को भी भोजन और औषधि दिया जाने लगा। इस प्रकार सत्र नामक संस्था ने हिन्दू मन्दिरों को जनसामान्य के निकट लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभायी। कुछ नवीन शोधों से पता चलता है कि सत्र नामक संस्था को बौद्ध धर्म से सम्बंधित संस्थाओं (विहार, मंदिर) ने भी अपना लिया। नालंदा महाविहार के उत्खनन से प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि नालंदा महाविहार में कुछ सत्र अवस्थित थे जिनका प्रबन्धन नालंदा महाविहार के भिक्षुगण करते थे।[16] जैसा कि विपुलश्रीमित्र के अभिलेख से पता चलता है कि कुछ सत्र, जहाँ स्थानीय दरिद्रगण तथा जनसामान्य को भोजन तथा औषधि वितरित की जाती थी, बौद्ध मंदिरों में भी अवस्थित थे। इससे स्पष्ट होता है कि इन सत्रों के माध्यम से बौद्ध धार्मिक केंद्र भी जनसामान्य के करीब आ रहे थे।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि खसरपण अवलोकितेश्वर को समर्पित यह मंदिर कहाँ अवस्थित था? क्या यह किसी बौद्धविहार के परिसर में अवस्थित था तथा उसी के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था? पुरातत्वविद ननी गोपाल मजुमदार, जिन्होंने इस अभिलेख को खोजा तथा उसका सम्पादन किया, को इस बात का कोई प्रमाण नही मिला कि किसी बौद्धविहार के परिसर में अवस्थित था तथा उसी के एक अंग के रूप में कार्य कर रहा था। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि पाल वंश के बौद्ध राजा देवपाल (810-850) द्वारा बुद्ध को समर्पित एक 'महाआयतन' अर्थात् विशाल मंदिर के बनवाये जाने का उल्लेख मिलता है।[17] यह बौद्ध मंदिर भी किसी बौद्ध विहार से सम्बद्ध नहीं था बल्कि एक स्वतंत्र बौद्ध मंदिर था। इससे स्पष्ट होता है कि विपुलश्रीमित्र के नालंदा अभिलेख में वर्णित खसरपण अवलोकितेश्वर को समर्पित महा-आयतन भी एक स्वतंत्र बौद्ध मंदिर था

तथा वह किसी बौद्ध विहार का अंग नहीं था।[18]

यह अभिलेख यह भी बताता है कि चोयणडक नामक स्थान पर स्थित एक विहारिका में विपुलश्रीमित्र ने मरम्मत करवाई तथा हर्षपुर नामक स्थान में स्थित एक बौद्ध धार्मिक केंद्र में दीपंकर बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की[19] सोमपुर महाविहार में उन्होंने देवी तारा को समर्पित एक प्रासाद (मंदिर) की स्थापना की।[20] इस अभिलेख के अंतिम श्लोक से यह इंगित होता है कि नालंदा महाविहार के परिसर में उन्होंने एक विहारिका का निर्माण करवाया। यह विहारिका सोमपुर महाविहार से आये उन बौद्धभिक्षुओं के उपयोग के लिए निर्माण करवायी गयी जिनका नाम भी 'मित्र' उपाधि से समाप्त होता था तथा जो सोमपुर महाविहार से नालंदा महाविहार आते-जाते रहते थे।[21]

कुछ विचारयोग्य विषय : इस अभिलेख के सन्दर्भ में एक प्रमुख विचारणीय विषय है कि करुणाश्रीमित्र के काल में सोमपुर महाविहार पर एक शत्रु सेना द्वारा आक्रमण करके उस महाविहार को क्यों जला दिया गया? यह आक्रमण इतना क्रूरतापूर्ण था कि सोमपुर महाविहार के प्रधान भिक्षु को भी मार डाला गया। यह आक्रमण कब हुआ तथा इस अग्निकांड के बावजूद सोमपुर महाविहार एक प्रसिद्ध बौद्ध संस्था के रूप में कम से कम सौ वर्षों तक कैसे बचा रहा? यदि यह अनुमान लगाया जाये कि करुणाश्रीमित्र, मैत्रीश्रीमित्र और अशोकश्रीमित्र बीस -बीस वर्षो तक सोमपुर महाविहार के प्रधान भिक्षु रहे तो यह माना जा सकता है की करुणाश्रीमित्र का काल विपुलश्रीमित्र से लगभग 50-60 वर्ष पहले रहा होगा। पुरालिपिशास्त्र (Paleography) के आधार पर विपुलश्रीमित्र के नालन्दा प्रशस्ति अभिलेख को बारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध का माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि सोमपुर महाविहार के अग्निकांड का कालखंड या तो ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य में रहा होगा या उसी शताब्दी के उत्तरार्ध में।

यहाँ पर इस तथ्य को भी ध्यान में लाना चाहिए कि विपुलश्रीमित्र प्रशस्ति ही इस तथ्य का इकलौता प्रमाण नहीं है कि कुछ बौद्ध विहारों पर शत्रुतापूर्ण आक्रमण हुए थे। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार की घटनाएँ केवल ग्यारहवीं शताब्दी तक सीमित नहीं थीं। हम इस तथ्य को सोमपुर महाविहार से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित जगदल नामक स्थान पर हाल फिलहाल में उत्खनित बौद्धविहार के उत्खनन से प्राप्त पुरासामग्री (acraheological material) के विश्लेषण से जान सकते हैं। इस उत्खनित बुद्ध विहार की पहचान तिब्बती बौद्ध ग्रंथों में वर्णित जगदल महाविहार के रूप में की गयी है, जिसका निर्माण पालवंशीय राजा रामपाल द्वारा ग्यारहवीं शताब्दी में किया गया था।[22] उत्खनित पुरासामग्री के विश्लेषण से पता चलता है कि बारहवीं शताब्दी में इस महाविहार को एक शत्रुतापूर्ण आक्रमण में नष्ट कर दिया गया।[23] एक ही क्षेत्र (बंगाल का वरेन्द्र क्षेत्र) में यदि ग्यारहवीं और बारहवीं दोनों शताब्दी में इस प्रकार के उदहारण मिल रहे हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ बौद्ध विहारों को शत्रुतापूर्ण कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा था।

किसी सामान्यीकरण पर पहुँचने से पहले हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि पूर्व मध्यकालीन बंगाल के केवल उपर्युक्त उल्लेखित बौद्धविहार (सोमपुर महाविहार तथा जगदल महाविहार) से ही शत्रुतापूर्ण, हिंसक आक्रमण के प्रमाण मिलते हैं। इस क्षेत्र के अन्य उत्खनित बौद्धविहारों से इस प्रकार के पुरातत्विक प्रमाण नहीं मिले हैं।[24] अतः यह विचार करना भी आवश्यक हो जाता है कि पूर्वमध्य कालीन बंगाल में केवल इन दोनों महाविहारों पर ही आक्रमण क्यों हुआ? इस प्रकार की घटनाओं के बाबजूद बंगाल में कम से कम पंद्रहवीं शतब्दी तक बौद्ध धर्म के विद्यमान रहने के साहित्यिंक तथा पुरातत्विक प्रमाण मिलते हैं। यह किन कारणों से सम्भव हो सका?

इन प्रश्नों का विशद् विश्लेषण अन्यत्र किया जा चुका है, इसीलिए इन प्रश्नों का यहाँ पर विस्तारपूर्वक विश्लेषण नही किया जायेगा। यह बताना ही समुचित होगा कि कुछ बौद्धविहारों कि ख्याति इस रूप में भी थी जहाँ पालवंश के राजाओं की सुरक्षा हेतु वज्रयान के तांत्रिक आचार्यों के द्वारा तांत्रिक अनुष्ठान किया जाता था, जिस कारण से प्रतिद्वंदी राजा भी इन बौद्धविहारों तथा उनमें विद्यमान तांत्रिक आचार्यों से सशंकित रहते थे तथा उनके प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। सोमपुर महाविहार, विक्रमशिला महाविहार तथा जगद्दल महाविहार पर इसी कारण से शत्रु राजाओं द्वारा आक्रमण हुए।[26] लेकिन अन्य बौद्ध विहार, जिनकी छवि पालनकर्ता राजवंश की सुरक्षा हेतु तांत्रिक अनुष्ठान केंद्र के रूप में नहीं थी, वहां सामान्यतः इस प्रकार के आक्रमण नहीं हुए। नालंदा महाविहार को वैसे राजाओं ने भी अनुदान दिया जो स्वयं को

गर्वपूर्वक 'वर्णाश्रमव्यवस्थाप्रवृत' अर्थात वर्णाश्रमव्यवस्था का अनुपालन करवाने वाला कहते थे।[27]

विपुलश्रीमित्र की नालंदा प्रशस्ति अभिलेख के विश्लेषण से एक और तथ्य स्पष्ट होता हैः बौद्ध धार्मिक केन्द्रों की प्रकृति में विविधता, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि बौद्ध मठ और विहार इकलौते धार्मिक केंद्र नहीं थे। इस अभिलेख में अनेक प्रकार के बौद्ध धार्मिक केन्द्रों का उल्लेख मिलता हैः महाविहार (सोमपुर महाविहार, नालंदा महाविहार) विहारिकाय महाआयतनय प्रासाद। यह भी स्पष्ट है कि इन बौद्ध केन्द्रों का समर्थन प्रणाली (support system) भी एक दूसरे से अलग प्रकार के थे। जब उनका समर्थन प्रणाली अलग-अलग प्रकार का था, तो उन सभी का पतन किसी एक कारण से होने की संभावना नगण्य ही लगती है।

एक अन्य प्रश्न पर भी विचार करने की आवश्यकता है, इस अभिलेख में वर्णित खसरपण अवलोकितेश्वर को समर्पित महाआयतन अर्थात् विशाल मंदिर की प्रकृति क्या थी? क्या यह मंदिर किसी बौद्धविहार के परिसर में अवस्थित था जहाँ कि जन सामान्य का प्रवेश तथा आराधना का कार्य कठिन था? अथवा यह एक स्वतंत्र बौद्ध मंदिर था जहाँ जन सामान्य सुगमता से पूजा अर्चना कर सकता था? इस अभिलेख के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह महाआयतन एक स्वतंत्र बौद्ध मंदिर था जहाँ जन सामान्य सुगमता से पूजा अर्चना आदि कर सकता था। विपुलश्रीमित्र ने इस बौद्ध धार्मिक केंद्र के लिए 'महा-आयतन' शब्द का उपयोग किया है, 'विहार', 'विहारी', 'विहारिका' या 'गंधकुटि' शब्द का नहीं। पूर्व मध्यकालीन भारत में 'गंधकुटि' शब्द का प्रयोग वैसे बौद्ध मंदिरों के लिए होता था जो कि बौद्ध विहारों के प्रांगण में ही स्थित होते थे तथा जहाँ केवल अन्तेवासी बौद्ध भिक्षु ही पूजा अर्चना कर पाते थे। विपुलश्रीमित्र एक वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु थे तथा उन्हें महाविहार, विहार, विहारिका, गंधकुटि तथा महाआयतन जैसे बौद्ध धार्मिक केन्द्रों के बीच के संरचनागत अंतर अवश्य ज्ञात रहा होगा। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि खसरपण अवलोकितेश्वर को समर्पित यह बौद्ध मन्दिर एक समुदायिक केंद्र था। यहाँ सार्वजनिक धार्मिक उत्सव होते थे तथा इससे सम्बद्ध सत्र में दरिद्र व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। इस बात का कोई प्रमाण नही है कि इस बौद्ध मंदिर को किसी प्रकार का राज्याश्रय प्राप्त था। यह मंदिर जन साधारण के समर्थन से ही विद्यमान था। इसके पतन की प्रक्रिया सोमपुर महाविहार जैसे बौद्ध केंद्र के समान नहीं हो सकती जो कि पूर्णतः राज्याश्रित थे। अतः महाविहारों की तुलना में विपुलश्रीमित्र के नालंदा प्रशस्ति अभिलेख में वर्णित बौद्ध मंदिर जैसे बौद्ध मंदिर दीर्घकाल तक अस्तित्व में बने रहे होंगे। ऐसे मंदिर राज्याश्रय पर निर्भर नहीं थे, अतः मुस्लिम शासन की स्थापना के तुरंत बाद उनका अवसान नहीं हुआ होगा। उनके पतन की प्रक्रिया अधिक जटिल रही होगी।

निष्कर्ष : इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्व मध्यकालीन बिहार और बंगाल में विशालकाय बौद्ध विहार ही इकलौते बौद्ध धार्मिक केंद्र नही थे। बौद्ध धर्म के पतन के प्रश्न से संबंधित अभी तक जो शोध हुए हैं, उनमें मुख्य जोर इस बात पर रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद विशालकाय बौद्ध विहारों का पतन कैसे हुआ तथा वहां के निवासी बौद्ध भिक्षुओं को किन कठिनाइयों का समाना करना पड़ा। अब इस प्रश्न पर भी विचार करने कि आवश्यकता है कि विपुलश्रीमित्र प्रशस्ति में वर्णित बौद्ध मंदिर तथा उसके उपासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद किन परिवर्तनों का सामना किया? अन्तोगत्वा इस प्रकार के बौद्ध मंदिर भी क्यों नष्ट हो गये? इस प्रकार के प्रश्न अभी तक उपलब्ध शोध से अलग प्रकार के शोध की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

सन्दर्भ

1. N.N. Bhattacharyya, *'Buddhism in the History of Indian Ideas'*, Delhi, 1987, p. 15; R.S. Sharma, Urban Decay, Delhi, 1987, p.131; Andre Wink, Al-Hind: The Making of the Indo-Islamic World, Vol. II , Slave Kings and the Islamic Conquest, 11th -13th Centuries, Delhi, 1999, pp. 335- 43.
2. H.P. Ray *'Providing for the Buddha: Monastic Centres in Eastern India'*, Arts Asiatiques, Tome 63, 2008, pp. 119-138; Arthur Waley, 'New Light on Buddhism in Medieval India', Melanges Chinols et bouddhiques,1931-32, (Full text downloaded from http/ ccbs.ntu/edu.tw/Fulltext/JR-MEL/Weale.htm), p.372; Birendra Nath Prasad, 'Survival of Mahāyāna Buddhism in the Late Thirteenth –Early Fourteenth Century India: A Note on the 'Poetic Inscription' on a Korean Stūpa Erected in Memory of Dhyānabhadra', in P. Chenna Reddy and E. Sivanagi Reddy (eds.), Bodhisiri: A Festschrift to A. Venkateswara Reddy, New Delhi, 2014, pp. 86-91; Birendra Nath Prasad, Archaeology of Religion in South Asia: Buddhist, Brahmanical and Jaina Religious Centres in Bihar and Bengal, c. AD 600-1200, London, 2021, pp. 602-615.
3. N.G. Majumder, *'Nalanda Inscription of Vipulaśrīmitra'*, Epigraphia Indica, Vol. 21, 1930-31, p. 97.
4. Ibid, p. 97
5. अभी के बांग्लादेश के नौगाँव जिला में स्थित पहाड़पुर नामक पुरास्थल से सोमपुर महाविहार की पहचान की गयी है। पहाड़पुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के विश्लेषण के लिए देखें, Vincent Lefevre, *'The Hindu Sculptures form Pāhārpur Reconsidered'*, in Deborah Kilmberg-Salter & Linda Lojda (eds.), South Asian Archaeology and Art: Papers from the 20th Conference of the European Association for South Asian Archaeology and Art Held in Vienna from 4th to 9th July 2010, Turnhout, Belgium, 2014, pp. 131- 142; Birendra Nath Prasad, Archaeology of Religion in South Asia: Buddhist, Brahmanical and Jaina Religious Centres in Bihar and Bengal, c. AD 600-1200, London, 2021, pp. 521-525.
6. N.G. Majumdar, op.cit., p.98.
7. Ibid, p.98.
8. अनेक इतिहासकारों के द्वारा तारा देवी के रक्षण करने वाली देवी के रूप में उपासना के इतिहास का विशद विश्लेषण किया है। उदहारण के लिए देखें, N.N. Bhattacharyya, *'The Cult of Tara in Historical Perspective'*, in idem (ed.), Tantric Buddhism: Centennial Tribute to Dr. Benoytosh Bhattacharya, New Delhi, 2005, pp. 190-207; Elora Tribedy, *'Marching with the People: Continuity and Changes in the Religious Tradition of Goddess Tārā'*, in Birendra Nath Prasad (ed.), Social History of Indian Buddhism: New Researches, New Delhi, 2021, pp. 239-288.
9. N.G. Majumdar, op.cit, p. 98.
10. Ibid, p. 100.
11. Ibid, p. 100.
12. Ibid,p. 99.
13. Ibid, p. 100.
14. Ibid, p. 100.
15. Michael Willis, *'The Archaeology of Hindu Ritual: Temples and the Establishment of the Gods'*, Delhi, 2009, pp. 96–108.
16. H. Sastri, Nalanda and Its Epigraphic Material, Memoirs of the Archaeological Survey of India, no. 66, Delhi, 1942, p. 39; Birendra Nath Prasad, Archaeology of Religion in South Asia: Buddhist, Brahmanical and Jaina Religious Centres in Bihar and Bengal, c. AD 600-1200, London, 2021, p. 399.
17. D.C. Sircar, *'Lucknow Museum Copper Plate Inscription of Surapala I, Regnal Year 3'*, Epigraphia Indica, Vol. XXXX (1973-74) , p.7.
18. कुछ नवीन शोधों से पाल कालीन (750–1200) बिहार तथा बंगाल में वैसे स्वतंत्र बौद्धमंदिर, जो कि किसी बौद्धविहार के परिसर में अवस्थित नहीं थे, के विद्यमान रहने की जानकारी मिलती है। ऐसे मंदिर बौद्धविहारों से स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। उदहारण के लिए देखें, Debala Mitra, *'The Monuments, A Historical Survey'*, in D.C. Ahir (ed.), A Panorama of Indian Buddhism, Delhi, 1995, p.499; Enamul Haque, 'The Early Phase of Architecture of Ancient Bengal As Redeemed from Terracotta Plaques', Journal of Bengal Art, Vol. 4 , 1999, p. 428; A.S. Amar, *'Buddhist Response to Brāhmaṇa Challenge in Medieval India: Bodhgayā and Gayā'*, Journal of Royal Asiatic Society, London, Series 3, no. 22 (1), 2012, p.160; Birendra Nath Prasad, Archaeology of Religion in South Asia: Buddhist, Brahmanical and Jaina Religious Centres in Bihar and Bengal, c. AD 600-1200, London, 2021, pp.24-27.
19. N.G. Majumdar, op.cit., p. 100.
20. Ibid, p. 100.
21. Ibid, pp. 99-100.
22. Md. Abul Hashem Miah, *'Archaeological Excavations at Jagaddala Vihara: A Preliminary Report'*, Journal of Bengal Art, Vol.8, 2003, pp. 147.
23. Ibid, pp. 160.
24. Birendra Nath Prasad, *'Patterns of Ritual Engagements between Buddhist Religious Centres and Their Non-monastic Devotees in the Religious Space of Some Excavated Buddhist Sites of Early medieval Bihar and Bengal: A Study with Particular Reference to the Cult of Votive Stūpas, Votive Terracotta Plaques and Votive Tablets'*, Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, vol. 17, 2019, p. 169; Birendra Nath Prasad, Archaeology of Religion in South Asia: Buddhist, Brahmanical and Jaina Religious Centres in Bihar and Bengal, c. AD 600-1200, London, 2021, pp. 568- 576.
25. A.K. Majumdar, op. cit., pp. 556-557.
26. Birendra Nath Prasad, *'Patterns of Ritual Engagements between Buddhist Religious Centres and Their Non-monastic Devotees in the Religious Space of Some Excavated Buddhist Sites of Early medieval Bihar and Bengal: A Study with Particular Reference to the Cult of Votive Stūpas, Votive Terracotta Plaques and Votive Tablets'*, Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies, vol. 17, 2019, p. 169.
27. Birendra Nath Prasad, op.cit, p. 329.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरूत्पादन में शिक्षा की भूमिका

❑ राजीव दुबे
❖ करुणाकर सिंह

सूचक शब्द : सांस्कृतिक मनमानी, आदिवासी, प्रतीकात्मक हिंसा, शैक्षणिक संस्थान, आदर्श शिक्षा।

प्रस्तुत शोध पत्र इस तथ्य को रेखांकित करता है कि शिक्षण संस्थानों एवं शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से एक वर्ग विशेष का सांस्कृतिक और सामाजिक पुर्नरूत्पादन होता है। उदाहरण स्वरुप आदिवासी छात्रों को केंद्र में रख कर जब हम प्रचलित शिक्षण संस्थानों एवम् शिक्षण पद्धतियों का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि शैक्षणिक संस्थान संख्यात्मक रूप से प्रमुख जातीय समुदाय के सांस्कृतिक मूल्यों एवं जीवन पद्धति पर आधारित हैं, जिसके फलस्वरुप आदिवासी छात्रों को विभिन्न कठिनाइयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रतीकात्मकता का सामना करना पड़ता है। द्वितीयक स्रोतों पर आधारित इस शोध में जब शोधकर्ता ने विभिन्न समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों के सन्दर्भ में आदिवासी छात्रों के वास्तविक अनुभवों की तुलना आदर्श शिक्षा की संकल्पना से की तो यह पाया कि आदिवासी छात्रों का अनुभव एवं अभ्यास, आदर्श शिक्षा के विचार और भावना के विपरीत है।

समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने नामांकन में कमी और आदिवासी समुदायों के छात्रों के स्कूल छोड़ने के लिए शैक्षणिक कार्यवाही, प्रतीकात्मक हिंसा और सांकृतिक मनमानी को जिम्मेदार ठहराया है।[1-4] इसलिए अगर हमें शिक्षण संस्थानों में आदिवासी छात्रों के अनुभवों का विश्लेषण करना है तो हमें स्कूलों में प्रचलित शिक्षाशास्त्र के माध्यम से विश्लेषण करना होगा। बैंकिंग शिक्षा जो कि अपनी एक तरफा एवं नीरस ''चाक और बात'' की विद्या पर आश्रित है एवं जनजातियों की शिक्षा एवं अध्ययन में उपयोगी नहीं है। ये विद्या मौन की संस्कृति को जन्म देती है।[5]

इस परिस्थिति में ज्ञान उन लोगों द्वारा दिया जा रहा है जो दूसरे लोगों को कमतर आंकते हैं और अज्ञानी समझते हैं।[6] बैंकिंग शिक्षा पद्धति पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, जिसमें ज्ञान का सिर्फ एक तरफा एवं प्रमुख आख्यान होता है जो कि हाशिये के समाज के विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विशिष्टता और आवश्यकताओं की उपेक्षा करते हुए उन्हें 'अच्छे' छात्रों के आदर्श एवं प्रमुख प्रारूप में ढलने के लिए बाध्य करता है।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह प्रयास भी किया गया है कि त्रिपुरा राज्य के संदर्भ में आदिवासी शिक्षा में बाधक कारकों को रेखांकित किया जाए एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण कर, इनके निवारण के उपाय प्रस्तुत किए जाएं।

भारत में जनजातीय शिक्षा का इतिहास कई चरणों से गुजरा है। जहां तक जनजातियों की औपचारिक शिक्षा का प्रश्न है वह आदिवासी समाज में स्वतंत्रता से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी। ईसाई मिशनरियों के माध्यम से आदिवासी समाज शिक्षा की ओर उन्मुख हुआ। ब्रिटिश सरकार की आदिवासियों के संदर्भ में अलगाव नीति के कारण ईसाई मिशनरियों को आदिवासी समाज में शिक्षा के विस्तार में बढ़ावा मिला।

स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विविधता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी बच्चों के जीवन एवं संस्कृति को शिक्षण में समावेशित करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तावित हुए – (1) आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालयों का विस्तार; (2) पाठ्यक्रम को समावेशी बनाना; (3) आदिवासी युवाओं को जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना।

आदिवासी शिक्षा में कठिनाइयां

सुजाता[7] ने अपने अध्ययन में मूलतः दो प्रकार की कठिनाईयों को रेखांकित किया– बाह्य व आंतरिक। बाह्य कारणों के मूल्यांकन में सुजाता ने अपने अध्ययन में पाया कि आदिवासी शिक्षा के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण प्रशासन की दोहरी प्रणाली है – एक ओर आदिवासी

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)
❖ असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

कल्याण विभाग है जो जनजातीय जीवन एवं संस्कृति को देखता है, यह विभाग आंशिक रूप से जनजातीय शिक्षा को भी संबोधित करता है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग है, जो शैक्षणिक विकास की रूपरेखा/योजना बनाने, क्रियान्वयन करने के अलावा पाठ्यक्रम निर्धारित करने, पाठ्यपुस्तकों को बनाने, शिक्षक नियुक्ति एवं स्थानान्तरण करने का काम भी करता है। दोनों विभागों के परस्पर समन्वय एवं संचार के अभाव में आदिवासी शिक्षा कई चुनौतियों का सामना कर रही है।

आंतरिक चुनौतियां : आदिवासी शिक्षा को निम्नलिखित आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैः

सुविधाओं का अभाव : बुनियादी सुविधाओं के अभाव में आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा प्रभावित है। बुनियादी सुविधा जैसे पानी, शौचालय के अभाव में गुणवत्तापरक शिक्षा एक स्वप्न है। मैस्लोव[8] के अनुसार व्यक्ति यदि अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है तभी वह उच्च क्रम की आवश्यकताओं जैसे शिक्षा इत्यादि पर केंद्रित कर पाएगा। इसलिए आदिवासी समाज में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अधिकतर बच्चे शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में असफल हो जाते हैं।

पाठ्यक्रम एवं शिक्षाशास्त्र : पूरे भारत में पाठ्यक्रम की समानता का अनिवार्य होना, आदिवासी छात्रों के लिए एक प्रकार से हितकर नहीं है। इन पाठ्यक्रमों में स्थानीय आदिवासी बच्चों के अनुभवों का शायद ही कोई स्थान होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा एक कठोर एवं जटिल व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जहां अधिक महत्व अनुशासन, नियम, शिक्षक केन्द्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। आदिवासी समाज के इतिहास, जीवनशैली, मूल्यों इत्यादि का महत्व नगण्य हो जाता है।

भाषा एवं शिक्षा का माध्यम : भाषा निश्चित रूप से अभिव्यक्ति का माध्यम है लेकिन यदि इसके वृहद स्वरूप को समझें तो भाषा व्यक्ति की सामाजिक पहचान है। भाषा व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति का साधन है।

इस परिप्रेक्ष्य से देखें तो आदिवासी भाषाओं की लिपि के अभाव में विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अन्य भाषाएं होती हैं, जैसे त्रिपुरा में बंगाली भाषा है। यह स्थिति और प्रतिकूल हो जाती है जब शिक्षक भी आदिवासी पृष्ठभूमि से न हो कर दूसरे-जातीय समुदाय के होते हैं। आदिवासी बच्चों की शिक्षा का अध्ययन करते हुए कई शोधार्थियों में इसे रेखांकित किया है।

फैन्सी जमातिया[9] ने अपने अध्ययन में पाया कि प्रथम, आदिवासी बच्चों को विद्यालय में अपनी भाषा में बात करने पर बहिष्कार, अपमान व उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। त्रिपुरा में कुल 19 जनजातीय समुदाय है, उन सब की अलग-अलग भाषाएं हैं। दूसरा, आदिवासी भाषा मूलतः कोकबोरक है, इस भाषा की स्किप्ट नहीं है, इसके कारण इसे पाठ्यक्रम बनाना कठिन है।

त्रिपुरा में विगत कुछ वर्षों से एक सार्थक प्रयास किया गया है कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में जनजातीय शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया जाए। इस प्रयास से समस्या का संपूर्ण न सही पर आशिंक निवारण संभव है। यह सही है कि पाठ्यक्रम अभी भी अंग्रेजी या बंगाली में है, पर उसे स्थानीय जनजातीय भाषा कोकबोरक में समझाया जा सकता है; लेकिन यदि स्थानीय परिदृश्य को देखें तो अभी भी ऐसे आदिवासी शिक्षकों की संख्या बहुत कम है।

त्रिपुरा प्रदेश के अनुभव ने यह दर्शाया है कि सर्व शिक्षा अभियान, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तकें, ड्रेस इत्यादि अपने-आप में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अड़चनों को दूर करने में सक्षम नहीं है।

शिक्षा व सशक्तीकरण : आदिवासी सशक्तीकरण में शिक्षा का काफी योगदान है। लेकिन जो नीति शिक्षा को आदिवासियों को सामान्य धारा से जोड़ने की नीव पर आधारित है, वह आवश्यक नही कि आदिवासी लोगों के शैक्षणिक विकास के लिए श्रेयस्कर हो। राज्यों द्वारा एकीकरण नीति पर आधारित शिक्षा नीति ने विविधता का उचित सम्मान और सदुपयोग नहीं किया।

आदिवासी शिक्षाः समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की दृष्टि से-

समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के माध्यम से यह खंड इस बात को रेखांकित करने का प्रयास करेगा कि शैक्षणिक क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरूत्पादन किस प्रकार प्रभुत्वशाली वर्ग के सदस्यों की सामाजिक गतिशीलता को सुगम बनाता है।

विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के मत अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बिन्दु पर यह सभी सहमत हैं कि सांस्कृतिक भेद स्तरीकरण प्रणाली के भीतर समूहों के बीच के जीवनशैली में अंतर को संदर्भित करता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरुत्पादन : मार्क्सवादी परंपरा

लुई अल्थूसर[10] की 'इंटरपेलेशन' की अवधारणा ने सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरूत्पादन के माध्यम से सांस्कृतिक पहचान के उद्भव की व्याख्या की। इंटरपेलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों के संपर्क में आते हैं, उन्हें आत्मसात करते हैं। किसी संस्कृति के दिए गए विचारों की स्वीकृति या अस्वीकृति उस समाज में हो रही शक्ति अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। यदि वह संस्कृति जो अपने विचारों को रखना चाहती है और उस समाज में उसका प्रभुत्व है तो उस संस्कृति के विचारों को वरीयता दी जाएगी। यदि हम इसको त्रिपुरा के संदर्भ में देखें तो बंगाली समुदाय के त्रिपुरा राज्य में प्रभुत्व के कारण बंगाली भाषा का शैक्षणिक संस्थानों में वर्चस्व है। इतना ही नहीं भाषाई वर्चस्व के कारण प्रभुत्वशाली वर्ग निर्धारित करते हैं कि जनजातीय समाज के किन पहलुओं को और कैसे राज्य के पाठ्यक्रम में दर्शाया जाए। पाठ्यक्रम के माध्यम से त्रिपुरा के जनजातीय समाज के बच्चों का समाजीकरण इस उद्देश्य से किया जाता है कि ये अपनी संस्कृति में बहुत कुछ श्रेष्ठ नहीं देख पाते, अपितु जनजातीय समुदाय अपने आपको प्रभुत्वशाली बंगाली समुदाय से हीन समझता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरूत्पादनः दुर्खीमियन परंपरा–

दुर्खीम का मानना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का उदेश्य सामाजिक परिवर्तन के पीछे छिपे वैचारिक मुखौटे को प्रदर्शित करना नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकार्य सामूहिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की तलाश करना था, जो सामाजिक परिवर्तन की अवस्था में एकजुटता के पुनरुत्पादन को सुनिश्चित करेगा।[11]

दुर्खीम और उनके शिष्यों ने सौम्य पुनरुत्पादन के सिद्धांत को विकसित करने का प्रयास किया। अर्थात एक ऐसा दर्शन जो समाज को विघटन की स्थिति में एक साथ बांधता है। दुर्खीम, मार्क्स से पृथक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रजनन को आशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, दुर्खीम सामाजिक, सांस्कृतिक प्रजनन को आवश्यक मानते हैं और इसे विभाजनकारी होने के बजाए सहमति से उत्पन्न एक सामाजिक व्यवस्था मानते हैं। त्रिपुरा के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रचलित पाठ्यक्रम का औचित्य स्थापित किया जाता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरूत्पादन : नृवंशविज्ञान परंपरा–

नृवंशविज्ञान के अग्रणी **गारफिंकल**[12], दुर्खीम के विचार को साझा करते हैं कि मौलिक समाजशास्त्रीय घटना सामाजिक तथ्य है। हालांकि गारफिंकल के सामाजिक तथ्य दुर्खीम के सामाजक तथ्यों से काफी अलग हैं।

दुर्खीम की सामूहिक चेतना की अवधारणा की तुलना **गारफिंकल** की अवधारणा से की जा सकती है, जिसमें लोगों के रोजमर्रा के ज्ञान को हल्के में लिया जा रहा है। नृवंशविज्ञानियों के लिए, सांस्कृतिक प्रजनन एक आवश्यक और वांछित प्रक्रिया दोनों है।

नृवंशविज्ञान ने समाजशास्त्री की विशेषज्ञ भूमिका को मिटा दिया है। इसके अनुसार, समाजशास्त्रियों के पास सामान्य सदस्यों के समान क्षमताएं और व्यवहार होते हैं लेकिन उनके पास उन कार्यों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। यह दोनों समाजशास्त्रियों की केंद्रीयता की पुष्टि करता है और सदस्यों को सांस्कृतिक प्रजनन में एजेंट के रूप में रखता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरूत्पादनः संरचनावादी परंपरा–

संरचनावाद एक प्रभावशाली सिद्धांत है, जिसके माध्यम से संस्कृति का अवलोकन किया जा सकता है। इसकी उत्पत्ति का पता भाषाविज्ञान से लगाया जा सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भाषा का प्रयोग सामाजिक जीवन के निर्माण और संचालन के लिए किया जाता है। **फर्डिनेंड डी सॉसर**[13] ने इस सिद्धांत को स्थापित किया कि सामाजिक दुनिया में सभी सांस्कृतिक घटनाओं को भाषा की घटनाओं के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सामाजिक जीवन को समझने में संकेत महत्वपूर्ण घटक हैं। सॉसर की संरचनावादी परंपरा में निहित संरचनावादी दृष्टिकोण इस बात की एक दिलचस्प अंतदृष्टि प्रदान करता है कि कैसे बंगाली भाषा त्रिपुरा में त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (टीबीएसई) विनियमित शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम और निर्देश का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। कोकबोरक एवं अन्य जनजातीय भाषाओं के हाशिए पर रखे जाने से आदिवासी छात्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

सॉसर के अनुसार, भाषा स्थिर और अपरिवर्तनीय होती है, क्योंकि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना है जिसे एक सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा साझा किया

जाता है और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक पुनरूत्पादन :

बोर्डियू ने संस्कृति की आलोचना को आगे बढ़ाया। हमारे सामाजिक जगत में संस्कृति के महत्व को समझने के लिए उनके सिद्धांत शक्ति और अधिकार के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने अपनी जांच को शैक्षिक प्रणाली और कैसे यह शैक्षिक प्रणाली 'वैध ज्ञान' के प्रसारण और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस पर केंद्रित किया।

यहां जिस तरह से बोर्डियू ने अपना विश्लेषण प्रारंभ किया, सांस्कृतिक क्षेत्र को क्रांतिकारी क्रांतियों के बजाए क्रमिक पुनर्गठन द्वारा रूपांतरित किया जाता है। कुछ विषयों को सामने लाया जाता है जबकि अन्य को पूरी तरह से समाप्त किए बिना एक तरफ सेट किया जाता है ताकि बौद्धिक पीढ़ियों के बीच संचार की निरंतरता संभव बनी रहे। हालांकि सभी मामलों में एक निश्चित अवधि के विचार को सूचित करने वाले पैटर्न को पूरी तरह से केवल स्कूल प्रणाली के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, जो अकेले उन्हें स्थापित करने और अभ्यास के माध्यम से एक पूरी पीढ़ी के लिए सामान्य विचार की आदतों के रूप में उन्हें विकसित करने में सक्षम है।[14]

बोर्डियू यहां इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली विशेष समुदायों की विचारधारा को सुदृढ़ करती हैं। उनके अनुसार, शिक्षा प्रणाली प्रमुख सामाजिक वर्गों की संस्कृति का पक्ष करती है। इस अर्थ में, यह निम्न वर्गों के ज्ञान और क्षमताओं को बदनाम करता है। शिक्षा के संपर्क के संबंध में, बोर्डियू का मानना है कि शैक्षिक प्रणाली का प्राथमिक कार्य सांस्कृतिक प्रजनन है। सांस्कृतिक कारकों के संचरण के मामले में बोर्डियू की ज्ञानमीमांसा दुर्खीम से अलग है। दुर्खीम के हिसाब से सांस्कृतिक तत्वों का हस्तांतरण हमेशा पूर्णता एवं समग्रता में होता है, जबकि बोर्डियू के अनुसार ये हस्तांतरण केवल प्रमुख वर्ग की संस्कृति का पुनरूत्पादन मात्र है। इन प्रभुत्व वर्गों में अपनी विचारधारा एवं ज्ञान को निम्न वर्गों पर थोपने की क्षमता होती है। इसके अलावा वह इस प्रकार के ज्ञान एवं संचार के हस्तांतरण को वैध संस्कृति का स्वरूप मानते हैं। प्रभुत्व वर्ग के हिसाब से वैध संस्कृति का अनुसरण एवं क्रियान्वयन ही समाज के लिए हितकारी एवं योग्य है। अतः इस तरह वे अपनी संस्कृति को शैक्षिक प्रणाली के आधार के रूप में स्थापित करने में सक्षम होते है।

बॉर्डियू का मानना है कि शैक्षणिक संस्थान समाज के प्रभुत्व वर्ग की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके आधार पर समाज के इन वर्गों के छात्रों को सांस्कृतिक पूंजी के साथ शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का लाभ मिलता है। कोई यह सोच सकता है कि जिस संस्कृति का शैक्षणिक संस्थान प्रतिनिधित्व एवं पुनरूत्पादन करते हैं, वह दूसरी संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। इस विचार को बॉर्डियू सिरे से निरस्त कर देतें है। बॉर्डियू संस्कृति को एक पक्षीय एवं निरंकुश मानते हैं। बॉर्डियू आगे तर्क देते हैं कि सांस्कृतिक पूंजी को एक तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र के मनमाने स्वरूप के संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दिखावे के विपरीत इसकी संरचना उन अर्थों और मूल्यों द्वारा दी जाती है जो आंतरिक के बजाय संबंधपरक होते हैं।[15]

अगर बॉर्डियू के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, सभी शैक्षणिक कार्यवाही, उद्देश्यपूर्ण प्रतीकात्मक हिंसा है, क्योंकि यह एक निरंकुश संस्कृति का आरोपण है।[16] बोर्डियू प्रतीकात्मक हिंसा के अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए तर्क देते हैं कि ऐसे सामाजिक अर्थों का चयन जो किसी एक खास समूह या वर्ग की संस्कृति का प्रतीकात्मक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है वह निरंकुशता का परिचायक है। ऐसी निरंकुश एवं मनमानी संस्कृति की संरचना एवं प्रकार्यात्मकता का अर्थ सार्वभौमिक सिद्धांत चाहे भौतिक, जैविक या आध्यात्मिकता के आधार पर नहीं निकाला जा सकता है। इसके अलावा इसका संबंध किसी भी प्रकार के आंतरिक संबंधों पर आधारित नहीं है। चाहे यह चीजों की प्रकृति हो या किसी मानव की प्रकृति।[17] सांस्कृतिक निरकुंशता एवं मनमानेपन का यह खेल तब और उजागर होता है जब हम शैक्षणिक संस्थानों में अपनाई जाने वाली प्रधान भाषा का अवलोकन करते हैं। बार्डियू का दावा है कि प्रतीकात्मक हिंसा का प्राथमिक क्षेत्र शिक्षण संस्थाए ही हैं, क्योंकि शिक्षा उच्च वर्गों की संस्कृति का पुनर्निर्माण करती है एवं इस संस्कृति का पुनर्उत्पादन करती है। यहां उच्च वर्ग अपनी संस्कृति को निम्न वर्ग की संस्कृति पर लाद देते हैं और कालांतर में निम्न संस्कृतियां उच्च वर्ग की संस्कृति को वैधता देने लगती हैं।

बॉर्डियू के अनुसार प्रचलित संस्कृति के स्वामित्व के आधार को 'सांस्कृतिक पूंजी' की अवधारणा से समझा

जा सकता है। इनके अनुसार कोई व्यक्ति समाज में सांस्कृतिक पूंजी के आधार पर अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार अर्जित कर सकता है और अच्छी शिक्षा एवं अच्छे रोजगार के आधार पर व्यक्ति अधिक धन एवं अथाह शक्ति प्राप्त कर सकता है। बॉर्डियू का मानना है कि सभी स्कूली शिक्षा की सफलता मूल रूप से किसी के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान प्राप्त शिक्षा पर निर्भर करती है। शिक्षा कभी भी शून्य से शुरू नहीं होती है, यह हमेशा अतीत की पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। होता यह है कि कुछ लोग पहले से ही ऐसे शैक्षणिक वातावरण में होते हैं अर्थात अच्छी शिक्षण संस्थाओं में पढ़े हुए होते हैं और इसका लाभ उन्हें उच्च शिक्षा में मिलता है। उच्च वर्ग के छात्र एक समाजीकरण की प्रकिया से गुजरते हैं, जिसके दौरान स्कूली शिक्षा के पहले वर्ष के भीतर ही आवश्यक कौशल एवं ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, जिससे वे कक्षा में दिए गए संदेशों को डिकोड करने में सक्षम होते हैं। परिणामस्वरूप, जिनकी सांस्कृतिक पूंजी सशक्त होती है, वे ही शिक्षा के माध्यम से अधिक पूंजी एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। बॉर्डियू का मानना है कि शिक्षा समाज में बराबरी न बढ़ा के गैर-बराबरी बढ़ाने का कार्य करती है। शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाएं समाज में उच्च वर्गों की संस्कृति का ही प्रचार एवं प्रसार करती है। अतः सांस्कृतिक पूंजी का सामाजिक समूहों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है अर्थात किसी की वर्ग पृष्ठभूमि का उस स्तर पर आगे बढ़ने की सभावनाओं पर पर्याप्त प्रभाव डालता है। अतः इस अध्ययन में हमने पाया कि प्रमुख बंगाली जातीय समूह की संस्कृति जो कि उच्च संस्कृति का द्योतक है, वही स्कूलों में वांछनीय एवं मुख्य संस्कृति के रूप में विराजमान है।

बॉर्डियू[18] अपने बाद के काम में 'हेबिट्स एवं फील्ड' की अवधारणा के संदर्भ में अपने विचारों को विकसित किया। हेबिट्स यह समाज की संस्कृति और सामाजिक संबंधों की संरचना के मध्य संबंधों को समझने में सहायता प्रदान करता है, हेबिट्स मनोवृतियों को संदर्भित करता है जिनका प्रयोग व्यक्ति अपने दैनिक व्यवहार में करता है। ये मनोवृतियां यह नियंत्रित करती हैं कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं। अतः हेबिट्स का संबंध जीवन एवं मूल्य प्रणाली से है। इसकी परिधि में किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के मूल्य एवं आकांक्षाएं आती हैं।

फील्ड/क्षेत्र के अनुसार 'फील्ड' वस्तुनिष्ठ पदों के बीच संबंधों का एक जाल है। इन पदों पर आसीन व्यक्ति या तो अकेले या समूह में अपनी स्थिति की रक्षा या सुधार करने के प्रयास करते रहते हैं और इसी क्रम में स्वयं के लिए अनुकूल उत्पादों पर नियंत्रण के लिए पदानुक्रम का सिद्धांत लागू करते हैं, जिससे बहुसंख्यक एवं निम्न वर्ग इन उत्पादों से बहिष्कृत एवं वंचित रह जाए। बॉर्डियू हेबिटस एवं फील्ड के मध्य रिश्ते को दो मुख्य तरीकों से देखता है. एक तरफ फील्ड को ऐसे परिवर्तित करता है जिसका अर्थ और मूल्य है। अतः बॉर्डियू के अनुसार हेबिट्स एवं फील्ड एक सामाजिक वातावरण में एक विशिष्ट स्वाद एवं खास जीवन शैली के निर्माण में योगदान करते हैं, जो कि शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्थानों से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।[19]

स्वाद, वर्ग और शिक्षा : बॉर्डियू[20] अपनी पुस्तक-'डिस्टिंक्शन ए सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ वेस्ट' में विभिन्न सामाजिक समूहों की अभिरूचियों संबंधी प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं। इस पुस्तक में बॉर्डियू यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कि लोगों के स्वाद और जीवनशैली उनके समाजीकरण और शिक्षा से कैसे संबंधित हैं। विभिन्न सामाजिक वर्गों की अलग-अलग अभिरूचियाँ और जीवनशैली होती है और साथ ही इन वर्गों के प्रतिष्ठा का पैमाना भी अलग-अलग होता है। इस प्रकार 'सांस्कृतिक पूंजी' कई रूपों में हो सकती है जैसे कला, सिनेमा, संगीत और भोजन के साथ-साथ शैक्षिक योग्यता एवं ज्ञान भी।

बॉर्डियू के अनुसार, सांस्कृतिक पूंजी के विभिन्न स्तर हैं जो समाज को विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजित करते हैं, ये सांस्कृतिक व्यवहारों के आधार पर स्वाद या अभिरूचियों को देखते हैं। वे स्वाद जो उच्च वर्गों की संस्कृति है जैसे उच्च कला, शास्त्रीय संगीत और गंभीर साहित्य की सराहना उसे वैध संस्कृति के अंदर निर्हित किया जाता है। साथ ही लोकप्रिय स्वाद जनसंस्कृति या लोकप्रिय संस्कृति के समान है। इसमें आम लोगों की अभिरूचि हल्की कलाकृतियों में होती है।

समाज में व्यक्ति अपने पालन- पोषण और शिक्षा के माध्यम से अपना स्वाद विकसित करते हैं। जिन व्यक्तियों का सामाजीकरण एवं शिक्षा वैध संस्कृति के अनुरूप हुई हो, वह आसानी से सांस्कृतिक रूप से उन्नत सामाजिक प्रस्थिति एवं भूमिकाओं के जाल में सम्मिलित हो जाते हैं। बॉर्डियू का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा

मूल्य एवं मान इसी प्रभावशाली वर्ग के वैध संस्कृति के अनुरूप करती है। जिन व्यक्तियों या समूहों ने इस प्रभावशाली वर्ग के वैध संस्कृति के अनुरूप अपना स्वाद विकसित किया है वो आसानी से शिक्षा व्यवस्था में सफलता प्राप्त करते हैं और साथ ही उनके लम्बे समय तक इस शिक्षा व्यवस्था में बने रहने की संभावना प्रबल होती है।

बॉर्डियू यह जरूर मानतें है कि सिर्फ वैध या विशिष्ट स्वाद के कारण किसी को अच्छी शैक्षिक सफलता या अच्छी आय वाली नौकरी मिल जाए यह कतई जरूरी नहीं है, पर हाँ यह निश्चित रूप से मदद करता है। अगर हम त्रिपुरा के उच्च वर्गीय बंगाली भाषी विद्यार्थियों का उदाहरण लें तो हम पाएंगे कि इन समूह के विधार्थियों को खास तौर पर निजी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन का मौका मिलता है। इनका समाजीकरण स्वतः वैध संस्कृति में होता है, जिससे इन समूह के विद्यार्थियों में स्वाद या अभिरूचियों का जन्म होता है।

इन विद्यार्थियों के पास प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का व्यापक ज्ञान होता है, जो उन्होंने परिवार और स्कूल के माध्यम से प्राप्त किया होता है। साथ ही ऐसे वैध या उच्च स्वाद एवं अभिरूचि वाले छात्र अपने शिक्षकों के दृष्टिकोण को भी प्रभावित करते हैं। यहां बॉर्डियू 'सांस्कृतिक अचेतन' की अवधारणा की सहायता लेतें है और तर्क देतें है कि एक शिक्षक में अचेतन रूप से विभिन्न स्वादों को पहचानने की क्षमता होती है। उनका वैध स्वाद एवं अभिरूचियों वाले छात्रों के प्रति खास लगाव एवं झुकाव होता है। बॉर्डियू का कहना है कि जब शिक्षक छात्रों को ग्रेड देते हैं तो वे छात्रों की शिष्टाचार एवं संभ्रांत शैली की बारीकियों से काफी प्रभावित रहते हैं। एक छात्र की सफलता की संभावना बढ़ जाती है, यदि उसकी शैली एवं स्वाद उच्य वर्ग या वैध संस्कृति के अनुरूप हो और दूसरी तरफ संस्कृति के अभाव में आदिवासी जनजातीय समूह के छात्रों के परीक्षा में असफल होने की संभावना प्रबल होती है। यह आदिवासी छात्रों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश में बाधा उत्पन्न करता है और अगर किसी तरह प्रवेश मिल भी जाए तो वैध संस्कृति या स्वाद का अभाव इन्हें आगे सफल नहीं होने देता, जिससे इन समूहों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा बीच में ही छोड़ने पर बाध्य होना पड़ता है।

सुझाव व निष्कर्ष : उपर्युक्त विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि सांस्कृतिक और सामाजिक पुर्नरूत्पादन में शिक्षा की भूमिका को समग्र रूप से समझने के लिए बोर्डियू का सैद्धांतिक दृष्टिकोण काफी उपयोगी है। सामाजिक वर्गों से जुड़े सांस्कृतिक स्वरूपों के विश्लेषण से बोर्डियू यह रेखांकित करते हैं कि किस प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली विशेष समुदायों की विचारधारा को सुदृढ़ करती हैं। शिक्षण संस्थाओं एवम् शिक्षण प्रणाली के माध्यम से प्रभुत्वशाली वर्ग अपनी वर्ग संस्कृति को मुख्य धारा में लाते हैं, जिसके फलस्वरूप कालांतर में प्रभुत्वशाली वर्ग की वर्ग संस्कृति वह मापदंड बनती है जिससे दूसरे वर्गों की संस्कृति को मूल्यांकित किया जाता है।

सामान्य रूप से दुनियाभर के राष्ट्रों और विशेष रूप से भारत ने विविधता में एकता को एक धरोहर के रूप में माना है। विविधता स्वयं में कोई धरोहर तब तक नहीं है जब तक यह धरोहर समानता के अभ्यास के साथ जुड़ नहीं जाती। यह संगम ही एक बहुसांस्कृतिक समाज की नींव है। लेकिन शैक्षणिक परिदृश्य में, हम आदिवासी छात्रों के दृष्टिकोण को सही अर्थों में विविधता के वैकल्पिक रूप में संजोने में विफल रहे है। अतः यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है की अगर आदिवासी दृष्टिकोण को जब विविधता के अन्य रूपों के साथ समान रूप से सम्मिलित किया जाता है तो यह शिक्षा की नींव को सुदृढ़ करता है और साथ ही शिक्षा को और अधिक समावेशी और प्रभावशाली बनाता है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अदिवासी समुदाय की भाषा एवं संस्कृति का स्कूल में समुचित समावेश हो, तभी इस समुदाय के विधार्थी अपने संस्कृति एवं समाज से अपने आप को जोड़ पाएंगे और सामाजिक समरसता स्थापित हो पाएगी।

सन्दर्भ

1. Sujatha, K., *'Educational Development among Tribes in Sub-Plan Areas'*, Asian Publishers, New Delhi, 1994, pp. 1-10.
2. M.Rani, *'Tribal Languages and Tribal Education'*, Social Action, 50, 2000, pp. 414-418.
3. Fancy Jamatia & Nagaraju Gundimeda, *'Ethnic Identity and Curriculum Construction: Critical Reflection on School Curriculum in Tripura'*, Asian Ethnicity, 20(3), 2019, pp. 312-329.
4. T. Brahmanandam and T. Bosu Babu, *'Educational Status among the Scheduled Tribes: Issues and Challenges'*, Journal of Politics & Governance, 5(3), September 2016, pp. 57-66.
5. Paulo Freire, *'Pedagogy of the Oppressed'*, Penguin, London, 1971, pp. 56.s
6. Ibid, p. 56.
7. Sujatha,K., op.cit. pp. 1-10.
8. A. H. Maslow, *'A Theory of Human Motivation'*, Psychological Review, 50(4), 1943, pp.370–396.
9. Fancy Jamatia & Nagaraju Gundimeda, op.cit. pp. 312-329.
10. Louis Althusser, *'Ideology and Ideological State Apparatuses'*, Lenin and philosophy and other essays, London, Monthly Review Press, 1971, pp. 125-186.
11. John A. Smith & Chris Jenks, *'Images of Community: Durkheim, Social Systems and the Sociology of Art'*, Ashgate Publishing Limited, 2000, pp.15.
12. Garfinkel, H., *'Studies in Ethnomethodology'*, Engelwood Cliffs, NJ, Prentice -Hall, 1967, pp. 115.
13. Ferdinand de Saussure, *'Course in General Linguistics'*, Bloomsbury Academic, London, 1960, pp. 10-15.
14. Pierre Bourdieu, *'Systems of Education and Systems of Thought, in Michael'* F. D. Young (ed.), Knowledge and Control: New Directions for the Sociology of Education, London, Collier-Macmillan, 1971, pp. 192.
15. Robert Moore, *'Cultural Capital: Objective Probability and the Cultural Arbitrary'*, British Journal of Sociology of Education,25(4), 2004, pp. 445-456.
16. Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, *'Reproduction in Education'*, Society and Culture, SAGE, London, 1977, pp.5.
17. Pierre Bourdieu and Jean-Claude Passeron, op. cit., pp.81.
18. Pierre Bourdieu, *'Distinction: a Social Critique of the Judgement of Taste'*, London, Routledge & Kegan Paul, 1984, pp. 5&41.
19. George Ritzer, *'Sociological Theory'*, The McGraw-Hill, New Delhi, 2011, pp.535.
20. Pierre Bourdieu, op.cit., pp.56

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

पंजाब में दृष्टिबाधित छात्रों में शैक्षणिक परिवर्तन लाने में तकनीक की भूमिका : एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन

❑ लवप्रीत सिंह
❖ डॉ. जगसीर सिंह

सूचक शब्द : दृष्टिबाधित छात्र, तकनीक, सहायक उपकरण, परिवर्तन।

शिक्षाशास्त्र, मानविकी अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है। मानव के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में शिक्षाशास्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दृष्टिबाधित छात्रों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए शिक्षाशास्त्र काफी उपयोगी है। शिक्षा दृष्टिबाधित लोगों को, उनकी समस्यायों को कम करने और अपने विकास के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान करती है। परन्तु अतीत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिबाधित छात्रों को कभी भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर नहीं दिए गए हैं। इसलिए ये लोग समाज में सबसे अधिक उपेक्षित अलग-थलग किए गए थे। परन्तु वर्तमान समय में, लाभदायक आधारभूत संरचना और तकनीकी उपकरणों, जो कि नगरीय क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, की सहायता से दृष्टिवाधित छात्र उच्च कोटि की और मूल्यवान शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो गए हैं, जो कि सामान्य लोगों के साथ काम करने में इनकी सहायता कर रहे हैं। अनुकूल सहायक उपकरणों के रूप में तकनीक दृष्टिवाधित छात्रों की शिक्षा प्राप्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र "तकनीकी अनुकूल सहायक उपकरणों की दृष्टिवाधित छात्रों की उच्च शिक्षा में भूमिका" पर केन्द्रित है। यह अध्ययन दृष्टिवाधित छात्रों के लिए इस प्रकार की तकनीक की आवश्यकता और महत्व पर जोर देता है।

मानवीय शारीरिक अलगाव या वियोजन भारतीय समाज का आम लक्षण है, जो कि हर एक ऐतिहासिक काल में देखा जा सकता है। यह भिन्नता परिवारों के बीच और पारिवारिक सदस्यों के बीच रंग, ऊंचाई के रूप में देखी जा सकती है। इस समस्या के लिए उत्तरदायी कई कारक हैं, जैसे कि वंशावली, उद्योगवाद का उत्थान, कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, उचित सुरक्षा और चिकित्सा सुरक्षा की कमी इत्यादि। सामान्यतः दुर्बलता, असमर्थता और विकलांगता जैसी अवधारणाओं का प्रयोग एक ही उदेश्य और अर्थ के लिए किया जाता है, क्योंकि हम स्पष्ट रूप से इन तीनों अवधारणाओं में अंतर समझ नहीं पाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 'दुर्बलता से तात्पर्य किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, संरचनात्मक या कार्य करने की क्षमता में विकार और किसी भी प्रकार की अस्वाभाविकता जैसे कि अंगूठे का कट जाना से है। असमर्थता का तात्पर्य, दुर्बलता के परिणामस्वरूप किसी भी काम या गतिविधि को करने की क्षमता में पैदा हुई कमी से है। विकलांगता से तात्पर्य, दुर्बलता एवं असमर्थता के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को हुई उस क्षति से है, जो किसी काम या भूमिका की सम्पूर्णता और संतुष्टि को सीमित करती है, जो कि व्यक्ति के लिए या तो स्वाभाविक होती है या फिर सामान्य।

सारा[1] के अनुसार आम तौर पर "विकलांगता" की अवधारणा उन लोगों के लिए प्रयोग की जाती है, जो कि साधारणतया शारीरिक योग्यता की अर्हता को पूरा नहीं कर पाते हैं। हर एक विकलांग व्यक्ति कुछ भौतिक सीमाओं को सहन कर सकता है, जो कि उसको कुछ कार्य करने में असमर्थ बना देता है, जो कार्य एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा आसानी से किए जा सकते हैं। समाज के कुछ सामाजिक रीति-रिवाज, विकलांग व्यक्तियों के जीवन को सीमित कर देने वाली सीमाओं को सुनिश्चित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में विकलांग व्यक्ति अपंग सा बनकर रह जाता है। ऐसे में एक विकलांग व्यक्ति को, उसके देश की सामाजिक-आर्थिक अवस्था के आधार पर अपंग माना जा सकता है। एक समृद्ध देश, विकलांग व्यक्ति को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के अच्छे अवसर

❑ शोध अध्येता समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला (पंजाब)
❖ सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, बी.एन.यूनिवर्सिटी. कॉलेज कपूरथला (पंजाब)

प्रदान करता है, जिसके चलते वह व्यक्ति, उन लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव और नकारात्मकता के रहने और समायोजन कर पाने में सफल हो पाता है। इसके विपरीत, उचित रख-रखाब की कमी के चलते, तर्कसंगत शारीरिक योग्यता के विकास, लोककल्याण और अन्य संसाधनों की कमी के चलते उन लोगों में अधीनता और आम लोगों से सामाजिक-आर्थिक और भौतिक पृथक्करण के बारे में एक समझ विकसित हो जाती है। इस समझ के आधार पर ही इन लोगों के लिए सामान्य लोगों की तरह जी पाना आसान या कठिन होता है। इसके अतिरिक्त इन लोगों की अलग विशेषताओं और अलग जीवन शैली के चलते समाज भी इनको सामान्य लोगों से अलग मानने लगता है। परिणामस्वरूप, विकलांग व्यक्ति अपने आपको समाज की मुख्यधारा से अलग समझने लग जाते हैं और धीरे-धीरे सामाजिक विकलांग बन जाते हैं।

दृष्टि दोष या दृष्टिवाधिता

सिंह[2] के अनुसार मानवीय शरीर के सभी अंगों में से आँखों को प्रकृति के द्वारा मानवता को दिए गए उपहारों में से सबसे अच्छा उपहार मन जाता है। आँखें, मानवीय शरीर को सम्पूर्ण बनाने और उत्तरदायित्वों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आँखें व्यक्ति की हर प्रकार की गतिविधि को एक सही दिशा प्रदान करती हैं। आँखों की अनुपस्थिति के चलते व्यक्ति के साथ समाज के द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता और अलग-अलग नाम दिए जाते हैं। इसके अलावा, जिन लोगों की आँखों की रोशनी चली जाती है, वे स्वयं भी दूसरों से अलग सोचने लग जाते हैं। वे लोग अपने आप को विभिन्न प्रकार की मुसीबतों और निराशा में फंसा लेते हैं। परन्तु समाज और माँ-बाप जो कि अंधे बच्चों की सहायता करने का अपना उत्तरदायित्व को समझते हैं, के लिए अंधापन, सामाजिक समायोजन और आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए कोई समस्या नहीं बनता।

अमरीकी दृष्टिमिति संघ[3], के अनुसार शब्द ''दृष्टि दोष या दृष्टिबाधिता'' से तात्पर्य किसी विकार या बीमारी के चलते पैदा हुई आँखों और दृष्टितंत्र की उस कार्यात्मक सीमा से है, जिसका परिणाम दृश्य विकलांगता और दृष्टि अपंगता के रूप में निकलता है। ''दृश्य विकलांगता'' किसी व्यक्ति की क्षमताओं की सीमा है (उदाहरण के लिए छोटे अक्षरों को पढ़ने में असमर्थता), और "दृष्टि अपंगता" से अभिप्राय व्यक्तिगत और सामाजिक-आर्थिक स्वतन्त्रता में असमर्थता से है। साधारण शब्दों में, "दृष्टि दोष या दृष्टिबाधिता" को एक व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए दृष्टि अपर्याप्ता के सन्दर्भ में लिया जा सकता है।

Disabled Persons in India: A Statistical Profile 2016[4] के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर दृष्टि दोष या दृष्टिवाधिता का अर्थः कुछ भी न देख सकना, या रोशनी के बारे और यहाँ तक कि चश्मे की सहायता के बाद भी कोई अनुभूति न रख पाना या रोशनी के बारे में अनुभूति होना, पर चश्मा और कांटेक्ट लेंस के प्रयोग करने के बाद भी धुंधला दिखाई देना। साधारण परीक्षण यह है कि क्या व्यक्ति दिन की अच्छी रोशनी में भी 10 फुट की दूरी से हाथों की उंगलियों को गिन सकता है कि नहीं। हालांकि ऐसे लोग बाकी बची दृष्टि की सहायता से स्वतंत्र रूप से इधर-उधर आ जा सकते हैं या रोशनी को देख सकते हैं, पर स्वतंत्र रूप से ठीक से इधर-उधर चल-फिर नहीं सकते हैं या धुंधली दृष्टि हो पर यह परीक्षण करने का अवसर न मिला हो, कि सुधारात्मक उपायों के बाद उसकी दृष्टि में सुधार हुआ है या नहीं। एक आंख से देख पाने वाले व्यक्ति को देखने में दृष्टि दोष या दृष्टिवाधित नहीं समझा जा सकता।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2011[5] के अनुसार नेत्रहीनों के आंकड़ों के अनुसार, विश्व के 285 मिलियन लोग दृष्टि दोष या दृष्टिबाधित रोग से पीड़ित हैं। इनमें से 39 मिलियन लोग पूरी तरह से अंधे और 246 मिलियन लोग कमजोरदृष्टि से पीड़ित हैं और 90 प्रतिशत दृष्टि दोष या दृष्टिवाधिता से पीड़ित लोग विकासशील देशों में रहते हैं।

भारत की जनगणना, 2011[6] के अनुसार भारत में 50,32,463 व्यक्ति दृष्टि दोष या दृष्टिबाधित से पीड़ित हैं, जिनमें से 26,38,516 पुरुष और 23,93,947 महिलाएं हैं। पंजाब में कुल 82,199 व्यक्ति दृष्टि दोषित या दृष्टिबाधित हैं, जिनमें से 44811 पुरुष और 37388 महिलाएं हैं।

दृष्टि दोष या दृष्टिबाधितों के सन्दर्भ में शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : भारत के सन्दर्भ में दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा के संस्थानों की बात करें, तो सबसे पहले 1887 ईसवी में नेत्रहीनों के लिए एक स्कूल की

स्थापना ऐनी शार्प के द्वारा अमृतसर में की गई थी। 1903 ईसवी में यह संस्थान देहरादून में स्थानांतरित हो गया था। वर्तमान में यह संस्थान "शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर ब्लाइंड" के नाम से जाना जाता है। 1890 ईसवी में दृष्टिवाधित छात्रों के लिए एक स्कूल की स्थापना पालयमकोट्टे में की गई थी। इसके अतिरिक्त, 1890 ईसवी में लाल बिहारी शाह ने "कलकत्ता नेत्रहीनों का संस्थान" की स्थापना की थी। मिस एनी मिल्लार्ड ने "नेत्रहीन छात्रों के लिए एक स्कूल" की स्थापना 1890 ईसवी में की थी।

सारा[7] के अनुसार नीलकान्त रॉय ने नेत्रहीन बच्चों को अपनी सेवाएँ प्रदान की थीं। शीघ्र ही भारत के विभिन्न हिस्सों में दृष्टिवाधित बच्चों के लिए काफी स्कूल खोले गए। भारत सरकार की 1944 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उस समय नेत्रहीन छात्रों की शिक्षा के लिए 32 स्कूल काम कर रहे थे। वर्तमान समय के सन्दर्भ में बात की जाए तो पंजाब में इस समय 21 स्कूल हैं, यहाँ सरकार नेत्रहीन छात्रों की ब्रेल किताबें निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है।

सहायक प्रौद्योगिकी और दृष्टिवाधित छात्र

डेरिक[8] तकनीक हमेशा ही सकारात्मक प्रभावों की संभावना से भरपूर रहती है। विकलांग छात्रों के लिए विशेष प्रौद्योगिकी हर प्रकार की शिक्षा में भाग लेने में सहायक सिद्ध होती है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विशेष रूप से सहायक प्रौद्योगिकी वाले यंत्र, विकलांगता के चलते आने वाली सभी कठिनाइयों पर काबू पाने में ऐसे छात्रों को एक माध्यम प्रदान करते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी छात्रों की ज्ञान-विज्ञान की सूचना (डिजिटल और प्रिंट) तक एक समान पहुँच उपलब्ध करती है। यह प्रौद्योगिकी अलग-अलग वातावरण में स्वतन्त्रता के साथ यात्रा करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराती है। इस प्रकार सहायक तकनीक विकलांग छात्रों विशेषकर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एक "महान तुल्य कारक" है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सहायक प्रौद्योगिकी को "ऐसे उपकरण के टुकड़े, उत्पाद और औजार के रूप में परिभाषित किया है, जिसको कि या तो, व्यवसायिक रूप से अधिग्रहण किया गया हो, संशोधित और अनुकूलित किया गया हो, और जिसका प्रयोग विकलांग व्यक्ति की कार्यात्मक योग्यताओं को बढ़ाने, व्यवस्थित करने और सुधारने के लिए प्रयोग किया जा सके।"

दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी में आधारभूत और अपेक्षाकृत सस्ते चलने फिरने वाली छड़ी और वृहत्प्रदर्शक शीशे से लेकर कीमती संचार में सहायक कीमती इलेक्ट्रोनिक उपकरणों को सम्मिलित किया जा सकता है। पिछली शताब्दी के अन्त तक, दिनचर्या के हर काम में कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग, ने दृष्टिवाधित छात्रों की सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी के लिए उनका कंप्यूटर के साथ सम्पर्क एक आवश्यक यंत्र बना दिया है। उचित सहायक प्रौद्योगिकी और आउटपुट प्रारूपों (दृश्य, श्रवण और स्पर्शनीय) का चुनाव उपयोगकर्ता की कार्यात्मक दृष्टि के स्तर पर निर्भर करता है। कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के मध्य सामान्यीकरण के लिए चित्र और अक्षरों के आकार में वृद्धि करनेवाली, नेत्रहीनों और कानूनी नेत्रहीनों के लिए ऑडियो और स्पर्शनीय प्रौद्योगिकी और अंधे एवं अंधे-बहरे छात्रों के लिए स्पर्शनीय प्रौद्योगिकी की एक पूरी श्रंखला उपलब्ध है।

दृष्टिबाधित छात्रों को शैक्षणिक वातावरण में बहुत सी अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनको न केवल अपने पाठयक्रम के सभी क्षेत्र के मूलपाठ की सूचना तक पहुँच के योग्य होना होता है, बल्कि उनको दिए जा रहे अनुदेश जो कि आम तौर पर दृश्य सामग्री से भरपूर होता है, में भी पूरी तरह से हिस्सा लेने के योग्य होना पड़ता है। सहायक प्रौद्योगिकी इस प्रक्रिया में उनकी सहायता करने का एक माध्यम है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र का केन्द्र और मुख्य उदेश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दृष्टिवाधित छात्रों के लिए उपलब्ध आधारभूत संरचना और सहायक उपकरण सेवाओं का अध्ययन करना है।

साहित्य समीक्षा

ब्राउन एट अल.[9] के अध्ययन से संकेत मिलता है कि जब सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों का विकलांग छात्रों के साथ प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, तो उन्होंने दिन-प्रतिदिन के कार्य करने वाले छात्रों में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। ब्राउन एट अल. का सुझाव है कि गेम-आधारित शिक्षा और स्थान-आधारित सेवाएं (उच्च तकनीक) उपयोगकर्ताओं को 'वास्तविक दुनिया' में नेविगेट करने में सहायता करने में उपयोगी हो सकती हैं।

तमाक्लोए और एग्बेनेगा[10] सहमत हैं और हमें बताते हैं

कि एटी डिवाइस विकलांग छात्रों के लिए स्वतंत्रता और कौशल में सुधार के लिए एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। वे कहते हैं, 'अध्ययनों से पता चला है कि एटीडी का प्रभावी उपयोग विकलांगता वाले छोटे बच्चों को उनकी कमजोरियों को दूर करने में सक्षम बनाता है क्योंकि उपकरण बच्चों की क्षमता तक पहुंचने की शक्ति बढ़ाते हैं'।

रोबिटेल[11] का दावा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले बच्चों द्वारा सहायक प्रौद्योगिकी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने वाले बच्चों और उनके कक्षा शिक्षक दोनों की प्रेरणा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

लिन[12] बताते हैं कि बच्चे अब प्रौद्योगिकी को अपने दिन-प्रतिदिन के हिस्से के रूप में अपना रहे हैं। जीवन और छात्रों की इस नई पीढ़ी को प्रभावी ढंग से शिक्षित करने के लिए शिक्षकों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। शिक्षण के उपदेशात्मक/व्यवहार मॉडल से दूर एक सक्रिय शिक्षार्थी दृष्टिकोण की ओर यह व्यावहारिक और आकर्षक है।

कॉर्न एंड वॉल[13] का मानना है कि सहायक प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में ज्ञान दृष्टिबाधित बच्चों के साथ इसका उपयोग करने की शिक्षक की क्षमता को प्रभावित करता है। उन्होंने पाया दृष्टिबाधित छात्रों के शिक्षक अक्सर नियमित कक्षा प्रौद्योगिकी का ही उपयोग करते हैं क्योंकि शिक्षक उस तकनीक का उपयोग करने में सहज अनुभव करते थे जिसे वे पहले से जानते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दृष्टिबाधित छात्र के लिए सीखने का वातावरण कम प्रभावी हो जाएगा।

उदेश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैंः-

1. दृष्टिवाधित छात्रों की सामाजिक-सांस्कृतिक रूप रेखा का अध्ययन करना।
2. उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दृष्टिबाधित छात्रों की सेवा के लिए उपलब्ध संग्रह,आधारभूत संरचना और सहायक प्रौद्योगिकी की पहचान करना।
3. इन केन्द्रों और महाविद्यालयों में दृष्टिवाधित छात्रों के द्वारा सहायक प्रौद्योगिकी उपयोग का अध्ययन करना।

महत्व : सामान्य उपयोगकर्ता और विशेष उपयोगकर्ता के लिए सहायक प्रौद्योगिकी की सेवाएँ उनके सन्दर्भ में अलग-अलग होती हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले उपयोगकर्ता जैसे कि दृष्टिवाधित उपयोगकर्ता की सहायता करने के लिए हमें विशेष प्रकार के सूचना केन्द्रों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह अध्ययन, जो कि पंजाब के पटियाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और फिरोजपुर जिलों के दृष्टिवाधित छात्रों के द्वारा सहायक प्रौद्योगिकी के उपयोग पर केन्द्रित है, न केवल सेवा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपितु यह अध्ययन इन छात्रों की सूचना की आवश्यकताओं की पहचान करने में भी सहायक सिद्ध होगा, जो कि उनके लिए सूचना सेवाओं को बेहतर करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

शोध प्रविधि : प्रस्तुत शोध मूल रूप से वर्तमान परिस्थितियों में संस्थानों के द्वारा दृष्टिबाधित छात्रों को दी जा रही सेवाओं में पाए जा रहे रुझानों का अध्ययन करने के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित है। इस शोध के लिए आंकड़े उपर्युक्त जिलों में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्थापित किए गए संस्थानों और महाविद्यालयों में साक्षात्कार करके एकत्र किए गए हैं। इस अध्ययन के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए साक्षात्कार विधि और पर्यवेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। क्योंकि यह छात्र दृष्टिबाधित हैं, इसलिए साक्षात्कार के रूप में सवाल पूछे गए थे और इनको असंरचित रखा गया, ताकि छात्र अपनी राय को सही से बता सकें। सैंपल की कुल संख्या 100 छात्र है। इस लिए हर जिले से 20 दृष्टिबाधित छात्रों को सैंपल के रूप में चुना गया है। इस शोध कार्य के लिए आंकड़े एकत्र करने के लिए बहुत सारी विधियों का उपयोग किया गया।

विश्लेषण

आयु :- आयु एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय चर है। आयु व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अनुभव को प्रभावित करती है। आयु एक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण चर है, यह व्यक्ति के अनुभव और उसकी परिपक्वता का सामाजिक सूचक है।

शैक्षणिक संस्थानों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 70 प्रतिशत उत्तरदाता 26-30 साल के आयु वर्ग से संबंध रखते हैं, जबकि 23 प्रतिशत उत्तरदाता 20-25 साल के आयु वर्ग से और केवल 7 प्रतिशत उत्तरदाता ही 31-35 साल के आयु वर्ग से संबंध रखते हैं। इस प्रकार बहुसंख्यक उत्तरदाता 26-30 साल के आयु वर्ग से संबंध रखते हैं।

लिंगः- "लिंग" पुरुष और महिलाओं में और अन्तर-लिंग में भौतिक अंतर की तरफ संकेत करता है। सामान्यतः हर व्यक्ति का लिंग उसके शारीरिक लक्षणों जिनमें उनके जननांग गुणसूत्रों की संरचना सम्मिलित है, के आधार पर उसके जन्म के समय ही निर्धारित किया जाता है। लिंग महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कारकों में से एक है, जो कि किसी भी व्यक्ति की समाज में स्थिति को निर्धारित करता है। जैविक लिंग के काफी सारे सूचक हैं, जिनमें लैंगिक गुणसूत्र, जननांग, अंदरूनी प्रजनन अंग, और बाह्यजननांग सम्मिलित हैं। इसलिए, आम तौर पर लिंग पुरुष और महिला में जैविक भिन्नता की तरफ संकेत करता है।

प्रस्तुत शोध लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 75 प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष वर्ग से संबंध रखते थे और 25 प्रतिशत उत्तरदाता महिला वर्ग से संबंध रखती थीं। इस प्रकार बहुसंख्यक उत्तरदाता पुरुष वर्ग से संबंधित थे। इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है, कि पुरुषों की तुलना में दृष्टिबाधित महिलाएँ शिक्षा से काफी दूर हैं, इन महिलाओं के समाज में समावेशन के लिए इनकी पर्याप्त शिक्षा के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

शिक्षा : - शिक्षा को विकास और समाजीकरण की प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक समझा जाता है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके द्वारा समाज में मनचाहा परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यवसायिक स्थिति को प्रभावित करती है। शिक्षा सीखने की एक विधि है, जिसके द्वारा ज्ञान, कौशल, मान्यताएं और धारणाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता हैं। शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इस लिए हर बच्चा चाहे वह सक्षम हो और चाहे अक्षम हो, को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा के आधार पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 83 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक के छात्र थे, 11 प्रतिशत परास्नातक के और 6 प्रतिशत उत्तरदाता बी.एड. की पढ़ाई कर रहे थे। इस दृष्टि से बहुसंख्यक छात्र स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे।

जाति :- भारत के सन्दर्भ में जाति एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक चर है। जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रकार है। भारतीय समाज में इसके सदस्यों की प्रस्थिति और उनकी भूमिका उनकी जाति, जिससे वे संबंध रखते हैं से प्रभावित होती है। जाति बड़ी सीमा तक हिन्दू दर्शन, और धर्म, रीति-रिवाजों और परंपराओं से संबंधित हैं। भारत में 2800 से अधिक जातियां और उप-जातियां पाई जाती हैं। जाति बड़े स्तर पर किसी भी व्यक्ति की समाज में प्रस्थिति उसके कार्यों और अवसरों को निर्धारित करती है। क्योंकि जाति व्यवस्था जीवन के सभी पक्षों में काफी शक्तिशाली है, इसलिए उत्तरदाताओं की जातिगत पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र करना आवश्यक समझा गया।

सर्वेक्षण के अनुसार 57 प्रतिशत उत्तरदाता छात्र सामान्य वर्ग से संबंध रखते थे, 31 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति से और 12 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखते थे। इससे सिद्ध होता है कि बहुसंख्य छात्र सामान्य वर्ग से संबंध रखते थे।

धर्म :- धर्म एक व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। धर्म और धार्मिक विश्वास, जनसांख्यिकीय व्यवहार और गंभीर घटकों को प्रभावित करते हैं। धर्म जीवन शैली को ही नहीं, बल्कि सोचने समझने के ढंग को भी प्रभावित करता है। धर्म मानव इतिहास की एक बहुत पुरानी संस्था है। क्योंकि किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण, विश्वास, आस्था और कार्य करने का ढंग उस धर्म से प्रभावित हुए माने जाते हैं, जिस धर्म का वह व्यक्ति अनुसरण करता है, इसलिए प्रसिद्ध जर्मन विद्वान कार्ल मार्क्स ने कहा था कि "धर्म लोगों के लिए अफीम है।" इसलिए, जबकि धर्म की संस्था, जीवन के हर पहलू में काफी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करता है, तो उत्तरदाताओं की धार्मिक पृष्ठभूमि की जानकारी एकत्र करना आवश्यक समझा गया।

सर्वेक्षण के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 69 प्रतिशत उत्तरदाता सिख धर्म से संबंध रखते थे, और 31 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू धर्म से संबंध रखते थे। इसलिए, बहुसंख्यक उत्तरदाता सिख धर्म से संबंध रखते थे।

निवास :- निवास जनसांख्यिकीय व्यवहार को प्रभावित करता है। मानव जाति के विज्ञान में, निवास से तात्पर्य "अधिवास की जगह, विशेष रूप से विवाह के बाद" से लिया जाता है। निवास जाँच पड़ताल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह, वह ठिकाना है, जहाँ पर संबंधों की जैविक (रक्त-संबंध) और वैवाहिक किस्मों का मिलाप होता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के विश्वास, नैतिक मूल्य और दृष्टिकोण, समाज के ग्रामीण क्षेत्र में

रहने वाले लोगों के विश्वास, नैतिक मूल्य और दृष्टिकोण से बिलकुल अलग होता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रीति-रिवाज भी एक दूसरे से अलग होते हैं।

अध्ययन के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 65 प्रतिशत उत्तरदाता देहाती क्षेत्र और 31 प्रतिशत उत्तरदाता शहरी क्षेत्र में रहने वाले थे, अर्थात् बहुसंख्यक उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे।

परिवार का प्रकार :- परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। परिवार, व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया की मौलिक संस्था है। मानव मौलिक ज्ञान नैतिक मूल्यों के अपने परिवार से प्राप्त करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर के अनुसार "परिवार लैंगिक संबंधों के आधार पर परिभाषित किया, बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से और टिकाऊ समूह है।"[14] यहाँ पर दो प्रकार के परिवार "एक संयुक्त परिवार और दूसरा एकल परिवार" पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ उस परिवार से है, जिसमें एक से अधिक पीढ़ियां संयुक्त रूप से एक ही छत के नीचे रहती हैं। जबकि एकल परिवार का तात्पर्य उस परिवार से है, जिसमें माँ-बाप और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। अध्ययन के उत्तरदाताओं से उनके परिवार के प्रकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया।

परिवार के प्रकार के आधार पर 78 प्रतिशत उत्तरदाता एकल परिवार से संबंध रखते थे, जबकि 22 प्रतिशत बच्चे संयुक्त परिवारों से संबंधित थे। इसलिए बहुसंख्यक उत्तरदाता एकल परिवारों से आते थे, क्योंकि पंजाब में एकल परिवारों का प्रचलन अपने शिखर पर है।

विकलांगता की किस्म :- विकलांगता मानव जीवन का एक हिस्सा है। लगभग हर व्यक्ति, अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी अस्थाई तौर पर या स्थाई तौर पर विकलांगता का शिकार होता ही है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 1.3 बिलियन, जो कि विश्व आबादी का 16 प्रतिशत है, वर्तमान में किसी न किसी विकलांगता का शिकार हैं। यह संख्या, जनसंख्या की बढ़ती आयु और गैर संचारी रोगों के बढ़ते प्रसार के चलते बढ़ती जा रही है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्लियु, एक्ट, 2016), में 7 से 21 परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया गया है, और इसमें अब प्रमस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन, मांसपेशीय दुर्विकास, तेजाबी हमला पीड़ित, बहरापन, बोलने में असमर्थता या भाषण विकलांगता, सीखने की विशिष्ट अक्षमता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जीर्ण तंत्रिका संबंधी विकारों को भी सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के अनुसार 83 प्रतिशत उत्तरदाता बच्चे पूरी तरह से नेत्रहीन थे, जबकि 17 प्रतिशत आंशिक रूप से नेत्रहीन थे। इसलिए, कहा जा सकता है कि, बहुसंख्यक उत्तरदाता बच्चे पूरी तरह से नेत्रहीन वर्ग से संबंध रखते थे।

उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दृष्टिवाधित छात्रों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे प्रौद्योगिकी उपकरणों की उपलब्धता

इंटरनेट के इस्तेमाल के आधार पर अध्ययन के अनुसार उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा ले रहे दृष्टिबाधित छात्रों में से 67 प्रतिशत छात्र शिक्षा के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, 33 प्रतिशत छात्र इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में दृष्टिबाधित छात्रों का इंटरनेट, (जो कि ज्ञान का विशाल महासागर समझा जाता है) से दूरी सरकार, शिक्षा और समाजशास्त्रियों और सामाजिक कार्यकर्तायों के लिए चिंता का विषय है और यह डिजिटल साक्षरता के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे दावों, कार्यों और नीतियों पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।

ब्रेलर के उपयोग के आधार पर

सर्वेक्षण के अंतर्गत ब्रेलर का उपयोग करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार 63 प्रतिशत छात्र ब्रेलर का उपयोग करने वाले थे, जबकि 37 प्रतिशत छात्र ब्रेलर का प्रयोग उच्च शिक्षा के लिए नहीं कर रहे थे।

जाज साफ्टवेयर के उपयोग के आधार पर

अध्ययन के अंतर्गत जाज साफ्टवेयर का उपयोग करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार 58 प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्र जॉज सॉफ्टवेयर का उपयोग उच्च शिक्षा के लिए कर रहे थे, जबकि 42 प्रतिशत जॉज सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहे थे। जॉज सॉफ्टवेयर एक प्रकार का स्क्रीन रीडर है, जो कि स्क्रीन पर लिखे अक्षरों को पढ़ता है। यह सॉफ्टवेयर नेत्रहीन छात्रों की उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करता है, पर यह सॉफ्टवेयर काफी महंगा है, जिसके चलते गरीब छात्रों के लिए इसको खरीद पाना और उपयोग कर पाना कठिन है। उच्च

शैक्षणिक संस्थानों में यह सॉफ्टवेयर आवश्यकताग्रस्त छात्रों के उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो, इसके लिए शैक्षणिक संस्थानों, सरकार, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे आकर यह सॉफ्टवेयर खरीदने में सहायता करने की आवश्यकता है।

ब्रेल अनुवादिक सॉफ्टवेयर का उपयोग : सर्वेक्षण के अंतर्गत ब्रेल अनुवादिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले दृष्टिबाधित छात्रों के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत 62 प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्र ब्रेल अनुवादिक सॉफ्टवेयर का उपयोग उच्च शिक्षा के लिए कर रहे थे, जबकि 38 प्रतिशत इस सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर रहे थे। आंकड़ों के अनुसार बहुसंख्यक बच्चे ब्रेल अनुवादिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले वर्ग से थे, जो कि उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा लेने में सहायता करता है, पर 42 प्रतिशत बच्चों की पहुँच से अभी भी यह सॉफ्टवेयर दूर है, जिसके चलते यह बच्चे इस सॉफ्टवेयर का लाभ अपनी शिक्षा के लिए नहीं उठा पाते हैं, इतनी संख्या में बच्चों का इस सॉफ्टवेयर से दूर होना चिंता का विषय है और यह दृष्टिबाधित छात्रों के विकास के लिए तैयार आधारभूत ढांचे में पाई गयी विषमताओं की ओर संकेत करता है।

ब्रेल अम्बॉसर का उपयोग : अध्ययन के अंतर्गत 57 प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्र ब्रेल अम्बॉसर का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, जबकि 43 प्रतिशत ब्रेल अम्बॉसर का उपयोग उच्च शिक्षा के लिए नहीं कर रहे थे। स्पष्ट है कि बहुसंख्यक बच्चे ब्रेल अम्बॉसर का उपयोग कर रहे थे, जो कि शिक्षा लेने में उनकी सहायता कर रहा था, पर 43 प्रतिशत बच्चों का अभी भी ब्रेल अम्बॉसर से दूर होना चिंता का विषय है।

स्लेट एवं स्टाइलस का उपयोग : सर्वेक्षण में पाया गया है कि 61 प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्र स्लेट एवं स्टाइलस का उपयोग उच्च शिक्षा में लिखने के लिए कर रहे थे, जबकि 39 प्रतिशत छात्र स्लेट एवं स्टाइलस का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। स्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक बच्चे स्लेट एवं स्टाइलस का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, जो कि शिक्षा लेने में उनकी सहायता कर रहा था।

डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर का उपयोग : शोध के अंतर्गत 78 प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्र डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान अध्यापक के लेक्चर रिकार्ड करने के लिए कर रहे थे, जबकि 22 प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्र इस सहायक उपकरण का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। स्पष्ट है कि बहुसंख्य बच्चे वो थे, जो कि डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, जो कि शिक्षा लेने में उनकी सहायता कर रहा था, पर 22 प्रतिशत बच्चों का अभी भी डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर से दूर होना चिंता का विषय है, जो कि दृष्टिबाधित छात्रों के सशक्तीकरण और मुख्यधारा में उनके समावेशन के लिए उपलब्ध आधारभूत ढांचे की कमियों की ओर संकेत करता है।

टॉकिंग कैलकुलेटर का उपयोग : अध्ययन क्षेत्र में 64 प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्र टॉकिंग कैलकुलेटर का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान कक्षा में गणित के विषय में गणना करने और गणित के सवाल हल करने के लिए कर रहे थे, जब कि 36 प्रतिशत छात्र इस सहायक उपकरणका उपयोग उच्च शिक्षा के लिए गणित विषय में गणना करने और सवाल हल करने के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अतीत में नेत्रहीन बच्चे गणित विषय से इसलिए दूरी बनाते थे, क्योंकि गणित में अंकगणित की गणना उनके लिए कठिन थी, किन्तु वर्तमान में टॉकिंग कैलकुलेटर जैसे सहायक उपकरणों ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए गणित विषय में पढ़ाई करना आसान बना दिया है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि बहुसंख्यक बच्चे टॉकिंग कैलकुलेटर का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर रहे थे, जो कि गणित विषय में उनकी सहायता कर रहा था, पर 36 प्रतिशत बच्चे ऐसे थे जो कि टॉकिंग कैलकुलेटर का उपयोग नहीं कर रहे थे।

छड़ी का उपयोग : 67 प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्र कहीं भी आने जाने के लिए छड़ी का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के करने के लिए कर रहे थे, जबकि 33 प्रतिशत दृष्टिबाधित छात्र इस सहायक उपकरण का उपयोग इधर-उधर आने जाने के लिए के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कहा जा सकता है कि बहुसंख्य बच्चे इधर-उधर आने-जाने के लिए छड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। वर्तमान में दृष्टिबाधित छात्र सफेद छड़ी और बिजलई छड़ी का उपयोग कॉलेज में आसानी से आने-जाने के लिए करते हैं। इन उपकरणों की सहायता से दृष्टिबाधित छात्र कॉलेज परिसर में आसानी में चल-फिर सकते हैं। यह उपकरण इन छात्रों का मुख्य

धारा के शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य बच्चों के साथ समावेशन में सहायता करता है।

निष्कर्ष : उच्च गुणवता वाली शिक्षा आजके आधुनिक समाज (जबकि कि ज्ञान-विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी मानवविकास और आधुनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग बन चुकी है) में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक बन चुकी है। अपने बहुपक्षीय विकास के लिए आधुनिक पाठ्यक्रम पर आधारित उच्च गुणवता वाली शिक्षा प्राप्त करना दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी आश्यक बन चुका है। अतीत में, दृष्टिबाधित छात्रों के बारे में काफी सारी रुढ़िवादी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जैसे कि अगर यह बच्चे पाठशाला में प्रवेश पाने में सफल हो गए तो, पढ़ाई-लिखाई कैसे करेंगे, कक्षा में जो पढ़ाया जाएगा, उसको कैसे लिखेंगे, अपने अध्यापकों और सहपाठियों के साथ बात-चीत कैसे करेंगे और पाठशाला परिसर में स्वतंत्र रूप से कैसे चल-फिर सकेंगे, इत्यादि प्रचलित रही हैं, जिसके चलते यह बच्चे पढ़-लिख नहीं पाते थे। इस नकारात्मक व्यवहार के परिमाण-स्वरूप ये बच्चे पूरी तरह से अनदेखा और समाज की मुख्यधारा से बिलकुल अलग-थलग कर दिए जाते थे।

परन्तु वर्तमान समय में, सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों की सहायता से, दृष्टिबाधित छात्र भी अपने साथ वाले सामान्य छात्रों की भांति ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि नई प्रौद्योगिकी उपकरण, इन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता कर रहे हैं, जोकि अतीत में संभव नहीं था। अब ये बच्चे समाज के क्रियाशील सदस्य बन चुके हैं।

शिक्षा और अच्छी नौकरी के कारण, समाज, परंपरावादी और दृष्टिबाधितों को मुख्यधारा से बाहर रखने की मानसिकता का त्याग कर रहा है, और दृष्टिबाधित छात्र भी समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित किए जा रहे हैं। अपनी शिक्षा और परिश्रम के बल पर इन बच्चों ने अपनी शिक्षा से संबंधित परंपरावादी विचारों को जड़ से उखाड़ फेंका है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये लोग, अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाते हैं, और सामान्य लोगों के साथ ही स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इस प्रकार अध्ययन के निष्कर्ष सिद्ध करते हैं कि आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण, दृष्टिबाधित छात्रों शैक्षणिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र 1 जुलाई 2023 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित विश्व समाजशास्त्र कांग्रेस में पढ़ा गया था।

सन्दर्भ

1. Sara, B., *'Cognitive Development in Blind Children'*, Discovery Publishing House, New Delhi, 2003.
2. Singh, A. N., *'Enable the Differently Able'*, Shipra Publisher, Delhi, 2001.
3. Tamakloe, D., & Agbenyega, J. S., *'Exploring Preschool Teachers' and Support Staff's use and Experiences of Assistive Technology with Children with Disabilities'*, Australasian Journal of Early Childhood, 2017, 42(2), 29–36. doi:10.23965/AJEC.42.2.04
4. Disabled Persons in India: A Statistical Profile 2016
5. A, Omede, *'The Challenges of Educating the Visually Impaired and Quality Assurance in Tertiary Institution of Learning in Nigeria'*, International Journal of Educational Administration and Policy Studies. Vol. 7(7), pp. 129-133, September, 2015
6. Disabled Persons in India: A Statistical Profile 2016
7. Sara, B., op.cit.
8. Derrick, S, W. *'A Research Agenda for Assistive Technology Used by Students with Visual Impairments'*, Journal on Technology and Persons with Disabilities Santiago, 2014.
9. Brown, D. J., McHugh, D., Standen, P., Evett, L., Shopland, N., & Battersby, S. *'Designing Location-based Learning Experiences for People with Intellectual Disabilities and Additional Sensory Impairments'*, Computers & Education, 56(1), 11–20. doi:10.1016/j.compedu.2010.04.014
10. Tamakloe, D., & Agbenyega, J. S., Op.cit., pp.29–36.
11. Robitaille, S. *'The Illustrated Guide to Assistive Technology and Devices'*, New York, NY: Demos Medical Publishing, 2010.
12. Lin, C. H. *'Preservice Teachers' Beliefs about using Technology in the Mathematics Classroom'*, Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 2002, 3(27), 341–360.
13. Corn, A. L., & Wall, R. S., *'Access to Multimedia Presentations for Students with Visual Impairments'*, Journal of Visual Impairment & Blindness, 2002, 96(4), 197–211. doi:10.1177/0145482X0209600402
14. Macluer R.M. & Page C.H., *'Society : An Introdutionary Analysis'*, Mac Million & Co. London, 1959, p. 238.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

भारत-बांग्लादेश संबंधः नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश-सकारात्मक नीति का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

❑ अनुज

सूचक शब्द : भारत-बांग्लादेश संबंध, भूमि सीमा समझौता, नरेंद्र मोदी, शेख़ हसीना, आर्थिक सहयोग।

नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश नीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर इसके प्रभाव ने 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अद्वितीय दृष्टिकोण और परिणामों के कारण ध्यान आकर्षित किया है। यह लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंधों में हाल के विकास पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त लेख पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अवामी लीग (एएल) शासन सत्ता में होते हैं तो भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंध होते हैं। यह लेख मोदी सरकार के दौरान विकास के तीन प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है: विवाद समाधान, सहयोग और कनेक्टिविटी। इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो द्विपक्षीय संबंधों की सुदृढ़ता को दर्शाता है। अध्ययन में मोदी की बांग्लादेश नीति को रेखांकित करने वाली गतिशीलता को उजागर करने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ, नीतिगत विमर्श और भू-राजनीतिक विचारों को सम्मिलित करते हुए एक बहुआयामी विश्लेषणात्मक ढांचे का उपयोग किया गया है। यह समग्र भारत-बांग्लादेश संबंधों पर इन नीतिगत उपायों के प्रत्यक्ष प्रभाव की भी जांच करता है, द्विपक्षीय सहयोग और आपसी विश्वास के स्तर का आकलन करता है।

भारत-बांग्लादेश संबंध साझा सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत संबंधों के लंबे इतिहास में गहराई से निहित हैं। पिछले कई दशकों में ये संबंध न केवल बने रहे हैं बल्कि सुदृढ़ भी हुए हैं। दोनों देशों के बीच का बंधन आपसी सम्मान, सहयोग और राजनीतिक मामलों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण की विशेषता है। एक-दूसरे के प्रति यह सकारात्मक रवैया, विशेषकर नेतृत्व के उच्चतम स्तर पर, उनके मैत्रीपूर्ण संबंधों को संरक्षित करने और बढ़ाने में सहायक रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास ने सीमा के दोनों ओर के लोगों में एक-दूसरे के प्रति अत्यधिक सम्मान और सद्भावना रखने में योगदान दिया है। उनके जीवन के तरीके, सांस्कृतिक प्रथाओं, धार्मिक विश्वासों और भाषा में समानताएं उनकी आपसी रिश्तों की भावना को ओर सुदृढ़ करती हैं। दोनों समाज धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और लोकतंत्र के आधुनिक मूल्यों को साझा करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, जो दोनों देशों के बीच समझ और सामान्य आधार को बढ़ावा देते हैं। अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक निकटता और बांग्लादेश के संकट के समय में भारत के सहयोग के बावजूद, बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध हमेशा कठिनाइयों से रहित नहीं रहे हैं।[1] वास्तव में, इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में अक्सर कड़वाहट, बढ़ते तनाव, चुनौतियाँ और कई आरोप-प्रत्यारोप देखे गए हैं।[2]

भारत-बांग्लादेश संबंधों के बारे में लोकप्रिय धारणा यह है कि जब बांग्लादेश अवामी लीग (बी.ए.एल.) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई.एन.सी.) सत्ता में होते हैं तो इसे नई गति मिलती है। यह धारणा बी.ए.एल. और आई.एन.सी. के बीच की ऐतिहासिक मित्रता से प्रभावित है, जिसमें बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान और उसके बाद कांग्रेस, विशेषकर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समर्थन के महत्वपूर्ण संकेत सम्मिलित हैं। अतीत की विभिन्न चुनौतियों और अनिश्चितताओं को पार करते हुए, भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में समय के साथ काफी सुधार और स्थिरता आई है। सकारात्मक विकास का श्रेय, बहुत सीमा तक, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के नेतृत्व को दिया जा सकता है, जो 2014 में भारत में सत्ता में आई थी। हालाँकि दोनों देश वर्तमान में अपने द्विपक्षीय संबंधों में सबसे अनुकूल अवधियों में से एक का अनुभव कर रहे हैं। कई चुनौतियों का सामना करने

❑ शोध अध्येता, राजनीति विज्ञान विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, जांट-पाली, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)

के बावजूद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है।

शोध पत्र का उदेश्यः

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य भारत-बांग्लादेश संबंधः नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश-सकारात्मक नीति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त कुछ अन्य उदेश्य भी हैं-

1. भारत-बांग्लादेश संबंधों पर नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश-सकारात्मक नीति के आर्थिक निहितार्थ और परिणामों का विश्लेषण करना।
2. नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच विभिन्न विवादों का समाधान और सहयोग का मूल्यांकन करना।
3. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंधों में हाल की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना।

शोध प्रविधिः

प्रस्तुत शोध पत्र ऐतिहासिक एवं व्याख्यात्मक अध्ययन हैं जो कि वर्णनात्मक प्रविधि पर आधारित है। इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत गृह और विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट आदि सम्मिलित है। द्वितीयक स्रोतों में विषय से संबंधित शोध पत्र, पुस्तकों, समाचार पत्र एवं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों का प्रयोग किया गया है।

साहित्य समीक्षा :

ए.जे. मजूमदार द्वारा लिखित लेख 'मेकिंग सेंस ऑफ़ इंडिया-बांग्लादेश रिलेशंस' दोनों देशों के बीच जटिल गतिशीलता की पड़ताल करता है। यह विदेश नीति पर सुरक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रभाव और भारत के साथ बांग्लादेश के संबंधों को आकार देने में छोटे देश सिंड्रोम की भूमिका पर प्रकाश डालता है। इस लेख में नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश के मध्य संबंधों में सकारात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है साथ ही पर्यावरणीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों, जैसे समुद्र के बढ़ते स्तर और बड़े पैमाने पर पलायन को बढ़ावा देने और संघर्षों को भड़काने की उनकी क्षमता पर भी चर्चा की गई है। यह आगे व्यवहारिक प्रभावों की जांच करता है, जिसमें भारत बांग्लादेश को कृतघ्न और अपने हितों को समायोजित करने में विफल मानता है। लक्ष्यों और प्राथमिकताओं में अंतर के बावजूद, दोनों देशों के बीच व्यावहारिक समाधान और सहयोग की आवश्यकता पर लेख जोर देता है।

मोहम्मद अबुल काशेम और मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के शोध पत्र 'नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पॉलिसी एंड इंडिया-बांग्लादेश रिलेशनः चैलेंजेस एंड पॉसिबल पॉलिसी रिस्पांसेस' में नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश नीति और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर इसके प्रभाव का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है। यह भाजपा के शासन के बारे में पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देता है और द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियों और अवसरों पर प्रकाश डालता है। लेख में आपसी समझ, सम्मान और पारस्परिकता के महत्व पर जोर दिया गया है जो दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों के लिए सकारात्मक रुख तय करता है। कुल मिलाकर, यह भारत-बांग्लादेश संबंधों की जटिलताओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और चुनौतियों का समाधान करने और संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है।

आशीष शुक्ला के शोध पत्र 'स्ट्रेंग्थेनिंग कॉर्पोरेशन एंड रिड्यूजिंग इरिटेंटसः इंडिया-बांग्लादेश रिलेशंस टुडे' वर्तमान भारत-बांग्लादेश संबंधों की खोज करने वाला एक सामयिक शोध पत्र है। यह ऐतिहासिक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोगात्मक पहल और रणनीतियों का आकलन करता है। व्यावहारिक विश्लेषण के माध्यम से, शोध पत्र सहयोग को बढ़ावा देने और विवादास्पद मुद्दों के प्रबंधन पर मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे यह समकालीन द्विपक्षीय गतिशीलता को समझने में एक जानकारीपूर्ण योगदान देता है।

एस. दत्ता द्वारा लिखित लेख 'बांग्लादेश'स रिलेशन विद चाइना एंड इंडियाः ए कंपैरेटिव स्टडी' भारत के प्रति शेख हसीना सरकार की विदेश नीति के दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। यह राज्य की विदेश नीति के व्यवहार पर तीन सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से जुड़ा है और बांग्लादेश की विदेश नीति के लिए उनकी प्रयोज्यता की जांच करता है। लेख में तर्क दिया गया है कि शेख हसीना सरकार की भारत नीति की व्यापक समझ के लिए विश्लेषण के तीन स्तरों पर विचार करने की आवश्यकता हैः व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और बाहरी कारक। लेख का निष्कर्ष है कि एक एकीकृत दृष्टिकोण जो इन

तीन स्तरों से चर को जोड़ता है, राज्य की विदेश नीति व्यवहार और उसके स्रोतों के लिए सर्वोत्तम स्पष्टीकरण प्रदान करता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों का संक्षिप्त इतिहासः

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध वास्तव में ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक निकटता की विशेषता रहे हैं। हालाँकि, उनके साझा संबंधों और एक-दूसरे के लिए महत्व के बावजूद, द्विपक्षीय संबंधों ने अलग-अलग समय पर उतार-चढ़ाव दोनों का अनुभव किया है।[3] बांग्लादेश में भारत के योगदान का एक महत्वपूर्ण पहलू 1971 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उसका समर्थन था। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए राष्ट्र के उद्भव के लिए यह समर्थन अनिवार्य था और भारत बांग्लादेश को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश था। स्वतंत्रता के बाद, भारत और बांग्लादेश ने 'मित्रता, सहयोग और शांति' की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सुदृढ़ और सहकारी संबंधों को बढ़ावा देना था। यह संधि एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचते हुए एक-दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित थी।[4] उस अवधि के दौरान जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस शासन भारत में सत्ता में था और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अवामी लीग बांग्लादेश में सत्ता में थी, द्विपक्षीय संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए। यह अवधि, 1971 से 1975 तक, भारत से बांग्लादेश को घनिष्ठ सहयोग और महत्वपूर्ण सहायता द्वारा चिह्नित की गई थी। इस दौरान बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा सहायता प्राप्तकर्ता बन गया। इन सकारात्मक पहलुओं के पश्चात भी, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि भारत-बांग्लादेश संबंधों को भी पिछले कुछ वर्षों में जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इतिहास में दोनों देशों के बीच तनाव, संकट और आरोप-प्रत्यारोप के दौर भी सम्मिलित हैं। दरअसल, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद भारत-बांग्लादेश रिश्ते कड़वाहट के दौर में पहुंच गए। जनरल जियाउर्रहमान के नेतृत्व वाली सैन्य सरकार ने बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में इस्लामी और राष्ट्रवादी पहचान बनाने के साधन के रूप में भारत विरोधी रुख का इस्तेमाल किया। समर्थन और वैधता प्राप्त करने के लिए इस भारत-विरोधी भावना का उपयोग सत्ताधारी दलों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एक राजनीतिक रणनीति के रूप में किया गया था।[5] जियाउर्रहमान के शासनकाल और उसके बाद के राष्ट्रपति इरशाद के शासन के दौरान, भारत को एक साम्राज्यवादी और अवसरवादी क्षेत्रीय प्रभुत्व के रूप में चित्रित किया गया था। इस आख्यान का उपयोग बांग्लादेश की इस्लाम समर्थक छवि को फिर से स्थापित करने के लिए किया गया था, जिससे इस क्षेत्र में भारत को एक आधिपत्य शक्ति के रूप में समझने में योगदान मिला।[6] परिणामस्वरूप, बांग्लादेश में सैन्य शासन के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंध तनावपूर्ण हो गए।[7] भारत-बांग्लादेश संबंधों में कड़वाहट तब भी जारी रही जब 1991 और 1996 के बीच बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली एक लोकतांत्रिक पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सत्ता में थी। सत्तारूढ़ दल की लोकतांत्रिक प्रकृति के बावजूद, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। पिछले शासनकाल के दौरान पनपे अविश्वास और भारत विरोधी भावनाओं की विरासत के कारण द्वि पक्षीय संबंध खराब हो गए।भारत-बांग्लादेश संबंधों की गतिशीलता वास्तव में दोनों देशों में सत्ता में विद्यमान राजनीतिक दलों से प्रभावित हुई है। 1996 में बांग्लादेश अवामी लीग (बीएएल) के सत्ता में लौटने के बाद, भारत के साथ मेल-मिलाप और संबंधों में सुधार के प्रयास किए गए। इस अवधि के दौरान तीस वर्षीय व्यापक गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर एक सकारात्मक कदम था। हालाँकि, जब 1998 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारत में सरकार बनाई, तो सहयोगात्मक और मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ने लगे। बांग्लादेश से प्रवासन मुद्दे पर भाजपा के कड़े रुख के साथ-साथ सीमा पार विद्रोह को बांग्लादेश से जोड़ने के कारण भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव आया।[8] भारत-बांग्लादेश संबंधों में सबसे निचला बिंदु 2001 और 2006 के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान था। भारत के प्रधान मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल और बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक नई गति आई। 2011 में सिंह की ढाका की ऐतिहासिक यात्रा के परिणामस्वरूप भूमि सीमा समझौते (एलबीए) प्रोटोकॉल सहित कई प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। हालाँकि,

कुछ अनसुलझे मुद्दे, जैसे तीस्ता जल बंटवारा संधि और भारत-बांग्लादेश पारगमन विवाद, विवाद के बिंदु बने रहे। तीस्ता जल बंटवारा संधि को आगे बढ़ाने में एक बड़ी बाधा भारत के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध था।[9] इसके अतिरिक्त, एलबीए प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन को भारतीय संसद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महत्वपूर्ण विरोध का भी सामना करना पड़ा। मनमोहन सिंह सरकार के ईमानदार प्रयासों के बावजूद, भारत की घरेलू राजनीति ने भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में बाधा उत्पन्न की। यह द्विपक्षीय संबंधों पर दोनों देशों के राजनीतिक दलों के प्रभाव को उजागर करता है। जल बंटवारे और भूमि सीमा अनुसमर्थन जैसे मुद्दों पर आपसी अविश्वास और बेचैनी का एक निरंतर पैटर्न बना हुआ है। इन जटिल समस्याओं के समाधान में धीमी प्रगति मुख्य रूप से भारतीय राजनीतिक दलों की समझौतों को तुरंत संबोधित करने और पुष्टि करने की अनिच्छुक प्रकृति के कारण है। उदाहरण के लिए, भले ही भूमि सीमा समझौते पर 1974 में हस्ताक्षर किए गए थे और कुछ महीनों के भीतर बांग्लादेश की संसद द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, लेकिन भारत ने 2015 तक इसकी पुष्टि नहीं की थी।

नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश-सकारात्मक नीतिः

मोदी सरकार के द्वारा, बांग्लादेश के प्रति भारत की नीति पर 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' (एन.एफ.पी.) के बड़े ढांचे के भीतर चर्चा की गई है। एन.एफ.पी. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की गतिरोध की स्थिति के बीच बांग्लादेश सहित अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को पुनर्जीवित करने पर जोर देता है। एन.एफ.पी. बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सहयोग को गहरा करना चाहता है। मोदी ने निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के महत्व पर जोर देते हुए इस व्यवस्था के पीछे के प्राकृतिक तर्क पर प्रकाश डाला है। मोदी सरकार ने विभिन्न कार्यों के माध्यम से एन.एफ.पी. के प्रति अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, भारत ने लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते (एल.बी.ए.) को मंजूरी दे दी, जो पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पी.सी.ए.) के फैसले को भी स्वीकार कर लिया, जो बांग्लादेश के पक्ष में था। इसके अतिरिक्त, अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मोदी के निमंत्रण और अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के पहले वर्ष के भीतर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका की आधिकारिक यात्राओं ने अपने पड़ोस पर भारत के फोकस को और अधिक रेखांकित किया। ये पहल और कार्रवाइयाँ एन.एफ.पी. ढांचे के आधीन बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देने और मजबूत करने के भारत के प्रयासों को दर्शाती हैं। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करते हुए और क्षेत्र में अधिक आपसी समझ और सहयोग की दिशा में काम करते हुए क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहता है।

भूमि सीमा समझौता (एलबीए)ः

बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा समझौता (एल.बी.ए.) दोनों पड़ोसी देशों के बीच विद्यमान क्षेत्रीय मुद्दों और परिक्षेत्रों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समझौते पर 1974 में बांग्लादेश के प्रधान मंत्री शेख मुजीबुर रहमान और भारत की इंदिरा गांधी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे आमतौर पर 'इंदिरा-मुजीब संधि' के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश ने तुरंत समझौते पर अपना पक्ष रखा, अपनी संसद में एल.बी.ए. की पुष्टि की और दक्षिण बेरुबारी को भारत में स्थानांतरित कर दिया। हालाँकि, भारत की ओर से कार्यान्वयन में कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों के कारण देरी का सामना करना पड़ा। 2009 में, प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार ने क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दी और इसे एजेंडे में वापस लाया गया। भारत में सत्ता संभालने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की 'पड़ोसी पहले' नीति के आगमन के साथ, समझौते को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए गए, जो दशकों से लंबित था। भारत में राजनीतिक हितधारकों के साथ मोदी के कुशल संचालन के साथ-साथ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर रणनीतिक समझ के कारण अंततः समझौते का सफल कार्यान्वयन हुआ। ऐतिहासिक क्षण 31 जुलाई, 2015 को आया, जब समझौते को अंततः लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 51 बांग्लादेशी परिक्षेत्रों को भौतिक रूप से

भारत में स्थानांतरित कर दिया गया, और 111 भारतीय परिक्षेत्रों को बांग्लादेश में स्थानांतरित कर दिया गया।[10] इस समझौते से दोनों देशों के बीच 41 साल पुराने सीमा विवाद का प्रभावी ढंग से समाधान हो गया। एल.बी.ए. के सफल समाधान ने न केवल लंबे समय से चली आ रही क्षेत्रीय स्थिति को सुधारा, बल्कि पड़ोसी देशों के बीच जटिल मुद्दों को संबोधित करने में राजनयिक प्रयासों और राजनीतिक इच्छाशक्ति के महत्व के प्रमाण के रूप में भी काम किया जो मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।

समुद्री सीमा विवाद का समाधानः

हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पी.सी.ए.) के माध्यम से बांग्लादेश और भारत के बीच समुद्री सीमा विवाद का समाधान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह विवाद एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा था, और पी.सी.ए. में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का प्रयास बांग्लादेश द्वारा निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान खोजने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। पी.सी.ए. को अपनी दलीलों में, भारत ने समान दूरी के सिद्धांत के आधार पर एक सीमा के लिए तर्क दिया, जबकि बांग्लादेश ने समानता के आधार पर एक सीमा की वकालत की। समुद्री सीमा के न्यायसंगत निर्धारण के लिए बांग्लादेश की मांग उचित थी क्योंकि समान दूरी पर आधारित सीमा बांग्लादेश को भारत और म्यांमार के समुद्री क्षेत्रों द्वारा 'ज़ोन-लॉक' होने की स्थिति में छोड़ सकती थी, जिसके परिणामस्वरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ सीमित हो गए थे। पी.सी.ए. ने बांग्लादेश के तर्क को स्वीकार कर लिया और बांग्लादेश के पक्ष में अपना फैसला सुनाया, और विवादित समुद्री क्षेत्र के कुल 25,602 वर्ग किलोमीटर (लगभग 80 प्रतिशत) में से 19,467 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बांग्लादेश को दिया।[11] भारत ने फैसले का स्वागत किया और कानूनी तरीकों से मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की इच्छा प्रदर्शित की। मोदी सरकार द्वारा पी.सी.ए. के फैसले का स्वागत करना पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। समुद्री सीमा विवाद के समाधान से लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान हुआ, जिससे दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच निरंतर सहयोग और बातचीत के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ।

आर्थिक सहयोगः

बांग्लादेश वास्तव में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय पहल जैसे बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (बी.बी.आई.एन.) और बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) के लिए एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है। इन क्षेत्रीय पहलों का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच सहयोग, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक सुदृढ़ आर्थिक सहयोग और विकास सहायता साझेदारी रही है पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करना और व्यापार बाधाओं को दूर करना सम्मिलित है। भारत ने कई बांग्लादेशी उत्पादों तक शुल्क-मुक्त और कोटा-मुक्त पहुंच बढ़ा दी है, जिससे बांग्लादेश भारतीय बाजार में अपने निर्यात का विस्तार करने में सक्षम हो गया है। इसके अतिरिक्त, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में निवेश के साथ भारत बांग्लादेश में प्रमुख निवेशकों में से एक के रूप में उभरा है। दक्षिण एशियाई देशों में से बांग्लादेश ही एक मात्र ऐसा देश है जो कि भारत के साथ सबसे अधिक व्यापार करता है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिए गये आंकड़े (तालिका 1) के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि बांग्लादेश से व्यापार के मामले में मोदी कार्यकाल में एक सकारात्मक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आने वाले वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ने की आशा है।

आयात के संदर्भ में, बांग्लादेश से भारत का आयात 1996 में 62.23 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 1977.93 मिलियन डॉलर हो गया है जो दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में सबसे अधिक हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश को भारत का निर्यात 1996 में 868.96 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2022 में 16156.37 मिलियन डॉलर हो गया है। भारत में निर्यात के मामले में अगर यूपीए सरकार और एनडीए सरकार की तुलना की जाए तो यूपीए सरकार 3789.2 मिलियन डॉलर पर छोड़कर गयी थी वहीं मोदी के कार्यकाल में 16156.37 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है वहीं बांग्लादेश से आयात व्यापार को देखा जाये 484.34 मिलियन डॉलर बढ़कर 1977.93

मिलियन डॉलर हो गया है जो भारत बांग्लादेश के प्रगाढ़ आर्थिक संबंधों को प्रदर्शित करता है भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिए गये आंकड़े (तालिका 2) भारत-बांग्लादेश के वर्तमान आर्थिक संबंधों की ओर इंगित करते हैं जो कि इस प्रकार हैः

तालिका 1

भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार

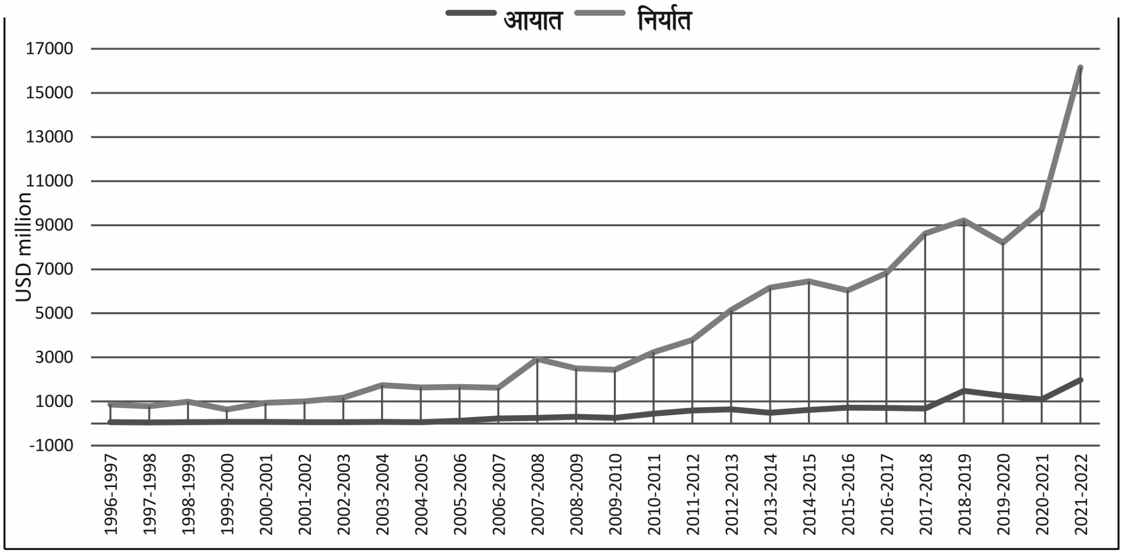

स्रोतः भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय (https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/default.asp)

तालिका नंबरः 2

वाणिज्य कर विभाग निर्यात आयात डेटा बैंक (वाणिज्य कर विभाग)

Values in US $ Millions

वर्ष	2018.2019	2019.2020	2020.2021	2021.2022
निर्यात	9,210.06	8,200.75	9,691.56	16,156.37
%विकास		10.96	18.18	66.71
भारत का कुल निर्यात	3,30,078.09	3,13,361.04	2,91,808.48	4,22,004.40
%विकास		5.06	6.88	44.62
%शेयर करना	2.79	2.62	3.32	3.83
आयात	1,044.80	1,264.74	1,091.66	1,977.93
%विकास		21.05	13.69	81.19
भारत का कुल आयात	5,14,078.42	4,4,709.28	3,94,435.88	6,13,052.05
%विकास		7.66	16.91	55.43
%शेयर करना	0.2	0.27	0.28	0.32
कुल व्यापार	10,254.86	9,465.49	10,783.22	18,134.30
% विकास		7.7	13.92	68.17
भारत का कुल व्यापार	8,44,156.51	7,88,070.32	6,86,244.36	10,35,056.45
%विकास		6.64	12.92	50.83
%शेयर करना	1.21	1.2	1.57	1.75
व्यापार का संतुलन	8,165.26	6,936.00	8,599.90	14,178.44
भारत का व्यापार संतुलन	1,84,000.33	1,61,348.24	1,02,627.40	1,91,047.65

विद्युत सहयोग

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश बिजली सहयोग को वास्तव में नई गति मिली है। यह सहयोग बांग्लादेश की बिजली की कमी को दूर करने और उसकी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहा है। एक महत्वपूर्ण कदम में, मई 2015 में ढाका में आयोजित बिजली सहयोग पर बांग्लादेश-भारत संयुक्त संचालन समिति की 9वीं बैठक के दौरान, 2017 तक बांग्लादेश को 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। 500 मेगावाट बिजली पश्चिम बंगाल से आपूर्ति करने की योजना थी, जबकि शेष 100 मेगावाट त्रिपुरा में पलाटाना बिजली परियोजना से प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच सहयोग में दो नए बिजली संयंत्रों का निर्माण भी सम्मिलित है, जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में अतिरिक्त 4,600 मेगावाट बिजली का योगदान देगा। रिलायंस पावर लिमिटेड ने 3,000 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम तरलीकृत प्राकृतिक गैस-आधारित बिजली संयंत्र में 3 अरब डॉलर का निवेश करने का वादा किया, जबकि 1,600 मेगावाट पैदा करने के लिए कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए 2.5 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई गई थी।[12]

प्रधान मंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा में बिजली सहयोग बढ़ाने और बांग्लादेश के बिजली उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। बिजली उत्पादन में भारतीय निजी क्षेत्रों की भागीदारी ने बांग्लादेश के 2021 बिजली उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों देशों के बीच बिजली आपूर्ति को बढ़ाते हुए, भेरामारा-बहरामपुर ग्रिड इंटरकनेक्शन की क्षमता को 500 मेगावाट से बढ़ाकर 1000 मेगावाट करने का प्रयास किया गया। बांग्लादेश ने बांग्लादेश के पश्चिमी हिस्से में एक अतिरिक्त ग्रिड इंटरकनेक्शन के निर्माण के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से भारत से अतिरिक्त बिजली आयात का प्रस्ताव रखा और भारत इस प्रस्ताव का पता लगाने के लिए सहमत हुआ। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र से मुजफ्फरनगर तक बिजली निकासी एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसमें बांग्लादेश से गुजरने वाली 800 केवी, 7000 मेगावाट एचवीडीसी मल्टी-टर्मिनल बाई-पोल डीसी ग्रिड लाइन सम्मिलित है। भारत ने बांग्लादेश के बारापुकुरिया में उपयुक्त पावर टैपिंग पाइंट का प्रस्ताव रखा ताकि देश को इस ट्रांसमिशन लाइन से लाभ मिल सके। भारत रामफल बिजली परियोजना के निर्माण पर भी सहमत हुआ और मोंगला और भेरामारा में दो भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) प्रस्तावित किए। रामपाल बिजली संयंत्र को 1320 मेगावाट की क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है और उम्मीद है कि यह बांग्लादेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह परियोजना 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत के साथ स्थापित की गई है, और इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा, 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, रियायती वित्तपोषण योजना के अंतर्गत भारतीय विकास सहायता के रूप में प्रदान किया गया है।[13] रिलायंस समूह द्वारा प्रस्तावित एलएनजी बिजली संयंत्र और अदानी इंडस्ट्रीज द्वारा कोयला आधारित बिजली संयंत्र लगभग 5.5 अरब डॉलर के निवेश के साथ स्थापित होने की उम्मीद है, जिससे बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र में भारत की भागीदारी और सुदृढ़ होगी।[14] ये पहल बांग्लादेश की ऊर्जा आवश्यकतओं का समर्थन करने और द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की गहराई को रेखांकित करती हैं। बढ़ा हुआ बिजली सहयोग न केवल बांग्लादेश की ऊर्जा की कमी को दूर करता है बल्कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान देता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास और पारस्परिक लाभ के साझा लक्ष्यों को दर्शाता है।

द्विपक्षीय कनेक्टिविटी में सुधार :

मोदी सरकार की घरेलू नीतियां भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी और विकास को प्राथमिकता देती हैं। बांग्लादेश इन नीतियों को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और देश के बाकी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कनेक्टिविटी ने वास्तव में अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस संबंध में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक कनेक्टिविटी लिंक को बहाल करने में सहायक रहा है। पिछले दशक

में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग से सार्थक पहल हुई है जिससे विभाजन-पूर्व कनेक्टिविटी लिंक को बहाल करते हुए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है। बांग्लादेश के माध्यम से अपने पूर्वोत्तर राज्यों में माल के मुफ्त पारगमन की, भारत की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी संबोधित किया है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में माल परिवहन के लिए चटगांव और मोंगला सहित बांग्लादेश के अंतर्देशीय जलमार्गों और बंदरगाहों का उपयोग करने की अनुमति एक महत्वपूर्ण विकास रही है। द्विपक्षीय कनेक्टिविटी प्रयासों में उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक, 43 वर्षों के अंतराल के बाद, 2008 में कोलकाता और ढाका के बीच रेलवे लिंक की बहाली थी। इससे मैत्री (मैत्री) एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। कोलकाता-ढाका मार्ग की सफलता ने कोलकाता-खुलना मार्ग की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया। समय के साथ, अतिरिक्त मार्ग खोलने की मांग में तेजी आई, जिससे पेट्रापोल-बेनापोल, गेडे-दर्शना, सिंघाबाद-रोहणपुर और राधिकापुर-बिरोल को जोड़ने वाले मार्ग स्थापित करने के प्रयास शुरू हुए। हाल के एक घटनाक्रम में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिलाहाटी के बीच 10.5 किलोमीटर लंबे रेलवे लिंक को बहाल किया। 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद यह मार्ग बंद कर दिया गया था। ये कनेक्टिविटी पहल क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक विकास और लोगों से लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। ऐतिहासिक संबंधों को बहाल करके और नए मार्ग स्थापित करके, भारत और बांग्लादेश का लक्ष्य व्यापार, पर्यटन और सहयोग को बढ़ाना, आपसी विकास और समृद्धि में योगदान देना है।

स्वास्थ्य सहयोगः

कोविड-19 महामारी ने भारत और बांग्लादेश सहित दुनिया भर के देशों के सामने अभूतपूर्व चुनौतियाँ पेश कीं। हालाँकि, इसने दोनों देशों के लिए स्वास्थ्य संकट से निपटने और इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को संबोधित करने में अपने सहयोग और एकजुटता को सुदृढ़ करने के अवसर भी पैदा किए। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत की सहायता और सहयोग, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी संकट के समय में, भारत-बांग्लादेश संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण रहा है। कोविड-19 महामारी जैसी आपात स्थितियों के जवाब में, भारत ने बांग्लादेश को चिकित्सा सहायता, टीके और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। इस स्वास्थ्य सहयोग ने न केवल महत्वपूर्ण जरूरतों को संबोधित किया है बल्कि एकजुटता का प्रदर्शन किया है और दोनों देशों के बीच संबंधों को गहरा किया है। भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण, पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति में इसके सक्रिय दृष्टिकोण से मिलता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत, बांग्लादेश को स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए सहायता में सबसे आगे था।

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एच.सी.क्यू.) की आपूर्ति और कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति के संबंध में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एस.आई.आई.) और बांग्लादेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.), कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में बांग्लादेश का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। अनुदान सहायता के हिस्से के रूप में 21 जनवरी 2021 को भारत द्वारा बांग्लादेश को कोविशील्ड वैक्सीन के 2 मिलियन शॉट्स की समय पर आपूर्ति ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक रेखांकित किया। 'वैक्सीन मैत्री' के इस कार्य ने भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता और महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपने पड़ोसियों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।[15] भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, ने ट्वीट किया, "ढाका में टचडाउनः वैक्सीन मैत्री की पुष्टि हुई बांग्लादेश के साथ संबंधों को भारत सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।" यह ट्वीट, वैक्सीन आपूर्ति के महत्व पर प्रकाश डालता है और बांग्लादेश के साथ संबंधों को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करती है, इस द्विपक्षीय सहयोग पर भारत के सॉफ्ट पॉवर कूटनीतिक महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मजबूत क्षेत्रीय सहयोग के मूल्य को प्रदर्शित किया।

विश्लेषण एवं निष्कर्षः

संक्षेप में, मोदी की बांग्लादेश नीति दूरदर्शी नेतृत्व और कूटनीति का प्रतीक है। इसका व्यापक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक मेल-मिलाप, आर्थिक तालमेल और रणनीतिक संरेखण तक फैला हुआ, सक्रिय और सहकारी अंतर्राष्ट्रीय

जुड़ाव के माध्यम से प्राप्त होने वाले सकारात्मक परिणामों का उदाहरण देता है। यह नीति क्षेत्रीय गतिशीलता को आकार देने और राष्ट्रों के बीच पारस्परिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने में रणनीतिक कूटनीति की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। आम धारणा के विपरीत, यह दावा किया जा सकता है कि भाजपा के सत्तारूढ़ होने के बाद भी भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध एक नए और सकारात्मक स्तर पर पहुंच गए हैं। विशेष रूप से, लंबे समय से चले आ रहे समुद्री विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और महत्वपूर्ण भूमि सीमा समझौते (एलबीए) के अनुसमर्थन से निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों के और सुदृढ़ होने की उम्मीद है। बढ़ती परस्पर निर्भरता और सहयोग के वर्तमान युग में बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना आवश्यक माना जा रहा है। शोध पत्र इस बात पर जोर देता है कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक सुदृढ़ और स्थायी साझेदारी को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है।

सन्दर्भ

1. Maini, T.S., *'India-Bangladesh Relations: The Bigger Picture'*. The Diplomat, 2015, Retrieved 8 October 2017. https://thediplomat.com/2015/06/india-bangladesh-relations-the-bigger-picture/
2. Kashem, M.A. and Islam, M.S., *'Narendra Modi's Bangladesh Policy and India-Bangladesh Relations: Challenges and Possible Policy Responses'*, India Quarterly, 2016, 72(3), 250-267.
3. Dutta, S., *'Bangladesh's Relations with China and India: A Comparative Study'*, Strategic Analysis, 2008, 32(5), 755-772.
4. Pant, H.V., *'India and Bangladesh: Will the Twain Ever Meet'?* Asian Survey, 2007, 47(2), 231-249.
5. Chakma, B., *'Sheikh Hasina Government's India Policy: A Three Level Game'*, Asian Security and International Affairs, 2015, 2(1), 27-51.
6. Majumdar, A.J., *'Making Sense of India Bangladesh Relations',*. Strategic Analysis, 2014, 70(4), 327- 340.
7. Pant, H.V., *'A long overdue foreign policy course correction by Delhi'*, The Diplomat, 2015, Retrieved 2 October 2017. https://thediplomat.com/2015/06/a-long-overdue-foreign-policy-course-correction-by-delhi/
8. Singh, S., *'Border Crossing and Islamic Terrorists: Representing Bangladesh in Indian Policy During the BJP Era'*. India Review, 2009, 8(2), 144-162.
9. The Hindu. (2011, September 27). Mamta plays spoiler. Retrieved 2 October 2017. http://www.thehindu.com/opinion/editorial/mamata-plays-spoiler/article2430074.ece
10. LBA, Instrument of Ratification, 2015.
11. Panda, A., *'The International Court of Justice ruled on India over Bangladesh Maritime Dispute'*, 2014, Retrieved 5 October 2023. https://thediplomat.com/2014/07/international-court-rules-in-favor-of-bangladesh-on-maritime-dispute-with-india/
12. The Daily Star. (2015a, 15 May) More power form India by 2017. Retrieved 5 October 2023. http://www.thedailystar.net/business/morepower-india-2017-82308
13. Outlook, *'India-Bangladesh Joint Venture Power Plant to Resume Production After Month-Long Halt'*, 2023, Retrieved 10 November 2023. https://www.outlookindia.com/business/india-bangladesh-joint-venture-power-plant-to-resume-production-after-month-long-halt-news-262415
14. Daily Star, *'Bangladesh Power Projects: Reliance, Adani to Invest'*, 2015, Retrieved 15 November 2023. http://www.thedailystar.net/frontpage/relianceadani-invest-55b-93286
15. Shukla, A., *'Strengthening Corporations and Reducing Irritants: India-Bangladesh Relations Today'*, Indian Foreign Affairs Journal, 2020, Volume 15, Number 3, p. 245-253.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में वर्णित विदेश नीति के सूत्रों की मोदी कार्यकाल में प्रासंगिकता : एक अध्ययन

❑ सुश्री प्रतिभा

❖ सुश्री तान्या चौधरी

सूचक शब्द : विदेश नीति, षाड्गुण्य नीति, मोदी सरकार, कूटनीति, राष्ट्रीय हित।

प्रस्तुत शोध पत्र को चार खंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम खंड के अंतर्गत पर-राष्ट्र अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति की महत्ता को व्याख्यायित किया गया है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के अंतर्गत कूटनीति से संबंधित कुछ सूत्र दिए गए हैं प्रथम खंड में उन्ही को व्याख्यायित किया गया है। इसी क्रम में शोध पत्र के द्वितीय खंड में पर-राष्ट्र सम्बन्धों के निर्धारण हेतु कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति का उल्लेख किया गया है जिसमें कौटिल्य मूलत छः कारकों संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधीभाव के माध्यम से पर-राष्ट्र सम्बन्धों को स्थापित करते हैं ताकि राष्ट्रहित की साधना की जा सके। कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति की महत्ता को वर्णित करते हुए शोध पत्र के तृतीय खंड में यह उल्लेखित किया गया है कि षाड्गुण्य नीति एक लंबी समयावधि के बाद भी किस प्रकार वर्तमान समय में प्रासंगिक बनी हुई है। वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों के निर्धारण में षाड्गुण्य नीति व्यवहारिक रूप परिलक्षित हो रही है। इस खंड में मूलतः यह वर्णित किया गया है कि वर्तमान मोदी सरकार की कूटनीति में कौटिल्य की नीति की झलक प्रदर्शित होती है। षाड्गुण्य नीति के साथ-साथ मोदी सरकार के द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद के तत्व भी परिलक्षित होते हैं। इस शोध पत्र के अंतिम खंड में षाड्गुण्य नीति की प्रासंगिकता को वर्तमान कूटनीति के संबंध में प्रदर्शित किया गया है, जिससे प्राचीन भारतीय कूटनीति की महत्ता वर्तमान भारतीय कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित की जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजव्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण का ध्येय स्वहितों की साधना होती है। कूटनीति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रहित की कल्पना मात्र भी संभव प्रतीत नहीं होती है। इसी के माध्यम से कोई भी राष्ट्र तथा राज्य विशेष अपनी हित साधना के लिये निरंतर प्रयासरत रहता है। कूटनीति मूलतः उन विधियों का समुच्चय हैं जिनके आधार पर कोई भी राज्य अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए अन्य राज्यों के साथ संबंधों का निर्वाह करता है। कूटनीति की प्रासंगिकता राज्य के अस्तित्व के साथ बनी रहेगी क्योंकि राज्य के हितों को स्थायी बनाए रखने और समय तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने में कूटनीति की अवहेलना किसी भी परिप्रेक्ष्य में नहीं की जा सकती हैं, पर-राष्ट्र सम्बन्धों के निर्धारण में कूटनीति को उसकी आधारशिला कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बात चाहे प्राचीन राज्य और उसकी संचालन व्यवस्था की करें या फिर वर्तमान समय की, यह एक सार्वभौमिक सत्य रहा है कि कूटनीति अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को एक आदर्श रूप प्रदान करने के लिए नितांत आवश्यक है। किसी भी राजव्यवस्था में दीर्घकालिक संबंधों को स्थापित करने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि वे अपने हितों की भी साधना कर सकें और अन्य राष्ट्रों के हितों की भी प्रत्यक्ष रूप से अवहेलना न हो, यह स्थिति ही कूटनीति है। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में कूटनीति के माध्यम से स्थिरता बनाए रखने और स्वहित की साधना के संदर्भ में अनेक भारतीय विद्वानों द्वारा सिद्धांतों का निर्माण किया गया है। इसी क्रम में प्राचीन भारतीय साहित्यिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से कूटनीति के अनेकों उदाहरण दृष्टिगत होते हैं। कूटनीति का अस्तित्व राज्य के अस्तित्व के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। अतः भारतीय उप महाद्वीप में प्राचीन काल से ही यह अवधारणा चली आ रही है। मनु के अनुसार राज्य व्यवस्था के संचालन का आधार धर्माधारित था, जिसमें वे विदेश नीति हेतु

❑ शोध अध्येत्री राजनीति विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, (हि.प्र.)
❖ शोध अध्येत्री राजनीति विज्ञान विभाग, वी.एम.एल.जी. कॉलेज गाजियाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.)

दूत की नियुक्ति की व्यवस्था करते हैं। यही दूत मनुस्मृति में कूटनीतिक कार्यों का प्रणेता माना जाता था। अग्र क्रम में वाल्मीकि रामायण में भी राज्यों के आपसी संबंधों में अनेक प्रकार के कूटनीतिक मार्गों का उल्लेख मिलता है जिसमें कौशल और मिथिला राज्यों में आपसी संबंध वैवाहिक संबंधों से निर्धारित हुए। किष्किंधा एवं कौशल राज्य के मध्य मित्रता के संबंध स्वहितों के आधार पर निश्चित हुए। रामायण काल की राज्य व्यवस्था का प्रमुख आधार धर्म ही था। अतः रामायणकालीन कूटनीतिक व्यवस्था भी धर्मपरायण थी। इस के अग्रिम चरण में हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत महाभारत का अध्ययन करते हैं। महाभारत धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच की कड़ी माना जाता है। इस महाकाव्य में वर्णित शांतिपर्व इसके राजनीतिक चिंतन का प्रमुख स्रोत हैं। शान्ति पर्व राजव्यवस्था का वर्णन धर्म के आधार पर करता है, पर-राष्ट्रों के संदर्भ में यथार्थवादी कूटनीति का विस्तृत दृश्य महाभारत में दर्शित होता है, जिसमें प्रमुख विशाल साम्राज्य हस्तिनापुर के संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधीभाव के आधार पर अन्य राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध दृष्टिगत होते हैं।[1] इन छह मार्गों के अलावा पर-राष्ट्र सम्बन्धों में अन्य मार्ग भी विद्यमान थे, जैसे वैवाहिक संबंध बनाना। पांडवों को पांचाल और द्वारिका जैसे विशेष राज्यों का सहयोग इन्हीं वैवाहिक संबंधों पर आधारित संबंधों का एक उदाहरण है। आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र भी पर-राष्ट्र संबंधों के मार्गदर्शन हेतु अनेक कूटनीतिक मार्गों का उल्लेख करता है, जिसमें षाडगुण्य नीति, मण्डल सिद्धांत जैसी नीतियाँ सम्मिलित हैं।[2] प्रस्तुत शोध पत्र कौटिल्य की षाडगुण्य नीति की वर्तमान प्रासंगिकता पर आधारित है।

साहित्य समीक्षा

कौटिलीय अर्थशास्त्र[3] पुस्तक जिसके संपादक **श्यामलेश कुमार तिवारी** है के अन्तर्गत 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 150 अध्याय हैं। यह ग्रंथ प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालता हैं। मण्डलयोनि नाम का छठा अधिकरण राज्य की प्रकृतियों (अंगों) एवं शांति तथा उद्योग (मंडल सिद्धांत) के बारे में विवरण प्रस्तुत करता हैं। कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में पर राष्ट्र नीतियों से संबंधित प्रमुख अधिकरणों में छठे अधिकरण के साथ-साथ षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण भी हैं। यह छः गुणों यथा संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय तथा द्वैधीभाव आदि नीतियों को प्रस्तुत करता हैं।

बियॉन्ड यूरोसेट्रिस्मः 'कौटिल्याज रिअलिस्म एंड इंडियाज रीजनल डिप्लोमेसी'[4] यह शोध लेख **अर्शीद इकबाल दास** द्वारा लिखा गया हैं। इस शोध लेख में कौटिल्य के यथार्थवाद को लेखक ने बहुत ही तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। लेखक के द्वारा वर्णित किया गया हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के व्यवहारिक प्रयोग 2014 में बनी मोदी सरकार द्वारा किये गये हैं। मोदी सरकार से पूर्व रीजनल डिप्लोमेसी में कौटिल्य के यथार्थवाद से कुछ प्रेरणा अवश्य ली गयी परन्तु वास्तविक उदाहरण इसके मोदी कार्यकाल में ही देखे गये हैं।

एक्सप्लोरिंग इंडियाज फॉरेन पालिसी : 'फ्रॉम ड्रीम टू रिअलाइजेशन ऑफ मेजर पावर'[5] इस शोधपत्र में भारतीय विदेश नीति किस प्रकार उभरते हुए चीन के साथ सामंजस्य स्थापित कर रही है, इसका लेखक ने विश्लेषणात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया है। भारत की रूस और जापान के साथ प्रमुख साझेदारी को दर्शाते हुए प्रस्तुत शोध पत्र नवीन रूप धारण करती हुई भारतीय विदेश नीति का वर्णन करता है।

'मोदी एंड द रीइन्वेंसन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी'[6] यह पुस्तक **आयन होल** द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक 2014 से 2019 तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का एक वैचारिक तथा तथ्यात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। वर्तमान वैश्विक पटल पर भारत के एक शक्ति के रूप मे उभरने और उसकी विदेश नीति के प्रमुख पहलुओं को समझने हेतु प्रेरित करती है।

कौटिलिय अर्थशास्त्र[7] यह पुस्तक **एल.एन. रंगराजन** द्वारा संपादित और अनुवादित की गई है। इस पुस्तक में लेखक ने विदेश नीति के लगभग सभी तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया है, जिसमें राजा और राज्य, कानून और न्याय व्यवस्था का विशद् वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति में राष्ट्रीय हित और युद्ध संबंधी अनेक ऐसी कार्यवाहियों का वर्णन किया गया है, जिन पर प्रत्यक्ष रूप से कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है।

'कौटिल्य : पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड स्टेटक्राफ्ट'[8] यह शोध पत्र **प्रवीण चंद्रशेखरन** द्वारा लिखा गया है। इस शोध पत्र में कौटिल्य की युद्ध न्याय और कूटनीति का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमे मुख्य रूप से मंडल

सिद्धांत और षडगुण्य नीति की वर्तमान विदेश नीति में प्रासंगिकता को दिखाया गया है। इसके साथ साथ लेखक ने कौटिल्य का प्लेटो और मैक्यावली के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

शोध उद्देश्य : प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में वर्णित षाड्गुण्य नीति की मोदी सरकार की विदेश नीति में प्रासंगिकता का अध्ययन करना है। मोदी डॉक्ट्रिन के माध्यम से परिवर्तित भारतीय विदेश नीति के नवीन स्वरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना भी शोध पत्र में अपेक्षित है।

शोध प्रविधि : शोध कार्य के दौरान मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों शोध विधियों का प्रयोग किया गया है, अतः शोध की प्रकृति मिश्रित प्रकार की है। भारतीय विदेशनीति के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का गहन अध्ययन विश्लेषणात्मक विधि के द्वारा किया गया है। शोधकार्य की वैधता तथा विश्वसनीयता बनी रहे इसके लिए प्राथमिक स्रोतों का भी उपयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में मूलतः कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रयोग किया गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल के प्रमुख सरकारी दस्तावेजों, रिर्पोटों का विवरणात्मक अध्ययन किया गया है। शोध कार्य के दौरान अनेक द्वितीयक सामग्री का प्रयोग हुआ है। द्वितीयक सामग्री में प्रमुखतया विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, मैग्जीन, जर्नल, समाचार पत्रों, शोध पत्रों का प्रयोग किया गया है।

कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति : पर-राष्ट्र सम्बन्धों के निर्धारण में जो सिद्धांत सबसे व्यावहारिक प्रतीत होता है, वह प्राचीन भारतीय विचारक कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र के सप्तम अधिकरण में दिया है, जिसकों षाड्गुण्य नीति कहकर संबोधित किया गया है। विशाखदत्त ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्राराक्षस में चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त नामों से भी पुकारा हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि तीनों एक ही व्यक्ति के नाम थे। यह सिद्ध होता है कि राजनीति पर जो महान ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र नाम से प्रसिद्ध है उसके रचयिता, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री एवं विख्यात राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ही थे। आचार्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजव्यवस्था के अन्यान्य विषयों का वर्णन किया गया है। पर-राष्ट्र संबंधों की महत्ता के साथ-साथ, इनके निर्धारण हेतु विभिन्न नीतियों का अर्थशास्त्र में सविस्तार उल्लेख किया गया है। षाड्गुण्य नीति, पर-राष्ट्र संबंधों के निर्माण में राज्यों का विशेष मार्गदर्शन करती है। आचार्य कौटिल्य ने पर-राष्ट्र नीति के संदर्भ में षाड्गुण्य नीति का प्रतिपादन किया है।[9] विदेशनीति के संदर्भ में कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति वह सिद्धांत है जो राजा को उनके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु मार्ग प्रशस्त करती है। कौटिल्य के शब्दों में कहें तो षाड्गुण्य नीति विजीगिषु राजा का विदेशनीति के संदर्भ में मार्गदर्शन करती है। कौटिल्य षाड्गुण्य नीति मे छः गुणों की बात करते हैं जिनके माध्यम से पर-राष्ट्र सम्बन्धों को संचालित किया जाना चाहिए।

संधिविग्रहासनयानसंश्रयद्वैधीभावाः षाडगुण्यम् इत्याचार्याः[10]

आचार्य कौटिल्य की षाडगुण्य नीति के अंतर्गत यह छः गुण हैं- **संधि-** राष्ट्रीय हितों के आधार पर दो राज्यों का परस्पर मेल संधि है। **विग्रह-** दो राष्ट्रों के बीच शत्रुता के संबंधों का उत्पन्न होना विग्रह है। **आसन-** उचित समय की प्रतीक्षा हेतु विजिगीषु का शांत बने रहना आसन है। **यान**-शत्रु राज्य पर आक्रमण करना। **संश्रय-** शक्तिशाली राज्य की शरण लेना संश्रय है। **द्वैधीभाव-** समयानुसार अन्यान्य राज्यों के साथ संधि एवं विग्रह जैसी अलग-अलग नीतियों का अनुसरण करना ही द्वैधीभाव है।[11] विजिगीषु राजा के द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों, मित्र-शत्रु राष्ट्रों, शक्तिशाली एवं निर्बल राष्ट्रों के साथ संबंधों के निर्धारण में षाडगुण्य नीति से प्रेरणा प्राप्त की जाती है। इन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु अर्थशास्त्र में चार प्रकार के माध्यमों का भी उल्लेख किया गया है। यह माध्यम-साम, दाम, दंड, भेद है। षाड्गुण्य नीति अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में कूटनीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मौर्यकाल से लेकर आधुनिक समय तक राज्यों के आपसी संबंधों की आधारशिला के रूप में षाड्गुण्य नीति दर्शित होती है, जो इसकी वर्तमान प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है।

षाड्गुण्य नीति की मोदी कार्यकाल में प्रासंगिकता

कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति के सभी कूटनीतिक प्रयास राजा को पर-राष्ट्र सम्बन्धों के निर्धारण में दिशा-निर्देशित करते हैं। इनकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी राष्ट्र प्रमुखों के निर्णयों में दिखाई देती है। प्रस्तुत शोध पत्र में हम विशेषतः प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति की प्रासंगिकता को उल्लिखित करेंगे। मोदी जी के कार्यकाल में कौटिल्य की यह नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में प्रासंगिक दर्शित होती है।

संधि- पर-राष्ट्र संबंधों के निर्धारण में कौटिल्य संधि गुण को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि विजिगीषु राजा को उस राजा के साथ संधि गुण का प्रयोग करना चाहिए जो अपेक्षाकृत सबल हो, जिसके साथ विग्रह आदि अन्य माध्यम संभव न हो।[12] कौटिल्य संधि माध्यम को राष्ट्रहित की साधना का सबसे सुगम मार्ग बताते हैं। कूटनीति का प्रयोग करते हुए कौटिल्य कहते हैं यदि अपनी तथा शत्रु की हानि समकालीन तथा एक सदृश समझे तो संधि कर ले। संधि को स्थापित करने में साम, दाम, दंड, भेद आदि कूटनीतिक उपायों का भी समय और परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना न्यायसंगत है।[13] संधि को परिभाषित करते हुए ऋषि कहते हैं कि जिन कार्यों को करने में बलवान शत्रु भी मित्र हो जाए उस क्रिया को संधि कहते हैं। कौटिल्य कई प्रकार की संधियों का वर्णन करते हैं जैसे आमिष संधि, पुरुषान्तर संधि, आत्मरक्षण संधि, ऑष्टपुरुष संधि, दंडोपनत संधि, परिक्रय संधि आदि प्रमुख हैं। इसी क्रम में कौटिल्य वर्णित करते हैं कि राजा को उस परिस्थिति में भी संधि कर लेनी चाहिए जब वह दूसरे शत्रु राजा से कमजोर हो और उसे अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो। कौटिल्य संधि माध्यम का प्रयोग उस अर्थ में कहते हैं कि जिससे अनावश्यक युद्ध से बचा जा सके और कमजोर राष्ट्र को भी संरक्षण प्राप्त हो सके। कौटिल्य की संधि नीति की प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी देखने को मिलती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने चीन के साथ 1993 में सीमा शांति संधि संपन्न की। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाये तो वैश्विक परिदृश्य में संधि के साथ-साथ द्विपक्षीय समझौते की महत्ता भी बढ़ती जा रही है। ये द्विपक्षीय समझौते सहयोग की राजनीति के प्रतीक हैं ताकि विश्व शांति की स्थापना हो सके। मोदी कार्यकाल में भारत अनेक राष्ट्रों के साथ संधि एवं समझौते कर रहा है, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय हितों का पोषण किया जा रहा है। ओमान, इंडोनेशिया आदि राष्ट्रों के सैन्य अड्डों के इस्तेमाल के समझौते इसी क्रम में विद्यमान है। 12 दिसंबर 2015 को भारत और जापान के मध्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि हेतु द्विपक्षीय समझौता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा सकता है। वैश्विक परिदृश्य में श्रम के दीर्घकालिक हितों को देखते हुए भारत कुछ राष्ट्रों के साथ भी संधि कर रहा है जैसे दिसंबर 2019 में भारत और ओमान के मध्य समुद्री यातायात को लेकर एक द्विपक्षीय समझौता संपन्न किया गया।[14] 18 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता, सी.ई.पी.ए. (कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट) किया गया, जो संधि के रूप में दोनों राष्ट्रों के व्यापारिक हितों की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोदी कार्यकाल की नीतियां कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति से प्रेरित प्रतीत होती हैं।

विग्रह- कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार विग्रह का तात्पर्य दो राष्ट्रों के मध्य अपकार के संबंधों के होने से है, अर्थात् राष्ट्रों के मध्य शत्रुता के संबंधों का होना। विग्रह का अर्थ मूलतः युद्ध ही माना जाता है। विग्रह राजा को तब ही करना चाहिए जब वह अपनी शक्ति को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हों। राजा के राज्य में कोई आंतरिक अशांति न हो और राज्य के लोगों में राष्ट्रभक्ति चरम पर हो अर्थात वे युद्ध के लिए आठो पहर तैयार हों।[15] विग्रह अपनी शक्ति में वृद्धि करने के लिए किया जाता है अर्थात शक्ति प्रदर्शन के लिए भी विग्रह को अपनाया जा सकता है। कौटिल्य का कथन है कि विग्रह अपेक्षाकृत स्वयं से निर्बल राष्ट्रों पर ही उपयोग में लाया जा सकता है। कौटिल्य स्पष्ट शब्दों में राजा को चुनौती देते हैं कि बलवान राजा के साथ विग्रह की नीति नहीं अपनानी चाहिए नहीं तो यह सर्वनाश का कारण भी बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति के द्वितीय माध्यम विग्रह का प्रयोग भी कई परिस्थितियों में किया गया है। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है जो युद्ध का प्रारंभ प्राथमिकता से नहीं करता परन्तु मोदी कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान की षड्यंत्रकारी योजनाओं का सफल प्रत्युत्तर 28 सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक एवं 26 फरवरी 2019 में एयर स्ट्राइक जैसी कार्यवाहियों के माध्यम से निर्भीकता के साथ दिया गया। राष्ट्रीय गरिमा को बनाए रखने और राष्ट्रीय शक्ति के परिचायक ये दोनों प्रयास देश के शक्ति प्रदर्शन की भावना से प्रेरित थे जो निश्चित तौर पर प्राचीन भारतीय विदेशनीति के नवीन स्वरूप को प्रदर्शित करने वाले थे। इस तरह के प्रयास विश्व पटल पर राष्ट्र शक्ति और गरिमा को संवर्धित करने वाले हैं।

यान- यान का अभिप्राय चढ़ाई करना अर्थात वास्तविक आक्रमण करना है। यान एक राजा को तब प्रयोग करना चाहिए जब उसको लगे कि शत्रु की बढ़ती ताकतों को

नियंत्रित करने का कोई उपाय शेष नहीं बचा है। शत्रु की बढ़ती ताकत स्वयं विजीगीषु राजा के राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा बनती जा रही हो और उसे रोकना नितांत आवश्यक हो, तब राजा को यान अर्थात आक्रमण कर देना चाहिए। परन्तु राजा को उससे पूर्व अपनी शक्ति के संदर्भ में भी पूर्णतः सुनिश्चित होना चाहिए और युद्ध की सभी परिस्थितियाँ अपने अनुकूल कर लेनी चाहिए। यान मूलतः वह स्थिति है जिसमें शत्रु राष्ट्र की बढ़ती ताकत को नियंत्रित करने का प्रत्यक्ष युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो।[16] इस परमाणु शक्ति संपन्न विश्व में सभी राष्ट्र युद्ध की विभीषिका से भलीभाँति परिचित हैं, परंतु कई बार परिस्थितियों के कारण प्रत्यक्ष युद्ध समय की मांग बन जाता है। इस संदर्भ में यह तथ्य भी स्मरणीय हैं कि आज के इस प्रौद्योगिक विश्व में आवश्यक नहीं है कि युद्ध केवल सामरिक हो, यह तकनीकी, आर्थिक एवं जियोपॉलिटिकल रूप में भी हो सकते है। वर्ष 2020 में चीन के साथ हुए गलवान घाटी संघर्ष में भी भारत के द्वारा सैन्य गतिविधि का प्रयोग करके चीन को कड़ा संदेश दिया गया यह स्थिति यान कूटनीतिक मार्ग को प्रदर्शित करती है। तकनीकी युद्ध के दूसरे उदाहरण में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में 267 चीनी ऐप्स को निषेध करना भी सम्मिलित किया जा सकता है।

आसन– आसन का अर्थ है तटस्थता। आसन की स्थिति भी देश काल और परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। स्थान तथा उपेक्षण ये आसन के ही पर्याय है। एक विशेष प्रकार की नीति के कारण शांत रहना, अपनी उन्नति तथा शक्ति बढ़ाने के लिए चुप बैठना तथा लड़ाई से हट जाना या लड़ते हुए भी कुछ न करना उपेक्षण कहलाता है। आसन के संदर्भ में कौटिल्य कहते हैं कि यदि राजा को यह आभास हो कि थोड़े समय उपरान्त मेरी शक्तियाँ उत्साहयुक्त तथा संगठित हो जाएंगी और मैं इन कामों को बिना किसी विघ्न के कर सकूंगा तो राजा को चुप बैठ जाना चाहिए और अपनी शक्ति संवर्धन के निरंतर प्रयास करने चाहिए।[17] आसन षाड्गुण्य नीति का एक प्रमुख कूटनीतिक प्रयास है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका सर्वप्रथम उदाहरण शीतयुद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति को माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भी वर्ष 2014 से लेकर वर्तमान समय तक भारत के द्वारा तटस्थता का प्रयोग कई विशेष अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में किया गया है, वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में भारत के द्वारा आसन कूटनीतिक मार्ग का प्रयोग किया गया क्योंकि भारत का हित संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ ईरान से भारत द्वारा चाबहार पोर्ट पर किए गए निवेश दोनों में निहित था। फरवरी 2022 से निरंतर युद्धरत यूक्रेन एवं रुस के मध्य भारत ने आसन नीति का अनुसरण किया है। अतः भारतीय हित दोनों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्धारण में है जिसके कारण भारत दोनों की आपसी लड़ाई में तटस्थ बना रहा, यह आसन कूटनीति का उपयुक्त उपयोग एवं प्रासंगिकता को दर्शाता है। 2020 में विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा चीन पर कोरोना वायरस के प्रति कटाक्ष किए गए जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अग्रणी रहे, चूँकि भारत के कुछ आंशिक आर्थिक हित चीन के साथ भी जुड़े हुए हैं, अतः कोरोना के आरोप-प्रत्यारोप में भी भारत के द्वारा आसन कूटनीतिक मार्ग का अनुसरण किया गया। ये सभी उदाहरण वर्तमान में आसन नीति की प्रासंगिकता के प्रमाण माने जा सकते हैं।

संश्रय– संश्रय का अर्थ आश्रय लेना है। संश्रय को कौटिल्य इस प्रकार व्याख्यायित करते हैं कि ऐसे शक्तिशाली राजा की शरण लेनी चाहिए जो आप को संरक्षण प्रदान करने में समर्थ हो। इसमें भी कौटिल्य दो स्थितियों का वर्णन करते हैं पहला शरण तब ग्रहण की जाए जब किसी दूसरे शत्रु राजा से भय हो, दूसरा अन्य राजा से भय के पूर्व ही शक्तिशाली राजा की शरण ले ली जाए ताकि अन्य शत्रुओं को पहले ही आभास हो जाए कि उसका साम्राज्य अर्थात वह राजा अन्य राजा के संरक्षण में है।[18] कौटिल्य के अनुसार परिस्थितियों के विपरीत होने पर यदि आवश्यकता हो तो अपने राज्य के हित हेतु शत्रु राजा का भी आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिये। आश्रय का अर्थ राष्ट्रहित में अन्य राजा का संरक्षण प्राप्त करना है। स्वतंत्रता के बाद अवश्यकता अनुसार भारत ने भी अन्य राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान किया है। वर्तमान में भारत एक सुदृढ़ वैश्विक स्थिति में है जिसके कारण वह दूरगामी लाभों को देखते हुए छोटे राष्ट्रों को संरक्षण प्रदान कर रहा है जिसमें सबसे प्रथम उदाहरण भूटान का है, जिसे आर्थिक सहयोग के साथ-साथ सामरिक संश्रय भी प्रदान किया जा रहा है। इसी कतार में श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश एवं

नेपाल सम्मिलित है। मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2021 में अनेक छोटे राष्ट्रों को कोरोना का टीका मुफ्त में प्रदान कर कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति के संश्रय मंत्र की वर्तमान प्रासंगिकता को दर्शाया है। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनेक पक्षों में इन देशों के द्वारा भारत को सहयोग प्राप्त करना इस नीति का आधार है। भारत की इस मुफ्त टीका कूटनीति में मूलतः भारत के छह पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका एवं अफगानिस्तान सम्मिलित हैं। उपर्युक्त वर्णित उदाहरण संश्रय नीति की आधुनिक महत्ता को प्रदर्शित करते हैं।

द्वैधीभाव– कौटिल्य द्वैधीभाव की महत्ता को विजीगीषु राजा के लिए इस प्रकार व्याख्यायित करते हैं कि यह एक दोहरी कूटनीति है जो राजा की शक्ति संग्रहण का सही मार्ग प्रशस्त करती है। कौटिल्य इसमें राजा को परामर्श देते हैं कि उसे समय और परिस्थितियों के अनुसार शक्तिशाली राजा से संधि और निर्बल राजा के साथ विग्रह का माध्यम अपनाना चाहिये क्योंकि दोनों ही शक्ति संग्रहण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शक्तिशाली राजा के साथ संधि संरक्षण प्रदान करती है, जिससे राजा को शक्ति संचय के लिए पर्याप्त समय और संसाधन उपलब्ध होते हैं और निर्बल के साथ विग्रह भी शक्ति संग्रहण का ही माध्यम है अर्थात इससे राजा के प्रभुत्व में वृद्धि होती है।[19] इस प्रकार द्वैधीभाव पर-राष्ट्र सम्बन्धों के निर्धारण की अत्यंत महत्वपूर्ण नीति है। षाड्गुण्य नीति की अंतिम मंत्रणा द्वैधीभाव हैं। 21वीं सदी का भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों मे द्वैधीभाव नीति का प्रयोग स्वहितों के आधार पर कर रहा है। भारत लगातार दूसरे देशों के साथ संधि और समझौते को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ समय और परिस्थितियों के आधार पर पाकिस्तान, चीन आदि देशों के साथ विग्रह के मार्ग का भी अनुसरण कर रहा है। शक्तिसम्पन्न राष्ट्रों के साथ की जा रही संधियों एवं समझौतों में सामरिक, आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्र सम्मिलित है।

मोदी कार्यकाल में इस तरह के अनेक समझौते किए जा रहे हैं जिनमें प्रमुख रूप से क्वाड समूह, भारत फ्रांस के संयुक्त युद्धाभ्यास, शक्ति, गरुड़ एवं वरुण युद्धाभ्यास, भारत रूस की सामरिक संयुक्तता एवं 5400 मिसाइल खरीद कर भारत रूस के व्यापारिक संबंध एवं पाकिस्तान को काउंटर करने हेतु अमेरिका से संबंधों की प्रगाढ़ता इत्यादि सम्मिलित है। कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति में पर-राष्ट्र सम्बन्धों के निर्धारण हेतु जो छह गुण वर्णित किए गए है उनकी प्रासंगिकता मोदी कार्यकाल में प्रत्यक्षतः दिखाई देती है।

कौटिल्य इन छः गुणों का प्रयोग करने हेतु चार साधन साम, दाम, दंड, भेद का भी वर्णन करते हैं। साम का अर्थ व्यक्तिगत व्यवहार से अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करना है। दाम आर्थिक तत्व को परिभाषित करता है जिसका वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे अधिक महत्व है। आर्थिक मदद करके किसी भी राष्ट्र के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है जिसके मोदी कार्यकाल में अनेकों उदाहरण देखे जा सकते हैं। दंड तृतीय साधन है हालांकि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है परन्तु राष्ट्र गरिमा को सुरक्षित रखने के संदर्भ में दंड प्रत्यक्ष आक्रमण का भी प्रयोग किया गया है, जिसके अनेक उदाहरण पूर्व में दिए जा चूके हैं। भेद जो अंतिम साधन है जिसका अर्थ दो राष्ट्रों में फूट डालना है।[20] उसका प्रयोग मोदी कार्यकाल में न्यूनतम ही किया गया है क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां उसके अनुकूल आचरण नहीं करती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियाँ वर्तमान भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कूटनीतिक प्रयासों को दृश्यमान कर रही हैं। इनमें यह दृष्टिगत हो रहा है कि कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। मोदी कार्यकाल में अनेक कदमों पर यह कूटनीतिक प्रयास देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य एक दूरदृष्टा साहित्य है। इसमें अनेक पहलू प्रत्येक परिस्थिति पर लागू होते हैं जिससे उनकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आज तक जितना भी वैश्विक साहित्य विद्यमान है उसमें सदैव प्रासंगिकता बने रहने वाला प्रमुखतः प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन ही है। पाश्चात्य साहित्य की अराजक नीतियाँ समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खो चुकी हैं। कौटिल्य की राजनीतिक दृष्टि अत्यंत सटीक एवं दूर तक देखने वाली थी जिसका वर्णन अर्थशास्त्र में विद्यमान है। अर्थशास्त्र के सभी सिद्धांतों में चाहे राजा के कर्तव्य हो, दूत व्यवस्था, मंडल सिद्धाँत अथवा षाड्गुण्य नीति कोई भी सिद्धाँत क्यों न हो वह आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हितों के पोषण हेतु मोदी सरकार कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति का प्रयोग उचित स्वरूप में कर रही है। देशकाल परिस्थितियाँ सदैव परिवर्तनकारी

बनी रहती हैं अतः भारतीय नीतियों एवं सिद्धाँतो को आज की परिस्थितियों के अनुरूप ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति का वर्तमान कालिक प्रयोग आज की देशकाल परिस्थितियों के अनुकूल ही किया जा रहा है। इस प्रकार वह अपनी प्रासंगिकता सदैव बनाए रखेगी। प्राचीन पर-राष्ट्र सम्बन्धों की नीति यान को स्वीकार करती है, जबकि भारत की परमाणु शक्ति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है परंतु देश काल परिस्थिति के अनुरूप भारत सुरक्षा हेतु यान का प्रयोग सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक के रूप में करके उसकी परिवर्तित रूप में प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। प्राचीन पर-राष्ट्र सम्बन्धों की नीतियाँ प्रायः स्वहित एवं साम्राज्यवाद पर आधारित थी यह स्वहित का आधार आज भी विद्यमान है साथ ही भारत वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का समर्थक है, जो भारत में छोटे राज्यों के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः उपर्युक्त वर्णित शोध पत्र के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति आज की देशकाल परिस्थितियों के अनुरूप अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है।

सन्दर्भ

1. Vedvyas, *'Mahabharat (Shantiparva)'*, (Pandit Ramnarayan Dutt Shastri Pandey) Gorakhpur: Gitapress, 2000, p. 177.
2. Gautam P.K., *'One Hundred Years of Kautilya's Arthasastra'*, New Delhi: Institute for Defence studies and Analysis, 2013, pp. 53-55.
3. Kautilya, *'Arthasastra of Kautilya'*. (S. K. Tiwari, Ed., & G. P. Shastri, Trans.) Varansi: Chaukhamba Surbharati Prakashan, 2020, Dar.
4. Arshid Iqbal, *'Beyond Eurocentrism: Kautilya's Realism and Regional Diplomacy'*, 2021, https://doi.org/10.1057/s41599-021-00888-6
5. Takenori Horimoto, *'Explaining India's Foreign Policy: From Dream to Realization of Major Power'*, International Relations of the Asia-Pacific, 2017, 17(3):463-496. 10.1093/irap/lcx011
6. Hall Ian, *'Modi And the Reinvention of Indian Foreign Policy'*, Great Britain: Bristol University Press, 2019.
7. Rangarajan, L., *'Kautilya (The Arthashastra)'*, Calcutta: Penguin books India, 1992.
8. Chandrasekaran, Pravin, *'Kautilya: Politics, Ethics and Statecraft'*, 2006, https://mpra.uni-muenchen.de/9962/.
9. Rangarajan, L.op.cit., p. 16.
10. Kautilya, op.cit., p.309.
11. Ibid, p. 309.
12. Ibid, p. 309.
13. Ibid, p. 310.
14. Abdul Vajid, K. A., *'Indo-Oman Trade Aid Economic Relation'*, Third Concept, 2021, pp. 7-12.
15. Kautilya, op.cit, p. 312.
16. Ibid, p. 312.
17. Ibid, p. 312.
18. Ibid, p. 312.
19. Ibid, p. 312.
20. Gautam P.K., op.cit, p. 52.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

स्थिति की भूराजनीतिक महत्ता : भारत एवं बांग्लादेश का दृष्टान्त

❑ सुश्री मधुश्री द्विवेदी

सूचक शब्द : भूराजनीतिक स्थिति, सापेक्षिक स्थिति, सकल घरेलू उत्पाद, व्यापारिक गुट, शीत युद्ध, विश्व शक्ति।

किसी भूभाग की स्थिति का न केवल उस भूभाग की प्रगति पर प्रभाव पड़ता है बल्कि इससे उसकी नीति और भूराजनीतिक महत्ता भी बड़ी सीमा तक प्रभावित होती है। इस विचार के परिप्रेक्ष्य में भारत के संदर्भ में बांग्लादेश के भूराजनीतिक महत्व का विश्लेषण अभीष्ट है। विश्व के बदलते भूराजनीतिक परिदृश्य में बांग्लादेश का सामरिक महत्व बड़ी तेजी से बढ़ा है। इस बढ़ते भूराजनीतिक महत्व के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारक इसकी सापेक्षिक स्थिति है। तीन तरफ से भारत से आवृत्त इसे 'इण्डिया लॉक्ड' कहा जाता है। लेकिन इस भौतिक कमी को बांग्लादेश ने सम्भावनाओं में बदल लिया है और 'लैण्ड-लिंक्ड' बन गया है। 'बांग्लादेश-लॉक्ड' भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों तक सुरक्षित पहुंचमार्ग देने के बदले में वह भारत से कई अन्य मुद्दों पर अनुकूल समझौते का दबाव डालता रहा है। भारत-बांग्लादेश की भौगोलिक अखण्डता, सांस्कृतिक और भाषायी एकरूपता भी भूराजनीतिक तत्व के रूप में काम कर रहे हैं। यह देश हिन्द महासागर की बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है जिसके कारण हिन्दमहासागर पर इसकी कमाण्डिंग स्थिति है जिसका कूटनीतिक लाभ लेने के लिए वर्तमान एवं उदीयमान शक्तियाँ बांग्लादेश से सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक साझेदारी बढ़ाने में लगे हैं। वर्तमान में चीन ने बांग्लादेश में विभिन्न परियोजनाओं में सहयोग कर घनिष्ठता बढ़ा ली है। इसके प्रतिफल में भारत सहित पाश्चात्य देश भी इस प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं। बांग्लादेश चतुराई से अपने इस सामरिक महत्व जनित संसाधनों का उपयोग देश के आर्थिक विकास में कर रहा है।

प्रत्येक भूभाग का एक अपना व्यक्तित्व होता है। यह व्यक्तित्व वहाँ उपस्थित तत्वों के लक्षणों, उन तत्वों के अर्न्तसम्बन्धों तथा उस क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से स्थानिक सम्बन्धों (spatial relations) का परिणाम होता है। इन स्थानिक सम्बन्धों का उस क्षेत्र की उन्नति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विकास की अन्य बाधाओं को प्रयत्न करके हटाया जा सकता है, परन्तु स्थानिक सम्बन्धों के प्रभावों से नहीं बचा जा सकता। स्थानिक सम्बन्ध उस क्षेत्र की स्थिति पर निर्भर होता है। ये स्थितियाँ कई तरीके से व्यक्त की जाती हैं, जिनमें ज्यामितीय स्थिति अथवा यथार्थ स्थिति, प्राकृतिक स्थिति और सापेक्षिक स्थिति मुख्य हैं। यथार्थ स्थिति अक्षांश और देशान्तर द्वारा व्यक्त की जाती है। प्राकृतिक स्थिति का अभिप्राय महाद्वीपीय तथा समुद्रीय सम्बन्धों से होता है जो मौसम के माध्यम से जनजीवन को प्रभावित करती ही है साथ ही पारगम्यता के द्वारा बाहरी क्षेत्रों से सम्पर्क की घनिष्टता भी निश्चित करती है। विभिन्न क्षेत्रों, आवागमन के मार्गों आदि के सन्दर्भ में व्यक्त की गई स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहा जाता है। यह स्थिति देश की नीति, विदेश नीति और विश्व के देशों में सापेक्षिक महत्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूभाग का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से आकार, विस्तार और आकृति भी आन्तरिक सम्भावनाओं और बाहरी सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। इन्हीं तथ्यों के संन्दर्भ में भारत की स्थिति के संदर्भ में उसके निकटतम पड़ोसी बांग्लादेश की इसके लिए महत्ता की चर्चा यहाँ की गई है।

उद्देश्य : इस आलेख का लक्ष्य बदलते वैश्विक परिदृश्य में

1. भारतीय विदेश नीति की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश की बढ़ती भूराजनीतिक महत्ता की विवेचना करना, तथा
2. इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश में नवोदित विश्व-शक्तियों की बढ़ती अभिरुचि की चर्चा करना है।

शोध पद्धति : प्रस्तुत शोध आलेख गुणात्मक विधितंत्र के फ्रेमवर्क में किया गया वर्णन एवं विश्लेषण है जिनके आधार ऐतिहासिक, दार्शनिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों पर किए गए परिसंवाद हैं। इसके लिए सूचना के द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है जिनमें

❑ शोध अध्येत्री राजनीतिशास्त्र एवं मानवाधिकार विभाग, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (मध्य प्रदेश)

पुस्तकें, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेख, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट और समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख तथा समाचार प्रमुख हैं।

भारत की स्थिति : एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में फैले तीन प्रायद्वीपों में मध्य प्रायद्वीप पर भारत देश स्थित है। इसके उत्तर, उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में हिमालय की ऊँची श्रेणियाँ हैं। दक्षिण-पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित हैं। इस तरह यह एक स्वतंत्र भौगोलिक इकाई के रूप में है। इसके आकार और विविधता के कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है जिसके अन्तर्गत भारत सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका आते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से 'दक्षिण एशिया' क्षेत्र में रखा जाता है।

प्राकृतिक स्थितिः- इसकी प्राकृतिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर-पूर्व, उत्तर और उत्तर-पश्चिम में हिमालय की श्रेणियाँ और दक्षिण में हिन्दमहासागर की शाखाएँ - अरब सागर और बंगाल की खाड़ी फैली हैं। इस विशिष्ट स्थिति के कारण भारत का पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणपूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया से सदियों से सम्पर्क रहा है। भारतीय तटरेखा की लम्बाई 6083 किलोमीटर है। तटीय सागरों का भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और संस्कृति के प्रचार-प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी विश्व के पूर्व-पश्चिम को जोड़ने वाले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग हिन्द महासागर से ही गुजरते हैं। इन मार्गों के माध्यम से एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ ही विकसित देशों की दृष्टि से भारत की केन्द्रीय स्थिति है। यह स्वेज नहर मार्ग द्वारा यूरोपीय देशों और मलक्का जल संयोजक (इण्डोनेशिया-मलेशिया के मध्य) द्वारा मध्यपूर्व से पूर्वी प्रशान्त क्षेत्र, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से सीधे जुड़ा है। विश्व का 40 प्रतिशत व्यापार मलक्का जल संयोजक से होकर होता है। भारत का 90 प्रतिशत विदेशी व्यापार, विश्व का 66 प्रतिशत कच्चे तेल का व्यापार, विश्व का 33 प्रतिशत वस्तुओं का व्यापार तथा विश्व का 50 प्रतिशत कंटेनर परिवहन इस हिन्द महासागर से गुजरता है। पेट्रोलियम के व्यापार की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का 40 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार हिन्दमहासागर के इर्द-गिर्द है। इस सामरिक महत्व को समझते हुए उपनिवेशी ब्रिटिश शासन ने हिन्द महासागर पर प्रभुत्व बना रखा था। चूँकि भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिन्द महासागर में काफी दूर अन्दर तक है, इस कारण यहाँ से इन मार्गों पर नियंत्रण रखना संभव था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तथापि भारत को हिन्द महासागर के समीप की लम्बी तटीय सीमा होने का लाभ मिल रहा है और इसका इन व्यापारिक मार्गों पर स्वाभाविक प्रभाव है। इसी स्थिति के कारण भारत विकासशील देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, तकनीकी विकास और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है।

बांग्लादेश की स्थिति : सन् 1947 में भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप वर्तमान भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। पाकिस्तान दो हिस्सों में विभक्त था जिसका पूर्वी हिस्सा 'पूर्वी पाकिस्तान' कहा जाता था जो सन् 1971 में स्वतंत्र होकर 'गणतंत्र बांग्लादेश' (संक्षेप में बांग्लादेश) बना। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती यह देश भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषायी दृष्टि से भारत का अविच्छिन्न अंग रहा है, लेकिन राजनैतिक दृष्टि से यह स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है। धर्म के आधार पर इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि यह तीन तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है और भारत के साथ इसकी स्थलीय सीमा लगभग 2400 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में पश्चिम बंगाल, उत्तर में मेघालय, पूर्व में असम, त्रिपुरा और मिजोरम स्थित हैं (चित्र 1)। इस कारण इसे 'इण्डिया लॉक्ड' देश कहा जाता है। दक्षिण में स्थित बंगाल की खाड़ी पर इसके साथ भारत और म्यांमार का साझा है।कुल 148,460 वर्ग किमी पर फैला बांग्लादेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमावर्ती देश है जिसका भारत के लिए बहुत कूटनीतिक महत्व है। सन् 2022 में इसकी जनसंख्या 16.98 करोड़ है; फलतः प्रति वर्ग किमी घनत्व 1305 व्यक्ति आता है। इस तरह यह विश्व में आठवां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के साथ सघनतम बसे देशों में एक है।

बांग्लादेश की भारत के सापेक्ष स्थिति

चित्र 1

'इण्डिया लॉक्ड' (भारत-अभिबन्द) होने से लगता है कि यह देश भारत पर अत्यधिक निर्भर होना चाहिए। लेकिन हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि बांग्लादेश की वर्तमान भूमण्डलीय राजनीति में अहम् भूमिका है। इसकी भूराजनैतिक महत्ता के कई कारण हैं जिनमें भारत की सीमा तथा बंगाल की खाड़ी पर स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस्लामिक देशों में विश्व में तीसरा बड़ा देश होना, जनसंख्या के घनत्व में विश्व का सघनतम देश और एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिद्वन्दी चीन की समीपता भी इसकी बढ़ती महत्ता के कारण हैं। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश ने अपने संसाधनों और अन्य देशों के सहयोग से तेजी से विकास कर विश्व पटल पर अपना स्तर अल्प विकसित देश से ऊपर उठाकर मध्यम विकसित श्रेणी में कर लिया है। इस विकास यात्रा में तमाम देशों का सहयोग पाने के लिए बांग्लादेश ने अपनी भूराजीतिक स्थिति का अधिकतम लाभ उठाया है। वैश्विक शक्ति का संतुलन पूर्व की ओर झुकने और दक्षिण एशिया में भूराजनीतिक परिवर्तनों के कारण इसका सामरिक महत्व बहुत तेजी से बढ़ा है। इस आलेख में इसी को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

भौगोलिक स्थिति का सामरिक महत्व

भूभाग की वास्तविक एवं सापेक्षिक स्थिति की क्षेत्र के महत्व के निर्धारण में अहम् भूमिका होती है। इसे बांग्लादेश की स्थिति से समझा जा सकता है। इन स्थितियों की देश की नीति-निर्धारण पर छाप होती है। इसे मजूमदार ने इस तरह व्यक्त किया है कि "अगर भूराजनीति को नीति-निर्धारण पर भूगोल का अनुकूलन प्रभाव माना जाय तो भारत-बांग्लादेश के सम्बन्ध इस परिभाषा का पर्याप्त औचित्य सिद्ध करते हैं"[1] वास्तव में इन दोनों देशों की पारस्परिक सम्बन्धों की नीतियों पर इस स्थिति का अमिट प्रभाव है। बांग्लादेश भारत से तीन तरफ से घिरा है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी पर इसका साझा है। साथ ही बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय आउटपोस्ट अण्डमान-निकोबार भी इसकी रेंज में आते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत इसकी अवहेलना एक सीमा से अधिक नहीं कर सकता और न ही बांग्लादेश ही इससे सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है। **बांग्लादेश के** स्थितीय महत्व का लम्बे समय से दिया जाने वाला दृष्टान्त इसके उत्तर में स्थित 'सिलीगुड़ी कॉरीडोर' का है। वास्तव में बांग्लादेश और इसके उत्तर में स्थित नेपाल, भूटान और चीन के बीच स्थित

सिलीगुड़ी कॉरीडोर भारत के मुख्य भू-भाग से उत्तरपूर्वी सात राज्यों को जोड़ने के लिए एकमात्र स्थलीय मार्ग है। देश की अखण्डता के लिए इस कारीडोर को 'रणनीतिक भेद्यता' माना जाता है। अगर किसी बाहरी अथवा आन्तरिक कारणों से यह रास्ता बन्द हो जाता है तो ये उत्तरपूर्वी राज्य मुख्य भाग से अलग हो जाएंगे। इस अर्थ में भारत का यह उत्तरपूर्वी भाग 'बांग्लादेश-लॉक्ड' (बांग्लादेश-अभिबंध) भू-भाग है। ऐसी दशा में, जैसा कि मुर्शिद का निष्कर्ष है कि 'इस भाग में व्यापार और आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाने, और विशेषकर इसे शेष देश के समीप लाने के लिए' एक ही विकल्प बचता है, वह है बाग्लादेश होकर पारगमन मार्ग प्राप्त करना।[2] सन् 1962 के भारत-चीन युद्ध के समय चीन ने आवागमन के इस मार्ग को काट देने की धमकी दी थी जिस कारण इस भाग को जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की गई।[3] और भारत ने इसके लिए बांग्लादेश से एक समझौता किया था। अस्तु भारत का बांग्लादेश होकर पारगमन अधिकार का विशिष्ट भूराजनीतिक महत्व है, जिस कारण बांग्लादेश ने न केवल इसे स्वीकृत करने में विलम्ब किया बल्कि अनेक तरह की शर्तें लगाता रहा। हाल में ही बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पारगमन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिससे अगरतला और आशुगंज बन्दरगाह को जोड़ा जा सका है।

भौगोलिक दृष्टि से भारत और बांग्लादेश में कोई अन्तर नहीं है और इनकी यह भौगोलिक एकरूपता इन्हें एकीकृत बनाए रख सकती हैं। उनकी भूराजनीतिक सीमाएं कृत्रिम हैं और इस कृत्रिम दो राष्ट्रों में किए गए राजनीतिक विभाजन के कारण उनकी भौगोलिक अखण्डता छिन्नभिन्न हो गई है। इसके परिणामस्वरूप शास्वत सीमा-विवाद तो उत्पन्न हुआ ही, साथ ही साझा संसाधनों के दोहन में विवाद और झगड़े होते रहे हैं। जल संसाधन एक सुन्दर उदाहरण है जिसका भारत और बांग्लादेश के बीच आज भी विवाद यह बना हुआ है और बांग्लादेश में सार्वजनिक मुद्दा बना हुआ है। कुल 54 ऐसी नदियां हैं जिनकी ऊपरी घाटी भारत में है और निचली घाटी बांग्लादेश में हैं। इन नदियों के जल के उपयोग पर भारत का भी अधिकार है, परन्तु बांग्लादेश सदैव सशंकित रहता है कि भारतीय भाग में बांध, नहर आदि बनने अथवा अन्य तरह से जल संसाधन का उपयोग करने से उनके अधिकार का हनन होता है। यह भारत और बांग्लादेश दोनों देशों की घरेलू राजनीति में बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। साथ ही दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में सर्वाधिक विवादित विषय है। इस तरह साझा संसाधनों का बंटवारा एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक कारक बना रहा है। अस्तु, जैसा कि सिकरी का मानना है कि "भूगोल यह आदेशित करता है कि भारत और बांग्लादेश के भाग्य सदैव जटिलरूप से गुथे हुए हैं और सदैव ऐसा ही रहेगा।"[4] इसी तरह रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान ('इंस्टीट्शूट फॉर डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिस') नई दिल्ली की टास्क फोर्स का मानना है कि "भूगोल की विवशता और पारस्परिक निर्भरता की मांग है कि दोनों देश साथ-साथ कार्य करें।"[5]

ऐतिहासिक काल से बांग्लादेश अविभाजित भारत का अंग था और विभाजन के वाबजूद इसकी और भारतीय सीमावर्ती राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल की संस्कृति और भाषा में समानता है। इस तरह के संयोजन को 'साफ्ट पावर' कहा जाता है।[6] इसके कारण देशों के बीच घनिष्ठता बढ़ती है। नीति-निर्धारण और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाते समय इस पर विचार किया जाता है।

राष्ट्र का आकार भी भूराजनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारत एक बड़ा राष्ट्र है और दक्षिणी एशिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परन्तु भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रीय विस्तार, विकास के स्तर, जनसंख्या के आकार और सैन्यबल में बहुत असमानता है। इस असमान दशा का प्रयोग नागरिकों में भय पैदा करने में किया गया।[7] इसे बेरी बुजन और साथियों[8] के शब्दों का उपयोग करके संक्षेप में कहा जा सकता है कि संवैधानिक तनाव दोनों ओर राष्ट्रीय पहचान के प्रतिभूतिकरण (securitisation) के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है, और सरकार को अपने स्वदेशी राजनीतिक लक्ष्य के लिए दूसरे की धमकी की अनुभूति पैदा कराना सुगम हो जाता है। 'बांग्लादेश को भय था कि भारत उसे अपना अधीनस्थ बना सकता है। बांग्लादेश के उदय और उसके बाद की दशाओं के कारण इन दोनों देशों के बीच सम्बन्ध खराब होते गए। उन्हे लगने लगा कि जो भारतीय सेना उन्हे स्वतंत्रता दिला सकती है वह विपरीत परिस्थितियों में उनके विरूद्ध भी जा सकती है। स्वाधीनता के बाद आर्थिक संकट, बंग बन्धु मुजीबुर रहमान की हत्या, और आन्तरिक अस्थिरता साथ ही आन्तरिक लोगों के विरोध

के कारण ही बांग्लादेश में भारत के प्रति संदेह की स्थिति पैदा हुई। इस सबके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा।यह दशा बेरी बुजन के इस अवलोकन से पूर्णतः मेल खाती है कि "किसी सरकार की घरेलू भय को बाहरी शक्तियों के प्रभुत्व से कभी भी पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता; इसका आशय है कि निर्बल राष्ट्रों का स्वदेशी सुरक्षा की समस्या निराशाजनक ढंग से उनके वाह्य सम्बन्धों से उलझी होती है।"[9] बांग्लादेशी नागरिकों में भाव भर दिया गया था कि अगर चीन द्वारा 'सिलीगुड़ी कॉरीडोर' अबरुद्ध किया जाता है तो उत्तरपूर्वी राज्यों को संचार के मार्ग देने के लिए उत्तरी बांग्लादेश को कुचलना भारत की विवशता होगी।[10]

भूराजनीतिक बिन्दु के रूप में सीमा

सीमा की प्रकृति का भी राजनीतिक आयाम होता है। भारत-बांग्लादेश सीमा 'रंध्रमय' (porous) तरह की सीमा है जिसके आर-पार व्यक्तियों और वस्तुओं का पारगमन आसान होता है।[11] बड़ी संख्या में अवैधानिक बांग्लादेशी प्रवासी तथा तस्कर आतंकवादी, कट्टर इस्लामिक अतिवादियों का भारत में घुसपैठ इस तरह की सीमा का परिणाम है। अवैध बांग्लादेशी प्रवासी भारत के दक्षिणपूर्वी राज्यों में घरेलू राजनीति का एक अहम् मुद्दा बन गया है। फलतः असली भारतीय नागरिकों की पहचान आवश्यक हो गई है। इस उद्देश्य से आरम्भ किया गया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का बांग्लादेश में कड़ा विरोध किया गया।

भारत और बांग्लादेश के मध्य की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 'रैडक्लिफ लाइन' कहलाती है जो इतनी जल्दी में निर्धारित की गई थी कि इसके निर्धारण में जमीनी वास्तविकता पर विचार नहीं किया गया था। कई जगह यह रेखा नदी के मध्य से निर्धारित की गई है और इस भाग में नदियाँ अक्सर अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जिससे भूभाग पर प्रतिकूल कब्जे (adverse possession) की स्थिति निर्मित होती है। जमीनी सीमा और मानचित्रीय सीमा में अन्तर होने के कारण कुल 111 भारतीय बस्तियाँ बांग्लादेश की सीमा में और 51 बांग्लादेशी बस्तियाँ भारत की सीमा में स्थित रही हैं। इससे अनेक मानवीय और प्रशासनिक समस्याएं होती रहीं हैं और दोनों देशों के बीच विवाद के मुद्दों में यह भी महत्वपूर्ण था।[12] पट्टनायक ने भारत-बांग्लादेश सीमा को 'दोषपूर्ण विरासत' कहा है जिसे स्पष्ट सीमांकन की बिगड़ती प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी माना है। सीमा पर संघर्ष और बाड़ लगाना इसी का प्रतिफल है। सन् 2015 में इन अन्तःदेशीय बस्तियों का आदान-प्रदान हो पाया।

क्षेत्रीय भूराजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन

किसी भी भूभाग का महत्व स्थिर न होकर तकनीकी विकास के साथ बदलता रहता है। उदाहरण के लिए सन् 1919 में इतिहास की भौगोलिक धुरी लेख में मैकेण्डर ने दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र को अजेय माना जिसकी अभिव्यक्ति उन्होने 'हृदयस्थल सिद्धान्त' के रूप में की। उन्होने पूर्वी यूरोप को विश्व का हृदयस्थल माना है और कहा कि जो इस हृदयस्थल पर अधिकार कर लेगा उसका अन्ततः विश्वद्वीप और विश्व पर अधिकार होगा। बाद में जल परिवहन के विकास के साथ इस स्थिति में परिवर्तन आया और इस सिद्धान्त के विपरीत स्पाइकमन ने सन् 1944 में 'रिमलैण्ड' का सिद्धान्त प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने स्थलीय शक्ति की तुलना में समुद्री शक्ति को अधिक बलवती माना है, क्योंकि यह अधिक गतिशील और इसकी पहुंच अधिक है। इन्होने भौगोलिक दशाओं को विदेश नीति का महत्वपूर्ण निर्णायक माना है।

वर्तमान में समुद्री जलमार्ग की महत्ता का बांग्लादेश एक उदाहरण है। हिन्दमहासागर के बंगाल की खाड़ी पर कमाण्डिंग स्थिति के कारण बांग्लादेश विश्व की शक्तियों के आकर्षण का केन्द्र रहा है।[13] इसका अभ्युदय उस समय हुआ जब विश्व में 'शीत युद्ध' चरम पर था। तब से अब तक कभी भी ऐसा समय नहीं था जब बांग्लादेश शक्तिशाली देशों की प्रतिद्वन्दिता में न उलझा रहा हो, चाहे वह भारत और पाकिस्तान की प्रतिद्वन्दिता हो, अथवा शीत युद्ध काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस की प्रतिद्वन्दिता हो अथवा वर्तमान में भारत सहित पश्चिमी देशों और चीन के बीच प्रतिद्वन्दिता हो।[14] समय के साथ बांग्लादेश की स्थिति के भूराजनीतिक महत्व में भी परिवर्तन आया है। इसकी सामुद्रिक स्थिति के कारण वैश्विक राजनीति में महत्व बहुत बढ़ गया है। बंगाल की खाड़ी लम्बे समय से व्यापारिक मार्गों के लिए प्रसिद्ध थी; परन्तु वर्तमान में वैश्विक राजनीति का केन्द्र बन गयी है जिसमें भारत के अलावा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की अभिरुचि बहुत बढ़ गई है। सन् 1990 के सोवियत रूस के विभाजन के बाद संयुक्त राज्य एकमात्र विश्व-शक्ति रह गया था। इसी बीच यूरोप और मध्यपूर्व की घटनाओं और वैश्विक भूराजनीति में

तेजी से हुए परिवर्तनों के कारण उदीयमान विश्व-शक्तियों में भय की मनोवृत्ति बन गयी। दक्षिण और दक्षिणपूर्वी एशिया में भारत और चीन की प्रतिद्वन्दिता बहुत बढ़ी। भारत का झुकाव संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर हो गया और चीन तथा रूस की निकटता बढ़ी। दोनों समूह इस भूभाग पर एक दूसरे के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास करते रहते हैं। अस्तु दोनों समूह सततू बांग्लादेश को अपनी झोली में रखने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश अपनी सामरिक स्थिति का लाभ उठाते हुए दोनों समूहों से संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, यद्यपि इस पर चीन का उपकार इतना बढ़ रहा है कि संतुलित स्थिति बनाए रखना कठिन हो सकता है। चीन ने हिन्द महासागर के अन्य दक्षिण एशियाई देशों से घनिष्ठता बढ़ा ली है जिससे भारत को घेरा जा सके।

बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का भूराजनैतिक प्रभाव

इसके राजनीतिक महत्व की वृद्धि का सुदृढ़ आधार इसकी अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि भी है। निर्माण के बाद दशकों तक बांग्लादेश के समाचारों में राजनीतिक हिंसा, अकाल, अभाव, गरीबी, रोग, जलवायु सम्बन्धी आपदा और इसी तरह की नकारात्मक सूचनाएं मुख्य होती थीं। देश के अन्दर शान्तिपूर्वक चल रही क्रान्ति पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था। परन्तु हाल में ही अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस पर ध्यान दिया। सी. राजा मोहन ने इसकी प्रगति के भूराजनीतिक महत्व को देखकर कहा कि "स्वतंत्रता के 50 साल बाद बांग्लादेश ने भूराजनीति में विस्फोट कर दिया है।"[15] पचास वर्षों की यात्रा में बांग्लादेश में आशातीत प्रगति हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार बांग्लादेश में सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य सन् 1980 में 24.78 अरब डालर से बढ़ कर सन् 2023 में 420.5 अरब डालर हो गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका 39वां स्थान हो गया है। घरेलू उत्पाद के मूल्य में बांग्लादेश अपने मूल देश पाकिस्तान से सन् 2019 में आगे निकल गया है। इस अवधि में औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.07 प्रतिशत हुई। यह वृद्धि दर पाकिस्तान और विश्व के औसत से काफी अधिक है। इससे पिछले चार दशकों में इसके तीव्र वृद्धि का आभास मिलता है।

इस आर्थिक विकास के साथ इसके भूराजनीतिक कद में हुई वृद्धि की कदाचित ही चर्चा हुई। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि दक्षिणी एशिया के छोटे से छोटे देश का भी सामरिक कद बढ़ा है। जैसे कि हिन्द महासागर में स्थित श्रीलंका और मालदीव में समुद्री शक्ति वाले देश- भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की अभिरुचि बढ़ी है। हिमालयीन राष्ट्र नेपाल और भूटान दिल्ली और बीजिंग के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा के अखाड़े बने हुए हैं। बांग्लादेश भी दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों का साझेदार बन गया है और इनसे सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं।

बांग्लादेश की भारतीय भूराजनीतिक गतिशीलता में भूमिका

बांग्लादेश की स्थिति के सामरिक महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसे 'भारत की मुख्य भूमि और उत्तर-पूर्वी सात राज्यों के बीच कील' माना जाता है।[16] बांग्लादेश उत्तरी भाग में इस तरह प्रक्षेपित है कि भारत के दोनों भागों को जोड़ने के लिए संकरी पेटी ही बची है जिसकी कम से कम चौड़ाई केवल 20-22 किमी है। उत्तरपूर्वी राज्य 'स्थल रुद्ध' हैं और स्वदेशी तथा विदेशी व्यापार के लिए कोलकाता बन्दरगाह का उपयोग करते हैं जहाँ पहुंचने का मार्ग बांग्लादेश होकर गुजरता है। अगर नाव्य नदियों का उपयोग कर पहुंचना चाहें तो भी बांग्लादेश होकर जाना होता है। कोलकाता बंदरगाह को सुचारुरूप से संचालित करने के लिए सभी ऋतुओं में पर्याप्त पानी आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत ने गंगा नदी पर फरक्का बैराज का निर्माण किया जिससे बांग्लादेश पहुंचने वाले जल की मात्रा घटी। फलतः गंगा-जल बंटवारा का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच लम्बे समय तक चलने वाला मुद्दा बना रहा।

भारत के स्थलीय संयोजक 'सिलीगुड़ी कॉरीडोर', जिसे 'चिकेन्स नेक' भी कहते हैं, से चीन बहुत ही समीप है तथा बांग्लादेश की 'प्रहार दूरी' के अन्दर है। चीन का डोकलाम पर अधिकार का प्रयत्न वास्तव में इसी कॉरीडोर पर नियंत्रण करने का भाग है। चीन सीधे इसमें सफल न होने पर बांग्लादेश के माध्यम से इस पर दवाब बनाए रखना चाहता है। इस दृष्टि से यह कॉरीडोर भारत का अत्यधिक संवेदनशील 'चोक प्वाइंट' है। अगम्यता के कारण इन राज्यों में लम्बे समय से विद्रोह चला आ रहा है। पुनश्च, भारत को अपनी 'लुक ईस्ट' नीति के संचालन के लिए दक्षिणपूर्वी एशियायी देशों से स्थलीय सम्पर्क आवश्यक है और इस तरह का आवागमन बांग्लादेश होकर ही सम्भव है, क्योंकि अन्य

सीमाओं पर पर्वत-श्रेणियाँ हैं।

बांग्लादेश-चीन का बढ़ता सम्बन्ध तथा बदलता भू-राजनीतिक महत्व

पिछले कुल वर्षों से बांग्लादेश और चीन के बीच मैत्री सम्बन्ध तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे चीन का व्यापारिक लक्ष्य तो है ही इनका मुख्य उद्देश्य भू-राजनीतिक है। बांग्लादेश की सामरिक महत्ता का आकलन कर चीन उससे राजनयिक, सैन्य, और आर्थिक सम्बन्ध स्थापित कर अपने पाले में करने का प्रयास कर रहा है जिससे वह दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को न केवल सीमित कर सके बल्कि शून्य कर सके। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में भारत के बाद बांग्लादेश सबसे महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था है और इस्लामिक देशों पर इसका प्रभाव है। डेविड स्कॉट ने इक्कीसवीं सदी में भारत-चीन की सुरक्षा की दशा का चित्रण करते हुए कहा है कि चीन सदैव भारत की घेरबन्दी करना चाहता रहा है और अब बांग्लादेश में पैठ बना कर और आवागमन के मार्ग निर्मित कर भारत की घेराबन्दी ही करना चाहता है।[17] बांग्लादेश और चीन के सामरिक समझौते के सामरिक उलझाव की चर्चा करते हुए सुभाष कपिला ने इसी ओर संकेत किया है।[18]

बांग्लादेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चीन ने अपने सम्पर्क-सूत्र, संयोजकता तथा स्थलीय संपर्क बढ़ा लिया है। बांग्लादेश से म्यांमार होते हुए चीन तक स्थल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव है। बांग्लादेश चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' नीति और 'मेरीटाइम सिल्क रोड' के निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। भारत सहित चीन के पश्चिमी प्रतिद्वन्दी इस वास्तविकता से सुपरिचित हैं; इसीलिए बांग्लादेश से घनिष्ट सम्बन्ध बनाने में लगे हैं।[19] फलतः बांग्लादेश का भूराजनीतिक पटल पर महत्व नगण्य से बहुत अधिक बढ़ गया है।

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश दक्षिणी एशिया और दक्षिणपूर्वी एशिया के बीच स्वाभाविक लिंक है। ढाका अब 'लैण्ड-लॉक्ड' देश न होकर 'लैण्ड-लिंक्ड' और 'रिवर-लिंक्ड' बन गया है जिनके माध्यम से यह दक्षिण एशिया और इससे बाहर के देशों से जुड़ चुका है। अपनी इस स्थिति के कारण ही यह दो व्यापारिक गुटों-क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ (सार्क) और दक्षिणपूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आशियन) के समन्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्क का अभ्युदय ही इसके प्रयास से हुआ है। अन्त में अपनी स्थिति के कारण ही यह दक्षिण एशिया के भविष्य को रूप देने में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है। क्षेत्रीय एकीकरण बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

बांग्लादेश की महत्ता भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। तदानुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को प्रगाढ़ करते हुए भूमि सीमा, जल सीमा और व्यापार विवादों को बड़ी सीमा तक सुलझाने का प्रयत्न किया है। साथ ही परिवहन, सम्पर्क, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, आदि क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया है। साथ ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ पूर्व में पनप रहे विपरीत सम्बन्ध को उत्पादक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया है। उन्होने भारत के साथ उग्रवाद से निपटने, भारतीय बाजार तक बांग्लादेश की सुविधा देने; नदी-जल के बंटवारे और सीमा विवाद को निपटाने, और सीमापर सम्पर्क सूत्र को पुनः स्थापित करने जैसे मुद्दों पर समझौता किया। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं।

निष्कर्ष : बांग्लादेश की बदलती भूराजनीतिक महत्ता उसकी भौगोलिक स्थिति के महत्व को सुस्पष्ट करती है। भारतीय भूभाग के तारतम्य में भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषायी दृष्टि से अविच्छिन्न बांग्लादेश की स्थिति की तीन विशेषताएं प्रमुख रूप से प्रभावी हैं, एक भारतीय राज्यों से घिरा होना और दूसरे, बंगाल की खाड़ी के कमाण्डिंग स्थिति में होना तथा तीसरे, दक्षिण-पूर्वी एशिया के लिए गेटवे होना। भारत से भौतिक अभिन्नता के कारण जहां साझा संसाधनों के उपभोग का विवाद शास्वत है, वहीं दोनों ओर असुरक्षा का भय है। भारत की सुरक्षा, सम्पन्नता और विकास के लिए बांग्लादेश से मैत्री सम्बन्ध आवश्यक है। यह देश के उत्तरपूर्वी भाग से जुड़ा हुआ है जो सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील है और इसे अस्थिर बनाने के लिए यह चीन, पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश द्वारा पोषित विद्रोहियों का गढ़ रहा है। यह असुरक्षा अब केवल बांग्लादेश भर से नहीं बल्कि उसके नवीन साझेदारों से भी है जो भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने नहीं देना चाहते और बांग्लादेश की धरती का उपयोग इसके लिए करना चाहते हैं। बांग्लादेश भी अपनी सामरिक महत्व को भुनाना

चाहता है। संभवतः इसीलिए 'चिकेन नेक' के विकल्प के रूप में पारगमन मार्ग देने में विलम्ब करता रहा।

दक्षिण और दक्षिणपूर्वी एशिया का संयोजक स्थल पर स्थित होने के कारण इसके माध्यम से दक्षिणी एशियायी देशों पर दृष्टि बनाए रखना आसान है। चीन ने तो बांग्लादेश सहित दक्षिणी एशिया के सभी देशों में इतना निवेश कर रखा है कि वे सभी उसके पक्षधर हो गए हैं। पाकिस्तान तो उसका पुराना ग्राहक है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव सभी देशों में चीन की उपस्थिति है जिससे भारत को चारो तरफ से घेरा जा सके। बंगाल की खाड़ी की स्थिति ने तो बांग्लादेश का भूराजनैतिक महत्व बहुत बढ़ा दिया है। विश्व के सभी शक्तिशाली देशों ने इस स्थिति का सामरिक लाभ लेने के लिए बांग्लादेश के माध्यम से इस खाड़ी पर अपने केन्द्र बना रखे हैं और बांग्लादेश के बन्दरगाहों का उपयोग कर रहे हैं। स्थितिजनित इस भूराजनीतिक महत्व को बांग्लादेश की तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था ने अधिक आकर्षक बना दिया है।

सन्दर्भ

1. शर्मा श्रीकमल, 'भारत का भूगोल' मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2021, पृ. 2-3
2. Bhardwaj, Sanjay, *'Bangladesh Foreign Policty Vis-a-Vis India'*, Stategic Analysis, Vol. 27(2), 2003, pp. 263-278
3. Majumdar, Anindya Jyoti, *'Making Sense of India–Bangladesh Relations'*, India Quarterly, 70(4), 2014, pp. 327–340. https://doi.org/10.1177/0974928414545919
4. Murshid, K.A.S., *'Transit and trans-shipment: Strategic considerations for Bangladesh and India'*,. Economic and Political Weekly, XLVI (17), 2011, pp. 43–51.
5. Mantoo, Shahnawaz Ahmad, *'India and the Strategic Importance of Bangladesh'*, Peace and Security Review, Vol.5 (9), 2013, pp. 48-57
6. Sikri, R., *'Challenge and Strategy: Rethinking India's Foreign Policy'*, Sage, New Delhi, 2009, p. 58
7. IDSA Task Force, *'India-Bangladesh Relations: Towards Convergence'*,. IDSA: New Delhi, 2011, p.11
8. Kumar, A., *'Domestic Politics of Bangladesh and India–Bangladesh Relations'*, Strategic Analysis, 38(5), 2014 652-667. https://doi.org/10.1080/09700161.2014.941214
9. Vinayaraj V.k., *'India as a Threat: Bangladeshi Perceptions'*, South Asian Survey 16 (1), 2009 pp. 101–118.
10. Barry Buzan, Ole Wæver, *'Jaap de Wilde Security: A New Framework for Analysis'*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998, p. 24
11. Barry Buzan, *'People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era'* (second edition), Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1991, p. 106
12. Majumdar, op. cit., ,p. 330
13. Ibid, p. 331
14. Pattanaik, S.S., *'India–Bangladesh Land Border: A Flawed Inheritance and a Problematic Future'*, Strategic Analysis, 35(5), 2011, pp. 745–751.
15. Siddiquee, M. A., *'Great Power Rivalry in the Indian Ocean Region and Bangladesh: Challenges and Responses'*, Journal of Bangladesh and Global Affairs, 1(02), 2022, pp. 5-34. https://www.cbgabd.org/publications/6061-2/
16. Rahman, Zillur, *'Bangladesh's Geopolitical Position Provides for Unique Opportunities'*, The Daily Star. Thur Nov 4, 2021 https://www.thedailystar.net/views/opinion/news/bangladeshs-geopolitical-position-provides-unique-opportunities-2221461
17. Raja Mohan C, *'50 Years After Independence, Bangladesh Bursts into Geopolitics'*, Future Policy, 2021, March 25 https://foreignpolicy.com/2021/03/25/bangladesh-independence-anniversary-geopolitics-india-china-pakistan-indo-pacific-quad/#cookie_message_anchor
18. Sakhawat Hussein, *'Geo-strategic Importance of Bangladesh'*, mygoldenbengal.wordpress.com (May 2014), 2014/05/31› geoGEO-STRATEGIC IMPORTANCE OF BANGLADESH
19. David Scott, *'Sino-Indian Security Predicaments for the Twenty-First Century'*, Asian Security, Volume 4 (3), 2008 pp. 244-270. 244-270. DOI: 10.1080/14799850802306468
20. Subhash Kapila, *'Bangladesh–China Defence Cooperation: Strategic Implication'*, South Asian Research Group Papers No. 582, January 14, 2003, http://www.southasiaanalysis.org/papers6/paper582.html
21. Taufiq -E- Faruque, *'Sino-Indian Geostrategic Competition: Bangladesh Perspective'*, Elk Asia Pacific Journal of Social Science, Vol. 5 (1), 2018, pp. 1-24. ISSN 2394-9392 (Online); DOI: 10.16962/EAPJSS/issn. 2394-9392/2015.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

मुगलकालीन गुजरात में प्रमुख व्यापारिक समुदायों एवं व्यापारियों की व्यापार एवं जहाजरानी के विकास में भूमिका

❑ विकास कुमार

सूचक शब्द : गुजरात, बंदरगाह, जहाज, व्यापार, वाणिज्य, बनिया, वोहरा, घांची, चलेबी, पारसी, मेनन, खोजस, शान्तिदास जौहरी, वीरजी वोहरा, अब्दुल गफूर।

प्रस्तुत आलेख में मुगलकालीन गुजरात में प्रमुख व्यापारिक समुदायों एवं व्यापारियों की व्यापार एवं जहाजरानी के विकास में भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। मुगलकालीन गुजरात में व्यापारियों के प्रमुख वर्गों एवं उनके उपवर्गों के प्रकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही उनका सकेंद्रण गुजरात में किन-किन क्षेत्रों में था? और वह कौन-कौन से व्यापारों में संलग्न थे? एवं उनकी व्यापार में क्या स्थिति थी? इसका विस्तृत उल्लेख भी आलेख में हुआ है। आलेख के दूसरे भाग में मुगलकालीन गुजरात के प्रमुख व्यापारियों, शान्तिदास जौहरी, वीरजी वोहरा और अब्दुल गफूर का वर्णन विशेष सन्दर्भों में किया गया है और यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि उनकी समकालीन गुजराती अर्थव्यवस्था, व्यापार, वाणिज्य एवं जहाजरानी के क्षेत्र में क्या भूमिका थी? मुगल बादशाहों से उनके सम्बन्ध कैसे थे? और व्यापारिक गतिविधियों के सन्दर्भ में यूरोपियों की तुलना में उनकी स्थिति कैसी थी? आलेख के मूल्यांकन में गुजरात में जहाजों की संख्या एवं व्यापार पर भारतीय व्यापारियों के एकाधिकार का उल्लेख किया गया है और यह वर्णित किया गया है कि कैसे यूरोपियों द्वारा व्यापार पर एकाधिकार करने के बाद भारतीय जहाजरानी का पतन हो गया एवं भारत एक स्वतंत्र देश से पराधीन देश में परिवर्तित हो गया।

भारतीय इतिहास में प्रारम्भ से ही गुजरात की पहचान एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में रही है। यह अपने विभिन्न उद्योगों जैसे जहाज निर्माण, कपास, रेशम, नील, कागज इत्यादि के लिए विश्व में विख्यात रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास सिन्धु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्यों में भी गुजरात का उल्लेख एक प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापार-वाणिज्य के केन्द्र के रूप में मिलता है। सिन्धु घाटी सभ्यता से ही गुजरात का सम्बन्ध हमें जहाजरानी से प्राप्त होता है। रणवीर चक्रवर्ती के अनुसार “गुजरात में लोथल के नगर विन्यास के आधार पर इसकी प्रधान बन्दरगाह के रूप में पुष्टि सम्भव है।”[1]

मध्यकाल में अबुल फजल द्वारा रचित आइने-अकबरी से हमें गुजरात के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होती है। मध्यकालीन गुजरात बुरहानपुर से जगत तक के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। गुजरात के पूर्व में खानदेश, उत्तर में जालौर और ईदर, दक्षिण में दमन और कैम्बे के बन्दरगाह तथा पश्चिम समुद्र स्थित था। “इसके सम्पूर्ण क्षेत्र में छोटे-बड़े पहाड़ स्थित थे। उत्तर में माउण्ट पावा, लुनवारा, सनथ, बांसवाडा एवं डांगपुर के पहाड़ों का विस्तार उदयपुर तक था।”[2] नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ अपने जल से इसे सिंचित करती थीं। गुजरात की भौगोलिक विशेषताओं ने ही उसके व्यापार एवं वाणिज्य के केन्द्र के रूप में विकसित होने के लिए एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

व्यापार एवं वाणिज्य का केन्द्र होने के कारण व्यापारियों के विभिन्न समुदायों का उल्लेख हमें गुजरात से प्राप्त होता है, जहाँ पर व्यापार एवं वाणिज्य में इनकी व्यापक भागीदारी थी। गुजराती व्यापारियों की ख्याति विश्वभर में थी, वे अपनी ईमानदारी और व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे। टाम पीरेज[3] नामक एक समकालीन यात्री के अनुसार गुजराती व्यापारियों का व्यापारिक गतिविधियों में ज्ञान इतालवी व्यापारियों के ही समान था। वह व्यापारिक गतिविधियों में होने वाले लेन-देन का ब्यौरा रखने में अत्यन्त ही कुशल थे। इस कारण वह कैम्बे के काइरो व्यापारियों से भी श्रेष्ठ थे।

‘स्टींसगार्ड’ ने हिन्द महासागर में गुजरात की स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है कि “1600 के आस-पास हिन्द महासागर के व्यापारिक ताने-बाने पर गुजरात ने अपनी केन्द्रीय स्थिति कायम

❑ शोध अध्येता मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

रखी। अब भी उसकी भुजायें लाल सागर एवं दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर फैली हुयी थीं।"[4] व्यापार में अपनी प्रमुख भूमिका के कारण गुजरात में हमें विभिन्न व्यापारिक समुदायों जैसे बनिया, वोहरा, खोजस, पारसी, मेमन, घांची, चलेबिस, यूरोपीय इत्यादि का उल्लेख समकालीन फारसी एवं यूरोपीय ऐतिहासिक स्रोतों में प्राप्त होता है। ये व्यापारिक समुदाय मुख्य रूप से गुजरात और मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के लिए आधार स्तम्भ थे। इनका व्यापार, दलाली, साहूकारी और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापक हस्तक्षेप था।

'बनिया' व्यापारिक समुदाय मुगलकालीन गुजरात में एक प्रमुख व्यापारिक समुदाय था। अबुल फजल की आइने-अकबरी में इनके बारे में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है। "वैश्य एक जाति जिसे वनिक (वणिक) के रूप में जाना जाता है। सामान्य रूप से उनको 'बनिया' कहा जाता है और अरबी में इन्हें 'बक्काल' के रूप में जाना जाता था।"[5] प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार "संस्कृत शब्द वनिक का अर्थ मुख्य रूप से व्यापारी है। जबकि बनिया के पर्याय के रूप में भारतीय फारसी इतिहास लेखन में बक्काल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका भारतीय सन्दर्भ में अर्थ अनाज, व्यापारी एवं ईरानी सन्दर्भ में अर्थ 'ग्रीन ग्रासर' होता है।"[6] बनिया समुदाय को अशिनदास गुप्ता 18वीं शताब्दी में 'मोचा' के सूती कपड़े के व्यापारियों के रूप में वर्णित करते हैं। जिन्होंने अपने एक कैलेण्डर का निर्माण किया जिसका निर्धारण दीपावली पर्व एवं हिन्दुस्तानी जहाजी बेड़ों के पाल से होता था। "मोचा में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के दौरान उन्होंने एक प्रकार का यमनी डालर चला दिया। उन्होंने एक ऐसी युक्ति ढूंढ निकाली जिसके जरिये नौरोज के बाद सारा निलंबित भुगतान पूरा कर दिया जाता था। वह मक्का के पास जद्दा में भी बस गए और ऐसे ही वह जाहिद और ताईस जैसे अन्य इस्लामी नगरों में भी बस गए।"[7]

"सामान्यतः हिन्दू परम्परा में वैश्य को 'बनिया' जिसे गुजराती में 'वनिया' के रूप में वर्णित किया गया है। हिन्दू और जैन प्राचीन भारत से ही गुजरात में प्रमुख समुदाय के रूप में उपस्थित रहे हैं। उनकी पहचान, भाषा, धर्म, रीति-रिवाजों में काफी समानतायें रही हैं फिर भी जैनों का सम्बन्ध मुख्य रूप से स्थानीय और लम्बी दूरी के व्यापारियों के रूप में दिखायी पड़ता है। जैनों का उल्लेख हमें बनिया समुदाय की एक शाखा के रूप में मिलता है। जैन बनिया लोगों को 'श्रावक' एवं हिन्दू बनिया लोगों को 'मेसरी' कहा जाता था। 'मेसरी' बनिया समुदाय की धर्म में प्रगाढ़ आस्था थी। वह आमतौर पर अपने महत्त्वपूर्ण और धार्मिक कार्यों में ज्योतिषियों से परामर्श लिया करते थे। "गुजरात की आर्थिक व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों में 'बनिया' समुदाय का प्रभुत्व था।"[8] अली मोहम्मद खान "मीरात-ए-अहमदी में सामान्यतः बनिया समुदाय की चौरासी उपजातियों का उल्लेख करते हैं।"[9]

इस प्रकार जैन, ओसवाल, श्रीमाली, अग्रवाल (हिन्दू बनिया), गुज्जर, चितरोड़ा, पालीवाल इत्यादि का बनिया समुदाय की शाखाओं में प्रमुख स्थान था।

मुगलकालीन गुजरात में मुस्लिम व्यापारियों में 'वोहरा' व्यापारियों का भी प्रमुख स्थान था। उन्होंने अरब (फारस) के साथ अपने सम्बन्धों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। अपनी व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों के कारण मुगल दरबार एवं स्थानीय मुगल प्रशासन पर उनका व्यापक प्रभाव था। वोहराओं की हमें विभिन्न उपजातियों के सन्दर्भ मिलते हैं। वोहरा मुख्य रूप से सुन्नी एवं शिया शाखाओं में विभाजित थे। परन्तु कहीं-कहीं पर हमें हिन्दू वोहराओं का भी उल्लेख मिलता है किन्तु मुख्य व्यापारिक समुदाय के रूप में सुन्नियों का ही प्रभुत्व था। "सुन्नी बोहरा गुजरात के मूल निवासी थे, मुख्य रूप से उनका सम्बन्ध व्यापार और कृषि से था।"[10] भड़ौच जिले में उनकी संख्या सर्वाधिक थी। इसके साथ ही वह सूरत, बड़ौदा, खेड़ा, सुवरकण्ठा जिलों में भी उपस्थित थे।

दीपक बारदोलिकर के अनुसार अहमदाबाद, सूरत, पट्टन और भड़ौच से सुन्नी बोहरा व्यापारी सूती वस्त्र, काली मिर्च, कागज, नील, घी, गुड़ और आभूषण इत्यादि का व्यापार करते थे। "सुल्तान मुजफ्फर द्वारा गुजरात पर आधिपत्य करने के बाद उनके साथ आये सुन्नी अनुयायियों ने गुजरात के शिया बोहराओं को सुन्नी सम्प्रदाय में परिवर्तित कर दिया।"[11] इनके अतिरिक्त हमें गुजरात में 'इस्माइली बोहराओं' का सन्दर्भ भी मिलता है। इस्माइली बोहरा शिया समुदाय से थे इस कारण गुजरात के सुन्नी शासकों से वह अधिक आश्रय प्राप्त नहीं कर पाये। उनके सम्बन्ध गुजराती सुन्नी शासकों से सकारात्मक न होने पर भी उन्होंने स्वयं को व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से सशक्त किया।

'मीरात-ए-अहमदी' में हमें शिया बोहराओं की सात शाखाओं का भी उल्लेख मिलता है।

मीरात-ए-अहमदी से ही हमें प्रारम्भ में सुन्नी और शिया बोहराओं के बीच वैवाहिक सम्बन्धों के बारे में पता चलता है। परन्तु कालान्तर में शिराज के सैय्यद जाफर के समय से दोनों समुदाय पूर्णतः अलग हो गए। अब सुन्नियों को शियाओं पर वरीयता देकर उन्हें 'बड़े समुदाय' के रूप में परिभाषित किया गया जबकि शियाओं को 'छोटे समुदाय' के रूप में। शियाओं के नेताओं को मुल्ला कहा गया, जो कि एक विद्वान् व्यक्ति होता था। उसे जकात कर संग्रहकर्ताओं की नियुक्ति के अधिकार भी प्राप्त थे। शिया बोहराओं में इस्माइली बोहरा, अन्हिलवाड़, पाटन, दाउदी बोहरा पंचमहल, सूरत, मेहसाणा, लोटिया बोहरा, भावनगर, राजकोट, कच्छ, भुज, कैम्बे, गोहा, नवसारी, सूरत, बड़ौदा जैसे क्षेत्रों तक विस्तृत रूप से फैले थे। प्रमुख बोहरा व्यापारियों के सम्बन्ध में भी हमें समकालीन स्रोतों में जानकारियाँ मिलती हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में 1640 ई0 में शेख हामिद नामक बोहरा व्यापारी का उल्लेख हमें मिलता है। उसका व्यापार शाहजहाँ के शासनकाल में उच्चतम स्तर पर था। उसके पास 7 बड़े जहाज थे। बादशाह शाहजहाँ ने उसे 'उमदत-उत-तुज्जार' की उपाधि एवं एक लाख रुपये तक की सम्पत्ति पर कर से छूट प्रदान की। उसे उमदत-उत-तुज्जार की उपाधि प्रदान करने के लिए शाहजहाँ द्वारा एक फरमान जारी किया गया, जिस पर बादशाह शाहजहाँ, राजकुमारी जहांआरा और सूरत के मुत्सद्दी की मुहर लगी थी। शेख हामिद के पुत्र शेख मोहम्मद फजिल भी एक प्रमुख बोहरा व्यापारी थे। उन्हें भी 'उमदत-उत-तुज्जार' की उपाधि से नवाजा गया। उनकी व्यापारिक गतिविधियों एवं विद्वतापूर्ण कार्यों के लिए बादशाह फर्रूखशियर ने 1713 में सूरत की टकसाल के लिए एक फरमान जारी कर प्रतिदिन 4000 सिक्के देकर उन्हें सम्मानित किया। बोहरा व्यापारियों में सूरत के वीरजी बोहरा एवं मुल्ला अब्दुल गफूर का भी प्रमुख स्थान था। "वीरजी वोहरा मालाबार और कनारा की काली मिर्च का थोक आयातक था।"[12]

"17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध और 18वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में अब्दुल गफूर जहाजों का सबसे बड़ा मालिक था। उसके पास 20 जहाज थे, जिनकी कुल भार वहन क्षमता 9000 टन थी।"[13] उसके व्यापार को उसके पुत्र मुल्ला मोहम्मद हई एवं पौत्र मुल्ला मोहम्मद अली एवं परपौत्र अब्दुल हई मुजीजुद्दीन फतेह ने बनाये रखा। "गफूर के पौत्र मुल्ला मोहम्मद अली के सूरत के नवाब के साथ संघर्ष का उल्लेख मिलता है।"[14] 'मीरात-ए-अहमदी' के अनुसार उसके पास 3000 सैनिकों की सेना थी।[15] उसने सूरत के समीप 'अथवा' नामक एक गाँव खरीदा जिसके अन्तर्गत 'रसूलाबाद' नामक एक कस्बे का विकास किया। इस कस्बे में उसने एक किले और बन्दरगाह का निर्माण किया।

'चलेबी' गुजरात में व्यापारियों का एक अन्य प्रमुख वर्ग था। चलेबी मुख्य रूप से एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ 'अमीर' (कुलीन) अर्थात् (अल्लाह का बंदा) होता है। "चलेबी आटोमन तुर्क थे और पेशे से नाविक थे।"[16] तुर्की में उच्च वर्गों के लिए चलेबी शब्द का प्रयोग किया जाता था। हुमायूँ के शासनकाल में चलेबी भारत आए। "एक तुर्की नाविक 'सिद्दी अली रईस' 1553 में सूरत पहुँचा। वह एक कवि, लेखक, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, भूगोलवेत्ता था। उसने 'मीरात-उल- मुमालिक', 'अल मुहित', मीरात-उल-कैनात' नामक ग्रन्थ लिखे।"[17] "प्रारम्भ में एक वर्ष वह सूरत में रहा तदुपरान्त उसने गुजरात, सिन्ध, दिल्ली की यात्रा की। इस प्रकार वह पहला चलेबी था जो सूरत में अस्थायी रूप से बस गया।"[18]

17वीं शताब्दी के मध्य तक चलेबियों ने सूरत में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए और 17वीं शताब्दी के अन्त में ही उन्होंने सूरत में सरायों का निर्माण भी करवाया। चलेबियों का सबसे प्रमुख एवं प्रतिष्ठित व्यापारी मोहम्मद चलेबी था। उसे व्यापार और वाणिज्य का व्यापक अनुभव था। उसके पास 'वेलकम' नाम पानी का जहाज था। चलेबियों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए अंग्रेजी जहाजों का भी प्रयोग किया। एक अन्य चलेबी व्यापारी 'सुलेमान चलेबी' का उल्लेख भी प्राप्त होता है। उसका मुगल सुबेदार पर इतना प्रभाव था कि उसने इसका प्रयोग सूरत के बनियों से धन उगाहने के लिए किया। "सतीश चन्द्र चलेबियों के प्रमुख व्यापारी के रूप में 'अहमद चलेबी' का उल्लेख करते हैं।"[19] वहीं अशिनदास गुप्ता[20], इब्राहिम चलेबी, हुसैन चलेबी, उमर चलेबी और हाजी अहमद चलेबी को चलेबियों का प्रमुख व्यापारी बताते हैं।

हाजी अहमद चलेबी के पास अपने 8 जहाज थे। मुगल

बादशाह ने उसे 'जुब्द-उत-तुज्जार' की उपाधि प्रदान की। 'नोमान बिन हुसैन' एक और प्रमुख चलेबी व्यापारी था। उसके जहाज का नाम 'गंजावर' था। "उसके परिवार से ही सम्बन्ध रखने वाला 'उस्मान चलेबी' कई जहाजों (फुल्खा, सफीनेह) इत्यादि का मालिक था।"[21]

गुजरात में व्यापारियों की एक अन्य शाखा 'खोजस' थी। 'खोजस' एक तुर्की शब्द है लेकिन 'फारसी' में इसका उच्चारण 'खाजा' और लेखन शैली में 'ख्वाजा' के रूप में प्रयोग होता था जिसका सामान्य अर्थ 'कवि, शिक्षक और व्यापारी' के सन्दर्भ में प्रयोग होता था। खोजस मुख्य रूप से गुजरात में सौराष्ट्र, दियू (दमन क्षेत्र), अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में बसे हुए थे। यह सुन्नी मुसलमानों की ही एक शाखा थी। अपने आरम्भिक वर्षों में उन्होंने अनाज, ईंधन, सोने की कढ़ाई-बुनाई इत्यादि उद्योगों में स्वयं को संलग्न रखा। परन्तु कालान्तर में उन्होंने फर्नीचर, अनाज, अफीम, मसालों, मछली, रेशमी वस्त्रों के उद्योगों में भी अपनी स्थिति मजबूत की।

'खोजस' की ही भांति 'मेमन' भी एक प्रमुख व्यापारिक शाखा के रूप में गुजरात में उपस्थित थे। यह मुस्लिम व्यापारिक समुदायों में से ही एक थे। मेनन व्यापारियों की हमें अनेक व्यापारिक शाखाओं की जानकारी मिलती है। जैसे सिन्ध और कच्छ में कच्छी मेमन, काठियावाड़ में हलाई मेमन एवं भावनगरी मेमन, अहमदाबाद में ढोलक मेमन, दक्षिण काठियावाड़ में वेरवला मेमन।

व्यापारियों के प्रमुख वर्गों में पारसी गुजरात में प्रसिद्ध थे। इनकी उत्पत्ति आर्यों की इण्डो-यूरोपीय शाखा से मानी जाती है। शान्ति और अपने धार्मिक क्रिया-कलापों के लिए स्वतंत्रता की खोज में वह भारत आए और गुजरात में बस गए। वर्ष 636 ई0 में वह कैम्बे में आकर बस गए और कोमारी क्षेत्र में उनका विकास हुआ। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें नवसारी में 100 बीघा जमीन अनुदान में दी। गुजरात में उन्होंने खेती, फल उत्पादन, बढ़ई और बुनकर जैसे पेशेवर कामों को अपना लिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का भी निर्माण किया। सुरती घाट, गारो, तनचोई उनके द्वारा बुने गए रेशमी कपड़ों के प्रकार है, जिसमें 'गारो' और 'तनचोई' प्रकार के कपड़ों का निर्यात वह चीन को करते थे। बहुत ही निम्न स्तर पर उन्होंने बैंकिंग और दुकानदारी जैसे व्यवसायों को भी अपनाया। "नवसारी के प्रसिद्ध सुगन्धित तेल के उत्पादन पर उनका एकाधिकार था। इसकी जानकारी हमें आइन-ए-अकबरी से मिलती है।"[22]

यूरोपीय कम्पनियों की भारत में घुसपैठ से पारसियों की व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आयी और उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों एवं भारतियों के मध्य मध्यस्थ के रूप में भी भूमिका निभायी। जॉन फ्रायर[23] ने कुर्सेट जी और खुर्शीद नामक दो प्रमुख पारसी व्यापारियों का 17वीं शताब्दी में सबसे प्रसिद्ध जहाज निर्माता के रूप में उल्लेख किया है।

व्यापारियों के विभिन्न वर्गों में ही 'घांची' गुजरात में मुख्य रूप से तेल के व्यापारी थे। वह सम्पूर्ण गुजरात में फैले थे, उन्होंने स्वयं को राजपूत जनजातियों से जोड़ा। यद्यपि शहरों के नामों पर उन्हें अलग-अलग नामों से जाना गया जैसे अहमदाबादी, खंभाती, पाटनी, चंपानेरी इत्यादि। "घांचियों की सबसे बड़ी जनसंख्या बड़ौदा तथा पंचमहल के क्षेत्रों में संकेन्द्रित थी।"[24] परम्परागत रूप से घांची गोधरा के मूल निवासी थे परन्तु वह सौराष्ट्र में भी आकर बस गए।[25] उन्होंने अपने वंशानुगत व्यवसाय तिल, नारियल, अरण्डी तथा अलसी से निकाले गए तेल पर एकाधिकार बनाये रखा। परन्तु कुछ घांचियों ने अपनी जीविका का निर्वहन धन उधार देकर, अनाज, फल, सब्जी, दूध, मक्खन इत्यादि के व्यापार से भी किया। उन्होंने हिन्दू रीति-रिवाजों एवं धार्मिक क्रिया-कलापों का अनुसरण किया। वे कबीर, रामानन्द, वल्लभाचार्य के भी उपासक थे, उनकी कुल देवी मोढेरा में थीं।

हमें मुगलकालीन गुजरात में बनिया, बोहरा, चलेबी, खोजस, मेमन, पारसी और घांची जैसे व्यापारिक वर्गों का उल्लेख मिलता है। इनका संकेन्द्रण गुजरात में भिन्न-भिन्न स्थानों पर था। इन व्यापारी वर्गों की अपनी विशेषतायें थीं और ये विभिन्न प्रकार के अलग-अलग उद्योगों में संलग्न थे। अहमदाबाद में बोहराओं ने कागज उद्योग एवं जहाज निर्माण उद्योग पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। परन्तु कालान्तर में जहाज निर्माण के क्षेत्र में पारसियों ने भी अपना प्रमुख योगदान दिया। धन उधार देना एवं धन की दलाली पर बनिया वर्ग का एकाधिकार था। जैन बनिया व्यापारियों ने आभूषणों के व्यापार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। चलेबी मुख्य रूप से नाविक गतिविधियों और खोजस अनाज, ईंधन, जरी के उद्योग में संलग्न रहे। घांचियों ने तेल के व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखा।

इस प्रकार इन व्यापारिक वर्गों ने मुगलकालीन अर्थव्यवस्था

को एक आधार प्रदान किया। मुगल शासकों ने गुजरात से होने वाले लाभों के कारण उसे अपने साम्राज्य में प्राथमिकता प्रदान की। बोहराओं की गुजरात के व्यापार में बहुत ही अच्छी भागीदारी के कारण उनके सम्बन्ध मुगल शासकों से अच्छे बने रहे। मुगल शासकों द्वारा व्यापारिक वर्गों को उनकी विभिन्न प्रतिभाओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की उपाधियाँ देकर सम्मानित भी किया गया। कुछ विशेष व्यापारियों को मुगल शासकों ने 'कर' से छूट भी प्रदान की। यद्यपि इन व्यापारिक वर्गों ने व्यापार के अतिरिक्त साहित्य, पाण्डुलिपि संग्रह एवं पाण्डुलिपियों के अनुवाद और भारतीय तथा यूरोपियों के मध्य मध्यस्थ के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। इनके पास स्वयं के पानी के जहाज थे जिससे ये व्यापार करते थे। इनके जहाजों की उत्कृष्टता एवं भार वहन क्षमता के कारण यूरोपीय व्यापारियों पर उन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की एवं जहाजरानी के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

मुगलकालीन गुजरात में प्रमुख व्यापारी

मुगलकालीन गुजरात अपनी धन-सम्पदा, व्यापार-वाणिज्य और व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मुगलकालीन गुजरात में हमें व्यापार के क्षेत्र में प्रमुख व्यापारियों के उल्लेख समकालीन फारसी एवं यूरोपीय स्रोतों में दिखायी पड़ते हैं। इस काल में गुजराती व्यापारियों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों एवं उससे होने वाले लाभ के द्वारा मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान की। इस कारण इनका मुगल दरबार एवं स्थानीय प्रशासन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव दिखायी पड़ता है। मुगलकालीन गुजराती व्यापारियों में शान्तिदास जौहरी, वीरजी वोहरा और मुल्ला अब्दुल गफूर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

शांतिदास जौहरी

शान्तिदास जौहरी का सम्बन्ध मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली और आगरा के दरबारों से था। गुजराती और फारसी स्रोतों के अनुसार "मुगलकालीन शासक वर्ग द्वारा शान्तिदास जौहरी को अभूतपूर्व सम्मान एवं विशेष स्थान प्रदान किया गया।[26] मुगल दरबार में वह एक प्रमुख जौहरी और वित्तीय आपूर्तिकर्ता के रूप में थे। शान्तिदास का उत्थान बादशाह जहाँगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ। मुगल शासकों के वित्तीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उनके सम्बन्ध मुगल दरबार से बहुत ही मधुर थे। जैन कथानकों के अनुसार राजकुमार खुर्रम (शाहजहाँ) उन्हें 'मामा' कहकर पुकारते थे। बादशाह जहाँगीर ने उन्हें 'मामा' की उपाधि एवं मुगल हरम में अबाध रूप से आने-जाने की अनुमति प्रदान की। जहाँगीर द्वारा शान्तिदास को अहमदाबाद के नगर सेठ की पदवी प्रदान की गयी जिस कारण वह "अहमदाबाद के मुख्य व्यापारी समुदायों और मुगल शासकों, स्थानीय मुगल प्रशासन के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाने लगे।"[27]

"शाहजहाँ के सिंहासनारोहण के समय शान्तिदास द्वारा बादशाह को पेशकश के रूप में अरबी घोड़े भेंट किए गए। बादशाह ने उनमें से एक का चुनाव कर उसका नाम 'नजर-ए-मुबारक' रखा।"[28] बादशाह शाहजहाँ ने अपने सिंहासनारोहण के उपलक्ष्य में शान्तिदास को एक हाथी और उपहार स्वरूप एक लाख रुपये प्रदान किए। शान्तिदास एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अहमदाबाद में अनेक जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया। सरसपुर, अहमदाबाद में स्थित एक जैन मन्दिर का निर्माण उन्होंने अपने भाई वर्धमान की सहायता से 1621 ई0 में जहाँगीर के शासनकाल में शुरू करवाया जो 1625 में बनकर तैयार हुआ। मन्दिर निर्माण के 20 वर्षों के बाद जब शाहजहाँ द्वारा राजकुमार औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया तब उसने इस मन्दिर को गिराकर इसे एक मस्जिद (कुवल-उल-इस्लाम) के रूप में परिवर्तित करने का आदेश दिया।[29] शान्तिदास द्वारा राजकुमार औरंगजेब के इस आदेश के विरुद्ध मुगल दरबार में बादशाह शाहजहाँ से प्रार्थना की गयी। बादशाह शाहजहाँ द्वारा लगभग एक दर्जन फरमान राजकुमार औरंगजेब को इस सन्दर्भ में जारी किए गए कि जैन मन्दिरों एवं बंकरों को ध्वस्त कर मस्जिद में परिवर्तित करने का निर्णय वापस लिया जाये। इतिहासकार एम0एस0 कामसरेट[30] ने इन फरमानों का उल्लेख अपने लेख 'इम्पीरियल मुगल फरमान इन मुगल गुजरात' में विस्तृत रूप से किया है।

3 जुलाई, 1645 ई0 के एक शाही फरमान में गौस खां और गुजरात के अन्य प्रमुख अधिकारियों को शान्तिदास द्वारा बनवायी गयी इमारतों को पुनः स्थापित एवं ध्वस्त की गयी इमारतों के एवज में मुआवजा देने का उल्लेख है। इस फरमान से हमें यह भी ज्ञात होता है कि बादशाह ने पुनः जैन समुदाय की आराधना के लिए जैन मन्दिरों के

पुनर्निर्माण के प्रबन्ध किए। बादशाह द्वारा वोहरा समुदाय को इन मन्दिरों के अवशेष वापस लौटाने अथवा उसके एवज में भुगतान करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार बादशाह शाहजहाँ द्वारा शान्तिदास और जैन समुदाय को शाही फरमानों के माध्यम से राहत प्रदान की गयी। थीवनाट[35] हमें यह बताता है कि इस फरमान के बाद मुस्लिमों द्वारा कभी भी इस इमारत का प्रयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया गया। यह बादशाह पर शान्तिदास और जैन व्यापारियों के प्रभाव का सूचक है। बादशाह शाहजहाँ द्वारा शान्तिदास और उसके उत्तराधिकारियों को मुंजपुर परगना में शंखेश्वर गाँव सामान्य जन के हितों के लिए इजारा के रूप में प्रदान किया गया। शान्तिदास पश्चिम भारत के शक्तिशाली श्वेताम्बर जैन समुदाय के प्रतिनिधि थे। इसलिए बादशाह द्वारा उनको और उनके उत्तराधिकारियों को पवित्र जैन मन्दिरों की देख-रेख के लिए भूमि अनुदान भी प्रदान किए गए।

शाहजहाँ के अन्तिम वर्षों 1657 ई0 में उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान गुजरात के सूबेदार राजकुमार मुराद ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने बादशाहत की गद्दी तक पहुँचने के लिए सूरत के व्यापारियों से (पाँच लाख रुपये), अहमदाबाद के व्यापारियों से (पचास लाख रुपये) और (पाँच लाख पचास हजार रुपये) शान्तिदास के बेटे मानिक चन्द और भाई से ऋण के रूप में अपनी वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त किए।[32] शान्तिदास ने औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के साथ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष के दौरान उत्तर भारत की यात्रा की, तब उन्हें मुराद बख्श द्वारा पाँच लाख पचास हजार रुपये की ऋण अदायगी की जमानत के रूप में एक फरमान प्राप्त हुआ।[33] मुराद बख्श ने यह फरमान स्वयं को गुजरात में बादशाह घोषित करने के बाद शान्तिदास को जारी किया।

परन्तु औरंगजेब द्वारा मुराद को समाप्त करने के बाद उसके द्वारा लिए गए ऋण अदायगी की जिम्मेदारी स्वयं ले ली गयी और इस सन्दर्भ में शान्तिदास को एक अन्य फरमान जारी किया गया। औरंगजेब ने शान्तिदास को अहमदाबाद वापस लौटने का भी एक फरमान भेजा ताकि वह अहमदाबाद के धनी व्यापारियों को यह समझा सके कि औरंगजेब बादशाह उनके हितों में कार्य करेंगे। इस प्रकार औरंगजेब ने शान्तिदास के माध्यम से अहमदाबाद के व्यापारियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। अपने सिंहासनारोहण के बाद बादशाह औरंगजेब ने पालिताना के शत्रुंजय मन्दिरों की देखरेख के लिए भी शान्तिदास को एक फरमान के माध्यम से अनुदान प्रदान किया।

शान्तिदास जौहरी के मुगल बादशाहों से व्यक्तिगत स्तर पर सम्बन्ध थे और यह सम्बन्ध उनकी मृत्यु (1660) तक बने रहे। उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान मुराद और औरंगजेब दोनों ही उनका सहयोग प्राप्त कर बादशाहत की गद्दी तक पहुँचना चाहते थे और अन्ततः औरंगजेब ऐसा करने में सफल हुआ। वह आजीवन मुगल दरबार से सम्बन्धित रहे, एक समय जब शान्तिदास जौहरी ने मुगल दरबार में उपहारों को भेजना बन्द कर दिया तब शहजादा दाराशिकोह ने एक निशान के माध्यम से उन्हें यह याद दिलाया जिससे पुनः शान्तिदास ने मंहगे उपहार भेजकर मुगल दरबार से अपने सम्बन्धों को व्यावहारिक बनाया।

बादशाह शाहजहाँ द्वारा जब गुजरात के सूबेदार सैफ खान को मुगल दरबार में वापस बुला लिया गया तब नये सूबेदार की नियुक्ति तक शान्तिदास को गुजरात सूबे का गवर्नर बनाया गया। आमतौर पर किसी व्यापारी को इससे पहले इतने ऊँचे ओहदे पर मुगल साम्राज्य में नियुक्त नहीं किया गया था।

वीरजी वोहरा

मुगलकालीन प्रसिद्ध व्यापारी वीरजी वोहरा का सम्बन्ध भी सूरत से था। सूरत के व्यापार में प्रमुख भूमिका के कारण मुगल दरबार एवं स्थानीय मुगल प्रशासन से उनके सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ थे। ऐसे मुगल अमीर, शहजादे एवं मुगल सूबेदार जो व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे, वह व्यापार के सम्बन्ध में वीरजी वोहरा से सलाह लिया करते थे। दो प्रमुख मुगल अधिकारियों मिर्जा अरब एवं मुइजुल मुल्क के वीरजी वोहरा के साथ व्यापारिक सम्बन्धों का हमें उल्लेख मिलता है। स्थानीय मुगल अधिकारियों से अच्छे सम्बन्ध होने के कारण उसे व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में विशेष रियायतें प्राप्त हुयीं। इस कारण वीरजी वोहरा का सूरत में प्रमुख यूरोपीय अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी से भी ज्यादा प्रभाव था। शाहजहाँ के शासनकाल में उसका उत्थान हुआ। सूरत की अर्थव्यवस्था में वह एक प्रमुख स्थान रखता था। "मालाबार और कनारा की काली मिर्च का वह थोक आयातक था।"[34] उसकी व्यापारिक उत्कृष्टता

का अनुमान हम इस प्रकार लगा सकते हैं कि अधिकांश ब्रिटिश व्यापारी आगरा और सूरत के बीच बड़े भुगतानों के लिए वीरजी वोहरा की हुण्डियों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही साथ ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं कि उसने 1677 ई0 में अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एक बड़ी धनराशि उधार के रूप में दी। वीरजी वोहरा ने मुगल बादशाहों, मुगल स्थानीय प्रशासन एवं यूरोपियों के बीच मध्यस्थ के रूप में भी कार्य किया। जहाँगीर के शासनकाल के दौरान जब बादशाह जहाँगीर ने अंग्रेजों की गतिविधियों के कारण उसकी सम्पत्ति पर रोक लगा दी तब वीरजी वोहरा ने ही उनके बीच मध्यस्थता कर उनके सम्बन्धों को सामान्य स्तर पर लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

बादशाह शाहजहाँ अपने शासनकाल के अन्तिम वर्षों में बीमार पड़ गया तब गुजरात के सूबेदार उसके पुत्र मुराद बख्श ने बादशाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मुराद बख्श ने सूरत के व्यापारियों से पाँच लाख रुपये ऋण के रूप में प्राप्त किए। यह धनराशि मुराद बख्श को शहर के सभी व्यापारियों की तरफ से वीरजी वोहरा द्वारा पेश की गयी।[35] शाहजहाँ के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बने, उसने भी वीरजी वोहरा को उचित सम्मान दिया। सन् 1664 ई0 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट के दौरान मराठों ने सूरत के मुगल गवर्नर और तीन प्रमुख व्यापारियों से धन की माँग की, जिसमें वीरजी वोहरा भी सम्मिलित थे। इस घटना के बाद वीरजी वोहरा एवं अन्य व्यापारी सूरत की बेहतर सुरक्षा के लिए मुगल बादशाह औरंगजेब से सूरत शहर की बाहरी दीवार की मरम्मत के लिए प्रार्थना करने मुगल दरबार गए।

वर्ष 1669 में सूरत के काजी द्वारा कुछ बनिया समुदाय के लोगों का धर्मान्तरण कराया गया जिसका विरोध भीमजी पारेख और वीरजी वोहरा दोनों ही व्यापारियों ने मिलकर किया। इसके परिणाम स्वरूप आठ हजार व्यापारी अपने व्यापारिक संस्थाओं के साथ सूरत को छोड़कर भड़ौच चले गए, भड़ौच के मुगल अधिकारी ने उनका स्वागत किया। व्यापारियों ने सूरत के प्रशासन को यह कहकर फटकार लगायी कि गैर मुसलमान भी मुगल साम्राज्य की प्रजा हैं। वर्ष 1670 में वीरजी वोहरा की मृत्यु हो गयी। अपनी मृत्यु तक वीरजी वोहरा के सम्बन्ध मुगल बादशाह से रहे। उसने अपनी व्यापारिक दक्षता से मुगल साम्राज्य के व्यापारियों में उच्च स्थान प्राप्त किया।

मुल्ला अब्दुल गफूर

मुल्ला अब्दुल गफूर सूरत का सबसे धनी 'वोहरा' व्यापारी था। वह पट्टन के उत्तरी शहर से आकर सूरत में बस गया।[36] एक अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन[37] उसके बारे में लिखता है कि अब्दुल गफूर एक मुसलमान व्यापारी, जिससे मैं परिचित था। उसका व्यापार ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बराबर था। उसके पास 20 बड़े जहाज थे जिनकी क्षमता 300–800 टन थी। यह 10 हजार पौण्ड और कभी-कभी 25000 पाउण्ड तक सामान ले जाने की क्षमता रखते थे। उसके जहाजों से विदेशी भी अपने सामान का आयात-निर्यात करते थे।

सतीश चन्द्र के अनुसार "वह जहाजों का सबसे बड़ा मालिक था। यह उसके व्यापार के उत्कर्ष का काल था। उसके पास 20 जहाज थे जिनकी कुल भार वहन क्षमता 9000 टन थी। इस प्रकार वह सूरत में स्थित किसी भी यूरोपीय कम्पनी का मुकाबला आसानी से कर सकता था। वह मनीला से मोचा तक व्यापार करता था और अपने सभी जहाज प्रबन्धकों (नाखुदाओं) पर कठोर नियंत्रण रखता था। सूरत से अपनी यात्रा आरम्भ करते समय नाखुदाओं को व्यापार और नौवहन की दिशाओं के बारे में जो निर्देश दे दिए जाते थे उनसे वे रंचमात्र भी विचलित नहीं हो सकते थे।"[38] इस प्रकार उसका सूरत में जहाजरानी पर व्यापक रूप से नियंत्रण था। दीपक बारदोलिकर अपनी पुस्तक 'सुन्नी वोहरा' में वर्णित करते हैं कि, "वह 19 जहाजों का मालिक था और आंतरिक एवं बाह्य व्यापार सफलतापूर्वक करता था।"[39]

यूरोपीय यात्री मनूची[40] उसका उल्लेख करते हुए वर्णित करता है कि वह शताब्दी का सबसे महान व्यापारी था। सूरत में वह सबसे शक्तिशाली व्यापारी था, उसके पास स्वयं के 20 से अधिक जहाज थे। इतिहासकार बी0जी0 गोखले[41] भी अब्दुल गफूर के बारे में लिखते हैं कि गफूर का योगदान जहाजरानी के क्षेत्र में अतुलनीय था। उसके परिवार के पास 1707–1737 ई0 के मध्य 34 जहाज थे।

अशिनदास गुप्ता के अनुसार अपने प्रारम्भिक जीवन में सूरत आने से पूर्व वह एक मस्जिद में मौलाना (मुल्ला) के पद पर रह चुका था। इस कारण उसके परिवार के सदस्यों को कभी-कभी मुल्ला या मौलाना भी कहा जाता था।[42] मस्जिद से सम्बन्धित होने एवं हज यात्रा करने के कारण उसको लोग सामान्यतः मुल्ला कहकर सम्बोधित

करने लगे। हमें उसका सम्बन्ध सुन्नी वोहरा सम्प्रदाय से दिखायी पड़ता है क्योंकि सूरत के पट्टानि जमात के लोग उसे अपना पूर्वज मानते हैं। 1723 ई0 में गफूर के पोते द्वारा बनवायी गयी एक मस्जिद का उपयोग पट्टानि जमात के लोग करते थे।

मुगल बादशाह ने अब्दुल गफूर को 'मलिक-उत-तुज्जार' की उपाधि प्रदान की और उसकी एक लाख रुपये तक की सम्पत्ति को 'कर' मुक्त कर दिया। हमें ऐसे सन्दर्भ प्राप्त होते हैं कि मुगल बादशाहों और वोहरा समुदाय के मध्य सम्बन्ध हमेशा ही घनिष्ठ रहे हैं। उदाहरण स्वरूप औरंगजेब के सिंहासनारोहण के समय अहमदाबाद के काजी 'शाहजहाँ हयात'[43] जबकि ऊषा रानी बंसल के अनुसार 'सैयद-हिदायत-उल्लाह'[44] ने औरंगजेब के नाम का खुतबा यह कहकर पढ़ने से इंकार कर दिया कि पिता के जीवन रहते पुत्र बादशाह नहीं बन सकता। "तब पट्टानी के मौलाना मोहम्मद ताहिर के पौत्र अब्दुल वहाब जो कि एक वोरा थे, ने अहमदाबाद के काजी को धार्मिक वार्तालाप में पराजित करने के बाद औरंगजेब के नाम का खुतबा पढ़कर उसके सिंहासनारोहण की प्रक्रिया को पूर्ण किया।"[45] कालान्तर में औरंगजेब ने अब्दुल वहाब को साम्राज्य का प्रमुख काजी नियुक्त कर 'शेख-उल-इस्लाम'[46] का पद प्रदान किया और उसकी प्रार्थना पर बादशाह औरंगजेब ने 2000 रुपये एक जल निकाय के निर्माण के लिए प्रदान किए। अब्दुल वाहब के इस कार्य से बादशाह औरंगजेब की वोहराओं से घनिष्ठता बढ़ी और उसने उन्हें विशेष रियायत दी, जिसका सबसे ज्यादा लाभ वोहरा व्यापारियों को हुआ। वर्ष 1684 ई0 में दक्कन के अकाल के समय जब अनाज की कीमतें बहुत उच्च्य स्तर तक पहुँच गयी तब शेख-उल-इस्लाम अब्दुल वहाब के आग्रह पर ही बादशाह ने दक्कन को एक वर्ष के लिए 'कर' मुक्त कर दिया।

1670 ई0 के आस-पास गुजराती व्यापारी डचों द्वारा प्राप्त लाइसेंस से मक्का तक व्यापार किया करते थे। इस व्यापार में अब्दुल गफूर के 2 जंक जहाज और मोहम्मद चलेबी के जहाज भी सम्मिलित थे।

"मराठों की लूटमार के बावजूद गुजराती व्यापारियों ने अधिक संख्या में जहाजों का निर्माण जारी रखा। पहली बार उन्होंने अपने जहाजों को कैन्टन और मनीला भेजा। इस जहाजी बेड़े में लगभग 100 जहाज सम्मिलित थे, जिसमें 17 पर अब्दुल गफूर का नियंत्रण था जबकि मात्र दो जहाजों पर मुगल शासकों का नियंत्रण था।"[47]

17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हमें समुद्री व्यापार में कुछ नयी गतिविधियों जैसे समुद्र में जहाजों की लूटमार के सन्दर्भ मिलते हैं। "वर्ष 1684 ई0 में हमें पहली समुद्री लूट का विवरण प्राप्त होता है जिसमें अब्दुल गफूर ने अपना एक जहाज खो दिया और उसने इस लूट में अंग्रेज फैक्टर्स पर मिलीभगत का आरोप लगाया।"[48] इसी तरह वर्ष 1701 में अब्दुल गफूर के हुसैनी नामक जहाज को दमन के समुद्री लुटेरों ने लूट लिया जबकि हुसैनी लाल सागर में डचों द्वारा रक्षा किए जा रहे समुद्री बेड़े में सम्मिलित था परन्तु डचों ने उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया।[49] "डचों द्वारा ही वर्ष 1703 ई0 में मक्का में अब्दुल गफूर के जहाज 'फेज रेसन' को हिरासत में ले लिया गया। इस जहाज द्वारा ले जाये जा रहे माल की उन्होंने खोज की और प्रमुख व्यापारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को छोड़कर प्रत्येक साधारण नाविक जहाज से कुछ मात्रा में कोई न कोई वस्तु ले गया। इसमें मुख्य रूप से तांबा था जो प्रत्येक द्वारा कुछ न कुछ मात्रा में ले जाया गया।"[50] अब्दुल गफूर बहुत ही धनी व्यापारी था, उसने सौदागरपुरा में स्वयं के लिए एक भव्य भवन का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सूरत शहर के उत्तरी भाग में उसका एक सबसे सुन्दर बगीचा था और दक्षिणी भाग में निजी बन्दरगाह। वर्ष 1711 में दिलावर खान ने सूरत के सूबेदार के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले इस बगीचे में कुछ समय व्यतीत किया।

अब्दुल गफूर का एक भाई मुल्ला अब्दुल वहाब था, वह भी सूरत के अमीर व्यापारियों में से था। मुल्ला अब्दुल वहाब की पुत्री का विवाह अब्दुल गफूर के बेटे से हुआ। अब्दुल वहाब का एक पुत्र भी था, जो कि मिर्जा मोहम्मद से प्रभावित था। अब्दुल गफूर ने वहाब के बेटे पर मिर्जा मोहम्मद के प्रभाव का विरोध किया। इस तनाव के कारण मुल्ला अब्दुल वहाब बीमार पड़ गया और रसिकदास करोड़ी के अनुसार अन्ततः अब्दुल गफूर के दबाव में आकर अब्दुल वहाब ने अपनी वसीयत तैयार की जिसमें उसने अपनी सारी सम्पत्ति अपने बेटे को न देकर अपनी बेटी को प्रदान की, जिसका विवाह गफूर के बेटे से हुआ था।

अन्ततः 96 वर्ष की अवस्था में अब्दुल गफूर का निधन हो गया। उसकी मृत्यु के बाद मुगल अधिकारी हैदर

कुली खान ने इस आधार पर उसकी पच्चासी लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त कर ली, क्योंकि उसका कोई वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन अब्दुल गफूर के पुत्र मुल्ला अब्दुल हई इस मामले को मुगल न्यायालय में ले गए और गफूर के दत्तक पुत्र के रूप में अपना दावा साबित किया। मुगल बादशाह ने उनके साथ शिष्टतापूर्वक व्यवहार किया एवं 'उमदत-उत्-तुज्जार' की उपाधि के साथ कीमती वस्त्र एवं एक हाथी उपहार के रूप में प्रदान किया। बादशाह द्वारा बिना किसी क्षति के उन्हें उनकी पैतृक सम्पत्ति को वापस करने का शाही आदेश दिया गया।

इस प्रकार स्थानीय मुगल प्रशासन एवं मुगल बादशाहों पर अब्दुल गफूर एवं उसके परिवार का व्यापक प्रभाव था। मुगल प्रशासन से उसके सम्बन्धों के बारे में इतिहासकारों की अलग-अलग राय है। अशिनदास गुप्ता[51] उसकी आर्थिक गतिविधियों के लिए उसको श्रेय देते हैं। अशिनदास गुप्ता के अनुसार उसका उद्देश्य मुगल प्रशासन एवं मुगल बादशाहों पर प्रभाव स्थापित करने के बजाय धन कमाना था। मुख्य रूप से वह व्यापारी था और अपनी व्यापारिक दक्षता के कारण उसने अपार सम्पत्ति अर्जित की। मुगल प्रशासन और मुगल बादशाहों के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति का वह एक प्रमुख स्रोत था। इस कारण उसका स्थानीय मुगल प्रशासन एवं मुगल बादशाहों पर स्पष्ट प्रभाव था। उसका जहाजरानी के क्षेत्र में एकाधिकार था। हमें उसके कुछ जहाजों के नामों के सन्दर्भ भी मिलते हैं, जिनसे वह अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करता था।

मूल्यांकन : इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुगलकालीन गुजरात में प्रमुख व्यापारिक समुदायों एवं व्यापारियों की व्यापार, वाणिज्य एवं मुगलों की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में प्रमुख भूमिका रही। बनिया, वोहरा, चलेबी, खोजस, मेमन, घांची और पारसी जैसे व्यापारिक समुदायों ने विभिन्न व्यापारों पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। इस आधार पर हम इस परम्परागत अवधारणा, कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारतीय व्यापारिक समुदाय और भारतीय जहाजरानी समुद्री व्यापार में यूरोपीयों से बहुत पीछे थी, का खण्डन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय व्यापारियों एवं व्यापारिक समुदायों को समुद्री व्यापार से उखाड़ फेंकना तो दूर यूरोपीय उनके कुल व्यापार के कुछ सीमित अंश तक ही सीमित रहे। भारतीय व्यापार और भारतीय जहाजरानी का ह्रास देश में औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद ही हुआ।

अशिनदास गुप्ता अपनी कृति "इण्डियन मर्चेण्ट्स एण्ड द डिक्लाइन ऑफ सूरत (1700-1750) में हिसाब लगाते हैं कि 17वीं सदी के अन्त में सूरत का कुल सालाना कारोबार 1 करोड़ 60 लाख रुपये था जिसमें यूरोपीयों का हिस्सा मात्र 20 लाख रुपये था, जो कुल व्यापार का आठवां अंश ही था।"[52] मराठा आक्रमण के बावजूद मुगल शासकों ने समुद्री जहाजों के निर्माण में अपनी दिलचस्पी बनाये रखी। "1650 में सूरत में जहाजों की संख्या 50 थी परन्तु मुगल बादशाह ने हर साल 6 से 8 और मजबूत जहाज बनाने का आदेश दिया और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक बादशाह औरंगजेब ने इसे खत्म नहीं कर दिया। 17वीं शताब्दी की समाप्ति के समय अकेले सूरत में 112 समुद्री जहाज थे।"[53] मुगलकालीन गुजरात में हमें प्रमुख व्यापारियों एवं मुगल बादशाहों के बीच अच्छे सम्बन्धों के सन्दर्भ मिलते हैं। शान्तिदास जौहरी, वीरजी वोहरा और अब्दुल गफूर जैसे शक्तिशाली व्यापारी सदैव ही मुगल दरबार से सम्बन्धित रहे। इसका प्रमुख कारण शायद दोनों तरफ से प्राप्त होने वाले लाभ की आकांक्षा था। एक तरफ ये व्यापारी मुगल बादशाहों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे तो इसके बदले में मुगल बादशाह उनको व्यापार में विशेष रियायतें प्रदान करते थे। यह सम्बन्ध अनवरत रूप से औरंगजेब के शासनकाल तक चलता रहा। जब तक शान्तिदास जौहरी, वीरजी वोहरा और अब्दूल गफूर जैसे व्यापारी जीवित रहे तब तक गुजरात में यूरोपीय व्यापार पर अपना एकाधिकार कायम नहीं कर पाये। इन व्यापारियों की मृत्यु के बाद यूरोपियों ने गुजरात से होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर भारतीय जहाजरानी के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीय जहाजरानी का पतन होने से भारत की सामुद्रिक गतिविधियों पर यूरोपीयों का एकाधिकार हो गया और भारत एक स्वतंत्र देश से पराधीन देश में परिवर्तित हो गया।

सन्दर्भ

1. चक्रवर्ती, रणवीर. 'भारतीय इतिहास का आदिकाल' अनुवादक रमाशंकर शर्मा, ओरिएण्टल ब्लैक स्वान, हैदराबाद, 2012, पृ 51
2. Khan, Ali Muhammad. *'Mirat-i-Ahmadi' Translator M.F. Lokhandwala'*, Oriental Institute, Baroda, 1965, pp. 18
3. चन्द्र, सतीश. 'मध्यकालीन भारत' भाग-2. जवाहर पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2011, पृ0 417
4. वही, पृ0 418
5. Fazl, Abul. *'Ain-i-Akbari'* Translator Blochman and Colonel H.S. Jarrett, Volume-III, Low Price Publication, New Delhi, 2011, p. 132
6. Habib, Ifran. *'Merchant Communities in Pre-colonial India in rise of Merchant empire'* Edited by James D. Tracy, Cambridge University Press, London, 1990, p. 380
7. चन्द्र, सतीश. पूर्वोक्त, पृ0 420
8. Pearson, M.N. *'Merchants and Rulers in Gujrat'* California Press, London, 1976, p. 26
9. Khan, Ali Muhammad. *'Mirat-i-Ahmadi'* Baptist Mission Press, Calcutta, 1930, pp. 138-139
10. Bardolikar, Dipak. *'Sunni Vahora'* Bohra Publication, Karachi, 1984, p. 9
11. Khan, Ali Mohammad, op. cit., pp. 130-131
12. चन्द्र, सतीश. पूर्वोक्त, पृ0 417
13. वही, पृ0 415
14. Bardolikar, Dipak. op. cit., p. 110
15. Khan, Ali Mohammad. op. cit., pp. 457-460
16. Khan, Mohd. Afzal. *'The Chalebi Merchants at Surat 16th, 18th Centuries, Proceedings of the Indian History Congress'* Volume 40, 1979, p. 400-418
17. Ibid, p. 408
18. Ibid, p. 409
19. चन्द्र, सतीश. पूर्वोक्त, पृ0 417
20. Gupta, Ashin Das. *'Indian Merchants and the decline of Surat (1700-1750)'* Munshi Ram Manohar Lal, New Delhi, 1994, p. 204
21. Khan, Mohd. Afzal. op.cit., p. 409
22. Fazl, Abul. *'Ain-i-Akbari'* Translator Jarrett and Blochman, Volume-I, Price Publication, New Delhi, 2010, p. 193
23. Fryer, John. *'A New Account of East India and Persia 1672-1681'* Eds. William Crooke, Volume-I, Hakluyt Society, London, 1909, pp. 233
24. Misra, S.C. *'Muslim communities in Mughal Gujrat'* Munshi Ram Manohar Lal, New Delhi, 1995, p. 70
25. Ibdi, p. 70
26- Mehta, Makrand. *'Indian Merchants and Entrepreneurs in Historical Perspective'* Academic Foundation, New Delhi, 1991, p. 23
27. Ibdi, p. 127
28. Khan, Ali Muhammad. op. cit., p. 207
29. Ibid, p. 194
30. Commissariat, M.S. *'Imperial Mughal Farmans in Gujrat'* Journals of the University Bombay, IX July 1940, pp. 14-18
31. Sen, S.N. *'Indian Travels of Thevenot and Careri'* Volume-III, National Archives of India, New Delhi, 1949, p. 22
32. Khan, Ali Muhammad. op.cit., p. 211
33. Pearson, M.N. op. cit., p. 127
34. चन्द्र, सतीश. पूर्वोक्त, पृ0 417
35. Sarkar, Jadunath. *'History of Aurangzed'* Creative Media Partners, United State, 2018, pp. 298-299
36. Gupta, Ashin Das. *'Indian Merchants and the Decline of Surat (1700-1750)'* Munshi Ram Manohar Lal, New Delhi, 1994, p. 84
37. Hamilton, Cap. Alexander. *'A New Account of the East India (1688-1723)'* Asian Educational Services, New Delhi, 1995, pp.147-148
38. चन्द्र, सतीश. पूर्वोक्त, पृ0 415
39. Bardolikar, Dipak. op. cit., p. 27
40. Marucci, Nicolas. *'Storia do magor 1653-1708'* Trans. & Eds. William Irvin, Volume-III, John Murray, Albemarle Street, London, 1907, p. 127
41. Gokhale, Balkrishna Govind. *'Surat in the Seventeenth Centaury'* Popular Prakashan, Bombay, 1979, p. 127
42. Gupta, Ashin Das, op. cit., p. 200
43. Bardolikar, Dipak, op. cit., p. 36
44. बंसल, ऊषा रानी. 'मुगलकालीन सरकार तथा प्रशासनिक संरचना' विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2007, पृ0 36, 69
45. Bardolikar, Dipak, op. cit., p. 36
46. Ibid, p. 36
47. Gupta, Ashin Das. *'India and the Indian Ocean (1500-1800)'* Oxford University Press, Calcutta 1987, p. 135
48. Gupta, Ashin Das, op. cit., p. 94
49. Ibid., p. 101
50. Ibid., p. 42
51. Gupta, Ashin Das. op.cit., p. 213
52. चन्द्र, सतीश. पूर्वोक्त, पृ0 414
53. वही, पृ0 416

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं के संबंध में युवाओं का जागरूकता स्तर : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ डॉ. दिनेश कुमार

सूचक शब्द : एड्स, युवा, संस्था, जागरूकता।

एड्स की रोकथाम के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी स्तर पर अनेक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। सभी संस्थाओं का उद्देश्य एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करना एवं इस भयावह बीमारी से बचाना है। अध्ययन के अन्तर्गत केवल कुछ प्रमुख संस्थाओं का ही चुनाव किया गया है जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। युवा इस बीमारी से अधिक प्रभावित हैं। यह अध्ययन छात्र-छात्राओं पर किया गया है। इस अध्ययन का उद्देश्य एड्स के बारे में युवाओं के जागरूकता स्तर को जानना है। यह अध्ययन 200 छात्र-छात्राओं से संबंधित है। छात्र-छात्राओं में एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं के संबंध में जागरूकता का स्तर समान नहीं है लेकिन विश्लेषण और परिणामों से ज्ञात होता है कि दोनों को संस्थाओं के बारे में जानकारी है कि वे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से कार्य कर रही हैं। अतः यह सत्य है कि भारत को "पूर्णतः एड्स मुक्त" होने में अभी बहुत समय लगेगा क्योंकि अभी भी देश में कई लाख लोग एड्स से प्रभावित हैं।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एड्स की रोकथाम के लिए अनेक संस्थाएँ (सरकारी एवं गैर-सरकारी) कार्य कर रहीं हैं। इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य एड्स के प्रति लोगों को जागरुक करना व सही उपाय सुझाना है। एड्स विश्व के कई देशों में फैला हुआ है। एक अनुमान के अनुसार, इस रोग के कारण लाखों लोगों की जाने जा चुकी हैं और कुछ देशों में तो एड्स के कारण वयस्क मृत्यु दर अधिक है।[1] भारत भी इस बीमारी से अछूता नहीं है और विश्व के अन्य राष्ट्रों की तरह एड्स से प्रभावित है। एड्स की इस स्थिति को देखते हुए ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं इस बीमारी को रोकने का प्रयास कर रही हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रमुख संचारी क्षेत्रों के निवारण एवं नियंत्रण तथा परम्परागत एवं देशी चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सहायक एवं उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय तकनीकी सहायता के जरिए मौसमी रोगों के प्रकोपों तथा महामारियों के फैलाव की रोकथाम तथा नियंत्रण करने में भी सहायता करता है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में विश्व बैंक के सहयोग से भी राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष विभाग, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग तथा एड्स नियंत्रण विभाग हैं जिनमें से प्रत्येक विभाग का प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है।[2]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा 1986 में राष्ट्रीय एड्स समिति गठित की गई। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम (एनएसीपी) के कार्यान्वयन में प्रभावशाली तालमेल के लिए विभिन्न मंत्रालयों, एनजीओ और सरकारी संस्थाओं को एक साथ एकत्रित करने के उद्देश्य से यह समिति गठित की गई। यह समिति, नीति संबंधी विषयों पर निर्णय लेने वाली उच्चतम प्राधिकरण है।[3] एनएसीपी के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम। यह गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन संबंधी संचार, कण्डोम को बढ़ावा देने और एचआईवी परीक्षण तथा एंटी-रेट्रोवायरल उपचार के प्रावधान हैं।[4]

ग्रामीण क्षेत्रों में युवा लोगों और उच्च जोखिम व्यवहारों वाली जनसंख्या में बीमारी की रोकथाम और देखभाल की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनायी गयी लिंक वर्कर स्कीम एक लघुकालिक हस्तक्षेप योजना है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली महत्वपूर्ण सेवाओं में आईसीटी (Information Communication Technologies) एवं एसटीआई (Sexually Transmitted Infections) सेवाओं के लिए मरीजों को भेजा जाना, एचआईवी की

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, हे.न.ब. गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर (उत्तराखण्ड)

रोकथाम से संबंधित सूचनाओं का प्रसार एवं कण्डोम को बढ़ावा दिया जाना और अन्य सेवायें सम्मिलित हैं।[5] कण्डोम सोशल मार्केटिंग कार्यक्रम के तहत कण्डोम को वितरित किया जाता है और रक्त सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत रक्त बैंकों (1103) को सहायता दी जाती है और परामर्श एवं परीक्षण सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। एंटी रेट्रो वायरल उपचार की सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यमों का उद्देश्य सभी के लिये सशक्तिकरण एवं प्रभावकारी वातावरण के निर्माण के लक्ष्य के साथ कारगर तरीके से व्यवहार परिवर्तन करना है।

रेड रिबन एक्सप्रेस के माध्यम से एड्स के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है। इसके पहले चरण का प्रारंभ 2007 में हुआ था जिसके मध्य इस एक्सप्रेस ने 27,000 किमी. यात्रा की जिसमें 180 स्टेशन और 365 दिन सम्मिलित हैं। नाको ने इसकी सफलता की सरहाना की थी।[6]

भारत सरकार ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की स्थापना 1992 में स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यकारी निकाय के रूप में की थी। इस संगठन के चार प्रमुख कार्य हैं-पहला, निजी संस्थाओं को शीघ्र मंजूरी, वसूली, अनुमोदन और ठेके प्रदान करना; दूसरा, कार्यक्रम के घटकों के बीच निधियों को आवंटित करना; तीसरा, कार्यक्रम प्रबंधकीय दल बनाना और वरिष्ठ कार्यक्रम कर्मचारियों की नियुक्ति करना और चौथा, बोर्ड के पास सभी प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार होते हैं।

नाको अकेले एड्स बीमारी का निराकरण नहीं कर सकता है। भारत में एड्स की रोकथाम व नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच घनिष्ठ सहयोग और प्रभावी समन्वय और गैर-सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी जरूरी है। इसलिए एक बहु-क्षेत्रीय समिति गठित की गई है। इसमें उन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व है जिनका नाको और उसके कार्यक्रमों के साथ कोई भी संबंध हो सकता है। जैसे-

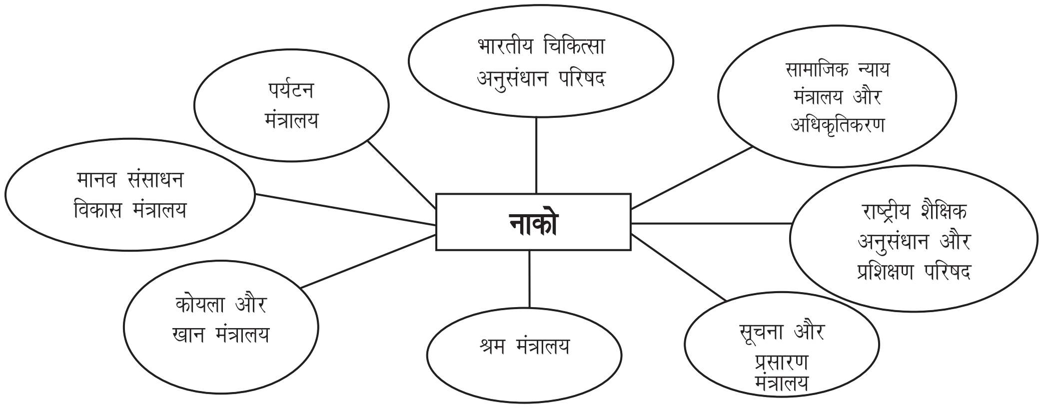

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में राज्य एड्स प्रकोष्ठ है, जो राज्य के कार्यक्रम के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अंतःक्षेत्रीय समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है।

विश्व में एड्स की रोकथाम व नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यूएनएड्स है। यह विश्व के सभी राष्ट्रों को किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान करता है, और भारत में एड्स की रोकथाम व नियंत्रण के लिए, विभिन्न पहलुओं पर भारत सरकार को भी सक्रिय रूप से सहयोग दे रहा है।

यूएनएड्स संगठन एड्स के विरुद्ध विश्वव्यापी कार्य करने वाली एजेंसियों में एक अग्रणी संगठन है। इसके चार प्रमुख कार्य हैं : पहला, एचआईवी को फैलने से रोकना; दूसरा, इस रोग से संक्रमित व प्रभावित व्यक्तियों की देखभाल व सहायता प्रदान करना; तीसरा, व्यक्तियों और समुदायों की एड्स के प्रति संवेदनशीलता को कम करना और चौथा, महामारी के सामाजिक-आर्थिक और मानव प्रभाव को कम करना।

यूएनएड्स अकेले काम नहीं करता है बल्कि इसके सातों सह-प्रायोजक संगठन संयुक्त रूप से यूएनएड्स

सचिवालय के साथ मिलकर काम करते हुए इस महामारी से लड़ने के लिए व्यापक अनुभव, प्रयास और संगत संसाधन प्रदान करते हैं।[8] यूएनएड्स के सात सह-प्रायोजक संगठन हैं, जो निम्नलिखित हैं-यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूएनडीपीसी, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, और विश्व बैंक। ये सब संगठन विश्व स्तर पर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।[9]

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल-आपात कोष विश्वभर के व्यक्तियों को नैतिक और भौतिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिशील रहता है। यह एक केंद्रित और क्रियात्मक संगठन है, जो बच्चों, युवाओं और महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है।यह संगठन प्राथमिकता के रूप में अपने कार्यक्रमों में स्वास्थ्य, स्कूल में एड्स शिक्षा, संप्रेषण, एड्स प्रभावित बच्चों और परिवारों को सहायता प्रदान करना और माँ से बच्चे में होने वाले एचआईवी संचरण की रोकथाम करना सम्मिलित है।[10]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एड्स महामारी की बढ़ती हुई जटिलताओं के प्रति अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने हेतु विभिन्न देशों को मजबूत करने और उन्हें अपनी क्षमता का विस्तार करने में सहायता प्रदान करता है और यह उन प्रयासों की सहायता पर भी बल देता है, जो समुदाय को प्रेरित करते हैं, नैतिक, कानूनी और मानव अधिकारों के लिए सहायक ढाँचा बनाते हैं, स्त्री-पुरुष के प्रति संवेदनशील होते हैं, लोगों को अपने कल्याण, स्थानीय संसाधनों की ओर आकर्षित करते हैं, और स्थानीय ज्ञान व मूल्यों के निर्माण के लिए व्यक्तियों को शक्ति संपन्न बनाते हैं।[11]

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जनसंख्या और परिवार नियोजन की जरूरतों के प्रति कार्य करने के लिए एवं ज्ञान व क्षमता निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका प्रमुख केन्द्र बिन्दु जनन स्वास्थ्य है। जिसमें सहायता, परिवार नियोजन और लैंगिक स्वास्थ्य व एचआईवी की रोकथाम जैसे अनिवार्य घटक सम्मिलित हैं। यह संस्था जनन स्वास्थ्य गतिविधियों, किशोरावस्था, सूचना, शिक्षा, संप्रेषण और सेवा प्रदान करने वालों आदि, के प्रति प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान देता है।

संयुक्त राष्ट्र औषधि (ड्रग) नियंत्रण कार्यक्रम अप्रैल, 1999 में यूएन एड्स का सह-प्रबंधक बना और इसे सभी संयुक्त राष्ट्र ड्रग नियंत्रण गतिविधियों में तालमेल और प्रभावशली नेतृत्व प्रदान करने का उत्तरदायित्व है। ऐसा मानना है कि एचआईवी ड्रग के प्रयोग द्वारा फैलता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण एचआईवी की रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हैं। इसी संदर्भ में यह संगठन एचआईवी/एड्स रोकथाम कार्यक्रमों की सहायता व अवैध मादक द्रव्यों की माँग करने वाले अपने कार्यक्रमों द्वारा रोकथाम करने में काफी सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए तैयार की गई बौद्धिक गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय तालमेल को बढ़ावा देता है, यथोचित और चिरस्थायी शांति स्थापित करने और मानव कल्याण के लिए सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार नैतिकता यूनेस्को का केंद्रीय आदेश है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्य पर दिशा-निर्देश देने वाला और समन्वय करने वाला प्राधिकरण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1986 मे एड्स पर एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया था। बाद में जिसका पुनर्नामकरण करके एड्स पर सार्वभौमिक कार्यक्रम नाम दिया गया था। इसके सृजन के साथ-साथ 1996 में इसे समाप्त कर दिया गया था। एचआईवी/एड्स और यौन संचारित संक्रमणों पर अपने नए प्रयासों के माध्यम से, डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य सेक्टर से संबद्ध क्षेत्रों में देशों को सुविज्ञता प्रदान करता है।[12]

विश्व बैंक गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को सुधारने पर विशेष ध्यान देता है। विश्व बैंक एड्स के नियन्त्रण को लेकर किसी संस्था या कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है। विश्व बैंक सीधे वित्त मंत्रालय को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है और वित्त मंत्रालय उस राशि को राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठनों को मुहैया कराता है। लेकिन विश्व बैंक उन संस्थाओं पर नजर भी रखता है जो उसकी सहायता राशि का इस्तेमाल करते हुए एड्स कार्यक्रम चलाती हैं। विश्व बैंक उनसे 'फीडबैक' भी प्राप्त करता है।[13]

साहित्य समीक्षा :

कुमार, मनोज[14] ने अपने अध्ययन (एड्स तथा सैक्सुअलटी-संवेदनशील वर्ग का एक अध्ययन) में पाया कि सैक्सुअलटी बहुत ही संवेदनशील विषय है। यह अध्ययन ट्रक ड्राईवरों तथा क्लीनरों पर किया गया था

जिसका उद्देश्य ड्राईवरों एवं क्लीनरों का एड्स के बारे में जागरूकता का स्तर ज्ञात करना था। अध्ययन के निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि ड्राईवर और क्लीनर एड्स के सम्पर्क में बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि इनमें जागरूकता का अभाव होता है। 85 प्रतिशत ड्राईवरों के असुरक्षित सेक्स संबंध थे और कॉण्डम का प्रयोग केवल 15 प्रतिशत व्यक्ति ही करते थे।

एस्टल, स्मिथ एलिसन एवं सोफिया ग्रस्किन[15] के अध्ययन का उद्देश्य एचआईवी एवं यौन-संचारित संक्रमणों से संबंधित स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार को उजागर करना था। अध्ययन से ज्ञात होता है कि जेंडर आधारित भेद-भाव से महिलाओं का जीवन प्रभावित होता है। एचआईवी/यौन-संचारित संक्रमण से ग्रस्त होने पर संवेदनशीलता बढ़ जाती है। व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करने से एचआईवी व संक्रमण की संवेदनशीलता व जोखिम को कम किया जा सकता है। निष्कर्ष से ज्ञात होता है कि एचआईवी/एड्स की महामारी के संदर्भ में लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। यह अध्ययन नेपाल के पश्चिमी कैलाली जिले के दो ग्रामीण समुदायों की 15 से 49 वर्ष की 900 विवाहित महिलाओं में एचआईवी/यौन-संचारित संक्रमणों के प्रसार का अध्ययन करने के लिए किया गया था।

डॉसेट, गैरी डब्ल्यू[16] ने जेन्डर और यौनिकता के विषय में बात की है और इनका मानना है कि विश्व में उत्पन्न विभिन्न एचआईवी/एड्स महामारियों के बारे में, जेन्डर और यौनिकता हमारी समझ और जानकारी को प्रभावित करते हैं। क्योंकि किसी भी अन्य सामाजिक संरचना या अस्थायी कारक के रूप में, जेन्डर का किसी भी महामारी पर, विशेष एवं स्पष्ट रूप से प्रभाव रहता है। इस लेख के अन्तर्गत जेन्डर की भूमिकाएं और जेन्डर संबंधी विषय, यौनिकता एवं एचआईवी/एड्स तथा सामाजिक सिद्धान्त के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।

फ्रेस्का, टिम[17] यह अध्ययन नारीवादियों और समलैंगिक पुरूषों से सम्बन्धित है। इसके अन्तर्गत लैटिन अमरीका में एड्स की महामारी पर नियंत्रण करने के प्रयासों में समलैंगिक पुरूषों और महिलाओं के गठबंधन द्वारा मिलकर प्रयास किए जाने की बात की गई है। इस लेख के माध्यम से लेखक यह विचार प्रस्तुत करना चाहता है कि यह गठजोड़ वास्तविक होने के बजाए प्रतिक्रियात्मक अधिक है। महिलाएं और समलैंगिक संबंध रखने वाले पुरूष, दोनों में ही एचआईवी संक्रमण से बाधित होने का खतरा बहुत अधिक होता है और खतरे के प्रति संवेदनशीलता की इस सूची में शीर्ष स्थान पाने के लिए खुद को अधिक संवेदनशील बताने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इस लेख में निष्कर्ष रूप में कहा गया है कि नारीवादियों द्वारा प्रतिक्रियात्मक विचार रखने और समलैंगिक पुरुषों के स्वयं को छिपाए रखने के व्यवहार के कारण उनके क्षेत्र (लैटिन अमरीका) में लंबे समय तक समलैंगिकों और नारीवादियों के बीच सहभागिताएं नहीं विकसित हो पाईं, विशेषकर ऐसी परियोजनाओं में जिनसे वास्तव में महिलाओं में एचआईवी संक्रमण के जोखिम की समस्या के समाधान मिल सकते थे।

शर्मा, ए.के.[18] के शोध-पत्र से ज्ञात होता है कि सैद्धांतिक आधार पर समाजशास्त्र एड्स जैसे भयावह रोग से सामना करने के लिए समाज को एक-जुट कर सकता है। एचआईवी/एड्स का कोई निदान नहीं है लेकिन समाज को यदि इस रोग के विषय में सही जानकारी हो जाए तो काफी हद तक इस पर रोक लगाई जा सकती है और समाज के सकारात्मक पहलू को उजागर करने का प्रयास किया जा सकता है। यदि समाज में एड्स से ग्रसित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को रोका जा सके तो काफी हद तक इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। प्रस्तुत लेख में निष्कर्ष रूप में समाजशास्त्र की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि एचआईवी/एड्स कलंक को मापने का विश्वसनीय व प्रमाणिक यंत्र तैयार करना होगा। उच्च जोखिम वाले समूहों जैसे पुरुष समलैंगिकों, महिला यौन कर्मियों, सुईं से नशा करने वाले तथा प्रवासियों के मानचित्रण की शोध प्रणाली विकसित करना तथा उनका मानचित्रण करना। गुणत्मक विधि द्वारा कलंक के गतिशील सामाजिक निरूपण का गहन अध्ययन करना। एचआईवी संबंधित सुविधाओं में सामजिक असमानता का अध्ययन करना और महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करना। एचआईवी प्रभावी व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं समुदाय व परिवार के योगदान का अध्ययन करना।

सिंह, अंजली और शिखा जैन[19] ने अपने शोध पत्र में किशोरों की एचआईवी/एड्स के बारे में जागरूकता के स्तर को जानने का प्रयास किया है। प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य स्कूल के किशोरों की एचआईवी/एड्स के

बारे में जागरूकता से संबंधित है। यह अध्ययन ग्रामीण एड्स जागरूकता कार्यक्रम के तहत किया गया था और जिसके लिए वित्त की व्यवस्था गुजरात राज्य की एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा की गई थी। एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता का यह अध्ययन पूर्णरूप से स्कूल जाने वाले ग्रामीण किशोरों से संबंधित है जिनकी आयु 15 से 24 वर्ष के बीच है। अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि स्कूल के किशोरों में एचआईवी/एड्स के विषय में कितनी जागरूकता है। इस शोध पत्र से यह स्पष्ट है कि काफी बड़ी संख्या में किशोर एचआईवी/एड्स के विषय में सही जानकारी रखते हैं लेकिन अभी भी इस बीमारी के बारे में सही ज्ञान का अभाव है।

अध्ययन का उद्देश्य : युवाओं में एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं के संबंध में जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना : छात्र-छात्राओं में एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं के संबंध में जागरूकता का स्तर समान है, उसमें कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध पद्धति : प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक शोध पर आधारित है। अध्ययन का क्षेत्र हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय का बिड़ला परिसर है जो पौड़ी जनपद के श्रीनगर शहर में स्थित है। अध्ययन का समग्र बिड़ला परिसर श्रीनगर (गढ़वाल) के दो स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ हैं। बिड़ला परिसर जिसमें अध्ययन का समग्र विद्यमान है, इसमें 10 स्कूल तथा 48 विभाग हैं अर्थात् यूनिट के तौर पर चुने गये छात्र-छात्राएँ बिड़ला परिसर में अध्ययनरत थे। अध्ययन हेतु बिड़ला परिसर श्रीनगर का चयन गैर-सम्भावना प्रतिदर्षन की सुविधात्मक निदर्शन विधि से किया गया है। छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर समस्त स्कूलों में से सुविधात्मक निदर्शन विधि से दो स्कूलों (स्कूल ऑफ साइंस और स्कूल ऑफ ह्यूमेनीटीज एण्ड सोशल साइंस) का चयन किया गया है। इन चुने गये स्कूलों में से प्रत्येक स्कूल के विभागों में अध्ययनरत अंतिम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं की कुल संख्या का 20 प्रतिशत छात्र-छात्राओं का चयन सम्भावना प्रतिदर्शन की नियमित अंकन प्रणाली के आधार पर प्रत्येक पाँचवें छात्र-छात्राओं का चयन किया गया।

अध्ययन का न्यादर्श :

न्यदर्श हेतु चयनित 320 छात्र-छात्राएँ विश्वविद्यालय के दोनों स्कूलों में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। आयु के आधार पर इन छात्र-छात्राओं के चार स्तर बनाये जाते हैं-18 से 22 वर्ष, 22 से 26 वर्ष, 26 से 30 वर्ष एवं 30 से ऊपर आयु वर्ग के। प्रतिदर्श के रूप में इन चारों आयु समूहों में से प्रत्येक से 50 (25 छात्र एवं 25 छात्राएँ) छात्र-छात्राओं का अध्ययन करते हैं।

विश्लेषण तथा परिणाम :

सारणी सं.-1

एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं की जानकारी

उत्तरदाताओं की राय	हाँ	नहीं	योग
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थाओं की जानकारी	83	17	100

सारणी सं. 1 के तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन में सम्मिलित सभी उत्तरदाताओं में से 83 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी संस्थाएँ जैसे डब्ल्यू.एच.ओ., विश्व बैंक, यू.एन. एड्स, संयुक्त राष्ट्र औषधि नियंत्रण कार्यक्रम, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, रेड रिबन एक्सप्रेस, सूचना शिक्षा एवं संचार, कण्डोम सोशल मार्केटिंग कार्यक्रम आदि एड्स की रोकथाम के लिए कार्य कर रही हैं और 17 प्रतिशत को इन संस्थाओं के बारे में जानकारी नहीं हैं। स्पष्ट है कि एड्स के लिए कार्य कर रहीं संस्थाओं के विषय में अधिकांश उत्तरदाताओं को जानकारी है।

सारणी सं.-2

एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं द्वारा रोग ग्रस्त व्यक्ति की काउंसलिंग

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	151	75.5
नहीं	49	24.5
योग	200	100

सारणी 2 से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन में सम्मिलित

75.5 प्रतिशत उत्तरदाता एड्स की रोकथाम के लिए की जाने वाली काउंसलिंग के बारे में जानकारी रखते हैं और 24.5 प्रतिशत को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन में जानकारी रखने वाले उत्तरदाताओं की बहुलता है।

सारणी सं.-3

'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' द्वारा भूमिका निर्वहन

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	110	55
नहीं	90	45
योग	200	100

सारणी सं. 3 के अध्ययन से यह उजागर होता है कि अध्ययन में सम्मिलित 55 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन एड्स की रोकथाम के लिए अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है लेकिन 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ऐसा मानना नहीं है। इस अध्ययन में हाँ वाले उत्तरदाताओं की बहुलता है। स्पष्ट तौर पर कहा जाये तो भारत में एड्स की रोकथाम के लिए यह संस्था अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ अपने लक्ष्यों को भी पूर्ण कर रहा है।

सारणी सं.-4

'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा भूमिका निर्वहन

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	188	94
नहीं	12	06
योग	200	100

सारणी सं.4 से यह ज्ञात होता है कि विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ऐसा 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है और केवल 06 प्रतिशत उत्तरदाता ही ऐसे हैं जिनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इससे यह विदित होता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्तर पर इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए दृढसंकल्प है।

सारणी सं.-5

एड्स की रोकथाम के लिए 'विश्व बैंक' की भूमिका

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	183	91.5
नहीं	17	8.5
योग	200	100

सारणी सं. 5 से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित सभी उत्तरदाताओं में से 91.5 प्रतिशत यह मानते हैं कि विश्व बैंक एड्स की रोकथाम के लिए अपना मुख्य योगदान दे रहा है लेकिन 8.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ऐसा नहीं लगता है।

सारणी सं.-6

एड्स के बचाव में 'यू.एन. एड्स' की भूमिका

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	124	62
नहीं	76	38
योग	200	100

सारणी सं. 6 के वर्णन से ज्ञात होता है कि यूएनएड्स एचआईवी/एड्स से बचाव में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। ऐसा 62 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं और 38 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसा नहीं मानते हैं।

सारणी सं.-7

'नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम' का सहयोग

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	98	49
नहीं	102	51
योग	200	100

सारणी सं. 7 से ज्ञात होता है कि 49 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भारत में एचआईवी/एड्स बीमारी से लड़ने में अपना सहयोग दे रहा है लेकिन 51 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ऐसा नहीं लगता है। इस अध्ययन में नहीं वाले उत्तरदाताओं की बहुलता रही।

सारणी सं.-8

'रेड रिबन एक्सप्रेश' द्वारा लोगों में जागरूकता

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	158	79
नहीं	42	21
योग	200	100

सारणी सं.-8 का वर्णन करने से ज्ञात होता है कि 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि रेड रिबन एक्सप्रेस स्टेशन-स्टेशन जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और मात्र 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही ऐसा नहीं लगता है। वास्तव में रेड रिबन ऐक्सप्रेस घूम-घूम कर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है।

सारणी सं.-9

'सूचना शिक्षा एवं संचार' के माध्यमों द्वारा जागरूकता

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	134	67
नहीं	66	33
योग	200	100

सारणी सं. 9 से विदित होता है कि अध्ययन में सम्मिलित सभी उत्तरदाताओं में से 67 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात का समर्थन करते हैं कि आज का युग सूचना शिक्षा और संचार का युग है और वह मानते हैं कि सूचना शिक्षा एवं संचार के माध्यम एड्स की रोकथाम में अपनी मुख्य भूमिका निभा सकते हैं साथ ही लोगों को एचआई/एड्स के प्रति जागरूकता भी कर कर सकते हैं लेकिन 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ऐसा नहीं लगता है।

शून्य परिकल्पना : छात्र-छात्राओं में एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं के संबंध में जागरूकता का स्तर समान है, उसमें कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अवलोकित आवृत्ति की तालिका

(Table of Observed Frequency)

एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं के संबंध में जागरूकता स्तर

लिंग	हाँ	नहीं	योग
छात्र	62	20	82
छात्राएँ	84	34	118
योग	146	54	200

5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतंत्र संख्या के लिए काई वर्ग परीक्षण सारणी का मूल्य 3.84 उपयोग किया जाता है।

प्रत्याशित आवृत्ति की तालिका

(Table of Expected Value)

एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं के संबंध में जागरूकता स्तर

लिंग	हाँ	नहीं
छात्र	59.86	22.14
छात्राएँ	86.14	31.86
योग	146	54

Calculation of x2

Observed Values (O)	Expected Values (E)	O&E	$(O\&E)^2$	$\frac{(O\&E)^2}{E}$
62	59.86	2.14	4.57	0.07
84	86.14	-2.14	4.57	0.05
20	22.14	-2.14	4.57	0.20
34	31.86	2.14	4.57	0.14
Total=200	E=200	0		$x^2 = 0.46$

Degree of freedom = (columns-1) (row-1)
= (2-1) (2-1)
= 1
Table Value = 3.84
X2 = 0.46
P Value = 0.92

5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वतंत्र संख्या 1 के लिए काई वर्ग सारणी का मूल्य 3.84 है जबकि काई वर्ग परीक्षण का मूल्य 0.46 है जो काई टेबल मान से कम है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है। अतः छात्र-छात्राओं में एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं के संबंध में जागरूकता का स्तर समान नहीं है, उसमें सार्थक अन्तर है।

निष्कर्ष : अध्ययन से ज्ञात होता है कि एड्स की रोकथाम के लिए कार्य कर रही संस्थाओं के विषय में छात्र-छात्राएँ जागरूक हुए हैं और संस्थाओं के विषय में उनकी राय है कि राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएँ बहुत ही बेहतर काम कर रहीं हैं, जिसका समर्थन अधिकांश छात्र-छात्राएँ करते हैं। भारत सरकार के 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन' के बारे में छात्र-छात्राएँ सही जानकारी रखते हैं लेकिन जानकारी का स्तर अलग-अलग है।

एड्स नियंत्रण के योगदान में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की महत्वपूर्ण भूमिका है और एड्स की रोकथाम के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए कार्यों से समाज में जागरूकता आई है लेकिन एड्स को केवल कार्यरत संस्थाओं के प्रयासों द्वारा ही नहीं रोका जा सकता है, ऐसी राय भी छात्र-छात्राएँ ने व्यक्त की है।

एड्स की रोकथाम के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका भी अहम है क्योंकि वह समाज के सम्पर्क में ज्यादा रहते हैं। संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयास सीधे एड्स रोगियों तक पहुँच रहे हैं। यह एक सकारात्मक पहलू है। छात्र-छात्राओं का मानना है कि एड्स की रोकथाम के लिए कार्यरत संस्थाओं को एक विशय के रूप में हाईस्कूल स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे की इस बीमारी के प्रति युवाओं को समय से पहले जागरूक किया जा सके।

भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा एड्स रोगी हैं या नहीं यह विवाद का विशय हो सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो।

एड्स जैसे लाइलाज रोग से बचने में केवल रोग की पर्याप्त जानकारी ही सहायक है लेकिन यह विडंबना ही कही जा सकती है कि देश में रोग फैलने के इतने वर्षों के पश्चात् भी आम लोगों को रोग की पूर्ण तो क्या सम्यक जानकारी भी नहीं है। वे इसे महज यौन रोग समझकर चर्चा करने से कतराते रहे हैं। वे नहीं जानते कि गाँव का नीम-हकीम डॉक्टर उन्हें दूषित सूईं का प्रयोग कर इलाज के नाम पर एड्स संक्रमण की सौगात भी दे सकता है तो ऐसे में इस बीमारी के प्रति जागरूकता का महत्त्व बढ़ जाता है।

अंततः यह कहना गलत नहीं होगा कि एड्स एक गम्भीर सामाजिक समस्या है जो सम्पूर्ण विश्व में फैले होने के कारण राष्ट्र, राज्य व समाज के लिए अत्यन्त संवेदनशील बनी हुई है। समाज में फैल रही एड्स की समस्या सम्पूर्ण विश्व के लिए एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। क्योंकि एक महामारी के रूप में एड्स, इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि पूरे परिवार, समुदाय और राष्ट्र को भी प्रभावित करता है। अतः युवाओं का इस बीमारी के प्रति जागरूक होना नितांत आवश्यक है। जिसमें कार्यरत संस्थाएँ अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सन्दर्भ

1. सिंह, सुरेन्द्र एवं अन्य 'एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण : सरकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास', इग्नू, एमएसडब्ल्यूई-001, एचआईवी/एड्स : कलंक भेदभाव एवं रोकथाम, नई दिल्ली, 2010, पृ.54।
2. सिंह एवं अन्य, 'वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ : भारत-2011', गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा संकलित, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली, 2011, पृ.503।
3. इग्नू, 'एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण : सरकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास', एमएसडब्ल्यूई-001, ग्राफिक प्रिन्टर्स, नई दिल्ली, 2010, पृ.55।
4. सिंह एवं अन्य, पूर्वोक्त, पृ.518।
5. IIT> News/education and ICT for hiv prevention/ EECAAC 2016 http://www.wpp./../redribbonexpress.pdf/2016
6. http://www.wpp./../redribbonexpress.pdf/2016
7. इग्नू, पूर्वोक्त, पृ.55।
8. http://www.unaids.org/../India/2016
9. इग्नू, पूर्वोक्त, पृ.69।
10. http://www.unicef.org//India and www.ucicef.in/2016.
11. http://www.undp.org and en.wikkipidiya.com/2016.
12. इग्नू, पूर्वोक्त, पृ. :70-71।
13. सिंह, एम.एन., 'एड्स तथा आधुनिक समाज', विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2004, पृ. 221-222।
14. कुमार, मनोज, 'एड्स तथा सेक्सुअलिटी-संवेदनशील वर्ग का एक अध्ययन', भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संध, नई दिल्ली, 1999 पृ. 22-26।
15. एस्टल, स्मिथ एलिसन एवं सोफिया ग्रस्किन, (2001), 'एचआईवी/यौन-संचारित संक्रमणों के प्रति नेपाल के प्रवासी समुदायों की ग्रामीण महिलाओं की संवेदनशीलता : स्वास्थ्य और मानवाधिकार से जुड़ा एक विषय,' रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स, नई दिल्ली, पृ. : 60-75।
16. डॉसेट, गैरी डब्ल्यू, 'एड्स के सन्दर्भ में यौनिकता और जेन्डर के विषय में कुछ धारणाएँ', रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स, सीआरईए पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2003, पृ. 158-174।
17. फ्रैस्का, टिम, 'पुरूष और महिलाएं : एचआईवी/एड्स के विषय पर अब भी बहुत अलग विचार रखते हैं', रिप्रोडक्टिव हैल्थ मैटर्स, अंक-4, नई दिल्ली, 2003, पृ. 164-178।
18. शर्मा, ए.के., 'एचआईवी की रोकथाम में समाजशास्त्र', राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, 2008, वॉल्यूम-2, वर्ष-10, पृ. 20-23।
19. सिंह, अंजली और शिखा जैन, 'एवेयरनैश ऑफ एचआईवी/एड्स अमंग स्कूल एडोलसेन्टस इन बनासकंथा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात', हैल्थ एण्ड पॉपुलेशन : पर्सपैक्टिव एण्ड इशूज, 2009, वोल्यूम 32, पृ. : 59-65।

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

भारतीय कॉफी निर्यात और वैश्विक बाजारः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

❑ डॉ. नरेश कुमार

सूचक शब्द : विकास दर, अनुपात, वैश्विक बाजार, निर्यात।

प्रस्तुत शोध पत्र भारत के कॉफी निर्यात के बारे में एक अवधारणा विकसित करना चाहता है। अध्ययन में कॉफी के मुख्य वैश्विक बाजारों के साथ भारत के कॉफी निर्यात की प्रवृत्ति की जांच करने का प्रयास किया गया है। डेटा का मूल्यांकन चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, औसत, मानक विचलन और भिन्नता के गुणांक सहित विभिन्न सांख्यिकीय तरीकों की सहायता से किया गया है। तीन संकेन्द्रण सूचकांकों को भी ध्यान में रखा गया है। विश्लेषण पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। हमने पाया कि भारत में कॉफी का उत्पादन आयातकों की मांग को पूरा करता है। भारत ने 2010–11 में कुल 3009.91 करोड़ रुपये के 230995.68 मीट्रिक टन कॉफी उत्पादों का निर्यात किया। 2022–23 में 9190.81 करोड़ रुपये का निर्यात 316091.42 मीट्रिक टन था। 2009–10 से 2022–23 की अवधि के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कॉफी के कुल निर्यात का 7.688 प्रतिशत थी। ईरान, पोलैंड, इंडोनेशिया, तुर्की, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और बेल्जियम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्रमश 26.140, 24.330, 20.724, 19.032, 17.784, 15.611, 15.300, 15.056, 12.979, 12.644, 11.337, 11.267, 11.153 और 10.220 प्रतिशत के साथ मुख्य आयातक हैं। शोध पत्र यह अनुशंसा करता है कि कॉफी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शोध पत्र निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय कॉफी निर्यात की एक समग्र तस्वीर प्रदर्शित करता है।

कॉफी दुनिया में व्यापक रूप से व्यापार किये जाने वाले कृषि उत्पादों में से एक है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कॉफी के 25 मिलियन किसान आम तौर पर छोटे पैमाने के उत्पादक हैं। कॉफी के प्रसंस्करण और उत्पादन में लगभग 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं। निस्संदेह, कॉफी उत्पादन का उत्पादक क्षेत्रों और उनके परिवेश के आर्थिक विकास पर अनिवार्य प्रभाव पड़ता है। भारत में, कॉफी पारंपरिक रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैले पश्चिमी घाट में उगाई जाती है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तर पूर्व राज्यों में भी कॉफी की खेती तेजी से बढ़ रही है। कॉफी मुख्य रूप से एक निर्यात उन्मुख वस्तु है और देश में उत्पादित कॉफी का 70 से 75 प्रतिशत निर्यात किया जाता है बाकी की खपत देश में ही की जाती है। भारतीय कॉफी उद्योग लगभग 4000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। भारतीय कॉफी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने लिए एक जगह बनाई है और भारतीय कॉफी उच्च अधिमूल्य कमा रही है, विशेष रूप से भारतीय रोबस्टा जो अपनी अच्छी मिश्रण गुणवत्ता के लिए अत्यधिक पसंद की जाती है।[1] भारत की अरेबिका कॉफी को अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी पसंद किया जाता है। कॉफी कम आयात तीव्रता और उच्च रोजगार सामग्री वाला एक निर्यात उत्पाद है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 6 लाख से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं और इतनी ही संख्या में व्यक्तियों को इस क्षेत्र से अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। इस शोध पत्र का विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश-वार कुल निर्यात पर केंद्रित है। यह प्रत्येक चयनित देश के साथ-साथ अन्य देशों में निर्यात की वृद्धि में बदलाव की बात करता है। यह वैश्विक बाजार के साथ भारत के कॉफी निर्यात प्रदर्शन का विश्लेषण करता है।

भारत में कॉफी क्षेत्र : भारत के कॉफी सेक्टर ने वैश्विक बाजार में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारत संभवतः एकमात्र कॉफी उत्पादक देश है जिसकी कॉफी पूरी तरह से हाथ से चुनी जाती है, पूरी तरह से धूप में सुखाई जाती है और पूरी तरह से छाया में उगाई जाती है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के अनुसार भारत में कॉफी बागान लगभग 3.81 लाख

❑ एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबाला कैंट (हरियाणा)

हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में ग्रामीण रोजगार पैदा होता है, जो कॉफी के कुल उत्पादन में लगभग 90 प्रतिशत का योगदान देता है। छोटे उत्पादकों की श्रेणी में 2,18,450 जोत आती हैं जो 10 हेक्टेयर तक की श्रेणी में आती हैं और 2,750 जोत मध्यम और बड़ी जोत के अंतर्गत आती हैं जो 10 हेक्टेयर से ऊपर की श्रेणी में आती हैं। इस प्रकार, कुल कॉफी होल्डिंग्स 2,21,200 हैं। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी कॉफी की खेती तेजी से बढ़ रही है। हालाँकि, कॉफी को एक निर्यात-उन्मुख वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन 1991 के बाद की नई आर्थिक नीति अवधि में इसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। कॉफी को परिवर्तनशील वैश्विक कीमतों और घटती इकाई मूल्य मान्यता का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से सुधार के बाद की अवधि में। भारत दुनिया में कॉफी का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में उत्पादित कुल कॉफी का लगभग 75 प्रतिशत विश्व के 88 देशों में निर्यात किया जाता है। भारत के कॉफी के प्रमुख पांच निर्यात गंतव्य जर्मनी, रूसी संघ, स्पेन, इटली और बेल्जियम हैं।

साहित्य समीक्षा

शाह और हक[2] ने वर्ष 2000 से 2020 तक 38 उच्च-आय और 54 मध्यम-आय वाले देशों के पैनल डेटा सेट के लिए निर्यात और आर्थिक विकास पर प्रेषण के प्रभावों को देखा। आर्थिक विकास से निर्यात सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है। कई व्यापक आर्थिक विकास चालकों को ध्यान में रखने के बाद, अनुसंधान ने आर्थिक विकास पर निर्यात और प्रेषण के प्रभाव की गणना की। निर्यात का आर्थिक विस्तार पर लाभकारी और उल्लेखनीय प्रभाव पड़ रहा है। निर्यात में प्रतिशत वृद्धि के साथ उच्च आय और मध्यम आय वाले देशों की अर्थव्यवस्थाओं में क्रमशः 15 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मानव पूंजी और प्रति श्रमिक भौतिक पूंजी दो अतिरिक्त कारक हैं जिनका आर्थिक विकास पर अनुकूल और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सरकारी व्यय का गुणांक ऋणात्मक होता है, जो आर्थिक विस्तार में बाधक होता है।

पिमकोर्ड और सरमा[3] ने फलों और सब्जियों पर आधारित भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निर्यात प्रदर्शन और निर्यात अभिविन्यास को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक अनुभवजन्य अध्ययन प्रस्तुत किया। चौथे अखिल भारतीय सूक्ष्म, लघु से कंपनी स्तर के डेटा का उपयोग करके पाया गया कि उन उद्यमों की विशिष्ट विशेषताएं, स्थान-विशिष्ट निर्धारक, संस्थागत ऋण तक पहुंच और व्यावसायिक माहौल इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों के निर्यात अभिविन्यास के साथ सकारात्मक रूप से जुड़े हुए और मध्यम उद्यम जनगणना और अर्थमितीय मॉडल लागू करना, बड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निर्यात वृद्धि काफी अधिक थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए सरकारी प्रोत्साहन पहल का इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निर्यात प्रदर्शन और क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

लेले, अग्रवाल और गोस्वामी[4] ने भारत की कृषि उत्पादकता वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए संभावित निवेश और नीति समाधानों पर ध्यान दिया। 1961 और 2011 के बीच, उन्होंने ब्राजील, चीन, भारत और इंडोनेशिया में उपज स्तर और उपज वृद्धि में भिन्नता की जांच की। उन्होंने देखा कि विकासशील क्षेत्र संरचनात्मक परिवर्तन, उत्पादकता वृद्धि और आय वितरण के मामले में कैसे भिन्न हैं। पुस्तक में, उन्होंने कृषि उत्पादकता विकास की पर्यावरणीय स्थिरता, खेत के आकार के कारण उत्पादन में असमानता और अकुशल लेकिन गरीब किसानों की इच्छाशक्ति को भी सम्मिलित किया है। पुस्तक के अनुसार, कृषि उत्पादन बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत गरीबी है और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन शहरी क्षेत्रों में गरीबी का एक प्रमुख कारण है।

सॉन्गवलेरे[5] ने इस बात में रुचि दिखाई कि निर्यात और निर्यात विविधीकरण ने विकास को कैसे प्रभावित किया और साथ ही नीतिगत दृष्टिकोण से संकट के बाद की निर्यात रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। उन्होंने 1995 और 2008 के बीच 30 चयनित उप-सहारा अफ्रीकी देशों के एक पैनल के लिए मूल्य वर्धित, श्रम उत्पादकता और सशर्त और बिना शर्त श्रम मांग पर निर्यात और निर्यात विविधीकरण के प्रभावों की गणना की। उन्होंने पाया कि योगदान मूल्य, श्रम उत्पादकता और श्रम मांग हैं। निर्यात से सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में चर्चा की गई कि कैसे निर्यात के लिए बाजारों

और उत्पादों में विविधता लाने से मूल्य वर्धित और श्रम उत्पादकता बढ़ती है लेकिन श्रम की मांग नहीं बढ़ती है। **दास, राजू,** कुमारा और सिद्दय्या[6] ने बताया कि कॉफी एक महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसल है और इसमें उच्च निर्यात क्षमता है। विश्व में कुल कॉफी निर्यात में भारत पांचवें स्थान पर है। उन्होंने प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए समय श्रृंखला डेटा को तीन अवधियों में विभाजित किया, अर्थात, अवधि I (1995-96 से 1999-00), अवधि II (2000-01 से 2008-09) और अवधि III (2009-10 से 2018-19) विश्व व्यापार संगठन के बाद के युग में कॉफी का अध्ययन करने से संकेत मिलता है कि पूरे अध्ययन अवधि के दौरान भारतीय कॉफी के निर्यात हिस्सेदारी को बरकरार रखने में इटली का प्रतिशत सबसे अधिक था। उपर्युक्त अवधि के लिए प्रमुख आयातकों के बीच भारतीय कॉफी के निर्यात हिस्सेदारी की अवधारण संभावना की जांच करने के लिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का अनुमान लगाया गया था। मार्कोव श्रृंखला प्रक्रिया का उपयोग 2019-20 से 2024-25 के लिए प्रमुख आयातकों के बीच भारतीय कॉफी के निर्यात की हिस्सेदारी का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया गया था। कॉफी की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, रुपये और डॉलर के बीच विनिमय दर और कॉफी के उत्पादन में देरी कॉफी के निर्यात के कुछ निर्धारक थे।

गुरुसामी और यमाकनिथ[7] ने भारतीय कॉफी के निर्यात परिणामों की व्याख्या प्रदान की। भारतीय कॉफी ने वैश्विक बाजार में अपने लिए जगह बना ली है और इसकी ऊंची कीमतें मिल रही हैं, खासकर भारतीय रोबस्टा, जो अपनी उत्कृष्ट मिश्रण गुणवत्ता के लिए अत्यधिक पसंद किया जाता है। व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत दुनिया की 5 फीसदी कॉफी का निर्यात करता है। प्रारंभ से ही कॉफी के निर्यात में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। कॉफी निर्यात प्रदर्शन पर अध्ययन प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्यों को ध्यान में रखते हुए कॉफी निर्यात के महत्व पर प्रकाश डालेगा। रिपोर्ट यह भी विश्लेषण करती है कि हमारे देश में कॉफी को कैसे प्रसंस्कृत किया जाता है।

बालाकृष्णन और चंद्रन[8] ने अध्ययन किया है कि कॉफी एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक रोपण फसल है और इसे वृक्षारोपण विधि से उगाया जाता है। अरेबिका और रोबस्टा दो प्रकार की कॉफी हैं जिनकी खेती व्यावसायिक पैमाने पर की जाती है। प्रस्तुत लेख में विकास दर का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है भारत में कॉफी का रोपण क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता तथा निर्यात। यह अध्ययन मुख्यतः समय श्रृंखला डेटा पर आधारित है वर्ष 1985-86 से 2016-16 के लिए एकत्र किया गया। विश्लेषण के उद्देश्य से, अध्ययन अवधि को दो उप अवधियों में विभाजित किया गया है उदारीकरण अवधि 1985-86 से 1990-90 तक और उदारीकरण के बाद की अवधि 1991-92 से 2015-16 तक। रुझान विश्लेषण और चक्रवृद्धि वृद्धि दर की गणना उदारीकरण से पहले और बाद की अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों को समझने के लिए की गई है।

अध्ययन के उद्देश्य

शोध विश्लेषण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

1. प्रमुख देशों के साथ भारत के कॉफी निर्यात अनुभव का विश्लेषण करना।
2. भारत के कॉफी निर्यात की बदलती दिशा का मूल्यांकन करना।
3. कॉफी निर्यात के विकास हेतु सुझाव प्रदान करना।

शोध प्रविधि

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है:

$$Y = ab^t$$

जिसमें

- Y : कॉफी निर्यात
- a : अवरोधन
- t : समय
- b : 1+r और r चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है

इस फंक्शन का लघुगणकीय परिवर्तन प्रस्तुत करता है

$$\text{Log } Y = \log a + t \log b$$

जो एक लॉग लीनियर फंक्शन है

समीकरण में पैरामीटर a और b के मान प्राप्त करने के लिए साधारण न्यूनतम वर्ग विधि का उपयोग किया गया है। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की गणना इस प्रकार की जाती है :

$$\text{CAGR } (g\ \%) = [\text{Antilog } (\log b) - 1] \times 100.$$

इसके अलावा भारत से कॉफी निर्यात के आयातक देशों

की एकाग्रता की गणना करने के लिए, तीन सूचकांकों का उपयोग किया गया है। ये सूचकांक हैं CR_4 (D_1) का संकेन्द्रण अनुपात, CR^8 (D_2) का सांद्रण अनुपात और $CR1_{16}$ (D_3) का संकेन्द्रण अनुपात। शोध पत्र में, ये सूचकांक कॉफी आयात करने वाले अलग-अलग देशों की प्रतिशत हिस्सेदारी पर आधारित हैं।

मान लीजिए कि m आयात करने वाले देशों को दर्शाता है और q_{it} समय t पर अपने साझेदार देश के आयात को दर्शाता है। तब 1 से m तक q_{it} का योग q_t होगा और वर्ष t के लिए कॉफी के आयात में प्रत्येक देश का हिस्सा इस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा :

$S_{it} = \frac{q_{it}}{q_t}$ और

$q_t = \sum_{i=1}^{n} q_{it}$

जहाँ

S_{it}: t समय पर प्रत्येक आयातक देश का हिस्सा

q_{it}: t समय पर प्रत्येक आयातक देश का आयात

q_t: प्रत्येक आयातक देश के कुल का योग

$i = 1, \quad m \text{ and } t = 1, \ldots\ldots, T$

नीचे दिए गए सभी संकेन्द्रण माप S_{it} आधारित हैं

संकेन्द्रण अनुपात :

$$CR_n = \sum_{i=1}^{n} S_{it}, n < m$$

अधिकांश मामलों में शोध कार्य में CR_4 (D_1), CR_8 (D_2) और CR_{16} (D_3) का उपयोग किया गया है। इसलिए, प्रस्तुत शोध पत्र में CR_4 (D_1), CR_8 (D_2) और CR_{16} (D_3) का उपयोग किया गया है।

इसके अलावा, प्रमुख देशों में भारत की कॉफी के निर्यात से संबंधित वर्णनात्मक आंकड़ों की गणना की गई है और भिन्नता गुणांक की भी गणना की गई है।

विश्लेषण एवं चर्चा

तालिका क्रमांक 01

भारतीय कॉफी का कुल निर्यात 2009-10 से 2022-23 की अवधि के दौरान

वर्ष	मात्रा मिलियन टन में	विकास सूचकांक	मूल्य करोड़ रूपये में	विकास सूचकांक
2009-10	157138.32	100.0000	2032.06	100.0000
2010-11	230995.68	147.0014	3009.91	148.1211
2011-12	276520.99	175.9729	4534.62	223.1538
2012-13	254017.79	161.6523	4711.07	231.8371
2013-14	253902.13	161.5787	4799.10	236.1692
2014-15	221394.67	140.8915	4973.25	244.7393
2015-16	255717.11	162.7337	5122.66	252.0919
2016-17	289566.76	184.2750	5668.72	278.9642
2017-18	317832.41	202.2628	6245.55	307.3506
2018-19	282872.71	180.0151	5721.98	281.5851
2019-20	257018.99	163.5622	5236.76	257.7069
2020-21	245206.45	156.0449	5339.52	262.7638
2021-22	333099.84	211.9787	7613.66	374.6769
2022-23	316091.42	201.1548	9190.81	452.2902

स्रोत : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

तालिका संख्या 01 मात्रा और मूल्य के साथ-साथ उनके विकास सूचकांकों के संदर्भ में 2009-10 और 2022-23 की अवधि के दौरान कुल भारतीय कॉफी निर्यात को दर्शाती है। तालिका से स्पष्ट है कि भारत ने 157138.32 मीट्रिक टन कॉफी का निर्यात किया जिसका मूल्य रु. 2009-10 में 2032.06 करोड़। अध्ययन अवधि 2009-10 से 2022-23 के दौरान कॉफी निर्यात में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति की पुष्टि हुई। 2022-23 में निर्यात 316091.42 मीट्रिक टन हुआ जिसका मूल्य रु. 9190.81 करोड़। इसके अतिरिक्त, तालिका से यह स्पष्ट है कि 2010-11 में महत्वपूर्ण वृद्धि सूचकांक मूल्य के 147.0014 और मात्रा के 148.1211 हैं। और, 2022-23 में सूचकांक मूल्य के 201.1548 और मात्रा के 452.2902 हैं। ये सभी विस्तार भारतीय कॉफी उत्पादों, विशेष रूप से भारतीय रोबस्टा की लगातार बढ़ती मांग का परिणाम हैं, जो अपनी अच्छी मिश्रण गुणवत्ता के लिए अत्यधिक पसंद किया जाता है, जो देश के कॉफी निर्यात के साथ-साथ भारत के कृषि क्षेत्र के लिए भी आशाजनक है।

2009-10 से 2022-23 की अवधि के दौरान भारत के कुल कॉफी निर्यात में प्रमुख गंतव्य देशों की प्रतिशत हिस्सेदारी की दृष्टि से निर्यात में इटली की हिस्सेदारी प्रतिशत सबसे अधिक है और 2009-10 से 2016-17 की अवधि में इसकी हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक थी लेकिन वर्ष 2017-18 से इसकी हिस्सेदारी में गिरावट प्रारंभ हुई। कॉफी निर्यात के लिए रूस दूसरा प्रमुख गंतव्य है और उसके बाद जर्मनी, बेल्जियम, जार्डन, फिनलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा लीविया, तुर्की, सीरिया, पोलेंड, यू.के., नीदरलैंड, इंडोनेशिया और ईरान को इस अवधि के दौरान कॉफी निर्यात के लिए सबसे कम प्रतिशत हिस्सेदारी प्रदर्शित हुई।

तालिका क्रमांक 02

2009-10 से 2022-23 की अवधि के दौरान कुल कॉफी निर्यात की देश-वार वृद्धि दर

श्रेणी	देश	CAGR	t-value	F-Value	R2
उच्च क्षमता वाली श्रेणी	ईरान	26.14	8.319*	69.211	0.852
	पोलैंड	24.33	9.675*	93.624	0.886
	इंडोनेशिया	20.724	3.346**	11.2	0.482
	टर्की	19.032	3.725**	13.882	0.536
	कोरिया आरपी	17.784	3.778**	14.274	0.543
	संयुक्त अरब अमीरात	15.611	6.444*	41.533	0.775
	लीबिया	15.3	5.646*	31.878	0.726
	यूएसए	15.056	9.201*	84.661	0.875
	यू.के.	12.979	7.852*	61.656	0.837
	नीदरलैंड	12.644	4.608*	21.238	0.638
	सऊदी अरब	11.337	4.063*	16.513	0.579
	कुवैट	11.267	10.568*	111.702	0.894
	जॉर्डन	11.153	5.370*	28.847	0.806
	बेल्जियम	10.22	4.884*	23.859	0.665
मध्यम क्षमता वाली श्रेणी	इजराइल	9.022	6.121*	37.469	0.757
	ऑस्ट्रेलिया	8.562	5.178*	26.811	0.69
	मलेशिया	8.431	5.307*	28.172	0.701
	मिस्र	7.959	2.130**	4.538	0.274
	अन्य देश	7.894	5.913*	34.972	0.744
	जर्मनी	7.866	4.019*	16.158	0.573
	यूनान	7.341	4.691*	22.008	0.647
	सीरिया	5.722	1.975**	3.903	0.245

कम क्षमता वाली श्रेणी	रूस	4.089	2.105**	4.432	0.269
	इटली	3.598	2.165**	4.687	0.28
	स्विट्जरलैंड	2.787	1.455**	2.118	0.15
	स्पेन	2.581	1.347**	1.815	0.131
	ताइवान	2.336	2.189**	4.794	0.285
	फ्रांस	0.464	0.197	0.039	0.003
	पुर्तगाल	0.394	0.241	0.058	0.004
	स्लोवेनिया	-0.143	-0.048	0.002	0.0001
	फिनलैंड	-15.026	-4.601	21.174	0.638
कुल		7.688	5.629	31.688	0.725

स्रोतः कृषि और प्रसंकृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

नोट : *गुणांक $\alpha = 0.01$ पर महत्वपूर्ण हैं।

**गुणांक $\alpha = 0.10$ पर महत्वपूर्ण हैं।

तालिका संख्या 03 2009-10 से 2022-23 की अवधि के दौरान 30 आयातक देशों को भारतीय कुल कॉफी निर्यात की देश-वार वृद्धि दर दर्शाती है। विकास दर के लिए दिए गए रैंक के आधार पर, कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि पहले चौदह देश जैसे ईरान, पोलैंड, इंडोनेशिया, तुर्की, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और बेल्जियम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार उच्च क्षमता वाली श्रेणी में आते हैं। यह इस बात की पुष्टि करता है कि इन देशों के बीच कॉफी के निर्यात में भारत का पर्याप्त विकास 10 प्रतिशत से अधिक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दिखा रहा है, जो उपरोक्त आयातक देशों में भारत से कॉफी के निर्यात की बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत है। निस्संदेह, उपर्युक्त देशों के बाजारों में कॉफी के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, अगले 8 देश मध्यम क्षमता वाली श्रेणी में आते हैं और बाकी देश कम क्षमता वाली श्रेणी में आते हैं। उल्लेखनीय रूप से, विकास दर के टी-मूल्यों से यह पाया जाता है कि कुछ देशों में इसके नकारात्मक मूल्य हैं जबकि अन्य देशों में सकारात्मक मूल्य हैं। तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अधिकांश विकास दर सांख्यिकीय रूप से एक प्रतिशत ($\alpha = 0\text{-}01$) के स्तर पर महत्वपूर्ण हैं। हालाँकि, स्लोवेनिया और फिनलैंड की विकास दर नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन रही है और इन सभी मूल्यों की पुष्टि t-value, निर्धारण गुणांक R2 और ANOVA (F-Value) द्वारा की गई है।

आरेख क्रमांक 01

2013-14 से 2022-23 की अवधि के दौरान कॉफी निर्यात के देश संकेन्द्रण सूचकांक

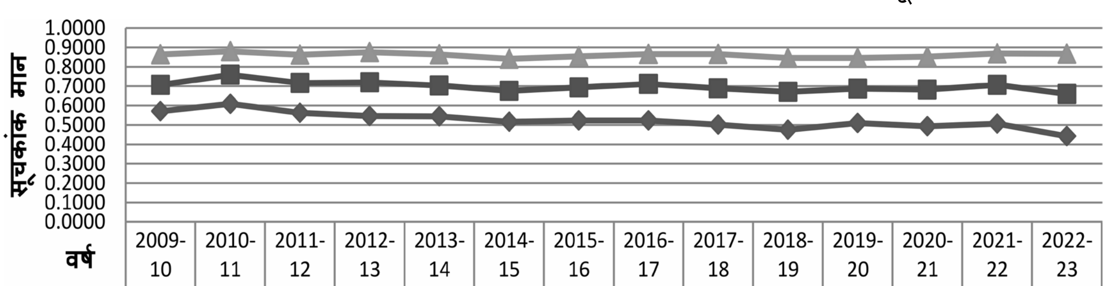

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
D1	0.5703	0.6090	0.5621	0.5461	0.5452	0.5160	0.5227	0.5236	0.5024	0.4763	0.5104	0.4939	0.5063	0.4423
D2	0.7068	0.7593	0.7160	0.7196	0.7037	0.6756	0.6936	0.7119	0.6890	0.6701	0.6865	0.6829	0.7068	0.6598
D3	0.8650	0.8801	0.8625	0.8750	0.8639	0.8417	0.8539	0.8666	0.8661	0.8466	0.8456	0.8526	0.8694	0.867

आरेख संख्या 01, 2009-10 से 2022-23 की अवधि के दौरान तीस आयातक देशों के बीच कॉफी निर्यात की संकेन्द्रण के तीन असमान मापों के मूल्य को दर्शाता है। संकेन्द्रण के ये माप, चार प्रमुख आयातक देशों का संकेन्द्रण अनुपात CR4 (D1), आठ आयातक देशों का संकेन्द्रण अनुपात CR8 (D2) और सोलह प्रमुख आपूर्ति करने वाले देशों CR16 (D3) का संकेन्द्रण अनुपात मान क्रमशः 0.570 से 0.442, 0.706 से 0.659 और 0.865 से 0.867 हैं। इस समूह का संकेन्द्रण सूचकांक D1 दर्शाता है कि इसकी प्रकृति लगभग उतार-चढ़ाव वाली रही है। इसी प्रकार, D2 वर्ष 2017-18 से 2020-21 को छोड़कर उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा D3 स्थिर प्रकृति को प्रकट कर रहा है।

तालिका संख्या 03

2009-10 से 2022-23 की अवधि के दौरान कॉफी निर्यात की विवरणात्मक सांख्यिकी

वर्ष	माध्य	मानक विचलन	भिन्नता गुणांक
2009-10	65.55	96.728	147.563
2010-11	97.093	158.385	163.126
2011-12	146.278	210.567	143.949
2012-13	151.97	228.918	150.634
2013-14	154.809	229.179	148.039
2014-15	160.427	214.981	134.005
2015-16	165.247	230.422	139.441
2016-17	182.861	253.009	138.36
2017-18	201.469	261.917	130.003
2018-19	184.58	231.638	125.495
2019-20	168.927	216.809	128.344
2020-21	172.242	214.204	124.361
2021-22	245.601	319.398	130.047
2022-23	296.477	324.57	109.475

स्रोत : कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

तालिका संख्या 03, 2009-10 से 2022-23 की अवधि के दौरान 30 आयातक देशों को कॉफी निर्यात के वर्णनात्मक आंकड़े दिखाती है। अध्ययन अवधि के लिए निर्यात का औसत मूल्य कॉलम III में दिखाया गया है। इसी प्रकार, अध्ययन अवधि के लिए विभिन्न देशों को निर्यात के मानक विचलन को कॉलम IV में प्रदर्शित किया गया है। तालिका का अंतिम कॉलम भिन्नता के गुणांक प्रदान करता है। अध्ययन अवधि के दौरान कॉफी निर्यात का वर्ष-वार औसत मूल्य 65.55 से बढ़कर 296.477 हो गया है। अध्ययन अवधि के दौरान माध्य और मानक विचलन दोनों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। अध्ययन अवधि के दौरान भिन्नता के गुणांक उतार-चढ़ाव वाले स्वभाव के रहे हैं और घटती प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। वर्ष 2009-10 में भिन्नता का गुणांक 147.563 था और वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 109.475 था। कुल मिलाकर,वर्णनात्मक आंकड़ों के समग्र परिणाम से संकेत मिलता है कि 2009-10 से 2022-23 के दौरान कॉफी निर्यात की स्थिरता में सुधार हुआ है।

सुझाव

देश के कॉफी निर्यात पर अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर भारतीय कॉफी के निर्यात प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कई नीतिगत सुझाव दिए जा सकते हैं।

1. कॉफी विपणन से जुड़ी कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए, कॉफी उत्पादकों को इसके लिए समर्पित एक विभाग स्थापित करना चाहिए।
2. मूल्य के संदर्भ में, भारत का कॉफी का कुल निर्यात 7.688 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। विकास दर बहुत प्रभावशाली है। प्रस्तुत शोध का सुझाव है कि कॉफी निर्यात की वृद्धि दर

को और अधिक बढ़ाया जा सकता है।

3. भारतीय कॉफी के निर्यात के लिए कुछ आयातक देशों की विकास दर अधिक नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि आयातक देशों के बीच भारतीय कॉफी की मांग बढ़े। इस उद्देश्य के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं जिसमें गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्य नियंत्रण, व्यापार की लचीली शर्तें, आसान उपलब्धता और सस्ती लागत सम्मिलित हैं।

भावी शोध की संभावनाएं : आगामी अध्ययनों में राज्यवार व्यापार विश्लेषण की जांच की जा सकती है। विश्लेषण का एक और दिलचस्प क्षेत्र कॉफी आयात और निर्यात की तुलना है। उत्पादवार विश्लेषण के लिए एक नया शोध विषय चुना जा सकता है। एक शोध अध्ययन क्षेत्र के हिस्से के रूप में, कॉफी की खपत और उपज विश्लेषण पर विचार किया जा सकता है। भारत में मजदूरों और कॉफी बागानों दोनों की स्थितियों की जांच की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता से पहले और बाद में कॉफी की व्यापार स्थिति की तुलना करने के लिए समान तरीकों और अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय कॉफी की देशवार निर्यात वृद्धि का अध्ययन किया गया है। देश-वार विश्लेषण में, 26.140 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ईरान ने अध्ययन अवधि के दौरान भारतीय कॉफी के सभी तीस आयातक देशों में से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और उसके बाद पोलैंड, इंडोनेशिया, तुर्की, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, अमेरिका और ब्रिटेन देश-वार विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निर्यात संकेन्द्रण पर्याप्त देशों में है, लेकिन निर्यात संकेन्द्रण अधिक देशों में बढ़ाया जा सकता है। भारतीय कुल कॉफी निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति है और यह वर्ष 2010-11 में 3009.91 करोड़ रुपये के 230995.68 मीट्रिक टन से बढ़कर 9190.81 करोड़ रुपये के 316091.42 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। इस प्रकार, मात्रा और मूल्य के संदर्भ में कॉफी के कुल निर्यात ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, चार प्रमुख आयातक देशों $CR_4\ (D_1)$, आठ आयातक देशों का निर्यात संकेन्द्रण $CR_8\ (D_2)$ और सोलह प्रमुख आपूर्ति करने वाले देशों $CR_{16}\ (D_3)$ का निर्यात संकेन्द्रण क्रमशः 0.570 से 0.442, 0.706 से 0.659 और 0.865 से 0.867 हैं। 14 वर्षों में कॉफी के वर्ष-वार निर्यात का औसत मूल्य 65.550 से बढ़कर 296.477 हो गया है, जो भारत के कॉफी व्यापार के लिए एक उल्लेखनीय संकेत है। उपर्युक्त विश्लेषण अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ भारतीय कॉफी के निर्यात प्रदर्शन की वास्तविक तस्वीर को पहचानने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

सन्दर्भ

1. Shende, N. V., Bhole B. D., and Shende, P. V. *'Export Performance of India in Tea, Coffee and Tobacco'*, Indian Journal of Agricultural Marketing, 1999, 13, pp. 78-81.
2. Shah I., A. and Haq, I. *'Impact of Remittances on Exports and Economic Growth: A Cross Country Analysis'*, Artha Vijnana: Journal of the Gokhale Institute of Politics and Economics, 2022, 64 (3), pp. 283-296.
3. Pimkord, V. and Sharma, M. *'Small Exporting Firms in the Fruits and Vegetables Sector in India: An Empirical Study'*, Artha Vijnana: Journal of The Gokhale Institute of Politics and Economics, 2022, 64 (3), pp. 246-264.
4. Lele, U. Agarwal, M., Goswami, S. *'Patterns of Structural Transformation and Agriculture Productivity Growth (With Special Focus on Brazil, China, Indonesia and India)'*, Artha Vijnana : Journal of Gokhale Institute of Politicis and Economics (GIPE), Pune, 2018.
5. Songwlere V. *'Exports and Export Diversification in sub- Saharan Africa: A Strategy for Post-crisis Growth'*, Journal of Management and World Business Research, 2010, 6, pp. 142–150.
6. Das, A., Raju, R., Kumara, T. M. K. and Siddayya, *'Performance and Determinants of Exports of Coffee from India: A Post-WTO Scenario'*, Indian Journal of Agricultural Economics, 2020, 75 (4), pp. 546-559.
7. Gurusamy, P. and Yamakanith, P. *'Export Performance of coffee in India- An analytical Study'*, International Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2015, 2 (2), pp. 118-122.
8. Balakrishnan. M and Chandran. K *'Growth and Export Performance of Coffee in India – An Economic Analysis'*, International Journal of Pure Applied, Bioscience, 2018, 6(2), pp. 713-717.
9. Rajasekar T. *'Analysis of Export-Import Traffic: A Case Study with Reference to Tuticorin Port Trust'*, Journal of finance & management, 2009, 4, pp. 112–119
10. Monika D. P. *'Indian Export Challenges and Opportunities. International Journal of Export and Management'*, 2006, 5, pp. 124–130.
11. Sahni, P. *'Trends in India's Exports: A Comparative Study of Pre and Post Reform Period'*, Journal of Economic and Finance, 2014, 3 (2), pp. 8-13.
12. Adhikari, A., Sekhon, M. K. and Kaur, M. *'Export of Rice from India: Performance and Determinants'*, Agricultural Economics Research Review, 2016, 29 (1), pp. 135-50

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

अहमदाबाद (गुजरात) में साबरमती नदी में जल प्रदूषण की चुनौतियाँ और शहरी–ग्रामीण समुदायों पर जल प्रदूषण का प्रभाव

❑ सुश्री ज्योत्सना

विकसित और अविकसित दोनों देशों में, मानव अस्तित्व और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जल सर्वोपरि महत्व रखता है। जीवन को बनाए रखने और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। भारत में जल प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम कृषि, सब्जी उत्पादन और मानव अस्तित्व सहित आजीविका के विभिन्न पहलुओं पर दुष्प्रभाव के रूप में सामने आ रहे है। नदियाँ न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में कई नगरों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं। साबरमती नदी, जिसके तट पर भारत के प्रमुख शहरों में से एक शहर अहमदाबाद स्थित है। वर्तमान में जल प्रदूषण और मानवजनित गतिविधियों के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन गतिविधियों में अवैध सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं, और शहरी अपवाह सम्मिलित हैं। जल प्रदूषण का प्रभाव, नगरीय और ग्रामीण दोनों समुदायों पर हो रहा है। अहमदाबाद में औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थो के कारण जल प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हैं। इसलिए प्रस्तुत शोध का उद्देश्य साबरमती नदी में जल प्रदूषण को गांधीनगर के साबरमती नदी पुल (चिलोडा के पास) और अहमदाबाद का वासना बैराज के बीच के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, साबरमती नदी में विद्यमान स्पष्ट प्रदूषकों का विश्लेषण करना है।

सूचक शब्द : अहमदाबाद, कृषि, औद्योगिक अपशिष्ट, साबरमती नदी, सब्जी उत्पादन, जल प्रदूषण।

लगभग 371 किलोमीटर तक फैली साबरमती नदी भारत के पश्चिमी क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला के भीतर होता है, और प्रारंभ में इसे वाक नदी के नाम से जाना जाता है। इसका अधिकांश मार्ग गुजरात राज्य से होकर गुजरता है।[1] इतिहास में, कई आरंभिक नगर नदियों के निकट उभरे। नदियाँ विभिन्न पर्यावरणीय कार्य करती हैं, जिसमें सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक पानी की आपूर्ति भी सम्मिलित है।[2] अहमदाबाद नगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है और नदी इसके कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त ताजा जल सभी जीवित जीवों के अस्तित्व और पारिस्थितिक तंत्र, समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं के समुचित कार्य के लिए अपरिहार्य है। जल–आधारित पारिस्थितिकी तंत्र मानव कल्याण और गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। इस प्रकार, जीवन को बनाए रखने में जल का बहुत महत्व है और जल प्रदूषण का मुद्दा एक प्रमुख चिंता का विषय है। दूषित जल के परिणामस्वरूप बीमारियों सहित गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं, और पौधों, वनस्पतियों, मनुष्यों और जानवरों को नुकसान हो सकता है, जिससे मृत्यु जैसे प्रतिकूल परिणाम भी हो सकते हैं।[3]

दुनिया भर के अविकसित और विकसित दोनों देशों में पानी का अत्यधिक महत्व है। इसलिए, पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, मानव अस्तित्व और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान युग में, भारत के शहरों में जल प्रदूषण, एक आम मुद्दा बन गया है। पानी की गुणवत्ता में गिरावट के लिए, मुख्य रूप से विभिन्न मानवजनित गतिविधियाँ जिम्मेदार हैं, जैसे कि अवैध सीवेज (Illegal Sewage), औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन, अपर्याप्त स्वच्छता, और शहरी अपवाह आदि।

प्रस्तुत शोधपत्र का लक्ष्य गांधीनगर में साबरमती नदी पुल (चिलोडा के पास) से अहमदाबाद शहर में वासना बैराज तक, गूगल मानचित्र के अनुसार लगभग 36 कि.मी. की दूरी तय करते हुए, साबरमती नदी पर दिखाई देने वाले प्रदूषकों की जांच करने का है। साबरमती नदी के किनारे दिखाई देने वाले प्रदूषकों को चित्रों के माध्यम से दर्शाना, नदी को नुकसान पहुंचाने

❑ सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, के.सी.सी. प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)

वाले पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देना शोध पत्र का उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त, यह शोधपत्र पर्यावरण संरक्षण के बारे में चल रही बातचीत में योगदान देगा, और साबरमती नदी के पुनरुद्धार की दिशा में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा।

जल प्रदूषण और जल प्रबंधन : भारत में, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम,1974 द्वारा शासित होता है। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करके देश के जल संसाधनों की स्वच्छता को संरक्षित और बहाल करना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने जलीय संसाधनों की निगरानी के लिए पूरे देश में एक नेटवर्क स्थापित किया है।

जल की गुणवत्ता की निगरानी 1977-78 में वैश्विक पर्यावरण निगरानी प्रणाली (जीईएमएस) के रूप में प्रारंभ हुई और तब से इसका विस्तार भारत में सभी जलीय संसाधनों का जैसे कि नदियों, झीलों, टैंकों, तालाबों, नालों, जल उपचार संयंत्रों, सीवेज उपचार सहित, तटीय जल, आर्द्रभूमि और भूजल आदि का राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (National Water Quality Monitoring Programme) के माध्यम से किया जाता है।[4]

भारत में जल प्रदूषण के संदर्भ में, देश की 14 प्रमुख नदियाँ, 55 छोटी नदियाँ लाखों लीटर सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपवाह प्राप्त करती हैं। शहरी सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन नदियों के प्रदूषण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वर्तमान में, उत्पन्न अपशिष्ट जल का केवल 10 प्रतिशत ही उपचारित किया जाता है, शेष अनुपचारित अपशिष्ट को जल निकायों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियाँ, झीलें और भूजल प्रदूषित हो जाते हैं।[5]

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2022) की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात में, 2019 और 2021 के बीच में, 64 स्थानों में 25 नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी की गयी। इनमें से, 13 नदियाँ 25 स्थानों पर जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के संदर्भ में जल गुणवत्ता मानदंड को पूरा करने में विफल रही हैं। इन 13 प्रदूषित नदियों में से साबरमती नदी गुजरात की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है।[6]

गुजरात में साबरमती नदी में जल प्रदूषण की सीमा

गुजरात में, विशेष रूप से अहमदाबाद के साबरमती नदी में, बीओडी (BOD) और टोटल कोलीफॉर्म (TC) का स्तर मानदंडों से काफी अधिक पाया गया, जो कि कार्बनिक प्रदूषण का उच्च स्तर, और रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की उपस्थिति का संकेत देता है। साबरमती में घुलित ऑक्सीजन (DI) का निम्न स्तर जलीय जीवन का समर्थन करने में असमर्थता का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, साबरमती नदी में में टीसी का स्तर, जब यह अहमदाबाद में प्रवेश करती है तब 93 और अहमदाबाद से बाहर निकलते समय 15000 तक पहुंच जाता है, जो हानिकारक कीटाणुओं की उपस्थिति का संकेत देता है और यह गंभीर चिंता का विषय है।[7]

नीचे दिया गया ग्राफ अहमदाबाद में साबरमती नदी में प्रवेश करने से पहले और अहमदाबाद से निकलने के बाद का प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है।

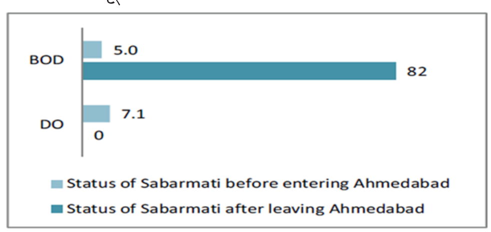

Sources: Water pollution reports, 2011, pp.132.

गुजरात उच्च न्यायालय (2021) की एक रिपोर्ट के अनुसार, नदी में आसपास के क्षेत्रों में उद्योग अवैध रूप से अपने व्यापार अपशिष्ट को अनधिकृत पाइप लाइनों के माध्यम से सीधे जल निकासी प्रणाली के मुख्य कक्ष में छोड़ रहे हैं। वर्तमान स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जलग्रहण क्षेत्रों से उपचारित सीवेज को साबरमती नदी में छोड़ा जा रहा है। यदि ये गतिविधियाँ अनियंत्रित जारी रहीं, तो यह एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करेगी।[8]

पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित प्रजापति ने बताया कि अहमदाबाद में साबरमती नदी का एक भाग, जो रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, रुके हुए पानी से भरा हुआ है। वह आगे कहते हैं कि अपर्याप्त उपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरे के कारण जब नदी 120 किमी दूरी तय करने के बाद अरब सागर से मिलती है उस समय नदी एक तरह से मृत अवस्था में पहुँच जाती है। प्रजापति

इस बात पर जोर देते हैं कि जैसे-जैसे डिस्चार्ज की गुणवत्ता खराब होगी, नदी की पारिस्थितिकी और पानी की गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों को साबरमती नदी में अनुपचारित नहीं डाला जाए।[9]

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक स्वतरू संज्ञान (Suo motu) जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान एक साल से अधिक समय से साबरमती नदी के प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अद्यतन रिपोर्ट अहमदाबाद में साबरमती नदी में उच्च प्रदूषण स्तर की पुष्टि करती है, इसे देश की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी की पदवी दी गयी है।[10]

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) जाँच के परिणामों के आधार पर 279 नदियों पर 311 प्रदूषित हिस्सों की पहचान करता है, जो कि जैविक प्रदूषण का संकेत देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गांधीनगर में रायसन और ढोलका में वौथा (Vautha) के बीच साबरमती नदी के विस्तार में बीओडी स्तर 292 मिलीग्राम प्रति लीटर था।[11]

सफाई के प्रयासों के बावजूद, साबरमती नदी में अनुपचारित सीवेज अपशिष्ट जल और औद्योगिक अपशिष्ट मिलना जारी है, जैसा कि मई 2022 में गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) द्वारा किए गए साबरमती के साथ 52 निकासों के ड्रोन सर्वेक्षण और मात्रा निर्धारण से संकेत मिलता है।

रोहित प्रजापति ने बताया कि मेगा पाइपलाइन के माध्यम से औद्योगिक निर्वहन और पाइपलाइन से जुड़े अज्ञात स्रोतों से अपशिष्ट जल नदी को प्रदूषित करना जारी रखता है। इस बीच, साबरमती रिवरफ्रंट अपने दूसरे चरण में और विस्तार की प्रक्रिया में है, जिससे वर्तमान रिवरफ्रंट में 11.5 किलोमीटर की दूरी और जुड़ जाएगी। एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) ने यह भी बताया कि साबरमती रिवरफ्रंट के बाद नदी ने अपना पारिस्थितिक प्रवाह खो दिया है और अब 120 किलोमीटर अहमदाबाद से आगे की ओर केवल औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज बहता है। इस तरह नदी का बीओडी स्तर 466 मिलीग्राम लीटर तक मापा गया है।[12]

कुल मिलाकर, साबरमती नदी अत्यधिक प्रदूषित है। नदी का 200 किलोमीटर विस्तार मृत माना जाता है और इसमें केवल औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज सम्मिलित हैं। अहमदाबाद शहर में प्रवेश करने पर नदी में अब ताजा पानी नहीं है, और पानी में ऑक्सीजन का स्तर गंभीर रूप से कम हो गया है।

गांधीनगर से अहमदाबाद तक साबरमती नदी : साबरमती रिवरफ्रंट (Riverfront) दुर्भाग्य से स्थिर और प्रदूषित पानी के तालाब में परिवर्तित हो गया है, जो एक गंभीर स्थिति प्रस्तुत कर रहा है। रिवरफ्रंट के डाउनस्ट्रीम में नदी, नरोदा, ओधव, वटवा, नारोल में स्थित उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट और अहमदाबाद शहर के सीवेज को ले जाने वाली एक नहर बनकर रह गई है। साबरमती नदी की यह स्थिति बहुत चिंता का विषय है, विशेष रूप से अहमदाबाद शहर और नदी के किनारे के गांवों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। ये व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरतों और आजीविका के लिए नदी के पानी पर बहुत अधिक निर्भर हैं।[13]

साबरमती नदी गांधीनगर में निकटवर्ती चिलोडा स्थान से प्रवेश करती है। नीचे दिए गये (चित्र-1) गांधीनगर में चिलोडा में साबरमती नदी को दिखाती है। मानसून के मौसम को छोड़कर पूरे वर्ष, नदी लगभग सूखी दिखाई देती है। हालाँकि, जब नदी अहमदाबाद पहुँचती है, तो नदी, रिवरफ्रंट में पानी से भर जाती है। गांधीनगर में नदी की स्थिति और अहमदाबाद में इसकी स्थिति के बीच विरोधाभास बहुत आश्चर्यजनक है।

अहमदाबाद के रिवरफ्रंट में साबरमती नदी : यह तस्वीर अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने कई पुलों को दिखाती है। उल्लेखनीय है कि चित्र में दिखाए गए सभी पुल और इलाके पानी से भरे हुए हैं। जैसे ही साबरमती नदी अहमदाबाद में प्रवेश करती है, जल की लगातार उपस्थिति बनी रहती है। यह एक तरह के विकास पहल और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देता है।

चित्र-1: अहमदाबाद में साबरमती नदी के रिवरफ्रंट और पुलों का हवाई दृश्य।

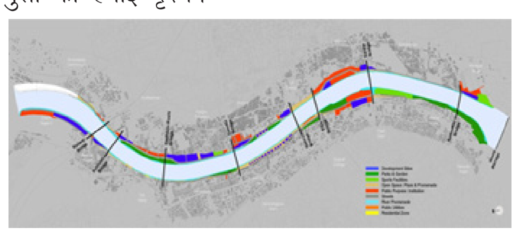

Sources: https://sabarmatiriverfront.com/srfdcl-master-plan/

हालाँकि, यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि, यह विकास, विशेष रूप से नदी तटीय क्षेत्रों का निर्माण, सतत विकास का उदाहरण नहीं हो सकता है। विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किए गए हस्तक्षेप नदी के प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रवाह में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इससे ऐसी परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। इसमें नदी का जीवन गौण है लेकिन शहर के आकर्षण के रूप में रिवरफ्रंट का विकास प्राथमिक है और रिवरफ्रंट नदी के कई पहलुओं को चुनौती देता है।

चित्र 2

यह चित्र अहमदाबाद के सुभाष ब्रिज से लिया गया है, जो नदी के किनारे एक प्रमुख स्थान है जो लोगों को साइकिल चलाने, पैदल चलने आदि जैसी गतिविधियों के लिए आकर्षित करता है।

साबरमती नदी अपने जल में अनुपचारित सीवेज छोड़े जाने की एक महत्वपूर्ण समस्या का सामना करती है। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा संचालित वासना उपचार संयंत्र से सबसे अधिक मात्रा में अनुपचारित सीवेज नदी में डाला जाता है, जिसकी प्रवाह दर 48 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रति दिन) है।[14] इसलिए, स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए, उच्च न्यायालय ने एएमसी को ऐसे दूषित सीवेज पानी को सीधे साबरमती नदी में छोड़ने के लिए जिम्मेदार समाजों, इमारतों और इकाइयों की पहचान करने का निर्देश दिया है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) ने अदालत को सूचित किया कि एएमसी द्वारा संचालित 14 सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) में से चार सीधे नदी में बड़ी मात्रा में सीवेज छोड़ रहे हैं।[15]

निष्कर्षतः साबरमती नदी में अनुपचारित सीवेज के प्रवेश की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी सीवेज उपचार और प्रबंधन प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता हैं। ऐसे उपाय नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और नदी के जल संसाधनों पर निर्भर समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वासना बैराज से लिये गये कुछ चित्र प्रस्तुत हैं। इस क्षेत्र में, विभिन्न स्रोत पानी के उच्च्च प्रदूषण स्तर में योगदान करते हैं, जिनमें सीवेज का प्रत्यक्ष निर्वहन, औद्योगिक अपशिष्ट जल और घरेलू अपशिष्ट सम्मिलित हैं। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र का पानी अत्यधिक प्रदूषित है।

चित्र 3

वासना बैराज पुल के एक तरफ का है।

चित्र–4

वासना बैराज पर लिया गया नदी के अत्यधिक प्रदूषित जल को दर्शाता चित्र

विशेषज्ञों के अनुसार, साबरमती नदी का पानी, जो अनुपचारित शहरी सीवेज के निर्वहन के कारण प्रदूषित है, इसका उपयोग सिंचाई और कृषि फसल उत्पादन के लिए किया जा रहा है। चिंताजनक रूप से, विशेषज्ञों द्वारा यह देखा गया है कि लगभग तीन दशकों से, यह प्रदूषित जल सिंचाई के लिए उपयोग, विशेष रूप से सब्जियों की खेती में, और भारी धातुओं के साथ मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है जिसका सबसे बुरा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।[16]

नगर निगम के सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट उपचार

संयंत्रों के सीवेज उपचार प्रक्रियाओं के दावों के बावजूद, साबरमती के पानी में न्यूरोटॉक्सिक धातुओं का पता चला है। वासना-नारोल पुल से साबरमती नदी के निचले हिस्से में 43 गांव स्थित हैं जो विभिन्न उद्देश्यों और सब्जियां और फसलें उगाने के लिए साबरमती के अनुपचारित अपशिष्ट जल पर निर्भर हैं।[17]

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने साबरमती नदी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) का ऊंचा स्तर पाया है, जो सूक्ष्मजीवों द्वारा घुलनशील ऑक्सीजन की उच्च खपत का संकेत देता है। यह स्थिति नदी के विस्तृत हिस्से में व्याप्त है, गांधीनगर में अपस्ट्रीम रायसन से लेकर डाउनस्ट्रीम वौथा तक। उच्च न्यायालय वासना से पिराना तक नदी के हिस्से, जो अहमदाबाद शहर से होकर गुजरता है, के प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) की आलोचना करता रहा है।[18]

ये निष्कर्ष साबरमती नदी में प्रदूषण के मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करते हैं, प्रदूषण को कम करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए व्यापक उपायों की तत्काल आवश्यकता हैं। वासना बैराज पर पुल के दूसरी ओर स्थिति बहुत भयानक है। अपशिष्ट जल को सीधे नदी में प्रवाहित किया जाता है।

चित्र-5

वासना बैराज के दूसरी ओर खींचा गया चित्र

उपर्युक्त चित्र साबरमती नदी की स्थिति को विषाक्त भारी धातुओं और प्रतिरोधी बैक्टीरिया के स्रोत के रूप में चित्रित करता है। इस प्रदूषण का जलीय जीवन और नदी तल के तलछट पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

शहरी-ग्रामीण समुदायों पर प्रदूषण का प्रभाव : साबरमती नदी के प्रदूषण का प्रभाव शहरी और ग्रामीण दोनों समुदायों पर हो रहा है। शहर में बढ़ते जल प्रदूषण के कारण नदी के पानी में ऑक्सीजन की कमी नदी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के दौरान अधिकतम प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित होता है।

अहमदाबाद के शहरी इलाकों में नदी के प्रदूषित पानी का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। शहरी निवासी, नदी के जल को पीने और घरेलू उपयोग के लिए उपयोग करते हैं, इस प्रकार जल की गुणवत्ता प्रभावित होने से इसका सीधा असर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। नदी के प्रदूषित होने के कारण ग्रामीण समुदायों के लिए कृषि और पानी की उपलब्धता की समस्याएं हो सकती हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की पैदावार, पशुपालन, और लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नदी का प्रदूषण जल संकट की समस्याओं को बढ़ा सकता है। नदी का प्रदूषण स्थानीय जल स्रोतों को प्रभावित कर सकता है और जल की उपलब्धता में कमी कर सकता है।

साबरमती नदी में जल प्रदूषण नगर निगम की जल आपूर्ति को दूषित कर रहा है, जिससे नगरीय जनसंख्या को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग, त्वचा रोग और अन्य जलजनित रोग जैसी व्यापक स्वास्थ्य समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। जल प्रदूषण सिंचाई के पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, संभावित रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाता है और साबरमती नदी के किनारे कृषि पर निर्भर ग्रामीण किसानों की आजीविका को प्रभावित कर रहा है।

इसलिए सबसे बड़ी चिंता, साबरमती नदी के प्रदूषित जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाना है। इस जल में भरी मात्रा में सीसा, पारा और अन्य जैसे जहरीले तत्वों के उच्च स्तर की उपस्थिति को दर्शाया गया है। ऐसे पानी का उपयोग करके उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों की गुणवत्ता से गंभीर समझौता हो सकता है। पानी में प्रदूषण इसे अनिवार्य रूप से जहरीला बना देता है, और ऐसे पानी से उगाई गई फसलों और सब्जियों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है।[19]

यह समीपवर्ती क्षेत्रों के गांवों के उन सैकड़ों किसानों के लिए भी एक गंभीर खतरा है जो सब्जियों और फसलों को उगाने के लिए नदी के अपशिष्ट जल का उपयोग करते हैं।[20] शोधकर्ता किसानों के खेत सब्जियाँ, विशेषकर

हरी सब्जियाँ उगाने के चित्रों द्वारा इस लेख में दिखाने का प्रयास किया है। ये छवियां यह प्रदर्शित करने का प्रयास करती हैं कि सब्जी उगने के लिए किस प्रकार दूषित पानी का उपयोग किया जा रहा है । यह स्थान वासना बैराज से कम से कम 500 मीटर दूर है।

चित्र-6 नदी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वासना बैराज के पास स्थित एक सब्जी के खेत में लिया गया चित्र।

चित्र-7 वासना बैराज के पास से लिया गया चित्र

उपर्युक्त चित्र में पालक (सब्जी) प्रदूषित साबरमती नदी से प्राप्त पानी का उपयोग करके उगाई जा रही है।

इस प्रकार, यह चिंताजनक है कि साबरमती नदी के प्रदूषित पानी का उपयोग सब्जियों की खेती के लिए किया जा रहा है, खासकर पालक, गाजर, मेथी, मूली और अन्य पत्तेदार सब्जियों के लिए। पत्तेदार सब्जियों में पानी और मिट्टी से दूषित पदार्थों को अवशोषित करने की अधिक प्रवृत्ति होती है, जिसमें प्रदूषित नदी के पानी में विद्यमान भारी धातुएं और अन्य प्रदूषक सम्मिलित हो सकते हैं।

इस प्रकार जल प्रदूषण को दूर करने, सिंचाई प्रथाओं में सुधार करने और कृषि उद्देश्यों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जल स्रोतों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक उपायों की तत्काल आवश्यकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हमारी खाद्य आपूर्ति की गुणवत्ता और सुरक्षा की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। साबरमती नदी में जल प्रदूषण को कम करने के प्रयासों में कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपाय, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना, स्वच्छ पानी तक पहुंच में सुधार और सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना सम्मिलित होना चाहिए। इस मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने और सभी के लिए एक स्थायी और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ नगरीय और ग्रामीण समुदायों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष : इस क्षेत्र में रहने वाले लोग दो दशकों से अधिक समय से भूमि और जल प्रदूषण के दुष्परिणाम झेल रहे हैं। प्रदूषण का उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा रोग, पेट और आंतों की बीमारियाँ और ब्रोन्कियल जैसी विभिन्न समस्याएं पैदा हो गई हैं। वैकल्पिक स्रोत के अभाव में लोग इसी प्रदूषित पानी को पीने को बाध्य हैं। कई परिवार खेत के ट्यूबवेलों से तुलनात्मक रूप से बेहतर गुणवत्ता वाला पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। वायु और जल प्रदूषण ने प्रभावित समुदायों के जीवन को प्रभावित करने वाली कई सामाजिक समस्याओं को भी जन्म दिया है।[21]

ये संकटपूर्ण स्थितियाँ प्रदूषण को कम करने, स्वच्छ और सुरक्षित जल स्रोतों तक पहुंच सुनिश्चित करने और प्रभावित आबादी के सामने आने वाली स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक कार्यों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देने की हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्र के लोगों की भलाई और जीवन की गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए अधिकारियों, नीति निर्माताओं और समुदाय के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1. Shah, A. K., Joshi, S. G., *'Evaluation of water quality index for River Sabarmati, Gujarat, India'* Water Sci. vol 7, 2017. pp. 1349–1358.
2. Bansal, N., *'Ahmedabad's impact on the Sabarmati River'*, Economic & Political Weekly. Vol 55 (5). 2020, pp. 1-10.
3. Central Pollution Control Board, *'Water pollution in India'*, New Delhi, 2011, Retrieved From https://cag.gov.in/webroot/uploads/download_audit_report/2011/Union_Performance_Civil_Water_Pollution_India_Ministry_of_Environment_and_Forest_21_2011.pdf.
4. Central Pollution Control Board, *'Polluted River Stretches for Restoration of Water Quality'* New Delhi, 2022, Retrieved from https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY=
5. Water pollution in India., op.cit., p.2.
6. Central Pollution Control Board., op.cit., pp. 15-16.
7. Water pollution in India, 2011.
8. Suo Motu vs Ahmedabad Municipal Corporation through the Municipal Commissioner, Ahmedabad & 3 others, GLR, Gujarat, C/WPPIL/98/2021 (23/09/2021), 2021, pp. 2-4 Retrieved from https://counterviewfiles.files.wordpress.com/2021/10/gjhc240420262021-6.pdf.
9. Ibid.
10. Ghosh, S., *'Save Sabarmati: A Desperate Cry'*, The Times of India, 2023, February 6, Retrieved from https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/save-sabarmati-a-desperate-cry-8425984
11. Parikh, Niyati., '*Sabarmati second most polluted river in India'*, The Times of India, 2023, February, 3.Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/sabarmati-second-most-polluted-river-in-india/articleshow/97564660.cms.
12. Kaushik, H., *'How the Sabarmati Became a Sewer'*, The Times of India. 2018, November 29. Retrieved from https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/how-the-sabarmati-became-a-sewer/articleshow/66856300.cms
13. Arvind Limited through Autho. Rep. Hardik Motiwala versus Suo Motu, GLR, Gujarat, C/WPPIL/98/2021 (03/12/2021), 2021, p. 3 Retrieved from https://www.livelaw.in/pdf_upload/arvind-limited-versus-suo-motu--409627.pdf
14. Kaushik, H., op.cit.
15. Sabarmati river pollution: HC directs AMC to seal 3 sites, seeks NEERI report in 2 weeks. (2022, February 18). The Times of India. Retrieved from https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/sabarmati-river-pollution-hc-directs-amc-to-seal-3-sites-seeks-neeri-report-in-2-weeks-7779169/
16. Arvind Limited through Autho. Rep. Hardik Motiwala versus Suo Motu, GLR, Gujarat, C/WPPIL/98/2021 (28/01/2022), 2022, p 32. Retrieved from https://www.livelaw.in/pdf_upload/arvind-limited-versus-suo-motu--409627.pdf
17. Parikh, Niyati, 2023, op.cit.
18. Ghosh, S., op.cit.
19. Arvind Limited through Autho. Rep. Hardik Motiwala versus Suo Motu, GLR, Gujarat, C/WPPIL/98/2021 (28/01/2022), 2022, p 32. Retrieved from https://www.livelaw.in/pdf_upload/arvind-limited-versus-suo-motu--409627.pdf
20. Parikh, Niyati, op.cit.
21. Srinath, J., Sheth, J., Mudrakartha., *'Water quality unclogging the Khari River'* Political & Economy Weekly, 41 (07), 2006.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

वैदिक काल में महिला शिक्षा पद्धति

❑ डॉ. प्रदीप कुमार

महिलाओं की किसी भी परिवार, समाज, समुदाय एवं राष्ट्र के विकास में प्रमुख भूमिका है। वैदिक काल में हम जब समाज में महिलाओं की स्थिति पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि यह भारत में दुनिया के अन्य भागों की तुलना में कहीं अधिक अच्छी व उच्च थी। किसी भी युग अथवा देश की सामाजिक व्यवस्था एवं तत्संबंधी दृष्टिकोण का वास्तविक मूल्यांकन नारियों की स्थिति एवं उनके विषय में प्रचलित धारणाओं के अध्ययन के बिना अपूर्ण है। वैदिक काल एक प्रगतिशील, आशावादी समाज था जहां पुरुष और महिलाओं को समान प्रस्थिति प्राप्त थी। प्रस्तुत शोध आलेख में वैदिक काल में नारी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही तत्कालीन नारी शिक्षा के माध्यम व विषयों के बारे में बताया गया है।

सूचक शब्द : वैदिक काल, महिला शिक्षा पद्धति, समूहों का अस्तित्व, संघर्ष एवं शक्ति।

वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है। प्राचीन भारत में महिलाओं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। साथ ही उनकी स्थिति में कुछ बदलाव भी होते रहे। शिक्षा भी महिलाओं के जीवन का हिस्सा थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा वेदों से ही निकली है। वेद भारतीय जीवन दर्शन है। वेद शब्द का अर्थ भी ज्ञान ही है। पुरुष और महिलाओं के लिए शिक्षा के समान अधिकार थे। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को समय तथा परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बाँटा गया है।[1] ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल/प्रारम्भिक वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद इसका एकमात्र स्त्रोत है। इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। संहिताओं, ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों एवं उपनिषदों का काल उत्तर वैदिक युग के नाम से अभिहित किया जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय 1000–600 ईसा पूर्व तक माना जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य–

1. प्रस्तुत शोध लेख का प्रमुख उद्देश्य वेदों में वर्णित महिला शिक्षा पद्धति का अध्ययन करना है।
2. ऋग्वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल में महिला शिक्षा एवं उनके जीवन में बदलाव को दर्शाना।
3. वैदिक काल में महिला व पुरुष शिक्षा पद्धति की, शिक्षा, विषय, अवधि एवं पाठ्यक्रम की तुलना करना।
4. वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा के स्तर को जानना।

अध्ययन विधि एवं आंकड़ों का संग्रह

(1) प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह के स्रोत अध्ययन किये गये।
(2) द्वितीयक स्रोतों के लिए वैदिक साहित्य से सबंधित पुस्तकें व शोध लेख विषयक सामग्री एकत्रित की गयी।
3) इसके अतिरिक्त तुलनात्मक एवं विवेचनपूर्ण अध्ययन किया गया है।

वैदिक काल में नारी की स्थिति : किसी भी समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उस समाज में स्त्रियों की दशा कैसी है। वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।[2] वह सभी दृष्टि से पुरूषों के समान थी। स्त्रियों का परिवार में बहुत सम्मान था। स्त्री को परिवार की साम्राज्ञी माना जाता था। पुरूषों की भांति स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था।[3] पुरूषों की भांति उनका भी उपनयन संस्कार होता था और वे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर उच्चतम् तथा सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करती थीं।[4] इस काल में हमें अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं का प्रणयन किया था। लोपामुद्रा विश्ववारा, अपाला, घोषा, सिकता, रोमशा तथा उर्वशी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।[5]

शिक्षा ज्ञान और विद्वता के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि याज्ञिक कार्यों में भी स्त्रियाँ अग्रणी थीं। उपनिषदों में भी अनेक

❑ सहायक प्रोफेसर, इतिहास, कन्या महाविद्यालय, खरखौदा, सोनीपत (हरियाणा)

ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं जो दर्शन तत्व ज्ञान और तर्क में निपुण थीं। बृहदारण्यक उपनिषद में विदेहराज जनक की राज्य सभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान को भी अपने गूढ़ प्रश्नों से मूक कर दिया था।[6] इस काल में स्त्रियाँ पुरुषों के समान सामाजिक और धार्मिक समारोहों एवं उत्सवों तथा सभा और विचार गोष्ठियों में बिना किसी प्रतिबन्ध के सम्मिलित होती थीं और विचारों का आदान-प्रदान करती थीं।[7] पत्नी के बिना कोई भी पुरूष यज्ञ का अनाधिगति कहा गया है। इस काल में न केवल पत्नी को पति के साथ धार्मिक कृत्यों में भाग लेने का अधिकार था अपितु वह पति के बिना भी स्वयं धार्मिक कृत्य कर सकती थीं।[8] समाज में विधवा विवाह तथा नियोग प्रथा का प्रचलन था जिससे उनकी सामाजिक स्थिति ठीक थी। सती-प्रथा, बाल-विवाह तथा पर्दा-प्रथा जैसी कुरीतियों का समाज में प्रचलन नहीं था।[9]

परिचर्चा : वैदिक काल से भारतीय महिलाओं का शानदार इतिहास रहा है। महिलाओं को ऋषि, योद्धा एवं शिक्षिका कई रूपों में वेदों में वर्णित किया गया है। उपर्युक्त परिचर्चा से हम पाते हैं कि महिलायें शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा से वैदिक काल में परिपूर्ण थीं। महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा के अवसर दिये जाते थे। सभी को उपनयन काल में संस्कार से गुजरना होता था। साथ ही शिक्षा पूर्ण होने तक अविवाहित रहना पड़ता था। अधिकांश माता पिता या तो स्वयं अथवा कुल पुरोहितों के द्वारा लड़कियों को घर पर शिक्षा भी देते थे।

किसी भी युग अथवा देश की सामाजिक व्यवस्था एवं तत्संबंधी दृष्टिकोण का वास्तविक मूल्यांकन नारियों की स्थिति एवं उनके विषय में प्रचलित धारणाओं के अध्ययन के बिना अपूर्ण है। इसलिए वैदिक काल में नारी की स्थिति को जानने के लिए इस समय की नारी शिक्षा के बारे में जानना भी आवश्यक है।[10] वैदिक समाज में एक शिक्षित युवती अपेक्षाकृत अधिक प्रशंसनीय व प्रतिष्ठित थी। वैदिक युग में स्त्री की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। वह पुरुषों के समकक्ष बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करती थी। वह बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थी, इस युग में पुत्र की तरह पुत्री का भी विधारम्भ से पूर्व उपनयन संस्कार सम्पन्न किया जाता था।[11] वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करती थी। उसे यज्ञ सम्पादन और वेदाध्ययन करने का पूर्ण अधिकार था।[12] दर्शन शास्त्र तथा तर्क शास्त्र में भी स्त्रियाँ निपुण थीं। सभी सभा गोष्ठियों में भी वे भाग लेती थीं। ऋग्वेद तथा समावेश के मन्त्रों का गान करती थीं।[13]

वैदिक काल के संबंध में कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि शिक्षा के संबंध में भी महिलाओं एवं पुरुषों के ऋग्वेद काल में समान अधिकार प्राप्त थे। जैसे लड़के व लड़कियाँ दोनों को यज्ञोपवीत धारण कर के शिक्षा ग्रहण करना आरम्भ हुआ। तब से ही महिलाएं वैदिक पाठ कर सकती थीं, साथ ही वैदिक मन्त्रों की रचना करने लगीं। वैदिक पठन-पाठन शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं ने अन्य विषयों जैसे संगीत विद्या, नृत्य एवं ललित कला विषय में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू कर दी थी। जब हम उतर वैदिक काल में महिला शिक्षा को देखते हैं तो पाते हैं कि इस समय महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करना काफी जटिल हो गया था। यहाँ पर महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी आई जिसका प्रभाव उनके सामान्य जीवन पर पड़ा। बालिका की विवाह की आयु कम कर दी गई। धीरे-धीरे ऋग्वेद काल में प्राप्त सभी अधिकार एवं कर्तव्य कम होते चले गये। इस तरह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रभाव उनकी शिक्षा पर भी पड़ना स्वाभाविक था।

साहित्यिक स्रोतों से यह पता चलता है कि ऋग्वेदकाल में महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता था। कुछ श्लोकों में उनकी उपस्थिति को देवता के समान उपस्थिति माना गया है। वैदिक काल में शिक्षा मुख्यतः मौखिक ज्ञान पर आधारित रही। यह परम्परा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती थी। बाद में मौखिक ज्ञान को वेदों व अन्य रचनाओं के रूप में लिपिबद्ध किया गया। ऋग्वेद व उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव महिला शिक्षा पर पड़ता रहा। जैसे-जैसे उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आता वैसे ही उनकी शिक्षा पद्धति में भी बदलाव आए। इस तरह हम कुछ बिन्दुओं पर प्रकाश डालकर वैदिक काल की महिला शिक्षा पद्धति को जानने का प्रयास करेंगे। वेदों व उपनिषदों में इस तरह के सन्दर्भ भरे पड़े हैं।

महिलाओं को वैदिक काल में शिक्षा से संबंधित सस्कारों से भी गुजरना होता था बह्मचर्य, उपनयन और मन्त्र पाठ करने पड़ते थे जिनका उल्लेग आगे विस्तार से किया गया है। साथ ही शिक्षा के केन्द्र पाठ्यक्रम, विषय एवं शिक्षा

प्राप्ति के उद्‌देश्य निर्धारित किये जाते थे, जिनको महिला एवं पुरुष दोनों को पालन करना होता था।

विदुषी नारियाँ : वैदिक काल की अनेक विदुषियों का उल्लेख मिलता है। रोमसा, अपाला, उर्वशी, विश्ववारा, सिकता निवावरी, घोषा, लोपामुद्रा ये विदुषी अपने पति के साथ समान रूप से यज्ञ में सहयोग देती थी।[14] गार्गी वाचकन्ती और मैत्रेयी जैसी नारियों के उल्लेख से पता चलता है कि उस काल में नारियाँ शिक्षित और विदुषी भी हुआ करती थीं।[15] उपनिषदों से पता चलता है कि प्राय लोग विदुषी पुत्री की इच्छा करते थे।

ब्रह्मचर्य : आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत जो ब्रह्मचर्य है उसका विशेष संबंध शिक्षा प्रणाली से है। माता-पिता स्वयं अपनी कन्या को ब्रह्मचर्य जीवन में समुचित रूप से प्रतिष्ठित किया करते थे।[16] वैदिक काल में स्त्री ब्रह्मचारिणी रहते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदुषी एवं ऋषिकाएं बनती थीं। अर्थववेद में सन्दर्भ मिलते हैं कि ब्रह्मवादिनी को अनुशासन में रहना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचार्य प्रथम आश्रम था तथा शादी के बाद आश्रम की दूसरी अवस्था शुरू हो जाती थी।[17] अर्थववेद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य की अवधि पूरा कर लेने पर कन्या किसी युवक से विवाह करने योग्य बनती थी।

उपनयन संस्कार : वैदिक काल में शिक्षारम्भ करने से पहले लड़कों के समान लड़कियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था।[18] वैदिक काल से लेकर ईस्वी शताब्दी के प्रारम्भ तक कन्या का वेदाध्याय उपनयन संस्कार से प्रारम्भ होता था। उपनयन संस्कार जीवन की एक अवस्था की समाप्ति और दूसरी अवस्था अर्थात् विधोपार्जन की अवस्था के आरम्भ का घोतक था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है शिष्य को गुरू के पास ले जाना। स्त्री-पुरूष सबको इस संस्कार का अधिकार था।[19] उपनयन संस्कार 8 से 12 वर्ष तक की अवस्था में सबसे उचित माना जाता था । इस संस्कार के बिना वैदिक यज्ञोपासना करने की वे अधिकारिणी नहीं हो सकती थीं। परन्तु स्त्रियों के उपनयन संस्कार में पुरुषों के उपनयन संस्कार की तरह वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं किया जाता था। उत्तर वैदिक साहित्य से पता चलता है कि गुरुकुलों में लड़कियों के लिए भी शिक्षा की की व्यवस्था थी।[20] उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के साथ ही शिक्षा शुरू हो जाती थी। यजुर्वेद के अनुसार कन्या का विवाह ब्रह्मचर्यावस्था समाप्त कर लेने के पश्चात् ही करना चाहिए।[21]

मन्त्रों का सस्वर पाठ : वैदिक कालीन स्त्रियों ने अनेक ऋचाओं की रचना की। वे कौशलपूर्वक नृत्य करती थीं तथा ऋचाओं का गान करती थीं।[22] वैदिक मन्त्रों का उच्चारण अपने आप में एक कला मानी जाती थी, मन्त्रों के शब्द एवं अक्षरों की ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उच्चारण को सप्त छन्दों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। अक्षरों के समायोजन द्वारा छन्द उत्पन्न होते थे। प्रत्येक दिन प्रातःकाल पक्षियों की चहचहाहट से पहले वैदिक मन्त्रों का उच्चारण किया जाता था। उच्चारण के तीन प्रकार थे प्रातीन, निर्भुज, उभयमन्त्रेण। प्रातीन में अक्षरों का उच्चारण किया जाता था। निर्भुज में अक्षरों के जोड़े बनाकर उच्चारण किया जाता था जबकि उभयमन्त्रेण में अक्षरों का उच्चारण अविरल रूप से किया जाता था।

स्त्रियाँ पुरुषों के साथ शास्त्रार्थ करती थीं। एक-साथ वे शिक्षा ग्रहण करती थीं और एक साथ वाद-विवाद में सम्मिलित होती थीं।[23] भवभूति (8वीं सदी) ने सहशिक्षा का उल्लेख किया है[24]

कामन्दकी ने मरिवस व देवराट के साथ विद्या ग्रहण की थी। अत्रेयी ने वाल्मीकी आश्रम में लव और कुश के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। मैत्रेयी के साथ अन्य नारियाँ भी याज्ञवल्क्य की शिष्याएँ थीं।[25]

परीक्षा केन्द्र : वैदिक काल में शिक्षा गुरू के आश्रम में दी जाती थी। स्त्रियों की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर होती थी। परन्तु उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था अलग होती थी। ऋग्वेद में स्त्रियों के ज्ञानोपार्जन के लिए गुरुकुल में जाने का उल्लेख है।[26] गुरूकुल में निःशुल्क आवास तथा भोजन के साथ शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में ऋषियों के आश्रम ही वास्तविक शिक्षा केन्द्र थे।[27]

वैदिक कालीन शिक्षा में ब्रह्मचार्य के सिद्धान्त पर अत्यधिक बल देता है। वेद का ब्रह्मचर्य सूक्त इसका अत्यन्त स्पष्ट प्रमाण है। ब्रह्मचर्य के सिद्धान्त की अति स्पष्ट अर्थापति यह है कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा एक साथ नहीं होनी चाहिए। बालकों की पाठशालाओं में शिक्षक और कर्मचारी सब पुरुष होने चाहिए और बालिकाओं की पाठशाला में शिक्षक एवं कर्मचारी सब महिलायें होनी चाहिए।[28] इसलिए भारतीय आर्य परम्परा में सह शिक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया गया है।

शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य : वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त

करने के दो उद्देश्य थे ज्ञान प्राप्त करना और सच्चरित्रता की भावना जागृत करना।[29] ऋग्वेद के गायत्री मन्त्र में शिक्षा के बारे में बताया गया है। विद्या पवित्र करने वाली, अन्न देने वाली, बुद्धि देने वाली, यज्ञ को सफल बनाने वाली, सत्य में होने वाली, कर्मों की प्रेरणा देने वाली, सुगतियों को बढ़ाने वाली यह विद्या देवी हमें यज्ञ को धारण कराने वाली है।[30]

विषय : वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा के विभिन्न विषय थे। कुमारावस्था में कन्यायें गन्धर्व विद्या, अर्थात् संगीत नृत्य सीखती थीं और साथ ही शास्त्रीय ज्ञान भी अर्जित करती थीं।[31] उत्तर वैदिक काल में वेदों, इतिहास, पुराण, व्याकरण, तर्कशास्त्र, महाकाव्य, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, सर्पविद्या, नक्षत्रविद्या, भूतविद्या आदि का अध्ययन किया जाता था।[32] उपनिषद काल में वेदांग शिक्षा का प्रचलन भी हो गया था। यज्ञ में भाग लेने के साथ स्त्रियाँ साहित्य मीमांसा तथा दर्शन सिद्धान्तों की योग्यता भी प्राप्त करती थीं। स्त्रियों को कपड़े बुनना भी सिखाया जाता था।[33] गार्गी पंचमहाभूतों के विषय में गहन ज्ञान या चिन्तन करती थी जो एक दर्शन शिक्षा है। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरूषों के साथ बराबर का धर्माधिकार तो था ही और वे किसी अंश में स्वतंत्र रहकर युद्धों, रथों की दौड़ आदि पुरुषोचित कार्यों में भी भाग लेती थी।[34] ऋग्वेद में इन्द्रसेना मुंदगगलानी का उल्लेख आता है जिसने रथों की दौड़ में अपने पति को विजय प्राप्त कराने में सहायता दी। मदलसा ने अपने पुत्र अलर्क को बड़ा सुन्दर राजनीति से संबंधित उपदेश दिया था।[35] वैदिक काल में स्त्रियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी, विश्यला ने अपने पति नृप के साथ युद्ध में भाग लिया था।[36] उल्लेख है कि युद्ध में विश्यला का पैर कट गया फिर अश्विनीकुमारों ने उसे लोहे का पैर लगाया।[37] वैदिक साहित्य में उर्वशी को एक जगह सेनापति के रूप में सेना का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है।[38] अपाला अपना स्वकुष्ट व पिता का गज रोग मिटाती है। इस प्रकार स्त्रियों को आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी । देवभूति सरसा अपने दैत्य कर्म के लिए भिन्न-भिन्न देशों में जाती थी।[39]

निष्कर्ष : अतः वैदिक काल में महिलाओं के शिक्षित होने के सन्दर्भ में अनेक साक्ष्यों से उनके बारे में जाना जाता है जैसे-महिलाओं द्वारा वेदों में लिखे गये श्लोक, महिलाओं को समर्पित श्लोक ऋग्वेद के दशम मण्डल के 39वें एवं 40वें सूक्त में वर्णित महिलाओं के नाम जो शिक्षित थीं। वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने वाली दो प्रकार की कन्याएं होती थीं (1) बह्मवादिनी (2) सघोदबाह। बह्मवादिनी जीवनभर अविवाहिता रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। सघोदबाह 15 या 16 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने के बाद ग्रहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थीं। वेदों में उल्लिखित कुछ मंत्र इस बात को रेखाकित करते हैं कि कुमारियों के लिए शिक्षा अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण मानी जाती थी।

अतः हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों को पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त का अधिकार था। लड़कियों को आरम्भ में घर पर शिक्षा दी जाती थी तथा उसके बाद वे उपनयन संस्कार के साथ गुरू से शिक्षा प्राप्त करती थीं। वैदिक साहित्य में अनेक विदुषियों के उल्लेख आये हैं जो शिक्षित थीं।[40] स्त्रियों के दो शुद्ध वर्ग होते थे संघोवधु और ब्रहावादिनी। वैदिक साहित्य में अनेक स्त्रियों को पुरूषों की सहायता करते हुए दिखाया गया है। यज्ञों में स्त्रियों-पुरुषों के समान भाग लेती थीं तथा सोम का गायन करती थीं।[41] ऋग्वेद में लगभग बीस ऐसी विदुषी स्त्रियों के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने अनेकानेक सूक्तों की रचना की थी।

सन्दर्भ

1. झा, द्विजेन्द्र नारायण, 'प्राचीन भारत का इतिहास', हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, 1984, पृ. 116
2. मिश्र, जयशंकर, 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास', हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 1986, पृ. 40 49
3. पूर्वोक्त, पृ. 49
4. गुप्त देवेन्द्र कुमार, 'प्राचीन भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था', न्यू भारतीय बुक कार्पोरेशन, दिल्ली, 2004, पृ.325
5. ऋग्वेद : वैदिक शोध संस्थान, पूना, 1937-46, 1/26/27
6. बृहदारण्यक उपनिषद : निर्णय सागर प्रेस, बम्बई, 1930, 3/6/9
7. शतपथ ब्रह्मण : चौखम्बा सीरीज वाराणसी, 1964, 2/6/10
8. ऋग्वेद : वैदिक शोध संस्थान, पूना, 1937-46, 4/10/85
9. वेदवाणी : वेदवाणी कार्यालय रेवली (सोनीपत), 2005, अंक-2, पृ0-3
10. वही, पृ. 10
11. मिश्र, जयशंकर, पूर्वोक्त, पृ. 416
12. मिश्र, जी. एस. पी. 'प्राचीन भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1981, पृ. 62
13. मुखर्जी, राधा कुमुद, 'प्राचीन भारतीय शिक्षा', गोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1951, पृ. 40-51

14. ठाकुर उपेन्द्र, 'प्राचीन भारत', चौखम्बा, वाराणसी, 1979, पृ. 161
15. पाण्डेय, विमल चन्द्र, 'प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास', हिन्दुस्तान अकादमी, इलाहाबाद, 1961, पृ0-368
16. वही, पृ. 368
17. मुखर्जी, राधा कुमुद, पूर्वोक्त, पृ. 40-18
18. अल्तेकर, अनन्त सदाशिव, 'प्राचीन भारत में शिक्षा', मनोहर प्रकाशन, वाराणसी, 1975, पृ. 40-105
19. मिश्र, उर्मिला प्रकाश, 'प्राचीन भारत में नारी', मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ, अकादमी, भोपाल, 1987, पृ. 2
20. गोखले, जी.बी., 'प्राचीन भारत', एशिया प्रकाशन हाऊस, दिल्ली, 1987, पृ. 38
21. पाण्डेय विमलचन्द्र, पूर्वोक्त, पृ. 360
22. नागौरी, एस. एल., 'प्राचीन भारत', आर. बी.एस.ए. प्रकाशन, दिल्ली, 1987, पृ0-58
23. मिश्र, जयशंकर, पूर्वोक्त, पृ. 40, 419
24. मुखर्जी, राधा कुमुद, ' पूर्वोक्त, पृ. 40-26
25. वही, पृ. 26
26. मिश्र, उर्मिला प्रकाश, पूर्वोक्त, पृ. 2
27. पाण्डेय, विमल चन्द्र, पूर्वोक्त, पृ. 40-368
28. वही, पृ. 368
29. मुखर्जी, राधा कुमुद, पूर्वोक्त, पृ.40-89
30. ज्ञानी शिवदत, 'वैदिक कालिन समाज', चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1967, पृ0-145
31. पाण्डेय विमलचन्द्र, पूर्वोक्त, पृ. 368
32. कमला, 'ऋग्वेद में नारी', निर्मल प्रकाशन, दिल्ली, 1997, पृ0-93
33. मिश्र, उर्मिला प्रकाश पूर्वोक्त, पृ. 40, 108-109
34. काणे, पांडुरामवामन, 'धर्मशास्त्रों का इतिहास', सागर प्रकाशन, पूना, 1968, भाग - 2, पृ. 231
35. कमला, पूर्वोक्त, पृ0-94
36. मलतीमाधव, अंक-2
37. उत्तररामचरित्, अंक-1
38. ठाकुर, उपेन्द्रनाथ, 'प्राचीन भारत', चौखम्बा आरियन्टालिया, वाराणसी, 1979, पृ-147
39. ज्ञानी शिवदत्त, पूर्वोक्त, पृ0-145
40. ऋग्वेद : पूर्वोक्त, 10/116
41. वेदवाणी : पूर्वोक्त, पृ0-37

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

हिमाचल प्रदेश में वृत्तिक पाठ्यक्रमों में नामांकित युवाओं के आदर्श

❑ निवेश शर्मा
❖ डॉ. दिग्विजय फुकन

सूचक शब्द : भारत, हिमाचल प्रदेश, युवा, वृत्तिक पाठ्यक्रम (Professional Courses), आदर्श, प्रेरणा स्त्रोत, प्रसिद्ध व्यक्ति।

युवावस्था जैविक एवं सामाजिक अवधारणा है। यह जीवन का वह चरण है जिसमें दृष्टिकोण और आदतें बनती हैं और इनकी आजीवन बने रहने की संभावना रहती है। इस आयु में अपना कोई प्रेरणा स्त्रोत होना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे युवाओं को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मार्ग चुनने में मदद करते हैं। अपने आदर्श का अनुकरण करके युवा नए कौशल सीखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं क्योंकि वे प्रेरणा का स्रोत होते हैं। प्रेरणा स्त्रोत की उपस्थिति युवाओं को सकारात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करती है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के युवाओं द्वारा अपने लिए चयनित आदर्श का पता लगाना और उन व्यक्तियों को प्रेरणा स्त्रोत के रूप में चयन करने के कारणों की पहचान करना है। अध्ययन के अंतर्गत अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत 1350 उत्तरदाताओं के आधार पर शोध के निष्कर्ष निकाले गये। शोध के आधार पर आदर्श व्यक्तियों को पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। शोध पत्र में उन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें उत्तरदाताओं ने अपने आदर्श के रूप में चुना है।

'युवा' शब्द का स्थान और समय के अनुसार तात्पर्य परिवर्तित होता है। यह शब्द संस्कृत शब्द 'यौवन' से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है 'युवा' या 'युवा व्यक्ति'।[1] युवावस्था की अवधि, जिसे 'कैशोर्य' का समय भी कहते हैं, को प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में जीवन का प्रमुख कालखंड माना गया है।[2] युवावस्था को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि यह विविध अर्थों को समाहित करता है और इसका संबंध जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था से है।[3,4] युवावस्था की अवधारणा सामाजिक होने के साथ–साथ जैविक भी है।[5] युवावस्था को एक विकासात्मक चरण के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें दृष्टिकोण और आदतें सिखाई जाती हैं जो आजीवन बनी रहती हैं।[6] युवा किसी भी देश की उन्नति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विकास के पीछे प्रेरक शक्ति हैं क्योंकि वे सेवा के साथ–साथ श्रम के रूप में योगदान प्रदान करते हैं और युवाओं की रचनात्मकता और उत्पादकता ही किसी भी देश में विकास के चक्र को घुमाती है।[7,8] भारत को इस बात का लाभ प्राप्त है क्योंकि इसमें युवाओं की जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में अधिक है। वर्तमान में भारत में 10–24 वर्ष के आयु वर्ग के 35.6 करोड़ युवा हैं; जो की दुनिया में सबसे अधिक हैं। यह संख्या भारत को सक्षम और प्रबल भी बनाती है।[9] युवा एक मूल्यवान मानव संसाधन है क्योंकि यह जीवन का वह चरण है जो ऊर्जा, उत्साह, आशा, जिजीविषा, प्रेरणा और रचनात्मकता से भरा होता है। युवाओं द्वारा चयनित प्रेरणा स्त्रोत उनके जीवन में निर्माणात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और उनके जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।[10]

प्रेरणा स्त्रोत अपने जीवन के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को उनके जीवन के पथ को तय करके उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रेरणा प्रदान करते हैं। प्रेरणा स्त्रोत इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अपने आदर्श को देखकर, पढ़कर या सुनकर ही लोग अपने लक्ष्य और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग तय करते हैं। सामान्यतः, समाज प्रभावशाली, प्रतिष्ठित और प्रशंसनीय व्यक्तियों को अपने आदर्श के रूप में मानता है। वे अलग–अलग संदर्भों में भिन्न व्यक्तियों को आदर्श के रूप में देख सकते हैं क्योंकि पृथक प्रेरणा स्त्रोत उनके जीवन के अलग–अलग उद्देश्यों की पूर्ति में प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। समूहों और संगठनों में आदर्श व्यक्ति प्रेरणा स्रोत के रूप में

❑ शोध अध्येता, समाजकार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, सप्त सिन्धु परिसर, देहरा (हिमाचल प्रदेश)
❖ सहायक आचार्य समाजकार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, सप्त सिन्धु परिसर, देहरा (हिमाचल प्रदेश)

कार्य कर सकते हैं और उनकी उपस्थिति असमानताओं को दूर करने का माध्यम हो सकती है।[11] अपने लिए आदर्श व्यक्ति के चयन की अवधारणा लोगों को, विशेषकर विभिन्न पीढ़ियों के लोगों को, महत्वपूर्ण तरीकों से एक साथ जोड़ती है।[17] इसलिए, कोई व्यक्ति जो दूसरों को उस भूमिका के संबंध में समान विचारों, मूल्यों और व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, उसे एक अनुकरणीय व्यक्ति कहा जाता है।[12]

साहित्य समीक्षाः

बेल्टमन[13] ने अपने शोध पत्र 'युवाओं के लिए रोल मॉडल' में पाया कि प्रायः लोग किसी पद या प्रसिद्ध व्यक्ति को अपने लिये प्रेरणा स्त्रोत मानते हैं क्योंकि इससे उन्हें उनका अनुकरण करके उनकी तरह बनने की प्रेरणा मिलती है। यह भी पाया गया कि किसी व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार एक से अधिक प्रेरणा स्त्रोत भी हो सकते हैं।

डेनियल[14] के शोध पत्र 'द सोशल साइकोलाजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन' के अनुसार प्रेरणा स्त्रोत की अवधारणा किसी व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहार से जुड़ी होती है। प्रायः ये देखा गया है कि समाज में कोई व्यक्ति अध्यापक, राजनेता, गीतकार एवं अभिनेता के कार्यों एवं व्यवहार से प्रेरित होकर उनको प्रेरणा स्त्रोत मानते हैं।

गरटज़िया[15] ने अपने शोध पत्र 'टेस्टिंग द मोटिवेशनल इफेक्टस ऑफ अटेनेबल रोल मॉडल' में कहा कि अपने लिए प्रेरणा स्त्रोत ढूंढना और उनका अनुकरण करने से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अपने लिये एक सही व्यक्ति को प्रेरणा स्त्रोत चुनना। यह भी कहा गया कि एक सही व्यक्ति को प्रेरणा स्त्रोत चुनना इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके जीवन को सही और गलत दोनों दिशाओं में ले जा सकता है।

मिलेंडएर[16] ने अपने शोध पत्र 'क्लिनिकीयन्स शुड बी अवेयर ऑफ देयर रेसपोनसीबिलिटीजः अ केस रिपोर्ट ऑन इम्पैक्ट ऑफ पुअर रोल मॉडलिंग' में कहा कि प्रेरणा स्त्रोत की अवधारणा लोगों को जोड़ने का भी काम करती है। अपने लिये प्रेरणा स्त्रोत ढूंढना किसी व्यक्ति को अपनी पहले की पीढ़ियों के लोगों से प्रेरणा लेने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनने का अवसर देती है।

गिबस्न[17] के शोध पत्र 'रोल मॉडल इन कैरियर डेवलपमेंट' के अनुसार रोल मॉडल दो शब्दों रोल एवं मॉडल के योग से बना है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने प्रेरणा स्त्रोत के व्यवहारों को अपनाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है।

अध्ययन के उदेश्यः

1 हिमाचल प्रदेश में वृत्तिक पाठ्यक्रमों में नामांकित युवाओं के प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों का पता लगाना।

2 युवाओं द्वारा चयनित प्रेरणा स्रोत को चुनने के कारणों का पता करना।

शोध पद्धतिः प्रस्तुत अध्ययन में मिश्रित पद्धति का प्रयोग करते हुए विश्लेषण किया गया है। शोध के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए एवं तथ्य संकलन हेतु अन्वेषणात्मक अनुसंधान प्ररचना का प्रयोग किया गया है। तथ्य एकत्र करने के लिए उतरदाताओं के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर 28 विश्वविद्यालयों में स्नात्तकोतर स्तर पर वृत्तिक पाठ्यक्रमों को पढ़ने वाले युवाओं को सम्मिलित किया गया। बहुचरणीय निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हुए उतरदत्ताओं का चयन किया गया।

1. प्रतिचयन के प्रथम चरण पर हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर 28 विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया।
2. प्रतिचयन के द्वितीय चरण पर इन विश्वविद्यालयों में वृत्तिक पाठ्यक्रमों में स्नात्तकोतर स्तर पर पंजीकृत युवाओं को सूचीबद्ध किया गया। इन पाठ्यक्रमों में कुल 3,669 युवा इन पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं।
3. प्रतिचयन के तृतीय व अंतिम चरण में दैव निदर्शन प्रविधि का उपयोग करते हुए इन वृत्तिक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत युवाओं में से 1,383 युवाओं का चयन करके उनसे गूगल फार्म को भरवाया गया। इनमें 33 उत्तरदाताओं के फार्म पूर्ण नहीं थे अतः 1350 उत्तरदाताओं के आधार पर शोध निष्कर्ष निकाले गये।

विश्लेषण : कुल चयनित उत्तरदाताओं में से 53 ने कहा कि वह किसी को भी अपना आदर्श नहीं मानते। शेष 1297 लोगों ने एक या एक से अधिक लोगों को अपना आदर्श बताया। उत्तरदाताओं के उत्तरों आधार पर आदर्श व्यक्तियों का वर्णन इस तरह से है-

तलिका संख्या 01

आदर्श व्यक्तियों के प्रकार

आदर्श व्यक्तियों के प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
केवल माता-पिता	116	8.6
माता-पिता एवं शिक्षक	186	13.77

केवल शिक्षक	95	7.03
माता-पिता, शिक्षक एवं अन्य	527	39.09
अन्य	373	27.63
कोई आर्दश नहीं	53	3.93
कुल	1350	100.00

तालिका संख्या 1 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 8.94 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ये कहा कि वह केवल अपने माता-पिता को ही अपने लिए आदर्श मानते हैं। 13.77 प्रतिशत उत्तरदाता माता-पिता के साथ-साथ अपने अध्यापकों को भी अपने लिए आदर्श के रूप में देखते हैं। 7.03 प्रतिशत ही ऐसे उत्तरदाता हैं जो केवल अपने अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। सबसे अधिक 39.04 प्रतिशत उत्तरदाता न केवल अपने माता-पिता, अध्यापकों परंतु कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। 27.63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वह केवल अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों को ही अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। 3.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपने आदर्श के रूप में नहीं देखते हैं।

तालिका संख्या 02

प्रसिद्ध अनुकरणीय व्यक्तित्वों की सूची*

अनुकरणीय व्यक्ति	पुरूष		महिला		कुल
	आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
स्वामी विवेकानंद	151	26.54	74	22.36	25.00
विनायक दामोदर सावरकर	27	4.75	8	2.42	3.89
बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर	86	15.11	55	16.62	15.67
नेताजी सुभाष चंद्र बोस	52	9.14	17	5.14	7.67
डॉ. यशवंत सिंह परमार	16	2.81	7	2.11	2.56
डॉ. किरण बेदी	5	0.88	39	11.78	4.89
श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी	102	17.93	68	20.54	18.89
सद्गुरु	22	3.87	38	11.48	6.67
इलॉन मस्क	40	7.03	8	2.42	5.33
कैप्टन विक्रम बत्रा	17	2.99	5	1.51	2.44
महेंद्र सिंह धोनी	51	8.96	12	3.63	7.00
कुल	569	100.00	331	100.00	100.00

*बहुविकल्पी तालिका

तालिका संख्या 2 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि 1297 सूचनादाताओं ने बहुविकल्पी चयन के आधार पर 900 विकल्पों अर्थात् प्रसिद्ध व्यक्तियों को अपने आदर्श के रूप में चुना है। पुरूष सूचनादाताओं द्वारा 569 आदर्श व्यक्तियों को और महिलाओं द्वारा 331 आदर्श व्यक्तियों का चयन किया है। तालिका में स्पष्टतः अवलोकनीय है कि सर्वाधिक उत्तरदातओं (25 प्रतिशत) ने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श स्वीकार किया है। दूसरे स्थान पर (18.89 प्रतिशत) सूचनादताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को अपना आदर्श स्वीकार किया है तथा तीसरे स्थान पर 15.67 प्रतिशत सूचनादाताओं ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श माना है। इस संबंध में सारणी से एक विशेष तथ्य भी उजागर होता है कि कुल उत्तरदाताओं ने जिन तीन प्रसिद्ध व्यक्तियों को अपना आदर्श माना है उन्हीं तीन को पुरूष और महिला वर्ग ने पृथक-पृथक भी आदर्श माना है अर्थात् पुरूष वर्ग भी सर्वाधिक संख्या (26.54 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग की सर्वाधिक संख्या (25 प्रतिशत) नें स्वामी विवेकानंद को, दूसरे स्थान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पुरूष वर्ग (17.93 प्रतिशत) तथा महिला वर्ग (18.89 प्रतिशत) ने तथा तीसरे स्थान पर 15.11 प्रतिशत पुरूषों ने तथा 15.67 प्रतिशत महिला वर्ग ने डॉ. अम्बेडकर को अपना आदर्श स्वीकार किया है। प्रतिक्रियाओं के आधार पर, उत्तरदाताओं द्वारा आदर्श माने जाने वाले ग्यारह प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के नामों पर यहां चर्चा की गई है। इन नामों को जन्मवर्ष के आधार पर व्यवस्थित किया गया है।

स्वामी विवेकानंद

भारत के गौरवशाली अतीत और भविष्य को जोड़ने

वाले इस महान व्यक्ति का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। सन्यास के पूर्व उनका नाम नरेंद्रनाथ था। भगवान को जानने और देखने की उनकी इच्छा उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस तक ले गई, जो बाद में उनके गुरु बने। एक सन्यासी के रूप में वे स्वामी विवेकानन्द बन गये। वे बहुत ही कम आयु में युवाओं के लिए एक आदर्श बन गए। स्वामी विवेकानन्द ने युवाओं को व्यक्तिगत चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित किया; जो आत्म-संतुष्टि और सर्वोच्च भलाई की ओर ले जाये।[18] स्वामीजी अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति, अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि, पीड़ितों के प्रति असीम सहानुभूति, प्रेम तथा साहस, लड़ने की भावना, नेतृत्व, अजेय जीवन शक्ति और अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के कारण युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। स्वामी विवेकानन्द ने युवाओं से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को समझने और उनकी निरंतर वृद्धि के लिये काम करने पर बल दिया। उन्होंने कहा किसी भी चीज़ से डरो मत। आप अद्भुत काम करेंगे। यह डर है कि दुनिया में दुख का बड़ा कारण है। यह डर है कि सभी अंधविश्वासों में से सबसे बड़ा है। यह भय है जो हमारे सभी संकटों का कारण है, और यह निडरता है जो एक पल में भी स्वर्ग लाती है। इसलिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।[19]

कुल उतरदाताओं में से 25 प्रतिशत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 26.54 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 22.36 प्रतिशत महिलायें स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानती हैं। स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने के पीछे युवाओं का कहना है कि युवा अवस्था में ही दृढ़ता के साथ विश्व भर में भारत के विचारों एवं संस्कृति के प्रसार की भावना हमें भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिये लिए प्रेरित करती है। उतरदाताओं ने यह भी कहा कि अपने कार्य के दौरान किसी समय पर विफल होने पर विवेकानंद जी की पंक्तियां प्रेरणा का कार्य करती हैं और फिर से अपने कार्य को तत्परता से करने के लिये प्रेरित करती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि युवा अवस्था में दृढ़ता के साथ विश्व भर में भारत के विचारों एवं संस्कृति के प्रसार के लिये आज भी युवा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिये प्रेरित होते हैं।

विनायक दामोदर सावरकर

विनायक दामोदर सावरकर को स्वतंत्रतावीर सावरकर, विनायक सावरकर या वीर सावरकर के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होनें अपना जीवन भारत की महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेल्यूलर जेल में अंग्रेजों के द्वारा उन्हें यातनाएं दी गई। भारत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एवं राष्ट्रनिष्ठा के कारण युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।

कुल उतरदाताओं में से 3.89 प्रतिशत ने कहा कि सावरकर को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 4.75 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 2.42 प्रतिशत महिलायें सावरकर को अपना आदर्श मानती हैं। उतरदाताओं ने कहा की विदेश से पढ़ने के बाद भी अपने देश की चिंता करना और उसके लिए निरंतर प्रयास करते हुए समुद्री जहाज से कूद कर समुद्र को तैर कर पार करने का साहस करना और अंडमान कारावास में यातनाएं सहना उनसे प्रेरित होने के लिये पर्याप्त है।

बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर

डॉ भीमराव आंबेडकर का समाज में संघर्ष करते हुए अपनी शिक्षा को पूर्ण करके भारत के संविधान निर्माता बनने से लेकर भारत के कानून मंत्री बनने की यात्रा आज भी समाज को प्रेरणा देती है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। डॉ. आंबेडकर एक महान विद्वान थे; जिन्होंने अपने अध्ययन के पश्चात उत्पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह जन्म के आधार पर लोगों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से दुखी थे। उनके जीवन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत के हर नागरिक को समान अधिकार मिलें। उन्होंने समाज के तथाकथित निचले वर्गों को राजनीतिक रूप से उनकी स्थिति के बारे में जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा पर बल दिया और इसे सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी उपकरण माना। उन्हें भारतीय संविधान के आलेखन समिति के अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा गया था। कई युवा उन्हें मार्गदर्शक मानते हैं और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें एक आदर्श मानते हैं।

कुल उतरदाताओं में से 15.67 प्रतिशत ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 15.11 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 16.62 प्रतिशत महिलायें डॉ. भीमराव आंबेडकर को अपना आदर्श मानती हैं। उतरदाताओं के अनुसार कठिन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी पढ़ने के लिये उनकी इच्छाशक्ति अपने आप में एक प्रेरणा है और इन कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके उस समय पर छात्रवृति प्राप्त करना उनकी बुद्धिमता का प्रमाण है। सभी को समान अधिकार प्रदान करने वाले, भारत के संविधान को मूर्त रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए युवा वर्ग उन्हें अपना आदर्श मानता है और उनसे प्रेरणा लेकर अपने कार्यक्षेत्र के माध्यम से समाज में अच्छा कार्य करके देश की उन्नति में अपना सहयोग देने की प्रेरणा लेता है।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस

सुभाष चंद्र बोस जिन्हे 'नेताजी' के नाम से जाना जाता है, का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ। वे एक असाधारण प्रतिभाशाली बच्चे थे उन्होंने 1913 में दसवीं की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होने प्रेसीडेंसी कॉलेज में नामांकन किया।[20] भारतीय सिविल सेवा परीक्षा (आईसीएस) उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने इसलिये त्याग कर दिया क्योंकि उनके लिए आईसीएस नौकरी को स्वीकार करना अंग्रेजों की सेवा करने के समकक्ष था।[21] वे अत्यंत प्रभावशाली नेता थे और उन्होंने अंग्रेजों को भारतीय धरती से बाहर निकालने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना (आजाद हिंद फौज) को संगठित किया। एक अथक स्वतंत्रता सेनानी, नेताजी, ने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में भारतीय ध्वज फहराया।[22]

कुल उतरदाताओं में से 7.67 प्रतिशत ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 9.14 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 5.14 प्रतिशत महिलायें सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानती हैं। उतरदाताओं के अनुसार लंदन जा कर सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक आईसीएस की परीक्षा पास करना और असहयोग आंदोलन में अपना योगदान देने के लिये उसे त्याग देना उन्हें अपना आदर्श मनाने के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही 'जय हिन्द' का नारा जो कि अब राष्ट्र नारा है और 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा' नारा आज भी जोश भरते हुए प्रेरणा देता है। वे आज भी युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ नेतृत्व के गुणों को सीखते हुए देश की प्रगति में सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं।

डॉ. यशवंत सिंह परमार

'हिमाचल निर्माता' डॉ. यशवन्त सिंह परमार एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 4 अगस्त 1906 को हुआ और उन्होंने पहाड़ी भाषा, भौगोलिक आधार और संस्कृति के दर्शन के माध्यम से पृथक हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।[23] अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्हें सिरमौर रियासत में नौकरी मिल गयी; परंतु, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी। वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने।[24]

कुल उतरदाताओं में से 2.56 प्रतिशत ने कहा कि यशवंत सिंह परमार को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 2.81 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 2.11 प्रतिशत महिलायें यशवंत सिंह परमार को अपना आदर्श मानती हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर अपनी पढ़ाई पूर्ण करके राजा के दरबार में नौकरी लेना और देश को स्वतंत्रता दिलवाने के लिये उस नौकरी को छोड़ कर आजादी के आंदोलन में कूदने के लिये वे प्रेरणा के स्त्रोत हैं। साधारण परिवार से लेकर हिमाचल निर्माता के नाम से प्रसिद्ध होना एवं प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करना उतरदाताओं को समाज एवं प्रदेश की सेवा करने के लिए प्रेरणा का स्त्रोत हैं।

डॉ. किरण बेदी

किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में भाग लिया। उन्होंने 1966 में जूनियर नेशनल लॉन टेनिस चैम्पियनशिप और 1972 में एशियाई लॉन टेनिस चैम्पियनशिप जीती। जुलाई 1972 में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचा। उन्होंने 1993 में आईआईटी दिल्ली से सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट कि उपाधि प्राप्त की।[25] तिहाड़ जेल में जेल महानिरीक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने जेल के प्रबंधन में कई सुधार किए। उन्होंने पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में कार्य किया और संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना अभियानों में नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में कार्य किया।

कुल उतरदाताओं में से 4.89 प्रतिशत ने कहा कि किरण बेदी को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 0.88 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 11.78 प्रतिशत महिलायें किरण बेदी को अपना आदर्श मानती हैं। भारत की पहली महिला पुलिस अधिकारी बनकर देश की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री की गाड़ी को भी जुर्माना लगाना प्रेरणा देता है। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उनके कार्यों के कारण युवा वर्ग उनको आदर्श के रूप में देखता है। उनके काम के प्रति समर्पण और देश के प्रति सेवा के कारण युवा उन्हें आदर्श मानते हैं।

श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी

श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में हुआ था। वे भारत के प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान समय के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता हैं। वे एक दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने भारत वासियों को 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' का नारा दिया।

कुल उतरदाताओं में से 18.89 प्रतिशत ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 17.93 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 20.54 प्रतिशत महिलायें नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानती हैं। उत्तरदाताओं ने कहा कि श्री मोदी जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया है और मोदी जी देश को वैश्विक महाशक्ति के स्थान पर ले जाने के लिए बिना किसी अवकाश के कार्य कर रहे हैं, और यह उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। उत्तरदाताओं ने ये भी बताया कि 3 करोड़ फॉलोअर्स के साथ वह इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं और उनकी सोशल मीडिया पर युवाओं के साथ जुड़ने की इस विशेषता के कारण उत्तरदाता उनसे बहुत प्रभावित हैं और उन्हें देश के लिए कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। प्रारम्भिक जीवन की कई समस्याओं का सामना करते हुए वे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे इससे उनको प्रेरणा मिलती है। उनका प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना विश्व भर के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। उनके नेतृत्व कौशल और अथक प्रयासों से युवा एवं सभी हिन्दुस्तानी प्रेरित होते हैं।

सद्गुरु

सद्गुरु जग्गी वासुदेव का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में एक तेलुगुभाषी परिवार में हुआ था। सद्गुरु ने अपने काम से विश्व भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उन्होंने 1992 में ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। दुनिया भर में इसके 300 केंद्र हैं और 1.1 करोड़ से अधिक लोग इस संस्था के साथ जुड़े हैं। 2017 में सद्गुरु को असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सद्गुरु ने कई देशों के संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों से वार्ता की है। इनमें ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, व्हार्टन, एमआईटी और आईआईटी जैसे वैश्विक और भारतीय शीर्ष संस्थान सम्मिलित हैं।[28]

कुल उतरदाताओं में से 6.67 प्रतिशत ने कहा कि सद्गुरु को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 3.87 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 11.48 प्रतिशत महिलायें सद्गुरु को अपना आदर्श मानती हैं। उतरदाताओं ने कहा कि सद्गुरु द्वारा चलाए जा रहे विभिन कार्यक्रम ना केवल प्रेरणा का काम करते हैं अपितु उनके द्वारा जिस तरह किसी भी विषय को सरलता एवं तथ्यों के साथ रखा जाता है उससे उन्हें हिंदुस्तान एवं यहाँ की संस्कृति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पता चलता है। सद्गुरु ने 'युवावस्था' को 'निर्माणाधीन जीवन' के रूप में वर्णित किया है और उनके लिए 'युवा और सत्य' नामक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। युवा उनके कार्यों और व्यावहारिक परामर्श से सार्थक और सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। युवाओं के द्वारा उनके परामर्श को महत्व दिया जाता है और दैनिक जीवन में उसका पालन भी किया जाता है।

इलॉन मस्क

इलॉन मस्क का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनका प्रारम्भिक जीवना रंगभेद नीति के युग में बीता। 17 साल की आयु में वे कनाडा चले गए। विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरा करने के बाद मस्क ने एक उद्यमी के रूप में अपना निजी कार्य शुरू किया। उन्हें एक सफल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स व्यवसाय पे पल की स्थापना के लिए जाना जाता है। वह इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली पर्यावरण के प्रति जागरूक कंपनी टेस्ला मोटर्स और उन्नत रॉकेट और अंतरिक्ष यान डिजाइन, निर्माण और लॉन्च करने वाली स्पेसएक्स दोनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) भी हैं। वह ट्विटर के अध्यक्ष भी हैं; बोरिंग कंपनी और एक्स कॉर्प के संस्थापक और न्यूरालिंक और ओपनएआई के

सह-संस्थापक हैं।[27]

कुल उतरदाताओं में से 5.33 प्रतिशत ने कहा कि मस्क को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 7.03 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 2.42 प्रतिशत महिलायें मस्क को अपना आदर्श मानती हैं। उतरदाताओं ने बताया कि चीजों को सोचने एवं समझने की मस्क की विशेषता ही उनको अन्य लोगों से अलग बनाती है और उनकी इसी विशेषता से प्रेरणा भी मिलती है कि शोध के क्षेत्र में किस तरह से चीजों को समझ कर कुछ अलग किया जा सकता है। वह एक ऐसे उद्यमी हैं जो न केवल तकनीकी पाठ्यक्रम वाले युवाओं के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी एक आदर्श के रूप में कार्य करते हैं जो अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं। उनके नवाचारों और व्यावसायिक कौशल से प्रेरित होकर ही युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।

कैप्टन विक्रम बत्रा

परम वीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। उन्होंने अध्ययन और खेल-कूद दोनों में उत्कृष्टता प्राप्त की। पंजाब निदेशालय के उत्तरी क्षेत्र में इंटर स्टेट राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) शिविर में वे सर्वश्रेष्ठ एनसीसी एयर विंग केडेट के रूप में चयनित हुए। 1994 में उन्हें गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी केडेट के रूप में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और जब वे घर लौटे तो उन्होंने अपने माता-पिता को बताया कि उन्हें सेना में सम्मिलित होना है। संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा को पास करने के बाद वे भारतीय सेना में भर्ती हो गए और उन्हें लेफ्टिनेंट के रूप में 13वें बटालियन, जम्मू-कश्मीर राइफल्स में नियुक्त किया गया।[28] 1999 में, कारगिल युद्ध के दौरान, उन्होंने उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन किया और शत्रु के द्वारा कब्जा किये गए बिंदु 5,140 को मुक्त करवाया। 6 जुलाई को उन्होंने बिंदु 4,875 पर हमला किया और अपने सैनिकों को बचाते हुए उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

कुल उतरदाताओं में से 2.44 प्रतिशत ने कहा कि विक्रम बत्रा को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 2.99 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 1.51 प्रतिशत महिलायें विक्रम बत्रा को अपना आदर्श मानती हैं। उतरदाताओं ने बताया कि उनके बारे में पढ़कर और सुनकर उन्हें जीवन में कुछ करने के साहस के साथ उस काम को पूरी निष्ठा से करने की प्रेरणा भी मिलती है। उनकी साहसिकता और उनके शब्द, "यह दिल मांगे मोर!" युवाओं को आज भी प्रेरित करते हैं। मौत के सामने उनकी बहादुरी और लड़ने के भाव के कारण युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं।

महेंद्र सिंह धोनी

महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, झारखंड में हुआ था। भारतीय क्रिकेट में उनका उदय भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से हुआ और उनके नेतृत्व में 2011 में भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता।[29] वह बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं और अपने शांत और संयमित व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया है, जो बाद में भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने।[30]

कुल उतरदाताओं में से 7.00 प्रतिशत ने कहा कि धोनी को वह अपना आदर्श मानते हैं। लिंग के आधार पर देखा गया कि कुल पुरुषों में से 8.96 प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिलाओं में से 3.63 प्रतिशत महिलायें धोनी को अपना आदर्श मानती हैं। व्यवस्था प्रबंधन से जुड़े उतरदाताओं ने कहा कि दूसरे के दिमाग को पढ़कर अपनी योजना बनाना और बदलना धोनी की सबसे प्रमुख विशेषता है जो प्रभावित करती है। उतरदाताओं का यह भी कहना है कि किस तरह से समूह के सदस्यों को साथ लेकर एक समूह का कुशल नेतृत्व किया जा सकता है यह मैदान पर धोनी को देखकर समझने की कोशिश की जा सकती है। क्रिकेट के मैदान पर और बाहर उनके नेतृत्व कौशल के लिए कई युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखने की उनकी क्षमता ने उन्हें युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है।

निष्कर्षः प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से वृत्तिक पाठ्यक्रमों में नामांकित हिमाचल प्रदेश के युवाओं के आदर्श के बारे में जानने का प्रयास किया गया है। युवा अवस्था में अपने लिये आदर्श व्यक्ति का चयन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे न केवल एक युवा को अपना जीवन पथ चुनने में सक्षम बनाते हैं, अपितु वे उन्हें चयनित पथ पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उत्तरदाताओं ने अपने माता-पिता और शिक्षकों के अतिरिक्त देश-विदेश के अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी अपना आदर्श चुना है। शोध में ये देखा गया कि अपने लिए आदर्श व्यक्ति के चयन में युवाओं ने अधिकतर भारतीय संस्कृति को चुनते हुए भारतीय प्रसिद्ध व्यक्तियों

को अपना आदर्श बताया। अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य के कारण ही इन व्यक्तियों को युवा अपना आदर्श मानते हैं। आदर्श के चयन से जुड़ी युवाओं की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए इस क्षेत्र में इस प्रकार के और शोध कार्यों की आवश्यकता है। युवाओं के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता के लिए युवाओं द्वारा आदर्श के चयन करने की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। इस क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता को युवाओं को इस विषय में मार्गदर्शन करना चाहिए कि वे किन व्यक्तियों को अपने जीवन में आदर्श के रूप में स्थान प्रदान कर सकते हैं। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां सही आदर्श के चयन से युवा जीवन पथ में आगे जा सकता है, वहीं गलत आदर्श का चयन एक युवा के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपराध में संलिप्त युवाओं के साथ कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता उनको सही आदर्श का चयन करवाकर उनको एक दायित्वपूर्ण नागरिक के रूप में जीवन निर्वाह करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

सन्दर्भ

1. IGNOU. *'Youth: Concept and Identity'*. IGNOU, 2021, p. 12.
2. Mishra, S., & Pathak, V. *'Understanding Youth in the Indian Context'*, Indian Journal of Health and Well-being, 9(2), 2018, p. 321.
3. Abebe, T., & Kjorholt, A. T. *'Young People, Participation, and Sustainable Development in an Urbanizing World'*,United Nations Human Settlement Programme, London, 2012, p. 11.
4. Jones, G. *'Key Concept Youth. United Kingdom'*, Wiley, 2009, p. 1.
5. Spence, J. *'Concepts of Youth in Working with Young People'*, Open University Inassociation with Sage, 2005, p. 46
6. Hazarika, D. A. *'Youth Unrest And Its Controlling Measures'*, International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM), 2021, p. 853
7. Odoh, E., & Eme, Okechukwu *'Role of the Youths in National Development'*, Singaporean Journal of Business Economics and Management (SJBEM), 3(2), 2014 p. 164.
8. U. N. *'Youth Participation in Development'*, London, 2011, p. 8.
9. Chauhan, K., & Aggarwal, A *'Youth Entrepreneurship: The Role and Implications for the Indian Economy'*, Amity Journal of Entrepreneurship, 2(2) 2017, p. 4.
10. Flouri, E.& Buchanan, A, *'Life Satisfaction in Teenage Boys: The Moderating Role of Father Involvement and Bullying',* Aggressiv Behaviour, 28 (2) 2002, p. 127
11. Morgenroth, T., Ryan, M. K., & Peter, K. *'The Motivational Theory of Role Modeling: How Role Models Influence Role Aspirants Goals'*, Review of General Psychology, 19(4), 2015, p. 24.
12. Collins, R. L. '*For Better or Worse: The Impact of Upward Social Comparison on Selfe Valuations'*, Psychological Bulletin, 119 (1), 1996, p. 53. https://doi.org/10.1037/0033-2909.119.1.51
13. Beltman, S., & MacCallum, J. *'Role Models for Young People'*, Australian Clearing House for Youth Studies, 2002, pp. 1-123.
14. Katz, D., & Kahn, R. L. *'The Social Psychology of Organizations',* Wiley, 1978, pp. 106-107.
15. Gartzia, L., Morgenroth, T., Ryan, K. M., & Peters, K. *'Testing the Motivational Effects of Attainable Role Models: Field'*, Journal of Theoretical Social Psychology, 5(4), 2021, pp. 591-602. DOI: 10.1002/jts5.121
16. Mileder, L. P., Schmidt, A., & Dimai, H. P. *'Clinicians Should be Aware of their Responsibilities as Role Models: A Case Report on the Impact of Poor Role Modeling',* Medical Education Online, 19(1) 2014, p. 19, DOI:10-3402/neoV19,23479
17. Gibson, D. E. *'Role Models in Career Development: New directions for Theory and Research'*, Journal of Vocational Behavior, 65(1), 2004, pp. 134-156.
18. Chattopadhyaya, R. *'Swami Vivekananda in India'*, Motilal Banarsidass Publishers, 1999, pp. 8-41.
19. De, D., Mitra, S., & Sarkar, C. *'Swamiji: Fabulous Facilitator and Ideal Philosopher' In P.Mukherjee, 'Youth Empowerment in the Eyes of Swami Vivekananda: A Critical Analysis'*, Eureka Publications, 2021 pp. 61-69.
20. Getz, M. J. *'Subhas Chandra Bose a Biography'*, McFarland, Incorporated, Publishers, 2015, p. 5.
21. Balasubramanian, T., Venkatraman, V., & Dhanalakshmi, N. *'Nethaji subhash ChandraBose - The Journey of a Committed Revolutionary Nationalist of India'*. Madhya Bharti, 2022, 82(7), p. 116.
22. Sannigrahi, D., & K, S. A. *'Lessons on Leadership from life of Netaji Subhas Chandra Bose: Thegreat Indian Freedom Fighter'*, International Journal of InformationResearch and Review, 2018, 5(7), p. 5615.
23. Himachal Pradesh University. *'Himachal Pradesh University'*, Retrieved June 21, 2023, from Dr.Yashwant Singh Parmar Chair: https://hpuniv.ac.in/
24. Yashwant Singh Parmar, *'Retrieved January 13, 2023, from National Legislators'* Conference Bharat (NLC Bharat), https://www.nlcbharat.org/yashwant-singh-parmar/
25. Iyer, S. *'Kiran Bedi: The Woman of Substance'*, India: Diamond Pocket Books, 2014 pp.128.
26. Isha. *'The Guru'*. Retrieved February 3, 2023, from https://static.sadhguru.org/d/46272/1644489777-sadhguru-isha-press-kit.pdf
27. Cooper, A. *'Elon Musk Biography'*, Ben Business Group LLC, 2021, pp. 8-24.
28. Government of India. (2021). my Gov मेरी सरकार Retrieved April 13, 2023, from India NCC:https://indiancc.mygov.in/wp-content/uploads/2021/07/mygov-1000000000685185447.pdf
29. Ezekiel, G. '*Captain Cool The MS Dhoni Story'*, Westland Pubn Limited, 2014, pp. 1-4.
30. Pathak, A. *'It's All About Mahi A Tale Of A Fan'*, Author's Ink Publications, 2016

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

स्वच्छ भारत अभियान उपलब्धियां एवं चुनौतियाँ : अलवर जिले के विशेष संदर्भ में

❑ हनुमंत सिंह

हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक आन्दोलन के रूप में स्वच्छ भारत अभियान का संचालन किया गया। वर्तमान में धरातल पर इस अभियान की प्रगति एवं वास्तविक स्थिति को खोजने का प्रयास किया गया है। इसके लिए राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित अलवर जिले को चुना गया जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित एवं औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिले के रूप में विशेष पहचान रखता है। यहाँ के ग्रामीण, शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भूजल के निम्न स्तर या अभाव ने खुले में शौच को बढ़ाने के साथ ही सार्वजनिक स्वच्छता परिसरों के संचालन में भी बाधा उत्पन्न की है। दूसरी ओर जन-जागरूकता की कमी, घरेलू कचरे की छटनी न होने, बढ़ते औद्योगिक कचरे एवं उचित निस्तारण के अभाव तथा कचरा संयंत्र की रुग्णता ने तेजी से कचरे के पहाड़ बना दिए हैं। इसी तरह गंदे पानी की निकासी में लापरवाही एवं बाजारवादी संस्कृति के कारण बढ़ते सिंगल यूज प्लास्टिक ने भी अनेक समस्याओं को पैदा किया है। अतः स्थानीय शासन संस्थाओं, जन-प्रतिनिधियों, प्रशासन एवं स्थानीय निवासियों के सामूहिक प्रयास एवं ग्राम स्वच्छता व जल समितियों के गठन द्वारा इस अभियान की निरंतरता, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, निजी आय, राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय के संवर्धन की उम्मीद की जा सकती है।

सूचक शब्द : स्वच्छ भारत, जन जागरूकता, जन भागीदारी, राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय उपलब्धियाँ।

“हमारी बहुत सी बीमारियों का कारण.....गंदे शौचालय और कहीं भी मल त्यागने की हमारी बुरी आदतें हैं।”[1]

– महात्मा गाँधी

स्वच्छता को किसी क्षेत्र विशेष की प्रगति एवं आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण निर्धारक माना जा सकता है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से घोषित स्वच्छता संकल्प की अहम् भूमिका मानी जा सकती है जिसमे गांधीजी की 150 वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत के चित्र से युक्त श्रद्धांजलि देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया ताकि गांधीजी के गन्दगी से मुक्त एवं स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सके। अतः प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के रूप में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारम्भ किया। ऐसा नहीं कि इस दिशा में भारत में यह पहला प्रयास था, बल्कि इससे पूर्व भी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान 1986, पूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 एवं निर्मल भारत अभियान 2012 जैसे व्यापक कार्यक्रम संचालित किये जा चुके हैं परंतु स्वच्छता के क्षेत्र में आशानुरूप प्रगति संभव नहीं हो सकी। अब इस दिशा में अब तक हुए प्रयासों के अनुभव एवं आधुनिक तकनीक के मध्य बेहतर तालमेल बैठाकर स्वच्छ भारत अभियान को श्रृंखलाबद्ध तरीके से जन-आंदोलन में बदलने के विशेष प्रयास किये गए जिससे न केवल गन्दगी से मुक्ति एवं बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके, बल्कि भारतीय समाज की महिला जनसंख्या को तकनीकी एवं मोबाइल क्रांति से पनपे अपराधों के घातक प्रहारों से बचाकर, बेहतर स्वास्थ्य एवं लाचारी से मुक्ति दिलाकर उनकी व्यक्तिगत गरिमा को भी संरक्षित किया जा सके। अब स्वच्छता को साफ-सफाई, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास एवं महिला सम्मान संवर्धन हेतु अतिआवश्यक समझा जाने लगा है। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन का शीर्षक स्वच्छता अभियान के आलोक में भारत में स्वच्छता की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन राजस्थान के अलवर जिले के विशेष संदर्भ में करने के प्रयास रहे।

वर्ष 2014 में शुरू स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति का अध्ययन एवं उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का विश्लेषण करने से धरातल की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा जिससे इस अभियान के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की पहचान एवं समय रहते इन समस्याओं के निदान हेतु उपयुक्त समाधान सुझाये जा

❑ शोध अध्येता, राजनीति विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सकें ताकि सम्भावित दुष्परिणामों से भी बचा जा सके। यह प्रयास स्वच्छता अभियान को न केवल निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचाने बल्कि जन-मन एवं व्यवहार में स्वच्छता की आदतों को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। अंततः स्वच्छ भारत के संकल्प एवं स्वच्छता के सकारात्मक प्रतिफलों की जानकारी प्राप्त करने में यह अध्ययन महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकेगा।

साहित्य समीक्षा :-

पी. नरहरी[2] ने स्वच्छ इंदौर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इंदौर शहर की उत्कृष्ट उपलब्धि की विस्तृत रणनीति का विश्लेषण किया है। उन्होंने इंदौर शहर के 25 वें स्थान से देश के सबसे स्वच्छ शहर बनने और फिर इसे बनाए रखने की रणनीति को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में इंदौर के निवासियों के सहयोग से इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने, स्वच्छता रणनीतियाँ तय करने, एक प्रेरक स्वच्छता गान बनाने, इंदौर को एक आदर्श शहर बनाने एवं सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता चैंपियन बनाने की योजना को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया है।

हंस वी. बासिल[3] ने 'कल्चर ऑफ सैनिटेशन' में इतिहास से वर्तमान तक भारत में शौचालय एवं स्वच्छता की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसमें बताया कि मानव व्यवहार को समझने के लिए संस्कृति, भाषा एवं संवाद का प्रारूप, महत्वपूर्ण माध्यम होता है। उन्होंने स्वच्छता के विभिन्न आयामों के साथ-साथ प्राचीन काल (सिंधु सभ्यता) से वर्तमान तक, भारत में मल त्याग व स्वच्छता की प्रगति का सूक्ष्म विश्लेषण किया है।

परमेश्वरन अय्यर[4] की 'स्वच्छ भारत क्रांति : व्यवहार परिवर्तन के चार स्तम्भ', निबंधों के संग्रह में प्रमुख हस्तियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के ऐतिहासिक एवं उत्सवपूर्ण प्रेरक संदेश हैं। इसमें उन्होंने स्वच्छता अभियान के प्रमुख स्तंभ, प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त, साझेदारी और भागीदारी की भूमिका को अपने स्वच्छता व पेयजल के क्षेत्र में लम्बे अनुभव एवं व्यावहारिक परिस्थितियों के माध्यम से विश्लेषित किया है।

अमृत पटेल[5] ने 'स्वच्छ भारत मिशन की चुनौतियाँ', में ग्रामीण भारत में अपनाई जाने वाली अपरिष्कृत स्वच्छता सुविधाओं को मानवीय सुरक्षा एवं गरिमा के लिए अपमानजनक कहा। उन्होंन 2014 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार तीन दशकों से संचालित स्वच्छता कार्यक्रम में सरकारी एजेंसियों, प्रतिभागी स्वयंसेवी संगठनों एवं कॉर्पोरेट घरानों के उत्साह एवं भागीदारी की कमी के साथ स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, समुचित रखरखाव व लोगों के अपेक्षित व्यवहार को आवश्यक माना।

अय्यर[6] ने 'स्वच्छ भारत मिशन : साझा दायित्व' में बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत से ग्रामीण स्वच्छता एवं खुले में शौच करने वालों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता इंडेक्स विकसित कर परिणामों का प्रमाणीकरण करना इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता के लिए अहम् तत्व रहा।

एस. सी. जोशी[7] ने 'स्वच्छ भारत मिशन : एन एसेसमेंट' में स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने हेतु घरेलू कचरे, गंदे पानी के निकास, प्लास्टिक, औधोगिक, कृषि, जैविक एवं रासायनिक कचरे के निस्तारण को भी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत रखने का समर्थन किया। इसके अलावा सिवर लाइन एवं मानव मल-मूत्र के प्रबंधन को सम्मिलित कर स्वच्छता को एक व्यवस्था बनाने की बात कही।

एल. सी. डे[8] ने 'स्वच्छ भारत : मोदीज क्लीन इंडिया मिशन' में कहा की प्रधानमंत्री के आह्वान व निर्देशन में संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, इस अभियान को विज्ञापन से संदर्भित कर स्वच्छता के लिए प्रशिक्षण एवं मानव संसाधनों के साथ तारतम्य बढ़ाने पर बल दिया है। इस अभियान ने स्वच्छता को प्रत्येक नागरिक व परिवार की जीवनचर्या एवं व्यवहार का हिस्सा बनाने के प्रयास किये हैं।

बोरठाकुर व बरुआ[9] ने 'स्वच्छ विद्यालय अभियान फाइंडिंग्स फ्रॉम एन एम्पिरिकल एनालिसिस' में भारत के 5 उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वच्छता की स्थिति का आनुभविक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालयों में न केवल शौचालयों की उपलब्धता बल्कि विद्यार्थियों की उपस्थिति में भी सुधार हुआ है। परंतु अभी भी स्वच्छता आदतों में व्यवहारिक प्रगति तथा धरातल पर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

शोध उद्देश्य –

1. स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियों एवं स्थानीय स्तर पर विद्यमान चुनौतियों की तलाश करना।
2. स्वच्छता के दृश्यात्मक चरों की वास्तविक स्थिति को

जानना।

3. स्वच्छता के अदृश्यात्मक चरों की व्यावहारिक स्थिति की तलाश करना।

शोध प्रविधि- प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक, विश्लेष्णात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति पर आधारित रहा है जिसमें अध्ययन क्षेत्र के रूप में भौगोलिक एवं प्रशासनिक रूप से वर्गीकृत, राजस्थान के अलवर जिले का चयन किया गया। निदर्शन के अंतर्गत जिले के शहरी, ग्रामीण एवं औधोगिक क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। इसमें स्तरीकृत दैव प्रतिचयन प्रणाली को अपनाते हुए जिले की कुल 14 तहसीलों में से 7 का चयन करते हुए सभी वर्ग समूहों (अनुसूचित जाति/जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, महिला, पुरुष, सरकारी कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कामगार, किसान, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, शिक्षक इत्यादि) को उचित प्रतिनिधत्व उपलब्ध करवाया गया है।

इस प्रकार वर्ष 2022-23 की समय अवधि के अंतर्गत कुल 350 उत्तरदाताओं को प्रतिदर्श के रूप में चुना गया। प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन अनुसूची बनाई गई जिन्हें चयनित उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत अवलोकन एवं प्रत्यक्ष वार्तालाप के माध्यम भरवाया गया। संकलित समंकों को व्यवस्थित, वर्गीकृत एवं सारणीकृत कर विश्लेषित किया गया। इसके साथ ही इस विषय से सम्बंधित एवं उपयोगी सामग्री के रूप में उपलब्ध द्वितीयक स्रोतों (सरकारी दस्तावेज, शोध पत्रिकाओं, शोध कार्यों, पुस्तकों एवं लेखों) का भी उपयोग किया है।

स्वच्छता एवं साफ-सफाई से आशय-

स्वच्छता (Hygiene)- इसे ग्रीक भाषा के Hugieine (tekhne) शब्द से लिया है, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य की कला (Art of health)। ग्रीक में इस शब्द का सम्बन्ध स्वास्थ्य की देवी ह्यूगेइअ (Hygeiaa) से भी है, जो ग्रीक के दवा के भगवान एस्क्सुलापिउस (aesxulapius) की पुत्री मानी जाती है।[10]

साफ-सफाई (Sanitation) इसे लैटिन भाषा के शब्द 'सैनिटास' व फ्रेंच शब्द 'सैनिटेयर' से लिया गया है, जिसका अर्थ साफ-सफाई है। स्वच्छता (Sanitation) का शब्दकोषीय आशय स्वास्थ्य की सुरक्षा के विज्ञान (The science of the safe guarding health) से भी लगाया जाता है। इस प्रकार स्वच्छता का सम्बन्ध जीवों के भौतिक शरीर के स्वास्थ्य को निरोगी बनाए रखने के लिए आवश्यक स्वच्छ वातावरण एवं आस-पास के स्थान से मल-मूत्र व अपशिष्ट की सफाई, कचरे का संग्रह, निपटान एवं गंदे पानी की निकासी इत्यादि से है।

यूनिसेफ के अनुसार स्वच्छता का अभिप्राय शौचालयों से कहीं अधिक है। यह कुछ विशेष सुविधाओं, व्यवहार एवं सेवाओं से मिलकर स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर बच्चों के अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। यह न केवल बच्चों को बीमारियों से लड़ने और स्वस्थ रहने के लिए बल्कि बचपन की बीमारियों और कुपोषण के खतरों से बचाते हुए उनके समग्र विकास, सीखने और भविष्य में आर्थिक उन्नति के अवसरों को भी प्रभावित करती है।[11] विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सतत् विकास लक्ष्य उन नीतियों, परियोजनाओं और निवेशों का वर्णन करने वाली एक व्यापक अवधारणा है जो भविष्य में पर्यावरणीय, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य का त्याग किए बिना वर्तमान में सुविधाओं को उपलब्ध करवा सके।[12]

सुरक्षित पेयजल, साफ-सफाई और स्वच्छता मानव स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण और मानवीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शर्त हैं, बल्कि कामगारों की आजीविका, विद्यार्थिओं की विद्यालय में उपस्थिति और समाज में मनुष्य के गरिमामय जीवन में भी सहायक हैं।[13] स्वच्छता का सम्बन्ध केवल साफ-सफाई की समस्या से ही नहीं बल्कि उत्पादन वृद्धि, बेहतर जीवन तथा आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से भी है। यह विकास की एक आधारभूत शर्त भी है। स्वच्छता के अभाव में लाखों बच्चे मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं तो दूसरी ओर वर्तमान समय में बढ़ते भौतिक पदार्थों (विशेषकर प्लास्टिक) के कारण पृथ्वी पर पर्यावरणीय संकट भी विकराल होता जा रहा है।[14]

स्वच्छता व संस्कृति का अन्तर-सम्बन्ध होता है। अतः संस्कृति, भाषा और संचार व्यवस्था का विश्लेषण मानव व्यवहार को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य प्राकृतिक दुनिया में रहते हुए जिन मूल्यों, दृष्टिकोणों, धारणाओं और विश्वासों को अपने और दूसरों के बारे में रखते हैं उसकी समझ बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है।[15] अर्थात स्वच्छता न केवल आर्थिक,

सामाजिक, स्वास्थ्य व पर्यावरण के स्तर को प्रभावित करती है बल्कि इसके विपरीत, ये आयाम स्वच्छता के स्तर को भी प्रभावित करते हैं।

स्वच्छता के समाजशास्त्र को बिंदेश्वरी पाठक ने सामाजिक अभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, गरीबी, लैंगिक समानता तथा बच्चों के कल्याण इत्यादि से सम्बंधित सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया है जिसका लक्ष्य व्यक्ति को सुखी जीवन जीने, दूसरों के जीवन में सुधार लाने तथा लोगों को सतत् विकास एवं दार्शनिक समझ की प्राप्ति के लिए सशक्त बनाना है।[16]

यू.एस. नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन ने स्वच्छता को स्वच्छ घरों, स्वच्छ खेतों, स्वच्छ पड़ोस और स्वस्थ समुदायों में व्यक्त जीवन की गुणवत्ता बताया है। जीवन का एक ढंग होने के नाते इसे लोगों में लोगों से ही आना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान से पोषित होकर मानवीय संबंधों में दायित्व और आदर्श के रूप में बढ़ती है।[17] विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'पर्यावरण' और 'स्वच्छता' दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध बताते हुए कहा कि स्वच्छता मानव के भौतिक विकास, स्वास्थ्य एवं जीवन पर दुष्परिणाम डालने वाले ऐसे कारकों पर नियंत्रण पाने की कला है, जो भौतिक वातावरण में विद्यमान रहते हैं।

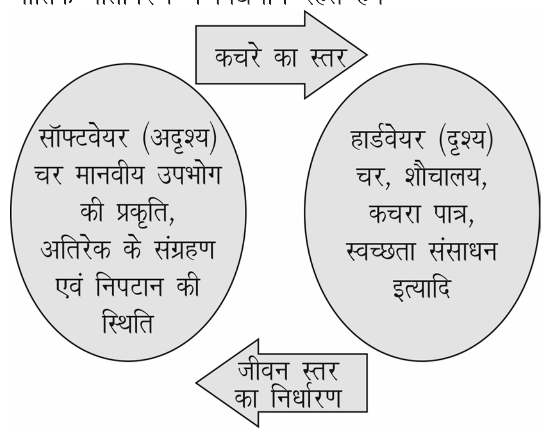

स्वच्छता के अदृश्य (सॉफ्टवेयर) चरों के संदर्भ में हम विशेष रूप से दैनिक मानवीय जीवन शैली (विचार, आदत, जागरूकता आदि) में उपभोग्य वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले व्यवहार, आदतों एवं वस्तुओं की प्रकृति को सम्मिलित कर सकते हैं। इसे यहाँ स्वच्छता के एकपक्षीय या रेखीय प्रारूप के अंतर्गत दर्शाया गया है।

स्वच्छता का रेखीय प्रारूप -

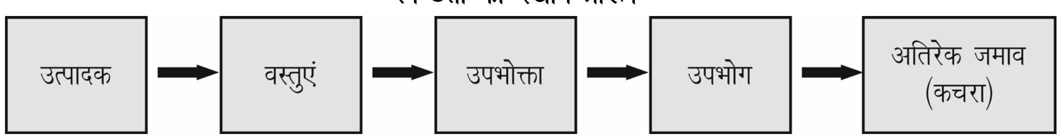

बाजारवादी संस्कृति एवं बढ़ती वैश्विक आबादी से वस्तुओं का उपभोग एवं अतिरेक जमाव (कचरा) भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा है जिसके कारण कचरा निस्तारण की उन्नत पद्धति एवं साफ-सफाई के विचार पल्लवित होने लगे। इसमें कचरे को कचरा पात्र में डालते समय ही अलग-अलग पात्रों में एकत्रित किये जाने पर बल दिया जाता है। अतः कचरे के इस व्यवस्थित एकत्रीकरण व पुनर्चक्रण से दुबारा प्रयोग योग्य वस्तुओं को बनाना आसान एवं मितव्ययी बन सके। अतः जब रेखीय पद्धति के अंतिम बिंदु अतिरेक जमाव (कचरे) को व्यवस्थित ढंग से छटनी करते हुए एकत्रित कर तकनिकी संसाधनों की सहायता से पुनर्चक्रण कर उपयोग लायक वस्तुओं के रूप में उपभोक्ताओं तक दुबारा पहुँचाये जाये तो यह स्वच्छता का चक्रीय प्रारूप कहलायेगा। इसे निम्नांकित चार्ट की सहायता से समझा जा सकता है।

स्वच्छता का चक्रीय प्रारूप

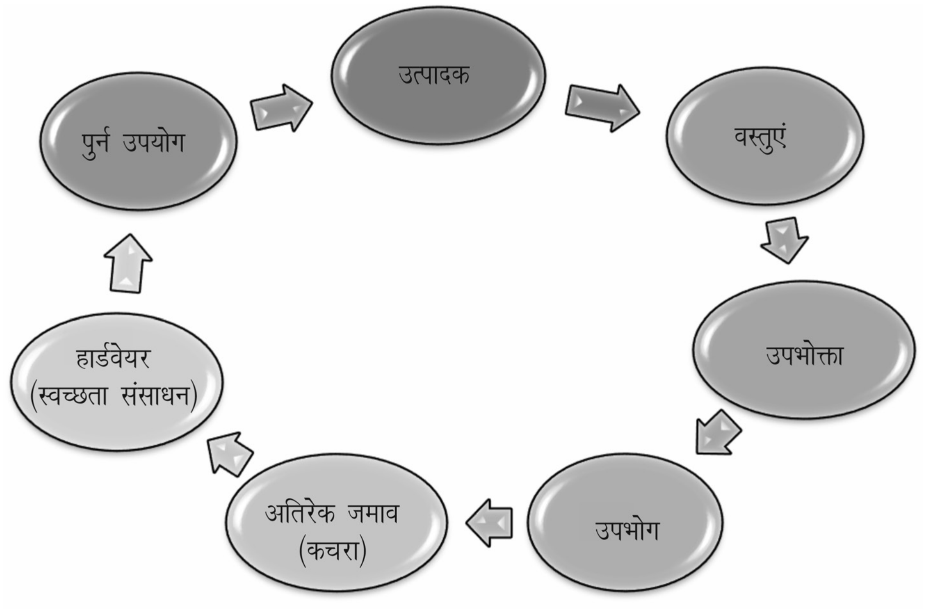

लोगों द्वारा शौचालय का प्रयोग

प्रतिदर्श का वर्ग/श्रेणी	कुल प्रतिदर्श	उपयोग करने वाले	उपयोग न करने वाले
प्रतिदर्श की संख्या	350	388	62
प्रतिदर्श का प्रतिशत	100	8229	1771

उपर्युक्त तालिका द्वारा अध्ययन क्षेत्र से चयनित कुल 350 प्रतिदर्शों की शौचालय प्रयोग की स्थिति को दर्शाया गया है जिसके अनुसार लगभग 82 प्रतिशत लोग ही नियमित रूप से शौचालयों का प्रयोग करते हैं, जबकि लगभग 18 प्रतिशत लोग अभी भी खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। शोधार्थी द्वारा संकलित सूचनाओं एवं अवलोकन के अनुसार खुले में शौच करने वाले इन लोगों में से कुछ निजी एवं पारिवारिक कारणों से तो कुछ स्थानीय क्षेत्र में स्वच्छता संसाधनों के अभाव में इस दूषित पद्धति को अपना रहे हैं।

विभिन्न कचरा पात्रों में डाले जाने वाले कचरे की जानकारी

प्रतिदर्श का वर्ग/श्रेणी	कुल प्रतिदर्श	जानकारी रखने वाले	नहीं रखने वाले
प्रतिदर्श की संख्या	350	101	249
प्रतिदर्श का प्रतिशत	100	28.86	71.14

उपर्युक्त तालिका में कचरे की प्रकृति के अनुसार नीले एवं हरे कचरा पात्रों में डाले जाने वाले कचरे के बारे में जानकारी की स्थिति को दर्शाया गया है जिसके अनुसार चयनित प्रतिदर्शों के लगभग 29 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस सम्बन्ध में जानकारी थी, जबकि लगभग 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस सम्बन्ध में सही जानकारी नहीं थी। इससे स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है, की आज भी दो तिहाई से अधिक जनसंख्या में स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता का अभाव बना हुआ है।

सार्वजनिक शौचालयों में पानी की उपलब्धता

प्रतिदर्श का वर्ग/श्रेणी	कुल प्रतिदर्श	उपयोग करने वाल	उपयोग न करने वाले
प्रतिदर्श की संख्या	350	54	296
प्रतिदर्श का प्रतिशत	100	15.43	84.57

उपर्युक्त तालिका में सार्वजनिक शौचालयों में पानी की निरंतर उपलब्धता एवं उनके उपयोग की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है जिसके अनुसार लगभग 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन स्वच्छता परिसरों में पानी उपलब्ध रहने की जानकारी दी तो लगभग 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपने क्षेत्र में बने सार्वजनिक शौचालयों में सुचारू जलापूर्ति नहीं होना बड़ी समस्या बताया। इससे सार्वजिक स्वच्छता परिसरों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगना बड़ी सामान्य बात है। अतः स्थानीय क्षेत्रों में बने इन स्वच्छता परिसरों को ताला लगाकर, आवश्यकताग्रस्त लोगों को इनके उपयोग से वंचित कर दिया जाना या फिर पानी के आभाव में इनकी हालत इतनी ख़राब हो जाना कि जनसामान्य इनके उपयोग के स्थान पर खुले क्षेत्र में ही मल और मूत्र विसर्जन करने को प्राथमिकता देता आसानी से देखा जा सकता है।

अध्ययन क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां -

1. इस अभियान से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (दृश्यात्मक चर) के निर्माण में बड़ी सफलता मिली जिससे आबादी क्षेत्र के आसपास फैले शौच की विकराल समस्या से मुक्ति मिल सकी।
2. इसकी विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों व महिलाओं की गरिमा एवं निजता को संरक्षण मिल सका। महिला समुदाय को व्यापक संकटों एवं स्वास्थ्य समस्याओं के चंगुल से बचाने में सफलता प्राप्त हुई।
3. शहरी क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण हेतु भूमि का अभाव था वहां सामुदायिक शौचालयों की उपलब्धता से खुले में शौच से मुक्ति मिल सकी।
4. सार्वजनिक एवं भीड़ वाले स्थानों पर आमजन को मल-मूत्र विसर्जन की आकस्मिक चिंताओं से मुक्ति दिलवाने की दिशा में सार्वजनिक स्वच्छता परिसरों की बड़ी भूमिका समझी जा सकती है।
5. सार्वजनिक स्वच्छता परिसरों की उपलब्धता से महिलाओं को मल-मूत्र विसर्जन एवं माहवारी जैसी आवश्यक नित्य क्रियाओं के कारण झेली जाने वाली लज्जा एवं भय से मुक्ति मिल सकी।
6. स्वच्छता अभियान को प्रधानमंत्री के प्रेरक नेतृत्व से जन-मन का आन्दोलन बनाकर आमजन की व्यापक सहभागिता वाले सतत आन्दोलन के रूप में स्थापित किया जा सका।
7. इस अभियान ने ठोस कचरा प्रबंधन हेतु व्यापक स्तर पर कचरा पात्रों की उपलब्धता, कचरा संग्रहण, सफाई तथा तरल कचरे के प्रबंधन हेतु नालियों एवं सीवरेज प्रणाली के निर्माण व रख-रखाव द्वारा गन्दगी पर नियंत्रण पाने में व्यापक भूमिका निभाई है।
8. इस अभियान के माध्यम से संचालित जागरूकता कार्यक्रमों ने जनमानस के व्यवहार, आदतों एवं दृष्टिकोण में स्वच्छता के प्रति व्यापक सकारात्मक परिवर्तनों को सुनिश्चित किया है।
9. इस अभियान को स्वच्छता के सम्बन्ध में आवश्यक उन्नत तकनीक व संसाधनों की उपलब्धता तथा स्वच्छता कर्मियों को पहचान एवं सम्मान दिलाने की दिशा में प्रभावकारी माना जा सकता है।

स्वच्छ भारत अभियान के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

1. जल की अनुपलब्धता एवं सार्वजानिक शौचालयों में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नही होना।
2. गंदे जल की निकासी हेतु नालियों की निम्न गुणवत्ता या अभाव।
3. जनसामान्य में कचरे की छटनी की सही जानकारी, जागरूकता एवं कचरा पात्रों का अभाव।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरे के संग्रहण एवं पुनर्चक्रण का अभाव
5. जिले के एकमात्र ठोस कचरा प्रबंधन केंद्र का काफी समय से बंद होना।
6. स्थानीय शासन, संस्थाओं व जन प्रतिनिधियों की उदासीनता।
7. बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के मानक रहित पोलीथिन बैग का प्रयोग।

8. औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित कचरे को अनियंत्रित ढंग से सड़कों के किनारे फेंकना।

सुझाव – स्वच्छ भारत अभियान को गतिमान बनाये रखने हेतु निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं

1. स्वच्छ भारत अभियान के सतत प्रगतिशील संचालन से अध्ययन क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बनाने में स्वच्छता के दृश्यात्मक चरों (स्वच्छता संसाधनों) की अहम् भूमिका रही है। अतः अगले पायदान (ओडीएफ प्लस) को प्राप्त करने हेतु खुले में शौच करने वालों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक समझा जा सकता है। इसके लिए नए बनने वाले परिवारों में शौचालय निर्माण की सतत, तीव्र एवं आसान प्रक्रिया के साथ ही हर घर जल की आवश्यक मात्रा एवं नियमितता को सुनिश्चित करते हुए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयास किये जाने चाहिए। इनके लिए स्थानीय शासन संस्थाएं सबसे कारगर एवं प्रभावकारी समझी जा सकती हैं। अतः भूजल स्तर की गहराई एवं अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक स्रोतों से जल आपूर्ति के प्रबंध करते हुए स्थानीय शासन संस्थाओं को आवश्यक संसाधनों के साथ उत्तरदायी बनाया जाना एक बेहतर उपाय समझा जा सकता है।
2. हर घर नल से जल अभियान को गति प्रदान करने, भ्रष्टाचार से बचाने, खुले में शौच जाने वालों के व्यवहार में परिवर्तन हेतु ग्राम स्वच्छता एवं जल आपूर्ति समितियों के गठन को सुनिश्चित करना एवं इन समितियों द्वारा साझे दायित्व भावना के साथ जनसहभागिता को प्रेरित करने के सक्रिय प्रयास लाभदायक समझे जा सकते हैं।
3. ओडीएफ प्लस दर्जे को बनाये रखने हेतु स्थानीय क्षेत्र के आदतन एवं संसाधनों के अभाव में बाध्य लोगों के लिए सर्वोतम सुलभ स्थानों पर स्वच्छता परिसरों का निर्माण। साथ ही आमजन की सुविधा के लिए हमेशा खुले रखने हेतु स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं स्वच्छता समितियों को चक्रानुक्रम में देख-रेख एवं आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाया जाना बेहतर समाधान समझा जा सकता है।
4. घरों से निकलने वाले गंदे पानी की व्यवस्थित निकासी हेतु गुणवत्तायुक्त नालियों के निर्माण एवं सुगम प्रवाह पर विशेष ध्यान दिया जाये। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति व स्वच्छता व्यवहार हेतु नियमन, निर्देशन एवं जागरूकता के नियमित प्रयास किया जाना चाहिए बेहतर विकल्प समझा जा सकता है।
5. जनसामान्य में स्वच्छता व्यवहार के पालन को जितना संभव हो बाध्यकारी बनाये जाने के वैकल्पिक तरीकों को अपनाते हुए घरेलू स्तर पर ही कचरे की अधिकतम श्रेणियों में छटनी करने की एक स्वच्छ परम्परा को स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक कचरा पात्रों के वितरण एवं छांटे गए कचरे के संग्रहण एवं पुनर्चक्रण से स्थानीय स्वछता संसाधनों हेतु आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किये जाने के सस्ते विकल्पों के अपनाने पर प्रगतिशील मंथन किया जाना चाहिए।
6. स्थानीय निकायों द्वारा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे के बेहतर ढंग से निपटान हेतु इन जिम्मेदार इकाइयों को प्रभावी नियमन से निर्देशित करना एवं उसकी पालना सुनिश्चित करवाना।

निष्कर्ष :- एक राष्ट्र व्यापी आन्दोलन के रूप में संचालित कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान ने समर्पित राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाते हुए अपने निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में प्राप्त करके देश की वैश्विक छवि को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु देश की भौगोलिक विषमताओं के कारण इस स्वच्छता आन्दोलन का गला भी कुछ सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पानी के अभाव में खुश्क देखा गया। इसने न केवल सार्वजनिक बल्कि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों को भी प्रभावित किया है। अतः जलापूर्ति की निरंतरता को बनाये रखना ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। इसी तरह इन दृश्यात्मक चरों (स्वच्छता संसाधनों) के सतत संचालन में आम नागरिकों के सामूहिक साझे दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं प्रशासन द्वारा प्रभावी नियमन एवं अनुपालना को भी आवश्यक समझा जा सकता है ताकि धरातल पर विद्यमान अवरोधकों को स्थानीय परिस्थितियों एवं उपलब्ध संसाधनों के समन्वयन से दूर किया जा सके। अतः इस अभियान के

अंतर्गत ग्राम स्वच्छता एवं पेयजल समितियों के निर्माण एवं निगरानी द्वारा ठोस कचरे की उचित श्रेणियों में छटनी, तरल कचरा प्रबंधन हेतु गुणवत्तापूर्ण नालियों के निर्माण, जन-जागरूकता एवं जनसहभागिता बढ़ाने के प्रेरक प्रयास करने होंगे। इसी तरह विद्यालयों द्वारा भी स्वच्छता संस्कारों की स्थापना हेतु नियमित जागरूकता संवर्धन के प्रयास तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित कचरे के व्यवस्थित निपटान हेतु स्थानीय प्रशासन के नियमन की पालना के साथ ही कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कोरपोरेट सामाजिक दायित्व को भी लाभदायक समझा जा सकता है, ताकि हमारी राष्ट्रीय समस्याओं के निदान तथा देश की वैश्विक छवि एवं अंतराष्ट्रीय मंचों पर ली गई प्रतिबद्धताओं को निर्धारित समय सीमाओं में ही पूरा किया जा सके।

सन्दर्भ

1. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1547651
2. पी. नरहरि, 'स्वच्छ इंदौर', प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, 2022
3. हंस वी. बासिल, 'कल्चर ऑफ सैनिटेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू सुलभ', रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली, 2021
4. अय्यर परमेश्वरन, 'स्वच्छ भारत क्रांति : व्यवहार परिवर्तन के चार स्तम्भ', डायमंड बुक्स, नई दिल्ली, 2020
5. पटेल अमृत, 'स्वच्छ भारत मिशन की चुनौतियाँ', कुरुक्षेत्र, मासिक पत्रिका, अक्तूबर 2016, पृ. 64-67.
6. अय्यर परमेश्वरन, 'स्वच्छ भारत मिशन : साझा दायित्व, योजना', मासिक पत्रिका, मई 2017 पृ. 13-14.
7. जोशी एस. सी., 'स्वच्छ भारत मिशन : एन एसेसमेंट', कुणाल बुक पब्लिशर्स एंड डिसटीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2017
8. डे एल.सी., 'स्वच्छ भारत : मोदीज क्लीन इंडिया मिशन', आविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, जयपुर, 2019
9. बोरठाकुर मनजीत एवं जगदीप बरुआ, 'स्वच्छ विद्यालय अभियान फाइंडिंग्स फ्रॉम एन एम्पिरिकल एनालिसिस' सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, वाल्यूम - XVI(1), 2019 पृ. 130.
10. बी. के. नागला, 'सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन', कल्पाज पब्लिकेशन्स दिल्ली, 2015, पृ. 32.
11. http://www.unicef.org/wash/sanitation
12. http://www.who.int.topics/sanitation
13. http://www.who.int.topics/
14. बिन्देश्वरी पाठक, 'सोसियोलोजी आफ़ सैनिटेशन : एन्वयरोंमेंटल सेनिटेशन, पब्लिक हेल्थ एंड सोशियल डीप्रिवेशन', कल्पाज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2015 पृ 4.
15. हंस वी. बासिल, 'कल्चर ऑफ सैनिटेशन', रूपा पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2021 पृ. 1.
16. आशीष सक्सेना, 'सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स', कल्पाज पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2015, पृ. 11.
17. https://www.nsf.org/in/en/about-nsf/mission-history

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण तथा प्रदर्शन कलाओं में अंतर्सम्बन्ध

❑ सुश्री आद्या
❖ डॉ. दिलीप कुमार कुशवाहा

सूचक शब्द : नगरीकरण, नगर, नृत्य, संगीत, नाटक, पुरातात्विक, हड़प्पा सभ्यता।

> नगरीकरण के समस्त इतिहास को मानवीय सभ्यता अथवा नगर की उत्पत्ति के इतिहास से संबंधित किया जा सकता है क्योंकि नगर मानव सभ्यता के विकास के केंद्र रहे हैं। भारत के अंतर्गत हड़प्पा युगीन नगर का अस्तित्व रहा। प्राचीन काल में जिस स्थान पर सभ्यता की उत्पत्ति हुई, वहां नगरों का निर्माण हुआ। उसी स्थान पर नगरीकरण तथा कला के मध्य संबंध स्थापित हुआ। चाहे वह मिस्र की सभ्यता रही हो अथवा मैसोपोटामिया की या सिंधु सभ्यता। प्रत्येक सभ्यता के अंतर्गत कला का विकास नगरों के विकास के साथ हुआ। वैसे तो कला के अंतर्गत वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला, नृत्य कला, संगीत कला आदि अनेक क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। परंतु प्रस्तुत शोध पत्र कला के प्रदर्शन रूप, जिसे दर्शकों के सम्मुख अभिनीत किया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत, नाटक पर केंद्रित है। इस तथ्य को प्रतिपादित करने का प्रयत्न करता है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों के विकास के समानांतर प्रदर्शन कलाओं नृत्य, संगीत, नाटक का भी विकास हो रहा था।

जिस स्थान पर जनसंख्या का बाहुल्य हो, जो स्थान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रशासनिक हर प्रकार की सुविधा व साधनों से संपन्न हो, वह स्थान 'नगर' शब्द की उत्पत्ति को व्यक्त करता है। मानव इतिहास का चाहे कोई भी युग रहा हो, प्रत्येक युग में नगरों का विकास सभ्यता एवं संस्कृति के केंद्र के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम 1936 में गार्डन चाइल्ड ने नगरीय क्रांति की अवधारणा दी। गार्डन चाइल्ड के अनुसार नगरीकरण का विकास एक प्रकार से क्रांति का रूप है, इसलिए वह इसे 'नगरीय क्रांति' कहते हैं। गार्डन चाइल्ड ने 1950 में शहरी समाज या आरंभिक सभ्यता के लिए 10 सूत्रीय माडल प्रस्तुत किया।[1]

1. बड़ी सघन आबादी
2. गैर कृषक नागरिकों का अधिशेष द्वारा जीवन यापन
3. भवन कला
4. लंबी दूरी का व्यापार
5. वास्तविक विज्ञानों का विकास
6. भव्य स्थापत्य कला का विकास
7. अभिलेखन
8. एक शासक वर्ग
9. प्राथमिक उत्पादकों द्वारा किसी देवता या शासक को अधिशेष का भुगतान
10. कुलीनों द्वारा नियंत्रित स्थानीय विशेषज्ञ शिल्पकार।

चाइल्ड के इस 10 सूत्रीय माडल को किसी भी शहरी समाज की अवधारणा को जानने के लिए प्रथम प्रयास माना जा सकता है, यद्यपि बहुत से विद्वान गार्डन चाइल्ड की नगरीकरण की सूची से पूर्ण रूप से सहमत नहीं, परंतु 'नगर' कांस्य युग की प्रधान विशेषता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे कांस्य युगीन नगरों में हम चाइल्ड के नगरों के लक्षणों को देख सकते हैं। जैसे–स्थापत्य कला में निपुण, माप की व्यवस्था, लंबी दूरी के व्यापार, किसी अधिशेष से गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए लोगों का जीवन यापन, सामाजिक असमानता आदि।

डेविस के मतानुसार "नगरीकरण मानव के सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करता है, जब नगरीकरण की प्रक्रिया एक बार आरंभ होती है, तो मानव जीवन का कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं रह जाता।"[2]

नगरों में पर्याप्त मात्रा में सुविधा व अवसर की उपलब्धता के कारण लोगों को स्वयं के अंदर छिपी प्रतिभा को, कला को प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल से ही, चाहे सिंधु सभ्यता हो या छठी सदी ईसा पूर्व नगरीकरण, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे यह

❑ शोध अध्येत्री, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, गुरूकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
❖ एसोसिएट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, गुरूकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

अनुमान लगाया जा सकता है कि नगरीकरण के माध्यम से लोगों में दृश्य कलाओं के साथ-साथ प्रदर्शन कलाएं जैसे- नृत्य, संगीत, नाट्य कला आदि प्रतिभाएं विकसित रूप से उभर कर सामने आईं। रेखा, आकृति, रंग, ताल शब्द आदि के रूप में मानव की बाहरी अभिव्यक्ति को प्रदर्शनकारी कला के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रदर्शन कला में कलाकार अपने शरीर, मुख मंडल, भाव आदि का उपयोग करता है। जिस स्थान पर नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वहां कला स्वतः ही प्रखर रूप धारण करने लगती है क्योंकि नगर निर्माण की प्रक्रिया में मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। स्वयं के अंदर छुपी कला को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। आदि काल से ही मानव मन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और मानव की अंतःवृत्तियां इससे स्पंदित होती रही हैं। वैसे तो प्रत्येक मानव इन स्पंदनों को स्वः की चेष्टाओं, भंगिमाओं व शब्दों के अनुचारण द्वारा मूर्त करता है, परंतु कुछ मानव अन्य की अपेक्षा संवेदनशील होते हैं व मन पर पड़े प्रभावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं और यही अभिव्यंजना कला के रूप में प्रकट होती है। चाहे मैसोपोटामिया की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सभी सभ्यताओं के अंतर्गत नगरों के विकास के साथ-साथ कला का भी विकास हुआ। मिश्र की सभ्यता में पिरामिड को देखकर भवन निर्माण कला का अनुमान लगाया जा सकता है। कर्णक व लक्सर के मंदिर इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इसी प्रकार मैसोपोटामिया की सभ्यता में भवन निर्माण में मेहराब, मंदिर में मीनार, रंगीन पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मंदिर व धनी परिवार में गायन, वादन होता था, संगीत में रुचि थी।[3]

भारत के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता में नगर से ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां भी समाज में कला का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। हड़प्पा के नगरीकरण में केवल नगर का निर्माण नहीं हुआ, बल्कि नगर निर्माण से बाजार स्थापित हुए। इससे कारीगर एक स्थान पर एकत्र हुए, यातायात सुचारू रूप से चलने लगा। लोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता से बाहर निकलकर अपने अंदर छुपी कला को अभिव्यक्त कर पाए। पुरातत्व विभाग को हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से अनेक टूटे फूटे बर्तन, कलश, मुहरें, मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इसके नमूने राष्ट्रीय संग्रहालय (दिल्ली) में देखे जा सकते हैं। इन पर उत्तकीर्ण आकृति देख यहां के निवासियों की कलात्मकता का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला ने इस सभ्यता को इतिहास में अलग ही पहचान दिलाई है। मनके बनाने का विकसित उद्योग भी प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से ज्ञात होता है कि यहां के लोगों का कला के प्रति अत्यंत अनुराग था। कला ने यहां के लोगों के जीवन का सर्वांगीण विकास किया। सिंधु काल के खंडहरों से ज्ञात होता है कि यहां के निवासी नगर स्थापना में निपुण थे, यहां के नगर विश्व में प्राचीनतम सुनियोजित नगर माने जाते हैं।[4] हड़प्पा सभ्यता से जो नगर विन्यास हमें मिला है वह इस बात का साक्षी है कि विधिवत नक्शा बनाकर आज की नगरपालिका के समान किसी तात्कालिक संस्था द्वारा स्वीकृत कर भवन निर्माण किया गया होगा। मकान में आंगन, पाठशाला, स्नानगर, कुंए, बड़े मकानों में शौचालय की व्यवस्था थी। बर्तनों पर व भवन की दीवारों पर सुंदर चित्रकारी प्राप्त हुई है। यहां के लोगों की कलात्मकता का परिचय खुदाई के दौरान प्राप्त मुहरों पर उत्कीर्ण पशुओं के चित्र से ज्ञात किया जा सकता है। दृश्य कला (वास्तु कला, चित्रकला, मूर्तिकला) के साथ-साथ नगर में प्रदर्शन कला जैसे (नृत्य, संगीत, नाटक) के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि नगर में प्रदर्शनकारी कलाएं भी विद्यमान थीं। साहित्यिक साक्ष्यों के अभाव के कारण हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिससे आंकड़े एकत्र करना चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है और उसे अभी तक पढ़ा भी नहीं जा सका है। यहां से प्राप्त लिपि अभी भी विद्वानों के लिए पहेली बनी हुई है।

प्रथम नगरीकरण के अनंतर प्रदर्शन कलाएं (नृत्य, संगीत, नाट्य कला) हड़प्पा कालीन संगीत

भारतवर्ष में नगर तत्वों के लक्षण सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन कांस्य युग में नगरों का उदय 2350 ईसा पूर्व के अंतर्गत हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन द्वारा ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पावासी संगीत प्रिय थे। यहां लोगों के जीवन में संगीत का प्रवेश हो चुका था। मोहनजोदड़ो से उत्खनन मे प्राप्त एक मुहर पर (हार्प) वीणा (चित्र संख्या-1,2) का अंकन यह संकेत

देता है कि यहां के निवासी वाद्य यंत्र से परिचित रहे होंगे।[5] वीणा के समान, धनुषाकार तंतु वाद्य आदि के उदाहरण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं। मैके के अनुसार वीणा जैसे तंतु वाद्य सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता, परंतु सुमेरी सभ्यता से वीणा के अवशेष प्राप्त किए गए हैं।[6] इसलिए ऐसा संभव हो सकता है कि वीणा जैसे वाद्य का प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में भी रहा होगा क्योंकि सुमेरी सभ्यता हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी।[7]

चित्र संख्या 1

(Corpus of Indus Seals and Inscription by Jagat Pati Joshi and Asko Parpola) M-73A, M-73a

चित्र संख्या 2

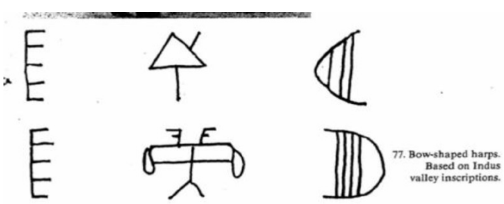

(Musical Instruments by B. C. Deva, fig.77)

इसी प्रकार एक अन्य मुहर पर मृदंग खेलता व्यक्ति अंकित है।[8] कुछ ऐसी मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिसमें गले से लटकता हुआ ढोल जैसा वाद्य प्रतीत होता है[9] तो कहीं करताल व झांझ जैसे वाद्य के समान चित्र प्राप्त हुए हैं।[10] भगवत शरण शर्मा के अनुसार - रोपड़ से चार तार की वीणा बजाती हुई एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पावासी संगीत वाद्य यंत्रों से भली-भांति परिचित थे।[11] इसी प्रकार लोथल से उत्खनन के दौरान नारियल के कवर (खोल) के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जिसमें दो स्थानों पर छेद है। भगवत शरण शर्मा के अनुसार यह किसी वाद्य यंत्र का रुप या नकल रही होगी।[12] एस.आर. राव ने लोथल से सीप के किसी उपकरण को किसी वाद्य यंत्र का रूप माना है, हो सकता है कि गायन ही मनोरंजन का रुप हो, परंतु साहित्य के अभाव में कुछ कहा नहीं जा सकता।[13] एक अन्य मुहर में पुरुष को व्याघ्र के समक्ष ढोल बजाते अंकित किया गया है (चित्र संख्या-3)।[14] आज भी आदिवासी जाति में व्याघ्र आदि हिंसक जानवर के आने पर ढोल आदि वाद्य बजाकर लोगों को सचेत किया जाता है।

चित्र संख्या 3

(Corpus of Indus Seals and Inscription by Jagat Pati Josi and Asko Parpola,182 A)

सुषिर वाद्य के अंतर्गत पक्षियों की मूर्तियों के भी कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, (चित्र संख्या-4), जिनकी पूंछ का आकार सीटी के समान है, हालांकि यह कोई वाद्य नहीं है, परंतु इसकी सीटी बजा कर बच्चों का मनोरंजन किया जाता होगा।[15] इससे प्रकृति के अनुकरण से वाद्य निर्माण की प्रक्रिया अनुग्रहित लगती है।

चित्र संख्या 4

राष्ट्रीय संग्राहलय, दिल्ली

खिलौने में बैलगाड़ी, झुनझुने और पक्षी जिनकी संख्या अधिक थी उनमें झुनझुने की संगीत के रूप में संगति की जा सकती है। सिंधु सभ्यता से सात छेद वाली बांसुरी के अवशेष का मिलना इस बात का संकेत देता है कि यहां के लोगों के जीवन में संगीत एक महत्वपूर्ण व लोकप्रिय मनोरंजन का साधन रहा होगा।[16] अभी हाल ही में शैल व्यास ने अपने शोध में यह बताने का प्रयास किया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। (चित्र संख्या-5,6) शैल व्यास ने बताया कि हड़प्पा के स्थलों पर संगीत वाद्य यंत्रों के ट्यूनिंग खूंटे पाए गए हैं। इन ट्यूनिंग खूंटो को प्राय संगीत वाद्य यंत्रों

में तारों को ढीला करने व कसने के लिए प्रयोग किया जाता था और आज भी इसी प्रकार की ट्यूनिंग के खूंटे प्रयोग किए जाते हैं।[17]

चित्र संख्या 5

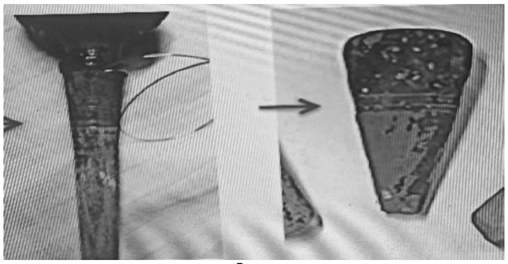

दायें हड़प्पा टेराकोटा और बाएं आधुनिक भारतीय टयूनिंग खूंटी (Vyas Shail, Indus Musician in Mesopotamia)

चित्र संख्या 6

हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त भारतीय टयूनिंग खूंटी (Vyas Shail, Indus Musician in Mesopotamia)

हड़प्पा कालीन नृत्य : हड़प्पा से हमें संगीत व वाद्य यंत्र से संबंधित अवशेष के साथ-साथ नृत्य से संबंधित मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि नृत्य व संगीत जैसी विधाएं सभ्यता के अंतर्गत फल-फूल रही थीं। सिंधु सभ्यता में नृत्य मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन था। भीर्राना से 2004-5 की खुदाई के दौरान एक लाल मोटा टिकरा मिला है (चित्र संख्या-7), इस पर जो आकृति उत्कीर्ण है, वह उच्च शैली की है, जिसमें दो त्रिकोण एक शीर्ष पर आकर मिलते हैं। डांसिंग गर्ल (मोहनजोदड़ो) के समान इसका बायाँ हाथ एक ओर गिरा हुआ व दाहिना हाथ कमर पर रखा हुआ है।[18] एस.आर. राव के अनुसार यह अपनी तरह की एकमात्र खोज रही, क्योंकि डांसिंग गर्ल के समानांतर इस प्रकार की खोज अभी तक कोई नहीं मिली थी। हड़प्पा से एक नृत्यरत पुरुष की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है (चित्र संख्या-8)। खंडित अवस्था में होने के कारण मूर्ति अपने अभिनय का ठीक से परिचय नहीं दे पा रही है। परंतु नृत्य का परिचायक होने के कारण यह मूर्ति महत्वपूर्ण हैं। नृतक का दायां पैर भूमि पर है और बायां नृत्य क्रिया में ऊपर की ओर उठाया गया है।[19] अन्य मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है, (चित्र संख्या-9), जो सलेटी चूने पत्थर की है। जॉन मार्शल व हीलर ने इसे पुरुष आकृति माना है। मार्शल ने इसे 'नटराज की मूर्ति' का स्वरूप कहा है।[20] वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार- यह मूर्ति 'मानवीय दिव्य नर्तकी' का स्वरूप प्रतीत होती है।

चित्र संख्या 7

https://www.orientalthane.com/archaeology/news_2008_03_11_1.htm

चित्र संख्या 8

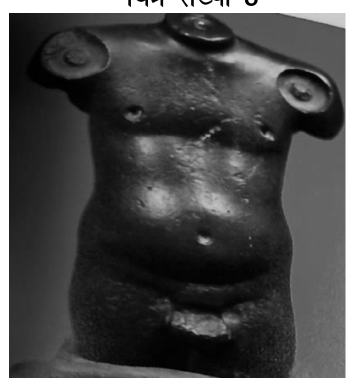

(Harappan art by Dr. Deo Prakash Sharma,Pl. .47)

चित्र संख्या 9

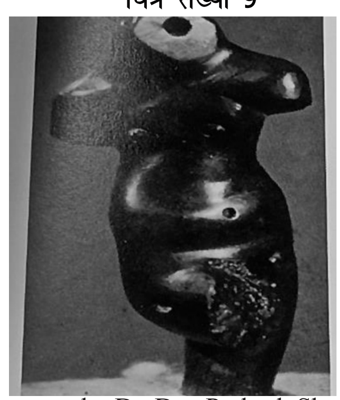

(Harappan art by Dr. Deo Prakash Sharma,Pl.50)

सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थल से नृत्यरत स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है (चित्र संख्या-10), जोकि नृत्य कला का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है।[21] नर्तकी का शरीर अप्रछन्न अवस्था में है, हाथ चूड़ियों से विभूषित है, दाहिना पैर एक स्थान पर और बायाँ पैर कुछ आगे की ओर बढ़ा हुआ व हल्का झुकाव लिए प्रतीत होता है। दाहिना हाथ कमर पर व बायां हाथ नीचे की ओर लंबवत है, केश जूड़े से सजे हुए व साज-सज्जा बहुत ही उत्तम कोटि की है। आज भी महिलाओं में इस प्रकार की साज-सज्जा प्रचलित है। ऐसी मूर्तियों को देखकर प्रतीत होता है जैसे कोई नृतकी नृत्य कर रही हो। सैंधववासी नृत्य कला के पारखी थे अन्यथा ऐसी मूर्तियों का निर्माण संभव नहीं। नृत्यरत कासें की मूर्ति नृत्य कला का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करती हैं।

चित्र संख्या 10

राष्ट्रीय संग्राहलय, दिल्ली

हड़प्पा कालीन नाट्य कला : नृत्य, गायन, वादन के साक्ष्य के साथ ही साथ कुछ ऐसे साक्ष्य में प्राप्त हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पावासी नाट्यकला से भी परिचित होंगे। खुदाई के दौरान कुछ लघु मृण मूर्तियों के मुखौटे प्राप्त हुए हैं (चित्र संख्या-11), जो यह संकेत देते हैं कि यह कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किए जाते होंगे। सिंधु सभ्यता से कठपुतली के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कठपुतली भारतीय थिएटर की प्राचीन परंपरा के रूप में रहा होगा, यह अनुमान लगाया जा सकता है।[22] मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जो स्वयं नृत्य की मुद्रा में है, इसका चेहरा मनुष्य का व दुम बंदर की है। कान काफी बड़े हैं, परंतु बंदर के समान नहीं है। अनुमानित है कि यह वानर का रूप धारण कर लोगों का मनोरंजन कर रहा होगा।[23] यह नाटय पात्र के रूप में प्रयोग किया जाता रहा होगा। मोहनजोदड़ो से एक मुखौटा मिला है जिसे मिट्टी से ढाल कर अंगूठे के छाप से तैयार किया गया है। इसकी आंखें बादाम के आकार के समान मुहँ खुला दो छोटे सींग सींग के पीछे दो लंबे कान हैं। मुखौटे के दोनों और दो छेद हैं (चित्र संख्या 12,13)। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव काल मे लोग मुखोटे आदि का प्रयोग नाटक के समय करते होंगे।[24] इसके अतिरिक्त अनेक वाद्य यंत्र जैसे स्टिंग सीटी पक्की मिट्टी से बने हुए खोखले मुखौटे आदि का प्रयोग नाटकीय रूप से किया जाता होगा वह लोगों के मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग किया गया होगा।

चित्र संख्या 11

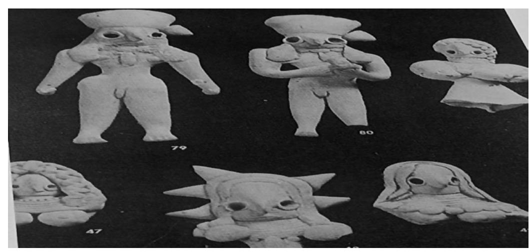

Harappan art by Dr. Deo Prakash Sharma, Pl.127

चित्र संख्या 12

Harappan art by Dr. Deo Prakash Sharma, Pl.126 A

चित्र संख्या 13

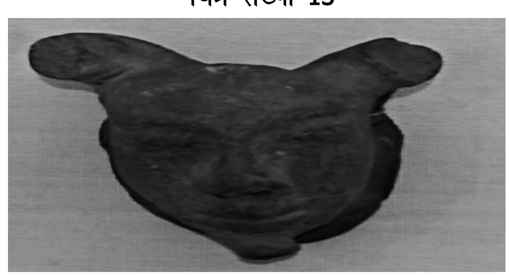

राष्ट्रीय संग्राहलय, दिल्ली

निष्कर्ष : उपर्युक्त पुरातात्विक साक्ष्यों के उदाहरणों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता से उत्खनन के दौरान जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वे उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यहां के निवासी नृत्य, संगीत, नाट्य कला का प्रयोग सार्वजनिक उत्सवों में करते थे। यहां से नृत्यरत मूर्तियों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस सभ्यता का नृत्य निम्न वर्ग का रहा होगा। संगीत का प्रवेश जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो चुका था। तभी इस सभ्यता की दीवारों पर सांगीतिक चित्र उकेरे गए जो यह प्रमाण देते हैं कि लोगों ने इसे अपने जीवन में कहाँ तक उतारा था। हालांकि साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में यह नहीं बताया जा सकता कि संगीत के अंतर्गत क्या-क्या निर्माण हुआ, कौन से नए मार्ग संगीत के अंतर्गत आए होंगे। परंतु यह अवश्य ज्ञात है कि नगरीय सभ्यता के अंतर्गत लोगों के पास अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता के अलावा समय रहा होगा, जिसमें उन्होंने संगीत साधना, नृत्य, नाट्य कला के विकास पर ध्यान दिया होगा। मुखौटे, कठपुतली आदि के अवशेष के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि नाट्यकला भी रही होगी। अतः नगरीकरण में सिर्फ नगर का विकास नहीं होता बल्कि इस विकास के परिवर्तन बहुआयामी होते हैं। कारीगर, शिल्पी अपने माल का वितरण करने के लिए बाजार की ओर प्रस्थान करते हैं, कार्यकरों का अपनी कारीगरी जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला व कलाकार को अपनी कलाकारी जैसे नृत्य, संगीत, नाट्य कला को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता में लोग कुशल व्यापारी थे। वे अपनी कला व संस्कृति का आदान प्रदान करते थे। व्यापार करने के उद्देश्य से इनका बाहरी देशों से संपर्क भी हुआ और विशेष रूप से हड़प्पा सभ्यता का सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ। जहां हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच व्यापारिक संबंध की जानकारी प्राप्त होती है, वहीं संगीत, वाद्य यंत्रों के निर्यात किए जाने की भी जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय संदर्भ में प्रथम नगरीकरण से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज में नगरों के उदय के साथ-साथ प्रदर्शन कला (नृत्य, संगीत, नाट्य कला) का विकास हो रहा था।

सन्दर्भ

1. Smith, E. Michael, V. Gorden *'Childe and the Urban Revolution: a Historical Perspective on a Revolution in Urban Studies'*, Liverpool University Press, 2009, p.10
2. Breeze, Geraid 'Urbanisation in Newely Developing Countries', Prentice Hall, New Delhi, 1969, p.3
3. सिंह बिंदेश्वरी प्रसाद, 'विश्व सभ्यता का संक्षिप्त इतिहास', प्रथम भाग, मोतीलाल बनारसी दास, पटना, दिल्ली, पृ. 63
4. पाठक, सुशील माधव, 'विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास', बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 1972, पृ. 553
5. वीर, राम अवतार, 'भारतीय संगीत का इतिहास', भाग 1, राधा पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010, पृ. 23
6. Deva, B.C., *'Musical Instruments'*, National Book Trust, 1993, p.121
7. Mackey, Ernest, *'Early Indus Civilization'*, Indological Book Corporation, New Delhi,1976, p.141
8. वीर, राम अवतार, पूर्वोक्त, पृ. 31
9. शर्मा भगवतशरण, 'भारतीय संगीत का इतिहास', संगीत कार्यालय, हाथरस, 2019, पृ. 24
10. Dikshit, K. N., *'Prehistoric Civilization of the Indus Valley'*, G. S. Press, Madras, 1939, p. 30
11. शर्मा भवगत शरण, पूर्वोक्त, पृ. 25
12. वही, पृ. 26
13. थपलियाल, किरण कुमार, 'सिंधु सभ्यता', हरी माधव शरण, लखनऊ, 1986, पृ. 201
14- Mackey, Ernest, op.cit., p.72-73
15. शर्मा, स्वतंत्र, 'भारतीय संगीत एक ऐतिहासिक विश्लेषण', अनुभव पब्लिशिंग हाउस, 2014, पृ. 18
16. यमन, अशोक, 'प्राचीन भारतीय संगीत का इतिहास', के.के. पब्लिकेशन, दिल्ली, 2022, पृ. 28
17. https://doi.org/10.31235/osf.io/kce5x ,(Vyas Shail, Indus Musician In Mesopotamia)
18. Roa, L.S. & et. al *'New Light on the Excavation of Harappan Settlement at Bhirrana'*, Puratative 35: 60-68, 2003-04.
19. Jane, R. McIntosh, *'Ancient Indus Vally : New Perspective'*, ABC-CLTD Publishers, 2007, p. 281.
20. Marshall, John, *'Mohanjodaro and Indus Civilization'*, Vol I Arthur Probsthain, London, 1931, p. 46
21. Jane R. McIntosh, op. cit p. 281
22. Ibid, p. 292
23. मिश्रा, पूनम, 'प्राचीन भारत में संगीत', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2003, पृ. 12
24. Mackey, E.J.H. Ernest *'Further Excanations at Mohanjodaro'*, Vol 2, govt of India Press, Delhi, 1938, p. 276.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

गोंड चित्रकला और महिला चित्रकार : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ सुश्री शेफाली सोनी
❖ डॉ. उषा राणा

प्रस्तुत शोध पत्र में परंपरा से आधुनिकता तक की गोंड महिला चित्रकारों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है, इसके माध्यम से महिला गोंड चित्रकारों का अध्ययन मध्यप्रदेश के पाटनगढ़ मल गांव, डिंडोरी जिले में किया गया। इसका उद्देश्य गोंड जनजाति तथा प्राचीन गोंड कला के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है कि किस तरह गोंड कला गोंड जनजाति के जीवन का अमूल्य अंग है तथा उनकी अभिव्यक्ति का साधन है। प्रस्तुत अध्ययन का केंद्र महिला गोंड चित्रकार हैं अतः महिला गोंड चित्रकारों कि प्रस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह चित्रकला जो पूर्व मे गोंड महिलाओं में केंद्रित थी आज किस तरह महिला चित्रकार अपनी पुरातन कला से अपना अस्तित्व जोड़ती हैं। अध्ययन में 6 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन का प्रयोग करके किया गया है। सभी उत्तरदाता गोंड चित्रकला के चित्रकार हैं। अध्ययन में आज तकनीकी, बाजार, मीडिया, और वैश्वीकरण, के दौर मे गोंड महिला चित्रकारों कि प्रस्थिति मे आए परिवर्तन को क्षेत्र कार्य के दौरान समझना है।

सूचक शब्द : गोंड चित्रकला, भित्तिचित्र, डिगना, गोंड परम्परा।

प्राचीनकाल में डिगना से लेकर वर्तमान में कैनवास पेंटिंग तक गोंड चित्रकला गोंड आदिवासियों के जीवन को व्यक्त करती है, जो प्रकृति को आभार व्यक्त करते हुए होती है, जिसमें लोक और धार्मिक कहानियाँ होती हैं। गोंड चित्रकार अपनी चित्रकला को खूबसूरत और चमकीले रंगों द्वारा कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। पुरातनकाल में इस कला का प्रयोग गोंड जनजाति द्वारा अपने घरों की दीवारों व चौखटों को सजाने सँवारने के लिए किया जाता था। प्रत्येक चित्र कहीं ना कहीं उनकी रोजमर्रा के जीवन की कहानी कहता है जो जनजाति के अपनें अनुभव, प्रकृति प्रेम, धर्म, पुरातन कथाओं और जीवन यापन के तत्वों को समाहित करती है। आमतौर पर गोंड चित्रकला गृहकार्य का एक भाग थी, जो मुख्यतः गोंड महिलाओं तक ही केंद्रित रहती थी।

लेकिन आधुनिकीकरण, बाजारवाद, लोककला के प्रति बदलते दृष्टिकोण ने उसे एक पेशे के रूप मे उच्च स्तर पर पहचान दी जिसमें गोंड पुरुष जनजाति को अद्वितीय पहचान के रूप में इसे पहचान दिलाने लगे। इसमें जनगढ़ सिंह श्याम, मयंक श्याम, सुभाष व्याम, भज्जु श्याम, वेंकट रमन श्याम, सुरेश कुमार धुरवे जैसे नाम सामने आते हैं। अतः गोंड पुरुषों का व्यावसायिक गोंड कला पर आधिपत्य दिखाई देने लगा। महिला कलाकारों कि संख्या निम्न या अदृश्य सी हो दिखाई देती है। महिला कलाकारों में ननकुसिया बाई, दुर्गा बाई व्याम जैसे ही कुछ नाम दिखाई पड़ते हैं, और ये महिला कलाकार भी नामचीनी पुरुष गोंड कलाकारों से पारिवारिक संबंध से ही जुड़े प्रतीत होते हैं। वर्तमान समय में गोंड चित्रकारों से संबंधित तथ्यों को राज्य तक पहुंचना, सरकार द्वारा उनके लिए एक व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गोंड चित्रकला का महत्व और इनसे जुड़े तमाम पक्षों का उद्घाटन विश्व पटल पर पहुँचने हेतु प्रस्तुत अध्ययन सम्पन्न किया गया।

साहित्य समीक्षा

गोंड जनजाति मध्यवर्ती भारत में निवासरत एक ऐसी प्रमुख जनजाति है, जो भारत के सर्वाधिक विस्तृत भू-भाग में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वर्तमान समय में इनकी जनसंख्या लगभग एक करोड़ बीस लाख है, जो अनेक उप जनजातियों में बंटी हुई है। इन उप जनजातियों की संख्या पचास के लगभग है।[1,2,3] गोंड जनजाति ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंन्ध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में अपनी अलग पहचान बनाई

❑ शोध अध्येत्री, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)
❖ सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)

हुई है। गोंड़ चित्रकला गोंड जनजातियों की विशिष्टता, पहचान, स्वभिमान व जीवनरेखा भी है। ये जनजाति मध्य प्रदेश के छिदवाड़ा, डिंडोरी, बैतूल, सिवनी, शहडोल जिले में निवास करती है। यह जनजाति अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाई है।[4,5]

भारतीय लोक परम्परा में गोंड परम्परा का अन्यतम महत्व है। गोंड चित्रकला में मुख्यतः रेखाओं व बिंदुओं का अन्यतम महत्व है। अन्य भारतीय चित्रकला से तुलना करने पर यह मिथिला चित्रकला से बहुत समीप नजर आती है।[6] गोंड चित्रकला में देवी-देवताओं, उनके उपाख्यानओं के साथ-साथ प्रकृति से जुड़े नदी पहाड़, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे और वे सारी चीजें प्रतिबिंबित होती हैं जो उनके जीवन से प्रकृति के तादात्म्य को स्थापित करती हैं। भित्ति चित्र से आरंभ होकर गोंड चित्रकला का पेपर, कैनवास व कपड़ों पर उतारने की जो एक लंबी यात्रा है, वह गोंड समाज की धार्मिक सांस्कृतिक तथा विकास की यात्रा को भी समकालीन समाज में तथ्यों के माध्यम से स्थापित करती है। गोंड चित्रकला की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण रेखाएं एवं बिंदु व चित्रकलाओं के के माध्यम से उनका निरूपण किया जाना समाजशास्त्रीय सिद्धांतों से उसकी निकटता को दर्शाता है। इस प्रकार गोंड चित्रकला पर आधारित प्रस्तुत शोध पत्र में मीड की प्रतीकात्मक अन्तःक्रिया (Symbolic intractionlism) के साथ-साथ महिला चित्रकारों से जुड़े नारीवाद के सिद्धांत (Feminism theory) के परिप्रेक्ष्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते।[7]

सामाजिक अंतःक्रियावादियों का मानना है कि संचार और अंतःक्रिया वास्तविकता का निर्माण करते हैं जैसा कि हम जानते हैं। वास्तविकता, इस विश्वास में, सामाजिक रूप से निर्मित है, या बातचीत, और विचारों द्वारा बनाई गई है। इस दृष्टिकोण के प्रारंभिक विचारकों ने व्यक्तियों के आमने-सामने के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया। प्रस्तुत अध्ययन में गोंड जनजाति और गोंड चित्रकला के मध्य अंतर-सम्बन्धों को देखेंगे। नारीवाद सामाजिक जीवन के आयामों सामाजिक असमानता और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। नारीवादी अनुसंधान के माध्यम से, श्रम के लिंग विभाजन में जटिलताओं और परिवर्तनों को समझने में स्थायी योगदान दिया गया है।[8]

प्रस्तुत शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य एवं उसकी अवधारणा तथा स्वरूप में इन सिद्धांतों को तथ्यों के साथ देखना तर्कसंगत होगा। समकालीन भारत अनेक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है, जिसका प्रभाव गोंड जनजातियों के चित्रकला के पारंपरिक मूल्यों पर भी पड़ा है।

अध्ययन के उद्देश्य

महिला गोंड चित्रकारों का प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले मे किया गया जिसका उद्देश्य (1) गोंड जनजाति तथा प्राचीन गोंड कला के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है कि किस तरह गोंड कला गोंड जनजाति के जीवन का अमूल्य अंग है एवं उनकी अभिव्यक्ति का साधन है (2) इस अध्ययन का केंद्र महिला गोंड चित्रकार हैं। अतः महिला गोंड चित्रकारों की प्रस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह चित्रकला जो पूर्व में गोंड महिलाओं में केंद्रित थी आज किस तरह महिला चित्रकार अपनी पुरातन कला से अपना अस्तित्व जोड़ती हैं (3) इस अध्ययन मे आज मार्केट, मीडिया और टेक्नोलॉजी के दौर में गोंड महिला चित्रकारों की प्रस्थिति में आए परिवर्तनों को क्षेत्र कार्य के दौरान समझना है।

शोध पद्धति

पाटनगढ़-मल डिंडोरी जिले (मध्य प्रदेश) के बजाग तहसील के करंजिया ब्लॉक में स्थित एक छोटा सा गांव है।[9] यह गांव डिंडोरी जिले से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार इस गांव में कुल 213 परिवार निवास करते हैं, इस गांव की कुल जनसँख्या 866 है जिसमे 409 पुरुष व 457 महिलाए हैं। पाटनगढ़-मल में कुल साक्षरता दर 68.46 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 79.32 प्रतिशत है, जबकि महिला साक्षरता दर 58.67 प्रतिशत है। गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 535.57 हेक्टेयर है। डिंडोरी जिले में पाटनगढ गांव गोंड चित्रकला का केंद्र है। भज्जू श्याम सहित कई प्रसिद्ध कलाकार वहीं से आते हैं।

प्रस्तुत शोध में 6 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर किया गया है। सभी उत्तरदाता गोंड चित्रकला के चित्रकार हैं। शोध में प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन तथा अवलोकन का प्रयोग किया है।

विश्लेषण

वैयक्तिक अध्ययन उत्तरदाताओं की प्रोफाइल को टेबल में दर्शाया गया है, वैयक्तिक अध्ययन के लिए उत्तरदाताओं का चयन प्रधान गोंड समुदाय से ही किया गया है।

तालिका 1
वैयक्तिक अध्ययन के उत्तरदाताओं का प्रोफाइल

नाम	आयु	शिक्षा	वैयक्तिक अध्ययन उत्तरदाता चुनने का कारण	टिप्पणी
कलावती श्याम	–	प्राथमिक	ये पहली गोंड महिला चित्रकार हैं जो गांव से निकल कर भारत भवन भोपाल आईं थी।	यह एक प्रधान गोंड महिला चित्रकार हैं।
सरोज वेंकट श्याम	45	हाई स्कूल	प्रसिद्ध महिला गोंड चित्रकार है।	यह एक प्रधान गोंड महिला चित्रकार हैं।
चम्पी बाई	35	प्राथमिक	महिला गोंड चित्रकार हैं।	यह एक प्रधान गोंड महिला चित्रकार हैं।
रामेश्वरी	54	प्राथमिक	महिला गोंड चित्रकार हैं।	यह एक प्रधान गोंड महिला चित्रकार हैं।
संभव सिंह श्याम	36	ग्रेजुएट	प्रसिद्ध गोंड पुरुष चित्रकार हैं।	यह एक प्रधान गोंड पुरुष चित्रकार हैं।
वेंकट श्याम	53	हाई स्कूल	प्रसिद्ध गोंड पुरुष चित्रकार हैं।	यह एक प्रधान गोंड पुरुष चित्रकार हैं।

1. वैयक्तिक अध्ययन : कलावती श्याम

कलावती श्याम गोंड महिला चित्रकार हैं। इनका निधन विगत 2 वर्ष पहले हो गया। इनसे अध्येत्री की भेंट वर्ष 2019 में भोपाल जनजातीय संग्रहालय में विजिट के दौरान इनके निज निवास में हुई थी। ये वह प्रथम महिला चित्रकार थीं, जिन्होंने अपने गांव पाटनगढ़ से भारतभवन तक का सफर तय किया व उनकी कला को न केवल भारत जबकि विदेशों में भी पहचान मिली। कलवती श्याम जी को विभिन्न पुरस्कार व सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है, जिसमे इन्हें इंदिरा गाँधी मानव संग्रहालय अवार्ड, गौरव सम्मान, विश्वजनजातीय दिवस पर सम्मान तथा माननीय राष्ट्रपति स्व. श्री ए. पी. जे. अब्दुल कलम जी द्वारा राष्ट्रपति स्कॉलरशिप भी प्रदान की जा चुकी है।

जब उनसे पूछा गया कि आप गोंड कला को कैसे समझती हैं, तो उन्होंने बताया कि यह कला हमारे जन्म के पूर्व से ही हमसे जुड़ी है, हमनें अपनी दादी नानी और माँ को देखते हुए यह कला सीखी है, यहां कोई गुरु परम्परा नहीं रही है। यह कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा सीखी जा रही है, और आज हमारे बच्चे भी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। यह प्रकृति से जुड़ी हुई कला है, क्योंकि यह ग्रामीण जीवन व जंगल की निकटता से उपजी है। इस कला को पहले दीवारों व जमीन पर बनाया जाता था जिसे भित्ति चित्र (म्यूरल) और डिगना कहा जाता है। भित्ति चित्र को मिटटी से दीवारों में उभरी हुई आकृति बनाकर फिर उसे विभिन्न प्राकृतिक रंगो से रंगा जाता है। उसी प्रकार डिगना को चांवल के आटे या चूने से और रंगों के माध्यम से फर्श पर आकृति बनाई जाती है। इनका मानना है की यह कला तो हम आदिवासी गोंड महिलाओं से हमेशा से जुड़ी है। हमें अपने घरों को सजाना उन्हें साफ सुथरा रखना बहुत पसंद है, हम अपने घरों में भित्ति चित्र और डिगना बनाने का कार्य तो हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे घरों तक सीमित था।

ऐसे ही बहुत सी महिला चित्रकार हैं, जिन्हे पहली बार गांव से निकलकर बाहर जाने का अनुभव मिला। हमें नया जीवन जीने का अनुभव मिला। यह कला तो पहले ही हमारे जीवन का हिस्सा थी ही मगर आज यह हम चित्रकारों के अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। आज हमें इस कला के माध्यम से अपनी नयी पहचान प्राप्त हुई है। उनसे पूछने पर कि क्या आप मानती हैं कि महिला चित्रकार भी पुरुष चित्रकारों की भांति यश व धन इस कला से प्राप्त कर रहे हैं, इस बात पर उनका कहना था कि, आज भी ऐसी कई महिला चित्रकार हैं, जो गांव से निकलकर अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पातीं हालाँकि आज कई संस्थान हैं जो ऐसे कलाकारों की मदद के लिए सामने आए हैं। कहीं न कहीं महिलाऐं पुरुषों से इस मामले में पीछे हो जाती हैं, क्योंकि उन पर घर

परिवार और बच्चों की भी जिम्मेदारी अधिक होती है। हाँ मगर ऐसी महिलाऐं जो अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आई हैं, वे काफी यश और नाम कमा रहीं हैं, और उन्हें काम भी मिल रहा है, जब उनसे यह पूछा गया कि वे गोंड कला का भविष्य किस तरह से देखती हैं तो उनका कहना था कि आज सरकार आदिवासी और पारम्परिक कला को सहेजने के लिए कलाकारों को सामने लायी है, जिससे देश के हर एक क्षेत्र की कला को अपनी नयी पहचान मिली है और लोग इस कला को पसंद भी कर रहे हैं। इस तरह मेरा सोचना यही है कि गोंड कला का भविष्य काफी उज्जवल है। इस के माध्यम नयी पीढ़ी भी कहीं न कहीं अपनी जड़ से जुड़ी रहेगी। इनसे पूछने पर कि मार्केट, मीडिया और टेक्नोलॉजी का आप पर क्या प्रभाव पड़ा,तो इनका कहना था की मीडिया के माध्यम से ही आज हमारी कला को देश और विदेशों में पहचान मिली है। आज हमारी जो स्वयं की अपनी पहचान है वह भी बाजार के माध्यम से ही सम्भव हो पायी हैं। टीवी और अन्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज जो हमारे इंटरव्यू लिए जाते हैं उससे लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, लेकिन महिला कलाकार नए बदलावों से निपटने में सक्षम नहीं हैं, ये डिजिटलीकरण उनके लिए बाधाएं पैदा कर रहा है।

2. वैयक्तिक अध्ययन : सरोज वेंकट श्याम

सरोज जी भी एक गोंड चित्रकार हैं, इनकी आयु करीब 45 वर्ष है। ये प्रसिध्द कलाकार वेंकट रमन श्याम जी की पत्नी हैं। इनसे भी अध्येत्री की भेंट भोपाल में इनके निवास स्थान में हुई थी। जब इनसे पूछा कि आप गोंड कला से कैसे जुड़ी हैं तो उनका कहना था कि घर के बड़े बूढ़े हमेशा से इस कार्य को करते आए हैं। मगर कभी भी कैनवास, पेपर और ब्रश का उपयोग नहीं किया था। मेरे पति ने मुझे इस चित्रकला को करने के लिए प्रोत्साहित किया इस प्रकार मेरी इस यात्रा का प्रारंभ हुआ।

मेरी चित्रकला में मुख्य रूप से नाग, सांप की आकृति देखी जा सकती है। सरोज जी ने भारत तथा भारत के बाहर कई जगह कार्यशालाओं में भी भाग लिया है उनकी चित्रकला को क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली, ललित कला अकादमी, रेबेका होस्साक गैलरी लंदन, कुमारस्वामी हाल शिवजी म्यूजियम मुंबई, मिलर आर्ट गैलरी वर्जिनिया अमेरिका में भी प्रदर्शित किया जा चुका है। उनके चित्रों के संकलन को सेलु कन्जर्वेंसी (रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी, वर्जिनिया अमेरिका), डॉ. रोमा चटर्जी (आर्ट हिस्टोरियन, दिल्ली), डॉ. ओरोगीता दास (आर्ट क्रिटिक, लंदन) में जगह मिली है। इनका कहना है कि ये इस चित्रकला को अपनी अंतरआत्मा से जुड़ा मानती हैं। इनके चित्र कहीं न कहीं इनकी जीवन यात्रा के संघर्ष को भी प्रदर्शित करते हैं।

सरोज जी का मानना है कि, आज इस कला के कारण ही उनको अपनी एक अलग पहचान मिली है, आज उनके चित्रों को उनके नाम से जाना जाता है। हाँ मगर महिलाएँ कहीं न कहीं घर परिवार की जिम्मेदारी की ज्यादा भागी होती हैं तो उनको पुरुषों की अपेक्षा लाभ की प्राप्ति कम हो पाती है। उनसे पूछने पर कि वे गोंड कला का भविष्य किस तरह देखती हैं तो उनका कहना था कि आज जिस प्रकार इस कला का नाम देश और विदेश में हो रहा है उस हिसाब से इस कला का भविष्य काफी उज्जवल है। आज सरकार और कई माध्यमों से कलाकारों को काम देने और उनको अपनी एक पहचान देने का काम किया जा रहा है। इनसे पूछने पर कि मार्केट, मीडिया और टेक्नोलॉजी का आप पर क्या प्रभाव पड़ा तो इनका कहना था कि आज मीडिया ही वह माध्यम है जो हम कलाकारों को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा हैं, आज जो मीडिया और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें बाजार उपलब्ध हो रहा है वह पहले नहीं था।

3. वैयक्तिक अध्ययनः चम्पी बाई

चम्पी बाई एक गोंड महिला चित्रकार हैं, इनकी आयु 35 वर्ष है। इनसे अध्येत्री की भेंट क्षेत्र कार्य के दौरान जियो गोंड कलाकृति सहकारी समिति में हुई, ये करीब चार-पांच वर्षों से चित्रकला कर रही हैं। जब इनसे पूछा कि आप गोंड कला से कैसे जुड़ी हैं, तो इनका कहना था कि मैं अपने घर में डिगना और भित्ति चित्र और घर को सजाने का काम तो हमेशा से कर रही थी। मगर कभी ब्रश से पेपर और कैनवास पर पेंटिंग नहीं की थी मगर जब हमारे गांव में सरकारी व गैर सरकारी संस्थाए कार्यरत हुईं व हम गोंड कलाकारों को चित्रकला करने के लिए प्रोत्साहित किया तो हमारी भी चित्र को बनाने में रूचि जाग्रित हुई और धीरे धीरे हमनें चित्र बनाना प्रारंभ किया। यह हमारे लिए एक नया अनुभव था।

इनसे जब पूछा गया कि आपको इस कला को करने

से किस तरह पहचान मिली, आप क्या मानती हैं, तब उन्होंने बताया कि वे अभी गांव में लगाए जाने वाली प्रदर्शनी में ही अपना कला का प्रदर्शन करती हैं, जिसमे उनकी बनाई हुई चित्रकला की बिक्री होती है या फिर कभी उन्हें बाहर से किसी संस्थानों के लिए भी चित्र बनाने के आर्डर दिए जाते हैं, और फिर उसके बदले उस चित्र कि धनराशि प्रदान की जाती है इससे कही न कहीं हमारा मनोबल बढ़ा है और हम और भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं।

उनका गोंड महिला चित्रकारों के बारे में क्या सोचना है इस पर उन्होंने कहा कि आज हमारे गांव की महिलाएँ खेती किसानी तक बस सीमित न रह कर आगे बढ़ रहीं हैं। महिलाएं भी देश के विभिन्न स्थानों में होने वाली प्रदशर्नियों व कार्यशालाओं में सहभागिता प्रदान करती हैं। इनसे पूछने पर कि मार्केट, मीडिया और टेक्नोलॉजी का आप पर क्या प्रभाव पड़ा तो इनका कहना था कि आज जो हम टीवी देखते हैं या हमारे घर के लोग मोबाइल चलाते हैं, तो कहीं कहीं न कहीं हम भी बाहर की दुनिया से अवगत होते हैं। मैं तो मोबाइल वगैरह नहीं चलाती मगर आजकल हमारे गांव के और लोगों व बच्चे सभी के पास मोबाइल है, जिससे कहीं न कहीं हमको लाभ मिला है।

4. वैयक्तिक अध्ययन : रामेश्वरी

रामेश्वरी जी की आयु करीब 54 वर्ष है। इनसे अध्येत्री की भेंट क्षेत्र कार्य के दौरान पाटनगढ़ में हुई थी। ये पढ़ी लिखी नहीं हैं, इनसे पूछने पर कि आप गोंड कला से कैसे जुड़ी हैं, इस पर इनका कहना था कि हम गोंड प्रधान आदिवासी हैं। हम प्रधान गोंड गाना-बजाना और भक्ति कार्य में बहुत लीन रहते हैं, हमको अपने घरों को सजाना बहुत पसंद है। गोंड कला क्या है इस पर इनका कहना था कि इस कला का कोई नाम नहीं था, आज जो हम प्रधान गोंड आदिवासी चित्रों को बनाते हैं तो इसी नाम से इसको गोंड या गोंडी कला के नाम से जाना जाने लगा हम आदिवासियों के जीवन में प्रकृति का बहुत महत्त्व है इसलिए हमारी चित्रकला में प्रकृति का अंश देखा जा सकता है।

आपको इस गोंड कला से पहचान कैसे मिली, इस पर इनका कहना था कि इस कार्य को करने आज हम घरों से बाहर निकल रहे हैं। इससे हमारे मनोबल का भी विकास हो रहा है। आप गोंड महिला चित्रकारों के बारे क्या कहना चाहती हैं, इस पर इनका कहना था कि आज हम सभी महिलाएं चित्र बनाने का कार्य करती हैं। इस से हमें आंतरिक प्रसन्नता भी प्राप्त होती है, तथा एक अपनी पहचान मिलती है।

क्या आप मानती हैं कि महिलाओं को भी पुरुष चित्रकारों की भांति यश और धन की प्राप्ति हो रही है। इस पर इनका कहना था कि हाँ कहीं न कहीं आज हम कार्य कर रहें हैं, क्योंकि आज कई स्वसहायता समूह और संस्थाएं हम महिलाओं के लिए कार्य कर रहीं है, हमको कार्य देने का काम कर रहीं हैं। गोंड कला में महिलाओं का भविष्य किस तरह देखती हैं, इस पर इनका कहना था की आज जो नयी पीढ़ी के बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई व अन्य माध्यमों से भी जुड़े हुए हैं। इनके पास अपनी कला को आगे स्वयं बढ़ाने का माध्यम उपलब्ध है इस लिए मुझे लगता है की यह कला बहुत आगे जाएगी और हर जगह गोंड कला को जाना जाएगा। इनसे पूछने पर कि मार्केट, मीडिया और टेक्नोलॉजी का आप पर क्या प्रभाव पड़ा तो इनका कहना था कि हमारे गांव को विदेशों में तक जो एक पहचान मिली है उसका कारण मीडिया ही है। हमें अच्छा लग रहा है कि आज इन माध्यमों के कारण लोग हमको जानने लगे हैं। हमारी संस्कृति को जानने के लिए वे हमारे गांव आते हैं हमारे साथ रहते हैं अगर ये माध्यम नहीं होते तो आज हमारी कला का इतना प्रचार नहीं हो पाता। मगर महिलाओं को कहीं न कहीं पुरुषों की अपेक्षा लाभ की प्राप्ति कम हो पाती है, क्योंकि वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

5. वैयक्तिक अध्ययन : संभव सिंह श्याम

संभव सिंह श्याम जी एक गोंड पुरुष चित्रकार हैं। इनकी आयु 36 वर्ष है। इनसे अध्येत्री की भेंट आदिवासी कला एवं संस्कृति केंद्र भोपाल में हुई। सम्भव जी ही इस केंद्र के डायरेक्टर हैं ये करीब 8 वर्ष की आयु से चित्रकारी कर रहे हैं। इन्होनें अपने माता-पिता को देख के ही चित्रकारी सीखी या कहा जा सकता है की चित्रकारी करना इनके खून में ही सम्मिलित है।

सम्भव जी से जब मैंने पूछा की वे गोंड चित्रकला को स्वयं से कैसे जोड़ते हैं। तब उन्होंने बताया कि जब हम गांव में रहते थे, तब हम जंगल से जुड़े हुए थे नदियों और जंगल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं था। मुझे याद है बचपन में मैं गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी में नहाने जाया करता था। वहाँ एक विशाल

पेड़ हुआ करता था जिसकी छांव में हम बैठा करते थे उस पेड़ में चिड़ियाँ अपना घोसला बनाया करती थीं जिन्हे मैं हमेशा देखा करता था। कुछ सालों पहले जब मैं अपने गांव वापस गया और उस नदी के किनारे गया तब मैंने देखा कि उस पेड़ को जड़ से उखाड़ के काट दिया गया है यह देखना मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायी था इस घटना पर मैंने एक पेंटिंग भी बनाई जिसे नेशनल जिओ-ग्राफिक चैनल में दिखाया गया। मगर वे कहते हैं कि मैं इस पेंटिंग से खुश नहीं था क्योंकि ये दुःख को दर्शाता है, इसके बाद मैंने अपने पेंटिंग में उड़ती हुई चिड़िया का दर्शन चालू किया जो मेरा सिग्नेचर पैटर्न बन गया।

इनसे पूछने पर कि क्या आपको गोंड चित्रकला से पहचान मिली तो इन्होने कहा कि आज हमारे पेंटिंग्स को हमारे नाम से जाना जाता है आज इस चित्रकला के माध्यम से ही हम देशों और विदेशों में अपनी कला को पहचान दिला रहे हैं, और हमें हमारे कला के कारण अपने नाम से जाना जा रहा है। इनसे पूछने पर कि आप गोंड महिला कलाकारों के बारे में क्या कहना चाहते हैं तो इनका कहना था, की मेरी माँ हमारे प्रधान जनजाति में ऐसी पहली महिला कलाकार थी जिन्होंने पहली बार पेंटिंग के लिए ब्रश और कैनवास का उपयोग किया और गांव से भारत भवन भोपाल आईं आज हमारे समुदाय की कई महिला चित्रकार हैं जो काफी अच्छा काम कर रही हैं और देश और विदेशों में अपना नाम कमा रही हैं।

इनसे पूछने पर कि क्या गोंड महिला चित्रकारों को भी पुरुष चित्रकारों की तरह ही यश व धन मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे समुदाय में महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अतः महिलाएं भी पुरुषों की भांति ही चित्रकला में अपना नाम और धन कमा रही हैं हाँ मगर आज भी ऐसी कई महिला चित्रकार हैं जो उतना ऊपर नहीं उठ पाई हैं और हासिये पर हैं।

इनसे पूछने पर कि क्या आपको नहीं लगता की पुरुष अधिक संख्या में इस कला का लाभ ले रहे हैं। इन्होने कहा कि हाँ ये सच है पुरुष बाहरी दुनिया तथा सोशल साइट्स से अधिक जुड़े हुए हैं। इसलिए वे कई संस्थानों और देश विदेश के कई विद्वानों से भी जुड़े रहते हैं ऐसा नहीं है कि महिलाएं सोशल साइट्स व् अन्य माध्यमों का उपयोग नहीं करती, आज के समय में ऐसी कई महिला चित्रकार हैं जो इनका उपयोग कर रही और लोगों से जुड़ रही हैं और ख्याति प्राप्त कर रही हैं।

इनसे पूछने पर कि मार्केट, मीडिया और टेक्नोलॉजी का आप पर क्या प्रभाव पड़ा तो इनका कहना था। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज मैं अपने काम को लोगो तक पंहुचा पा रहा हूँ नए नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। हमारी कला को जानने लगे हैं। आज मीडिया के कारण बहुत पहचान मिली है आज चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हों या न्यूज चैनल्स हों सभी जगह गोंड चित्रकारों और चित्रकला को पहचान मिली है और हम स्वयं भी नई जानकारियां लेने में सक्षम हो पाए हैं।

6. वैयक्तिक अध्ययन : वेंकट रमन सिंह श्याम

वेंकट रमन सिंह श्याम एक प्रधान गोंड पुरुष कलाकार हैं। ये एक बहुत ही प्रसिद्द गोंड चित्रकार हैं, इनको सन 2002 में राज्य हस्त शिल्प पुरुस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनसे पूछने पर कि इनकी गोंड चित्रकारी का प्रारंभ कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि चाचा जी की पेंटिंग्स को देख के मेरे मन भी कहीं न कहीं चित्र बनाने की प्रेरणा मिली उसके बाद मैं भी कोयले से कभी दीवारों तो कभी जमीन पर चित्र उकेरता रहता था। इनसे पूछने पर कि क्या युवा वर्ग आज इस कला को आगे बढ़ाने में रूचि ले रहा है, तो इनका कहना था आज की युवा पीढ़ी पढ़ाने लिखने के साथ-साथ गोंड परंपरा को आगे बढ़ाने में भी बढ़ चढ़कर रूचि ले रहें हैं। वे भी गोंड चित्रकारी कर रहे हैं। इन्होने बताया की मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2023 में गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत टैग (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग)[10] दे दिया गया है, जिससे कि सभी गोंड चित्रकारों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे कलाकारों के मूल कार्यों को उनके कार्यों का उचित मूल्य प्राप्त होगा और किसी प्रकार की धोखा धड़ी का खतरा भी नहीं रहेगा।

इनसे पूछने पर कि आप गोंड चित्रकला के भविष्य में महिलाओं को कैसे देखते हैं, तो उनका कहना था कि आज सरकार द्वारा गोंड चित्रकारों को बहुत बड़ा उपहार मिला है। आज जो भी महिलाऐं चाहे वे गांव में रहकर कार्य कर रही हैं अथवा गांव से बाहर हैं उन सभी को उनके कार्यों को बाजार प्राप्त होगा और भविष्य में चलकर उनको कार्यों का एक सही बाजार भी प्राप्त होगा। अतः कहा जा सकता है की गोंड महिलाऐं चित्रकारी में काफी अच्छा भविष्य का निर्माण कर सकती हैं तथा

आने वाली पीढ़ी को भी अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद कर सकती हैं।

इनसे पूछने पर कि मार्केट, मीडिया और टेक्नोलॉजी का आप पर क्या प्रभाव पड़ा तो इनका कहना था कि जब मैंने अपने कार्य का प्रारंभ किया था तब मीडिया न्यूज चैनल्स और टेलीविजन जैसे माध्यम तो थे मगर मगर मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अस्तित्व में नहीं आए थे। आज इन प्लेटफॉर्म ने हम कलाकारों को बहुत अधिक लाभ पहुंचाया है। आज हम स्वयं ही अपनी एक पहचान बनाने के योग्य हो रहे हैं आज हम अपने कार्य को इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रदर्शित कर पा रहे हैं। जब कोरोना काल में सारी दुनिया अपने घरों में सिमट के रह गई थी तब टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा माध्यम थी जो हम लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ कर रखे हुए थी। मैंने स्वयं कोरोना काल के दौरान कई ऑनलाइन कार्यशालाऐं आयोजित कीं। कई वेबिनार किये जिससे हम भी लोगों तक पहुंच पाए लोग हमारी कला को जान पाए और हम भी दूसरी कलाओं और लोगों को जान पाए, समझ पाए। अतः मैं कह सकता हूँ कि ये माध्यम हम सभी कलाकारों के लिए एक वरदान है।

गोंड चित्रकला में आधुनिकीकरणः गोंड चित्रकला अपने चित्रों के माध्यम से अपनी कला यात्रा को कहती है जो अपनी प्राचीन प्रकृति से निकटता से आरम्भ होकर आज के वर्तमान परिवेश के साथ भी अपने आप को प्रस्तुत करती है। समकालीन गोंड कला उन राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों को समझने के लिए उर्वर भूमि है, जो स्वयं समुदायों द्वारा निर्धारित शर्तों पर आदिवासी सांस्कृतिक कार्य को प्रभावित करते हैं। यहां तक कि गोंड कला आदिवासी पौराणिक कथाओं और याद किए गए ग्रामीण परिदृश्यों पर आधारित पारंपरिक कहानियों और गीतों पर आधारित है। अन्य शब्दों में कहें तो गोंड चित्रकला बहुत हद तक एक निर्मित परंपरा है, जिसकी जड़ें गांव में थीं। लेकिन आज वो शहरों में आई, फली-फूली और पोषित हुईं। प्राचीन तत्व अब आधुनिक संवेदनाओं के अंतर्गत समाहित हो गए हैं। रूपांकनों और बनावट अब रूपों की कल्पना करने के तरीके में अधिक शैलीबद्ध दिखाई देते हैं। आज गोंड युवा कलाकारों की नयी पीढ़ी, इस कला के साथ तकनीकी तथा अन्य नवचारों को अपनाकर एक नया स्थान प्राप्त कर रही है।

गोंड चित्र कला और गोंड महिला कलाकारः प्रस्तुत शोध में गोंड महिलाओं की प्रस्थिति, एक गोंड चित्रकार के रूप में समझाना है कि गोंड चित्रकार महिलायें आधुनिक समाज में किस प्रकार स्वयं को स्थापित करती हैं। गोंड महिला चित्रकार आधुनिकता के साथ कदम मिलाने का साहस और प्रयास करते हुए गोंड समुदाय में देखी गयी। उसकी संवेदनशीलता उसे कला की गहनता के साथ बांधती हैं सांस्कृतिक मान्यताओं और विश्वास को व्यक्त करती है किन्तु उनके एक तरफ तो उन्हें उनके निम्न साक्षरता के स्तर ने आगे बढ़ने से रोका है, शिक्षा का अभाव उन्हें नयी तकनीकों से जुड़ने नहीं देता, दूसरी और परम्परायें तथा सामाजिक संस्थाओं के आधीन महिला होने के नाते उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं।

परम्परागत रूप से महिलायें घर में ही रहती हैं और पुरुष बाहर का काम करते हैं, जिससे पुरुषों का बाहरी जगत से अधिक संबंध रहता है। अतः बाहर से आने वाले अवसर महिलाओं के पास कम ही होते हैं। सभी पितृसत्तामक समाजों में महिला पुरुषों के अधीन रहती हैं, उसे हर निर्णय के लिए भी घर के पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः पुरुष स्वतंत्र निर्णय ले पाते हैं तथा महिला उस प्रकार निर्णय नहीं ले सकती हैं। साथ ही गोंड कला का एक प्रथम सम्मान प्राप्त परिवार तथा उनके रिश्तेदार तक जुड़ गए अन्य सामान्य लोग उसका लाभ कम ही ले पा रहें हैं, जिसमे महिलायें बहुत पीछे देखी जा रही हैं। आज के ऑनलाइन बाजार में लोक कला का बाजार बड़ा कीमती है, किन्तु गोंड चित्रकार इसका कोई लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह लाभ सम्पूर्ण जनजाति को नहीं मिल पा रहा है।[11,12,13]

गोंड महिला चित्रकार और भविष्यः तकनीकी, बाजार और मीडिया के समाज, तथा पुरुष प्रधान समाज में गोंड महिला, महिला होने के कारण पीछे है, आज सरकारी और गैर सरकारी संस्थान लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अतः गोंड महिलाओं को एडवोकेसी की आवश्यकता है, जिससे उन्हें अपनी कला का सही दाम मिल सके। हाल में ही मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2023 में गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत टैग (ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग) दे दिया गया है जिससे सभी गोंड चित्रकारों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे कलाकारों के मूल कार्यों को उनके कार्यों का उचित

मूल्य प्राप्त होगा और किसी प्रकार की धोखाधड़ी का खतरा भी नहीं रहेगा। ये गोंड कला के मूल जन्म स्थान पाटनगढ गांव से सीधे बाजार को जोड़ता है, जिससे ये गोंड जनजाति और वृहद बाजार के बीच एक पुल (Bridging) का कार्य करेंगें, जिसे एक अच्छे भविष्य की तरह देखा जा सकता है।

निष्कर्ष : आज, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों संगठन गोंड महिलाओं की लोक कला को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। गोंड महिलाओं को उनके कलात्मक प्रयासों के लिए उचित मूल्य मिले। इन महिलाओं के बीच जागरूकता और क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से नई भूमिकाएं तलाशना और बाजार के साथ संबंध स्थापित करना सम्मिलित है। गोंड कला का बाजार विभिन्न तरीकों से फल-फूल रहा है। नए कलाकार, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर, गोंड कला-आधारित एनिमेशन बना रहे हैं। कुछ स्थानीय कलाकार इस कला रूप को टैटू में सम्मिलित कर रहे हैं, जबकि कई अन्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सहयोग से वस्त्रों में इसके अनुप्रयोगों की खोज कर रहे हैं।

ये महिला कलाकार समुदाय के भीतर किसी भी लिंग-आधारित असमानताओं को संबोधित नहीं करती हैं। हालाँकि, पुरुष की तुलना में महिला गोंड कलाकारों में सापेक्ष अभाव स्पष्ट है। कम शैक्षिक उपलब्धि, सीमित गतिशीलता, घरेलू कामों में व्यस्तता, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में असमर्थता, बाजार और ग्राहकों की समझ की कमी और पुरुषों के अधीनस्थ भूमिकाओं में काम करने वाले कई कारक गोंड कलाकार समुदाय के भीतर उनकी अदृश्यता में योगदान करते हैं।

सन्दर्भ

1. Forsyth, J. *'The Highlands of Central India'*, Chapman & Hall, London, 1871.
2. Paltasingh, T. & Paliwal, G. *'Tribal Population in India: Regional Dimensions & Imperatives'*, Journal of Regional DevelopmentAnd Planning, 3 (2), 2014, p. 27-36.
3. *'Census of India 2011 - Madhya Pradesh - Series 24 - Part XIIA - District Census Handbook, Dindori'*, Directorate of Census Operations, Madhya Pradesh, 2011.
4. Mendaly, S. *'A Study of Living Megalithic TraditionAmong the Gond Tribes, District-Nuaparha, Odisha'*, AncientAsia, 6 (9), 2015, p. 1-6.
5. Aksan, N., Kisac, B.,Aydin, M., & Demirbuken, S. *'Symbolic Interaction Theory'*, Procedia SocialAnd Behavioral Sciences, 1, 2009, p. 902-904.
6. Saxena,A. *'An Account of Dots And Lines- the Gond TribalArt of Madhya Pradesh, Their Tradition, Relevance And sustainability in contemporary Design Domain'*, International Journal of Current Research, 9 (11), 2017, p. 61128-61135.
7. Smith, R. W. & Bugni, V. *'Symbolic Interaction TheoryAndArchitecture'*, Symbolic Interaction, 29 (2), 2006, p. 123-155.
8. Hooks, B. *'Feminism is for Everybody: Passionate Politics'*, South End Press. 2000
9. Matsuoka, K. & Shyam, B. *'Origins ofArt: the Gond village of Patangarh'*, Tara Books, Chennai, 2019.
10. Agnihotri, A. *'Gond Painting from Madhya Pradesh Receives GI Tag'*, Hindustan Times, 2023. https://www.hindustantimes.com/lifestyle/art-culture/gond-painting-from-madhya-pradesh-receives-gi-tag-101681211228889.html.
11. Rana, U. *'Cultural HegemonyAnd Victimisation of Bedia Women in Central India'*, SpaceAnd Culture, India, 8 (2), 2020, p. 96-103
12. Bateman, N. *'Advocacy Skills for Health And Social Care Professionals'*, Jessica Kingsley, London, 2000.
13. Ambagudia, J., & Xaxa, V. *'Tribal Identity And Governance in Sate Politics of Jharkhand'*, SAGE Publications, 2021.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

कोविड–19 लॉकडाउन पश्चात् प्रवासी महिला मजदूरों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

❑ चेतानंद जांगडे

❖ डॉ. एल.एस. गजपाल

सूचक शब्द : लाकडाउन, प्रवासी मजदूर, सामाजिक सुरक्षा, कोविड महामारी।

प्रवास एक जटिल परन्तु आधारभूत सामाजिक प्रक्रिया है, जिसकी सरलतापूर्वक व्याख्या कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। जटिल सामाजिक प्रक्रिया होने के साथ ही यह जटिल सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देने का कारक होता है। सामान्य तौर पर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में सापेक्षतः स्थायी गमन की प्रक्रिया को ही प्रवास के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य के निवास में परिवर्तन की घटना को ही प्रवास कहा जाता है। भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू किए जाने के कारण व्यवसायों, कारखानों और अन्य कार्यस्थलों के बंद होने के कारण देशभर के लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई। विशेष रूप से प्रवासी मजदूर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए क्योंकि उनमें से अनेकों को अपनी नौकरी ऐसी स्थिति में गंवानी पड़ी जिनके लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कोई भी योजनाएं नही थीं और ना वे परिवार के संपर्क में थे। प्रारंभ में अंतरराज्यीय यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे प्रवासी मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर तक घर वापस जाने के संबंध में समाचार के माध्यम से रिपोर्ट आने लगी। यात्रा प्रतिबंध हटा दिए जाने के पश्चात् 1.1 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी अपने राज्य लौट आए। प्रस्तुत शोध प्रवासी महिला मजदूरों के लॉकडाउन के पूर्व एवं पश्चात् की स्थिति उनसे होने वाली समस्या एवं प्रवास के कारणों पर आधारित हैं।

लॉकडाउन को कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए व्यापक रूप से अनिवार्य विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाता हैं। परंतु अधिकांश जनमत विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो द्वारा झेली गई कठिनाइयों को देखते हुए नागरिकों के कल्याण पर लॉकडाउन के समग्र प्रभाव पर विभाजित दिखाई देते हैं। कोविड–19 सबसे पहले चीन के वुहान शहर में रिपोर्ट किया गया था एवं इसके बाद ही दुनिया में विभिन्न देशों में तीव्रता के साथ विस्तार हुआ।[1] लक्षणों की प्रारंभिक तिथि 1 दिसंबर 2019 थी एवं जो इनसे ग्रसित थे उनमें लक्षण कुछ इस प्रकार थे बुखार, थकान, सूखी खांसी एवं सांस लेने में दिक्कत होना।[2] सबसे बुरी तरह प्रभावित वर्गो में से एक वर्ग प्रवासी महिला मजदूरों का है। जो अपने परिवारों विशेष रूप से अपने पति के साथ रोजगार व आजीविका के अवसरों की तलाश में अपने गृह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाते हैं तथापि कोविड 19 संकट ने इन मजदूरों को बेरोजगार, धनहीन और बेघर बना दिया हैं। कोविड–19 आंतरिक प्रवास का कारक है लेकिन दुर्भाग्य से यह रिवर्स माइग्रेशन है। प्रवास आम तौर पर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में होता है लेकिन कोविड–19 के कारण यह शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिख रहा है। भारत में कोविड–19 से होने वाले प्रकोप को आपदा घोषित कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अस्थायी रूप से इस नये वायरस 2019 को नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया एवं 12 फरवरी 2020 को अधिकारिक तौर पर इस संक्रामक रोग का नाम कोरोना वायरस 2019 रखा गया।[3] गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के बाद आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत महामारी प्राधिकरण (एनडीएमए) का 24 मार्च 2020 को आदेश जारी किया गया। अचानक लाकडाउन का आदेश और बंद परिवहन ने कई राज्यों में मानवीय संकट पैदा कर दिया क्योंकि भयभीत प्रवासी श्रमिक राजमार्गों के द्वारा हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने की कोशिश करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 1.35 लाख प्रवासी मजदूर, बिहार के 10 लाख, महाराष्ट्र के 11 लाख प्रवासी मजदूरों ने राज्य छोड़ा है और 20.05 लाख ने गुजरात छोड़ा और

❑ शोध अध्येता समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
❖ प्राध्यापक समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

प्रवासी श्रमिकों ने अपने घर वापसी को उचित माना है।[4] छत्तीसगढ़ के कृषि श्रमिक भारत के किसी भी प्रांत में आसानी से देखे जा सकते हैं ये राज्य हैं दिल्ली, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश[5] अनेक राज्य सरकारों ने अंतर्राज्यीय बसों की व्यवस्था करके प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास आरंभ कर दिए थे इसका अनुसरण करते हुए भारतीय रेलवे ने 1 मई 2020 को देशव्यापी विशेष ''श्रमिक एक्सप्रेस'' ट्रेन प्रारंभ की। महिलाएं भारतीय कार्यबल का एक अभिन्न अंग हैं सन् 1871-72 से लेकर 1961 तक भारतीय जनगणना ने जन्म-स्थान के आधार पर प्रवासियों का निर्धारण किया जिसे लाईफ टाईम माइग्रेशन कहा जाता हैं। इस पद्धति के अंतर्गत कोई व्यक्ति जनगणना के समय अपने जन्म-स्थान से दूर किसी नयी जगह में पाया जाता हैं तो उसकी गणना नयी जगह पर एक प्रवासी के रूप में की जाती हैं। 1971 की जनगणना में प्रवास की परिभाषा में एक नया आयाम जोड़ा गया जो आज तक प्रचलन में हैं। हुआ यह कि यदि कोई व्यक्ति आमतौर पर जहां निवास करता है और वहां से दूर किसी नयी जगह में प्रवास करने लगा हैं तो उसे प्रवासी मान लिया गया हैं। इस निर्धारण में कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गयी है। इसका मात्र यही आधार है कि उस नये स्थान पर वह यदि स्थायी रूप से रहने की इच्छा प्रकट करता हैं तो उसे प्रवासी मान लिया गया हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ है और वह कहाँ प्रवास कर रहा है इस बात की नयी परिभाषा में कोई महत्व नहीं दिया गया है। यहां प्रमुख बात यह है कि जनगणना के समय और उसके पहले निवास स्थान में क्या परिवर्तन हुआ है। लेकिन यदि कोई स्वास्थ्य लाभ, तीर्थाटन, व्यापार एवं अपने सगे-संबंधियों से मिलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गया है तो ऐसे लोगों की जनगणना को विभाग ने प्रवासी नहीं माना हैं। अग्रवाल ने अपने प्रवास संबंधी अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि जनगणना प्रतिवेदन की सूचनाओं के अनुसार आंतरिक प्रवास की दर वास्तविक नही मानी जाती है। जन्म स्थान तथा जनगणना के स्थान के तुलनात्मक आधार पर यह पाया गया है कि इस प्रकार के आंकड़ों को अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है।[6]

साहित्य समीक्षाः

नायर एवं वर्मा[7] के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा कि महामारी और लॉकडाउन के कारण लगभग 400 मिलियन श्रमिकों को गरीबी का सामना करना पड़ेगा। यह देखा गया है कि प्रायः प्रवासी श्रमिक अधिकतर बिहार एवं उत्तरप्रदेश से तत्पश्चात् राजस्थान और मध्य प्रदेश से हैं। दिल्ली एवं मुम्बई जैसे महानगर सबसे अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि महानगरों में कार्य की उपलब्धता अधिक है एवं कार्य की उपलब्धता के साथ आय की उपलब्धता भी होती है एवं आय कार्य के अनुसार अधिक या कम हो सकते हैं फिर भी निवास स्थल की तुलना में प्रवास स्थल पर आसानी से कार्य प्राप्त हो जाते हैं।

नाथ[8] के अनुसार यह स्पष्ट है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान कम से कम 1461 दुर्घटनाएं हुयी हैं और उन प्रवासी श्रमिकों का कोई भी आंकड़ा नही है जिन्होंने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी एवं जान गंवा दी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक आकस्मिक घटना का उल्लेख करते हैं कि किस प्रकार से मई 2020 में कृष्णा और प्रमीला साहू की एक वाहन दुर्घटना में मौत हो जाती है साथ में उनके बच्चे भी थे पर वे किसी तरह से बच गये मां बाप की मौत के कारण वे अपने रिश्तेदार के साथ रहते हैं।

गोडबोले[9] ने अपने अध्ययन में पाया कि कई देशों ने कोविड-19 महामारी के बीच लॉकडाउन के कारण घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है वित्तीय असुरक्षा एवं अनिश्चितता में भी काफी अंतर आया है। भारत में महिला श्रमिक प्रवासन काफी संख्या में किया जाता है। इस अध्ययन का उद्देश्य रोजगार उन्मुख प्रवासन की गति को ज्ञात करना है। प्रायः यह देखा गया है कि प्रवास में जो महिलाएं मजदूर के रूप में कार्यरत हैं वे अपने पति के साथ ही पति जहां पर कार्य करते है वे भी उसी स्थल पर कार्य करते हैं जिससे कभी-कभी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता हैं। इन हिंसाओं में मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक हिंसा का शिकार होते हैं।

त्रिपाठी एवं सिंगला[10] के अनुसार, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को अधिक से अधिक मात्रा में वृद्धि करने का कार्य किया है। सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण एवं विशेष कार्य किया है। श्रमिकों की कार्य दशाएं में सुधार हेतु उन्नत कार्य किया है किसी भी स्वास्थ्य या आर्थिक संकट पर गंतव्य भी

मूल समुदायों में वापसी प्रवासन में वृद्धि का कारक है महामारी द्वारा उठाई गई एक और बड़ी चुनौती खाद्य सुरक्षा और पोषण पर हो सकती है। कोविड महामारी के कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार की उपलब्धता को सुनिशचित किया जाये जिससे कि प्रवास को कम किया जा सके।

हास[11] के अध्ययन मे दो-तिहाई महिलाओं ने पलायन का मुख्य कारण विवाह को माना है जबकि पुरुषों में कुल का एक तिहाई प्रवास कार्य और व्यवसाय के कारण होता है। यह पुरुषों में प्रवास का सबसे बड़ा एवं मुख्य कारणों में से है। ऐसा माना गया है कि प्रवास में पुरूषों के साथ उनकी पत्नी को भी आवश्यक रूप से जाना ही पड़ता है चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो या कहा जा सकता है कि इच्छा के विरूद्ध जाना ही पड़ता हैं। प्रवास का एक मुख्य कारण विवाह को माना गया है क्योंकि यदि देखा जाये तो सर्वप्रथम प्रवास विवाह पश्चात् ही प्रारंभ हो जाता हैं।

सेतिया[12] के अनुसार, प्रवास का प्रक्रम यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में विश्व स्तर पर दृष्टिगत किया जाये तो परिलक्षित होता है कि यह मानव सभ्यता और संस्कृति के उदय के साथ ही आरंभ हुआ हैं। प्रवास मानव सभ्यता के विकास एवं विस्तार का मुख्य कारण विशेष रूप से रहा है। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया न होती तो मनुष्य अभी तक आदिमानव ही बना रहता। मानव सभ्यता के विकास की कहानी प्रवास से ही प्रारंभ हुई। हमारे देश की सभ्यता से जुड़ा यह प्रश्न आज भी पूछा जाता है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं या वे बाहर से आये थे? यह बाहर जाना या बाहर से आना ही आवास हैं।

उद्देश्यः

1. प्रवासी महिला मजदूरों के प्रवास के कारणों का विश्लेषण करना।
2. लॉकडाउन पश्चात् प्रवासी महिलाओं की वर्तमान स्थिति एवं संलग्नता का विश्लेषण करना।

शोध पद्धति

शोध क्षेत्र हेतु जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखण्ड के चार ग्रामों को अध्ययन हेतु चयनित किया गया है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले इन चारों ग्रामों बुडेना, खैरताल, पोंड़ी एवं धाराशिव का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा किया गया हैं तथा प्रवास की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण हेतु कार्यालय जनपद पंचायत नवागढ़ द्वारा 2019-20 के दौरान ग्राम पंचायत की पलायन पंजीयन सूची का प्रयोग किया गया हैं। आंतरिक प्रवजन मुख्य रूप से चार प्रकार के होते है, गांव से नगर की ओर, नगर से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर एवं गांव से गांव की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं कृषि कार्यो पर ही निर्भर है जिसमें 55 प्रतिशत जनसंख्या कृषकों की है एवं 26 प्रतिशत जनसंख्या कृषि मजदूरों की है। प्रवास का संबंध जनसंख्या के इस बड़े भाग से हैं।[13] ग्रामीण कृषि कार्य में संलग्न मजदूरों के नगर या महानगर में प्रवास के फलस्वरूप ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन निश्चित रूप से होता है क्योंकि मजदूर ग्रामीण परिवेश से निकलकर नगरीय परिवेश में प्रवेश करता है एवं यह स्वाभाविक है कि नगरीय संस्कृति, सामाजिक-आर्थिक परिवेश का मजदूरों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। प्रवासी मजदूर का अपने मूल निवास स्थान से कुछ अधिक ही स्नेह एवं लगाव होता है प्रवास स्थल के स्वतंत्र वातावरण के मध्य महानगरीय संस्कृति से अवगत होना एवं समायोजन स्थापित करना साथ ही मूल निवास में त्यौहार एवं विशेष उत्सव हेतु अपने निवास स्थान पर जाना और इन्ही सब के मध्य अपने प्रवास स्थल पर अधिक आय की प्राप्ति हेतु अत्यंत कठोर श्रम करना पड़ता है।[14]

अध्ययन क्षेत्र में लॉकडाउन के पश्चात् आये 188 प्रवासी महिला मजदूरों का उद्देश्य पूर्ण निदर्शन द्वारा उत्तरदाताओं के रूप में चयन किया गया। साक्षात्कार एवं अवलोकन प्रविधि के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन कर उन तथ्यों का विश्लेषण किया गया हैं।

श्रमिक पलायन पंजीयन सूची
तालिका क्रमांक-01

ग्राम पंचायत का नाम	प्रवासी महिला श्रमिकों की संख्या लॉकडाउन के पश्चात्	प्रतिशत	एकल प्रवास	सामूहिक प्रवास	अन्तरराज्यीय प्रवास	अन्तराराज्यीय प्रवास
	आवृत्ति					
बुड़ेना	86	45.8	12	32	24	18
खैरताल	15	8	04	06	02	03
पोंड़ी	49	26	07	14	10	18
धाराशिव	38	20.2	04	14	01	19
कुल	188	100	27	66	37	58

तालिका क्रमांक 01 से यह ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत बुडेना में प्रवासी महिला श्रमिकों की संख्या लॉकडाउन के पश्चात् सबसे अधिक 86 है, जिसमें एकल प्रवास 12, सामूहिक प्रवास 32, अंतरराज्यीय प्रवास 24 एवं अंतराराज्यीय प्रवास 18 है। प्रवासी महिला श्रमिकों की कुल संख्या 86 है जिसका प्रतिशत 45.8 है। ग्राम पंचायत खैरताल में सबसे कम प्रवासी महिला श्रमिक 15 हैं जिसमें एकल प्रवास 04, सामूहिक प्रवास 06, अंतरराज्यीय प्रवास 02 एवं अंतराराज्यीय प्रवास 03 है इस प्रकार प्रवासी महिला श्रमिकों की कुल संख्या 15 है जिसका प्रतिशत 8 है। ग्राम पंचायत पोंडी में 49 प्रवासी महिला श्रमिक हैं जिसमें एकल प्रवास 07, सामूहिक प्रवास 14, अंतरराज्यीय प्रवास 10 एवं अंतराराज्यीय प्रवास 18 है। प्रवासी महिला श्रमिको की कुल संख्या 49 है जिसका प्रतिशत 26 है तथा ग्राम पंचायत धाराशिव में 38 प्रवासी महिला श्रमिक हैं जिसमें एकल प्रवास 04, सामूहिक प्रवास 14, अंतरराज्यीय प्रवास 01 एवं अंतराराज्यीय प्रवास 19 हैं। प्रवासी महिला श्रमिकों की कुल संख्या 38 है जिसका प्रतिशत 20.2 हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रथम उद्देश्य प्रवासी महिलाओं द्वारा प्रवास के कारण संदर्भित हैं, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, 2017 ने अपनी रिपोर्ट में 2001 से 2011 के मध्य हुए प्रव्रजन के कारणों का विश्लेषण किया जो तालिका क्रमांक 02 में प्रदर्शित हैं -

तालिका क्रमांक-02
ग्रामीण शहरी प्रवासियों के प्रव्रजन के कारण

ग्रामीण शहरी प्रवासियों के प्रव्रजन के कारण 2001-2011					
	महिला प्रवासियों की संख्या प्रतिशत में				
	कार्य	अध्ययन	परिवार	अन्य	कुल
2011 में कुल	5.1	2.0	86.5	6.4	100
2001 में कुल	4.1	1.2	85.3	9.4	100
जिलो के अंदर	3.1	1.6	85.7	9.6	100
दूसरे जिलों में	4.7	1.2	84.6	9.5	100
राज्यों के मध्य	5.0	0.6	85.8	8.6	100

स्त्रोत- Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (2017). Report of the working group on migration.

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि 2011 एवं 2001 में महिला प्रवास किन-किन कारणों से प्रवास करती हैं स्पष्ट करती है कि 2011 में 5.1 प्रतिशत महिला कार्य के कारण प्रवास करती हैं, 2.0 प्रतिशत महिला अध्ययन हेतु प्रवास करती हैं, 86.5 प्रतिशत महिला परिवार के कारण प्रवास करती हैं एवं 6.4 प्रतिशत महिला अन्य कारणों से प्रवास करती है जैसे मजबूरी में प्रवास किया जाना जबकि 2001 में महिला

प्रवास के कारणों से स्पष्ट हुआ कि 4.1 प्रतिशत महिला कार्य के कारण प्रवास करती हैं, 1.2 प्रतिशत महिला अध्ययन हेतु प्रवास करती हैं, 85.3 प्रतिशत महिला परिवार के कारण प्रवास करती हैं एवं 9.4 प्रतिशत महिला अन्य कारण जैसे पति के साथ जहां हो प्रवास पर जाना ही पड़ता हैं। इसी प्रकार यदि जिले के अंदर महिला प्रवास देखा जाये तो 3.1 प्रतिशत महिला कार्य के कारण प्रवास करती हैं, 1.6 प्रतिशत महिला अध्ययन के लिए प्रवास करती हैं, 85.7 प्रतिशत महिला परिवारिक कारणों के कारण प्रवास करती हैं एवं 9.6 प्रतिशत महिला अन्य कारणों से प्रवास करती हैं। दूसरे जिलों में महिला प्रवास 4.7 प्रतिशत महिला कार्य के कारण प्रवास करती हैं, 1.2 प्रतिशत महिला अध्ययन के लिए प्रवास करती हैं, 84.6 प्रतिशत महिला परिवारिक कारणों से प्रवास करती हैं एवं 9.5 प्रतिशत महिला अन्य कारणों से प्रवास करती हैं। यदि राज्यों के मध्य महिला प्रवास 5.0 प्रतिशत महिला कार्य संबंधित प्रवास करती हैं, 0.6 प्रतिशत महिला अध्ययन हेतु प्रवास करती हैं, 85.8 प्रतिशत महिला परिवार के कारण प्रवास करती हैं एवं 8.6 प्रतिशत महिला अन्य कारण जैसे मजबूरी एवं पति पर आश्रित होने के कारण प्रवास करती हैं।

ली का आवास सिद्धान्त[15] इन्होंने अपने सिद्धान्त में बताया कि व्यक्तियों द्वारा मूल स्थान और गन्तव्य स्थान पर विद्यमान सुविधाओं तथा असुविधाओं की तुलना का परिणाम ही आवास होता है। बाधाओं में दूरी को अधिक महत्व दिया है। दूरी बढ़ने के साथ-साथ आवास की मांग कम होती जाती है। साथ ही व्यक्तिगत कारकों का एक समूह होता है जो व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, विचार, जीवन स्तर आदि को परस्पर संयुक्त करता है। प्रायः यह देखा गया है कि प्रवास पर जाने के लिए महिला मजदूर को अपने पति के साथ विवश होकर प्रवास का सहारा लेना पड़ता है जिससे कि पति के साथ ही निवास किया जा सके एवं कार्य पर भी उनकी सहायता की जा सके। क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त प्रवास के कारणों से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित हैं –

तालिका क्रमांक-03

प्रवासी श्रमिक महिलाओं की पलायन के संभावित कारण

कारक		आवृत्ति	प्रतिशत
पुश फैक्टर	कृषि कार्य में अधिक आर्थिक लागत एवं आय में निरंतर कमी	68	36.17
	स्थानीय क्षेत्र में कम मजदूरी दर	24	12.76
	स्थानीय ऋण	16	8.52
	स्थानीय क्षेत्र में रोजगार का अभाव	13	6.92
	कृषि भूमि नही/ कृषि में रूझान नही	40	21.27
	स्थानीय क्षेत्र में आय के साधन नही	27	14.36
	कुल	188	100
पुल फैक्टर	अन्य स्थानों में रोजगार के नए अवसर	28	14.9
	पति/पुरूष पारिवारिक सदस्यों के साथ संलग्नता	98	52.12
	बच्चों के उचित शिक्षा के लिए	09	4.8
	रिश्तेदारों /ग्रामवासी द्वारा मजदूरी का प्रलोभन	40	21.27
	पारिवारिक आय में वृद्धि के लिए	03	1.6
	शहरों में अधिक मजदूरी दर	10	5.31
	कुल	188	100

उपर्युक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि प्रवासी महिला श्रमिकों के पुश फैक्टर के कारकों में से 36.17 प्रतिशत कृषि कार्य में अधिक आर्थिक लागत एवं आय में निरंतर कमी को बतलाया गया हैं, 12.76 प्रतिशत महिला श्रमिक निवास स्थल पर कम मजदूरी दर की प्राप्ति होना हैं, 8.52 प्रतिशत महिला श्रमिकों का ऋण का लिया जाना हैं, 6.92 प्रतिशत प्रवासी महिला श्रमिकों के निवास स्थल पर रोजगार का अभाव है, 21.27 प्रतिशत प्रवासी

महिला श्रमिक की कृषि भूमि की अनुपलब्धता या रूचि नही होना है एवं 14.36 प्रतिशत प्रवासी महिला श्रमिकों के निवास स्थल पर आय के साधन ना होने के कारण प्रवास पर जाना पड़ता हैं। प्रवासी महिला श्रमिकों की पुल फैक्टर के कारणों में 14.9 प्रतिशत प्रवासी महिला श्रमिक नये स्थानों पर रोजगार की तलाश में प्रवास करती हैं, 52.12 प्रतिशत श्रमिक पति या पारिवारिक संबंधों के कारण प्रवास करती हैं, 4.8 प्रतिशत श्रमिकों का मानना है कि नये स्थान पर बच्चों की शिक्षा के कारण प्रवास करती हैं, 21.27 प्रतिशत प्रवासी महिला श्रमिक रिश्तेदार या ग्रामवासी से संबंधित होने के कारण एवं साथ में कार्य करने, साथ में निवास करने और अधिक मात्रा में आय प्राप्त करने के प्रलोभन के कारण प्रवास करती हैं, 1.6 प्रतिशत पारिवारिक आय में वृद्धि के कारण प्रवास करती हैं एवं 5.31 प्रतिशत का मानना है कि शहरों में अधिक मजदूरी दर की प्राप्ति या अधिक आय अर्जित करने के उद्देश्य से प्रवास करती हैं।

उद्देश्य - 2 अध्ययन क्षेत्र में लॉकडाउन के पश्चात् प्रवासी महिला मजदूरों की वर्तमान स्थिति एवं संलग्नता, ज्ञात करने हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया जिससे प्राप्त आंकड़े इस प्रकार हैं -

तालिका क्रमांक-04

प्रवासी महिला श्रमिकों की वर्तमान स्थिति एवं संलग्नता

लॉकडाउन के पूर्व					लॉकडाउन के पश्चात्				
विवरण		हां	नही	कुल	स्थिति		हां	नही	कुल
रोजगार की स्थिति	रोजगारकृत	188	00	188	रोजगार की स्थिति	रोजगारकृत	138	50	188
मजदूरी दर	कटौती	12	176	188	मजदूरी दर	कटौती	126	62	188
	श्रम अनुरूप अनुपातिक भिन्नता	140	48	188		श्रम अनुरूप अनुपातिक भिन्नता	169	19	188
	अन्य श्रम हेतु अधिक श्रम दर	145	43	188		अन्य श्रम हेतु अधिक श्रम दर	16	172	188
	पुरूषों के समान	89	99	188		पुरूषों के समान	37	151	188
सामाजिक दूरी	ग्रामीण अंचल से	112	76	188	सामाजिक दूरी	ग्रामीण अंचल से	17	171	188
	रिश्तेदारों से	82	106	188		रिश्तेदारों से	13	175	188
	वैवाहिक/पारिवारिक कार्यक्रमों से	76	112	188		वैवाहिक/पारिवारिक कार्यक्रमों से	43	145	188
असुरक्षा	सामाजिक असुरक्षा	96	92	188	असुरक्षा	सामाजिक असुरक्षा	165	23	188
	आर्थिक असुरक्षा	26	162	188		आर्थिक असुरक्षा	156	32	188
	सरलता से रोजगार की प्राप्ति	155	33	188		सरलता से रोजगार की प्राप्ति	29	159	188
रोजगार संलग्नता	श्रम क्षेत्र	आवृ.	प्रति.		रोजगार संलग्नता	श्रम क्षेत्र	आवृ.	प्रति.	
	औपचारिक क्षेत्र	89	47.34			औपचारिक क्षेत्र	28	14.90	
	अनौपचारिक क्षेत्र	99	52.66			अनौपचारिक क्षेत्र	160	85.10	
	कुल	188	100			कुल	188	100	
प्रवास के प्रति दृष्टिकोण	सकारात्मक	166	88.29		प्रवास के प्रति दृष्टिकोण	सकारात्मक	95	50.54	
	नकारात्मक	22	11.71			नकारात्मक	93	49.46	
	कुल	188	100			कुल	188	100	

तालिका संख्या 4 से यह ज्ञात होता है कि लॉकडाउन के पूर्व 188 उत्तरदाता महिला श्रमिक रोजगार में संलग्न थे परंतु लॉकडाउन के पश्चात् 50 महिला श्रमिकों के पास रोजगार उपलब्ध नही था। रूपयों की कटौती के संबंध में लॉकडाउन के पूर्व 176 महिला उत्तरदाता श्रमिकों का कहना है कि रूपयों में कटौती नही की गयी परंतु लॉकडाउन पश्चात् 126 महिला श्रमिक उत्तरदाताओं का कहना है कि रूपयों में कटौती की गयी हैं। श्रम अनुरूप अनुपातिक भिन्नता के संबंध में लॉकडाउन के पूर्व अनुपातिक भिन्न्ता कम थी जिसमें उत्तरदाताओं की संख्या 48 हैं परंतु वही लॉकडाउन पश्चात् श्रम के अनुरूप अनुपातिक भिन्नता में काफी वृद्धि हुई है जिसमें उत्तरदाताओं की संख्या 169 हैं। मजदूरी प्राप्ति संबंधी आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि 145 महिला श्रमिकों ने बतलाया कि लॉकडाउन के पूर्व अधिक श्रम करने पर अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो जाती थी परंतु लॉकडाउन पश्चात् 172 महिला श्रमिक उत्तरदाताओं का कहना है कि अधिक कार्य करने के बाद भी आय की प्राप्ति नही होती हैं। कार्य की भिन्नता के कारण पुरूष एवं महिला की मजदूरी दर भी अलग-अलग होती है। अध्ययन के अंतर्गत 89 महिला श्रमिकों का मानना था कि उनकी मजदूरी दर समान हैं परंतु 151 महिला श्रमिक का मानना है कि उनकी आय में अंतर हैं। उत्तरदाताओं से सामाजिक दूरी संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों से लॉकडाउन के पूर्व अधिक संख्या में प्रवास किया जाता रहा है जिनमें 112 उत्तरदाता ऐसे हैं जो प्रवास किए हैं वहीं लॉकडाउन पश्चात् ऐसे उत्तरदाताएं हैं जो प्रवास नहीं किए उनकी संख्या 171 हैं अर्थात यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन के पूर्व प्रवास किया जाता रहा है परंतु लॉकडाउन पश्चात् प्रवास ना करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हैं। रिश्तेदारों से सामाजिक घनिष्ठता संबंधी आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन के पूर्व घनिष्ठता कम थी जिसकी संख्या 82 हैं वहीं लॉकडाउन पश्चात् प्रवास ना करने के कारण सामाजिक घनिष्ठता बढ़ी है जिसकी संख्या 175 हैं। वैवाहिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने संबंधी जानकारी से स्पष्ट हुआ कि लॉकडाउन के पूर्व प्रवास में जाने के कारण वैवाहिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों में उत्तरदाताओं की भागीदारी कम होती थी जिसकी संख्या 76 है वहीं लॉकडाउन पश्चात् प्रवास पर ना जाने के कारण वैवाहिक एवं पारिवारिक कार्यक्रमों एवं अन्य आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ी है जिनकी संख्या 145 हैं। आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा एवं सरलता से रोजगार प्राप्ति संबंधी तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने पर यह पाया कि लॉकडाउन के पूर्व आर्थिक, सामाजिक असुरक्षा एवं सरलता से रोजगार की प्राप्ति संभवतः हो जाती थी जिसकी संख्या क्रमशः 96,26 एवं 155 थी परंतु वहीं लॉकडाउन के पश्चात् आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा एवं सरलता से रोजगार प्राप्ति में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी संख्या 165, 156 एवं 159 हैं। रोजगार संलग्नता संबंधी आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि लॉकडाउन के पूर्व औपचारिक क्षेत्र में 47.34 प्रतिशत एवं अनौपचारिक क्षेत्र में 52.66 प्रतिशत महिला श्रमिक कार्यरत थे। लॉकडाउन के पश्चात् औपचारिक क्षेत्र में 14.90 प्रतिशत कार्यरत थे एवं अनौपचारिक क्षेत्र में 85.10 प्रतिशत कार्यरत थे। प्रवास के प्रति दृष्टिकोण के संबंध में लॉकडाउन के पूर्व प्रवास के प्रति दृष्टिकोण अधिकांश उत्तरदाताओं (88.29 प्रतिशत) का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा है एवं नकारात्क दृष्टिकोण मात्र 11.71 प्रतिशत रहा है। परंतु वहीं लॉकडाउन पश्चात् 50.54 प्रतिशत उत्तरदात्रियाँ प्रवास के प्रति सकारात्मक सोच रखती हैं और 49.96 प्रतिशत प्रवास संबंधी नकारात्मक सोच रखती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लॉकडाउन के पूर्व प्रवास संबंधी सकारात्मक विचार अधिक थे परंतु लॉकडाउन पश्चात् प्रवास संबंधी विचार सकारात्मक एवं नकारात्मक लगभग 50-50 प्रतिशत हो गये।

निष्कर्षः प्रवासी महिला श्रमिकों के संदर्भ में यह निशचित रूप से कहा जा सकता है कि लॉकडाउन ने हर वर्ग, हर प्रस्थिति को प्रभावित किया है। वहीं यदि श्रमिक या मजदूर वर्ग की बात की जाये तो उनको सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित किया है जैसे लॉकडाउन के पूर्व काफी अधिक संख्या में प्रवास किया जाता रहा था वहीं लॉकडाउन के पश्चात् प्रवास की संख्या में निशचित रूप से कमी आयी हैं। पहले जहां आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाते थे वहीं अब रोजगार की तलाश में अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ता हैं। प्रवास वह माध्यम है जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रवास किया जाता है। प्रवास में पुरूष, महिला, बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य जो माता-पिता पर आश्रित हैं वे भी मजबूरी में

प्रवास करते हैं इस प्रकार प्रवास के दौरान पूरा परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करता है जिससे कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पूरा गांव एवं कुनबा में सन्नाटा पसर जाता हैं।

सुझावः प्रवास को पूर्ण रूप से रोका जाये यह तो असंभव सा प्रतीत होता है परंतु यदि कुछ सकारात्मक प्रयास अवश्य किये जा सकते हैं जिससे कि प्रवास को कम किया जा सके। यदि निवास स्थान पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाये तो निश्चित रूप से प्रवास की दर में कमी आयेगी साथ ही साथ रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही यदि रोजगार या कार्य के बदले उचित मूल्य की प्राप्ति हो तो संभव है कि कुछ हद तक प्रवास को कम किया जा सकता है। क्योंकि यदि निवास स्थान पर ही रोजगार की उपलब्धता एवं उचित मूल्य की प्राप्ति होने पर वे अपने एवं अपने परिवार का भरण-पोषण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहजता होगी जिससे कि वे मूल निवास स्थान पर ही बने रहने या जीवन जीने हेतु अधिक से अधिक प्रयासरत रहेंगे। प्रायः अध्ययनों द्वारा यह पाया गया है कि रोजगार में कमी एवं उचित मूल्य की प्राप्ति ना होने की स्थिति में अधिक से अधिक प्रवास किया जाता है। प्रवास रोकने हेतु स्वरोजगार उन्मूलक कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना संबंधी प्रयास किया जाना चाहिये, कम ब्याज पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये एवं समय समय पर कृषि से संबंधित उन्नत एवं नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिये। शासकीय प्रयास या योजनाएं जो संचालित की जाती हैं वे सीमित ना होकर प्रयास किया जाना चाहिये कि हर व्यक्ति तक उनका लाभ पहुँचे जिससे कि अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लानी चाहिये जिससे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा ना हो।

सन्दर्भ

1. Huang, C., Wang, Y., S. Li et al. *'Clinical Features of Patients with 2019 Novel Corona Virus in Wuhan'*, China, Lancet , Peer Reviewed Journal 2020, Vol. 395, ISSUE (10223), pp. 497-506. https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30183-5/fulltext
2. Chan, J.F., S. Yuanet. Al. *'A Familial Cluster of Pneumonia Associated with 2019 Novel Corona Virus Indicating Person to Person Transmission A Study of Family Cluster'*, Lancet 2020, Vol. 395, ISSUE (10223), pp. 514-523. https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)30183-5/fulltext
3. Kain, T., Howet, R., *'Preparing Intensive Care for the Pandemic. Influenza'* Crit Care 23 (2019), pp.33 cc forum. Biom-edcentral.com The Tribune. 18 May 2020 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pm/carticles/PMC/7384689
4. Covid-19 "Educational disruption and respons" UNESCO 4 march 2020, Retrieved 29 march 2020 https://www.unesco.org/en/articles/covid-19-educational-disruption-and-response
5. साहू, चन्द्रशेखर, 'आकाल मुक्त छत्तीसगढ़ ; यथार्थ एवं संभावनाएं', वैभव प्रकाशन, रायपुर, 2001, पृ. 31.
6. Agrawal S.N., *'India's Population, Problems'*, New Delhi; Tata MC Graw Hill Publishing Co. Ltd. 1977, pp. 110-111. https://books.google.com/books/about/india_s_population_Problems.html?id=FSEEAQAAIAAJ
7. Nair. Shabrinath., Verma. Divya., *'A Police Frame Work for India's Covid-19 Migration'*, 2020 https://www.ilo.org/newdelhi/info/public/fs/WCMS_746654/lang-en/index.htm

8- Nath. Damini, September 'Government has no data of migrant workers, death and loss of job', 2020 https://www.thehindu.com/news/national/gov-has-no-data-of-migrant-workers-death-loss- of-job/article32600637

9. Godbole, T., "Domestic violence rises amid coronavirus lockdowns in Asia' Deutsche welle (DW). https://www.dw.com/en/domestic-violence-rises-amid-coronavirus-lockdowns-in-asia/a-53077378
10. त्रिपाठी के. के. एवं सिंगला, एस. के., 'कोविड-19 के बाद ग्रामीण रोजगार में मनरेगा की भूमिका', कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, वर्ष-66, मासिक अंक-9, जुलाई 2020, पृ. 18
11. Haas De, H. *'The Migration and Development Pendulum: A Critical View on Research and Policy'*, International Migration, 15 may 2012, 50 (3), pp. 8–25. https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2012.00755.x
12. सेतिया, सुभाष 'पलायन समस्या या सामान्य मानवीय प्रक्रिया', कुरुक्षेत्र, अंक-11, सितम्बर 2014, पृ. 10-11
13. कुमार, विजय 'छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन', हिमालया पब्लिकेशन हाउस, मुंबई, 2002, पृ. 24.
14. Saxena, D.P. *'Ruruban Migration in India- Causes and Consequences'*, Bombay Popular Prakashan, Bombay, 1977, pp. 02-06.
15. Lee, E.S. (1966) "A theory of Migration" Demography, Vol. 3, p 47-57.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

एकल अभिभावकों की समस्याएं एवं प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर नगर के संदर्भ में)

❑ शैलेन्द्र कुमार देवांगन
❖ डॉ. श्रद्धा गिरोलकर

सूचक शब्द : एकल अभिभावक, सामाजिक, पालन–पोषण, तनाव।

एकल अभिभावक की भूमिका चुनौतीपूर्ण होती है, और जब एकल अभिभावक महिला होती है तो यह चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। उनकी समस्याएँ बच्चों के भविष्य और उनके पालन-पोषण से जुड़ी होती हैं। अधिकांश एकल अभिभावकों के लिए वित्त की समस्या मुख्य तनाव का कारण है। एकल अभिभावक सामान्यतः माता-पिता की दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे होते हैं, उन्हें सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है और सामाजिक समर्थन की कमी होती है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने बच्चों के साथ समय बिताने में कठिनाई होती है। इसलिए एकल माता-पिता के बच्चों में खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, सामाजिक मेलजोल में कमी, भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं। एकल अभिभावक का भावनात्मक जीवन भी उनकी एकल स्थिति से प्रभावित होता है, वे अकेलापन, निराशा, आत्मविश्वास की कमी और पहचान की कमी अनुभव करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अधिकांश एकल माताएँ सामाजिक समारोह में भाग लेने से बचने की कोशिश करती हैं और अवसाद के कारण उन्होंने अपने पहनावे की शैली में बदलाव के साथ ही उनमें खराब खान-पान की आदतें विकसित हो गई। अधिकांश एकल माताओं को पुरुष सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण बच्चों के बीच अनुशासन बनाए रखने में कठिनाई हुई। एकल अभिभावाकों को अकेलेपन, आघात और अवसाद की समस्या के साथ ही उन्हें बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी संभालने और अपने बच्चों के लिए एक दिनचर्या स्थापित करने में कठिनाई होती है।

परिवार मानव समाज की मौलिक एवं सार्वभौमिक इकाई है। हममें से प्रत्येक किसी न किसी परिवार का सदस्य है। परिवार किसी भी व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। परिवार के सदस्यों के आपसी प्रेम, सद्भावनाओं और समर्पण से हमारी संस्कृति समृद्ध होती हैं। समय के साथ लोग और उनकी परिस्थितियां बदलती गई, पहले व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, उनके स्थान पर वर्तमान में एकाकी परिवारों, की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। परिवार एक संस्था एवं समिति दोनों है संस्था के रूप में परिवार लगभग स्थायी है परन्तु विगत कुछ दशकों से पारिवारिक संरचना में अनेक परिवर्तन हो रहें हैं। पाश्चात्य शिक्षा के कारण व्यक्तिगत एवं आर्थिक स्वतंत्रता की इच्छा के फलस्वरूप परिवार के सदस्य एक साथ रहना पसंद नही करते। भारतीय समाज के परम्परागत विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवार बहुत अधिक प्रचलित हो गये हैं, इन्ही में से एक ''एकल अभिभावक परिवार'' भी हैं। आज उन अभिभावकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो तलाक, अलगाव या जीवनसाथी की मृत्यु के पश्चात अपने बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारियां एकल अभिभावक के रूप में अकेले उठा रहे हैं। ऐसे अभिभावकों को अपने प्रतिदिन के जीवन में अनेक चुनौतियों एवं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों और अभिभावक दोनों पर होता है।

किसी भी संस्कृति की निरंतरता के लिए बच्चों का समाजीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार बच्चों का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली और महत्वपूर्ण संस्था हैं, जिसका प्रभाव प्राथमिक, स्थायी और आंतरिक होता हैं। परंपरागत रूप से, पालन-पोषण में द्विभाजित लिंग- संबंधित भूमिकाएँ सम्मिलित होती हैं, जिसमें माँ बच्चे के पालन-पोषण और उसे भावनात्मक समर्थन प्रदान करने में सम्मिलित होती है, जबकि पिता बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने और अनुशासित करने में सम्मिलित होता है।[1] माता-पिता दोनों बच्चे के विकास एवं समाजीकरण में

❑ शोध अध्येता, शासकीय डी.बी. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
❖ प्राध्यापक, शासकीय डी.बी. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

अद्वितीय योगदान देते हैं और बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और पोषण करने की एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते है। पिता, परिवार को प्रेमपूर्ण नेतृत्व प्रदान करता है, बुरे प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है और अपने बच्चों को अच्छी नागरिकता के सिद्धांतों की शिक्षा देता है। बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए घर में पिता की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। लड़के एक पिता को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं और विपरीत लिंग के साथ एक लड़की के भविष्य के संबंध काफी हद तक उसके पिता के साथ उसकी बातचीत से आकार लेते हैं। मां बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए, उन्हें पढ़ाकर और मजबूत नैतिक चरित्र का निर्माण करके उनका पालन-पोषण करती है। माता या पिता किसी एक की भी अनुपस्थिति, बच्चें के विकास के प्रत्येक पहलू को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

एकल अभिभावक – एकल-माता-पिता परिवारों को उन परिवारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां माता-पिता अपने आश्रित बच्चों के साथ अकेले या बड़े घर में, बिना जीवनसाथी या साथी के साथ रहते हैं।[2] सामान्यतः एकल अभिभावक परिवार परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। भारत में एकल अभिभावक परिवार की उत्पत्ति का मुख्य कारण तलाक, या जीवनसाथी की मृत्यु है। सामान्यतः, एकल अभिभावक ऐसे माता-पिता होते हैं, जो अपने जीवनसाथी के साथ नहीं रहते हैं, जिस पर बच्चे या बच्चों के पालन-पोषण की सभी जिम्मेदारियाँ होती हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से एकल अभिभावक का लम्बा इतिहास है, जो आदि काल से चला आ रहा है। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण एवं स्त्री शिक्षा के फलस्वरूप वर्तमान समय में एकल अभिभावक परिवार अस्तित्व में नहीं आया है अपितु, प्राचीन समय में भी एकल अभिभावक परिवार के अस्तित्व को नकारा नही जा सकता। महाभारत काल में महाराज पाण्डु की मृत्यु के उपरांत माता कुन्ती के द्वारा पाँच पाण्डवों का पालन पोषण अकेले किया गया था। इसके अलावा प्राचीन छत्तीसगढ़ में भी पांडु वंश की महारानी वसाटा के द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र महाशिवगुप्त का पालन-पोषण अकेले किया गया था, जो कि प्राचीन काल में एकल अभिभावक परिवार की उपस्थिति का एक प्रमाण है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में एकल-अभिभावक परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इस परिवर्तन का उपयोग कुछ लोगों द्वारा यह तर्क देने के लिए किया गया है कि हम परिवार के टूटने (अपनी आश्रित संतानों के साथ रहने वाले विवाहित जोड़े के रूप में परिभाषित) को देख रहे हैं, जिसका बच्चों, परिवारों और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।[3] दूसरों का सुझाव है कि एकल-अभिभावक परिवार समय के साथ सभी समाजों में विद्यमान रहे हैं और उन्हें पथभ्रष्ट या समस्याग्रस्त के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक वैकल्पिक परिवार के रूप में देखा जाना चाहिए।[4]

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक 89 देशों के एकत्रित आकड़ों के आधार पर अपनी रिपोर्ट 'द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्डस वोमेन 2019-20 फैमिली इन ए चेंजिन्ग वर्ल्ड' में बताया है कि वर्ष 2020 में भारत में एकल अभिभावक परिवारों की संख्या 7.5 प्रतिशत थी, परन्तु वर्ष 2015 में यह केवल 4 प्रतिशत थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत एकल अभिभावक की संख्या के आधार पर अमेरिका, चीन, जापान के बाद चौथा देश हो गया है। इन परिवारों में 10 में से 8 परिवार ऐसे हैं, जहां एकल अभिभावक महिलाएं हैं।[5]

एकल अभिभावक की परिभाषा

गणतंत्र अधिनियम 8972 के अनुसार एकल अभिभावक - कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आता हैं[6] -

1. "पति या पत्नी की मृत्यु के कारण माता-पिता को पालन-पोषण की जिम्मेदारी के साथ अकेले छोड़ दिया है" (धारा 3-अ-2)
2. "कानूनी अलगाव या पति-पत्नी से वास्तविक अलगाव के कारण माता-पिता को माता-पिता बनने की ज़िम्मेदारी अकेले या अकेले छोड़नी पड़ी" (धारा 3-अ-5)
3. "परिवार का कोई भी सदस्य जो मृत्यु, परित्याग, गायब होने के परिणामस्वरूप परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी लेता है" (धारा 3-अ-10)

एकल अभिभावक परिवार के कारण

सामान्यतः एकल अभिभावक परिवार परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं जिसमें माता या पिता संतानों के पालन-पोषण का दायित्व निभाते हैं। आधुनिक समय में पारिवारिक संरचना में परिवर्तन के साथ-साथ एकल अभिभावक परिवार की उत्पत्ति के अनेक स्वरूप देखने

को मिलते हैं।

1. **जीवनसाथी की मृत्यु** – जीवनसाथी की मृत्यु एकल अभिभावक परिवार की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारक है। एक साथी की मृत्यु से वैवाहिक जीवन चक्र समाप्त हो जाता है दूसरा साथी अकेले या अन्य रिश्तेदारों और अपने बच्चों के साथ रहता है।
2. **तलाक** – पति या पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से वैवाहिक समायोजन में कमी उत्पन्न होती है, जिसका परिणाम तलाक या विवाह विच्छेद के रूप मे ंसामने आता है। तलाकशुदा माता या पिता में से किसी को भी कानूनी रूप से बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मिलती हैं।
3. **अलगाव** – पति-पत्नी के मध्य वैचारिक मदभेद या अन्य कारणों से बिना तलाक लिए पति-पत्नी दोनों अलग-अलग रहते हैं, और बच्चों का पालन-पोषण करते हैं।
4. **अन्य** – बिना विवाह किये दत्तक ग्रहण (पुत्र या पुत्री) कर अभिभावक बनना, बच्चों के इच्छा विरूद्ध विवाह करना, आदि।

साहित्य समीक्षा

इन्द्रप्रीत गिल, दिपाली शर्मा, एवं सुमन वर्मा[7] ने परिवार के जीवन के अनुभवों और एकल माता-पिता के परिवारों में मातृ-किशोर संबंधों पर एक अध्ययन किया, जिसमें परिवार की संरचना और बच्चों (लड़कों एवं लड़कियों) के लिंग का उल्लेख है। अध्ययन में लिंग और पारिवारिक संरचना के अंतर का पता चला। लड़कियों को अनुशासन की कमी के कारण स्वीकृति के मामले में अपनी मां को अधिक सकारात्मक रूप से अनुभव होता हैं और लड़कों की तुलना में परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की अधिक भावनाओं का अनुभव होता है। नाभिकीय परिवारों में किशोर अपनी माताओं को कम नियंत्रण, सामंजस्य, चिंता और अतिशयोक्ति के साथ अनुभव करते हैं।

निधी कोतवाल एवं भारती प्रभाकर[8] ने अध्ययन में एकल माताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं (सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक) का अध्ययन किया। शोधकर्ता ने 50 एकल माताओं का शनैः-शनैः बढ़ने वाली निदर्शन विधि से साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हुए अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों से पता चला कि अधिकांश एकल माताओं लिए प्रमुख समस्या, वित्तीय समस्या थी। अधिकांश एकल माताओं ने बताया कि वे अकेला, असहाय, निराश, पहचान की कमी और आत्मविश्वास की कमी अनुभव करती थीं। पुरुष सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण बच्चों में अनुशासन बनाए रखना कठिन था। माताओं ने अकेलेपन, दर्दनाक और अवसाद के बारे में शिकायत की और बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी संभालना और अपने बच्चों के लिए एक दिनचर्या स्थापित करना मुश्किल पाया।

नमिता भटनागर[9] के द्वारा राजस्थान और दिल्ली के कुछ शहरों में एकल अभिभावक और उनके बच्चों की समस्याओं को उजागर करने के लिए अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में 200 बच्चों और 200 एकल अभिभावक को सम्मिलित किया गया। अध्ययन से एकल अभिभावक की दो प्रमुख समस्याओं की जानकारी प्राप्त हुई, प्रथम वित्तीय समस्या और द्वितीय जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ, जबकि बच्चों की मुख्य समस्याएँ उनकी आवश्यकताओं से संबंधित हैं। एकल अभिभावक में विभिन्न मनोवैज्ञानिक समस्या जैसे अत्यधिक चिंता, अवसाद, खालीपन, अत्यधिक क्रोध, घबराहट भावनात्मक संवेदनशीलता आदि पाया गया। अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ कि समस्या की गंभीरता मानव और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं, सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ समस्याओं के स्तर में कमी देखी गई।

टी. एस. सरन्य एवं के. निगेश[10] ने केरल के कालीकट और मलप्पुरम जिले के 60 माताओं (30 एकल) के अध्ययन में एकल माताओं की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि एकल माताओं में अवसाद के लिए और अधिक संकट रहता है। इसके अलावा तलाकशुदा माता हमेशा कलंक, अलगाव, और लेबलिंग के लिए लक्षित है। एकल माताएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

प्रियंका चतुर्वेदी[11] ने एकल अभिभावकों के बच्चों के पालन पोषण में चुनौती एवं समाजकार्य हस्तक्षेप पर वाराणसी जिले में नगरीय एवं ग्रामीण एकल अभिभावकों के मध्य एक तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दोनों क्षेत्रों में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों को बच्चों के पालन पोषण में विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं। एकल अभिभावकों को बच्चों

के पालन पोषण के साथ-साथ सामाजिक तथा पारिवारिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता हैं। अधिकांश एकल अभिभावक एकाकी परिवार से संबंधित पाये गये। स्त्री एकल अभिभावकों में रोजगार के तलाश के लिए ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवसन की प्रवृत्ति देखी गई।

श्वेता एवं विपुल सिंह[12] ने बच्चों और माता-पिता पर एकल पालन-पोषण के प्रभावों के संदर्भ का अध्ययन किया। इस शोध ज्ञात हुआ कि एकल माता-पिता द्वारा पाले गए बच्चों को कई प्रकार की चुनौतियों का अनुभव होने की अधिक संभावना है, जिनमें खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, व्यवहार संबंधी समस्याओं की उच्च दर और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ा संकट सम्मिलित है। एकल माता-पिता को स्वयं भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि वित्तीय तनाव में वृद्धि और काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई। हालाँकि, इस अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि सभी एकल-अभिभावक परिवार एक जैसे नहीं होते हैं, और कई परिवार एक माता-पिता की अनुपस्थिति के बावजूद भी फलते-फूलते हैं। इसके अतिरिक्त, एकल माता-पिता और उनके बच्चों के लिए कई सहायक संसाधन और सेवाएँ उपलब्ध हैं जो इनमें से कुछ चुनौतियों को कम करने में मदद कर सकती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य :-

1. एकल अभिभावकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
2. एकल अभिभावक परिवार का अभिभावक एवं बच्चों पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :-

प्रस्तुत शोध के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर नगर का चयन किया गया है जिसे रायपुर जिले का जिला मुख्यालय के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त हैं। रायपुर कलचुरी राजाओं की कनिष्ठ शाखा की राजधानी था, जो कि अतिदीर्घकाल तक छत्तीसढ़ के दक्षिणी अठारह किलों पर राज्य करते रहे। इस क्षेत्र में 1750 से 1818 ई तक मराठा शासन के दौरान रायपुर एक परगना का मुख्यालय था, उस समय भी यह नगर सम्पूर्ण छत्तीगढ़ का एक महत्वपूर्ण नगर था।[13] यह खारून नदी के तट पर स्थित है जिसकी स्थापना कलचुरी वंश के राजा रामचंद्र ने अपने पुत्र ब्रम्हदेव राय के नाम पर 1402 ईवी में की थी और बाद में इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया था। सन् 1861 में रायपुर को पहली बार जिला बनाया गया। वर्ष 2000 में छ.ग. राज्य की स्थापना के समय रायपुर को छ.ग. राज्य की राजधानी बनाया गया। वर्तमान में रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा व्यवसायिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक केन्द्र हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, रायपुर नगर निगम की जनसंख्या 1,010,087 थी, जिसमें 519,286 पुरुष और 490,801 महिलाएं हैं, तथा साक्षरता दर 86.9 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। रायपुर नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले एकल अभिभावक की संख्या निम्नानुसार हैं।

विधवा/विधुर, तलाकशुदा एवं अलगाव स्त्री-पुरूष की संख्या

	विधवा/विधुर	तलाकशुदा	अलगाव	कुल योग
स्त्री	46771	1928	5194	53893
पुरूष	10363	635	1714	12712
योग	57134	2563	6908	66605

(स्रोत- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार)[14]

उत्तरदाताओं का चयन - रायपुर नगर को प्रशासनिक सुगमता की दृष्टि से 10 जोन में विभाजित किया गया है जिसमें कुल 70 वार्ड हैं, जिसमें से 10 वार्डो का चयन दैवनिदर्शन की लाटरी पद्धति से किया गया हैं। चयनित वार्डो में से कुल 100 उत्तरदाताओं का चयन समानुपातिक आधार पर उद्देश्पूर्ण निदर्शन विधि से किया गया। प्रत्येक वार्ड में उत्तरदाताओं की पहचान वार्ड की मतदाता सूची एवं नगर निगम रायपुर में उपलब्ध जगनणना सूची 2011 के आधार पर किया गया हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आकड़ों को एकत्र करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची की सहायता तथा

अवलोकन के माध्यम से एकल अभिभावकों की आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति को भी देखा गया। द्वितीयक आकड़ों के संकलन हेतु, इंटरनेट, शोधपत्र, सरकारी अधिनियम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं विभिन्न लेखों का आकलन किया गया।

विश्लेषण

सारणी - 01

एकल अभिभावकों की आयु एवं लिंग

आयु (वर्षो में)	महिला		पुरूष		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
25-35 वर्ष	28	82.35	6	17.65	34	100
35-45 वर्ष	33	89.19	4	10.81	37	100
45 वर्ष से अधिक	20	68.96	9	31.04	29	100
योग	81	81.00	19	19.00	100	100

उपर्युक्त सारणी से ज्ञात होता है कि एकल अभिभावकों की अधिकांश संख्या 35 से 45 वर्ष के आयुवर्ग की है। महिला उत्तरदाताओं की संख्या सर्वाधिक (81 प्रतिशत) है, अर्थात महिला/स्त्री एकल अभिभावकों की संख्या पुरूष एकल अभिभावकों की तुलना में अधिक हैं।

सारणी- 2

एकल अभिभावक होने के कारण

कारण	महिला	पुरूष	योग
विधवा/विधुर	48	13	61
तलाक	23	7	30
अलगाव	9	0	9
योग	81	19	100

सारणी के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि एकल अभिभावकों की सर्वाधिक संख्या (61 प्रतिशत) विधवा या विधुर होने के कारण हैं जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है, अर्थात एकल अभिभावक होने का प्रमुख कारण विधवा/विधुर होना हैं, दूसरे स्थान पर तलाकशुदा तथा तीसरा कारण अलगाव पाया गया।

सारणी- 3

एकल अभिभावकों की मासिक आय

मासिक आय (रू. में)	महिला	पुरूष	योग
5000 से कम	3	0	3
5001-15000	37	5	42
15001 से 25000	29	8	37
25001 से 35000	10	5	15
35001 से अधिक	2	1	3
योग	81	19	100

उपर्युक्त सारणी के विश्लेषण के ज्ञात होता है कि उत्तरदाता एकल अभिभावकों में से अधिसंख्यक (42 प्रतिशत) की मासिक आय 5000-15000 तथा 37 प्रतिशत की मासिक आय 15000 - 25000 है।

सारणी-4

एकल अभिभावकों की विभिन्न समस्याएं एवं बच्चों पर प्रभाव

प्रश्न	महिला	पुरूष	योग
दैनिक आवश्यकता को पूरा न कर पाना	69	13	82
बच्चों के फीस जमा करने में कठिनाई	77	9	86
अच्छा भोजन, कपड़ा की व्यवस्था न कर पाना	79	13	92
परिवार के सदस्यों की आचोलना	63	9	72
समाज के व्यवहार में बदलाव	57	5	62
समाज/परिवार के सहयोग में कमी	49	7	56
रिश्तेदारों से सम्मान कम या न मिलना	54	11	65
सामाजिक कार्यक्रम में दुर्व्यवहार	37	4	41
आत्मसम्मान की कमी	71	7	78
अकेलनापन अनुभव होना	59	6	65
चिड़चिड़ापन, गुस्सा, में वृद्धि	67	8	75
बच्चों अनुशासन में कमी	73	18	91
बच्चों के देखभाल की समस्या/चुनौती	79	18	97
मित्र बनाने में कठिनाई	35	12	47
बच्चों के पालन-पोषण में कठिनाई	73	18	91
बच्चों के चिंता और तनाव में वृद्धि	52	7	59
बच्चों के आत्मसम्मान में कमी	71	3	74
बच्चों में परित्याग का डर	34	5	39
बच्चों का कलंकित और नीचा अनुभव करना	37	3	40
बच्चों के व्यवहार में आक्रमकता	56	1	57
शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई	69	12	81
अपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ना	27	2	29

आकड़ों का विश्लेषण

अध्ययन में एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर एकल अभिभावकों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं, चुनौतियों एवं प्रभावों को जानने का प्रयास किया गया जो निम्नलिखित हैं-

आर्थिक समस्या - एकल अभिभावकों ने वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याओं की सूचना दी। उत्तरदाता एकल अभिभावकों में से 92 प्रतिशत उत्तरदताओं ने बच्चों की आधारभूत आवश्यकतओं जैसे अच्छा भोजन, कपड़ा की व्यवस्था नही कर पाते, 86 प्रतिशत उत्तरदाता बच्चों के स्कूल की फीस जमा नही कर पाते, तथा 82 प्रतिशत उत्तरदाता दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नही कर पाते हैं। अधिकांश उत्तरदाताओं की मासिक आय कम होने के कारण वे सामाजिक एवं मनोरंजक गतिविधियों में भाग नही ले पाते हैं।

सामाजिक समस्या - 71 प्रतिशत एकल अभिभावकों को

सामाजिक कार्यों के लिए पुरुष या महिला अनुरक्षण की कमी अनुभव होती है। उनका सामाजिक जीवन मुख्यतः समान लिंग के रिश्तेदारों और दोस्तों तक ही सीमित है। उन्हें सामाजिक अपमान का भी सामना करना पड़ता है। एकल अभिभावकों के 72 प्रतिशत को परिवार के सदस्यों की आलोचना तथा 62 प्रतिशत को समाज के व्यवहार में बदलाव का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें महिला एकल अभिभावकों का प्रतिशत अधिक है। 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लोगों के सहयोग की कमी एवं सामाजिक कार्यक्रमों में दुर्व्यवहार का अनुभव किया है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह समस्या शिक्षा के स्तर से प्रभावित होती है।

भावनात्मक समस्याएँ – अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जीवन साथी की अनुपस्थिति से दुख और अकेलापन आने लगता है। उनमें से कई में भविष्य की चिंता अपराधबोध, शर्म, क्रोध, उदासी, अवसाद की भावनाएँ इतनी प्रबल होती हैं कि वे व्यक्तित्व व्यवहार में बदलाव लाना चाहती हैं, जिसके कारण उसमें चिड़चिड़ापन और नकारात्मकता की भावना आती है।

पालन-पोषण संबंधी – 91 प्रतिशत एकल अभिभावकों में बच्चों के पालन-पोषण की समस्या देखने को मिली। 97 प्रतिशत को समयाभाव के कारण बच्चों की बीमारी में देखभाल तथा अनुशासित करने में कठिनाइयों/ चुनौतियों का अनुभव हुआ।

आत्मसम्मान की कमी – एकल अभिभावकों के 74 प्रतिशन ने अपने बच्चों के आत्मसम्मान में कमी की जानकारी दी। इसका प्रमुख कारण अवसाद, क्रोध और तनाव है जों उनके बच्चों के आत्मसम्मान पर बुरा प्रभाव डालता हैं। खराब आत्मसम्मान वाला बच्चा खोए हुए माता-पिता के प्रभाव से उबरने में कम सक्षम होता है।

देखभाल में कठिनाई – बच्चों की देखभाल का तात्पर्य केवल शारीरिक देखभाल और आराम प्रदान करना ही नही है बल्कि बच्चों को प्यार, ध्यान, अनुशासन और सामाजिक मेलजोल प्रदान करना भी है। 62 प्रतिशत एकल अभिभावकों को वित्तीय समस्याओं के कारण बच्चों के साथ समय बिताने, सुरक्षा, स्कूल के कार्यों में मदद, बीमारी में समय न देना, आदि विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अवसाद – एकल अभिभावकों के बच्चों में अवसाद के विभिन्न लक्षण जैसे उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मनोदैहिक शिकायतें (सिरदर्द, थकान आदि), अपने अभिभावक से अलगाव आदि देखने को मिला। 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी दी कि उनके चिड़चिड़ापन, गुस्सा में वृद्धि हो गई है। इसका प्रभाव उनके बच्चों के व्यवहार पर पड़ता है जिसके कारण 29 प्रतिशत अभिभावकों के बच्चे अपराधिक गतिविधियों की ओर बढ़ गये हैं।

बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन पर प्रभाव – एकल अभिभावक के बच्चों शैक्षणिक प्रदर्शन एवं रचनात्कता की कमी पायी गई। बच्चों के स्कूल छोड़ने, कम ग्रेड पाने की जानकारी प्राप्त हुई,। एकल अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं उनके द्वारा बच्चों के स्कूल गतिविधियों में भागीदारी की कमी, बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन में कमी का कारण हो सकता है।

बच्चों के सामाजिक समर्थन पर प्रभाव – तथ्यों के विश्लेष्ण से ज्ञात हुआ कि एकल अभिभावकों में से 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों में माता या पिता के द्वारा परित्याग के डर की भावना विकसित हो गई है। निवास में परिवर्तन या दादा-दादी के साथ कमजोर रिश्ते के कारण बच्चा दादा-दादी, दोस्तों, स्कूल शिक्षकों, पड़ोसियों और अन्य जैसे सामाजिक समर्थन प्रणालियों को खोने के साथ ही साथ, उत्सवों, दैनिक दिनचर्या में व्यवधान का सामना कर सकता है और कम धार्मिक हो सकता है।[15]

भावनात्मक और व्यवहारिक प्रभाव- माता-पिता के तलाक, अलगाव या पुनर्विवाह के तुरंत बाद, जब बच्चे नई स्थिति का सामना करते हैं, तो वे भावनात्मक संकट, चिंता, अवसाद और क्रोध, आक्रोश और गैर-अनुपालन जैसी व्यवहार संबंधी समस्याओं का अनुभव करते हैं। अधिकांश बच्चों में समय बीतने के साथ ये प्रतिक्रियाएँ कम हो जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चों में देरी से प्रभाव का अनुभव होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रारंभिक चरणों में अच्छी तरह से समायोजित हो जाते हैं, लेकिन बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।[16] एकल माता-पिता के बच्चों में अपने बारे में नकारात्मक भावनाएँ विकसित होती हैं, 40 प्रतिशत एकल अभिभावकों के बच्चे अपने आप को कलंकित और नीचा अनुभव करते हैं, उनका आत्म-सम्मान कम हो जाता है।

सामाजिक विकास और सामाजिक संचार पर प्रभाव- एकल अभिभावक सामाजिक कौशल के विकास में कठिनाई का कारण बन सकता है। सामाजिक समायोजन,

असुरक्षित लगाव, नई दोस्ती शुरू करने में कठिनाई, खराब संचार कौशल और संतोषजनक अंतरंग संबंधों में सम्मिलित होने में कठिनाई। एकल माता-पिता अक्सर अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक होते हैं, जो बच्चे के सामाजिक कौशल विकास को प्रभावित कर सकता है।[17] सोशल मीडिया में अत्यधिक संलिप्तता, सोशल मीडिया और विभिन्न इंटरनेट साइटों से अनुचित तरीके से प्रभावित होना और कम शारीरिक मेलजोल रखना, आदि प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया की उनके बच्चों को मित्र बनाने में कठिनाई हुई।

अध्ययन से ज्ञात हुआ कि एकल अभिभावक बनना आसान काम नहीं है। एकल पालन-पोषण बच्चे और माता-पिता दोनों के लिए तनावपूर्ण होता है क्योंकि इसमें एकल माता-पिता सभी जिम्मेदारियाँ स्वयं उठाकर पूरा करने का प्रयास करते हैं। उनको विभिन्न मुद्दों से गुजरना होता है, तथा पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के साथ इन्हे विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का अकेले ही सामना करना पड़ता है। इससे न केवल माता-पिता बल्कि एकल अभिभावकों से बच्चों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिससे वे मनोवैज्ञानिक विकारों, अवसाद, चिंता और कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हो जाते हैं।

यह अध्ययन एक विशेष सामाजिक- आर्थिक वर्ग पर आयोजित किया गया और इसका क्षेत्र सीमित था। हालाँकि परिणामों को बड़ी आबादी के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है, फिर भी वे कुछ रुझानों को उजागर करते हैं और आगे के शोध कार्य के लिए निहितार्थ सुझाते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव - प्रस्तुत अध्ययन से ज्ञात होता है कि एकल अभिभावकों की सर्वाधिक संख्या 35-45 वर्ष आयु के बीच हैं, तथा जिसमें महिलाओं की संख्या पुरूष की तुलना में अधिक है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि एकल अभिभावकों को वित्तीय, सामाजिक एवं भावनात्मक समर्थन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परिवार में जिम्मेदार साथी नही होने के कारण अपना और बच्चों का भरण पोषण करना चुनौतीपूर्ण कार्य लगता है। अधिकांश एकल माता-पिता ने वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं की सूचना दी। एकल अभिभावक की आय बहुत कम है एवं वे घर, उद्योग आदि में मजदूरी या निम्न वेतन पर कार्य करते हैं। अधिकांश ने एकल अभिभावक होने के फलस्वरूप समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में नकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया। पुरूष की तुलना में महिला एकल अभिभावक को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा जो समाज की महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच का द्योतक हैं। यह समस्या कम शिक्षित परिवार में अधिक दृष्टिगोचर होती है, अर्थात समाज या परिवार के शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने से एकल अभिभावक के प्रति समाज की सोच में परिवर्तन आ सकता है। तलाक का प्रभाव बच्चों मानसिक स्तर पर सबसे अधिक तब होता है जब उन्हें बारी-बारी से माता एवं पिता के साथ रहना पड़ता है।

परिवार सभी बच्चों की रीढ़ है। विलियम ग्लैडेन[18] का कहना है कि माता-पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उनके लिए सर्वोत्तम प्रयास करते हैं, यह समझ, इच्छा नहीं, यही कारण है कि परिवार टूटते हैं और बच्चों को इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। माता-पिता बनना कठिन काम है, हालाँकि एकल माता-पिता बनना संभवतः उससे भी अधिक कठिन है। यदि परिवार का मुख्य कमाने वाला साथी साथ न हो तो समस्याएँ और बढ़ जाती हैं। वर्तमान एकल पालन-पोषण बहुत आम होता जा रहा है, चाहे वह पसंद से हो या किसी कारण जैसे तलाक, अलगाव या जीवनसाथी की मृत्यु से हो। एकल अभिभावकों को बहुत सी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनसे उबरने के लिए बहुत अधिक साहस, दृढ़ संकल्प और भावनात्मक शक्ति की आवश्यकता होती है।

एकल अभिभावक बनने के पीछे चाहे जो भी कारण हो, एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल कर उनका समर्थन करें और उन्हें इस यात्रा में सम्मिलित करें ताकि एकल माता-पिता के सामने आने वाली समस्याएं कम हो जाएं। सरकार द्वारा एकल-अभिभावकों की समस्याओं और बच्चों को अनुकूल परिवेश प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए जिससे उनमें विभिन्न क्षमताएँ विकसित हो सकें, और वे राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सके।

सन्दर्भ

1. Gezova K., *'Father's and Mothers Roles and their Particularities in Raising Children'*, Acta Technological Dubnicae, Volume-5, Issue-1, 2015, pp 45–50.
2. Ponzetti James J., *'International Enclyopedia of Marriage and Family'*, Mcmillon Reference USA, 2002, pp 1515-1522
3. Popenoe D, *'A World with out Father'*, Martin Kessler Books at The Free Press, New York ,1996 pp 4-18
4. Coontz, S. *'The Way We Really Are: Coming to Terms with America's Changing Families'*, Basic Books Publication New York, 1997, pp 157-178
5. Shahra Razav, *'Progress of the World's Women 2019-20'*, Family in a Changing World, UN Women United States 2019, pp 40-73
6. 'Solo Parents Welfare Act of 2000', Republic act no.8972, Philippine Laws and Jurisprudence Databank, Philippines 2011, pp1-2
7. Gill Inderpreet, Shram Deepali, Verma Suman, *'Adolescents in Single Parent Family'*, The journal of family Science, Vol 49. No. 1, 2003,
8. Kotwal Nidhi and Prabhakar Bharti, *'Problems Faced by Single Mothers'*, Journal of Social Science, 21(3) 2009 :
9. Bhatnagar Namita, *'Single Parent Families Problems of Parents And Children A Multilevel Analysis of Role of Human and Material Resources'*, PhD Thesis Banasthali Vidyapith (Rajasthan) (Unpublished) 2013
10. Saranya T. S. and Nigesh K. , *'The Agony of Single Mothers in Kerala'*, Review of Research Journal, Vol-6, Issue-9 June 2017, pp 1-6
11. चतुर्वेदी प्रियंका, 'एकल अभिभावक के समक्ष बच्चों के पालन-पोषण में चुनौतियां एवं समाजकार्य हस्तक्षेप', पीएचडी, शोधप्रबंध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 2018,
12. Shweta & Singh Vipul, *'Effect of Single Parenting'*, Marriage and Divorces in Indian Society, The low brigade Publication Ahmedabad, 2023,
13. शुक्ल हीरालाल एवं अन्य, 'समग्र छत्तीसगढ़', छत्तीसगढ़ हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर, 2017, पृ. 36.37
14. www.censusindia.gov.in › C-series › C-3 › DDW-2200C-03
15. D Mello Lavina, Govinda Raju & Monteiro Meena, *'A study on the Challenges Faced by Single Parent on Teenager Care'*, International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology (IJATET), Volume I, Issue I, 2016, pp 54-58
16. Hetherington EM, Elmor AM, *'Risk and Resilience in Children Coping with their Parents Divorce and Remarriage'*, In: Luther SS, ed. 'Resilience and Vulnerability Adaptation in the Context of Childhood Adversities', Cambridge University Press; 2003:pp182–212.
17. Chapani B, *'Impact of Single Parenting on Adolescents Social Development-Finding from Wise Owl High School in Morondera Zimbabwe'*, Psychology & Psychological Research International Journal, Volume 6 Issue 3, 2021, pp 1-1
18. Gladden William, *'A Parent's Guide to Encouraging Imagination and Creativity During Early Childhood'*, William Gladden Foundation Florida, 2005 pp 1-16

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर पर सामाजिक कारकों (जाति व आर्थिक स्तर) के प्रभाव का अध्ययन

❑ सुश्री स्वाति

सूचक शब्द : जीवन कौशल, सामाजिक कारक, आर्थिक स्तर।

माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी किशोरावस्था में आ रहे शारीरिक एवं मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। किशोरावस्था एक संक्रमण काल है जिसमें आने वाले शारीरिक एवं मानसिक बदलावों एवं उनसे जनित विक्षोभों को कई मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक शोधों में प्रस्तुत किया गया है। किशोरावस्था में सही दिशा न मिलने पर ये परिवर्तन विघटनकारी एवं आत्मघाती परिणाम भी दे सकते हैं। अतः माध्यमिक स्तर की शिक्षण संस्थाओं पर शिक्षण का महत्व कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि उन पर न सिर्फ निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाने बल्कि अपने किशोर विद्यार्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तिव में आ रहे परिवर्तनों को सकारात्मक दिशा देने का दायित्व भी आ जाता है। जीवन कौशलों के उचित विकास एवं प्रशिक्षण से व्यक्ति को न केवल जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से समायोजन में आसानी होती है बल्कि यह संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में भी सहायक हैं। ऐसे में जीवन कौशल शिक्षा एक सार्थक हस्तक्षेप है जो किशोरों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाकर उनके जीवन को अधिक गुणवत्तापूर्ण एवं सरल बनाती है। नई शिक्षा नीति 2020 में भी जीवन कौशलों की महत्ता को स्वीकारा गया है तथा शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जीवन कौशलों को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गयी है। प्रस्तुत आलेख में कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं में जीवन कौशल स्तर व सामाजिक कारकों के उस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बलिकाओं की जाति व आर्थिक स्तर को सम्मिलित किया गया है।

कोविड महामारी के दौरान जीवन पद्धतियों में जो अपरिहार्य परिवर्तन आये उनसे बेहतर जीवन यापन हेतु आवश्यक कौशलों की महत्ता स्थापित हुई। जहां एक ओर कई विकसित राष्ट्र महामारी के अधिकतम नुकसान से गुजरे वहीं कई अति पिछड़े समझे जाने वाले देशों में अपेक्षा से कहीं कम हानि अंकित की गई। विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवश्यक जीवन कौशलों से युक्त शिक्षा देने के विचार को भी कोविड काल में वरीयता से स्वीकारा गया। जीवन कौशल शब्द कुछ बुनियादी कौशलों का समुच्चय है जिन्हें संकीर्ण रूप से परिभाषित अथवा वर्गीकृत करना दुष्कर है। इस सन्दर्भ में कुछ अन्य नामों का प्रयोग भी होता है जिनमें से कुछ निम्नवत हैं :

जीवन कौशल
21वीं सदी के कौशल
गैर- संज्ञात्मक कौशल
गैर- अकादमिक कौशल
चारित्रिक कौशल
सामाजिक एवं भावनात्मक अधिगम

ऐसी सभी योग्यताएं एवं सकारात्मक व्यवहार, जो किसी भी व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं व चुनौतियों से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटाने के काम आते हैं, जीवन कौशलों के रूप समझे जा सकते हैं। 21वीं सदी के इन कौशलों का महत्व न केवल शिक्षा बल्कि कार्यक्षेत्र व समस्त व्यस्क उत्तरदायित्वों के कुशल निर्वहन हेतु आवश्यक माना गया है।[1] प्रमुख जीवन कौशलों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैः चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल एवं भावनात्मक कौशल। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीवन कौशलों की व्याख्या करते हुए इसमें आत्म जागरूकता, समानुभूति, पारस्परिक सम्बन्ध, प्रभावी सम्प्रेषण, विश्लेषणात्मक सोच, रचनात्मक सोच, निर्णय लेना, समस्या को सुलझाना, तनाव का सामना एवं भावनात्मक समझ को स्थान दिया है।[2] ये सभी कौशल जीवन की कठिन समस्याओं में समाधान प्रस्तुत करते हैं एवं जीवन को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। जीवन कौशलों के प्रभावी उपयोग से किशोर दूसरों के अपने प्रति दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझ पाते हैं जिससे उनमें आत्मसम्मान पैदा होता है।[3]

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षाशास्त्र विभाग, स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट, चम्पावत (उत्तराखण्ड)

शिक्षा का लक्ष्य न केवल विद्यार्थियों को ज्ञान देना है बल्कि जीवन के बदलते परिदृश्यों को समग्रता से समझते हुए अपने लिए सर्वोत्तम का चुनाव करना भी है। माध्यमिक स्तर में अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं जो कि शिक्षा के माध्यम से जीवन की चुनौतियों हेतु तैयार होने के साथ साथ आवश्यक संतुलन भी तलाशते हैं। उन्हें इसी आवश्यक संतुलन हेतु आधार प्रदान करना माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 में भी जीवन कौशलों के महत्व को स्वीकारा गया है तथा जीवन कौशल शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाने के प्रयास चल रहे हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीर्ण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु जीवन कौशलों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गयी है।[4] रॉस के शब्दों में, "किशोर का जीवन बहुत अधिक संवेदात्मक होता है, जिसमें हमें एक बार फिर उसके अत्यधिक उग्र और निराशा की गहराइयों के बीच झूलते हुए व्यवहार के माध्यम से मानव व्यवहार के अनुकूल और प्रतिकूल दोनों पक्षों का ही मिला जुला रूप देखने को मिलता है।" उसके अनुभवों की गहराई बढ़ती है और वह अपनी प्रतिक्रिया बहुत उग्र ढंग से व्यक्त करता है।[5]

बेहतर मानसिक स्वास्थ्य हेतु भी जीवन कौशलों को महत्वपूर्ण माना गया है। उचित जीवन कौशल व्यक्ति को स्वयं व दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु अभिप्रेरित रखते हैं। जीवन कौशल व्यक्ति को परिवार, मित्रों, माता-पिता, शिक्षकों आदि से संबंधों को समझने एवं उन्हें बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाते, वे कभी भी उससे सुखी एवं संतुष्ट नहीं रह पाते।[6] ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रगति की संभावनाएं न्यून हो जाती हैं। इस सन्दर्भ में यूनिसेफ द्वारा जीवन कौशलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक स्वीकारा किया गया है।[7]

जीवन कौशलों के द्वारा विद्यार्थियों को नशे की लत, हिंसा, किशोरावस्था में गर्भधारण ,एड्स एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा विधिक साक्षरता, प्रशासनिक कार्यप्रणाली आदि की समझ विकसित होने से उनका जीवन सुगम व व्यवधानरहित हो जाता है। जीवन कौशलों का चुनाव समय व स्थान के अनुसार बदल सकता है अतः शिक्षा में उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। एक सफल जीवन हेतु शिक्षा में जीवन कौशलों का जुड़ाव आवश्यक है।[8] यदि किसी बालक को प्रारम्भिक वर्षों से ही जीवन हेतु आवश्यक समझ व संतुलन प्रदान किया जाए तो वह भविष्य में अधिक संतुष्ट रह पाएगा।[9] दो अन्य शोधों में जीवन कौशलों की पहचान मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, व्यावहारिक एवं प्रतिरोधक शक्ति हेतु आवश्यक ऐसे संसाधनों के रूपों में की गयी है जो व्यक्ति को दैनिक जीवन की चुनौतियों एवं समुदाय के साथ उत्पादक साहचर्य हेतु प्रशिक्षित करते हैं।[10,11] इस प्रकार जीवन कौशल युवाओं को जीवन की चुनौतियों का सामना करने एवं उत्पादक नागरिक बनने में महत्पूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं जो कि दो प्रशासनिक मंडलों में विभक्त हैं – गढ़वाल व कुमाऊं। कुमाऊँ मंडल में कुल 6 जिले हैं – अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर। यहां संचालित अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं चलती हैं। माध्यमिक स्तर पर बालिकाएं सरकारी व गैर सरकारी दोनों तरह के विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर पर पड़ने वाले सामाजिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है। सामाजिक कारकों में जाति व आर्थिक स्थिति को आधार बनाया गया है।

साहित्य समीक्षा :

स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर हुए एक संवाद में शिक्षा में जीवन कौशलों के महत्व को पहचानते हुए जीवन कौशलों को शिक्षा से जोड़ने की बात की गयी है।[12] **पुज्जर** द्वारा कर्नाटक की किशोर लड़कियों पर जीवन कौशल शिक्षा के प्रभावों का अध्ययन किया गया। यह शोध कक्षा 8 व कक्षा 9 की किशोर बालिकाओं पर किया गया, जिसमें स्वनिर्मित प्रश्नावली के माध्यम से पांच जीवन कौशलों का परीक्षण किया गया जिनमें समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, विश्लेषणात्मक सोच, तनाव का सामना तथा समानुभूति। अपने शोध में उन्होंने पाया कि किशोरों के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक ध्यान दिए जाने की

आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा की चुनौतियों व तनावों का सामना करने के लिए किशोरों को जीवन कौशल शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष में शोधकर्ता ने यह पाया कि दूरस्थ क्षेत्रों की किशोर बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा देने से उनकी समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है और वे तनावों का सामना करने में अधिक सक्षम बनती हैं। **दत्ता व मजूमदार**[14] द्वारा अपने शोध में यह अवलोकन किया गया कि अधिकांश विद्यार्थियों को अपने शारीरिक एवं यौन परिवर्तनों के सम्बन्ध में बात करने हेतु कोई औपचारिक मार्ग न मिल पाने के कारण वे इस सम्बन्ध में सुविधाजनक संवाद स्थापित नहीं कर पाते जो आगे चलकर लैंगिक असंतुलन को जन्म देता है। इस शोध में भारतीय किशोरों व युवाओं हेतु जीवन कौशल शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है।

किशोरों में जीवन कौशलों का विशेष सन्दर्भ लेते हुए **श्रीकला एवं कुमार**[15] द्वारा स्कूल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के आंकलन हेतु एक अध्ययन किया गया। अध्ययन हेतु 20 माध्यमिक विद्यालयों से 605 विद्यार्थियों को चुना गया। अध्ययन में सम्मिलित सभी विद्यार्थी कक्षा 8 से 10 तक में अध्ययनरत एवं 14 से 16 आयु वर्ग के थे। अध्ययन में यह पाया गया कि जीवन कौशल शिक्षा से विद्यार्थी अपने शिक्षकों व विद्यालय के साथ बेहतर समायोजन स्थापित कर पाए जिससे उनके सामाजिक व्यवहार, आत्मसम्मान व सहनशीलता में वृद्धि हुई। निष्कर्ष में यह सुझाव दिया गया कि जीवन कौशलों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित करने से किशोरों की मनोवैज्ञानिक क्षमताएं बढ़ती हैं जिससे उनका समस्यात्मक व्यवहार कम होता है।

अपर्णा व राखी[16] ने किशोरों हेतु जीवन कौशल शिक्षा की प्रासंगिकता एवं महत्व पर अध्ययन किया। अपने शोध में उन्होंने पाया की विद्यालय की पाठ्यचर्या में जीवन कौशलों की जानकारी देने से किशोर न केवल जीवन की जटिलताओं व कठिनाइयों से आसानी से निकल पाते हैं बल्कि समस्याओं का बेहतर निदान भी खोज लेते हैं। शोध निष्कर्ष में इस तथ्य को प्रबलता से उद्धृत किया गया है कि जीवन कौशल शिक्षा को पाठ्यक्रम में समाहित करके अच्छे स्वास्थ्य, सकारात्मक पारस्परिक सम्बन्ध आदि की शिक्षा जीवन कौशलों के माध्यम से दी जानी चाहिए।

जैकब के अनुसार जीवन कौशल शिक्षा 10 से 19 आयुवर्ग के किशोरों में यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने के साथ ही एड्स संक्रमण को कम करने में सहायक है। इस शोध का प्रमुख उद्देश्य कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में जीवन कौशलों को एक विषय के रूप में सम्मिलित करने के प्रभावों का अध्ययन करना था। इस हेतु निर्मित पाठ्य पुस्तकों को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं शिक्षा विभाग द्वारा 2005 में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2006 में प्रदेश भर में, कक्षा 11 में जीवन कौशल शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। इस प्रकार अन्य कई शोधों में जीवन कौशल शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सकारात्मक प्रभाव देखे गए हैं।

प्रजापति एवं अन्य[18] द्वारा 2007 में किये गए एक शोध में किशोरों के सामाजिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए जीवन कौशल शिक्षा को एक प्रभावपूर्ण मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के रूप में स्वीकार किया गया। जीवन कौशल शिक्षा से किशोरों के आत्मविश्वास व भावनात्मक बुद्धि में वृद्धि होती है तथा उनमें विश्लेषणात्मक चिंतन, समस्या समाधान व निर्णय क्षमता जैसे कौशलों का विकास होता है। अतः जीवन कौशलों को नियमित विद्यालयी पाठ्यक्रम में जोड़ना अति महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता का यह भी कहना है जीवन कौशल शिक्षा से विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और वे समाज तथा विश्व के विकास में सक्रिय योगदान दे पाते हैं।

हाकिंस[19] ने भी अपने शोध में यह पाया कि सामाजिक एवं भावनात्मक कौशल सिखाने हेतु चल रहे कार्यक्रमों के अनेक सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं जिनमें आक्रामकता में कमी, क्रोध व अविवेक में कमी, नशे व अपराधिक प्रवृत्तियों में कमी आदि प्रमुख हैं। जीवन कौशल शिक्षा से किशोरों का विद्यालय व परिवार से सकारात्मक सम्बन्ध बढ़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर पर उनकी जाति के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर पर उनकी आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :

अध्ययन हेतु निम्न शून्य परिकल्पनाएं की गईं-

1. कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य व अन्य जातियों की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।
2. कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत उच्च आय वर्ग व निम्न आय वर्ग की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।

अध्ययन की सीमाएं :

1. प्रस्तुत अध्ययन कुमाऊं मंडल के तीन जिलों चम्पावत, नैनीताल व उधम सिंह नगर में किया गया।
2. प्रस्तुत अध्ययन में केवल कक्षा 11 व कक्षा 12 की बालिकाओं को प्रतिदर्श हेतु चुना गया।

शोध पद्धति : प्रस्तुत शोध हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। आंकड़ों के संग्रह हेतु ढौंडियाल एवं पाण्डेय[20] द्वारा निर्मित जीवन कौशल प्रश्नावली एवं शोधार्थी द्वारा निर्मित स्व-विवरण प्रपत्र का प्रयोग किया गया। जीवन कौशल प्रश्नावली में कुल 58 प्रश्न थे जिन्हें कुल 7 जीवन कौशल आयामों के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। जीवन कौशल प्रश्नावली में विश्लेषणात्मक सोच, रचनात्मक सोच, निर्णय लेना व समस्या को सुलझाना, पारस्परिक सम्बन्ध व प्रभावी सम्प्रेषण, समानुभूति, तनाव का सामना तथा आत्म जागरूकता आयामों को सम्मिलित किया गया था।

प्रतिदर्श हेतु चम्पावत, नैनीताल व उधम सिंह नगर के विद्यालयों का चुनाव विद्यालयों की सूची द्वारा यादृच्छिक विधि से किया गया जिनमें प्रत्येक जिले से 11वीं व 12वीं में अध्ययनरत 200 बालिकाओं का चयन किया गया। 50 प्रतिशत सरकारी एवं 50 प्रतिशत गैरसरकारी विद्यालयों को समान रूप से सम्मिलित किया गया। सामाजिक कारकों के मापन हेतु बालिकाओं की जाति व आर्थिक स्तर (APL या BPL श्रेणी) को आधार बनाया गया। जाति सम्बन्धी समूहों को सामान्य व अन्य जातियों में बांटा गया जबकि आर्थिक स्थिति के लिए उच्च व निम्न आय वर्ग को ए.पी.एल. या बी.पी.एल. राशन कार्ड धारकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। अध्ययन में परिकल्पनाओं के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय प्राविधि के रूप में मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। अध्ययनरत कुल 600 बालिकाओं को न्यायदर्श हेतु चुना गया, जिसका विवरण इस प्रकार है-

तालिका -1

जाति के अनुसार बालिकाओं का विवरण

जिले का नाम	जाति		योग
	सामान्य	अन्य	
चम्पावत	153 (76.50%)	47 (23.50%)	200
नैनीताल	132 (66.00%)	68 (34.00%)	200
उधम सिंह नगर	88 (44.00%)	112 (56.00%)	200
कुल प्रतिशत	373 (62.16%)	227 (37.83%)	600

तालिका -1 से स्पष्ट है कि शोध हेतु चुनी गयी 62.16 प्रतिशत बालिकाएं सामान्य जाति की हैं जबकि 37.83 प्रतिशत अन्य जातियों से सम्बंधित हैं।

तालिका 2

आर्थिक स्थिति के अनुसार बालिकाओं का विवरण

आर्थिक स्थिति		संख्या
उच्च आयवर्ग	निम्न आय वर्ग	योग
479 (79.83)	121 (20.7)	600

तालिका 2 से स्पष्ट है कि शोध हेतु चुनी गयी 79.83 प्रतिशत बालिकाएं उच्च आय वर्ग से हैं जबकि निम्न आय वर्ग से सम्बंधित बालिकाओं का प्रतिशत 20.17 प्रतिशत है।

परिकल्पनाओं का विश्लेषण :

परिकल्पना क्रमांक 1ः कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य व अन्य जातियों की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता।

तालिका-3
बालिकाओं की जाति के अनुसार जीवन कौशल के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की तुलना

जाति	संख्या (N)	माध्यम (M)	मानक विचलन (SD)	स्वतंत्रता स्तर (df)	टी-मूल्य (t)	सार्थकता स्तर
सामान्य	373	38.82	7.287	598	2.250	सार्थक
अन्य	227	37.48	6.691			

तालिका-3 में परिकल्पना-1 का परीक्षण किया गया है। तालिका -3 से स्पष्ट है कि सामान्य व अन्य जातियों की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर का मध्यमान क्रमशः 38.82 तथा 37.48 एवं मानक विचलन क्रमशः 7.287 तथा 6.691 है , अर्थात सामान्य जाति की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर की विचलनशीलता अन्य जाति की बालिकाओं की तुलना में अधिक है। सामान्य व अन्य जाति वर्गों की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तरों के मध्यमानों के बीच अंतर ज्ञात करने हेतु किया गया टी- मूल्य 2.250 आया जो की 0.05 विश्वास के स्तर पर सार्थक है। अतः परिकल्पना -1 'कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य व अन्य जातियों की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता' अस्वीकृत हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिदर्श हेतु चुनी गयी बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर पर जाति (सामान्य व अन्य) के अनुसार भिन्नता पाई गई।

परिकल्पना क्रमांक 2: कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत उच्च आय वर्ग व निम्न आय वर्ग की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता

तालिका-4
बालिकाओं की आर्थिक स्थिति के अनुसार जीवन कौशल के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की तुलना

आय वर्ग	संख्या (N)	माध्यम (M)	मानक विचलन (SD)	स्वतंत्रता स्तर (df)	टी-मूल्य (t)	सार्थकता स्तर
उच्च (APL)	479	38.13	7.025	598	1.302	असार्थक
निम्न (BPL)	121	39.07	7.330			

तालिका-4 में परिकल्पना-2 का परीक्षण किया गया है। तालिका 4 से स्पष्ट है कि उच्च व निम्न आय वर्ग की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर का मध्यमान क्रमशः 38.13 तथा 39.07 एवं मानक विचलन क्रमशः 7.025 तथा 7.330 था। उच्च व निम्न आय वर्गों की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तरों के मध्यमानों के बीच अंतर ज्ञात करने हेतु किया गया टी -मूल्य 1.302 आया जो कि 0.05 विश्वास के स्तर पर असार्थक है। अतः परिकल्पना-2 'कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत उच्च आय वर्ग व निम्न आय वर्ग की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाता' स्वीकृत हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिदर्श हेतु चुनी गयी बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर पर बालिकाओं के आर्थिक स्तर (उच्च व निम्न आय वर्ग) के अनुसार कोई भिन्नता नहीं पाई गई।

निष्कर्ष : प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के अवलोकन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कुमाऊं मंडल के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य व अन्य जातियों की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर में सार्थक अंतर है जबकि इन विद्यालयों में अध्ययनरत उच्च आय वर्ग व निम्न आय वर्ग की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

जीवन कौशल शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान के बजाय जीवन से जुड़ाव बढ़ाने में सहायक है जिससे भविष्य के लिए बेहतर तैयारी हो पाती है तथा रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं किशोरावस्था में आने वाले अनिवार्य परिवर्तन के दौर से गुजरती हैं। ऐसे में जीवन कौशल एक संतुलन स्थापित करने में सहायक होते हैं। विभिन्न सामाजिक कारक जीवन कौशल स्तर को प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत प्राचीन हैं।

विभिन्न जातियों से संबंधित होने के विविध सकारात्मक व नकारात्मक पक्ष देखे गए हैं। प्रस्तुत अध्ययन में यह पाया गया कि विभिन्न जातियों से संबंधित बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर में सार्थक अंतर है। संकलित आंकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि सामान्य जातियों की बालिकाओं के जीवन कौशल स्तर का मध्यमान अन्य जाति की बालिकाओं से अधिक था। यह परिणाम जाति व्यवस्था व उससे जुड़े अवसरों की असमानता की ओर ध्यान इंगित करता है। सामान्य जाति की बालिकाओं में जीवन कौशलों के उच्च स्तर के पीछे उन्हें मिला बेहतर पालन-पोषण व अवसरों की पर्याप्तता कारण हो सकते हैं। दूसरी ओर विभिन्न आर्थिक स्तरों की बालिकाओं के जीवन कौशलों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। जीवन कौशल वे आंतरिक क्षमताएं हैं जो मनुष्य को बेहतर समायोजन में सहायता प्रदान करती हैं। शोध के अनुसार आर्थिक स्तर अर्थात पारिवारिक आय के कम या अधिक होने से इन कौशलों के विकास में कोई अंतर नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप यह कहा जा सकता है आर्थिक पिछड़ापन जीवन कौशलों के अल्प विकास हेतु उत्तरदायी नहीं है। कई बार विपरीत परिस्थितियाँ व अभाव भी जीवन कौशलों के बढ़ने में सहायक होते हैं। आर्थिक कठिनाइयों से जूझने वाले व्यक्ति में कठिनाइयों का सामना करते हुए बेहतर समायोजन स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है जो कई बार जीवन कौशलों के विकास में सहायक हो सकती है।

सन्दर्भ

1. National, R. C., Division, O. B. A. S. S., Board, O. S. E., Board, O. T. A. A., & Committee, O. D. D. L. A., *'Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century'.* National Academies Press,2013, p.37-40 https://ebookcentral.proquest.com/lib/inflibnet-ebooks/reader.action?docID=3379216&ppg=52
2. WHO, Life Skills Education in schools, 2010, http://whqlibdoc.who.inq/hq/1994/WHO_MNH_PSF_93.7A_Rev.2.pdf
3. Prajapati ,R.; B. Sharma & D.Sharma, *'Significance of Life Skill Education'.* Contemporary Issues in Educational Research 10(1), 2017,1-6 (Google Scholar)
4. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.pdf
5. Ross, J.S., *'Ground Work of Educational Psychology'*, London : George G.Harrap,1951, pp. 141-149
6. Dhingra R. & K.S. Chauhan, *'Assessment of Life Skills of Adolescents in Relation to Selected Variables',* International Journal of Scientific and Research Publications, Volume -7, Issue -8, 2017, pp. 201-212
7. Comprehensive Life Skills Framework,UNISEF,2012
8. National Curriculum Framework for School Education, NCERT, 2000
9. Kwaja, A., *'Teaching Life Skills to Adolescents'*, 2011 http://banjaraacademy.org/workshop
10. Desai, M., *'A Rights-based Preventive Approach for Psychological Well Being in Childhood'*, Mumbai; Springers.10.1007/978-90-481-9066-9 (crossref), 2010
11. Galagali,P.M., 'Adolescence and Life Skills'. In R. Olyai and D.K. Dutt (Eds), *'Recent Advances in Adolescent Health'* (pp 209-218), Jaypee Brothers Medical Publishers, crossref. (Google Scholar) 2011, pp. 3-6
12. CBSE, Life Skill Education And CCE Manual, 2010
13. Pujjar, L.L., *'Impact of Intervention on Life Skill Development among Adolescent Girls in Karnataka'*, Journal of Agricultural Science, vol-27 (1), 2014, 93-94.
14. Datta S, N Majumder, *'Sex Education in the School and College Curricula: Need of the Hour'*, Journal of Clinical and Diagnostic Research, 2012 September (Suppl), Vol-6(7), 2012, pp- 1362-1364, ID: JCDR/2012/4104:242.
15. Srikala B, K V Kishore Kumar., *'Empowering Adolescents with Life Skills Education in Schools – School Mental Health Program: Does it work?'*, Indian Journal of Psychiatry. 2010. 52-4: 344-349.
16. Aparna. N and A.S Raakhee, *'Life Skill Education for Adolescents: Its Relevance and Importance'*, GESJ: Education Science and Psychology, 2011, No. m 2(19), pp. 19-25
17. Jacob S.T., *'Incorporation of Life Skills Education for Adolescents in the School Curriculum – Rajasthan Experience'*. Apr 16, 2009. Retrieved from http//: sexual health visual.com.
18. Prajapati, R.; B. Sharma & D. Sharma *'Significance of Life Skill Education'*, Contemporary Issues in Educational Research 10(1), 2017, 1-6 (Google Scholar)
19. Hawkins, J.D., Catalano, R.F., & Miller, J.Y., *'Risk and Protective Factors for Alcohol and other Drug Problems in Adolescence and Early Adulthood : Implacations for Substance Abuse Prevention'*, Psychological Bulletin, 112(1), 1992, 64-105.
20. Daudiyal V. and Pandey, Deepika, *'Life Skill Questionnaire (Standardized) 2019'* Faculty of Education, Kumaun University, Nainital (Uttarakhand)

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

मानव तस्करी से पीड़ित जनजातीय परिवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि का समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ सुश्री ज्योति ठाकुर
❖ डॉ. निस्तर कुजुर

सूचक शब्द : मानव तस्करी, आजीविका, बेरोजगारी, टिकाऊ साधनों तक पहुँच का अभाव, चुनौतियाँ।

मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या हैं। मानव तस्करी IPC की धारा 1860 के अंतर्गत एक अपराध हैं, अनु.23(1) के अंतर्गत भारत में मानव तस्करी निषिद्ध हैं, बच्चों व महिलाओं को बहला फुसलाकर बेचा व खरीदा जाता हैं। उन्हें अन्य राज्यों या देशों में भेज दिया जाता है, देह व्यापार की मांग महिलाओं के शोषण को बढ़वा देती है, पुरूषों, बच्चों में मजदूरी व भीख मंगवाई जाती है, हर साल हजारों लोग मानव तस्करी के दुष्चक्र में फँस कर शिकार हो जाते हैं। जनजातीय समुदाय भी इस अपराध के दुष्चक्र से दूर नही हैं। जनजातीय समुदाय सदियों से विभिन्न समस्याओं का शिकार होता रहा है, इन समस्याओं में मानव तस्करी की समस्या एक प्रमुख समस्या है। यह समस्या संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र संपूर्ण छोटानागपुर क्षेत्र (वर्तमान झारखण्ड, ओड़ीसा एवं छत्तीसगढ़) में देखने को मिलती है। पूर्वोत्तर छत्तीसगढ़ के जिला इस समस्या से जूझ रहे हैं, प्रस्तुत अध्ययन जशपुर जिला पर केंद्रित है। यहाँ, लोगों में उन्नत आजीविका के साधनों का अभाव है, परिणामस्वरूप जनजातीय परिवारों में बेरोजगारी, गरीबी प्रमुख समस्या है। बेहतर जीवन की खोज में इन परिवारों के युवा, युवती एवं महिलाएँ बड़ी संख्या में महानगरों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं और ज्ञान व शिक्षा की कमी से आसानी से मानव तस्करों के चंगुल में फंस जाते हैं, तस्कर इन युवतियों का कई रूपों में शोषण करते हैं। समस्या इस स्तर तक पहुँच गयी है, कि प्रभावित क्षेत्रों में घरों के दीवारों पर “मानव तस्करों से सावधान” “मानव तस्करों का पता चलने पर इस नंबर पर डायल करे।” लिखा देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य भी मानव तस्करी की समस्या से अछूता नहीं है, यहां का जशपुर जिला राज्य में मानव तस्करी समस्या से सबसे अधिक पीड़ित जिलों में से एक है। यूनिसेफ के सर्वेक्षण रिपोर्ट (2012–14) में बच्चों के 1500 मामले केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला के 05 विकासखण्डों में मानव तस्करी मामले दर्ज किये गये थे। छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय बाहुल्य अन्य जिले भी मानव तस्करी की समस्या से जूझ रहे हैं। मानव तस्करी प्रत्येक समाज के लिये एक मुख्य चुनौती है, वहीं वर्तमान समय में छतीसगढ़ राज्य का आदिवासी बहुल जिला जशपुर मानव तस्करी का गढ़ बना हुआ है, जहाँ पर जनजाति सुमदाय भी तस्करी जैसी समस्या की चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस जिले में उरांव, गोंड, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर जनजातियाँ निवासरत हैं, विकास के अभाव में जनजातीय परिवार भी रोजगार की कमी, गरीबी व अशिक्षा जैसे दंश झेल रहे हैं, परिणामस्वरूप यह समाज जीवनयापन हेतु रोजगार की तलाश में सदैव रहा है। भूमि कि कमी, मौसमी खेती, सयुंक्त परिवार होने से भोज्य समाग्री कि कमी मुख्य कारण हैं।

विदुसी विमल[1] के अनुसार बड़े शहरों में आकर्षक रोजगार प्रस्ताव अवैध व्यापार दलालों और एजेंटो द्वारा बेहतर तथा आरामदायक जीवन देने का वादा, विवाह के लिए युवा लड़कियों की माँग की जाती है। अत्यन्त गरीबी व वंचित होने, जागरूकता का अभाव, घरेलू हिंसा से पीड़ित लोग तस्करों के चगुलों में फँस जाते हैं। जीवनयापन के लिए उन्हें अपनी दैनिक आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तस्कर कॅाफी संगठित हैं, जो बाहर से आकर प्रत्येक वर्ष शहरों एवं महानगरों में इन आदिवासी बहुल जिलों की लड़कियों को प्लेसमेंट, एजेन्सियों के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर ले जाते हैं, और घरेलू काम एवं देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। **कुजुर निस्तर**[2] के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार का आभाव होना जिसके परिणाम स्वरूप जनजाति महिलाएं बड़े रूपों में महानगरों की ओर पलायन करती हैं, रोजगार की तालाश में, अच्छे परिवार में कार्य मिलने की स्थिति में इनकी स्थिति ठीक होती है, वहीं परिवार

❑ शोध अध्येत्री समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
❖ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

धीरे-धीरे देह व्यापार में फंसती जाती हैं, वहीं कुछ दलालों के हाथों बेची भी जाती हैं। इन्हें भी दैनिक शोषण का सामना करना पड़ता है। जनजातियों मे बेरोजगारी, अशिक्षा व जागरूकता की कमी शासन का अनदेखा करना भी इन्हें मानव तस्करी का शिकार बनाती है। मुख्यतः जनजाति क्षेत्र में तस्करी के लिए दलालों का एक गिरोह कार्यरत होता है, जो गरीब, अशिक्षित, व बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनतें हैं।

प्रकाश, सी.एम[3] के अनुसार महिलाओं की तस्करी में फंसने का मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षा, घरेलू हिंसा, भेदभाव आदि हैं। महिलाओं की तस्करी मुख्यतः वैश्यावृति, बार डांसर, घरेलू कार्य, सरोगेसी के लिये की जाती है। बच्चों की तस्करी भीख मंगवाने, होटलों में कार्य, कपड़ा कारखानों, मछली फार्म, निःसंतान दम्पतियों, नशीली दवाइयों कि तस्करी, अंग निकालने, सर्कस के लिए, दारू भट्टी, मनोरंज के लिए किया जाता है। यह तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है, कि तस्कर प्रभावित गांवों और क्षेत्रों में रोजगार के उन्नत साधनों का अभाव है, और आर्थिक चुनौतियां इन्हें नगरों की ओर बढ़ने में सहायक होती हैं। यह घटना जनजातियों में असुरक्षा और भय को पैदा करता है तथा प्रश्न उत्पन्न करता है, कि संवैधानिक प्रावधान इन्हे सुरक्षा और रोजगार प्रदान करने दिशा में विफल सिद्ध हो रहे हैं। समय समय पर शासन द्वारा मानव तस्करी नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु जनजातीय क्षेत्र में ये सारी गतिविधियॉ विफल होती जा रही हैं, इन्हीं का लाभ उठाकर दलालों के द्वारा आदिवासी किशोर एवं किशोरियों को बहलाया व फुसलाया जाता है, दलालों, एजेंसियों के लुभावने विज्ञापनों के झूठे झाँसें में आकर तस्करी जैसी घटनाओं में फंस जाती हैं, रायगढ़ एवं जशपुर जिला के तस्कर प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति और मानव तस्करी की चुनौतियों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय – जनगणना 2011 छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित जिला जशपुर जिसका दक्षिण पूर्वी भाग उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 753 मीटर है, इस जिले का कुल क्षेत्रफल 5838वर्ग किलोमीटर है। 2011की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 8,51, 669 व जनसँख्या घनत्व 150 किलोमीटर प्रति व्यक्ति है, इस जिले में महिला पुरुष अनुपात 1004 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है, जिले की साक्षरता दर 68.7 प्रतिशत है, व जनजातीय जनसंख्या 5,30,378 कुल जनसंख्या का 62.27 प्रतिशत, जशपुर जिले में 8 क्लॉक, बगीचा, दुलदुला, फरसाबहार जशपुर, कांसाबेल, कुनकुरी, मनोरा हैं।[4]

साहित्य समीक्षा

नायर पी.एम.[5] की पुस्तक "राष्ट्रीय मानव अधिकार" संबंधी अध्ययन कमीशन अनुसंधान परियोजना (NHRC&UNIFEM) 2016 के आधार पर सामाजिक विज्ञान संस्था द्वारा संचालित किया गया। इनका अध्ययन कानून की कमियाँ कानून प्रवर्तन नीतियों की असफलता तथा प्रवासन की मजबूत कड़ी को चित्रित करता है। मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भारत में इनकी स्थिति अच्छी नही है।

वर्मा दिनेश नारायण[6] भारत जैसे देश से मानव तस्करी समाप्त करना है, तो सबसे आवश्यक यह है, कि विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित किया जाए जैसे पुलिस व प्रशासन के मध्य। इनके साथ साथ गरीबी एवं अशिक्षा ऐसे अपराधों को आश्रय देते हैं, अतः अपराधों के कारणों को उत्पन्न करने वाली सामाजिक समस्याओं को भी समाप्त करना अति आवश्यक होगा।

मोहंती के.आर.[7] ने अनूसूचित जनजाति की महिलाओं एवं बच्चियों की तस्करी के कारणों का विश्लेषण किया है। ज्ञात हुआ कि कमजोर वर्ग की महिलाएं तथा लड़कियाँ इस जटिल मानवीय पीड़ा से गुजरती हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ निम्न स्थिति जताकर भेदभाव किया जाता है। महिलाओं व लड़कियों के पास सम्मानपूर्वक जीवन जीने का कोई विकल्प नही होता तब ये मानव तस्करी के शिकार होती हैं, उसके बाद सामाजिक तिरस्कार, बंधुवा मजदूर व एड्स जैसी बीमारियों के साथ जीवन जीने को मजबूर किया जाता है।

मिश्रा वीरेन्द्र[8] के अध्ययन 'मानव तस्करी से संपर्क और नीति व कानून' से ज्ञात हुआ कि कानूनी प्रक्रिया वह सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं, जैसी सुरक्षा की उम्मीद पीड़ित करता है। शासन से अपराधियों के विरूद्ध जाने पर जान का खतरा बना रहता हैं, जिसके परिणामस्वरुप तस्करी से पीड़ित व्यक्ति कानून की सहायता लेने के लिये नहीं सोच पाता है। शासन के द्वारा तस्करी रोकथाम हेतु

जो कानून बनाए गए हैं, उनका समय पर क्रियान्वयन न हो पाना तस्करी जैसे अपराध को बढ़ावा देता है। पीड़ितों के हौसलों को कम करती हैं, अपराध पंजीबद्ध करवाने पर आगे नुकसान के डर से पीड़ित दबाव का अनुभव करते हैं। मानव तस्करी से संघर्ष नीति व कानून का सही संचालन आवश्यक हैं, पीड़ितों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान हेतु कार्यवाही किया जाना तथा समय पर नीति व कानूनों का क्रियान्वयन अति आवश्यक है।

देव हिमिका[9] के अध्ययन का उद्देश्य मानव तस्करी जैसे अपराधों के घटित होने के कारणों को ज्ञात करना है, भारत व पश्चिम बंगाल में तस्करी की वर्तमान स्थितियों को ज्ञात करना तथा तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए शासन की भूमिका का अध्ययन करना है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि, मानव तस्करी की भारत व प. बंगाल में तस्करी का मुख्य कारण, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, लिंग आधारित भेद-भाव, कानून की शिथिलता, घरेलू हिंसा आदि हैं। प्रतिवर्ष सीमावर्ती देशों नेपाल, भूटान आदि में महिलाओं की तस्करी बड़ी संख्या में होती है। शासन द्वारा तस्करी जैसे अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कानून आवश्यक हैं तथा एन.जी.ओ. के माध्यम से निगरानी की विशेष आवश्यकता है, वहीं तस्करी से प्रभावित पीड़ितों के पुर्नवास हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। रोजगारमुखी योजनाओं का क्रियान्वयन अति आवश्यक हैं, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त हो सकें, व सीमावर्ती क्षेत्रों में उचित निगरानी प्रबन्ध की आवश्यकता हैं।

जनजातीय समुदाय में तस्करी की समस्या बेहद आम समस्या बन चुकी है, कहीं न कहीं शासन का अनदेखापन, कानून व्यवस्था में कमी व अपराध को रोकने हेतु विभिन्न संस्थाओं में ताल मेल की कमी होना है। ऐसे अपराधों के बढने का कारण अशिक्षा, गरीबी, बेरोजागारी है। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है।

अध्ययन पद्धति :- प्रस्तुत अध्ययन छतीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला के मानव तस्करी से पीड़ित जनजाति परिवारों पर आधारित है। जनजाति परिवारों का चयन उदेश्यपूर्ण निदर्शन द्वारा 60 तस्करी पीड़ितों का चयन किया गया है। तथ्यों का संकलन प्राथमिक व द्वितीय स्रोतों के द्वारा किया गया है, तथ्यों के संकलन हेतु अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में जनजातियों के मानव तस्करी से पीड़ित होने की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यः- प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित रहे हैं

1. तस्करी प्रभावित जनजातीय परिवारों की सामाजिक स्थिति ज्ञात करना ।
2. जनजातियों कि आर्थिक स्थिति को ज्ञात करना ।
3. पीड़ितों में शिक्षा के स्तर को ज्ञात करना ।

कुप्पुस्वामी सामाजिक आर्थिक स्केल[10] : इस पैमाने का अविष्कार 1979 मे कुप्पीस्वामी द्वारा किया गया था, इस पैमाने के माध्यम से परिवार की मासिक आय का स्तर, शिक्षा का स्तर, व्यवसाय के स्तर को ज्ञात किया जाता है। इस पैमाने के माध्यम से शिक्षा, व्यवसाय, मासिक आय के स्तर को स्कोर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर शिक्षा का स्कोर 7-1 व व्यवसाय का स्कोर 7-1 वहीं मासिक आय का स्कोर 10-2 व सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्ग को उच्च, मध्य, निम्न द्वारा प्रदर्शित किया गया है, इस पैमाने के माध्यम से किसी भी परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन सरलता से किया जा सकता है।

शिक्षा का स्तर

शिक्षा प्रत्येक समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जनजातीय समाज में शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान समझा जाता है। आदिवासी समाज की शिक्षा का स्तर अन्य समाज की अपेक्षा बहुत ही पिछड़ा है। इन समाजों में कुछ वर्षो से शिक्षा का प्रसार हुआ है, परन्तु आंतरिक क्षेत्रों में, जहाँ पर मुख्य रूप से जनजातीय निवासरत गाँव हैं वहाँ पर, बुनियादी शिक्षा की स्थिति बेहाल है। वर्तमान समय मे शाला त्यागी जनजातीय बच्चों का अनुपात अन्य समाज की अपेक्षा बेहद चिन्ताजनक है। उत्तरदाताओं की शिक्षा की स्थिति को जानने का प्रयास किया है जो सारणी क्रमांक 01 में प्रदर्शित है।

कुप्पुस्वामी का सामाजिक आर्थिक स्केल

उतरदाताओं में शिक्षा का स्तर	स्कोर	उत्तरदाताओं के व्यवसाय का स्तर	स्कोर
स्नातकोतर या पेशेवर उपाधि	7	व्यवसाय	7
स्नातक उपाधि	6	छोटे व्यवसायी	6
हायर सेकेण्डरी	5	प्रबंधकीय कार्य	5
हाईस्कूल	4	कुशल कामगार	4
पूर्व माध्यमिक स्कूल	3	अर्ध कुशल कामगार	3
साक्षर,माध्यमिक स्कूल से कम	2	अकुशल कामगार	2
निरक्षक	1	बेरोजगार	1
उत्तरदाताओं के पारिवार की मासिक आय का स्तर	स्कोर	सामाजिक-आर्थिक स्थिति का वर्ग	स्कोर
>78603	10	Upper (I)	26-29
39,033-78,062	6	Upper middle (II)	16-25
29,200-39,032	5	Lower middle(III)	11-15
19,516-29,199	4	Upper lower (IV)	5-10
11,708-19,515	3	Lower (V)	<5
3908-11707	2		

सारणी क्रमांक-01
शिक्षा का स्तर

(क)उत्तरदाताओं में शिक्षा का स्तर	अंक	उतरदाता (N=60)		
		आवृति	प्रतिशत	कुप्पुस्वामी पैमाने के अनुसार अंक
स्नातकोतर या पेशेवर उपाधि	7	-	-	-
स्नातक उपाधि	6	-	-	-
हायर सेकेण्डरी	5	3	5	15
हाईस्कूल	4	6	10	24
पूर्वमाध्यमिक स्कूल	3	23	38.3	69
साक्षर, माध्यमिक स्कूल से कम	2	28	46.7	56
निरक्षर	1	3	5	3
कुल (क)		60	100	167
शिक्षा का अंक				2.78
शिक्षा का वर्ग				Lower (V)

सारणी संख्या 01 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है, कि मानव तस्करी से पीड़ितों में सर्वाधिक 46.7 प्रतिशत उत्तरदाता केवल साक्षर, माध्यमिक से कम स्कूल तक ही शिक्षा प्राप्त किये हुऐ हैं, 38.3 प्रतिशत पूर्व माध्यमिक शिक्षा व 10 प्रतिशत हाईस्कूल व 5 प्रतिशत हायर सेकेण्डरी की ही शिक्षा प्राप्त किये हुऐ हैं, अर्थात इस पैमाने के आधार पर परिवार की शिक्षा का स्तर निम्न Lower (V) होना पाया गया।

व्यवसाय का स्तर

व्यवसाय व्यक्ति के विचार, रहन-सहन, खान-पान, पहनावे आदि को प्रभावित करता है। विशेषकर व्यवसाय का स्तर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को वगीकृत करता है, कि वह उच्च है, अथवा निम्न है। उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों के व्यवसाय को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। जनजातीय वर्ग भी अपनी जीवनयापन हेतु किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं,

परन्तु इनका एक स्थिर व्यवसाय नहीं है। इनका जीवन मौसम आधारित व्यवसाय पर निर्भर होता है, मानसून आने पर कृषि व कृषि मजदूरी का कार्य किया जाता है ग्रीष्म काल में वन उपज संग्रहण कर व पशुपालन, आदि कर अपना जीवन चलातें हैं। उत्तरदाताओं के व्यवसाय से संबध में जानने का प्रयास किया है जो सारणी क्रमांक 02 में प्रदत्त है।

सारणी क्रमांक-02

व्यवसाय का स्तर

(ख) उत्तरदाताओ के व्यवसाय का स्तर	अंक	उतरदाता (N=60)		
		आवृति	प्रतिशत	कुप्पुस्वामी पैमाने के अनुसार अंक
व्यवसाय	7	–	–	–
छोटे व्यवसायी	6	09	15	54
प्रबंधकीय कार्य	5	–	–	–
कुशल कामगार	4	5	8.3	20
अर्ध कुशल कामगार	3	8	13	24
अकुशल कामगार	2	38	63.7	76
बेरोजगार	1	–	–	–
कुल (ख)		60	100	174
व्यवसाय का अंक				2.90
व्यवसाय का वर्ग				Lower (V)

सारणी संख्या 02 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है, कि सर्वाधिक 63.7 प्रतिशत उत्तरदाता अकुशल कामगार व 15 प्रतिशत छोटे व्यवसायी 13 प्रतिशत अर्ध कुशल कामगार एवं 8.3 कुशल कामगार व्यवसाय पर निर्भर हैं। कुप्पुस्वामी पैमाने पर आकलन करने पर जो अंक प्राप्त हुए उसमें अकुशल कामगार 76 अंक, छोटे व्यवसायी 54 अंक, अर्ध कुशल कामगार 24 अंक, 20 अंक कुशल कामगार को। इससे पैमाने के द्वारा आकलन करने पर स्पष्ट हुआ कि उत्तरदाताओं की व्यवसायिक स्थिति निम्न Lower (V) है।

मासिक आय का स्तर

जनजाति परिवार का व्यवसाय स्थिर नहीं होता है, सदैव मौसम आधारित व्यवसाय पर निर्भरता व योजना आधारित कार्य से धन की प्राप्ति की जाती है, जिससे आय गणना भी भिन्न-भिन्न होती है। इस समुदाय में कृषि मजदूरी, वन उपज आदि का कार्य करके आय प्राप्त की जाती है। अध्ययनरत जनजाति वर्तमान समय में भी आर्थिक रूप से पिछड़ी है। जनजातीय क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार के अवसरों की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के पालन पोषण हेतु गाँव व शहरों की ओर जाना पड़ता है,समय के साथ परम्परागत सम्पतियों का विभाजन होना भी आय के साधनों में कमी लाता है। आय का साधन स्थान क्षेत्र व आयु के आधार पर भिन्न हो सकती है। सूचनादाताओं की आय की स्थिति को सारणी क्रमांक 3 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी क्रमांक -03
पारिवार की मासिक आय का स्तर

(ग) उत्तरदाताओं के पारिवार की मासिक आय का स्तर	अंक	उतरदाता (N=60)		
		आवृति	प्रतिशत	कुप्पुस्वामी पैमाने के अनुसार अंक
>78603	10	-	-	-
39,033-78,062	6	-	-	-
29,200-39,032	5	-	-	-
19,516-29,199	4	-	-	-
11,708-19,515	3	-	-	-
3908-11707	2	13	21.6	26
3,907	1	47	78.4	47
कुल (x)		60	100	73
पारिवार की मासिक आय अंक				1.21
पारिवार की मासिक आय वर्ग				Lower (V)

सारणी संख्या 03 के विश्लेषण से स्पस्ट होता है, 78.4 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 3,907 से कम है, व 21.6 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 3908-11707 तक है। कुप्पूस्वामी पैमाने पर प्राप्त अंक क्रमशः 47 व 26 हैं, अर्थात इस पैमाने के आधार पर परिवार की मासिक आय का स्तर निम्न Lower (V) होना पाया गया ।

सामाजिक - आर्थिक स्थिति का वर्ग

किसी भी परिवार की शिक्षा व व्यवसाय, अर्जित की जाने वाली मासिक आय का स्तर परिवार की स्थिति को सामाजिक-आर्थिक रूप से प्रदर्शित करती है, जिसके आधार पर परिवारिक स्थिति का उच्च होना या निम्न होना ज्ञात होता है। परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन सारणी क्रमांक 4 में किया गया है।

सारणी क्रंमाक -04
सामाजिक - आर्थिक स्थिति का वर्ग

सामाजिक - आर्थिक स्थिति	कुप्पुस्वामी पैमाने के अनुसार अंक	प्रतिशत
(क) शिक्षा का अंक	167	2.78
(ख) व्यवसाय का अंक	174	2.90
(ग) पारिवार की मासिक आय अंक	73	1.21
कुल योग (क+ख+ग)	414	
सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अंक		6.89
सामाजिक-आर्थिक स्थिति का वर्ग	Upper lower (IV)	

उपर्युक्त पैमाने के अनुसार तस्करी से प्रभावित परिवारों का सामाजिक -आर्थिक वर्ग का विश्लेषण करने पर शिक्षा का स्तर, व्यवसाय व परिवारिक मासिक आय की गणना करने पर प्राप्त अंक क्रमश 167,174,73 प्राप्त हुआ, जिसका कुप्पूस्वामी सामाजिक आर्थिक पैमानें पर Upper lower (IV) वर्ग होना ज्ञात हुआ।

मूलभूत आवश्यक सुविधाएँ

अध्ययन में मानव तस्करी से प्रभावित परिवार में दैनिक जीवन की मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को ज्ञात करने का प्रयास किया गया जो निम्नानुसार

पाई गईं -

मूलभूत सुविधाएँ

आवासीय मूलभूत सुविधाओं में सोने के लिए खाट व चटाई, बैठने के लिए पीढ़ा कहीं-कहीं पालस्टीक की कुर्सी देखने को मिली, दैनिक उपयोग के बर्तन में स्टील एल्युमीनियम, कांसे की उपल्बधता देखने को मिली। विद्युत व्यवस्था, शासन से प्राप्त शौचालयों की उपलब्धता देखी गयी परन्तु पानी के अभाव में इसका उपयोग घरेलू, अतिरिक्त सामानों को रखनें में किया जाता है, जिसमें जलाऊ लकड़ी, छेना देखने को मिला।

सारणी क्रमांक -05

मूलभूत सुविधाएँ

परिवार में भौतिक सुविधाएँ	हाँ आवृत्ति/प्रतिशत	नहीं आवृत्ति/प्रतिशत	योग आवृत्ति/प्रतिशत
कुर्सी	22/36.6	38/63.4	60/100
गैस सिलेन्डर	20/33.4	40/66.6	60/100
पलंग	07/11.6	53/88.4	60/100
मोटर साइकिल	11/18.3	49/81.7	60/100
आलमारी	06/10	54/90	60/100
टेलीविजन	03/5	57/95	60/100
कुकर	05/8.4	55/91.6	60/100
पंखा	06/10	54/90	60/100
फ्रिज	03/5	57/95	60/100
मोबाइल	47/78.3	13/21.7	60/100
मिक्सी	02/3.4	58/96.6	60/100

सारणी संख्या 05 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 88.4 प्रतिशत उतरदाताओं के पास पलंग उपलब्ध हैं, व 5 प्रतिशत उतरदाताओं के पास सोने हेतु किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, एवं घरेलू संचार सुविधा के रूप में 78.3 प्रतिशत उतरदाताओं के पास मोबाईल की सुविधा उपलब्ध है, 13 प्रतिशत के पास किसी भी प्रकार की संचार सुविधा नहीं है, बैठक व्यवस्था के रूप में 36.6 प्रतिशत के घरों में कुर्सी पायी गयीं व 63.4 प्रतिशत के पास किसी भी प्रकार की बैठक हेतु कुर्सी न होना ज्ञात हुआ, 33.4 प्रतिशत के पास घरेलू उपयोग हेतु गैस सिलेंडर उपलब्ध होना ज्ञात हुआ व शेष 66.6 प्रतिशत परिवारों के पास गैस सिलेंडर न होना ज्ञात हुआ, आवागमन सुविधा के रूप में 30 प्रतिशत के पास साइकिल पायी गयी व 18.31 प्रतिशत के घरों में मोटरसाईकिल होना ज्ञात हुआ, शेष 81.7 प्रतिशत के पास किसी भी प्रकार की आवागमन सुविधा न होना ज्ञात हुआ, 5 प्रतिशत उतरदाताओं के पास फ्रिज, 5.0 पलंग, अलमारी जैसी वस्तु उपलब्ध न होना पाया गया, अन्य भौतिक वस्तुऐं कम ही तस्करी प्रभावित परिवारों के पास होना पाया गया।

आवास का प्रकार :

समान्यतः मैदानी क्षेत्र के गाँव कस्बों में आवास के स्वरूपों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, कच्चे, अर्द्ध-पक्के मकान बहुलतः दिखाई देते हैं। अध्यनगत उत्तरदाताओं के आवास की प्रकृति जिसमें प्रमुखतः तीन प्रकार के आवास देखने को मिलते हैं, प्रथम प्रकार का आवास छोटे आकार का जिसमें दो कमरे व बाजू में एक झोपड़ी नुमा आवास, दूसरे प्रकार के आवास में बीच में आँगन के चारों ओर निर्मित आवास में चार से सात कमरे तक तथा तीसरे प्रकार का आवास अर्द्ध पक्का जिसमें कुछ कमरें पक्के, कुछ अर्द्ध पक्के और कच्चे कमरे आवास देखने में पाये गये। आवासीय व्यवस्था इनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठिभूमि को प्रदर्शित करती है। यह तथ्य उनकी आर्थिक पृष्ठिभूमि को निर्धारित करता है। इन आवासों में विद्युत की उपलब्धता के नाम पर एकल

बत्ती की सुविधा उपल्बध है।

सारणी क्रमांक -06
आवास का प्रकार

आवास का प्रकार	हाँ आवृत्ति/प्रतिशत	नहीं आवृत्ति/प्रतिशत	योग आवृत्ति/प्रतिशत
कच्चा	56/93.4	04/6.6	60/100
अर्ध कच्चा	04/6.6	56/93.4	60/100
विधुत(एकल बत्ती)	48/80	12/20	60/100

सारणी संख्या 06 आवास के प्रकारों का विशलेषण करने पर ज्ञात हुआ कि सर्वाधिक 93.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास कच्चा आवास होना पाया गया तथा अर्द्ध कच्चा आवास केवल 6.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास ही उपलब्ध है।

निष्कर्ष : उतरदाताओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का कुप्पुस्वामी स्केल -2019 द्वारा जाँच करने पर ज्ञात हुआ कि तस्करी पीड़ित परिवार में शिक्षा का स्तर 1.72 अंक है, जो शिक्षा का वर्ग- Lower (V) पाया गया, जो निम्न शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार व्यवसाय का स्तर 2.90 अंक है, जिसका संबंध Lower (V) वर्ग से है। अध्ययनरत पीड़ित जनजातीय परिवारों में शिक्षा का स्तर निम्न है व रोजगार का स्तर 2.90 निम्न श्रेणी का है। पारिवार की मासिक आय का स्तर 1.21 है, जो कि निम्म-श्रेणी को प्रदर्शित करता है। सामाजिक- आर्थिक स्तर पर स्थिति Upper lower (IV) होना पाया गया, उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि जनजातीय समुदाय में शिक्षा, रोजगार की सुविधाओं की कमी, आय के साधनों की कमी के परिणाम स्वरुप मानव तस्करी जैसी समस्या उत्पन्न होती है।

अध्ययन से ज्ञात हुआ, कि अधिकांश तस्करी पर शोध सामान्य वर्ग समूह पर अधिक देखने को मिले, तस्करी से जनजातीय वर्ग भी प्रभावित होते हैं, परन्तु इस वर्ग की ओर ध्यान कम ही गया है, यहाँ पर जनजातियों में तस्करी की बात की जाये तो शिक्षितों की अपेक्षा कम पढ़े लिखें अधिक प्रभावित पाए गये, जिसमें पीड़ित या तो प्राथमिक या माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षित पाए गये। जनजातियों में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी ही मुख्य कारण है, जिसके परिणाम स्वरुप मानव तस्करी जैसे अपराध में फंसतें चले जाते हैं, शिक्षा की कमी से इनमें जागरूकता का अभाव होना व निम्न आर्थिक जीवन स्तर को सुधारनें के प्रयास के साथ साथ एजेंसी के झूठे व बहकावे विज्ञापनों में आना जनजातियों को अपराध के जाल में फंसने का मुख्य कारण बन रहा है, जनजातीय विकास हेतु बनाई गई योजनाओं का सही समय पर क्रियान्वयन न हो पाना भी ऐसे अपराधों को बढ़ावा देते हैं।

सन्दर्भ

1. www.census 2011 co.in.
2. Vidushi, V., *'Human Trafficking In India :An Analysis'*,. International Journal of Applied Research , 2016 v:2(6) pp.168-171
3. Kujur, Nister, *'Tribal Woman Trapped in the Clutches of Human Traffickers in Search with Special Reference to the State of Chhattisgarh'*. In S. Choudhary, Crime against tribal woman 2017 (pp. 129-143). New Delhi : Concept Publishing Company (P) LTD. v :1
4. मोहंती के आर. अनुसूचित जनजातीय संवर्ग की महिलाओं एवं बच्चियों की तस्करी के कारण एवं विश्लेषण उड़ीसाः चौधरी में, एन.एस. के संदर्भ में आदिवासी महिलाओं के विरूद्ध अपराध, कॉन्सेप्ट, नई दिल्ली, 2017, पृ. 96-39
5. हिमीका, द, 'मानव तस्करी व्यापार पर विशेष बल भारत व पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में', जर्नल ऑफ ह्यूमिनिटीज़ एण्ड सोशल साइंस, 2017 वाल्यूम 5, पृ. 40-46
6. मिश्रा वी, 'मानव तस्करी से संघर्ष और नीति व कानून, सेज पब्लिकेशन, 2017, पृ. 41-48
7. Janani, G.S. 'भारत में मानव तस्करी', International Journal of Pure andApplied Mathematics , 2018 p.43-55.
8. Prakash, C.D. *'A Study of Human Trafficking In India: An overview'*. International Journal in Management and Social Science , 2019 pp.1-10.
9. Sharma, S. *'Awareness Regarding Girl Trafficking Among Adolescent Girl of Selected School, Nepal'*, Journal of Nursing and Health Science, 2021 pp. 27-32.
10 Saleem. S.M. *'Modified Kuppuswamy Socioeconomic Scale Updated for the Year 2019'*, Indian Journal of Forensic Community Medicine, v 6:2019, pp 1-3.
11. Ibid., pp. 1-3.

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

हरियाणा में जैविक खेती को प्रभावित करने वाले कारक

❑ सुश्री ज्योति सांगवान

परंपरागत रूप से अपनाई जाने वाली जैविक खेती एक विकल्प के रूप में आई है, फिर भी आधुनिक कृषि से जुड़े किसान इसे अपनाने से झिझकते हैं। इसलिए, जैविक खेती का ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास जैविक खेती पर परिवर्तन करने की उनकी इच्छा को बहुत प्रभावित करता हैं। प्रस्तुत अध्ययन किसानों के जैविक कृषि पद्धतियों के ज्ञान पर केंद्रित है और हरियाणा राज्य में जैविक खेती पद्धतियों को प्रभावित करने वाले कारकों की भी खोज करता है। द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर, शोधकर्ता ने हरियाणा राज्य के छः जिलों का चयन किया जहाँ सबसे अधिक संख्या में किसान जैविक खेती कर रहे हैं। शोधकर्ता ने उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक जिले से 50 किसानों (25 जैविक किसान और 25 गैर-जैविक किसान) का चयन किया। सभी चयनित जिलों में अधिकांश चयनित जैविक किसानों के लिए जैविक खेती की पद्धतियाँ नई थीं। इसलिए, विभिन्न जैविक प्रथाओं से संबंधित जैविक किसानों का समग्र ज्ञान स्तर मध्यम था। अध्ययन में पाया गया कि किसानों की आय, शिक्षा स्तर, भूमि जोत और जैविक प्रथाओं के साथ अनुभव किसानों के ज्ञान मापन से महत्वपूर्ण और सकारात्मक रूप से संबंधित थे। तात्पर्य यह है कि ये चर अध्ययन क्षेत्र में जैविक किसानों के उच्च ज्ञान मापन को जन्म देते हैं।

सूचक शब्द : ज्ञान, जैविक पद्धतियाँ, अनुभव, खरपतवार और कीट प्रबंधन।

विश्व में भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। देश के कुल कार्यबल का आधे से अधिक हिस्सा कृषि और उनके सहायक क्षेत्रों जैसे मत्स्य पालन, वानिकी आदि में व्यस्त है। कृषि क्षेत्र समग्र आर्थिक विकास और देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि में किसी भी बदलाव का परिणाम लोगों के जीवन और प्रकृति पर पड़ेगा। पिछले कुछ दशकों में खेती के तरीकों में तेजी से बदलाव आया है। इन परिवर्तनों को कृषि में पारंपरिक ज्ञान के स्थान पर मशीनरी और रासायनिक प्रौद्योगिकी के प्रभुत्व द्वारा वर्णित किया गया है।

हरितक्रांति के दौरान कृषि में बड़ा बदलाव आया। इस तरह के बदलाव के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट, जैव-विविधता की हानि और अन्य समस्याएं उत्पन हुई हैं। इस कारण परंपरागत रूप से अपनाई जाने वाली जैविक खेती एक विकल्प के रूप में आई है। जैविक खेती पर ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास जैविक खेती पर बदलाव करने की उनकी इच्छा को बहुत प्रभावित करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन जैविक खेती प्रथाओं के बारे में किसानों के ज्ञान पर केंद्रित है और हरियाणा राज्य में जैविक खेती प्रथाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की भी खोज करता है।

उद्देश्य :

1. हरियाणा में जैविक खेती पद्धतियों के बारे में किसानों के ज्ञान का आकलन करना।
2. हरियाणा में जैविक खेती पद्धतियों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना।
3. हरियाणा में जैविक खेती पद्धतियों पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को देखना।

साहित्य समीक्षा :

सावरी, एम, इब्राहिमी मेमंद, आर और मोहम्मदी- कानिगोलजार, एफ[1] द्वारा उन कारकों का विश्लेषण किया गया जो ईरान में किसानों द्वारा जैविक खेती के संचालन को प्रभावित कर रहे थे। इस अध्ययन में पाया गया कि खेती के कार्य अनुभव, साक्षरता, जैविक खेती के प्रति दृष्टिकोण और जैविक खेती के बारे में जागरूकता स्तर के शैक्षिक प्रकाशन उपयोग के चर की सहायता से जैविक खेती कार्यों के उपयोग के बीच एक सकारात्मक महत्वपूर्ण संबंध है। **मोंडल एस.,** हैटूक टी. और सिमराक्स एस[2] ने पूर्वोत्तर थाईलैंड में जैविक सब्जियों की खेती के प्रति किसानों के ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास पर एक प्रयास किया। शोध पत्र का निष्कर्ष है कि जैविक सब्जियों के बारे में ज्ञान का स्तर ऊंचा है और जैविक सब्जियों के व्यवस्थित

❑ सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, वैश्य महिला महाविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)

प्रबंधन को समझने के लिए यह आवश्यक है।

पाटीदार एस., और पाटीदार एच[3] ने मध्य प्रदेश में जैविक खेती के संबंध में किसानों के दृष्टिकोण का अध्ययन करने का प्रयास किया। अध्ययन में जनसांख्यिकीय विशेषताओं, जैविक खेती के लिए आवश्यक ज्ञान, जैविक खेती पर जानकारी के स्रोत, जैविक खेती के बारे में किसानों के दृष्टिकोण और धारणा की जाँच की गई। अध्ययन से पता चला कि आयु, शैक्षिक पृष्ठभूमि, खेत के आकार, जैविक खेती के लाभ और सामाजिक कारकों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों के साथ जैविक खेती के बारे में सकारात्मक धारणा थी।

हमीद टी.एस., सविक्का बी[4] का उद्देश्य ओटवॉक जिले के वावर और वियाजोना समुदाय में जैविक खेती के आर्थिक और उत्पादन पहलू के बारे में किसानों के ज्ञान को निर्धारित करना था। लेखक ने जैविक खेती के आर्थिक और उत्पादन पहलू के बारे में किसानों के ज्ञान और आयु, शिक्षा स्तर, कृषि क्षेत्र, कृषि में काम के वर्ष, कार्यकाल के प्रकार और मित्रों और रिश्तेदारों, फोन, इंटरनेट, किसान संघ, कृषि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि जैसे कृषि सूचना स्रोतों के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश की। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि जैविक खेती के बारे में किसानों का ज्ञान कई गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं और जैविक खेती के पहलुओं में क्षेत्र दिवसों में किसानों की भागीदारी के कारण हो सकता है। अध्ययन से पता चला कि किसानों के ज्ञान और आयु, शिक्षा स्तर और कृषि में काम के वर्षों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध था, जबकि जैविक खेती के बारे में किसानों के ज्ञान और स्वामित्व के प्रकार, कृषि खेती क्षेत्र और कृषि सूचना स्रोतों जैसे चर के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं था।

देवी, एस.के[5] ने भारत में जैविक खेती के प्रति किसानों के दृष्टिकोण पर अध्ययन का एक प्रयास किया। परिणामों से पता चला कि अधिकांश किसान जैविक खेती के बारे में जागरूक हैं और उन्हें पत्रिकाओं/समाचार पत्रों के माध्यम से जैविक खेती के बारे में पता चला।

कार्यप्रणाली : द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर, शोधकर्ता ने हरियाणा राज्य के छह जिलों का चयन किया जहाँ सबसे अधिक संख्या में जैविक खेती करने वाले किसान हैं। चयनित जिलों के नाम हैं - जीन्द, कैथल, कुरूक्षेत्र, झज्जर, गुरूग्राम और पलवल। जैविक खेतों के किसानों के बारे में जानकारी हैफेड, एपीडा और साहित्य की समीक्षा से एकत्र की गई थी। शोधकर्ता ने उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक जिले से 50 किसानों (25 जैविक किसान और 25 गैर-जैविक किसान) का चयन किया। जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न मापदंडों में विभाजित किया गया है जैसे, जैविक खेती के बारे में ज्ञान, खरपतवार और कीट प्रबंधन, जैविक खाद और फसल अवशेषों का उपयोग, जैविक उर्वरक और प्रमाणन प्रक्रिया आदि। जैविक खेती प्रथाओं को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना भी महत्वपूर्ण था। इसके लिए पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना विभिन्न चर जैसे आयु, आय, शिक्षा, व्यवसाय, भूमि जोत, अनुभव, सूचना स्रोत, प्रशिक्षण आदि के बीच की गई है और यह पहचानने का प्रयास किया गया है कि कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण था और कौन सा जैविक खेती प्रथाओं को प्रभावित कर रहा था। जैविक कृषि पद्धतियों पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को देखने के लिए मल्टीपल डमी रिग्रेशन विश्लेषण का उपयोग किया गया है।

परिणाम और चर्चा :

तालिका नंबर-1

हरियाणा में जैविक और अजैविक खेती की प्रकृति

खेती की प्रकृति	संख्या	प्रतिशत
पूरी तरह	83	55.3
आंशिक रूप से	67	44.7
कुल	150	100

तालिका-1 हरियाणा राज्य में चयनित किसानों के बीच जैविक और गैर-जैविक खेती की प्रकृति को अलग करती है। आंकड़ों से पता चलता है कि 55.3 प्रतिशत किसान अपने खेतों में पूरी तरह से जैविक खेती में व्यस्त थे, और 44.7 प्रतिशत किसान जैविक और गैर-जैविक दोनों तरह की खेती में व्यस्त थे। किसानों ने कदम दर कदम हर साल अपना जैविक क्षेत्र बढ़ाया।

तालिका नंबर-2

जैविक खेती के अनुभव का वर्षवार वर्गीकरण

वर्ष	संख्या	प्रतिशत
5 वर्ष तक	64	42.67
5-10 वर्ष	63	42
10 वर्ष से ऊपर	23	15.33
कुल	150	100

एक कहावत है कि 'अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक है', वर्षों की अवधि में प्राप्त जैविक खेती का अनुभव कृषि में तर्कसंगत निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और किसी नवाचार की स्वीकृति या अस्वीकृति में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य कर सकता है। खेती के अनुभव के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग आधे अर्थात् 42.67 प्रतिशत जैविक किसानों के पास जैविक खेती प्रथाओं में 5 साल तक का अनुभव था। इसके बाद चयनित जैविक किसानों में से 42 प्रतिशत किसान थे जिनके पास 5 से 10 साल का खेती का अनुभव था और 15.33 प्रतिशत किसान थे जिनके पास जैविक खेती में क्रमशः 10 साल से अधिक का खेती का अनुभव था।

तालिका नंबर-3
जैविक खेती की जानकारी के स्रोत

स्रोत	संख्या	प्रतिशत
मित्र	58	38.7
कृषि, संगठन	53	35.3
अन्य	39	26.0
कुल	150	100

तालिका-3 किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी के स्रोतों के वितरण को दर्शाती है। कुल 150 जैविक किसानों में से 38.7 प्रतिशत किसान अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से प्रेरित थे जो पहले से ही अपने खेतों में जैविक प्रथाओं में व्यस्त थे। 35.3 प्रतिशत किसान ऐसे थे जिन्होंने कृषि संगठनों से जैविक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की। और शेष 26 प्रतिशत किसानों को हरियाणा राज्य के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी, इंटरनेट आदि जनसंचार माध्यमों से जैविक खेती के बारे में जानकारी मिली।

तालिका-4
जैविक कृषि पद्धतियों के बारे में किसानों (जैविक खेती करने वाले) का ज्ञान
संख्या =150

जैविक खेती पद्धतियां	श्रेणी	स्कोर रेंज	आवृत्ति	प्रतिशत	औसत स्कोर	ज्ञान %	रैंक
ओ.एफ. की अवधारणा के बारे में ज्ञान	जागरूक नहीं है कम जागरूक दृढ़तापूर्वक- जागरूक	0 1 2	0 50 100	0 33.3 66.7	1.67	83.33	V
खरपतवार प्रबंधन	जागरूक नहीं है कम जागरूक दृढ़तापूर्वक- जागरूक	0 1 2	0 22 128	0 14.7 85.3	1.85	92.67	II
कीट प्रबंधन	जागरूक नहीं है कम जागरूक दृढ़तापूर्वक- जागरूक	0 1 2	0 19 131	0 12.7 87.3	1.87	93.67	I
जैविक खाद एवं फसल अवशेषों का उपयोग	जागरूक नहीं है कम जागरूक दृढ़तापूर्वक- जागरूक	0 1 2	2 24 124	1.3 16 82.7	1.81	90.67	III
कृमि खाद	जागरूक नहीं है कम जागरूक दृढ़तापूर्वक- जागरूक	0 1 2	18 93 39	12 62 26	1.14	57	VII
जैविक खाद (जीव-अमृतकाडथ, नीम केक, एफवाईएम आदि)	जागरूक नहीं है कम जागरूक दृढ़तापूर्वक- जागरूक	0 1 2	2 26 122	1.3 17.3 81.4	1.80	90	IV
प्रमाणीकरण	जागरूक नहीं है कम जागरूक दृढ़तापूर्वक- जागरूक	0 1 2	14 82 54	9.3 54.7 36	1.27	63.33	VI

तालिका 4 समग्र हरियाणा में जैविक खेती पद्धतियों के बारे में जैविक किसानों के ज्ञान के स्तर को बताती है। तालिका से पता चलता है कि 33.3 प्रतिशत जैविक किसान कम जागरूक थे और 66.7 प्रतिशत जैविक किसान जैविक खेती प्रथाओं की बुनियादी अवधारणा के बारे में दृढ़ता से जागरूक थे। जैविक कृषि पद्धतियों की आधारभूत अवधारणा के बारे में जैविक किसानों का औसत ज्ञान स्कोर 1.67 था और ज्ञान प्रतिशत 83.33 था। इसने समग्र हरियाणा में जैविक किसानों की रैंकिंग क्रम में पांचवाँ रैंक प्राप्त किया। तालिका से पता चलता है कि 85.3 प्रतिशत जैविक किसान पूरी तरह से जागरूक थे और केवल 14.7 प्रतिशत जैविक किसान खरपतवार प्रबंधन के बारे में कम जागरूक थे। खरपतवार प्रबंधन के बारे में जैविक किसानों का औसत स्कोर 1.85 था और ज्ञान प्रतिशत 92.67 प्रतिशत था और यह रैंकिंग क्रम में दूसरे स्थान पर था, क्योंकि कुछ किसानों ने स्वीकार किया कि खरपतवार प्रबंधन में उनके सामने समस्याएँ आईं और उन्होंने समग्र रूप इसे हल करने का प्रयास किया। तालिका से पता चलता है कि 87.3 प्रतिशत जैविक किसान पूरी तरह से जागरूक थे और 12.7 प्रतिशत जैविक किसान कीट प्रबंधन के बारे में कम जागरूक थे। औसत स्कोर 1.87 था और कीट प्रबंधन के बारे में जैविक किसानों का ज्ञान प्रतिशत 93. 67 प्रतिशत था और यह समग्र हरियाणा में रैंकिंग क्रम में पहले स्थान पर था। जैविक खेती में, किसी फसल के सफलतापूर्वक उत्पादन के लिए जैविक खाद और उर्वरक का सही और पर्याप्त अनुपात बहुत महत्वपूर्ण था। पूरे हरियाणा में 82.7 प्रतिशत जैविक किसान पूरी तरह से जागरूक थे, 16 प्रतिशत जैविक किसान कम जागरूक थे और केवल 1.3 प्रतिशत जैविक किसान जैविक खाद और फसल अवशेषों के उपयोग के बारे में नहीं जानते थे। जैविक खाद और फसल अवशेषों के उपयोग के बारे में जैविक किसानों का औसत स्कोर 1.81 और ज्ञान प्रतिशत 90.67 था और इसने रैंकिंग क्रम में तीसरी रैंक हासिल की। भारतीय कृषि में वर्मीकम्पोस्ट का उपयोग नहीं होता था इसलिए किसानों को इसके बारे में जानकारी कम थी और वे इसे बाजार से खरीदते थे। इस से संबंधित जैविक किसानों का ज्ञान प्रतिशत 57 था और यह रैंकिंग क्रम में 1.14 औसत स्कोर के साथ सातवें स्थान पर पाया गया। 62 प्रतिशत किसान ऐसे थे जो कम जागरूक थे, केवल 26 प्रतिशत किसान ही पूरी तरह से जागरूक थे और 12 प्रतिशत किसान वर्मीकम्पोस्ट के बारे में जागरूक नहीं थे। समग्र हरियाणा में केवल कुछ ही किसान थे जो अपनी जैविक कृषि पद्धतियों में वर्मीकम्पोस्ट का उपयोग करते थे।

तालिका यह भी दर्शाती है कि जैविक उर्वरक जैसे, जीव-अमृत काथय की तैयारी के बारे में ज्ञान प्रतिशत नीम की खली फार्म यार्ड खाद (FYM), आदि 90 पाया गया और औसत स्कोर 1.80 था। यह समग्र हरियाणा में जैविक खेती प्रथाओं के बीच रैंकिंग क्रम में चौथे स्थान पर था। 81.4 प्रतिशत जैविक किसान ऐसे थे जो जैविक उर्वरकों के बारे में पूरी तरह से जागरूक थे और वे उन्हें अपने खेतों में बनाने और उनका उचित उपयोग करने में भी कुशल थे। 17.3 प्रतिशत किसान ऐसे थे जो कम जागरूक थे और 1.3 प्रतिशत किसान ऐसे थे जो जैविक उर्वरकों के बारे में नहीं जानते थे। आंकड़ों से पता चलता है कि जैविक खेती के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के बारे में ज्ञान 63.33 प्रतिशत पाया गया और समग्र हरियाणा में 1.27 औसत स्कोर के साथ रैंकिंग क्रम में छठा स्थान दिया गया। अध्ययन से यह बात सामने आई कि 36 प्रतिशत जैविक किसानों को प्रमाणन ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी थी। समग्र हरियाणा में 54.67 प्रतिशत किसान कम जागरूक थे और 9.33 किसान जैविक उत्पादों के बारे में प्रमाणन ज्ञान से अनभिज्ञ थे। अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि समग्र हरियाणा में जैविक खेती का ज्ञान स्कोर उच्च स्तर का था।

तालिका - 5

हरियाणा में जैविक प्रथाओं के ज्ञान स्तर और इसे प्रभावित करने वाले चर के बीच संबंध

चर	पियर्सन के सहसंबंध गुणांक
आयु	.023
आय	.281**
शिक्षा	.262**
किसानों के पिताओं का व्यवसाय	.103
भूमि जोत	.188*
अनुभव	.265**
जैविक खेती के सूचना स्रोत	.037
जैविक पद्धतियों का प्रशिक्षण	.094

** सहसंबंध 0.01 स्तर (2-पूंछ) पर महत्वपूर्ण है

*सहसंबंध 0.05 स्तर (2-पूंछ) पर महत्वपूर्ण है।

जैविक कृषि पद्धतियों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना भी महत्वपूर्ण था। इसके लिए पियर्सन सहसंबंध गुणांक की गणना विभिन्न चर जैसे आयु, आय, शिक्षा, व्यवसाय, भूमि जोत, अनुभव, सूचना स्रोत, प्रशिक्षण आदि के बीच की गई है और यह पहचानने का प्रयास किया गया है कि कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण था और कौन सा कारक जैविक खेती प्रथाओं को प्रभावित कर रहा था। डेटा इंगित करता है कि शिक्षा का जैविक खेती प्रथाओं के संबंध में जैविक किसानों के ज्ञान के साथ सकारात्मक और महत्वपूर्ण सहसंबंध 0.262** था। जैविक किसानों की वार्षिक आय और जैविक कृषि पद्धतियों के संबंध में ज्ञान के बीच 0.281** का सकारात्मक और महत्वपूर्ण संबंध भी है। तात्पर्य यह है कि उच्च स्तरीय आय और शिक्षा से खेती का ज्ञान होता है।

किसानों की भूमि जोत का जैविक कृषि पद्धतियों के ज्ञान के साथ सकारात्मक और महत्वपूर्ण सहसंबद्ध 0.188* है। इसका तात्पर्य यह है कि छोटे जमींदारों की तुलना में बड़े किसान आसानी से जैविक खेती को अपना लेते हैं और उनके ज्ञान का स्तर भी ऊंचा होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भूमि स्वामित्व से किसान के ज्ञान में वृद्धि होती है। आंकड़े यह भी इंगित करते हैं कि जैविक खेती के अनुभव का जैविक खेती प्रथाओं के ज्ञान के साथ सकारात्मक और महत्वपूर्ण सहसंबंध 0.265** था। यह अध्ययन दर्शाता है कि अनुभव मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अधिक वर्षों के अनुभव का अर्थ है जैविक कृषि पद्धतियों के संबंध में उच्च स्तर का ज्ञान। हालाँकि, शेष सभी कारक, आयु, किसान के परिवार का व्यवसाय इतिहास और जैविक किसानों के लिए सूचना स्रोत और प्रशिक्षण जैविक खेती प्रथाओं के संबंध में जैविक किसानों के ज्ञान स्तर के साथ सकारात्मक लेकिन गैर-महत्वपूर्ण संबंध दिखा रहे थे।

तालिका-6

जैविक कृषि पद्धतियों के ज्ञान स्तर पर स्वतंत्र चर का प्रभाव

गुणांक	अनुमान	मानक त्रुटि	't'-मान	Pr (>|t|)
अवरोधन	10.25	0.84	012.14	< 2e-16 ***
आयु	0.004	0.01	0.40	0.686
आय	0.065	0.05	1.28	0.200
सेनि. सेक. शिक्षा	0.320	0.37	0.85	0.396
उच्च शिक्षा	1.106	0.43	2.56	0.011 *
अनुभव 6 से 12 वर्ष	0.873	0.31	2.77	0.006 **
12 वर्ष से अधिक का अनुभव	0.825	0.41	2.01	0.046 *
व्यवसाय गैर-कृषि	-0.03	0.34	-0.11	0.907
भूमि जोत 3 से 7 एकड़	0.53	0.33	1.59	0.113
7 एकड़ से अधिक भूमि जोत	0.32	0.41	0.76	0.446
सूचना कृषि संगठनों द्वारा	-0.91	0.32	-2.81	0.005 **
अन्य जानकारी	-0.27	0.35	-0.79	0.430
प्रशिक्षण (हाँ)	0.723	0.56	1.28	0.202

अवशिष्ट मानक त्रुटिः 137 डिग्री स्वतंत्रता पर 1.574

एकाधिक आर-वर्गः 0.2763, समायोजित आर-वर्गः 0.2129

एफ-आँकड़ाः 12 और 137 डीएफ पर 4.359, पी-मानः 7.309ई-06

आयु और आय को मात्रात्मक चर के रूप में लिया जाता है जबकि, बाकी सभी अन्य चर अर्थात् शिक्षा (मध्यम/वरिष्ठ माध्यमिक/उच्चतर), व्यवसाय (कृषि/गैर कृषि), भूमि जोत (3 एकड़ से कम/3 से 7 एकड़/7 एकड़ से अधिक), सूचना (मित्र, कृषि, अन्य), प्रशिक्षण (हाँ/नहीं) और अनुभव (3 से 5 वर्ष/6 से 12 वर्ष/12 वर्ष से अधिक) को श्रेणीबद्ध (गुणात्मक/डमी) चर के रूप में लिया जाता है। परिणामों से पता चला कि 3 से 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले किसानों और 6 से

12 वर्ष या उससे अधिक अनुभव वाले किसानों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। साथ ही, जिन किसानों ने मिडिल स्तर तक शिक्षा प्राप्त की थी और जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, उनके ज्ञान में भी महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। सूचना स्रोतों के रूप में कृषि संगठनों को भी संभाव्यता के 0.05 स्तर पर महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की गई थी। और उच्च शिक्षा के लिए टी-मान 2.566 थी। 6-12 वर्ष के अनुभव और 12 वर्ष से अधिक के लिए 'टी'-मान क्रमशः 2.777 और 2.010 थे। बाकी सभी चरों का 'टी'-मान 2 से नीचे था जो कि महत्वहीनता को दर्शाता है। परिणामों से यह भी पता चला कि सभी ग्यारह चर सामूहिक रूप से उत्तरदाताओं के जैविक कृषि प्रथाओं के संबंध में ज्ञान के स्तर में 27.63 प्रतिशत भिन्नता को दर्शाते हैं।

निष्कर्ष : उपर्युक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी चयनित जिलों में से अधिकांश चयनित जैविक किसानों के लिए जैविक खेती पद्धतियाँ नई थीं। इसलिए, विभिन्न जैविक प्रथाओं से संबंधित जैविक किसानों का समग्र ज्ञान स्तर मध्यम स्तर का था। अध्ययन से पता चलता है कि खरपतवार प्रबंधन, कीट प्रबंधन, जैविक खाद और जैविक उर्वरकों का उपयोग जैसे व्यावहारिक शब्दों का ज्ञान स्तर उच्च था क्योंकि इन प्रथाओं का अभ्यास किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने खेतों में किया जाता था। अध्ययन क्षेत्र में, जैविक किसानों के बीच प्रमाणन प्रक्रिया का ज्ञान स्तर कम था। इसके पीछे कारण यह था कि समूहों में केवल एक या दो किसानों द्वारा प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था। यदि हमने जैविक किसानों के ज्ञान स्कोर और विभिन्न स्वतंत्र चर के बीच संबंध देखा, तो अध्ययन में पाया गया कि किसानों की आय, शिक्षा स्तर, भूमि जोत और जैविक प्रथाओं का अनुभव किसानों के ज्ञान स्कोर से महत्वपूर्ण और सकारात्मक रूप से संबंधित था।

सन्दर्भ

1. सावरी, एम, इब्राहिमी- मेमंद, आर और मोहम्मदी-कनिगोलजार, एफ., 'ईरान में किसानों द्वारा जैविक खेती के संचालन को प्रभावित करने वाले कारक', अर्थशास्त्र और सूचना विज्ञान में एग्रीस ऑन-लाइन पेपर्स, 2013
2. मोंडल, एस, हाईटूक, टी और सिमराक्स, एस., 'पूर्वोत्तर थाईलैंड में जैविक सब्जियों की खेती के प्रति किसानों का ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास', कासेट्सर्ट जे. (सामाजिक विज्ञान), 2014
3. पाटीदार, एस और पाटीदार, एच., 'जैविक खेती के प्रति किसानों की धारणा का अध्ययन' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लीकेशन एण्ड इनोवेशन इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, 2015
4. हमीद, टी.एस., और बी.एस., 'जैविक खेती के आर्थिक और उत्पादन पहलू के बारे में किसानों का ज्ञान', एपिस्टेम, 2016, 30, https://www-researchgate-net/ publication/ 310461057 से लिया गया।
5. देवी, एस.के., 'जैविक खेती के प्रति किसानों के रुझान पर एक अध्ययन', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट रिसर्च एंड मॉडर्न एजुकेशन, 2017

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023 UGC-CARE List-Social Sciences

महाविद्यालयी विद्यार्थियों का राजनीतिक समाजीकरणः समाजशास्त्रीय अध्ययन (बरेली महानगर के संदर्भ में)

❑ डॉ. रन्जू राठौर

सूचक शब्द : राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, समाजीकरण के अभिकरण।

किसी भी तरह की सामाजिक व्यवस्था के क्रियान्वयन में उसके सदस्यों की सक्रिय सहभागिता मूलभूत आवश्यकता है। राजनीतिक व्यवस्था में भी जन सहभागिता इसका केंद्र बिंदु है। जन सहभागिता के बिना लोकतंत्र अर्थहीन एवं उद्देश्यहीन है। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत नीति निर्माण में व्यक्ति के महत्व एवं उसके विचारों की उपादेयता को दर्शाती है। राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक सत्ता की वैधानिकता एवं स्थायित्व के लिए भी आवश्यक है। किसी भी समाज अथवा देश में राजनैतिक सहभागिता वहाँ के राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करती है क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण ही समाज की राजनीतिक व्यवस्था की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करता है। राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति द्वारा किसी विशेष समाज की राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश की प्रक्रिया है जिसे राजनीतिक प्रतीकों, संस्थाओं, नियमों और प्रक्रियाओं के विषय में जानकारी व सूचनाएं प्राप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। समाजीकरण की तरह ही राजनीतिक समाजीकरण भी एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समाज के राजनीतिक मूल्यों को प्राप्त करता है। यही प्रक्रिया किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करती है। राजनीतिक समाजीकरण किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति, संस्कृति की तरह ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी ही संस्कृति और संरचना में विकसित होती है, जिसमें समाजीकरण के द्वारा युवा वर्ग राजनीतिक समझ की प्रक्रिया से गुजरता है। राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण जैसे परिवार, स्कूल, साथियों का समूह, संचार के साधन, राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन महाविद्यालय में पढ़ने वाले युवा वर्ग के राजनीतिक समाजीकरण की दशा और दिशा दोनों को जानने का प्रयास करता है साथ ही राजनीतिक समाजीकरण में युवा वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले अभिकरण का भी अध्ययन करता है।

राजनीतिक समाजीकरण किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति, संस्कृति की तरह ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपनी ही संस्कृति और संरचना में विकसित होती है, जिसमें समाजीकरण के द्वारा युवा वर्ग राजनीतिक समझ की प्रक्रिया से गुजरता है। युवा वर्ग में राजनीतिक जागरूकता भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवाओं में राजनीतिक जागरूकता देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और भविष्य में राजनीति की दिशा को प्रभावित करती है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि देश का युवा वर्ग राजनीति, राजनीतिक नेतृत्व, मतदान और लोकतंत्र में अपने अधिकार और कर्तव्यों को लेकर कितना संवेदनशील है। राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण जैसे परिवार, स्कूल, साथियों का समूह, संचार के साधन, राजनीतिक दल राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन महाविद्यालय में पढ़ने वाले युवा वर्ग के राजनीतिक समाजीकरण की दशा और दिशा दोनों को जानने का प्रयास करता है साथ ही राजनीतिक समाजीकरण में युवा वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले अभिकरण का भी अध्ययन करता है।

साहित्य समीक्षा

ओ.टी.लैरेर्मूरुता के अनुसार छात्रों के राजनीतिक समाजीकरण में परिवार की जगह सोशल मीडिया महत्वपूर्ण स्थान ले रहा है। मित्रों की भूमिका अभी भी

❑ असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, वी.आर.ए.एल. राजकीय महिला महाविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जागरूकता और जानकारी के लिए अधिकतर छात्रों ने शैक्षिक संस्थाओं को महत्वपूर्ण बताया फिर भी विरोधाभास में छात्र छात्राओं में राजनीतिक जागरूकता का स्तर कम है। छात्र राजनीति में प्रवेश करने की भी कोई इच्छा नहीं रखते। छात्र सामाजिक क्रियाओं में तो क्रियाशील हैं लेकिन सामाजिक क्रियाओं के दौरान राजनीतिक मुद्दों पर कभी चर्चा नहीं करते हैं। अधिकतर छात्र छात्राएं किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं अर्थात महाविद्यालय में छात्रों के राजनीतिक समाजीकरण में राजनीतिक दल कोई महत्वपूर्ण अभिकरण नहीं है। छात्र संगठन देश के अन्य भागों की तरह मिजोरम में भी शक्तिशाली दबाव समूह के रूप में हैं।[1]

ओंकारप्पा[2] ने अपने अध्ययन में पाया कि राजनीतिक समाजीकरण के अधिकतर तरीके और प्रविधियां बच्चों का दोषपूर्ण तरीके से समाजीकरण कर रहे हैं। ओंकारप्पा के अनुसार भारत में हाई स्कूल के छात्र छात्राएं भी राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हालांकि उनका राजनीतिक अभिमुखीकरण आशाओं के अनुरूप नहीं है, फिर भी छात्र-छात्राएं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को जानने में अपनी रुचि दिखाते हैं। अगर छात्र छात्राएं स्कूल के क्रियाकलापों में अधिक प्रतिभागिता करते हैं तो वे सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्वों को अपने अंदर अधिक विकसित कर सकते हैं और ऐसे में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं की राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक यथार्थ और अर्थपूर्ण होगी। सभी महत्वपूर्ण अभिकरण जैसे परिवार, स्कूल, साथियों के समूह, सोशल मीडिया, राजनीतिक दलों को अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत दायित्व के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए और छात्र छात्राओं को सकारात्मक ढंग से निर्देशित प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बन सकें।[3]

मिशेल और रॉकर[4] के अनुसार अधिकतर शोध अध्ययनों में युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण में परिवार के प्रभाव को प्राथमिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है। परंतु इस अध्ययन में राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षा की संभावित भूमिका का अध्ययन किया गया है। विभिन्न प्रकार के स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियां, जो समान पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, उनके राजनीतिक समाजीकरण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और उनके राजनैतिक व्यवहार में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया। इस अध्ययन के आधार पर राजनीतिक समाजीकरण में स्कूल की भूमिका पर प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया तथा कुछ संस्तुतियाँ भी दी गईं।

सुमेरा मैनन[5] तथा अन्य के अनुसार युवाओं के आम चुनावों में कम भाग लेने से नीति निर्माताओं और शोध अध्येताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इसी कारण शोध अध्येता उन कारणों को जानना चाहते हैं जो राजनैतिक क्रियाकलापों में युवाओं की प्रतिभागिता को कमजोर और हतोत्साहित करते हैं। इस अध्ययन में परिवार, साथियों के समूह और स्कूल के संप्रेषणपरक वातावरण की युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण में भूमिका को जानने का प्रयास किया गया। अध्ययन में पाया गया कि परिवार, साथियों का समूह का संप्रेषणपरक वातावरण युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण पर सकारात्मक प्रभाव डालता है जबकि स्कूल का संप्रेषणपरक वातावरण इन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह अध्ययन पाकिस्तान के युवाओं की राजनीतिक क्रियाकलापों में प्रतिभागिता के लिए अर्थात राजनीतिक समाजीकरण के लिए परिवार और साथियों के समूह के महत्व को स्वीकार करता है।

मोहम्मद तारिक मीर और मिराजुद्दीन मीर[6] ने अपने अध्ययन में पाया कि भारत में मीडिया आज राजनीतिक दलों के राजनीतिक प्रचार और चर्चा के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो युवाओं को राजनीति में प्रवेश, वोट देने राजनीतिक प्रक्रिया में प्रतिभागिता करने के लिए प्रेरित करता है और भारतीय राजनीतिक संरचना को सुदृढ़ करने का कार्य करता है। निष्कर्ष के रूप में शोध पत्र में मीडिया को युवाओं की राजनीतिक प्रतिबद्धता पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला माध्यम बताया गया है।

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य महाविद्यालय में पढ़ रहे युवा छात्र- छात्राओं में राजनैतिक जागरूकता की दशा और दिशा को जानना, साथ ही यह भी जानना है कि राजनीतिक समाजीकरण में युवा वर्ग किस अभिकरण के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है।

अध्ययन वर्णनात्मक शोध पर आधारित है। अध्ययन का क्षेत्र बरेली महानगर के दो स्नातकोत्तर महाविद्यालयों बरेली कॉलेज बरेली एवं वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी

राजकीय महिला महाविद्यालय है। अध्ययन का समग्र दोनों महाविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं ।

अध्ययन हेतु सुविधाजनक निदर्शन विधि से छात्र-छात्राओं का चयन किया गया है। छात्र-छात्राओं को गूगल फॉर्म पर उनके राजनीतिक विचारों को जानने के लिए प्रश्नावली दी गई, इसे इच्छुक छात्र-छात्राओं द्वारा भरा गया। 217 छात्र छात्राओं द्वारा प्रश्नावली को भरा है जिसमें छात्र-छात्राओं की राजनीतिक जागरूकता एवं राजनीतिक जागरूकता के अभिकरणों के विषय में उत्तर प्राप्त किए गए हैं।

सूचनादाताओं की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

लैंगिक आधार पर छात्र-छात्राओं में 150 छात्राएं एवं 67 छात्र हैं, क्योंकि अध्ययन में एक महाविद्यालय पूर्णतया महिला महाविद्यालय है एवं एक महाविद्यालय में छात्र और छात्राएं दोनों शिक्षा ग्रहण करते हैं इसलिए छात्राओं का प्रतिशत छात्रों की अपेक्षा अधिक है। आयु वर्ग के आधार पर सर्वाधिक संख्या (68.7 प्रतिशत) 18 से 20 वर्ष के आयु वाले छात्र-छात्राओं की है। इसके पश्चात 21.7 प्रतिशत छात्र-छात्राएं 20 वर्ष से 22 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा 9.7 प्रतिशत छात्र-छात्राएं 22 से 24 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। छात्र-छात्राओं में धार्मिक वितरण के आधार पर अधिकांश (83.4 प्रतिशत) छात्र-छात्राएं हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। दूसरे स्थान पर (16.1 प्रतिशत) मुस्लिम धर्म को मानने वाले छात्र-छात्राएं हैं। एक उत्तर दाता द्वारा अपने को अन्य धर्म से से जुड़ा हुआ बताया गया है।

भारत में जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है राजनीतिक प्रक्रिया में भी मतदान के समय उम्मीदवारों के चयन एवं उनके जीतने की संभावनाओं में जाति एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ऐसे में छात्र छात्राओं के बीच जाति के वितरण को जानना भी अत्यंत आवश्यक प्रतीत हुआ। शोध में सम्मिलित छात्र छात्राओं में 22.53 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। दूसरे स्थान पर 21.8 प्रतिशत सूचनादाता सवर्ण जाति से हैं। 17.97 प्रतिशत सूचनादाता अनुसूचित जाति एवं 1.84 प्रतिशत सूचनादाता अनुसूचित जनजाति से हैं 0.46 प्रतिशत सूचनादाता ने जाति चयन में राखी जाति बताई है। छात्र-छात्राओं के ग्रामीण अथवा नगरीय निवास स्थान के प्रश्न पर सर्वाधिक छात्र-छात्राएं (45.6 प्रतिशत)ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसके पश्चात नगरीय परिक्षेत्र में रहने वाले छात्र-छात्राओं (38.7 प्रतिशत) की संख्या है नगर और गांव के मध्य एवं उन को जोड़ने वाले कस्बों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या (15.7) भी उल्लेखनीय है। पिता द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय के प्रश्न पर सर्वाधिक छात्र छात्राओं (31.8 प्रतिशत) के पिता मजदूरी करते हैं। (31.3 प्रतिशत) के छात्र छात्राओं के पिता कृषि करते हैं। इसके पश्चात वे छात्र-छात्राएं (21.7 प्रतिशत) हैं जिनके पिता नौकरी करते हैं। 15.2 प्रतिशत सूचनादाताओं के पिता व्यापार करते हैं। सूचनादाताओं की शैक्षिक स्थिति जानने पर अधिकांश सूचनादाता (82.9 प्रतिशत) स्नातक स्तर पर अध्यनरत हैं। स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या (17.1 प्रतिशत) हैं।

सारणी संख्या 1

भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
अत्यधिक विश्वास	129	59.4
तटस्थ	81	37.3
विश्वास नहीं	7	3.2
योग	217	100

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार है। क्या भारत के युवा इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सही मानते हैं या भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में उनका विश्वास है। इस प्रश्न के उत्तर में आधे से अधिक (59.4 प्रतिशत) छात्र छात्राओं को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अत्यधिक विश्वास है। 37.3 प्रतिशत छात्रा छात्र छात्राएं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कम विश्वास रखते हैं जबकि 3.2 प्रतिशत छात्र छात्राओं को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं है। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि कॉलेज में पढ़ने वाले युवा छात्र छात्राएं भारत की शासन व्यवस्था में विश्वास रखते हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत की लोकतंत्र प्रणाली विश्व में सर्वश्रेष्ठ है सर्वाधिक उत्तरदाता (64.1 प्रतिशत) भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ मानने में अपनी सामान्य सहमति प्रदान करते हैं, 28.1 प्रतिशत उत्तर दाता इस बात से अत्यधिक सहमत हैं तथा बहुत

कम संख्या में उतरदाता (7.8 प्रतिशत) इस बात से सहमत नहीं है अर्थात उन्हें लोकतांत्रिक प्रणाली में कमियां नजर आती हैं।

सारणी संख्या 2

संविधान और मतदान प्रक्रिया को जानने की इच्छा

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
हाँ	211	97.2
नहीं	6	2.8
योग	217	100

छात्र-छात्राओं से प्रश्न किया गया क्या वह अपने देश के संविधान और मतदान प्रक्रिया के विषय में जानना चाहते हैं? इसके उत्तर में लगभग सभी छात्र छात्राओं 97.2 प्रतिशत ने देश के संविधान के विषय में अधिक से अधिक जानने की इच्छा प्रकट की है, साथ ही में मतदान प्रक्रिया के विषय में भी जानना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि देश के युवा अपने देश की शासन व्यवस्था में तथा लोकतंत्र की नींव मतदान प्रक्रिया के विषय में अधिक से अधिक जानने में अत्यधिक रुचि रखते हैं और एक जागरूक नागरिक के रूप में देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपना सक्रिय योगदान देना चाहते हैं।

सारणी संख्या 3

सुदृढ़ होती लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
अत्यधिक सहमत	59	27.2
सहमत	135	62.2
सहमत नहीं	23	10.6
योग	217	100

हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए और एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए 75 साल हो चुके हैं भारतीय जनता राजनीतिक दल और विशेषकर चुनाव आयोग के प्रयासों से हमारे देश का लोकतंत्र पहले से सुदृढ़ हुआ है। उत्तर दाताओं से उनकी राय जानने पर अधिकतम उत्तर दाता (62.2 प्रतिशत) इस बात से सहमत हैं। अत्यधिक सहमति दर्शाने वाले उत्तर दाता (27.2 प्रतिशत) दूसरे नंबर पर आते हैं, जो यह मानते हैं कि हां हमारे देश का लोकतंत्र पहले से बहुत अधिक सुदृढ़ हो गया है। कुछ उत्तर दाता (10.6 प्रतिशत) इस बात से सहमत नहीं हैं।

सारणी संख्या 4

चुनाव की प्रक्रिया लोकतंत्र को और सुदृढ़ बनाती है

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
अत्यधिक सहमत	88	40.6
सहमत	117	53.9
सहमत नहीं	12	5.5
योग	217	100

चुनाव की प्रक्रिया लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तरदाताओं से उनकी राय जानने पर सर्वाधिक उत्तर दाता (53.9 प्रतिशत) इस बात से सहमत हैं। उससे थोड़ी ही कम संख्या में उत्तरदाता (40.6 प्रतिशत) इस बात से अत्यधिक सहमत हैं जबकि असहमति दर्शाने वाले उत्तर दाताओं (5.5 प्रतिशत) के अनुसार लोकतंत्र को मजबूत बनाने में में चुनाव की प्रक्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है।

सारणी संख्या 5

किसी एक राजनीतिक पार्टी से प्रभावित

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
सहमत	136	62.7
असहमत	81	37.3
योग	217	100

चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं के साथ-साथ राजनीतिक पार्टियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि किसी एक राजनीतिक पार्टी को वोट देकर ही मतदाता उन्हें देश पर शासन करने का जनादेश देते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने सिद्धांतों और मुद्दों के साथ चुनाव प्रक्रिया एवं सामान्य समय में भी जनता के बीच में आती हैं। उनका उद्देश्य लोगों को अपने घोषणापत्र और मुद्दों से प्रभावित करना रहता है। युवा उत्तर दाताओं से यह पूछने पर कि क्या वह किसी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा प्रभावित हैं? 62.7 प्रतिशत उत्तर दाताओं ने इस बात में अपनी सहमति प्रदर्शित की है जबकि 37.3 प्रतिशत मतदाता किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज्यादा प्रभावित नहीं हैं।

सारणी संख्या 6

छात्र-छात्राओं की राजनीति में सक्रियता होनी चाहिए

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
सहमत	190	87.6
असहमत	27	12.4
योग	217	100

महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होना और शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं को सक्रिय राजनीति में आना हमेशा ही एक तर्क-वितर्क का मुद्दा रहा है। इस विषय में उत्तरदाताओं में लगभग सभी (87.6 प्रतिशत) ने अपनी सहमति जताई है। केवल 12.4 प्रतिशत उत्तर दाताओं के अनुसार छात्र छात्राओं को राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए।

चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक पार्टियां रैली जनसभाओं एवं घर घर जाकर अपने लिए समर्थन जुटाती हैं। इस समय समर्थन देने के लिए बहुत से लोग किसी विशेष पार्टी के समर्थन में झंडा या चुनाव निशान आदि लगाते हैं। युवा उत्तर दाताओं से पूछने पर कि क्या वे चुनाव के समय किसी विशेष पार्टी का कोई निशान लगाते हैं तो लगभग आधे उत्तरदाता (51.2 प्रतिशत) किसी भी पार्टी का चुनाव निशान या झंडा आदि नहीं लगाते हैं। जबकि उससे थोड़े ही कम उत्तर दाता (48.8 प्रतिशत) उत्तर दाता किसी विशेष पार्टी के समर्थन में झंडा या चुनाव का कोई चिन्ह लगाकर उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देते हैं। पूछने पर कि अपने देश में परिवर्तन लाने के लिए भी चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं। आधे से अधिक सूचना दाता (63.1 प्रतिशत) चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं जिससे वह देश में परिवर्तन ला सके। लगभग एक तिहाई (36.9 प्रतिशत) उतर दाता चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेते हैं।

सारणी संख्या 7

मतदाता को प्रभावित करने वाले तत्व

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
राजनीतिक दल	35	16.1
प्रत्याशी का व्यक्तित्व	134	61.8
व्यक्तिगत परिचय	18	8.3
प्रत्याशी का धर्म/जाति	3	1.4
चुनाव प्रचार	27	12.4
योग	217	100

चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए मतदाता को विभिन्न वादों, अपने नारों, घोषणा पत्रों से भविष्य की योजनाओं के द्वारा लुभाने का प्रयास करता है। युवा मतदाता वोट देते समय सबसे ज्यादा किस बात से प्रभावित होते हैं इसके उत्तर में सर्वाधिक उत्तर दाताओं (61.8 प्रतिशत) ने प्रत्याशी के व्यक्तित्व को चुना है। राजनीतिक दलों से प्रभावित होकर वोट देने वाले उत्तरदाता (16.1 प्रतिशत) दूसरे नंबर पर आते हैं इसके पश्चात क्रमशः चुनाव प्रचार (12.4 प्रतिशत), प्रत्याशी का परिचय और उसका धर्म (8.3 प्रतिशत) आदि आते हैं। 1.4 प्रतिशत मतदाता अपना वोट देते समय जाति को प्राथमिकता देते हैं।

सारणी संख्या 8

राजनीतिक मुद्दों पर सूचनाओं के स्रोत

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
माता-पिता	18	8.3
मीडिया	148	68.2
दोस्त	14	6.5
स्कूल शिक्षक	17	7.8
मौखिक प्रचार	20	9.2
योग	217	100

आज के युवा अपनी किसी भी प्रकार की जानकारी और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जानकारी खोजते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी समझा गया कि वे राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी सूचनाएं सबसे ज्यादा किससे प्राप्त करते हैं अर्थात उनको राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक कौन करता है। लगभग एक तिहाई सूचनादाता राजनीति से जुड़ी सूचनाएं (68.2 प्रतिशत) मीडिया से प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात् मौखिक प्रचार एवं वार्तालाप (9.2 प्रतिशत) से वे राजनैतिक मुद्दों से जुड़ी सूचनाएं पाते हैं। इसके पश्चात् क्रमशः माता-पिता (8.3 प्रतिशत), स्कूल शिक्षक (7.8 प्रतिशत) तथा दोस्त (16.5 प्रतिशत) आदि से वो राजनीति के विषय में जानकारी लेते हैं।

सारणी संख्या 9

राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने वाले तत्व

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
माता-पिता	50	23
मीडिया	115	53
धार्मिक संस्थान	12	5.5
मित्र	19	9.7
प्राध्यापक	21	8.8
योग	217	100

आधुनिक युग में जब सूचनाएं पाने के इतने माध्यम हैं तो युवा वर्ग सबसे ज्यादा सूचनाओं के किस चैनल से प्रभावित होते हैं। अर्थात राजनीति से जुड़े उनके विचारों को सबसे ज्यादा सूचनाओं का कौन सा चैनल प्रभावित

करता है। यह जानने पर आधे से अधि उत्तरदाता (53 प्रतिशत) सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके पश्चात राजनीति से जुड़े उनके विचारों पर उनका परिवार (23 प्रतिशत) प्रभाव डालता है। इसके पश्चात क्रमशः प्राध्यापक (9.7 प्रतिशत), मित्र (8.8 प्रतिशत) तथा धार्मिक संस्थान (5.5 प्रतिशत) आते हैं। स्मिता नायक ने भी अपने अध्ययन में पाया है की मीडिया राजनीतिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनके अध्ययन के ज्यादातर सूचनादाता (97.5 प्रतिशत) राजनीतिक सूचनाओं मीडिया से ही प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात राजनीतिक नागरूकता के मुख्य स्रोत के रूप में दूसरा स्थान सूचना दाताओं ने परिवार और अपने दोस्तों दिया है।[7]

सारणी संख्या 10

मतदान से पहले युवा मतदाताओं के सलाहकार

उत्तर	संख्या	प्रतिशत
स्वयं	117	53.9
मित्र	3	1.4
परिवार	93	42.9
पड़ोस	1	0.5
स्थानीय नेता	1	0.5
धार्मिक गुरू	2	0.8
योग	217	100

लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण आयाम चुनाव प्रक्रिया है। चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं द्वारा दिए जाने वाले वोट निर्णायक होते हैं ऐसे में यह जानना कि युवा मतदाता जब अपने प्रत्याशी को वोट देने जाते हैं तो उससे पहले वह किस से सलाह लेते हैं इसके उत्तर में आधे से ज्यादा उत्तर दाताओं ने किसी की भी सलाह ना लेकर स्वयं अपनी समझ बूझ से वोट देने की बात कही जबकि आधे से थोड़े कम ही उत्तर दाता वोट देने जाने से पहले अपने परिवार से राय लेते हैं मित्रों पड़ोसियों धार्मिक गुरु से सलाह लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बरेली के युवा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र के विषय में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं छात्र संघ चुनाव का समर्थन करते हुए युवाओं को राजनीति में सक्रिय देखना चाहते हैं और चुनाव प्रक्रिया और चुनाव प्रचार में स्वयं भी सक्रिय रहते हैं धर्म में जाति और पार्टी से प्रभावित ना होकर प्रत्याशी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के अधिकारियों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर में अधिकतम उत्तर दाताओं ने अपने राजनीतिक समाजीकरण के लिए परिवार, शिक्षण संस्थाओं और मीडिया को महत्वपूर्ण माना है। परन्तु राजनैतिक मुद्दों पर उन्हें सबसे अधिक जानकारी मीडिया (68.2 प्रतिशत) से मिलती है या वे स्वयं अपनी इच्छा से सोशल मीडिया से ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही राजनीति पर उनके विचारों को माता-पिता और शिक्षण संस्थानों की जगह मीडिया (53 प्रतिशत) प्रभावित करता है। महाविद्यालयी युवा मतदान करने से पहले स्वयं की सलाह ही लेते हैं जो सोशल मीडिया से प्रभावित है। ऐसे में यह कहना उपयुक्त होगा कि आज के युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण में परिवार और शिक्षण संस्थानों का स्थान सोशल मीडिया ले रहा है।

सन्दर्भ

1. T Lairemruata, *'Political Socialization of College Students in Mizoram'*, MZU /MPhil.Dessertation, Department of political science, University Aizawl, 2018.
2. Onkarappa A P, *'Theoretical Framework on Political Socialization'*, International Journal of creative Research Thoughts, volume 9 issues 9 September 2021 pp 831-821.
3. Onkarappa A.P, *'School's role in Political Socialization of Students in Shimoga District'*, Journal of Emerging Technology and Innovative Research, Volume 8 Issue 9 September 2021 pp 153-162.
4. Michael H Banks, Rocker Debra, *'The Political Socialization of Youth: Exploring the Influence of School Experiences'*, Journal of Adolescence, Volume17, Issue 1, February 1994.
5. Memon Sumera, Ishak Mohd Sobhi Bin, Norsiah Binti Abdul Hamid, *'The Influence of Political Socialization Agents on Political Participation of Pakistani Youths'*, Journal Liski, Vol 3 No.2, 2017
6. Mir Mohd Tarik, Mir Mehraj ud din, *'Role of Media in Political Participation of Youth in India'*, SERBD International Journal of Multi Disciplinary Sciences, Volume 04 Issue 03 July- Sept 2022.
7. Nayak, Smita, *'Political Socialization of Girls Through Education of an Indian University'*, A Case Study of Utkal University Odisha, Global Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Vol 9 No. 2July 2020.

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

रोजगार और कौशल विकास योजनाः पलामू जिले के संदर्भ में एक अध्ययन

❑ अखिलेश कुमार सिंह

सूचक शब्द : कौशल विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, बेरोजगारी, झारखण्ड, पलामू, प्रशिक्षणार्थी।

कौशल विकास कार्यक्रम अप्रशिक्षित अकुशल लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराती है। तकनीकी के वर्तमान समय में कुशल श्रम की मांग में वृद्धि हुई है और इसके और भी बढ़नें का अनुमान है तथा अकुशल श्रम की पूर्ति के सापेक्ष मांग कम है। वर्तमान भारत सरकार नें बेरोजगारी को कम करनें के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रम को प्रमुखता से लिया है और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम संस्थानों के गठन का समर्थन किया है। झारखण्ड में गरीबी और बेरोजगारी चरम पर है, कौशल विकास कार्यक्रम इसे कम करने के लिए युवा (पुरूष एवं महिला) वर्ग को प्रशिक्षित कर रोजगार देने एवं आजीविका को सुधारनें में सहायक हो सकता है। प्रस्तुत अध्ययन झारखण्ड राज्य के पलामू जिला में ग्रामीण बेरोजगारी पर कौशल विकास के प्रभाव की पृष्ठभूमि की जांच करता है।

भारत में, कौशल विकास की अवधारणा 1956 में पहली औद्योगिक नीति के साथ स्वतंत्रता के उपरांत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए समर्पित संस्थानों के साथ औपचारिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र पर प्रारंभिक ध्यान दिया गया था। 1961 में, विभिन्न ट्रेडों में तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने और नई कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षुता अधिनियम तैयार किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) को 1964 में भारत में शिक्षा के विकास के लिए नीतियों और दिशानिर्देशों को प्रदान करके भारतीय शिक्षा क्षेत्र को ठीक करने के लिए नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय श्रम नीति 1966 में बनाई गई थी। 1968 में, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई थी। पहला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) 1969 में श्रम और रोजगार मंत्रालय (एमओएलई), भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का गठन 1987 में पॉलिटेक्निक और तकनीकी कॉलेजों के लिए आधिकारिक नियामक और वित्त पोषक के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया था। 1990 के दशक में आईटी उद्योग और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि और विनिर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में सापेक्ष मंदी के साथ अर्थव्यवस्था को बंधन मुक्त होते देखा गया। यह अनुभव किया गया कि कुशल और अर्ध-कुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिए पारंपरिक ट्रेडों के बाहर काफी मात्रा में रोजगार का अवसर हैं। इस उद्देश्य के साथ, राष्ट्रीय विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना 2008 में की गई थी। इन प्रतिमान परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 2009 में कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की गई और कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र की क्षमता का विस्तार करने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) की स्थापना 2013 में हुई थी और राष्ट्रीय योग्यता फ्रेमवर्क (एनक्यूएफ) के लिए एक दृष्टिकोण तैयार किया गया था। 2014 में, अपरेंटिसशिप अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि गैर-इंजीनियरिंग को वैकल्पिक ट्रेडों के रूप में सम्मिलित किया जा सके और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की स्थापना की गई। 2015 में, स्किल इंडिया मिशन शुरू किया गया था, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी और प्रशिक्षण और शिक्षुता प्रभाग को एमओएलई से एमएसडीई में स्थानांतरित कर दिया गया था।

2013 की विश्व विकास रिपोर्ट (डब्ल्यूडीआर) के अनुसार, दुनिया भर में, लगभग 200 मिलियन लोग, जिनमें लगभग 75 मिलियन का अनुपातहीन भाग सम्मिलित है, जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं, बेरोजगार

❑ शोध अध्येता अर्थशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची (झारखण्ड)

हैं और सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि कामकाजी आयु की जनसंख्या में वृद्धि को अवशोषित करने के लिए अगले 15 वर्षों में 600 मिलियन से अधिक नौकरियों की आवश्यकता होगी, मुख्य रूप से एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में। मुद्दा न केवल बेरोजगारी का है, बल्कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले व्यक्तियों का बड़ा जनसंख्या का बढ़ जाना भी है। वास्तव में विकासशील देशों में सभी श्रमिकों में से आधे छोटे पैमाने पर कृषि या स्व-रोजगार में लगे हुए हैं, ऐसी नौकरियां जो स्थिर वेतन-सुरक्षा और लाभ प्रदान नहीं करती हैं। युवा बेरोजगारी को संबोधित करने में चुनौतियों में से एक कौशल अंतर से जटिल औपचारिक स्कूली शिक्षा का स्तर निम्न है – अर्थात, नियोक्ताओं द्वारा वांछित आवश्यक कौशल और नौकरी चाहने वालों के वर्तमान कौशल स्तर के बीच अंतर है।[1]

साहित्य अवलोकन : सभी विद्वानों ने अनुसंधान कार्य की सफलता के लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन अपरिहार्य माना है।

बेहरा एवं गौर[2] ने कहा कि भारत में सर्वप्रथम कौशल विकास कार्यक्रम की अवधारणा 1956 ई0 में पहली औद्योगिक नीति के साथ स्वतंत्रता के बाद प्रस्तुत की गई थी। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र पर प्रारंभिक ध्यान दिया गया था। 1961 में विभिन्न व्यवसायिक शिक्षा में तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने और नई कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षुता अधिनियम तैयार किया गया।

शर्मा[3] के अनुसार सरकार पीपीपी मॉडल के रूप में जानी जाने वाली सार्वजनिक और निजी भागीदारी पर भी विचार कर रही है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिन्हें आईटीआई कहा जाता है सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक प्रमुख चैनल है। इसके अलावा, निजी तौर पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं जिन्हें आईटीसी और व्यावसायिक स्कूल के रूप में जाना जाता है। भारत में श्रम कानून यह भी सुनिश्चित करते हैं कि तकनीकी शिक्षा के लिए जाने वाले छात्रों को उद्योग द्वारा प्रदान किए गए शिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए। हालांकि कौशल विकास में निजी क्षेत्र की बहुत अधिक भागीदारी है लेकिन देश में कौशल विकास कार्यक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा है। अनौपचारिक चैनल अधिक असंरचित है और इसे काम करके या अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।

लोचंदर[4] नें कहा कि राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा की बढ़ती मांग के साथ कौशल विकास की अवधारणा ने अंतराष्ट्रीय महत्व प्राप्त कर लिया है। कौशल विकास दुनिया में दो प्रमुख चुनौतियों का समाधान कर सकता है गरीबी में कमी और रोजगार सृजन। कौशल विकास को भारत जैसे उभरते हुए राष्ट्रों के लिए समाधान के रूप में माना जाता है जहाँ बड़ी जनसंख्या भारी संक्रमणकालीन समस्याओं का सामना कर रही है।

सिमोन[5] का कहना है कि भारत विश्व के सबसे अधिक युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जिसकी 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कामकाजी आयु वर्ग में है और इसकी कुल जनसंख्या का 54 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम आयु का है। अगले दशक में 15-59 वर्ष की आयु वर्ग में इसकी जनसंख्या और अधिक बढ़ने की आशा है। वास्तविक तौर पर कहें तो वैश्विक स्तर पर अगले 20 वर्षों के दौरान औद्योगिक दुनियाँ में श्रम शक्ति में 4 प्रतिशत की गिरावट देखी जायेगी, जबकि भारत में यह 32 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी। यह एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा अवसर है। 'द वर्ल्ड बैंक एडुकेशन'[6] के अनुसार श्रम शक्ति को कौशल प्रदान करना और रोजगार की सुविधा प्रदान करना कई दशकों से भारत के राष्ट्रीय विकास एजेंडे के भीतर एक महत्वपूर्ण जानदेश रहा है।

सुलोचन[7] ने अपने अध्ययन में कहा है कि कौशल विकास समय की मांग है, क्योंकि इसमें एक बड़ी गैर-नियोजित/नियोजित आबादी है और यहाँ तक कि भारतीय छात्रों को अधिकांश कंपनियों, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बेरोजगार माना जाता है और उनमें से बहुत से अवसरों की तलाश में विदेशों में पलायन कर रहे हैं।

राजीव[8] नें अपनें विचार रखते हुए कहा है कि, 'भारत में युवा कार्यबल होने का एक बड़ा लाभ है जिसका अर्थ है कि यह श्रम बाजार में जनशक्ति प्रदान करने की उच्च्च संभावना है। दुनियाँ में कुशल कार्यबल की उच्च्च मांग सदैव रहेगी ऐसा प्रतीत होता है।

उद्देश्य : अध्यन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं-

1. ग्रामीण युवाओं पर कौशल विकास योजना प्रशिक्षण का अध्ययन करना।
2. रोजगार सृजन एवं आय की स्थिति सुदृढ करने में कौशल विकास की भूमिका के बारे में युवाओं के बीच में जागरूकता का अध्ययन करना।
3. बेरोजगारी पर कौशल विकास योजना के सकारात्मक प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रश्न

1. क्या कौशल विकास योजना, रोजगार सृजन करती है?
2. क्या आम जनमानस, कौशल विकास योजना के बारे में जागरूक है?
3. क्या कौशल विकास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान कर आय को बढ़ाती है?
4. क्या कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रभाव पलायन पर पड़ा है?

शोध पद्धति :

प्रस्तुत अध्ययन में पलामू जिले के कौशल विकास योजना से लाभांवित हुए 8 गांव के 120 लोगों का चुनाव बहुस्तरीय निर्दशन के द्वारा किया, वहीं जागरूकता के अध्ययन के लिए पलामू जिले में स्नातक में अध्ययन कर रहे 166 विद्यार्थीयों का चयन दैव निर्दशन द्वारा किया है। आंकड़ों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत लाभार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क कर उनसे प्रश्न पूँछ कर एवं अनुसूची भर कर जानकारी प्राप्त की गयी तथा जिला एवं प्रखण्डों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्रों से संपर्क कर प्रशिक्षण एवं रोजगार से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया एवं द्वितीयक समंकों के अंतर्गत शोध प्रबंध, इंटरनेट, समाचार पत्र पत्रिकाएं इत्यादि के द्वारा आंकड़ों का संकलन किया है।

विश्लेषण

तालिका 1

उत्तरदाताओं का लैंगिक वितरण (प्रतिशत में)

गांव	पुरूष	महिला
अखौरी दुम्मी	53.3	46.7
बहेरा	78.6	21.4
बसौरा	58.3	41.7
बुढीवीर	80.0	20.0
गुरियादामर	9.5	90.5
लेस्लीगंज	40.9	59.1
जयनगरा	16.7	83.3
सलतुआ	26.7	73.3
कुल	45.0	55.0

तलिका 1 में शोध क्षेत्र के पलामू जिले के दो प्रखण्ड चार पंचायत एवं आठ गाँवों के लाभार्थियों की संख्या लैंगिक आधार पर प्रतिशत में दिखाया गयी है। गुरियादामर, लेस्लीगंज जयनगरा, सलतुआ मे क्रमशः 90.5, 59.1, 83.3, 73.3 प्रतिशत महिला संख्या है। वहीं बुढ़ीवीर और बहेरा में पुरूष संख्या अधिक है। कुल लाभार्थी के 45 प्रतिशत पुरूष संख्या है वहीं 55 प्रतिशत महिला संख्या है। स्पष्ट है कि कौशल विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षण लेने में अधिक रूचि महिलाओं में है।

तालिका 2

उत्तरदाताओं की शिक्षा का स्तर (प्रतिशत में)

गांव	मैट्रिक तक	इन्टरमीडिएट तक	स्नातक तक	स्नातक तथा स्नातक से उपर	कुल
अखौरी दुम्मी	26.7	33.3	40.0	0.0	100.0
बहेरा	14.3	28.6	57.1	0.0	100.0
बसौरा	16.7	58.3	25.0	0.0	100.0
बुढीवीर	20.0	53.3	20.0	6.7	100.0
गुरियादामर	14.3	28.6	57.1	0.0	100.0
लेस्लीगंज	13.6	40.9	45.5	0.0	100.0
जयनगरा	16.7	33.3	50.0	0.0	100.0
सलतुआ	6.7	40.0	46.7	6.7	100.0
कुल	15.8	39.2	43.3	1.7	100.0

तालिका 2 में लाभार्थियों की शिक्षा के स्तर को दिखाया गया है। लाभार्थीयों के गांव के साथ शिक्षा के स्तर को दिखाया गया जिसमें गुरियादामर और बहेरा गांव के 57 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक तक अर्थात् इन्टरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त कर कौशल विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण लिए हैं वहीं बुढीवीर के 53 प्रतिशत उत्तरदाता इन्टरमीडिएट तक अर्थात 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर कौशल विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण पूर्ण किए। कुल सूचनादाताओं की शैक्षिक स्थिति पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि मैट्रिक तक 16 प्रतिशत इन्टरमीडिएट तक 39 प्रतिशत स्नातक तक 43 प्रतिशत और स्नातक तथा स्नातक से ऊपर 2 प्रतिशत उत्तरदाता हैं।

तालिका 3

वर्तमान मे रोजगार की स्थिति

गांव	बेरोजगार	रोजगार	कुल
अखौरी दुम्मी	3	12	15
बहेरा	4	10	14
बसौरा	2	10	12
बुढीवीर	4	11	15
गुरियादामर	6	15	21
लेस्लीगंज	8	14	22
जयनगरा	2	4	6
सलतुआ	6	9	15
कुल	35 (29.16)	85 (70.83)	120 (100.00)

तलिका 3 में उत्तरदाताओं की वर्तमान में रोजगार की स्थिति को दिखाया गया है जिसमें रोजगार और बेरोजगार की स्थिति क्रमशः 71 प्रतिशत और 29 प्रतिशत है। कौशल विकास कार्यक्रम रोजगार सृजन करने में सक्षम है तथा कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों के 71 प्रतिशत लोग रोजगार में हैं, जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों सम्मिलित हैं। उपलब्धता के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या को लिया गया है जिसके कारण आठ गांव के उत्तरदाताओं के संख्या वितरण असमान है। गुरियादामर और लेस्लीगंज पलामू जिला मुख्यालय से कम दूरी पर होने के साथ-साथ लेस्लीगंज प्रखंड मुख्यालय है जिसके कारण कौशल विकास योजना प्रशिक्षण के लाभार्थियों की संख्या अधिक हैं।

तालिका 4

सूचनादाताओं के रोजगार के प्रकार

रोजगार के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
असंगठित	67	79
संगठित	18	21
कुल	85	100

तालिका 4 में रोजगार के प्रकारों को दिखाया गया है जिसमें 79 प्रतिशत लाभार्थियों को असंगठित क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है वहीं 21 प्रतिशत लाभार्थियों को संगठित क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें रोजगार के कई क्षेत्र सम्मिलित हैं।

तालिका 5

असंगठित है तो रोजगार के प्रकार (प्रतिशत में)

रोजगार का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
दैनिक मजदूर	14	21
वेतन भोगी	31	46
स्वरोजगार	22	33
कुल	67	100

तालिका 5 में असंगठित क्षेत्र में रोजगार के प्रकारों से संबंधित विश्लेषण है जिससे स्पष्ट होता है कि 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं का रोजगार दैनिक मजदूरी है वहीं 46 प्रतिशत उत्तरदाता वेतनभोगी तथा 33 प्रतिशत स्वरोजगार में हैं। दैनिक मजदूरी में राज मिस्त्री, बिजली व विजली उपकरण मरम्मती मिस्त्री और टेलर हैं जिनकी मांग अधिक है और पूर्ति कम है, इन्हे काम घर से खोज कर दिया जाता है।

तालिका 6

प्रशिक्षण के बाद रोजगार क्षेत्र

प्रशिक्षण के बाद रोजगार कहाँ मिला	संख्या	प्रतिशत
अपनें गृह जिला में	6	5
अपने गृह राज्य झारखण्ड में	14	12
दूसरे राज्य में	95	79
दूसरे देश में	5	4
कुल	120	100

तलिका 6 में 5 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार अपनें गृह जिले में मिला, वहीं 12 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार अपनें गृह राज्य में मिला तथा 79 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को दूसरे राज्य में मिला, वहीं 4 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को दूसरे देश

में रोजगार मिला। इस प्रकार विश्लेषण से स्पष्ट है कि कौशल विकास योजना का प्रभाव पलायन पर न के बराबर पड़ा है। कौशल विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण के उपरांत रोजगार सृजन कर रहा है किन्तु रोजगार स्थल दूर होने के कारण महिलाएं नौकरी करनें नहीं जा रहीं क्योंकि महिलाओं को दूर भेजनें में अभिभावक असुरक्षित अनुभव करते हैं।

तालिका 7

कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद आय में वृद्धि

आय में वृद्धि	संख्या	प्रतिशत
वृद्धि हुई	91	76
वृद्धि नहीं हुई	13	11
कोई उत्तर नहीं	16	13
योग	120	100

तालिका नं. 7 से सप्ष्ट होता है कि 76 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों की कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आय में वृद्धि हुई है वहीं 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं नें कहा कि कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की कोई आय में वृद्धि नहीं हुई है। 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। अध्ययन से स्पष्ट है कि कौशल विकास कार्यक्रम से रोजगार सृजन हो रहा है और लोगों की आय तथा आजीविका में सुधार हुआ है।

तालिका 8

कौशल विकास योजना की जानकारी (जागरूकता)

योजना की जानकारी	संख्या	प्रतिशत
हां	131	79
नहीं	33	20
थोड़ा बहुत	2	1
कुल	166	100

तालिका 8 में कौशल विकास योजना के बारे में जागरूकता से संबंधित जानकारी प्राप्त की गयी है जिसमें उत्तरदाता के रूप में पलामू जिला के स्नातक में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। कुल 166 उत्तरदाताओं में 79 प्रतिशत उत्तरदाता कौशल विकास योजना के बारे में जानते हैं और जागरूक हैं वहीं 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कोई जानकारी नहीं है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि जब स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को कौशल विकास योजना क्या है? की जानकारी नहीं है, तो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के आम जनमानस कितना जागरूक होंगे यह आकलन का विषय है।

तालिका 9

कौशल विकास योजना की जानकारी के स्त्रोत (जागरूकता)

जानकारी के स्रोत	संख्या	प्रतिशत
सरकारी विज्ञापन द्वारा	31	20
प्रशिक्षण केन्द्र के विज्ञापन द्वारा	56	36
अपने स्वजन से	31	20
अन्य माध्यम से	38	24
कुल	156	100

तालिका संख्या 9 में उत्तरदाताओं से कौशल विकास योजना की जानकारी के माध्यमों से संबंधित अध्ययन किया गया है जिसमें कुल 166 उत्तरदाताओं में से 156 उत्तरदाताओं ने उक्त प्रश्न का उत्तर दिया, जिसमें 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं नें कौशल विकास केन्द्र के विज्ञापन के माध्यम से पता होने की बात कही वहीं 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सरकारी विज्ञापन और स्वजनों से जानकारी मिली तथा 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकरी अन्य माध्यमों से हुई है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के तरह कौशल विकास योजना का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है। सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष : रोजगार और कौशल विकास योजना पलामू जिले के संदर्भ में एक अध्ययन विषय पर शोध यात्रा चुनौतीपूर्ण रही है किन्तु शोधकर्ता के लिए समान रूप से पूर्ण रही है। इस शोध कार्य ने शोधकर्ता को न केवल रोजगार पर कौशल विकास के प्रभाव से संबंधित ज्ञान प्राप्त करनें में सहायता की है, बल्कि कौशल विकास कार्यक्रम के लाभकारी प्रशिक्षणों से भी अवगत कराया है। **अध्ययन से** प्राप्त आंकड़ों एवं तथ्यों के अनुसार वर्तमान में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति क्रमशः 71 प्रतिशत एवं 29 प्रतिशत है अर्थात कौशल विकास योजना कुल प्रशिक्षणार्थियों के 71 प्रतिशत के बराबर रोजगार सृजन कर रही है तथा 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आय में वृद्धि हुई है एवं 72 प्रतिशत लाभार्थियों की आजीविका की स्थिति में सुधार हुआ है। कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण लेने के बाद लाभार्थियों को अधिकतम संख्या में रोजगार असंगठित क्षेत्र में मिला हैं जो कुल उत्तरदाताओं का 79 प्रतिशत है वहीं 21 प्रतिशत उत्तरदाताओं को संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला है। असंगठित क्षेत्र के 22 प्रतिशत उत्तरदाता प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार

में लगे हुए हैं, जो अपने गांव में इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं की मरम्मत का कार्य, सिलाई कटाई (टेलरिंग) का काम कर अपना जीवकोपार्जन कर रहे हैं वहीं 21 प्रतिशत उत्तरदाता कुशल कामगार के स्वरूप दैनिक मजदूर के रूप कार्य कर रहे हैं, तथा 46 प्रतिशत उत्तरदाता वेतन भोगी हैं। कौशल विकास योजना का पलायन पर न के बराबर प्रभाव पड़ा है क्योंकि मात्र 5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही अपने गृह जिले तथा 12 प्रतिशत उत्तरदाता को अपने गृह राज्य में रोजगार प्राप्त हुआ है, किन्तु 79 प्रतिशत उत्तरदाताओं को रोजगार दूसरे राज्य में मिला है। कौशल विकास योजना की जानकारी आम जनमानस जो सुदूरवर्ती ग्राामीण क्षेत्र में निवास करते हैं को नहीं है, इन लोगों में जागरूकता की कमी है। सरकार अन्य जनकल्याणकारी योजना की तरह ही जागरूकता के प्रति उदासीन है।

सुझाव : कौशल विकास योजना सभी प्रकार के प्रभावशीलता में सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है और व्यक्ति को अधिक निपुणता से काम करनें के लिए सशक्त बनाता है किन्तु यह तब होगा जब प्रशिक्षण गुणवता पूर्ण हो। कौशल विकास कार्यक्रम और जनोपयोगी कैसे हो तथा प्रशिक्षण पूर्ण किए लाभार्थियों को पूर्ण रोजगारी कैसे बनाया जाए इस पर समाज और सरकार को सोचना होगा और विमर्श करना होगा। शोध आंकडों के संकलन तथा विश्लेषण के आधार पर कौशल विकास योजना के लिए भविष्य में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव आवश्यक कहे जा सकते हैं–

1. सरकार को जनमानस में कौशल विकास योजना के जागरूकता हेतु विशेष कार्यक्रम चलाना चाहिए जिससे जनमानस कौशल विकास योजना के बारे पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके।
2. कौशल विकास योजना प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक का नियुक्ति सरकार को अपने स्तर से साक्षात्कार कर करना चाहिए, जिससे प्रशिक्षण की गुणवता ठीक होगी और लाभार्थियों की कार्यकुशलता संपूर्ण रोजगार उन्मुख होगी।
3. कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण अधिकतम संख्या में ग्रामीण युवा एवं युवतियां लेते हैं इसलिए प्रशिक्षण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र अर्थात् पंचायत स्तर पर होना चाहिए।
4. पलायन रोकने के लिए सरकार को कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण से संबंधित उद्योगों की स्थापना अपने राज्य यानी झारखण्ड में जिला स्तर पर करना चाहिए जिससे प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए लाभार्थी दूसरे राज्यों को जाने के लिए बाध्य न हो।

सन्दर्भ

1. एलेन जे., 'भारत के विकसित कौशल विकास परिदृश्य का अवलोकन', ओ वी आई निदेशक ब्रिटिश काउंसिल इंडिया लीटन एर्नसबर्गर, सहायक निदेशक कौशल विकास इंडिया ब्रिटिश काउंसिल, 2016, अध्याय 2,3, पृ. 4–7, 17
2. बेहरा एवं गौर, 'भारत में कौशल विकास', रिसर्चगेट पब्लिकेशन, 2022
3. शर्मा लवीना, 'भारत में विकास चुनौतियां और अवसर', इंडियन जर्नल ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र, पुणे, 2016
4. राजीव एल., 'भारत में कौशल विकास अनुसंधान', रिसर्चगेट नेट पब्लिकेशन, खण्ड 26, अंक 7, 2019
5. Vinod S., *'Skill Times, Nature Skill and Talent for a Better Tomorrow'*, E News Letter, Rubber Skill Development Council, New Delhi, 2018, Vo. 5, Issu 9.
6. The Wold Bank Education Global Practice (April, 2015), The Skill Development Programs, Labour Market impacts and Effectiveness of Skill Development Programs 5 States in India : Assam, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha and Rajasthan, Page – 10, Report No. 94682-IN.

7- Sulochan M., *'Skill Development in India : Importance, Benefits'*, IJREP, International Journal of Research in Education and Psychology (UREP), 2018, Vol.- 4, Issue-4, ISSN:2455-426X, p. 32.

8. कुमार अरूण, 'कौशल विकास और उसका इतिहासः श्रम बाजार, तकनीकी ज्ञान और औपनिवेशिक भारत में कुशल श्रमिकों का निर्माण', दक्षिण एशियाई विकास जर्नल, 2018, खण्ड-13, अंक-3, एच टी टी पी एसः//डी ओ आई. ओ आर जी/10.1177/0973174118810050।

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2023

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बदलते प्रतिमान : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❑ डॉ0 योगेश मैनाली

सूचक शब्द : अनुसूचित जाति, महिलाएं, सामाजिक स्थिति, बदलते प्रतिमान।

यदि इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में चाहे आदिकाल हो या फिर आधुनिक काल, समाज में महिलाओं की हमेशा ही अग्रणी भूमिका रही है। हालांकि इस सच्चाई से भी हम मुख नहीं मोड़ सकते हैं कि मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका अवश्य ही गौण हो गई थी। उस समय महिलाओं को न तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने दिया जाता था और न ही समाज में। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही महिलाओं ने भी अपना खोया हुआ वर्चस्व समाज में स्थापित करना सुनिश्चित किया। महिलाओं के सामाजिक दर्जे एवं स्थिति को जाति व्यवस्था विशेष रूप से प्रभावित करती है, चाहे महिलाएं सामान्य जाति की हों या अनुसूचित जाति की। जाति व्यवस्था ने ग्रामीण समाज की अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय एवं शिक्षा के अवसर प्रदान किये। जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति की महिलाओं की प्रस्थिति एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होने लगा। ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने से उनकी सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-शैक्षणिक एवं सामाजिक-राजनैतिक स्थिति में सुधार हुआ है। आधुनिक शिक्षा, संवैधानिक अधिकार एवं सामाजिक विधानों ने ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं की परम्परागत सोच तथा सामाजिक स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वैदिककालीन भारतीय संस्कृति में गुण, कर्म एवं सद्भाव की सुदृढ़ आधारशिला पर आधारित चतुर्वर्ण व्यवस्था में ऊँच-नीच, स्पृश्य-अस्पृश्य जैसी संकीर्णताएं नहीं थीं। वैदिककाल में पिछड़ी जातियों की स्थिति सभी वर्णो के समान थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते-आते यह वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तन हो गयी थी। तभी से भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ी जातियों की सामाजिक, आर्थिक, एवं साँस्कृतिक स्थिति में अन्तर आने लगा था। समाज की इन पिछड़ी जातियों को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाने लगा था। जैसे- शूद्र, अनार्य, दलित, अछूत, अस्पृश्य, हरिजन एवं पिछड़ी जातियाँ आदि। विश्व के इतिहास में शायद ही किसी एक जाति के नाम में इतने परिवर्तन हुए हों, जितने अनुसूचित जाति के नामों में हुए थे।[1] जिसके कारण विभिन्न समूहों के बीच जाति विभेदों, असमानताओं, उच्चता-निम्नता, पवित्रता-अपवित्रता आदि की दीवारें खड़ी होने लग गई थीं। मध्यकाल में अनुसूचित जातियों को अस्पृश्य कहा जाने लगा था, जिसके परिणामस्वरूप इन जातियों को सामाजिक-साँस्कृतिक निर्योग्यताओं का शिकार होना पड़ा था। मुस्लिम शासनकाल के समय सामाजिक संस्तरण में कठोरता आने लगी थी। अंग्रेजी शासनकाल के प्रभाव के कारण सामाजिक संस्तरण में धीरे-धीरे परिवर्तन होने लग गया था। ब्रिटिश शासनकाल ने भारतीय समाज में नयी शिक्षा नीति, नयी प्रशासनिक व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को लागू किया था। इसी का परिणाम था कि भारतीय समाज में उपस्थित सभी जातियों की स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो गया था। 19वीं सदी के अन्त और 20वीं सदी के आरम्भ में समाज सुधारकों ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था पर वैचारिक प्रश्न चिन्ह लगाया था। ज्योतिबाफुले और बाबा साहब अम्बेडकर ने हिन्दू समाज की उस परम्परागत व्यवस्था और उन शास्त्रों का विरोध किया जो अनुसूचित जातियों को समाज में सम्मानजनक स्थिति से वंचित करती थीं। भारतीय समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चन्द्र विध्यासागर, केशव चन्द्र सेन, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गाँधी, बाबा साहब अम्बेडकर एवं स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार, अस्पृश्यता निवारण एवं अनुसूचित

❑ सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

जातियों के कल्याण की दिशा से सम्बन्धित कार्यो का शुभारम्भ होना शुरू हुआ था।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, एवं राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए अनेक कानूनों को लागू किया। भारतीय संविधान की धारा-15, 16, 17, 29, 38 एवं 46 के माध्यम से अनुसूचित जातियों की परम्परागत निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था की। अस्पृश्यता दूर करने के लिए अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 लागू किये गये। अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए सामुदायिक विकास एवं समन्वित ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न समाज कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है। अनुच्छेद 330, 332 एवं 334 के द्वारा संसद, राज्यों के विधानमण्डलों एवं स्थानीय निकायों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा का प्रावधान दिया गया जिसे और आगे बढ़ा दिया गया है।[2]

पिछले कुछ वर्षो में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने अपने ऊपर सदियों से चले आ रहे अन्याय-अपमान के ढॉचों को चुनौती देकर अपने अधिकारों के लिए सकारात्मक प्रयास किये हैं। इसके साथ ही ग्रामीण समाज में आज लोगों की धारणा बदल रही है। ग्रामीण समाज शिक्षा, संचार, आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण से अछूता नहीं है जिससे केवल भौतिक परिवर्तन ही नहीं बल्कि साँस्कृतिक परिवर्तन भी ग्रामीण समाज में दिखाई देते हैं। देखा जाये तो वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक, साँस्कृतिक, राजनैतिक एवं धार्मिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। एक ओर जहाँ ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक कल्याणकारी योजनाओं ने इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। आज के दौर में बदलते सामाजिक प्रतिमानों तथा जातिगत भेदभाव की प्रबलता में कमी होने से ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं को सम्मानजनक सामाजिक स्तर प्राप्त हो रहा है। व्यवसायिक अवसरों में वृद्धि एवं व्यवसाय की विविधता और आर्थिक स्वायत्तता के नये अवसरों में जाति, लिंग, भाषा, रंग और अन्य किसी भेदभाव के समान अवसर सभी को प्रदान किये गये हैं। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गयी हैं, जो महिलाओं की स्थिति को दृढ़ता एवं नई दिशा देने का कार्य कर रही हैं। इसी का परिणाम है कि आज अनुसूचित जाति की महिलाओं का समाज के अन्य वर्गो की महिलाओं के साथ सामंजस्य बढ़ रहा है एवं पहले की अपेक्षा सामाजिक रीति-रिवाजों में भी बदलाव हुआ है और हो रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सहभागिता प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होने लगी है। शिक्षा के प्रसार के साथ ही महिलाओं में व्यापक साक्षरता, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों से आई क्रान्ति ने भारतीय महिलाओं की स्थिति को बदल डाला है। आज महिलाएं पंचायत से लेकर विधानसभा एवं संसद तक अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ महिलाएं न पहुँची हों। भारतीय नारी आज सक्रिय राजनीति, कुशल प्रशासन, वाणिज्य प्रबन्धन एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे उद्धमता के क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट क्षमताओं का परिचय पूरे विश्व को दे रही हैं।[3]

साहित्य समीक्षा

सपना शर्मा सास्वत[4] ने अपने अध्ययन 'शासन की योजनाएं और दलित महिलाएं' में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की महिलाओं के प्रति विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के विकास एवं कल्याण के लिए सरकार द्वारा अनेक सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं, जिसका लाभ कुछ सीमा तक इनको मिला भी है। लेकिन सुधार की जितनी अपेक्षाएं थीं, उतना नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने व निराकरण हेतु तत्पर प्रयासरत् होने की आवश्यकता है।

शिवांशी[5] ने अपने शोध 'अनुसूचित जातियों की महिलाओं पर आधुनिकता का प्रभाव' में बताया है कि आधुनिकता के कारण अनुसूचित जाति की महिलाएं शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं और तो और उच्च शिक्षा में भी अनुसूचित जाति की महिलाओं की भूमिकाओं में निरंतर विकास हो रहा है। आधुनिकता के प्रभाव से अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक जीवन शैली जैसे- रहन-सहन, खानपान, वेषभूषा आदि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। अनुसूचित जाति की महिलाओं पर हुए अत्याचार

एवं शोषण में पहले की अपेक्षा अब कमी आयी है। संसद द्वारा अनेक कानून महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी हैं। 21वीं सदी में अनुसूचित जाति की महिलाओं में आधुनिकता के प्रभाव के कारण उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है।

सुनीता अग्रवाल[6] ने अपने अध्ययन 'ग्रामीण अनुसूचित जातियों की महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता : छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में' में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चार विकासखण्डों- धरसीवा, आरंग, अभनपुर व तिल्दा के एक-एक ग्राम की अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया है। उनके अध्ययन में निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाएं आज यह बात भलीभाँति समझने लगी हैं कि राजनीति में अनुसूचित जाति की महिलाओं की भागीदारी से समूहों व समाज में उनकी स्थिति सुदृढ़ हो रही है। अनुसूचित जाति की महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग स्वेच्छानुसार करने लगी हैं। साथ ही महिलाओं को प्राप्त आरक्षण के कारण उनकी राजनैतिक सहभागिता, सक्रियता एवं जागरूकता में भी वृद्धि हुई है।

नरेन्द्र सिंह[7] ने अपने शोध 'महिला सशक्तीकरण और नई पीढ़ी' में बताया है कि भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरूद्ध चली आ रही बुरी प्रथाओं को हटाना होगा। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनके कौशल को निपुण करना होगा, ताकि महिलाएं परिवार, व्यवसाय व समुदाय के आर्थिक हितों में सहयोग कर सकें। इन सबके लिए आवश्यक है कि महिलाओं के आत्मविश्वास को समाज द्वारा जीता जा सके, जिससे वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना महिला सशक्तिकरण के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही है।

शोध पद्धति - प्रस्तुत शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया गया है। तहसील द्वाराहाट में कुल 204 गाँव हैं।[8] प्रस्तुत अध्ययन को दृष्टिगत् रखते हुए चार ऐसे गाँवों का चयन किया गया है, जिनमें कुल परिवारों की संख्या 200 से अधिक हो। साथ ही इन परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 50 से अधिक हो। इस क्रम में चार गाँवों असगोली एवं चकपातल रॉन, बिजेपुर ईडा एवं चकमल्ला बयेड़ा तथा रवाडत्री का चयन किया गया। इन चारों गाँवों में अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या क्रमशः 80, 53, 80 एवं 90 थी। इन चयनित चार गाँवों में से दैव निदर्शन की लाटरी पद्धति से एक गाँव का चयन किया गया, जिसमें असगोली एवं चकपातल रॉन गाँव अध्ययन के लिए निदर्श के रूप में चुना गया, जिसमें अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 80 है। इन 80 परिवारों में से प्रति परिवार से एक महिला इस अध्ययन के लिए उत्तरदाता है। असगोली एवं चकपातल रॉन गाँव द्वाराहाट से लगा गाँव है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस गाँव की कुल जनसंख्या 1059 है। इस गाँव में कुल 234 परिवार रहते हैं, जो अलग-अलग जातियों से सम्बन्ध रखते हैं। इस गाँव में अनुसूचित जातियों के 80 परिवार निवास करते हैं। इस गाँव में कुल 369 अनुसूचित जातियों के लोग निवास करते हैं, जिनमें 204 पुरूष तथा 165 महिलाएं सम्मिलित हैं।[8]

यह शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही अवलोकन विधि का भी उपयोग किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जाति की महिलाओं की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति पर पड़े प्रभावों का अध्ययन करना।
4. अनुसूचित जाति की महिलाओं की जीवन शैली तथा जीवन मूल्यों पर पड़े आधुनिकता के प्रभावों का अध्ययन करना।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति- ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने से उनकी शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आधुनिक शिक्षा, संवैधानिक अधिकार एवं सामाजिक विधानों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति की महिलाओं की परम्परागत सोच तथा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है। आज अनुसूचित जाति की महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है। कड़ी प्रतिस्पर्धा भरे इस वातावरण में अनुसूचित जाति

की महिलाओं ने अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ करके स्वयं को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। अनुसूचित जाति की महिलाएं समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के कारण वे अब समाज की सभी जातियों के लोगों के साथ घुल-मिल रहीं हैं। अब अनुसूचित जाति की महिलाओं को समाज में जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता एवं छुआछूत की भावना से नहीं देखा जाता है। ग्रामीण समाज में नगरीकरण, औद्योगीकीकरण एवं पश्चिमीकरण के प्रभावों से ग्रामीण आधुनिक शिक्षा की ओर अग्रसर हुए हैं। ग्रामीणों की इस भावना ने उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढाँचे से जुड़े मूल्यों, आदर्शो व मान्यताओं जो अनुसूचित जाति के प्रति ग्रामीणों की थी, को परिवर्तित करने में अपना योगदान दिया है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं ने अपनी सम्पूर्ण छवि को बुद्धिमान और परिश्रमी नारी के रूप में स्थापित किया है। आज अनुसूचित जाति की महिलाओं ने अपनी सामाजिक, व्यवसायिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को मजबूती देकर समाज में अपनी सम्मानजनक सामाजिक स्थिति प्राप्त की है। असगोली एवं चकपातल रॉन गाँव की अनुसूचित जाति की ग्रामीण महिलाओं से जब उनकी समाज में सामाजिक स्थिति के विषय में प्रश्न पूछा गया तो उत्तरदाताओं ने जो प्रत्युत्तर दिये हैं, उन्हें तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका - 1

अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति

सामाजिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
अन्य जातियों के लोगों की सामाजिक स्थिति के समान है।	56	70.00
अन्य जातियों के लोगों की सामाजिक स्थिति से नीची है।	17	21.25
कोई उत्तर नहीं	07	08.75
कुल	80	100

उपर्युक्त तालिका 1 से स्पष्ट है कि असगोली एवं चकपातल रॉन गाँव की अनुसूचित जाति की 70 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने बताया कि समाज में उनकी सामाजिक स्थिति अन्य जातियों के लोगों की सामाजिक स्थिति के समान है। 21.25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि समाज में उनकी सामाजिक स्थिति अन्य जातियों के लोगों की सामाजिक स्थिति से नीची है। इसके साथ ही 08.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी सामाजिक स्थिति के विषय में कोई राय व्यक्त नहीं की। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र के चयनित गांव के नगर से जुड़ने के कारण एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा के बढ़ते प्रभाव ने उनकी सामाजिक स्थिति को अन्य जातियों के लोगों की सामाजिक स्थिति के बराबर लाने में अपना योगदान दिया है। गांव की जो महिलाऐं अपनी सामाजिक स्थिति को अन्य जाति के लोगों की सामाजिक स्थिति से कम देखती हैं उनमें कहीं न कहीं जागरूकता एवं शिक्षा की कमी देखी गई है।

महिलाओं की आर्थिक स्थिति- महिलाओं की आर्थिक स्थिति को वर्तमान समय में समाज के विकास के निर्धारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। महिलाएं प्रत्यक्षतः आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती हैं। महिलाएं पारिवारिक दायित्वों का बोझ स्वयं उठाकर पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक क्रियाओं में भी संलग्न रहती हैं। आज आर्थिक दृष्टि के क्रियाकलापों जैसे- कृषि, पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी पालन एवं हैण्डलूम व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी पुरूषों के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ी हुई है। यही नहीं पिछले दशक में महिलाओं की आर्थिक क्रियाओं से सम्बन्धित नये आयाम उभरकर सामने आये हैं। महिलाओं की आर्थिक सहभागिता के सम्बन्ध में स्वतंत्रता के बाद गैर परम्परागत सेवाओं और व्यवसायों में महिलाओं के उभरने के लिए जो प्रत्यक्ष कारण उत्तरदायी हैं, वे निम्नलिखित हैं-

1. महिला शिक्षा के विकास और इसके फलस्वरूप शिक्षा तथा रोजगार के उन क्षेत्रों में प्रवेश जिनमें अब तक पुरूषों का एकाधिकार था।
2. रोजगार एवं व्यवसाय के अवसरों में भेदभाव न बरतने और अवसरों की समानता का संवैधानिक आश्वासन महिलाओं को प्राप्त होना।
3. बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण ग्रामीण एवं शहरी मध्य वर्ग के बीच रोजगार से सम्बन्धित सामाजिक मूल्यों में क्रमिक परिवर्तन।

आर्थिक जीवन में महिलाओं की भूमिका के सम्बन्ध में प्रमिला कपूर[9] ने कहा है कि भारत में आज से कुछ साल पूर्व तक उन महिलाओं को छोड़कर जिन्हें आर्थिक मजबूरी में कार्य करना पड़ा, उनमें से अधिकाँश शिक्षित एवं विवाहित महिलाएं लाभप्रद वैतनिक नौकरियों में नहीं आयी थीं, लेकिन विगत कुछ वर्षो में खाका कुछ

बदला है। अब न सिर्फ आर्थिक रूप से विवश महिलाएं ही वैतनिक नौकरियाँ करने लगीं हैं, बल्कि वे महिलाएं भी आर्थिक सहभागिता के कार्यों को करती हैं, जो एक उपयोगी एवं मजबूत सामाजिक जीवन जीना चाहती हैं। महिलाएं अब समझने लगीं हैं कि नौकरी करने से उन्हें एक व्यक्तिगत् दर्जा तथा स्वतंत्र सामाजिक अस्तित्व मिलता है। इसी के साथ महिलाओं के सोचने व अनुभव करने का ढंग भी बदला है।[9]

उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ी है। कोविड-19 के दौरान संक्रमण को रोकने में महिला डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिस एवं प्रशासन में महिलाओं के योगदान के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि 'महिलाओं का उत्तराखण्ड प्रदेश के निर्माण से लेकर विकास तक के सभी आयामों में यहां की मातृशक्ति की बड़ी भूमिका रही है।'[10] आज उत्तराखण्ड राज्य में महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में सहभागिता देकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की मदद से स्थानीय फलों और अनाजों से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पाद, हस्तशिल्प, विभिन्न रेशों से निर्मित ऊनी वस्त्र एवं शॉल आदि बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर समाज के विकास में योगदान देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं।

आज ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं ने अपने परम्परागत् व्यवसायों को त्यागकर नये व्यवसायों एवं स्वरोजगारों को शुरू किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक-व्यवसायिक गतिशीलता बढ़ गई है। व्यवसायिक गतिशीलता के बढ़ने एवं रोजगार की सम्भावना एवं अवसर अधिक होने से अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। असगोली एवं चकपातल रॉन गाँव की चयनित अनुसूचित जाति की महिला उत्तरदाताओं से जब उनकी आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध मे ंप्रश्न किया गया कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को समाज में कैसा महसूस करती हैं। इसके प्रत्युत्तर में उनसे प्राप्त सूचनाओं को तालिका संख्या 2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका - 2

सूचनादात्रियों की आर्थिक स्थिति

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
अच्छा महसूस कर रही हैं	67	83.75
अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं	13	16.25
कुल	80	100

उपर्युक्त तालिका 2 से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में 83.75 प्रतिशत महिलाएं अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समाज में अच्छा अनुभव कर रही हैं। 16.25 प्रतिशत महिलाएं अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को अच्छा अनुभव नहीं करती हैं। अध्ययन क्षेत्र की महिलाऐं गांव में ही किसी न किसी उद्धम से जुड़ी हैं। अधिकांश ग्रामीण महिलाएं पशुपालन, डेयरी, बागवानी, मुर्गीपालन से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। गांव की कुछ महिलाएं नगर में बुटीक एवं ब्यूटीपार्लर का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही महिलाओं ने गांव में स्वयं सहायता समूह बनाये हैं जिसकी सहायता से वे महिलाएं भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं जो कभी गांव के समाज में अंतिम पायदान पर खड़ी रहती थीं।

महिलाओं में शैक्षणिक स्थिति- बालाजी पाण्डेय[14] ने अपनी पुस्तक 'स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा का विकास : नीतियाँ तथा उपलब्धियाँ' में बताया है कि यदि महिलाओं के विषय में विचार किया जाये तो मुगल साम्राज्यकाल से ही भारतीय नारी की दशाओं तथा सामाजिक स्थिति में काफी गिरावट आई है। यथा- पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा पर रोक, बाल-विवाह प्रथा, विधवा विवाह पर रोक, महिलाओं का सम्पत्ति पर अधिकार न होना आदि अनेक सामाजिक कुरूतियाँ महिलाओं की गिरती हुई दशाओं के लिए उत्तरदायी थीं। किसी भी समाज में परिवर्तन लाने में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त आधार है। सामाजिक कुरूतियों, अंधविश्वासों एवं अज्ञानता को दूर करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा से व्यक्ति को अपने मानवीय व नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का बोध होता है। विश्वभर में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए किये गये आन्दोलनों में शिक्षा को महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। शिक्षा स्त्री-पुरूषों के बीच असमानता की उन गहरी जड़ों को उखाड़ सकती

है जो समाज में भेदभाव का वातावरण बनाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा ने सदियों से चली आ रही असमानता को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा शिक्षा से अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सबलता भी मिली है। अध्ययन क्षेत्र की उत्तरदाता स्त्रियों से उन पर शिक्षा सम्बन्धी प्रभावों के विषय में जब प्रश्न किया गया तो उनसे प्राप्त प्रत्युत्तरों को तालिका 3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका - 3

सूचनादात्रियों की शैक्षणिक स्थिति पर प्रभाव

शैक्षणिक स्थिति पर प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।	56	70.00
बहुत कम प्रभाव पड़े हैं।	11	13.75
कोई प्रभाव नहीं पड़े हैं।	07	08.75
कोई उत्तर नहीं।	06	07.50
कुल	80	100

उपर्युक्त तालिका 3 से स्पष्ट है कि गाँव की अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर शिक्षा से पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि शिक्षा से उनकी सामाजिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। 13.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि शिक्षा से उनकी सामाजिक स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़े हैं तथा 08.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी सामाजिक स्थिति पर शिक्षा से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 07.50 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसके सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। शिक्षा के बढ़ते प्रचार प्रसार ने लोगों को जागरूक किया है। आज डिजिटल इंडिया और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाली महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को प्रबलता दी है। इसी का परिणाम है कि ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाएं शिक्षा को संबल बनाकर समाज के विभिन्न क्षेत्र जो कभी उनके लिए वर्जित माने जाते थे उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति अंकित करा रही हैं।

महिलाओं की जीवन शैली व जीवन मूल्यों पर आधुनिकता के प्रभाव आधुनिकीकरण नवीनता लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रभावकारी तथ्य के रूप में मानव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व्यवसायिक एवं सामाजिक जीवन शैली व जीवन मूल्यों को प्रभावित करती है। ए.आर. देसाई[12] ने अपनी पुस्तक 'मॉडर्नाइजेशन : दि डायनामिक्स ऑफ ग्रोथ' में बताया है कि आधुनिकीकरण का प्रयोग केवल सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं तक विस्तृत है। आधुनिकीकरण बौद्धिक क्षेत्र में ईश्वर को आधार मानकर किसी भी घटना को स्वीकार नहीं करता है। आधुनिकीकरण में भौतिक व सामाजिक घटनाओं की तार्किक व्याख्या की जाती है। आधुनिकीकरण का अर्थ ही तर्क शक्ति को बढ़ाना है। धर्म निरपेक्षता तार्किकता का ही परिणाम है, जिसके फलस्वरूप अलौकिक जगत के स्थान पर लौकिकता का दृष्टिकोण पनपता है।

ग्रामीण क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं की जीवन शैली, जीवन मूल्यों के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं जैसे- खानपान, रहन-सहन, व्यवहार प्रतिमान, आचार-विचार, मनोरंजन के साधनों तथा फैशन आदि पर आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाएं जो परम्परानिष्ठ होती थीं, वे अब आधुनिकीकरण व पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की जीवन शैली तथा जीवन मूल्यों में परिवर्तन आया है। महिला उत्तरदाताओं से जब उनकी जीवन शैली व जीवन मूल्यों पर आधुनिकता के क्या प्रभाव पड़े हैं, के विषय में प्रश्न किया गया तब उत्तरदातात्रियों द्वारा दिए गये प्रत्युत्तर तालिका 4 में प्रस्तुत किया गये हैं।

तालिका - 4

महिलाओं की जीवन शैली व जीवन मूल्यों पर आधुनिकता के प्रभाव

उत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
जीवन शैली बदल गई है।	59	73.75
जीवन शैली नहीं बदली है।	13	16.25
कोई उत्तर नहीं।	08	10.00
कुल	80	100

तालिका 4 से स्पष्ट है कि महिला उत्तरदाताओं द्वारा जीवन शैली व जीवन मूल्यों पर आधुनिकता के पड़े प्रभावों के सम्बन्ध में 73.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी जीवन शैली बदल गई है। 16. 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया है तथा 10 प्रतिशत

उत्तरदाताओं ने इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकसित होने से ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाऐं भी प्रभावित हुई हैं। यही कारण है कि ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सोच में भी व्यापक प्रभाव देखा गया है, जिसने महिलाओं की जीवनशैली, खान-पान, वेश-भूषा, आचार-विचार एवं मनोवृत्तियों को भी प्रभावित किया है। आधुनिकता ने महिलाओं की पुरानी मानसिकता को बदलने का कार्य किया है।

निष्कर्ष : अध्ययन क्षेत्र की अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बदलने में आधुनिक शिक्षा, आधुनिकीकरण तथा उन्हें प्राप्त संवैधानिक प्रावधानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका स्पष्ट प्रभाव ग्रामीण अनुसूचित जाति महिलाओं में परिलक्षित होता है।

ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाएं आज कृषि, पशुपालन, स्वरोजगार एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर समाज के विकास में योगदान दे रही हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश महिलाएं आज आत्मनिर्भर बनी हैं।

ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं पर आधुनिकीकरण के प्रभावों से उनकी जीवन शैली, व्यवहार प्रतिमानों एवम् आचार-विचारों में भी बदलाव आया है। ये अब पुरानी मान्यताओं एवं रूढ़ियों से अपने को दूर रख रही हैं।

महिलाओं में अब धार्मिकता के स्थान पर तार्किकता की सोच विकसित हो रही है। शिक्षित महिलाएं हर बात को तार्किकता से जोड़कर देखती हैं। परिवार के निर्णयों में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक एवम् आर्थिक प्रस्थिति को सशक्त करने में शिक्षा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है, जिससे समाज में उनकी प्रस्थिति सशक्त हो रही हैं। ये समाज के लिए एक उदाहरण बनकर उभर रही हैं।

सुझाव :

1. ग्रामीण अनुसूचित जाति की वे महिलाऐं जिनकी सामाजिक स्थिति अन्य महिलाओं की तुलना में कम बदली है उनकी स्थिति को बदलने के लिए उनमें शिक्षा का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
2. ग्रामीण समाज में चली आ रही पुरानी मान्यताऐं, अंधविश्वासों जो विकास में बाधक हैं उन्हें दूर करने के लिए ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं को जागरूक किया जाये।
3. सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाये जिससे गांव के अंतिम छोर में निवास करने वाली ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाऐं लाभान्वित हो सकें।
4. ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभा स्तर पर उनका अनुश्रवण किया जाये।

सन्दर्भ

1. दत्त, महेश्वर, 'गाँधी अम्बेडकर और दलित', राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005, पृ. 15 ।
2. आहूजा, राम, 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2004, पृ.280 ।
3. वर्मा, सुनीता, 'महिला सशक्तिकरण विविध आयाम', इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऐप्लाइड रिसर्च, वाल्यूम 5, नं. 2 पार्ट ए 2019, पृ. 66-71 ।
4. शर्मा, सास्वत सपना, 'शासन की योजनाएं और दलित महिलाएं', ग्लोबल जनरल ऑफ मल्टीडिसीप्लेनरी स्टडीज, वौल्यूम-4, इ-यू 02, जनवरी, 2015, पृ. 175
5. शिवांशी, 'अनुसूचित जातियों की महिलाओं पर आधुनिकता का प्रभाव', जरनल ऑफ ह्यूमिनिटीज एण्ड कलचर, (ए मल्टीडिसीप्लेनरी रिसर्च जनरल फॉर ऑल), वाल्यूम-4, इ-यू-4, अक्टूबर-दिसम्बर, 2017, पृ. 396-398
6. अग्रवाल, सुनीता, 'ग्रामीण अनुसूचित जातियों की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता : छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में', शोध मंथन पत्रिका, वाल्यूम 8 नं.4 2017, पृ. 18-25
7. सिंह, नरेन्द्र (2018), 'महिला सशक्तिकरण और नई पीढ़ी', इंडियन जनरल ऑफ रिसर्च, वोल्यूम-7, 2018 (www. wprdwodekpirma:s.com) अधिगम की तिथि 28 अगस्त 2020
8. www.census2011.co.in :द्वाराहाट के गाँव।
9. कपूर, प्रमिला, 'मैरिज एण्ड दि वर्किंग वूमन इन इंडिया', विकास पब्लिकेशन, दिल्ली, 1970, पृ0 04
10. अमर उजाला, 'प्रदेश के निर्माण से लेकर विकास तक में महिलाओं की बड़ी भूमिका', 26 अगस्त, 2020, पृ. 11
11. पाण्डेय, बालाजी, 'स्वतंत्र भारत में स्त्री शिक्षा का विकासः नीतियाँ तथा उपलब्धियाँ', सोशियल साइंटिस्ट, भाग-13, 1985, पृ. 98-99
12. देसाई, ए.आर., 'मॉडर्नाइजेशन : दि डायनेमिक्स ऑफ ग्रोथ', उद्धृत वीनर एम., हेगिनबाथम प्रेस, मद्रास, 1967, पृ. 23

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई–दिसम्बर 2023
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

पूर्वमध्यकालीन मध्य भारत में सामन्तीय व्यवस्था, चंदेल राजवंश के विशेष संदर्भ में : एक ऐतिहासिक अध्ययन

❑ सुश्री मुक्ता वर्मा
❖ डॉ सुरभि श्रीवास्तव

सूचक शब्द : पूर्व मध्यकाल, सामंतवाद, चंदेल वंश, चंदेलकालीन एवं समकालीन सामंतीय व्यवस्था।

गुप्तकाल में भारतीय राजनीति में एक नई प्रवृत्ति का प्रदुर्भाव हुआ जिसे इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद नाम दिया गया। सामन्तवाद से अभिप्राय है कि एक शाक्तिशाली शासक या केन्द्रीय सता के अधीन कई छोटे-छोटे शासक अपने-अपने क्षेत्रों पर शासन करते हैं तथा वह केन्द्रीय सता की आज्ञाओं का पालन करते हुए उन्हें कर अदायगी एवं सैनिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। गुप्तों के काल से प्रारम्भ हुई यह प्रवृत्ति पूर्व मध्यकाल तक अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। पूर्व मध्यकाल में भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था जो सत्ता के लिये एक-दूसरे से संघर्षरत रहते थे। आठवीं शताब्दी ईस्वी में पश्चिम भारत के गुर्जर-प्रतिहारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष को जीतकर कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित किया। अब यह उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे, जिनके अधीन अनेक सामन्त शासक- चन्देल, परमार, चाहमान, चालुक्य, कलचुरि आदि थे। प्रतीहारों की क्षीण होती शक्ति का लाभ उठाकर इन सामन्त शासकों ने अपने-अपने क्षेत्रों पर स्वतन्त्र प्रभुत्व स्थापित किया। इन्ही सामन्त शासकों से मध्य भारत के एक प्रभुत्व सम्पन्न राजवंश की उत्पति हुई जो इतिहास में "जेजाकभुक्ति के चन्देल" अथवा बुन्देलखण्ड के चन्देल नाम से प्रसिद्ध हुए। इस वंश ने आठवीं सदी ई. से लेकर तेरहवीं सदी ई. तक मध्य भारत पर राज किया था। चंदेलों ने न केवल सैनिक विजयें ही कीं अपितु उन्होंने कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में भी भारत को ऐसी निधियां प्रदान कीं, जो खजुराहो के मंदिरों के रूप में भारत को विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाते हैं। चंदेलों के अभिलेखों से भूमि अनुदानों के विवरणों की विस्तृत श्रृंखला प्राप्त होती है जिसमें सामंतीय व्यवस्था के उल्लेख दृष्टिगोचर होते हैं। प्रस्तुत शोध में चंदेलों के विशेष संदर्भ में पूर्व मध्यकालीन मध्य भारत की सामन्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जा रहा है।

मार्क्स ने सामंतवाद को परिभाषित करते हुये उसकी आर्थिक व वर्गसंघर्ष पर आधारित व्याख्या को प्रस्तुत किया। मार्क्स के अनुसार "पतनशील रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों और कुछ बर्बर जातियों द्वारा उसकी विजय ने अनेक उत्पादक शक्तियों को नष्ट किया। कृषि में गिरावट आयी, बाजारों के अभाव में उद्योग धंधे नष्ट हो गये, व्यापार-वाणिज्य या तो चौपट हो गया या उसके मार्ग में भयंकर बाधाएं आयीं और ग्रामीण व शहरी जनसंख्या घट गई। इन स्थितियों और इनके द्वारा निर्धारित विजय के स्वरूप ने ट्यूटनी सैनिक विधान के प्रभाव के अंतर्गत सांमती संपत्ति को जन्म दिया।"[1] मार्क्स की इस आर्थिक सामंती व्याख्या ने सामंतवाद को एक नया स्वरूप प्रदान करते हुये इतिहासकारों को इसे नये प्रकाश में देखने को प्रेरित किया। इससे पूर्व तक सामंतवाद की व्याख्या 'विधिक सांविधानिक संप्रदाय' पर आधारित थी।[2] जिसका आशय स्वामी और आसामी के मध्य संविदागत संबंधों पर आधारित सीमित शासन और प्रतिरोध का अधिकार था। भारतीय इतिहासकार आर. एस. शर्मा सामंतवाद को पारिभाषित करते हुये कहते हैं कि "उसका राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा भूमि अनुदानों तथा आर्थिक ढाँचा कृषि दासत्व के आधारों पर गठित था जिसमें किसान जमीन से बंधे हुए होते थे और भूमि के मालिक वे जमींदार होते थे जो असली काश्तकार व राजा के मध्य कड़ी का कार्य कार्य करते थे। किसान जमीन जोतने के बदले सामन्त को उपज और बठ-बेगार के रूप में लगान अदा करते थे।"[3] इनके अनुसार विदेशी व्यापार के पतन, सिक्कों के अभाव एवं बंद अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने के फलस्वरुप सामंतवादी प्रवृत्तियों का तेजी से विकास हुआ। भारत में सामंतवादी व्यवस्था के उदय एवं विकास में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक प्रवृत्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

भारत में सामन्ती प्रथा का प्रारम्भ गुप्तों के काल से माना जाता है। हालाँकि इसके पूर्व भी सामन्त शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है। सर्वप्रथम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विनयाधिकारिकः

❑ शोध अध्येत्री, इतिहास विभाग, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)
❖ असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विभाग, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)

अधिकरण में आटविक के साथ सामन्त का उल्लेख किया गया है (सामन्ताट विकतत्तुलीनवरुद्धेभ्यश्र्व)।[4] इस सामन्त शब्द का प्रयोग 'स्वतन्त्र पड़ोसी' के अर्थ में किया गया जान पड़ता है। शक शासकों ने अपने नाम के पूर्व क्षत्रप व महाक्षत्रप जैसी उपाधियाँ धारण कीं जिससे उनकी सामन्तीय स्थिति का बोध होता है।[5]

कुषाण शासकों ने देवपुत्र- षाहिषाहानुषाहि[6] जैसी उपाधियाँ धारण कीं, जिसमें षाहि से तात्पर्य सामन्त से लगाया जाता है। शक-कुषाणों के काल से बीजारोपित हुई यह परम्परा गुप्तों के काल में और पल्लवित हुई। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की साम्राज्य विस्तारवादी नीति से इस परम्परा को प्रश्रय प्राप्त हुआ । समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख में उसके द्वारा विजित राज्यों के प्रति अपनाई गई नीतियों का उल्लेख किया गया है। उसने दक्षिणी सैन्य अभियान में विजित राज्यों के प्रति 'ग्रहणमोक्षनुग्रह' की नीति अपनाकर उनको अपना करद राज्य बना लिया।[7] इसके साथ ही उसने सीमान्त विजित राज्यों व आटविक राज्यों के प्रति सर्वकरदान-आज्ञाकरण-प्राणामागमन[8] नीति द्वारा उन्हें अपने अधीन कर लिया। देवपुत्र-षाहिषाहानुषाहि, शक शासकों एवं सिंहल और अन्य द्वीपीय शासकों को आत्मनिवेदनकन्योपायनदानगरुत्मदङ्गस्वविषयभुक्तिशासन याचनाद्युपायसेवा[9] नीति को मानने के लिये विवश किया गया। समुद्रगुप्त की इन नीतियों ने सामन्ती प्रथा का बीजारोपण किया। गुप्तों के शक्तिशाली साम्राज्य के पतन के साथ ही उसके अधीनस्थ शासकों ने अपनी-अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। गुप्त काल का एक अखण्ड भारत अब कई छोटे-छोटे राज्यों में बंटकर रह गया। छठी शताब्दी में हर्ष के राज्यारोहण के साथ पुनः भारत को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया गया। हर्ष ने उत्तर भारत को अपनी विजयों द्वारा पुनः एक अखण्डित स्वरूप प्रदान किया। बाणभट्ट की हर्षचरित में उल्लेख है कि जब बाणभट्ट उससे मिलने मणितारा स्कन्धावार[10] में गया तब पूरा स्कन्धावार सामन्तों से भरा हुआ था, जो सम्राट से मिलने की इच्छा रखते थे, साथ ही अन्य राजाओं, जैनों, अर्हताओं, पाशुपातओं, ब्राह्मण विद्यार्थियों, विदेशी राजदूतों आदि की भी वहां उपस्थिति का वर्णन करता है।[11] हर्षचरित में करदीकृत महासामंतों का भी उल्लेख किया गया है।[12] हर्षचरित में सामंतों के अनेक प्रकारों की चर्चा करते हुये उनके अभिवादनों की भी चर्चा की गई है। अभिवादनों में सबसे अधिक चर्चा सामंतों द्वारा सम्राट की चरण-धूल लेने की है। कादम्बरी में भी सामंतों द्वारा सम्राट के अभिवादनों पर विस्तार में चर्चा करते हुए पांच प्रकार के अभिवादनों का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि पराजित राजा अभिवादन के लिए सिर झुकाते हैं, सिर झुकाकर सम्राट के चरणों का स्पर्श करते हैं, सिर झुकाकर सम्राट के तलवों का स्पर्श करते हैं, सम्राट के चरणों के निकट की भूमि का स्पर्श करते हैं।[13]

राजनीतिक कारकों के साथ ही आर्थिक कारकों में भूमि अनुदानों ने भी सामंतीय व्यवस्था की जड़ों को सुदृढ़ बनाने में योगदान दिया। प्रारम्भिक काल से ही ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा प्रचलन में रही। पहले यह दान, विशेषकर स्वर्ण मुद्रा, पशु अथवा दासों के रूप में दिया जाता था, जो कालान्तर में परिवर्तित होकर भूमिदान हो गया। पाँचवी शताब्दी के पूर्व तक ब्राह्मणों को दिये गये भूमिदानों पर उनका प्रशासनिक अधिकार नहीं होता था, वे केवल उस भूमि से अपना भरण-पोषण कर सकते थे। पाँचवी शताब्दी के पश्चात भूमिदानों के साथ ही उसके प्रशासन के अधिकार भी ग्रहीता को सौप दिये जाने लगे। वहाँ निवास करने वाले किसान, कारीगर आदि व्यक्ति भी ग्रहीता के अधीनस्थ हो जाते थे।[14] गुप्तोत्तर काल तक आते-आते यह भूमि अनुदान ब्राह्मणों, पुरोहितों के अतिरिक्त राज्याधिकारियों तथा सैनिकों को भी सेवा के बदले प्रदान किये जाने लगे। चन्देल अभिलेखों में अनेक स्थानों पर ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं जहां राज्याधिकारियों को बड़े-बड़े भूमि अनुदान प्रदान किये गये, जिसमें भूमि के साथ-साथ उस क्षेत्र के समस्त निवासी, पेड़-पौधे, खेत-खलिहान, पशु-पक्षियों एवं मन्दिरों आदि के अधिकार भी ग्रहिताओं को दान में दे दिये गये। इन अनुदानों से उस क्षेत्र के समस्त अधिकार ग्रहीता को मिल जाते थे तथा राजा या केन्द्र का उस क्षेत्र पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। इस प्रवृत्ति ने शासक के उस क्षेत्र पर अधिकारों को सीमित कर दिया। इस व्यवस्था ने राज्य व ग्राम के मध्य एक मध्यस्थ को जन्म दिया जो कालान्तर में सामन्तवादी व्यवस्था का एक प्रबल कारण सिद्ध हुआ। चाहमानों के अभिलेखों से भी इस प्रकार के अनुदानों के व्यापक रूप से प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। नाडोल के कुमार साहणपालदेव के 1135 ई के अनुदान पत्र में उल्लेख है कि नदान ग्रामवासी साहीय तथा असार नामक दो व्यक्ति अपने पुत्रों व पौत्रों के साथ भगवान त्रिपुरुषदेव

की सेवा में सौंप दिए गए।[15] इसी प्रकार 1207 ई के चालुक्य दान पत्र से ज्ञात होता है कि चालुक्य सामंत मेंहरराव जगमल्ल के द्वारा एक विशाल नगर में दो शिवलिंगों की स्थापना की गई तथा उसकी देखरेख के लिए दो गांवों में जमीन के दो टुकड़ों को दान किया गया, जिसकी खेती तीन किसान करेंगे।[16] प्रतीहार दानपत्रों से भी यह सूचना प्राप्त होती है कि अनुदानित गांव से होने वाली समस्त आय पर ग्रहीता का अधिकार होता था तथा उसमें रहने वाले समस्त वासियों से यह आशा की जाती थी कि वह ग्रहीता की आज्ञा का पालन करेंगे तथा उसे शुल्क व कर की अदायगी करेंगे।

पूर्व मध्य काल तक यह सामन्तीय व्यवस्था व्यापक रूप से प्रचलित हो चुकी थी। इस काल तक भारत अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था। यह राज्य एक-दूसरे से सत्ता के लिये संघर्ष करते रहते थे। जब कोई एक शक्तिशाली राज्य कमजोर हो जाता था तो उसके अधीनस्थ शासक स्वयं को स्वतन्त्र घोषित करके एक नये राजवंश का निर्माण कर देते थे। हर्ष के पश्चात कन्नौज पर स्वामित्व को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, उसमें गुर्जर-प्रतीहार उत्तर भारत के एक शक्तिशाली वंश के रूप में उभरे। उनके अधीन अनेक शासक चन्देल, परमार चाहमान, चौलुक्य, कलचुरि, गहड़वाल आदि सामंत शासक थे जिन्होंने प्रतीहारों की अवनति का लाभ उठाकर उत्तर भारत में विभिन्न राजवंशों की स्थापना की। चालुक्यवंशी बलवर्मा व उसके पुत्र अवनिवर्मा द्वितीय के ऊणा दानाभिलेखों (893ई. व 897ई.) में उन्हें 'महासामन्त' व 'समाधिगत पंचमहाशब्द' कहा गया है।[17] जो उनकी प्रतीहार सामंत स्थिति का बोधक है। यहां पंचमहाशब्द से अभिप्राय पांच प्रकार के वाद्य घोषों से है जिसमें श्रृंग, तम्मट, शंख, भेरी तथा जयघंटा को सम्मिलित किया जाता है। इन सामंत शासकों को दरबारों एवं जुलूसों में इनके प्रयोग की अनुमति प्राप्त थी।[18] परमारों के कतिपय अभिलेखों में पंचमहाशब्दालंकार शब्द प्राप्त होता है, यथा- उज्जैन से प्राप्त महाराजाधिराज यशोवर्मन् व महाकुमार लक्ष्मीवर्मन् का ताम्रपत्र अभिलेख[19], जिसमें लक्ष्मीवर्मदेव के नाम के साथ समस्त प्रशस्तोपेत समधिगत पंचमहाशब्दालंकार महाकुमार उपाधि लगी है। निश्चितरूपेण यह एक अधीनस्थ सामन्तीय उपाधि मानी जानी चाहिए। कल्हण कृत राजतरंगिणी[20] के अनुसार कश्मीर में पंचमहाशब्द उपाधि से युक्त नरेश के अधीन निम्न अधिकारी होते थे- महाप्रतीहारपीड, महासाधिविग्रहक, महाश्वपाल, महाभाण्डागार और महासाधनभाग। इसी प्रकार पृथ्वीराज विजय में दुलर्भराज प्रथम के विषय में उल्लेख है कि उसने अपनी तलवार को गंगा और समुद्र के संगम स्थल में स्नान कराया तथा गौड़ देश का उपभोग किया।[21] विद्वानों का मत है कि चाहमान शासक दुलर्भराज प्रथम ने प्रतीहार शासक वत्सराज के सामन्त शासक के रूप में गौड़ विजय में प्रतिभाग किया होगा जिसका पृथ्वीराज विजय में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। दशरथ शर्मा के अनुसार प्रतीहार शासक रामचंद्र के शासनकाल में बुंदेलखंड प्रतीहारों के अधिकार में था।[22] चन्देल अभिलेखों से विदित होता है कि चन्देलों के प्रारम्भिक शासक प्रतीहारों के सामंत थे। प्रतीहार शासक मिहिर भोज के वराह अभिलेख[23] से भी चन्देलों की प्रतीहारों के सामन्त होने की सूचना प्राप्त होती है। चन्देल शासक हर्ष के समय में चन्देलों ने प्रतीहारों की कमजोर होती हुई स्थिति का लाभ उठाकर अपनी शक्ति का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया, जिसकी पुष्टि धंग के खजुराहो अभिलेख[24] से होती है जिसमें कहा गया कि उसने कन्नौज के राजा श्री क्षितिपालदेव को पुनः सिंहासन पर बैठाया। यशोवर्मा ने प्रतिहार शासकों की कमजोर होती शक्ति का लाभ उठाकर अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारम्भ कर दिया, जिसकी पुष्टि खजुराहो लक्ष्मण मन्दिर अभिलेख[25] वि.सं. 1011 से होती है। हर्ष से प्रारम्भ सामन्त अधीनता से मुक्त होने की अभिलाषा धंग के काल में पूर्ण हो गई। अब चन्देल मध्य भारत की एक स्वतन्त्र शक्ति के रूप में उभरे तथा उन्होंने एक विस्तृत भाग पर अधिकार कर अन्य शासकों को अपना करद सामन्त बना लिया। धंग के ननौरा ताम्रपत्रलेख[26] में धंग को अन्य शासकों को करद बना लेने वाले के रुप में उल्लिखित किया गया है। महोबा अभिलेख[27] व दुबकुण्ड अभिलेख[28] में वर्णन मिलता है कि ग्वालियर के कच्छ्पघात वंशी शासक अर्जुन ने विद्याधर की आज्ञा से कान्यकुब्ज नरेश श्रीराज्यपाल को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। इससे विदित होता है कि ग्वालियर का कछवाहा वंश चंदेलों का सामन्त रहा होगा। सास-बहू अभिलेख[29] के अनुसार विद्याधर के सामन्त कच्छपघात नरेश कीर्तिराज ने भोज परमार की असंख्य सेनाओं को परास्त किया। प्रबोधचन्द्रोदय[30] नाटक में वर्णित है कि राजा कीर्तिवर्मा के सामंत गोपाल की आज्ञा से कलचुरि

विजय के उपलक्ष्य में इस नाटक का मंचन किया जा रहा है। चन्देलों के सामन्त शासकों में महोबा के बनाफर वंशी आल्हा-ऊदल का उल्लेख किया जाता है। इन्होंने चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय व चन्देल शासक परमार्दिदेव के मध्य हुए संघर्ष में अद्भुत वीरता का परिचय देते हुए अपना नाम वीरगाथा इतिहास में अमर कर दिया। इसका उल्लेख महोबा खंड[31] व आल्हा खंड[32] में किया गया है। मदन वर्मा के मऊ के प्रस्तर लेख[33] में भी यह उल्लेख मिलता है कि अपनी सुरक्षा एवं सुख समृद्धि के बदले पराजित राजे अथवा सामंत उसे भेंट व उपहार आदि समर्पित करते थे। उपर्युक्त विवरणों से ज्ञात होता है कि चन्देलों के शासनकाल में भी पूर्व के कालों की भांति सामंतीय व्यवस्था के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं।

पूर्ववर्ती कालों की भांति इस काल में भी सामंतों का प्रमुख कर्तव्य यही था कि वह केंद्रीय शासक को करों के साथ-साथ सैनिक सहायता उपलब्ध कराएंगे।[34] वह शासकों के साथ शत्रु शासकों के मध्य होने वाले संघर्षों में भाग लेंगे तथा अपने उपभोग वाले क्षेत्र से करों की वसूली करेंगे। चंदेल एवं उनके समकालीन शासकों के अभिलेखीय विवरणों से ज्ञात होता है कि जब वह गुर्जर प्रतीहारों के सामंत थे तो उन्होंने प्रतीहारों के साथ युद्धों में प्रतिभाग किया। चंदेल शासक विजयशक्ति के विषय में वर्णित है कि उसने अपने किसी सुहृदय के उपकार के लिए विजय की इच्छा से राम की तरह दक्षिण दिशा की सीमाओं तक प्रस्थान किया।[35]

विद्वानों का मानना है कि वह प्रतीहार शासक मिहिर भोज के राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के विरुद्ध किए गए अभियान में उसके साथ गया था। इसी प्रकार हर्ष प्रस्तर अभिलेख[36] में वर्णित है कि चाहमान शासक गूवक प्रथम ने नागावलोक के दरबार में वीर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस नागावलोक की पहचान प्रतीहार शासक नागभट्ट द्वितीय से की जाती है। इसी प्रकार चंदेलों के सामंत ग्वालियर तथा दूबकुंड के कच्छपघात शासक सामंतों ने परमार शासक भोज तथा चंदेल शासक विद्याधर के मध्य हुए संघर्ष में चंदेलों के साथ प्रतिभाग किया।[37]

सामंतों का एक अन्य कर्तव्य अपने उपभोग वाले क्षेत्रों से करों की अदायगी करना होता था। वह बिना शासक की अनुमति के करों को लगा नहीं सकते थे, भूमि अनुदान नहीं कर सकते थे, भूमि को बेच नहीं सकते थे, करों को माफ नहीं कर सकते थे तथा उन्हें अनुदानित क्षेत्र में दंड एवं न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। परंतु समय के साथ-साथ सामंतों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में परिवर्तन होते गए। परवर्ती काल में सामंतों को अपने क्षेत्र में अधिक प्रभुसत्ता प्रदान की जाने लगी। अब बड़े-बड़े सामंत अपने क्षेत्र पर अधिक स्वतंत्रता के साथ शासन करने लगे। उन्हें केवल केंद्रीय सत्ता को कर अदायगी एवं सैनिक सेवा देनी होती थी इसके अतिरिक्त वे अपने अनुदानित क्षेत्र पर पूर्ण प्रभुसत्ता का उपभोग कर सकते थे। वे किसी भी व्यक्ति को राजा की अनुमति से या राजा की बिना अनुमति के भूमि दान दे सकते थे। प्रतीहारों के चालुक्य सामंत अवनिवर्मा के पुत्र बलवर्मा ने तरुणादित्यदेव के मंदिर को एक गांव दान में दिया तथा उसने सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह वहां हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही उसने भोक्ता को उस क्षेत्र से कर वसूलने, आय का उपभोग करने, दोषी को दंडित करने आदि संबंधी अधिकार प्रदान किए।[38]

पश्चिमी चालुक्य के सामंतों को यह अधिकार प्राप्त थे कि वह बिना शासन की पूर्व अनुमति के गांव को बेंच सकते थे।[39] चंदेल काल में सामंतों को इस प्रकार के स्वतंत्र अधिकार प्राप्त होने के विवरण नहीं मिलते हैं किंतु वीरवर्मा के अधिकारी राणक अभयदेव के प्रस्तर अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि उसने वीरवर्मा की पूर्व अनुमति के बिना ही भूमि अनुदान किया था।[40] उपर्युक्त विवरणों से ज्ञात होता है कि अब सामंतों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में परिवर्तन के साथ उनकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने लगी।

इस काल में सामन्त, जो कि भूमिदान पाये हुए राज्याधिकारी, सैनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी अथवा विजित किए गये छोटे-छोटे राज्यों के शासक होते थे, उन्हें विशिष्ट नामों से संबोधित किया जाने लगा। अपराजितपृच्छा[41] में शासकों के अधीन राज्य या भूमि को आधार बनाकर उनका 9 प्रकारों - महिपति, राजा, नराधिप, महामंडलेश्वर, मांडलिक, महासामंत, सामंत, लघुसामंत और चतुरांशिक में वर्गीकरण किया गया-

पदनाम	ग्रामों की संख्या
महामंडलेश्वर	100000
माण्डलिक	50000
महासामंत	20000
सामंत	10000

लघु सामंत	5000
चतुरांशिक	1000

चतुरांशिक से नीचे सोपान पर छोटे-छोटे शासक थे और उनके भी नीचे राजपुत्र थे, जिन्हे पूर्व मध्य कालीन अभिलेखों में ठक्कुर या राउत कह कर संबोधित किया गया जिनका सामाजिक स्तर ग्राम प्रमुख या ग्राम प्रधान से अधिक नहीं था।

प्रतीहारों के चालुक्य वंशी सामंत बलवर्मा व अवनिवर्मा के ऊणा दानाभिलेखों[42] में भी उन्हें विशिष्ट उपाधियों महासामंत तथा समधिगत पंचमहाशब्द से संबोधित किया गया। चंदेलकालीन साहित्यिक ग्रंथ प्रबोधचंद्रोदय[43] में गोपाल को "सकलसामन्तचक्रचूडामणि" प्रदान किया गया जिसका तात्पर्य यह है कि समस्त सामन्त उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हर्षचरित[44] में भी छः प्रकार के सामन्तों - सामन्त, महासामन्त, आप्तसामंत, प्रधानसामन्त, शत्रुसामन्त व प्रतिसामन्त का उल्लेख मिलता है। जहां सामंत से तात्पर्य साधारण सामंत से है। महासामंत से तात्पर्य सामंत से एक श्रेणी ऊपर के सामंत से है। आप्तसामंत, वह सामंत होता है, जो स्वेच्छा से किसी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। प्रधानसामंत, सम्राट का विश्वस्त सामंत होता है, जिसकी सलाह को राजा प्राथमिकता देता है। शत्रुसामंत से तात्पर्य पराजित शत्रु से होता है, जबकि प्रतिसामंत शत्रु अथवा विरोध भाव रखने वाले सामंत को कहा जाता है। चन्देल अभिलेखों में भी सामंत, महासामंत आदि जैसी उपाधियों के विवरण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इस काल में सामन्तों को अलग-अलग विशेषणों से सम्बोधित किया जाने लगा तथा उन्हें अनेक प्रकार के विशेषाधिकार भी प्रदान किये जाने लगे। यह सामन्त अब अपने अन्तर्गत अनेक छोटे-छोटे सामन्तों को प्रश्रय देने लगे, जिन्हें उपसामन्त कहा जा सकता है। ये उपसामन्त, ठाकुर, राणक, राजपुत्र तथा राउत कहलाते थे। चन्देल अभिलेखों में ऐसे ही एक सामान्त राउत का उल्लेख प्राप्त होता है। चरखारी ताम्रपत्र[45] के अनुसार काश्यप गोत्रीय राउत जगदेवा के पौत्र और राउत हरिपाल के पुत्र अभि ने सोंधी विद्रोह को शान्त किया। इसके साथ ही इस काल में पुनः अनुदान की प्रवृत्ति बढ़ी इसके अंतर्गत भूमि अनुदान प्राप्त व्यक्ति अपनी भूमि को बिना शासक की आज्ञा के पुनः किसी और व्यक्ति को दान कर सकता था। उपर्युक्त विवरण से यह पता चलता है कि अब सामंतों के अधिकारों का विस्तार होने लगा तथा उनके अंतर्गत उपसामंतों की श्रेणियों का विकास होने लगा।

पूर्व मध्यकाल में केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता ने सामंतों की एक ऐसी श्रृंखला को जन्म दिया जो केंद्रीय सत्ता को अपदस्थ कर अथवा पराजित कर स्वयं स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए लालायित रहने लगे। सामंत अपने शासक की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर शत्रु शासक से मित्रता करने लगे अथवा उनकी अधीनता स्वीकार करने लगे। तुम्माण के कलचुरि राजा जाज्जलदेव के रतनपुर अभिलेख[46] (1114 ई.) के अनुसार उसने कान्यकुब्ज राजकुमार से मित्रता कर ली। यह जाज्जलदेव पहले त्रिपुरी के कलचुरि का सामंत था जो बाद में त्रिपुरी के कलचुरियों के शत्रु गहड़वालो का मित्र बन गया। चंदेलों के शासनकाल में भी विद्याधर के सामंत रहे दूबकुंड के कच्छपघात वंशी राजा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने विजयपाल की कमजोर स्थिति को भांप कर परमार शासक भोज से मित्रता कर ली तथा चंदेल सामंत पद से स्वतंत्र हो गया।[47]

चन्देलों के समकालीन परमारों, प्रतीहारों, चौहानों आदि के अभिलेखों एवं उनके काल की साहित्यिक रचनाओं से भी उस काल की सामन्त व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। कभी-कभी सामन्त व्यवस्था में अधिकारियों का भी समावेश होता था। गुर्जर-प्रतीहार अभिलेखों से हमें ऐसी व्यवस्था का ज्ञान होता है, यथा- सीयडोणि अभिलेख[48] जो महासामान्ताधिपति महाप्रतीहार उन्दभट्ट द्वारा एक दान का उल्लेख करता है। महेंद्रपाल के प्रतापगढ़ शिलालेख[49] में एक अन्य अधिकारी माधव का उल्लेख हुआ है जो तंत्रपाल था तथा जिसे महासामंत और महादंडनायक का दर्जा प्राप्त था। विद्वानों द्वारा तंत्रपाल से आशय प्रशासक से लगाया जाता है। जबकि महादंडनायक का अभिप्राय ऐसे अधिकारी से होता है जिसे मुख्य सैनिक कर्तव्यों के साथ-साथ नागरिक प्रशासन की भी जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। ऐसा ही एक उल्लेख कन्नौज के महेंद्रपाल प्रथम के ऊणापत्र[50] से भी प्राप्त होता है जहां एक अन्य तंत्रपाल धिका ने राजा के सामंत बलवर्मा के अनुदान पर प्रति हस्ताक्षर किए थे। दशरथ शर्मा ने भी महादंडनायक के विषय में उपर्युक्त विचार प्रकट किये। प्रतीहार अभिलेखों में भी अनेक अधिकारियों के पदनाम का उल्लेख किया जाता है जिनमें बलाधिकृत, कोट्टपाल, मर्यादाधुर्या, व्यावहारिन, दूतक प्रमुख हैं। चंदेल अभिलेखों

में प्रतिहार अभिलेख की तरह कोटपाल का उल्लेख न होकर दुर्ग के रक्षक अधिकारी का विशेष नाम 'विशिष' प्राप्त होता है जो कि प्रमुख दुर्गों कालिंजर व अजयगढ़ में नियुक्त किए जाते थे। कीर्तिवर्मा के शासनकाल में महेश्वर के पुत्र जाजुक को कालिंजर का विशिष नियुक्त किया गया और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पिपालाहिका नामक ग्राम प्रदान किया गया।[51]

चंदेल शासक त्रैलोक्यवर्मा ने अपने अधिकारी आनंद को उसकी, वन्य जातियों-शबर, पुलिंद आदि पर विजय के उपलक्ष्य में पारितोषिक के रूप में अजयगढ़ दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया।[52] पृथ्वीराजरासो[53] में उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा विजय के पश्चात अपने निकट व विश्वसनीय सामंत पुजनराय को वहां का प्रशासक नियुक्त किया तथा स्वयं वह दिल्ली वापस लौट गया। धनपाल कृत तिलकमूजरी[54] के अनुसार महाप्रतीहार का पद महत्वपूर्ण होता था। दसवीं शताब्दी ई. रचे गये ग्रन्थ कथाकोश[55] में सामन्तमन्त्री का यत्र-तत्र उल्लेख प्राप्त होता है। ग्यारहवीं शताब्दी ई. में लिखे गए सोड्‌ल कृत उदयसुन्दरीकथा में सामन्त मंत्री और साधारण मंत्री में स्पष्ट रूप से भेद किया गया है। सोमेश्वर कृत मानसोल्लास में सामंत अमात्य का उल्लेख मिलता है।[56] परमार अभिलेखों में भी सामंत अधिकारियों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। सीहोर से प्राप्त परमार नरेश अर्जुनवर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख राजा सलखण के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है जो कि एक महासंधिविग्रहक था तथा जिसकी सम्मति से इस ताम्रपत्र की रचना की गई।

निष्कर्ष : पूर्व मध्यकालीन सामन्त व्यवस्था के प्रमाण चंदेल अभिलेखों एवं उनकी साहित्यिक रचनाओं में प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही उनके समकालीन शासकों-परमारों, प्रतीहारों चालुक्यों के अभिलेखों एवं साहित्यिक रचनाओं में भी चंदेल सामन्ती व्यवस्था के अस्पष्ट से उदाहरण मिलते हैं। उपर्युक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है कि हर्षवर्धन के काल से चली आ रही सामन्तीय व्यवस्था चन्देलकाल में भी चलती रही। सामन्तों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का जो खाका उस समय था वही अब भी बना रहा परन्तु सामंतों को दिये गये विशेषाधिकारों ने उनकी स्थिति को मजबूत किया तथा केन्द्रीय सत्ता के कमजोर होते ही यह सामन्त स्वयं स्वतन्त्र शासक की स्थिति को प्राप्त करने के लिये लालायित रहने लगे, जिसके उदाहरण चन्देलों एवं उनके समकालीन शासकों के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। पूर्व मध्यकाल में बढ़ती सामंतवादी प्रवृतियों ने भारतीय शासन व्यवस्था को लचर करना प्रारंभ कर दिया। इनके मध्य होने वाले आपसी संघर्षो ने राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न की जिसका परिणाम भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के रूप में परिणित हुआ। सामन्तों तथा उपसामन्तों की श्रृंखला ने राजा व प्रजा के मध्य के सम्पर्क को प्रभावित किया जिससे राजा दिन-प्रतिदिन प्रजा के हितों के प्रति उदासीन होने लगा। इसके साथ ही सामंतों को प्रदान किए गए आर्थिक अधिकारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में शासन एवं ग्राम-स्तर के मध्य भू-स्वामित्व वर्ग को उत्पन्न किया जो जमींदार कहलाए जाने लगे। इन्होंने कृषकों पर अतिरिक्त करों का बोझ लाद दिया जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई। आर. एस. शर्मा[57] के अनुसार सामंतीय अर्थव्यवस्था भूमि अनुदान एवं अनुदानित भूमि के पुनः अनुदान में भी अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंचाई। इनके अनुसार विदेशी आक्रमणों, मुद्रा के प्रचलन व्यापार-वाणिज्य में बढ़ोतरी आदि ने पूर्वमध्यकालीन सामंतीय व्यवस्था की जड़ों को कमजोर करना प्रारंभ कर दिया तथा मध्यकाल तक आते-आते सामंतीय व्यवस्था के ह्रास के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे।

सन्दर्भ

1. वर्मा, हरिश्चन्द्र, 'मध्यकालीन भारत', हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली, 1993, पृ. 307
2. वही पृ. 307
3. शर्मा, रामशरण, अनु. आदित्य नारायण सिंह, 'भारतीय सामन्तवाद', राजकमल प्रकाशन देहली, 1973, पृ.01 ।
4. गैरोला, वाचस्पति, 'कौटिल्य अर्थशास्त्र', चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, 1984, पृ. 38
5. मजूमदार, डा. रोमेशचन्द्र, अनु. परमेश्वरी लाल गुप्त, 'प्राचीन भारत', मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1973 पृ.-99।
6. Inscriptions of the Early Gupta King, Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol-3, 1981, P- 218.
7. Ibid p, 218
8. Ibid p, 218
9. Ibid p, 218
10. Cowell, E.B. & Thomas, *'F. W., The Harsa-Carita of Bana'*, Royal Asiatic Society, 1897, p. 46

11. Ibid p, 49
12. पाठक, विशुद्धानन्द, 'उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास (600ई.-1200 ई.)', उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1973, पृ. -09 ।
13. रामशरण शर्मा, पूर्वोक्त पृ. 26, 27 ।
14. वही, पृ.03
15. Sharma, Dashrath, *'Early Chauhan Dynasties'*, S. Chand and Company, Delhi, 1939, pp.-20-21.
16. Epigraphia Indica, Vol-11,1911 pp.337-340.
17. विशुद्धानन्द पाठक, पूर्वोक्त, पृ.154 ।
18. Yadav, B.N.S, *'Problems of Interaction Between Socio-Economic Classes'*, Indian Historical Review Vol. 41, 1980 pp. 19-78
19. Indian Antiquary, Vol-19, 1890, pp. 345-353.
20. कल्हण कृत राजतरंगिणीः, पंड़ित पुस्तकालय काशी, अध्याय-4, 1960, पृ.140-143 ।
21. ओझा, गौरीशंकर एवं गुलेरी, 'पृथ्वीराज विजय', वैदिक यंत्रालय, अजमेर, 1941, पृ.20, श्लोक- असिः स्नातोत्थितो यस्य गंगासागर संगमे। चिरं गौड़रसास्वाद, शुद्धो ब्राहमणतां ययौ।।
22. Sharma, Dashrath, *'Rajasthan Through the Ages, Part -1'*, Bikaner, 1966, P.-146-150.
23. Epigraphia Indica, Vol -19, 1927, pp.-15-19.
24. Ibid Vol -01, p. 122.
25. Ibid p.-129.
26. Ibid, Vol -16, p. 202.
27. Ibid, Vol -1, p. 20.
28. Ibid, Vol -2, p.12
29. Indian Antiquary, Vol-15, 1886, p.36
30. मिश्र, पं. रामचन्द्र, 'प्रबोधचन्द्रोदयम', चौखम्भा विद्या भवन, बनारस, 1955, पृ. 04।
31. परमाल रासो, 'महोबा खण्ड', नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 1919, पृ. 551
32. मिश्र, पं. ललिता प्रसाद, 'आल्हा खण्ड', तेजकुमार बुक डिपो, लखनऊ, 2007, पृ. 03 ।
33. मित्र, केशवचन्द्र, 'चंदेल और उनका राजत्व काल', नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, वि.सं.-2011, पृ . 151।
34. अल्तेकर, ए. एस., 'प्राचीन भारतीय शासन पद्धति', दि मॉडेस्ट प्रिंटिंग वर्कस, इलाहाबाद,1947, पृ. 225 ।
35. Epigraphia Indica, Vol-1, 1892, pp. 142-142.
36. Ibid, Vol-2, p. 121.
37. Ibid, Vol-15, p. 36 .
38. Ibid, Vol-9, p. 120.
39. Ibid, Vol-3, p. 307.
40. Ibid, Vol-40, p. 90.
41. भट्ट भुवनदेवकृत, 'अपराजितपृच्छा' : लक्ष्मी प्रकाशन, इलाहाबाद, 1987, पृ.201
42. विशुद्धानन्द पाठक, पूर्वोक्त, पृ.154 ।
43. मिश्र, पं. रामचन्द्र, पूर्वोक्त, पृ.04 ।
44. रामशरण शर्मा, पूर्वोक्त पृ.02 ।
45. Corpus Inscriptionum Indicarum,Vol-07, 1991, 498,P.14.
46. Epigraphia Indica, Vol-1, 1992, P.32.
47. अग्रवाल, के. एल., 'उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास (600ई.-1206ई.)', शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, 2019, पृ. 198 ।
48. Epigraphia Indica, Vol-1, 1892, p. 173.
49. Above, Vol-14, p. 184.
50. Above, Vol-09, p. 06.
51. Mitra, Sisir Kumar, *'The Early Rulers of Khajuraho'*, Motilal Banarsidas, Delhi,197, P.158.
52. के. एल. अग्रवाल, पूर्वोक्त, पृ. सं.-210 ।
53. सं. कविराज, मोहन सिंह, 'पृथ्वीराज रासो चंदवरदायी', भाग-1, राजस्थानी ग्रंथागार, उदयपुर, 1955, पृ.-473 ।
54. सं. पं. भवदत्त शास्त्री एवं के. एन. पाण्डुरंग परब, 'तिलकमंजरीः धनपाल', जावाली प्रकाशन, मुम्बई, 1903, पृ.-58 ।
55. संपा. ए.एन. उपाध्याय, 'कथाकोशः हरिषेण', भारतीय विद्याभवन, बंबई, 1943 पृ.56
56. श्रीवास्तव, सुरभि, 'परमारकालीन समाज एवं संस्कृति', न्यू रॉयल बुक कंपनी, लखनऊ, 2012, पृ.78
57. शर्मा रामशरण, पूर्वोक्त, पृ. 273-281

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2023

Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

राजस्थान में वर्षा जल संचयन की परंपरा और प्रबंधन : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

❑ सुश्री प्रीति रानी

'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' जैसी कहावत वर्षा जल संचयन की परंपरा और प्रबंधन में चरितार्थ होती है। वर्षा हो जाने और वर्षा का जल बहकर निकल जाने के बाद जल की आवश्यकता व कमी होने पर वर्षा के जल को संरक्षित करने की सोच उत्पन्न हुई और इसी सोच ने मानव को जल स्त्रोतों के निर्माण की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार इन जल स्त्रोतों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य वर्षा के बहकर जाने वाले जल को पीने के लिए व अन्य कार्यो के लिए एकत्र करना था। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जल संचयन और प्रबंधन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। जैसे कि महाराष्ट्र में बंधारा और ताल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बंधी, बिहार में आहर और पाइन, हिमाचल में कुहल, तमिलनाडु में इरी, केरल में सुरंगम, जम्मू क्षेत्र के कांडी इलाके में पोखर, कर्नाटक में कट्टा और इसी प्रकार राजस्थान में खड़ीन, कुंड और नाड़ी आदि जल को सहेजने और एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करने के कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन जल संसाधन समय-समय पर प्रयोग में लाए गए। प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत हम राजस्थान में वर्षा जल संचयन की परंपरा और प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। राजस्थान जैसे मरूस्थलीय भू-भाग, जहाँ सदियों से अनावृष्टि अथवा अल्पवृष्टि की स्थिति रही हो, ऐसे में जल की एक-एक बूंद के संचय, संग्रहण एवं संरक्षण के लिए जो बहुविध उपाय एवं कार्य किये गए वे अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलते।

सूचक शब्द : अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अभिमंडित, जलसंकट, भित्ति-चित्र।

प्रकृति ने राजस्थान प्रदेश को जलवायु, पर्यावरण, अन्नोत्पादन, खनिज पदार्थ तथा प्रकृति सुलभ अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से अभिमंडित कर रखा है। किंतु इसके मरुस्थलीय भू-भाग में प्रतिवर्ष जलसंकट की संभावनाएं बनी रहती हैं। थार रेगिस्तान से लगे इस प्रदेश में वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियाँ तो हैं ही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ यहां होने वाली कम व अनियमित वर्षा पानी से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करती है। परिणामस्वरुप यहां के निवासियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।[1] इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए यहां के लोकप्रिय शासकों, परोपकारी सामाजिक संस्थानों, दानवीर महानुभावों तथा यहाँ के निवासियों के द्वारा जल को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के परंपरागत जल संसाधनों का निर्माण किया गया, जैसे कुंड या टांके, नाडा-नाड़ी, टोबा, तालाब, खड़िन, झालरा, बावड़ी, व झीलें। इस प्रकार जल संचयन की ऐसी व्यवस्था को अपनाया गया जो कि ना केवल अनूठी थी बल्कि अनुकरणीय एवं अद्भुत भी थी।

साहित्य समीक्षा : ऋग्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, बृहसंहिता, भोजकृत संमराङ्गण सूत्रधार, मानसोल्लास, भुवनदेव आचार्य अपराजित पृच्छा आदि ऐतिहासिक ग्रंथों में जल के महत्व को बताया गया है वहीं अड़सट्टा, अर्जदाशत से पानी की चोरी, जुर्माना एवं स्वच्छ पेयजल के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है। सनद परवाना बही, फाइल जमा खर्च की एवं पट्टा बही में मारवाड़ के शासकों द्वारा खुदवाये गए कुएं, तालाबों का उल्लेख एवं उनकी लागत की जानकारी मिलती है व इसके साथ-साथ मेवाड़ सनद परवाना रिकॉर्ड द्वारा भूमि के अनुदान के साथ कुएं खुदवाने की शर्त का उल्लेख भी मिलता है। तालाबों, बावड़ियों एवं कुओं पर बनाए गए शिलालेखों से जल संचयन में महिला एवं बन्जारा समुदाय के योगदान का पता चलता है व शासकों के द्वारा जल की आपूर्ति करने के लिए समय-समय पर बनवाए गए जल स्रोतों की जानकारी मिलती है।

उपर्युक्त साहित्यिक अध्ययन से जानकारी मिलती हैं कि किस प्रकार प्राचीन काल से ही जल संचयन राज्यों की नीतियों एवं योजनाओं का हिस्सा रहा है। इसके

❑ शोध अध्येत्री, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक (हरियाणा)

लिए ना केवल सार्वजनिक प्रयास किए गए बल्कि निजी प्रयासों के द्वारा भी जल की कमी को दूर करने का कार्य किया गया।

शोध पद्धति : राजस्थान में वर्षा जल संचयन परंपरा और प्रबंधन एक विश्लेणात्मक अध्ययन विषय के इस शोध लेख का उद्देश्य इस तथ्य को उजागर करने की कोशिश करना हैं कि किस प्रकार राजस्थान में प्रयुक्त वर्षा की एक-एक बूंद को सहजने की परंपरागत जल संचयन व्यवस्था एवं विधियाँ न केवल अतीत में उपयोगी थीं बल्कि वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण एवं जीवनदायिनी हैं।

कुंड या टांके मरुस्थल प्रदेश की विषम पर्यावरणीय भौगोलिक परिस्थिति में वर्षा के जल की एक-एक बूंद को संग्रहित, संचित और सुरक्षित रखने के लिए जो सबसे कारगर उपाय प्राचीन काल के लोगों ने किए उसी के रूप में कुंड या टांका के रूप में छोटे एवं महत्वपूर्ण जलाशय ने जन्म लिया।[2] इस प्रकार कुंड राजस्थान के रेतीले इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के जल को संगृहीत करने के लिए महत्वपूर्ण परंपरागत जल संसाधन है। इसे कुंडी भी कहा जाता हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कुंड एवं टांके घरों के अंदर बनाए जाते थे। इसमें संग्रहित जल का मुख्य उपयोग पेयजल के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार के सूक्ष्म भूमिगत सरोवर होते हैं जिनको ऊपर से ढंक दिया जाता है।[3] इसका निर्माण अधिकांश जगह पर मिट्टी व कहीं कहीं सीमेंट से भी किया जाता है। बीकानेर, सुजानगढ़, नवलगढ़, लाडनूं आदि प्रदेशों में प्रायः प्रत्येक घर में कुंड होता था, जिसमें छतों से वर्षा का जल एकत्रित किया जाता था और यह जल वर्ष भर पीने के काम आता था। इसे पालर पानी कहा जाता है। आज भी बीकानेर, सुजानगढ़, लाडनूं, छापर में कई घरों में कुंड पीने के पानी की आपूर्ति कर रहे हैं।[4] इसी प्रकार जल को संग्रहित करने के लिए बनाए गए टांके कई आकार व प्रकार के होते हैं। जोधपुर में भोगीशैल पर्वतश्रृंखला होने के कारण तालाबों, कुओं की तरह टांके के रूप में जल स्त्रोत का निर्माण अधिक संख्या में हुआ। यहां छोटे-बड़े टांके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से कई टांका सार्वजनिक उपयोगार्थ बनाये गए तो कई टांकों का निर्माण निजी काम के लिए भी हुआ।[5] इनका निर्माण मुख्य रूप से वर्षा के बहकर जाने वाले जल को पीने के लिए एकत्र करने के उद्देश्य से किया गया था। 'बहता पानी निर्मला' की कहावत राज्य में इन कुंड व टांके के निर्माण से चरितार्थ होती है।

कुई मरूभूमि में जल प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्त्रोत कुई था। कुई वर्षा के जल को बड़े ही विशिष्ट तरीके से एकत्रित करती है। भू-गर्भीय पट्टियों में समाया वर्षा का जल ही रिस-रिस कर कुई में एकत्रित हो जाता है। कुई बनाने वालों को भू-गर्भ की पट्टियों की अच्छी जानकारी होती है। वरना मरूभूमि में जहाँ कितनी भी वर्षा हो पानी शीघ्र ही बालू मिट्टी में समा जाता है, वहाँ यह पता करना कि पानी भू-गर्भ में किस पट्टी पर रूका है एवं यह पट्टी भूमि के किस भाग में है कोई कुशल भू-गर्भशास्त्री ही बता सकता है। कुई बनाने वाले दक्ष लोग चेजारे कहलाते हैं। कुई में चिनाई का काम महत्वपूर्ण है। चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में जल की कमी को दूर करने के लिए कुईयों का निर्माण अत्यधिक मात्रा में किया गया।[6]

नाडा-नाड़ी परंपरागत जल संचयन स्रोतों में नाड़ी जो कि झील एवं तालाब का छोटा रूप होती है जिसमें वर्षा जल का संचयन किया जाता हैं। इसका रूप भले ही छोटा हो पर यह राजस्थान की जल व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।[7] नाड़ी निर्माण का महत्व जहाँ अतीत में था, वही वर्तमान समय में भी इस परंपरागत जल संसाधन ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया हुआ है। वर्षा का जल ऊंचाई वाले स्थान से नीचे गिरकर बहता है, उसी जल को इकट्ठा करके काम में लाया जा सकता है। इसी सोच ने नाड़ी का निर्माण किया। राजस्थान में सर्वप्रथम पक्की नाड़ी निर्माण का विवरण 1520 ई0 में मिला है, जब राव जोधाजी ने जोधपुर के निकट एक नाड़ी बनवाई थी। नाड़ी बनाने का कार्य वर्षा से पूर्व ही शुरू हो जाता था। सामाजिक दायित्व को समझते हुए सामूहिक प्रयास से इसकी खुदाई की जाती थी। नाड़ी बनाते समय वर्षा के पानी की मात्रा एवं जलग्रहण क्षेत्र को ध्यान में रखकर ही जलग्रह का चुनाव किया जाता हैं। इनमें संचित पानी इनकी क्षमता के अनुसार चलता है। नाड़ी का निर्माण करने वाले स्थान से ही उसका आगोर एवं जल निकास तय होता है। रेतीले मैदानी क्षेत्रों में नाड़ियाँ 3 से 12 मीटर गहरी होती हैं। इनका जलग्रहण क्षेत्र (आगोर) भी बड़ा होता है। यहाँ पर रिसाव कम होने के कारण इनका पानी सात से दस महीने तक चलता है। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों की नाड़ी बड़ी होती है। सामान्यतया ये चार से पाँच मीटर गहरी

होती हैं, जिनमें पानी 8 से 12 महीने तक रहता है। नाड़ी का वर्गीकरण जल की उपलब्धता एवं शुद्धता के आधार पर पारखी लोग करते थे। कौन सी नाड़ी का जल पीने के लिए उपयुक्त होगा, किसका पशुधन के लिए उपयुक्त होगा, कौन सा जल नहाने-धोने के काम आएगा।[8] नागौर, बाड़मेर एवं जैसलमेर में कई नाड़ियों का निर्माण किया गया था। यहां तेरह से अठारह प्रतिशत पानी की आपूर्ति नाड़ियों से की जाती थी।[9] इसी प्रकार जोधपुर में पच्चीस नाड़ियां प्राप्त हुई हैं। कई नाड़ियों का पानी आज भी प्रयोग में लाया जाता है व उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों में ऐसे बहुत से जल स्रोत मिले हैं जिन्हें लोग वर्षा जल संचयन के लिए प्रयोग करते थे।[10]

एक समय के उपरांत नाड़ी में गाद भरने से जल संचय क्षमता घट जाती है, जिसके लिए आवश्यक हैं कि इसकी समय-समय पर खुदाई की जानी चाहिए। ऐसा न करने पर अधिकांश नाड़ियों में गाद जमा होने व प्रदूषण के कारण ये अपना वास्तविक स्वरूप खोती जा रही हैं।[11]

टोबा एक महत्त्वपूर्ण पारंपरिक जल स्रोत है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए टोबा का निर्माण किया जाता है। टोबा का निर्माण उस क्षेत्र में किया जाता है जहां प्राकृतिक रूप से पानी एकत्रित होता है। इसी पानी को ऐसी भूमि पर एकत्रित किया जाता है जहां रिसाव ना हो। टोबा नाड़ी का ही मिलता-जुलता रूप है। लेकिन टोबा का आगोर नाड़ी से अधिक गहरा होता है। इसको चौड़ा न करके गहरा किया जाता है। ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो व अधिक जल संचय होता रहे।[12] टोबा के आस-पास नमी होने के कारण प्राकृतिक घास उग जाती है, जिसे जानवर चरते हैं। इसके जल का उपयोग मानव व पशुओं द्वारा किया जाता है। बीकानेर के पास सत्तासर गांव में छह टोबे बने हुए हैं। यहां आज भी आपसी सहमति से इनका उपयोग किया जाता है।[13] मानसून के आगमन के साथ ही लोग सामूहिक रूप से टोबा के पास ढाणी बनाकर रहने लगते हैं। सामान्यतया टोबाओं में सात-आठ माह तक पानी ठहरता है। पानी की समस्या वाले दिनों (ग्रीष्मकाल) में टोबा में पानी कम होने या खत्म होने पर लोग पास वाले दूसरे टोबा के जल का उपयोग आपसी समझौते के आधार पर करते हैं। इन टोबाओं की देखभाल भी आपसी सहयोग से की जाती है। इस प्रकार टोबा निर्माण द्वारा मरु प्रदेश में भी वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है।

तालाब, देश में सबसे कम वर्षा के क्षेत्र जैसे राजस्थान और उसमें भी सबसे सूखे माने जाने वाले थार के रेगिस्तान में बसे हजारों गाँवों के नाम ही तालाब के आधार पर मिलते हैं। गाँवों के नाम के साथ ही जुड़ा होता है 'सर'। सर का अर्थ है, तालाब। सर नहीं तो गाँव कहाँ? इस प्रकार यह गांव में तालाब निर्माण की उपयोगिता को बताते हैं। वर्षा के जल को संग्रहित करने में तालाबों का अहम योगदान है। प्राचीन समय में निर्मित तालाबों में अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं तथा इन्हें हर प्रकार से रमणीक एवं दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित किया जाता है। इनमें अनेक प्रकार के भित्ति-चित्र इनके बरामदों, तिबारों आदि में बनाये जाते हैं। कुछ तालाबों की तलहटी के समीप कुआँ बनाते थे, जिन्हें बेरी कहते हैं।[14] तालाब बनाने के लिए सबसे पहले जगह का चुनाव किया जाता था। इसके लिए कई विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता था कि क्षेत्र कैसा है, जहां से पानी आएगा वहां की जमीन कैसी है। तालाब के रखरखाव की जिम्मेदारी सभी की होती थी। सब मिलकर तालाब की मिट्टी को हर साल निकालते थे। 'सबके लिए सबकी मदद' इसी सिद्धांत पर प्राचीन तालाब खड़े थे। जैसलमेर में मिले विशाल तालाब के निर्माण के द्वारा हमें उस समय के तालाब निर्माण की योजना के बारे में पता चलता है। इस प्रकार तालाबों की उचित देखभाल के कारण ही जोधपुर के रानीसर एवं पद्मसर तालाबों का अस्तित्व आज भी बना हुआ हैं अन्यथा वे भी दूसरे तालाबों की तरह शहरीकरण की भेंट चढ़ जाते। इसके अलावा राजस्थान के हर क्षेत्र में तालाब होते थे। हर गांव अपने पानी की आवश्यकता इन तालाबों के माध्यम से पूरी करता था।[15] लेकिन वर्तमान समय में राज्य में स्थित तालाबों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनसे अनेक कुओं एवं बावड़ियों (वापियों) को पानी मिलता है। धार्मिक भावना से बने तालाबों का रख-रखाव अच्छा हुआ है। रणथम्भौर के जंगली तालाब, सुखसागर तालाब, कालासागर तालाब प्रसिद्ध हैं। इन सभी तालाबों का प्राकृतिक आगोर है। उदाहरणस्वरूप रानी पद्मिनी द्वारा बनाया गया पद्मी तालाब जिसके तीन ओर का आगार प्राकृतिक है, जबकि एक ओर पक्की दीवार बनी है।

खड़िन परंपरागत तकनीकी ज्ञान पर आधारित जल

संरक्षण की बहुउद्देश्यीय प्रकार की व्यवस्था है। मरुस्थलीय भूमि में अकाल की समस्या को दूर करने का एक अनोखा प्रयास खड़िन था। खड़िनों को सर्वप्रथम बनाने का श्रेय पालीवाल ब्राह्मणों को है। पालीवालों ने पूरे जैसलमेर में लगभग 500 छोटी-बड़ी खड़िनें विकसित कीं, जिनसे आज 12,140 हैक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है।[16] खड़िन के निर्माण में पानी के प्रवाह को बड़ी बारीकी से रोका जाता था। इसके लिए ऐसे स्थान का चुनाव किया जाता था जहां पानी को रोका जा सके। वर्षा के दिनों में चलती नदी को खड़िन में बांध दिया जाता था। यदि पानी की आवक ज्यादा होती तो उसी प्रवाह पथ पर बनी दूसरी, तीसरी खड़िनों में भी पानी भर जाता था। खड़िनों में बहकर आने वाला जल अपने साथ महीन एवं उर्वर मृदा बहाकर लाता है जिनके पूर्व में स्थित मृदा में मिश्रित होने से उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती और वह अधिक उर्वर हो जाती।[17]

खड़िनों का पानी तो सूख जाता पर नमभूमि में गेहूं की फसल बो दी जाती थी। इस प्रकार मरुस्थल भूमि में अल्प वर्षा के कारण गेहूं की फसल होना असंभव था पर खड़िनों ने इसे संभव बना दिया।[18] खड़िनों में जमा होने वाले लवणों की मात्रा को सीमित करने के लिए इनके सहारे कुएँ निर्मित किए जाते हैं। वर्षा की मात्रा तीव्र होने पर यह अपने साथ मोटी अवसाद लाकर खड़िन में जमा कर देता है, अतः इसको समय-समय पर निकालते रहना आवश्यक हैं। वर्तमान समय में अनेक प्राचीन खड़िनें उपेक्षा का शिकार हैं। इनके वास्तविक महत्त्व को जानकर राजस्थान सरकार ने पुरानी खड़िनों का वैज्ञानिक रख-रखाव, व नई खड़िनें बनवाने की योजना बनाई है, परंतु इन्हें पुनर्जीवित करने का कार्य आसान नहीं है, जो आज की आवश्यकता है। अतः वर्तमान खड़िनों को पारंपरिक तकनीकी ज्ञान के सहारे निर्मित किया जाना चाहिए।

झालरा – मरु भू-भाग में निर्मित तरह-तरह के नाम-स्वरूप वाले जलाशयों में एक स्वरूप झालरा भी है। जल संचय की दृष्टि से झालरा अपना विशिष्ट स्थान रखता हैं क्योंकि इसका वास्तुशिल्प अद्भुत प्रकार का होता है। इसमें कुएं की तरह का जलाशय एवं नीचे तक पहुंचने के लिए तीन तरफ से सीढ़ियां बनाई जाती हैं। इसकी सीढ़ियाँ सीधी और एक के नीचे एक न होकर घुमावदार बनायी जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता हैं ताकि चढ़ते-उतरते समय गिरने का खतरा न रहे। इस प्रकार कुएं एवं बावड़ी का मिलाजुला स्वरूप झालरा हैं। उदाहरणस्वरूप जोधपुर में महामंदिर झालरा।[19] झालराओं का कोई जल-स्त्रोत नहीं होता है। ये अपने से ऊँचाई पर स्थित तालाबों या झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। इनका स्वयं को कोई आगोर नहीं होता है। वर्तमान समय में अधिकांश झालराओं का प्रयोग बंद हो गया है। इनका जल मुख्य रूप से सामूहिक स्नान, धार्मिक कार्यों को पूर्ण करने व अन्य कार्यों हेतु उपयोग में आता था।[20]

मारवाड़ के हृदय स्थल जोधपुर नगर में झालरों का निर्माण महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में अधिक हुआ। उस काल में महारानी जाईची ने चाँदपोल द्वार के बाहर झालरा बनवाया जो आज भी विद्यमान है। इसी झालरा के समीप सुखदेव तिवारी ने झालरा बनवाया। महाराज तख्त सिंह के समय उम्मेद सिंह खीची ने मंडौर के निकट झालरा का निर्माण करवाया। महाराज गज सिंह जी के समय जाडेची रानी पेमावली ने रामपोल के बाहर झालरा बनवाया जो जाडेची का झालरा कहलाता है। पंडित केसरी सिंह ने राइकाबाग में झालरा का निर्माण कराया। लेकिन वर्तमान समय में इनकी ओर ध्यान न दिए जाने के कारण इनकी हालत जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं। अतः इनके संरक्षण के प्रति तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु प्रशासनिक एवं कानूनी उपाय के साथ ही जनसहयोग भी अपेक्षित है।

बावड़ी – राजस्थान में कुआँ व सरोवर की तरह ही बावड़ी (वापी) निर्माण का प्रमुख उद्देश्य वर्षा जल का संचयन रहा है। इसके निर्माण की परंपरा अति प्राचीन समय से मानी जाती है। प्राचीन शिलालेखों में बावड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख प्रथम शताब्दी से मिलता है। वहीं विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र से बावड़ी निर्माण की पूर्ण जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में अधिकांश बावड़ियों का निर्माण मंदिरों के सहारे होता था। उदाहरणस्वरूप राजस्थान के दौसा जिले में आभानेरी (बाँदीकुई) में हर्षत माता मंदिर के साथ बनी चाँद बावड़ी।[21] बावड़ियों का निर्माण समाज के समृद्ध लोग, राज परिवार के लोग, एवं व्यापारी करवाते थे। इसके अलावा बावड़ियों पर लगे शिलालेखों से जानकारी मिलती है कि मध्यकाल में बंजारों ने भी कई बावड़ियों का निर्माण करवाया। बावड़ी बनाने के लिए सबसे पहले नक्शा तैयार किया जाता था

और इसे सुरक्षित रखा जाता था। ऐसा ही एक नक्शा जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में है जिसकी संख्या 52 है और शीर्षक है ''तरै जोधपुर का नवा तालाब का नक्शा'' जो कि कागज पर बना है एवं मोटे कपड़े पर चिपकाया गया है। जिस प्रकार कुओं की खुदाई के लिए सीरवी या 'पानी वाले महाराज' को पूछकर स्थान निश्चित किया जाता था। उसी प्रकार बावड़ियों की खुदाई में भी उनका सहयोग लिया जाता था। उनके बताए गए स्थान पर ही बावड़ी की खुदाई की जाती थी। लोग पुण्य करने के लिए मंदिर एवं बावड़ियों का निर्माण करते थे इसलिए अधिकांश बावड़ियां मंदिरों के साथ व नगर द्वार के पास यात्रा मार्ग पर बनी हैं ताकि राहगीरों को पानी मिल सके।[22] इसके अलावा आरंभ में ऐसी भी बावड़ियाँ हुआ करती थीं जिनमें आवासीय व्यवस्था हुआ करती थीं। कालिदास ने 'रघुवंश' में शातकर्णि ऋषि के एक क्रीड़ा सरोवर का उल्लेख किया है तथा 'मेघदूत' में दक्ष द्वारा अपने घर में बावड़ी निर्माण का वर्णन किया है।[23]

बावड़ी भी कुओं की तरह ही होती हैं। परन्तु कुएं से थोड़ी अधिक चौड़ी एवं कम गहरी, नीचे जाने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। इन पर अलंकृत द्वार सुंदर तोरण एवं देवी-देवताओं की प्रतिमा बनाई जाती हैं। ऐसी बावड़ियों का प्रचलन गुजरात एवं राजस्थान में सबसे अधिक है। जयपुर के पास आभानेरी बावड़ी, मारवाड़, जोधपुर, शेखावटी क्षेत्र से प्राप्त कई बावड़ियाँ जल स्थापत्य का एक अनूठा उदाहरण हैं। यद्यपि आभानेरी बावड़ी पर कोई शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ। किंतु मंदिर की मूर्तिकला शैली से यह बावड़ी आठवीं शती के मध्य की प्रतीत होती है। इस प्रकार यह बावड़ियां प्राचीन काल से ही प्रमुख जल का स्त्रोत रहीं है।[24] इन बावड़ियों का राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में विशिष्ट स्थान रहा है।[25] राजस्थान में इन प्राचीन बावड़ियों की दशा अच्छी नहीं है। यदि समय रहते इनका जीर्णोद्धार किया जाए तो ये बावड़ियाँ भयंकर जल संकट का समाधान बन सकती हैं।

झीलें - राजस्थान में जल का परंपरागत ढंग से सर्वाधिक संचय झीलों में होता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध झीलें स्थित हैं जिनके निर्माण में राजा-महाराजाओं, बंजारों एवं जनसाधारण वर्ग सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदयपुर में उदयसागर, फतेहसागर, जयसमन्द, राजसमन्द जैसी बड़ी-बड़ी झीलों का निर्माण राजाओं ने करवाया वहीं उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण छीतर नामक धनाढ्य बंजारे ने करवाया। इन झीलों में आकार विस्तार, गहराई, स्थिति, उत्पत्ति, जल की प्रकृति आदि के अनुसार विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं मिलती हैं, कुछ झीलें उथली होती हैं जबकि कुछ झीलें अधिक गहरी भी होती हैं। झीलों की विशाल क्षमता का अनुमान जोधपुर की लालसागर, कैलाना, तख्तसागर और उम्मेदसागर झीलों की विशालता से लगाया जा सकता है, जिनमें 70 करोड़ घन फीट जल संचय रहता है जो लगभग आठ लाख लोगों को आठ माह तक पर्याप्त है। अजमेर में नाग पहाड़ के आस-पास का पानी आनासागर में संचित होता है। आनासागर में अजमेर के चारो तरफ की पहाड़ियों से और बाण्डी नदी का जल आकर एकत्रित होता हैं। इस झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। जहांगीर ने इसकी विशालता एवं रमनीयता को देखते हुए यहाँ दौलत बाग बनवाया। शाहजहाँ ने 1240 फीट लम्बी संगमरमर की मुंडेर तथा पाँच बारहदरियाँ बनवाई। आज भी इस झील से सिंचाई कार्य, एवं पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है।[26]

लाल सागर, कायलाना, तख्तसागर, उम्मेदसागर अन्य प्रमुख झीलें है। इन झीलों के कारण जोधपुर शहर में काफी समय तक पीने के पानी की कमी नहीं रही। इनमें से कायलाना झील काफी बड़ी है, इसमें कई छोटी- बड़ी नहरें आकर गिरती थीं। किन्तु आज अनवरत खनन ने इसके जल ग्रहण क्षेत्र को समाप्त कर दिया।[27]

निष्कर्ष : इस प्रकार पानी की कम उपलब्धता के कारण मरुस्थलवासियों ने गहरी सूझबूझ से जल संचयन का एक दर्शन विकसित किया और भौगोलिक भिन्नता के आधार पर जल संचयन की प्रणालियां बदलती गईं। इस व्यवस्था के निर्माण में एक मानवीय सोच कार्य कर रही थी कि कैसे हर व्यक्ति को जल प्राप्त हो, पशुधन को पीने का पानी प्राप्त हो, फसलों को पानी प्राप्त हो, इसी गहरी सोच ने मानव को सामूहिक रूप से जल संचयन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार राजस्थान में जल संचयन की परंपरागत विधियां उच्च स्तर की हैं। इनके विकास में राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रमुख योगदान है। जल संचयन की परंपरा यहाँ के सामाजिक ढाँचे से जुड़ी हुई है वहीं जल के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण के कारण यहां प्राकृतिक जल स्रोतों को पूजा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने पानी की प्रत्येक बूँद

का व्यवस्थित उपयोग करने वाली सोच विकसित की तथा जिसके आधार पर ही प्राकृतिक जल का संचय करके कठिन परिस्थितियों वाले जीवन को सहज व अनुकूल बनाया गया। इस हेतु यहां के लोगों ने हर संभव प्रयास किए इसके लिए पश्चिमी राजस्थान में लोग आज भी पराती (लोहे का बड़ा बर्तन) में चौकी रखकर उस पर बैठकर स्नान करते हैं ताकि शेष बचा पानी अन्य घरेलू उपयोग में आ सके।

सन्दर्भ

1. सिंह वाई.डी., 'राजस्थान के कुएं एंव बावड़ियां', महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश, शोध केन्द्र, जोधपुर, 2002, पृ.7
2. जाट बी.सी., कुमार अजय, 'जल प्रबधंन भूगोल', मलिक एंड कंपनी, जयपुर, 2017, दिल्ली पृ.360
3. Dhiman S.C., Gupta S *'Rainwater Harvesting and Artificial Recharge'*, Central Ground Water Board Ministry of Water Resources, New Delhi, 2011, p.9
4. पुरोहित प्रकाश, 'आज भी प्रासंगिक है परंपरागत जल स्त्रोत', राजामानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र, जोधपुर, 2008, पृ. 104–108
5. जाट बी.सी., कुमार अजय, पूर्वोक्त, पृ.360
6. मिश्र अनुपम, 'राजस्थान की रजत बूंदे' राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2010, पृ.25–31
7. जाट बी.सी., कुमार अजय, पूर्वोक्त, पृ.356
8. पुरोहित प्रकाश ,पूर्वोक्त, पृ.90–98
9. Sharma K.D., Joshi D.C., *'Nadis The Vital Water Resources Of The Indian Arid Zone'* In Journal Of Arid Environments, Acadmic Press, London, 1981. p.20
10. Sharma K.D., Joshi D.C., *'Optimization Of Nadi Characteristics To Minimize Evaporative And Seepage Losses'* Arid Environments, Acadmic Press, London, 1983. p.25
11. Agarwal A., Narain S., *'Dying Wisdom: Rise, Fall And Potential Of India's Traditional Water Harvesting System'* Centre For Science And Environment, New Delhi, 1997, p.11-12
12. जाट बी.सी., कुमार अजय, पूर्वोक्त, पृ.360
13. Agarwal A., Narain S., op. cit., p.126
14. Mishra Anupam, *'The Radiant Raindrops Of Rajasthan'*, Research Foundation For Science Technology And Ecology, New Delhi, 2011, p.6
15. मिश्र अनुपम, 'आज भी खरे हैं तालाब', गांधी शांति प्रतिष्ठान, दिल्ली, 2002, पृ.17–18
16. जाट बी.सी., कुमार अजय, पूर्वोक्त, पृ.361
17. वही, पृ.361
18. मिश्र अनुपम, पूर्वोक्त, पृ.15
19. जाट बी.सी., कुमार अजय, पूर्वोक्त, पृ.358
20. पुरोहित प्रकाश, पूर्वोक्त, पृ.38
21. Bahadur V.N, *'Stepwells Of Rajasthan'* Shubhi Publication, Gurgaon, 2016, p. 100
22. राठौर अमर सिंह, संपादक गुप्ता आशुतोष, 'सुजस वार्षिकी', सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर, 1997, पृ.10–12
23. कालिदास, 'सघुवंश', षोडश सर्ग, श्लोकर, चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 2015
24. राठौर अमर सिंह, पूर्वोक्त, पृ. 8
25. जाट बी.सी., कुमार अजय, पूर्वोक्त, पृ.358
26. कविराज श्यामलदास, 'वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास', मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1986, पृ.162
27. जाट बी.सी., कुमार अजय, पूर्वोक्त, पृ.356

राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा
वर्ष 25 अंक 2, जुलाई-दिसम्बर 2023
Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074
UGC-CARE List-Social Sciences

लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्मों पर जनमानस का दृष्टिकोण

❑ सुमित श्रीवास्तव
❖ डॉ. अवध बिहारी सिंह

सूचक शब्द : भारतीय सिनेमा, पापकार्न सिनेमा, फिल्मों में 'लिव-इन रिलेशनशिप'।

सिनेमा समाज का प्रतिबिंब है। बॉलीवुड किसी भी अन्य फिल्म उद्योग की तरह समाज की वास्तविकता को चित्रित करने की कोशिश करता है। फिल्मों के इस बदलते दौर ने समाज को भी प्रभावित किया है। फिल्मों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है लेकिन वर्तमान में कुछ फिल्मों में परंपरा से हटकर पश्चिमी परंपरा पर आधारित फिल्मों का चलन बढ़ा है। किसी कला के प्रभाव सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी।[1] सिनेमा के विषय में भी यह बात कही जा सकती है। 'बॉर्डर', 'भाग मिल्खा भाग', 'मैरी कॉम', 'दामिनी', 'कर्मा', 'उरी' जैसी प्रेरणादायक फिल्में किसी समाज की दिशा बदलने में सक्षम रही हैं। आज के दौर की फिल्मों में लिव-इन रिलेशनशिप आम बात हो गयी है। भारतीय परिदृश्य में 'लिव-इन रिलेशनशिप' आम चलन नहीं है क्योंकि इसे समाज द्वारा वर्जित माना जाता है। भारत के कई शहरों में आजकल 'वॉक-इन रिलेशनशिप' का चलन बहुत बढ़ गया है। 'सलाम नमस्ते', 'बचना ऐ हसीनों', 'वेक अप सिड', 'बेफिक्रे', 'कॉकटेल', 'शुद्ध देसी रोमांस', 'फैशन', 'आशिकी-2', 'प्यार का पंचनामा', 'लुका-छुपी' बॉलीवुड की ऐसी फिल्में हैं जिन्हें युवाओं ने बेहद पसंद किया है। प्रस्तुत शोध 'लिव-इन रिलेशनशिप' आधारित फिल्मों पर जनमानस के दृष्टिकोण का अध्ययन करने का एक प्रयास है।

प्रारंभ से लेकर अब तक के फिल्मी सफर पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो यह पता चलता है कि मनोरंजन के साथ-साथ जिन जीवन मूल्यों, संस्कृति व परंपरा को फिल्मी जगत लेकर चला था, समाज के जिस प्रतिबिम्ब को पर्दे पर उतारने का दायित्व वह पूरा कर रहा था, धीरे-धीरे उस पर व्यवसायिकता हावी हो गयी। नई पीढ़ी में सिनेमा का स्वरूप बदल चुका है। फिल्मों के माध्यम से समाज को ऐसी चीजें दिखायी जाने लगी हैं जिससे आमदर्शक वर्ग ही दूर हो गया है। फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन व व्यवसाय का माध्यम बन चुकी हैं।[2] आज के समय में पॉपकॉर्न सिनेमा का निर्माण हो रहा है। पॉपकार्न सिनेमा, जिसमें केवल मनोरंजन है लेकिन कोई संदेश नहीं। आज सिनेमा में परिवर्तन की धारा स्पष्ट रूप से दिख रही है। आज का सिनेमा आम वर्ग से दूर उच्च वर्गीय दर्शकों पर केन्द्रित है। इन्हीं दर्शकों को लक्ष्य मानकार फिल्मों का निर्माण हो रहा है। ऐसी फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह गयी हैं। ऐसी सिनेमा में पश्चिमी चलन को दिखाया जा रहा है इसी के चलते पारम्परिक सिनेमा अब बहुत कम हो गया है। अधिक से अधिक लोकप्रियता पाने के लिए फिल्मों में भाषायी स्तर गिर रहा है।[3] इसके अलावा फिल्मों में सात्विक प्रेम की जगह लिव-इन रिलेशनशिप जैसी अवधारणाओं को दिखाया जाने लगा जिसका समाज पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ढ़ंग से प्रभाव देखने को मिला। लिव-इन रिलेशनशिप उसे कहा जाता है जब एक वयस्क लड़का और लड़की शादी किए बिना आपसी सहमति से एक साथ रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए लिव-इन रिलेशन शादी से पहले आपसी रिश्तों को समझने, परखने का एक अच्छा तरीका है। कई बड़े शहरों में लिव-इन रिलेशन में रहने का चलन बढ़ा है। इसे गति देने का काम लिव-इन आधारित फिल्मों ने किया है जिसे युवा व समाज द्वारा कुछ सीमा तक स्वीकार किया जा रहा है।

लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्में एक रोमांटिक या सामाजिक संबंध को एक स्थायी और समर्थक ढंग से दर्शाने का प्रयास करती हैं, जो दृश्यगत और कल्पनाशील होता है। इन फिल्मों के माध्यम से लिव-इन रिलेशनशिप के साथी या प्रेमी के बीच के संबंधों को एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास किया जाता है, जिनमें सामाजिक प्रतिस्पर्धा,

❑ शोध अध्येता पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, वी.बी. सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ.प्र.)
❖ असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, वी.बी. सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ.प्र.)

परंपरागत मूल्यों का उल्लंघन, और सामाजिक मानदंडों के साथ कैसे निपटना चाहिए, इन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुछ फिल्में हैं जिन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप को दर्शाने का प्रयास किया है और जनमानस के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।[4] लिव-इन रिलेशनशिप एक विवादास्पद और चर्चित विषय है, और इस पर आधारित फिल्में वास्तविकता के साथ एक मनोरंजनी और दिलचस्प दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। यह फिल्में इस संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकती हैं, और व्यक्ति के विचारों, समाज में विद्यमान विचारधारा, और सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ी हो सकती हैं। कुछ लोग इस विषय पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और इसे विवादित मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सामाजिक प्रगति का प्रतीक मानते हैं। वे यह मानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप आदर्श विवाह या परंपरागत परिवार ढांचे के बारे में नये और सुधारित दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकते हैं।[5]

बॉलीवुड जैसे फिल्म उद्योग और अन्य फिल्म उत्पादन क्षेत्रों में लिव-इन रिलेशनशिप को अपनाने वाले कई फिल्म अभिनेता और निर्माता हैं, जिनमें से कुछ ने अपने रिलेशनशिप को खुले रूप से प्रकट किया है और कुछ ने इसे निजी रूप से रखा है। इसके परिणामस्वरूप, लिव-इन रिलेशनशिप को फिल्मों में विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। "शुद्ध देसी रोमांस"(2013) इस फिल्म में लिव-इन संबंधों के माध्यम से एक युवा जोड़े की कहानी को दर्शाया गया हैं, जो अपने प्यार के लिए सामाजिक मान्यता के खिलाफ खड़े होते हैं।[6]

लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्में आम तौर पर जनमानस के बीच विभिन्न प्रतिस्पर्धा और विचार-विमर्श का विषय बनती हैं। यह फिल्में आमतौर पर सामाजिक और मानसिक सवालों को उठाती हैं और इनमें से कुछ किस्म के फिल्म आधारित सम्बंधों की मिति और महत्व को परिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करती हैं।

कुछ विभिन्न प्रकार की लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्मों के मुख्य दृष्टिकोण हैं :

प्यार और विश्वास : कई फिल्में दिखाती हैं कि एक लिव-इन रिलेशनशिप कैसे प्यार और विश्वास के आधार पर तैयार हो सकता है, और वो आपसी समझ और साझेदारी के माध्यम से कैसे बढ़ता है।

सामाजिक प्रतिस्पर्धा : कुछ फिल्में यह दिखाती हैं कि समाज में एक अलग तरीके की रिलेशनशिप को स्वीकार करना कठिन हो सकता है और लोगों के बीच में इससे सामाजिक प्रतिस्पर्धा कैसे उत्पन्न हो सकती है।

परिपक्वता और परिवार : कुछ फिल्में यह दिखाती हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप कैसे परिपूर्णता और परिवार के संदर्भ में जन्मा जा सकता है और कैसे इसका सामाजिक स्वरूप हो सकता है।

समाज में स्वीकृति : कुछ फिल्में लिव-इन रिलेशनशिप को स्वीकार्य और सामाजिक रूप से उपयोगी बनाती हैं, जिससे समाज में इसे स्वीकार्य बनाने की दिशा में पॉजिटिव धारा को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे लोग लिव-इन रिलेशनशिप को एक वैकल्पिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य मानने लगते हैं।

समाज में विरोध : विशेष रूप से कुछ सामाजिक समूहों ने लिव-इन रिलेशनशिप को नकार दिया है और इसे अनैतिक माना है। इसके परिणामस्वरूप कुछ फिल्में इस विरोध को प्रतिस्पर्धी रूप से प्रस्तुत करती हैं और लिव-इन रिलेशनशिप के पक्ष में उत्तेजना बढ़ाती हैं।

प्रेम कथाएं : अक्सर फिल्में लिव-इन रिलेशनशिप को रोमांटिक प्रेम कथाओं का हिस्सा बनाती हैं, और इसे एक प्यार और संबंध की तरह प्रस्तुत करती हैं। इससे लोगों के दिलों में इसकी स्वीकृति बढ़ती है।

लिव-इन रिलेशनशिप को बोलना जितना आसान है, उतना ही इसे समाज में स्वीकृति प्राप्त करना कठिन हो सकता है। फिल्में एक माध्यम के रूप में अक्सर समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं और लिव-इन रिलेशनशिप पर बनी फिल्में भी इसी संदर्भ में देखी जा सकती हैं।

आधुनिकता और बदलते समाज की प्रतिष्ठा : कुछ फिल्में लिव-इन रिलेशनशिप को नए और बदलते समाज का परिचायक मान सकती हैं, जो पारंपरिक समाज से अलग है। इसके माध्यम से समाज में जागरूकता फैल सकती है कि व्यक्तिगत संबंधों की परंपरा-बंधन मुक्तता की ओर बढ़ रही है।

समाज में स्वीकृति की चुनौतीः हालांकि लिव-इन रिलेशनशिप कई स्थानों पर स्वीकृत हो रहे हैं, कुछ समाजों में इसे अभी भी गैर-स्वीकृति पूर्ण माना जाता है। फिल्में इस चुनौती को दिखा सकती हैं और यह सोचने को बाध्य कर सकती है कि क्या स्वीकृति स्वरूप एक व्यक्ति के स्वयं के रिश्तों को बनाए रखने की अनुमति

देनी चाहिए या नहीं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व : कुछ फिल्में दिखा सकती हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप के माध्यम से व्यक्ति अपनी उत्तरदायित्वों को कैसे संजीवनी दे सकता है और यह भी दिखा सकती है कि कैसे इससे संबंधित समस्याएं हल हो सकती हैं।

समाज में परिवर्तन : लिव-इन रिलेशनशिप पर बनी फिल्में समाज में ताजगी और नए दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकती हैं, जिससे समाज में विचारों और मूल्यों में परिवर्तन हो सकता है।

इन फिल्मों के माध्यम से जनमानस को लिव-इन रिलेशनशिप के साथ जुड़े सवालों और समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाता है, और वे इस प्रकार के संबंधों को समझने और समर्थन करने की आवश्यकता को समझते हैं। इन फिल्मों के माध्यम से सामाजिक बदलाव के प्रति भी जागरूकता फैलाई जाती है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार के महत्व को प्रोत्साहित किया जाता है।

साहित्य समीक्षा

अनिल कुमार पाण्डेय और श्रीकांत सिंह द्वारा आधुनिक सिनेमा का युवा वर्ग पर प्रभाव पर एक शोध कार्य किया गया जो मीडिया मीमांसा पत्रिका में जून 2013 के संस्करण में प्रकाशित हुआ, जिसमें यह निष्कर्ष आया कि आज के जमाने की आधुनिक फिल्में हमारी संस्कृति और सभ्यता के विरूद्ध बन रही हैं जिसमें पश्चिमीकरण को बढ़ावा देने का काम तेज हुआ है। फलस्वरूप सामाजिक सरोकार की तुलना में मनोरंजक फिल्मों को ज्यादा पसंद किया जा रहा है।[7]

अनुराधा पाण्डेय द्वारा हिन्दी सिनेमा के विकास में मिथकीय पात्रों एवं कहानियों का योगदान विषय पर शोध किया गया जो 'अपनी माटी' पत्रिका में अगस्त 2019 में प्रकाशित हुआ। इसमें यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि भारतीय समाज के ज्वलंत मुद्दे सामाजिक परिस्थितियों से लेकर पराधीनता जैसे विषयों को धीरे-धीरे सिनेमा में उठाया जाने लगा। मूक सिनेमा से लेकर सवाक सिनेमा तक इन पात्रों एवं कथानकों का महत्व बना रहा है और इन फिल्मों के माध्यम से जनजागरण का काम भी किया गया है।[8]

अभिषेक कुमार पाण्डेय द्वारा हिन्दी सिनेमा के गीत और पारसी रंगमंच विषय पर शोध किया गया जो कि अपनी माटी पत्रिका में सितंबर 2022 में प्रकाशित हुआ, जिसमें यह निष्कर्ष आया कि भारतीय फिल्मों की प्रकृति पश्चिमी फिल्मों से अलग है। हॉलीवुड को मानक मानकर भारतीय फिल्मों का मूल्यांकन भ्रामक व दोषपूर्ण होगा।[9]

कुमार मौसम व प्रशांत कुमार द्वारा मनोरंजक जनमाध्यम के रूप में ओटीटी (ऑवर द टॉप) प्लेटफार्म की स्वीकार्यता में कोरोना काल की भूमिका विषय पर शोध किया गया। यह 'अपनी माटी' पत्रिका में मार्च 2022 में प्रकाशित हुआ। जिसमे यह निष्कर्ष आया कि ओटीटी जनमाध्यमों ने मनोरंजन के क्षेत्र में संभावनाओं के द्वार खोले हैं साथ ही कोरोनाकाल में ओटीटी का चलन बढ़ा है जिसके बाद ओटीटी प्लेटफार्म उपयोगकर्ताओं के मनोरंजन का एक अहम हिस्सा बन गया है।[10]

उद्देश्य

1. लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्मों का समाज पर प्रभाव जानना
2. लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्मों पर समाज का दृष्टिकोण जानना

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध में वर्णात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। जिसमें सर्वेक्षण विधि के द्वारा गूगल फॉर्म की सहायता से यादृच्छिक नमूना के आधार पर मिश्रित प्रश्नावली द्वारा कुल 50 लोगों द्वारा डाटा संकलित कर उनका विश्लेषण किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण

तालिका-1

किस तरह की फिल्में देखना पसंद है

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
सामाजिक	21	42
आत्मकथात्मक	8	16
एक्शन	4	8
कॉमेडी	11	22
रिलेशनशिप बेस्ड	6	12
कुल	50	100

तालिका-1 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 42 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक फिल्में देखना पसंद करते हैं। 22 प्रतिशत कॉमेडी, 16 प्रतिशत उत्तरदाता आत्मकथात्मक, 8 प्रतिशत एक्शन फिल्में देखना पसंद करते हैं। वहीं सिर्फ 12 प्रतिशत उत्तरदाता रिलेशनशिप आधारित फिल्में देखना पसंद करते हैं।

तालिका-2

परंपरा से हटकर फिल्मों पर राय

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हां	19	38
नहीं	19	38
कह नहीं सकते	12	24
कुल	50	100

उत्तरदाताओं से पूछा गया कि परंपरा से हटकर बनने वाली फिल्में समाज के लिए क्या सही हैं? जिसमें 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हां व 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नहीं में उत्तर दिया। वहीं 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी।

तालिका-3

रिलेशनशिप पर आधारित की संख्या

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
1-5	33	66
6-10	7	14
11-15	5	10
15 से अधिक	5	10
कुल	50	100

तालिका-3 के अनुसार 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 1-5 फिल्में लिव-इन रिलेशनशिप पर आधारित देखी हैं। वहीं 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 6-10 फिल्में, 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 11-15 फिल्में, 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 16 से अधिक लिव-इन रिलेशनशिप पर आधारित फिल्में देखी हैं।

तालिका-4

रिलेशनशिप आधारित फिल्मों के औचित्य पर राय

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हां	31	62
नहीं	11	22
कह नहीं सकते	08	16
कुल	50	100

तालिका-4 के अनुसार सबसे अधिक 62 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप पर बनने वाली फिल्में आज के समय के अनुसार ठीक हैं। 22 प्रतिशत इस बात से सहमत नहीं है कि लिव-इन रिलेशनशिप पर बनने वाली फिल्में आज के समय के अनुसार ठीक नहीं है। वहीं 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी।

तालिका-5

शादी से पूर्व रिलेशनशिप में रहने पर राय

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हां	21	42
नहीं	21	42
कह नहीं सकते	08	16
कुल	50	100

तालिका-5 के अनुसार उत्तरदाताओं से बराबर का मत मिला जिसमें 42 प्रतिशत उत्तरदाता शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले संबंध को ठीक मानते हैं। वहीं 42 प्रतिशत उत्तरदाता शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले संबंध को ठीक नहीं मानते हैं। 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी।

तालिका-6

लिव-इन रिलेशनशिप पर आधारित फिल्मों पर दृष्टिकोण

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
सकारात्मक	25	50
नकारात्मक	19	38
उदासीन	06	12
कुल	50	100

तालिका-6 से पता चलता है कि सबसे अधिक 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का लिव-इन रिलेशनशिप फिल्मों पर सकारात्मक दृष्टिकोण है। 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं का लिव-इन रिलेशनशिप फिल्मों पर नकारात्मक दृष्टिकोण है। वहीं सिर्फ 12 प्रतिशत उत्तरदाता लिव-इन रिलेशन आधारित फिल्मों पर उदासीन दृष्टिकोण रखते हैं।

तालिका-7

लिव-इन रिलेशनशिप पर आधारित फिल्में बननी चाहिए

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हां	26	52
नहीं	10	20
कह नहीं सकते	14	28
कुल	50	100

तालिका-7 के अनुसार सबसे अधिक 52 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप पर आधारित फिल्में बननी चाहिए। 20 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप पर आधारित फिल्में नहीं बननी चाहिए। वहीं 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी।

तालिका-8

लिव-इन रिलेशन आधारित फिल्मों का समाज पर नकारात्मक प्रभाव

विकल्प	संख्या	प्रतिशत
हां	18	36
नहीं	19	38
कह नहीं सकते	13	26
कुल	50	100

तालिका-8 के अनुसार सबसे अधिक 38 प्रतिशत उत्तरदाता नहीं मानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्में समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। 36 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्में समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। वहीं 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी।

निष्कर्ष : उपर्युक्त पूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। फिल्मों में दिखाए गए अधिकांश संवाद, दृश्य और चरित्र (कैरेक्टर) से व्यक्ति प्रभावित होता है। 46 प्रतिशत उत्तरदाता मनोरंजन के लिए फिल्में देखते हैं वही 34 प्रतिशत उत्तरदाता कहानी, पटकथा से प्रभावित होकर फिल्मों को देखते हैं। शोध से यह पता चलता है कि समाज लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्मों के पक्ष में है लगभग 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्में बनना चाहिए। अधिकांश लगभग 38 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत नहीं हुए कि लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्में समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। वहीं लगभग 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का लिव-इन रिलेशनशिप आधारित फिल्मों पर सकारात्मक दृष्टिकोण है। सिर्फ 18 प्रतिशत उत्तरदाताओँ का मानना है कि शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से जीवनसाथी को सही से समझने का मौका नहीं मिलता है। 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि लिव-इन रिलेशनशिप पर बनने वाली फिल्में आज के समय के अनुसार ठीक हैं। 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि वे फिल्मों के विवादस्पद होने से उन्हें देखना पसंद करते हैं। सर्वाधिक 42 प्रतिशत उत्तरदाता सामाजिक फिल्में देखना पसंद करते हैं सिर्फ 12 प्रतिशत उत्तरदाता ही लिव-इन रिलेशनशिप पर आधारित फिल्मों को देखना पसंद करते हैं।

सन्दर्भ

1. ओझा, राजेन्द्र, '80 ग्लोरियस ईयर ऑफ इंडियन सिनेमा', स्क्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन, 1994, पृ. 33
2. वासवानी, किशोर, 'सिनेमाई भाषा ओर हिन्दी संवादों का विश्लेषण', हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 1984, पृ.27
3. रजा राही मासूम और सिंह कुंवर पाल, 'सिनेमा और संस्कृति', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001, पृ. 22
4. भवानीलाल, 'बॉलीवुडनामा', भारतीय सत्साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, 2011, पृ. 39
5. अग्रवाल, प्रहलाद, 'सिनेमा साहित्य और समाज', अनामिका प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012, पृ.18
6. त्रिपाठी, उमा और कठेरिया धरवेश, 'भारतीय सिनेमा के दो सौ वर्ष और बदलते सामाजिक परिदृश्य का विश्लेषण', मीडिया मीमांसा, मार्च 2013, पृ. 61
7. पाण्डेय, अनिल कुमार और सिंह, श्रीकांत, 'आधुनिक सिनेमा का युवा वर्ग पर प्रभाव', मीडिया मीमांसा, जून 2013 पृ. 46
8. पाण्डेय, अनुराधा, 'हिन्दी सिनेमा के विकास में मिथकीय पात्रों एवं कहानियों का योगदान', अपनी माटी, अगस्त 2019, पृ.18
9. पाण्डेय, अभिषेक कुमार, 'हिन्दी सिनेमा के गीत और पारसी रंगमंच', अपनी माटी, सितंबर 2022, पृ. 24
10. कुमार मौसम और कुमार, प्रशांत, 'मनोरंजक जनमाध्यम के रूप में ओटीटी प्लेटफार्म की स्वीकार्यता', अपनी माटी पत्रिका, मार्च 2022, पृ. 12